

प्रकाशक :

पार्ष्वनाथ विद्याभ्रम शोध सस्थान

आई० टी० आई० रोड, वाराणसी-५

फोन : ३११४६२

प्रकाशन-वर्ष :

प्रथम संस्करण सन् १९६७

द्वितीय संस्करण सन् १९८९

मूल्य रु० ८०००

JAINA SĀHITYA KĀ BRHAD ITIHĀSA

Vol. III · Āgamik Vyākhyāyen

By Dr M L Mehta

Second Edition 1989

Price : Rs 80.00

मुद्रक :

वर्षमान मुद्रणालय

जवाहरनगर, वाराणसी-१०

प्रथम संस्करण का प्रकाशकीय

जैन साहित्य के बृहद् इतिहास का यह तोसरा भाग है। जैनागमो का व्याख्यात्मक साहित्य इसका विषय है। डा० मोहनलाल मेहता, अध्यक्ष, पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान, इसके लेखक हैं। श्री दलसुखभाई मालवणिया और वे इसके सम्पादक हैं। श्री दलसुखभाई इस समय टोरोटो यूनिवर्सिटी, केनेडा, में भारतीय दर्शन के अध्यापन के लिए वार्षिक १५००० डालर वेतन पर नियुक्त होकर गये हुए हैं। इससे पहले वे कई वर्षों से लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर, अहमदाबाद, के अध्यक्ष थे। पंडित श्री सुखलालजी के बाद वे बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में जैन दर्शन वर्षों तक पढ़ाते रहे। जबसे पार्श्वनाथ विद्याश्रम का आरम्भ हुआ, श्री दलसुखभाई इस शोध संस्थान के सखा और सहायक रहे हैं। उनका स्नेह और सहानुभूति आज तक हमें प्राप्त है। केनेडा जाने से पूर्व वे अगले भाग के सम्पादन-कार्य को भी पूरा कर गये हैं। उनकी विद्वत्ता और योग्यता प्रामाणिक है। डा० मोहनलाल मेहता हिन्दू यूनिवर्सिटी में सम्मान्य प्राध्यापक हैं। वे एम० ए० की कक्षाओं में जैन दर्शन का अध्यापन तथा पी-एच० डी० के छात्रों को शोध-निर्देशन भी करते हैं। उन्होंने जैन आचार ग्रंथ भी लिखा है। इस समय जैन संस्कृति पर ग्रंथ लिख रहे हैं।

पार्श्वनाथ विद्याश्रम की स्थापना जुलाई, सन् १९३७ में हुई थी। तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जीवन का वाराणसी से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। इसी प्रेरणा से वर्तमान शोध संस्थान के नामकरण के समय उनका नाम इस ज्ञान-प्रसारक संस्था के साथ जोड़ना अभीष्ट समझा गया है।

पार्श्वनाथ विद्याश्रम भारतीय विद्या के अन्तर्गत प्राकृत और जैन विषयों में शोध-कार्य करने की प्रेरणा लेकर उपस्थित हुआ है। उस शोधफल को प्रकाशित करना भी इसकी प्रवृत्ति है। प्रति वर्ष चार-पाँच रिसर्च स्कॉलर यहाँ पर शोधकार्य करते हैं और अपने-अपने विषय पर थीसिस हिन्दू यूनिवर्सिटी में परीक्षणार्थ पेश करते हैं। अब तक ७ रिसर्च-स्कॉलर पी-एच० डी० हो चुके हैं। प्रत्येक रिसर्च-स्कॉलर को दो वर्ष तक मासिक २००) रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है।

स्वतन्त्र शोध और प्रकाशन-कार्य भी बराबर होता है। इस इतिहास की योजना उस कार्य का एक रूप है। **भारतीय श्रुति-दर्शन के**

शतावधानी रत्नचन्द्र लायब्रेरी जोध संस्थान का अंग है। उसमें शोध के हेतु से ही ग्रंथ-संग्रह होता रहता है। अपने स्कॉलरो के अलावा हिन्दू-यूनिवर्सिटी के अन्य स्कॉलरो और उसके अध्यापको के लिए भी हमारा संग्रह बड़ा उपयोगी है।

संस्थान की अपनी चार एकड़ जमीन पर १०४ × ५२ फुट का विशाल लायब्रेरी भवन है। अध्यक्ष के लिए स्वतन्त्र निवास-स्थान है। अन्य कर्मचारियों के लिए भी निवास की व्यवस्था है। रिसर्च-स्कॉलरो के लिए दस क्वार्टरों के होस्टल की नीवें भर चुकी हैं।

संस्थान से जैनविद्या का मासिक 'श्रमण' निकलता है। उसके अधिकांश लेख शोधपूर्ण होते हैं। इस समय यह पत्रिका उन्नीसवें वर्ष में है।

इनका और अन्य आवश्यक प्रवृत्तियों का संचालन श्री सोहनलाल जैनधर्म प्रचारक समिति करती है। समिति रजिस्टर्ड सोसायटी है। इसको दिया जाने वाला दान इन्कमटैक्स से मुक्त होता है।

इस तीसरे भाग के प्रकाशन का व्यय समिति के सर्वप्रथम और आयुपर्यन्त खर्जांचो स्व० श्री मुनिलालजी के सुपुत्रो—श्री मनोहरलाल जैन, बी० कॉम, श्री रोशनलाल जैन, श्री तिलकचन्द जैन और श्री धर्मपाल जैन ने वहन किया है। इन्हीं भाइयो ने पहले भाग के प्रकाशन का खर्च भी दिया था।

रूपमहल
फरीदाबाद }
५.१२.६७

हरजसराय जैन
मन्त्री
श्री सोहनलाल जैनधर्म प्रचारक समिति
अमृतसर

प्रथम संस्करण का प्राक्कथन

जैन साहित्य का वृहद् इतिहास, भाग ३, पाठको की सेवा में प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इससे पूर्व प्रकाशित दोनों भागों का विद्वज्जनो व अन्य पाठको ने हृदय से स्वागत किया एतदर्थ सस्थान के उत्साह में वृद्धि हुई है। यह भाग भी विद्वानो व सामान्य पाठको को पसंद आएगा, ऐसा विश्वास है।

प्रथम भाग में जैन संस्कृति के आधारभूत अंग आगमो का तथा द्वितीय भाग में अगवाह्य आगमो का सर्वांगीण परिचय प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत भाग में इन सब आगमो के व्याख्यात्मक साहित्य का सागोपाग परिचय दिया गया है। इन तीन भागों के अध्ययन से पाठको को समस्त मूल आगमो तथा उनकी विविध व्याख्याओं का पूर्ण परिचय प्राप्त हो सकेगा।

आगमिक व्याख्याएँ पाँच कोटियों में विभक्त की जाती हैं : १. निर्युक्तियाँ, २ भाष्य, ३ चूर्णियाँ, ४ सस्कृत टीकाएँ और ५. लोकभाषाओं में विरचित व्याख्याएँ। प्रस्तुत भाग में इन पाँचों प्रकार की व्याख्याओं तथा व्याख्याकारों का सुव्यवस्थित परिचय दिया गया है।

अन्य भागों की तरह प्रस्तुत भाग के सम्पादन में भी पूज्य दलसुखभाई का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है एतदर्थ मैं आपका अत्यन्त अनुगृहीत हूँ। ग्रन्थ के मुद्रण के लिए ससार प्रेस का तथा प्रूफ-सशोधन आदि के लिए सस्थान के शोध-सहायक प्र० कपिलदेव गिरि का आभार मानता हूँ।

पार्श्वनाथ विश्वाश्रम शोध संस्थान
वाराणसी-५
१५-१२-६७

मोहनलाल मेहता
अध्यक्ष

प्रकाशकीय द्वितीय संस्करण

जैन साहित्य का बृहद् इतिहास ग्रन्थमाला के अन्तर्गत इस भाग में जैनागमों पर लिखी गयी नियुक्तियों, भाष्यो, चूर्णियों, वृत्तियों, टीकाओं आदि का विवेचन किया गया है। इसका प्रथम संस्करण १९६७ ई० में प्रकाशित हुआ था और पिछले कुछ समय से इसकी प्रतियाँ विक्रयार्थ उपलब्ध नहीं थी। इसकी उपयोगिता और मांग को देखते हुए हमने इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित करने का निर्णय किया। इसमें प्रथम संस्करण की सम्पूर्ण सामग्री को यथावत् रखा गया है।

इस ग्रन्थ के प्रकाशन की उपयुक्त व्यवस्था संस्थान के निदेशक डा० सागरमल जैन ने की है, अतः सर्वप्रथम मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। प्रूफ रीडिंग और शब्दानुक्रमणिका तैयार करने में डा० अशोक कुमार सिंह और डा० शिवप्रसाद का सहयोग प्राप्त हुआ है, अतः इसके लिये भी हम आभारी हैं।

अन्त में इस ग्रन्थ के सुन्दर तथा त्वरित मुद्रण के लिये मैं वर्धमान मुद्रणालय, वाराणसी के संचालको के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

भूपेन्द्रनाथ जैन
मन्त्री
पार्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान
वाराणसी

प्रस्तुत पुस्तक में

प्रास्ताविक

निर्युक्तियाँ

| | |
|-----------------------------------|-----|
| १. निर्युक्तियाँ और निर्युक्तिकार | ५६ |
| २. आवश्यकनिर्युक्ति | ६४ |
| ३. दशवैकालिकनिर्युक्ति | ८८ |
| ४. उत्तराध्ययननिर्युक्ति | ९६ |
| ५. भाचारागनिर्युक्ति | १०१ |
| ६. सूत्रकृतांगनिर्युक्ति | १०९ |
| ७. दशाश्रुतस्कंधनिर्युक्ति | ११० |
| ८. बृहत्कल्पनिर्युक्ति | ११३ |
| ९. व्यवहारनिर्युक्ति | ११५ |
| १०. अन्य निर्युक्तियाँ | ११६ |

भाष्य

| | |
|----------------------------|-----|
| १. भाष्य और भाष्यकार | ११७ |
| २. विशेषावश्यकभाष्य | १२६ |
| ३. जीतकल्पभाष्य | १८६ |
| ४. बृहत्कल्प-लघुभाष्य | १९६ |
| ५. व्यवहारभाष्य | २३३ |
| ६. ओघनिर्युक्ति-लघुभाष्य | २५२ |
| ७. ओघनिर्युक्ति-बृहद्भाष्य | २५४ |
| ८. पिण्डनिर्युक्ति-भाष्य | २५५ |
| ९. पचकल्प-महाभाष्य | २५६ |
| १०. बृहत्कल्प-बृहद्भाष्य | २६३ |

घूर्णियाँ

| | |
|---------------------------|-----|
| १. घूर्णियाँ और घूर्णिकार | २६६ |
| २. नन्दीघूर्णि | २७१ |
| ३. अनुयोगद्वारा घूर्णि | २७३ |

| | |
|--|-----|
| ४. आवश्यकचूर्णि | २७४ |
| ५. दशवैकालिकचूर्णि (जिनदासगणिकृत) | २८३ |
| ६. उत्तराध्ययनचूर्णि | २८५ |
| ७. आचारागचूर्णि | २८७ |
| ८. सूत्रकृतागचूर्णि | २८९ |
| ९. जीतकल्प-बृहच्चूर्णि | २९१ |
| १०. दशवैकालिकचूर्णि (अगस्त्यसिंहकृत) | २९३ |
| ११. निशीथ-विशेषचूर्णि | २९८ |
| १२. दशाश्रुतस्कधचूर्णि | ३२१ |
| १३. बृहत्कल्पचूर्णि | ३२३ |

टीकाएँ

| | |
|---|-----|
| १. टीकाएँ और टीकाकार | ३२५ |
| २. जिनभद्रकृत विशेषावश्यकभाष्य-स्वोपज्ञवृत्ति | ३२७ |
| ३. हरिभद्रकृत वृत्तियाँ | ३३१ |
| ४. कोट्याचार्यकृत विशेषावश्यकभाष्य-विवरण | ३४९ |
| ५. गन्धहस्तिकृत शस्त्रपरिज्ञा-विवरण | ३५१ |
| ६. शोलांककृत विवरण | ३५२ |
| ७. शातिसूरिकृत उत्तराध्ययनटीका | ३५८ |
| ८. द्रोणसूरिकृत ओषधियुक्त-वृत्ति | ३६४ |
| ९. अभयदेवविहित वृत्तियाँ | ३६६ |
| १०. मलयगिरिविहित वृत्तियाँ | ३८५ |
| ११. मलधारी हेमचद्रकृत टीकाएँ | ४०९ |
| १२. नेमिचद्रविहित उत्तराध्ययन-वृत्ति | ४१५ |
| १३. श्रीचद्रसूरिविहित व्याख्याएँ | ४१७ |
| १४. अन्य टीकाएँ | ४२० |
| १५. लोकभाषाओ मे विरचित व्याख्याएँ | ४३५ |
| अनुक्रमणिका | ४४१ |
| सहायक ग्रन्थों की सूची | ५०९ |

प्रास्ताविक

निर्युक्तियाँ
निर्युक्तिकार भद्रवाहु
आवश्यकनिर्युक्त
दशवैकालिकनिर्युक्त
उत्तराध्ययननिर्युक्त
आचारागनिर्युक्त
सूत्रकृतागनिर्युक्त
दशाश्रुतस्कन्धनिर्युक्त
बृहत्कल्पनिर्युक्त
व्यवहारनिर्युक्त
भाष्य
भाष्यकार
विशेषावश्यकभाष्य
जीतकल्पभाष्य
बृहत्कल्प-लघुभाष्य
बृहत्कल्प-बृहद्भाष्य
व्यवहारभाष्य
ओषधिनिर्युक्त-भाष्य
पिण्डनिर्युक्त-भाष्य
पंचकल्प-महाभाष्य
चूर्णियाँ
चूर्णिकार
तन्दीचूर्णि
अनुयोगद्वा रचूर्णि
आवश्यकचूर्णि
दशवैकालिकचूर्णि (जिनदासकृत)
उत्तराध्ययनचूर्णि
आचारागचूर्णि
सूत्रकृतागचूर्णि
जीतकल्प-बृहच्चूर्णि

दशवैकालिकचूर्ण (अगस्त्यमिहकृत)
 निषीय-विशेषचूर्ण
 दशाश्रुतस्कन्धचूर्ण
 बृहत्स्कन्धचूर्ण
 टीकाएँ और टीकाकार
 जिनभद्रकृत विशेषावश्यकभाष्य-स्वोपज्ञवृत्ति
 हरिभद्रसूरिकृत टीकाएँ
 नन्दीवृत्ति
 अनुयोगद्वारटीका
 दशवैकालिकवृत्ति
 प्रज्ञापना-प्रदेशव्याख्या
 आवश्यकवृत्ति
 कोट्याचार्यविहित विशेषावश्यकभाष्य-विवरण
 आचार्य गंधहस्तिकृत शास्त्रपरिज्ञाविवरण
 शीलाकानायककृत टीकाएँ
 आचारागविवरण
 मूलकृतागविवरण
 वादिवेताल शान्तिसूरिकृत उत्तराष्ययनटीका
 द्रोणसूरिविहित ओधनियुक्ति-वृत्ति
 अभयदेवसूरिकृत टीकाएँ
 स्थानागवृत्ति
 समवायागवृत्ति
 व्याख्याप्रज्ञप्तिवृत्ति
 ज्ञाताघर्मकथाविवरण
 उपासकदशागवृत्ति
 अन्तकृद्दशावृत्ति
 अनुत्तरोपपातिकदशावृत्ति
 प्रश्नव्याकरणवृत्ति
 विपाकवृत्ति
 औपपातिकवृत्ति
 मलयगिरिसूरिकृत टीकाएँ
 नन्दीवृत्ति
 प्रज्ञापनावृत्ति
 सूर्यप्रज्ञप्तिविवरण

ज्योतिष्करणकवृत्ति
 जीवाभिगमविवरण
 ग्रहवहारविवरण
 राजप्रश्नीयविवरण
 पिण्डनियुक्ति-वृत्ति
 आवश्यकविवरण
 बृहत्कल्प-पीठिकावृत्ति
 मलधारी हेमचन्द्रसूरिकृत टीकाएँ
 आवश्यकटिप्पण
 अनुयोगद्वारवृत्ति
 विशेषावश्यकभाष्य-बृहद्वृत्ति
 नेमिचन्द्रसूरिकृत उत्तराध्ययनवृत्ति
 श्रीचन्द्रसूरिकृत टीकाएँ
 निशीथचूर्णि-दुर्गपदव्याख्या
 निरयावलिकावृत्ति
 जीतकल्पबृहच्चूर्णि-विपमपदव्याख्या
 आचार्यं क्षेमकीतिकृत बृहत्कल्पवृत्ति
 मणिक्यशेखरसूरिकृत आवश्यकनियुक्ति-दीपिका
 अजितदेवसूरिकृत आचारागदीपिका
 विजयविमलगणिविहित गच्छाचारवृत्ति
 विजयविमलगणिविहित तन्दुलवैचारिकवृत्ति
 वानरपिकृत गच्छाचारटीका
 भावविजयगणिकृत उत्तराध्ययनव्याख्या
 समयमुन्दरसूरिसदृश्य दशवैकालिकदीपिका
 ज्ञानविमलमूरिग्रथित प्रश्नव्याकरण-सुखबोधिकावृत्ति
 लक्ष्मीवल्लभगणिविरचित उत्तराध्ययनदीपिका
 दानशेखरसूरिसकलित भगवती-विशेषपदव्याख्या
 सध्रविजयगणिकृत कल्पमूत्र-कल्पप्रदीपिका
 चिनयविजयोपाध्यायविहित कल्पसूत्र-सुबोधिका
 समयमुन्दरगणिविरचित कल्पसूत्र-कल्पलता
 शान्तिसागरगणिविदृष्ट कल्पमूत्र-कल्पकौमुदी
 पृथ्वीचन्द्रसूरिप्रणीत कल्पसूत्र-टिप्पणक
 लोकभाषाभो मे निर्मित व्याख्याएँ
 आगमिक व्याख्याभो मे सामग्री-वैविध्य

आचारशास्त्र
दर्शनशास्त्र
ज्ञानवाद
प्रमाणशास्त्र
कर्मवाद
मनोविज्ञान और योगशास्त्र
कामविज्ञान
समाजशास्त्र
नागरिकशास्त्र
भूगोल
राजनीति
ऐतिहासिक चरित्र
संस्कृति एवं सम्प्रदाय

प्रास्ताविक

मूल ग्रथ के रहस्योद्घाटन के लिए उसकी विविध व्याख्याओं का अध्ययन अनिवार्य नहीं तो भी आवश्यक तो है ही। जब तक किसी ग्रन्थ की प्रामाणिक व्याख्या का सूक्ष्म अवलोकन नहीं किया जाता तब तक उस ग्रथ में रही हुई अनेक महत्त्वपूर्ण बातें अज्ञात ही रह जाती हैं। यह सिद्धान्त जितना वर्तमान-कालीन मौलिक ग्रथों पर लागू होता है उससे कई गुना अधिक प्राचीन भारतीय साहित्य पर लागू होता है। मूलग्रथ के रहस्य का उद्घाटन करने के लिए उस पर व्याख्यात्मक साहित्य का निर्माण करना भारतीय ग्रथकारों की बहुत पुरानी परंपरा है। इस प्रकार के साहित्य से दो प्रयोजन सिद्ध होते हैं। व्याख्याकार को अपनी लेखनी से ग्रथकार के अभीष्ट अर्थ का विश्लेषण करने में असीम आत्मोल्लास होता है तथा कही-कही उसे अपनी मान्यता प्रस्तुत करने का अवसर भी मिलता है। दूसरी ओर पाठक को ग्रथ के गूढार्थ तक पहुँचने के लिए अनावश्यक श्रम नहीं करना पड़ता। इस प्रकार व्याख्याकार का परिश्रम स्व-पर उभय के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। व्याख्याकार की आत्मतुष्टि के साथ ही साथ जिज्ञासुओं की तृप्ता भी शान्त होती है। इसी पवित्र भावना से भारतीय व्याख्याग्रथों का निर्माण हुआ है। जैन व्याख्याकारों के हृदय भी इसी भावना से भावित रहे हैं।

प्राचीनतम जैन व्याख्यात्मक साहित्य में आगमिक व्याख्याओं का अति महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन व्याख्याओं को हम पाँच कोटियों में विभक्त करते हैं : १ नियुक्तियाँ (निज्जुत्ति), २ भाष्य (भास), ३ चूर्णियाँ (चुण्णि), ४ संस्कृत टीकाएँ और ५ लोकभाषाओं में रचित व्याख्याएँ। आगमों के विषयों का संक्षेप में परिचय देनेवाली सग्रहणियाँ भी काफी प्राचीन हैं। पंचकल्प-महाभाष्य के उल्लेखानुसार सग्रहणियों की रचना आर्य कालक ने की है। पाक्षिक-सूत्र में भी नियुक्ति एवं सग्रहणी का उल्लेख है।

नियुक्तियाँ :

नियुक्तियाँ और भाष्य जैन आगमों की पद्यबद्ध टीकाएँ हैं। ये दोनों प्रकार की टीकाएँ प्राकृत में हैं। नियुक्तियों में मूल ग्रन्थ के प्रत्येक पद का व्याख्यान न किया जाकर विशेष रूप से पारिभाषिक शब्दों का ही व्याख्यान किया गया है।

उपलब्ध नियुक्तियों के कर्ता आचार्य भद्रबाहु (द्वितीय) ने निम्नोक्त आगम-ग्रन्थों पर नियुक्तियाँ लिखी हैं - १ आवश्यक, २ दशवैकालिक, ३ उत्तराध्ययन, ४ आचाराग, ५ सूत्रकृताङ्ग, ६ दशाश्रुतस्कन्ध, ७ बृहत्कल्प, ८ व्यवहार, ९ सूर्यप्रज्ञप्ति, १० ऋषिभाषित । इन दस नियुक्तियों में से सूर्यप्रज्ञप्ति और ऋषिभाषित की नियुक्तियाँ अनुपलब्ध हैं । ओषनियुक्ति, पिडनियुक्ति, पचकल्पनियुक्ति और निशीथनियुक्ति क्रमशः आवश्यकनियुक्ति, दशवैकालिकनियुक्ति, बृहत्कल्पनियुक्ति और आचारागनियुक्ति की पूरक हैं । ससवतनियुक्ति बहुत बाद की किसी की रचना है । गोविन्दाचार्यरचित एक अन्य नियुक्ति (गोविन्दनियुक्ति) अनुपलब्ध है ।

नियुक्तियों की व्याख्यान-शैली निक्षेप-पद्धति के रूप में प्रसिद्ध है । यह व्याख्या-पद्धति बहुत प्राचीन है । इसका अनुयोगद्वारा आदि में दर्शन होता है । इस पद्धति में किसी एक पद के सभावित अनेक अर्थ करने के बाद उनमें से अप्रस्तुत अर्थों का निषेध करके प्रस्तुत अर्थ ग्रहण किया जाता है । जैन न्याय-शास्त्र में इस पद्धति का बहुत महत्त्व है । नियुक्तिकार भद्रबाहु ने नियुक्ति का प्रयोजन बताते हुए इसी पद्धति की नियुक्ति के लिए उपयुक्त बताया है । दूसरे शब्दों में निक्षेप-पद्धति के आधार पर किये जानेवाले शब्दार्थ के निर्णय—निश्चय का नाम ही नियुक्ति है । भद्रबाहु ने आवश्यक-नियुक्ति (गा, ८८) में स्पष्ट कहा है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं किन्तु कौन-सा अर्थ किस प्रसङ्ग के लिए उपयुक्त होता है, भगवान् महावीर के उपदेश के समय कौन-सा अर्थ किस शब्द से सम्बद्ध रहा है, आदि बातों की दृष्टि में रखते हुए सम्यक् रूप से अर्थ-निर्णय करना और उस अर्थ का मूल-सूत्र के शब्दों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना—यही नियुक्ति का प्रयोजन है ।

आचार्य भद्रबाहुकृत दस नियुक्तियों का रचना-क्रम वही है जिस क्रम से ऊपर दस ग्रन्थों के नाम दिये गये हैं । आचार्य ने अपनी मवं-प्रथम कृति आवश्यक-नियुक्ति (गा ८५-६) में नियुक्ति-रचना का मकल्प करते समय इसी क्रम से ग्रन्थों की नामावली दी है । नियुक्तियों में उल्लिखित एक-दूसरी नियुक्ति के नाम आदि के अध्ययन से भी यही तथ्य प्रतिपादित होता है ।

नियुक्तिकार भद्रबाहु .

नियुक्तिकार आचार्य भद्रबाहु, छेदसूत्रकार चतुर्दश-पूर्वधर आर्य भद्रबाहु से भिन्न हैं । नियुक्तिकार भद्रबाहु ने अपनी दशाश्रुतस्कन्धनियुक्ति एवं पचकल्प-नियुक्ति के प्रारम्भ में छेदसूत्रकार भद्रबाहु को नमस्कार किया है । नियुक्तिकार भद्रबाहु प्रसिद्ध ज्योतिर्विद् बराहमिहिर के सहोदर माने जाते हैं । ये अष्टाग-

निमित्त तथा मशविद्या में पारगत नैमित्तिक भद्रवाहु के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उपमगंहरस्तोत्र और भद्रवाहुसंहिता भी इन्हीं की रचनाएँ हैं। वराहमिहिर वि. स. ५६२ में विद्यमान थे क्योंकि 'पचसिद्धान्तिका' के अन्त में शक संवत् ४२७ अर्थात् वि. स. ५६२ का उल्लेख है। नियुक्तिकार भद्रवाहु का भी लगभग यही समय है। अतः नियुक्तियों का रचना-काल वि. सं. ५००-६०० के बीच में मानना युक्तियुक्त है।

आवश्यकनियुक्ति :

आवश्यकनियुक्ति आचार्य भद्रवाहु की सर्वप्रथम कृति है। यह विषय-वैविध्य की दृष्टि में अन्य नियुक्तियों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस पर जिनभद्र, जिनदासगणि, हरिभद्र, कोट्याचार्य, मलयगिरि, मलघारी हेमचन्द्र, माणिक्य-दोन्वर प्रभृति आचार्यों ने विविध व्याख्याएँ लिखी हैं। आवश्यकनियुक्ति की गाथा-मह्या भिन्न-भिन्न व्याख्याओं में भिन्न-भिन्न रूपों में मिलती है। किन्ती-किन्ती व्याख्या में कहीं-कहीं जिनभद्रकृत विदोपावश्यकभाव्य की गाथाएँ नियुक्ति-गाथाओं में मिली हुई प्रतीत होती हैं। माणिक्यदोस्वरकृत आवश्यकनियुक्ति-दीपिका में नियुक्ति की १६१५ गाथाएँ हैं। आवश्यकनियुक्ति आवश्यकमूत्र के सामायिकादि छ अध्ययनों की सर्वप्रथम (पद्यबद्ध प्राकृत) व्याख्या है। इसके प्रारम्भ में उपोद्घात है जो प्रस्तुत नियुक्ति का बहुत ही महत्त्वपूर्ण अंग है। यह अश एक प्रकार से समस्त नियुक्तियों की भूमिका है। इसमें ज्ञानपचक, सामायिक, ऋषभदेव-चरित्र, महावीर-चरित्र, गणधरवाद, आर्यरक्षित-चरित्र; निह्वमत्र (सप्त निह्व) आदि का संक्षिप्त विवेचन किया गया है। ऋषभदेव के जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाओं के वर्णन के साथ ही साथ उस युग से सम्बन्धित आहार, शिल्प, कर्म, ममता, विभूषणा, लेखन, गणित, रूप, लक्षण, मानदण्ड, पोत, व्यवहार, नीति, युद्ध, इपुशास्य, उपासना, चिकित्सा, अर्थशास्य, वन्ध, घात, ताडना, यज्ञ, उत्सव, समवाय, मगल, कौतुक, वस्त्र, गंध, माल्य, अलंकार, चूला, उपनयन, विवाह, दत्ति, मृतक-पूजन, ध्यापन, स्तूप, शब्द, खेलापन और पृच्छन—इन चालीस विषयों का भी निर्देश किया गया है। चौबीस तीर्थंकरों के भिक्षालाभ के प्रसंग से निम्नलिखित नगरों के नाम दिये गये हैं—हस्तिनापुर, अयोध्या, श्रावस्ती, साकेत, विजयपुर, ब्रह्मस्थल, पाटलिखण्ड, पद्मखण्ड, श्रेय पुर, रिष्टपुर, सिद्धार्थपुर, महापुर, धान्यपुर, वर्धमान, सोमनस, मन्दिर, चक्रपुर, राजपुर, मिथिला, राजगृह, वीरपुर, द्वारवती, कूपकट और फोलाकग्राम। धर्मचक्र का वर्णन करते हुए नियुक्तिकार ने बताया है कि बाहुबलि ने अपने पिता ऋषभदेव की स्मृति में धर्मचक्र की स्थापना की थी।

उपोद्घात के बाद नमस्कार, चतुर्विंशतिस्तव, वदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, प्रायश्चित्त, ध्यान, प्रत्याख्यान आदि का निक्षेप-पद्धति से व्याख्यान किया गया है। नमस्कार-प्रकरण में अर्हत्, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु के स्वरूप का भी विचार किया गया है। प्रतिक्रमण-प्रकरण में नागदत्त, महागिरि, स्थूलभद्र, घर्मधोप, सुरेन्द्रदत्त, घन्वन्तरी वैद्य, करकंडु, पुष्पभूति आदि अनेक ऐतिहासिक पुरुषों के उदाहरण भी दिये गये हैं।

दशवैकालिकनियुक्ति :

दशवैकालिकनियुक्ति में दश, एक, काल, ओष, द्रुम, पुष्प, घर्म, मगल, अहिंसा, सयम, तप, हेतु, उदाहरण, विहगम, श्रमण, पूर्व, काम, पद, क्षुल्लक, महत्, आचार, कथा, जीव, निकाय, शस्त्र, पिण्ड, एषणा, धान्य, रत्न, स्यावर, द्विपद, चतुष्पद, वाक्य, शुद्धि, प्रणिधि, विनय, सकार, भिक्षु, चूलिका, रति आदि पदों का निक्षेपपूर्वक व्याख्यान किया गया है। हेतु और दृष्टान्त के स्वरूप का विवेचन करते हुए नियुक्तिकार ने अनुमान के निम्नोक्त अवयवों का निर्देश किया है - १ प्रतिज्ञा, २ विभक्ति, ३. हेतु, ४ विभक्ति, ५ विपक्ष, ६ प्रतिषेध, ७ दृष्टान्त, ८. आशका, ९. तत्प्रतिषेध, १० निगमन। धान्य तथा रत्न का व्याख्यान करते हुए प्रत्येक की चौबीस जातियाँ बताई हैं। धान्य की जातियाँ इस प्रकार हैं १ यव, २ गोधूम, ३. शालि, ४. व्रीहि, ५ पण्डिक, ६ कोद्रव, ७ अणुक, ८ कगु, ९. रालग, १० तिल, ११. मुद्ग, १२ माष, १३. अतसी, १४ हरिमथ, १५ त्रिपुटक, १६ निष्पाव, १७ सिलिद, १८. राज-माष, १९ इक्षु, २०. मसूर, २१ तुवरी, २२. कुलत्थ, २३ घान्यक, २४. कलाया। रत्न की चौबीस जातियाँ ये हैं : १. सुवर्ण, २ त्रपु, ३ ताम्र, ४ रजत, ५ लौह, ६. सीसक, ७ हिरण्य, ८ पाषाण, ९ वज्र, १०. मणि, ११. मौक्तिक, १२ प्रवाल, १३ शख, १४ तिनिस, १५ अगरु, १६. चन्दन, १७ वस्त्र, १८. अमिल, १९ काण्ठ, २० चर्म, २१ दत्त, २२ बाल, २३ गव, २४ द्रव्योपघ। चतुष्पद प्राणियों के दस भेद आचार्य ने बताये हैं - १ गो, २. महिषी, ३. उष्ट्र, ४ अज, ५ एडक, ६ अश्व, ७ अश्वतर, ८ घोटक, ९. गर्दभ, १०. हस्ती। काम दो प्रकार का है : सप्राप्त और असप्राप्त। नियुक्तिकार ने सप्राप्तकाम के चौदह एव असप्राप्तकाम के दस भेद किये हैं। सप्राप्तकाम के चौदह भेद ये हैं १. दृष्टिसपात, २. सभाषण, ३ हसित, ४ ललित, ५. उपगूहित, ६. दत्तनिपात, ७. नखनिपात, ८. चुबन, ९ आलिगन, १०. आदान, ११ करण, १२. आसेवन, १३ सग, १४. क्रीडा। असप्राप्तकाम दस प्रकार का है : १. अर्थ, २ चिंता, ३ श्रद्धा, ४ सस्मरण, ५. विवलयता, ६. लज्जानाश, ७. प्रमाद, ८. उन्माद, ९. तद्भावना, १०. मरण।

उत्तराध्ययननियुक्ति :

इसमें उत्तर, अध्ययन, श्रुत, स्कन्ध, संयोग, गलि, आकीर्ण, परीपह, एकक, चतुष्क, अग, संयम, प्रमाद, सस्कृत, करण, उरभ्र, कपिल, नमि, बहु, श्रुत, पूजा, प्रवचन, साम, भोक्ष, चरण, विधि, मरण, आदि पदों की निम्नोपपूर्वक व्याख्या की गई है। यत्र-तत्र अनेक शिक्षाप्रद कथानक भी सकलित किये गये हैं। अग की नियुक्ति में गधाग, औषधाग, मद्याग, आतोद्याग, शरीराग और युद्धाग का भेद-प्रभेदपूर्वक विवेचन किया गया है। मरण की व्याख्या में मशह प्रकार की मृत्यु का उल्लेख किया गया है।

आचारांगनियुक्ति

इस नियुक्ति में आचार, वर्ण, वर्णान्तर, चरण, क्षत्र, परिज्ञा, मजा, दिक्, पृथ्वी, वध, अप्, तेजम्, वनस्पति, व्रस, वायु, लोक, विजय, कर्म, शीत, उष्ण, सम्यक्त्व, सार, चर, धूत—विधूनन, विभोक्ष, उपधान, श्रुत, अग्र आदि शब्दों का व्याख्यान किया गया है। प्रारम्भ में आचाराग प्रथम अग वयो है 'एव इमका परिमाण क्या है, इस पर प्रकाश डाला गया है। अन्न में नियुक्तिनकार ने पचम चूलिका निशीय का किसी प्रकार से विवेचन न करते हुए केवल इतना ही निर्देश किया है कि इसकी नियुक्ति में फिर कहेगा। वर्ण और वर्णान्तर का प्रतिपादन करते हुए आचार्य ने सात वर्णों एव नौ वर्णान्तरों का उल्लेख किया है। एक मनुष्य जाति के सात वर्ण ये हैं १. क्षत्रिय, २ शूद्र, ३ वैश्य, ४ ब्राह्मण, ५ सकरक्षत्रिय, ६ सकरवैश्य, ७ सकरशूद्र। सकरब्राह्मण नाम का कोई वर्ण नहीं है। नौ वर्णान्तर इस प्रकार हैं १ अवण्ड, २ उग्र, ३ निपाद, ४ अयोगव, ५ मागघ, ६ सूत, ७ क्षत्त, ८ विवेह, ९ चाण्डाल।

सूत्रकृतागनियुक्ति :

इसमें आचार्य ने सूत्रकृताग शब्द का विवेचन करते हुए गाथा, षोडश, पुरुष, विभक्ति, समाधि, मार्ग, ग्रहण, पुण्डरीक, आहार, प्रत्याख्यान, सूत्र, आर्द्र, अलम् आदि पदों का निम्नोपपूर्वक व्याख्यान किया है। एक गाथा (११९) में निम्नोक्त ३६३ मतान्तरों का उल्लेख किया है १८० प्रकार के क्रियावादी, ८४ प्रकार के अक्रियावादी, ६७ प्रकार के अज्ञानवादी और २२ प्रकार के वैतयिक।

दशाश्रुतस्कन्धनियुक्ति :

प्रस्तुत नियुक्ति के प्रारम्भ में नियुक्तिकार आचार्य भद्रबाहु ने प्राचीन ऋषीय, चरम सकलश्रुतज्ञानी तथा दशाश्रुतस्कन्ध, बृहत्कल्प और व्यवहार सूत्र

के प्रणेता भद्रबाहु स्वामी को नमस्कार किया है। इसमें समाधि, स्थान, शबल, आशातना, गणी, सपदा, चित्त, उपासक, प्रतिमा, पयुषणा, मोह आदि पदों का निक्षेप-पद्धति से विवेचन किया गया है। पयुषणा के पर्यायवाची शब्द ये हैं - परिवसना, पयुषणा, पयुषणमना, वर्षावास, प्रथम समवसरण, स्थापना, ज्येष्ठग्रह।

बृहत्कल्पनियुक्ति :

यह नियुक्ति भाष्यमिश्रित अवस्था में उपलब्ध है। इसमें ताल, प्रलम्ब, ग्राम, नगर, खेड, कर्बटक, मडम्ब, पत्तन, आकर, द्रोणमुख, निगम, राजधानी, आश्रम, निवेश, सबाध, घोष, आर्य, उपाश्रय, उपधि, चर्म, मैथुन, कल्प, अधिकरण, वचन, कण्टक, दुर्ग आदि अनेक महत्त्वपूर्ण पदों का व्याख्यान किया गया है। बीच-बीच में दृष्टान्तरूप कथानक भी उद्धृत किये गये हैं।

व्यवहारनियुक्ति :

यह नियुक्ति भी भाष्य में मिल गई है। इसमें साधुओं के आचार-विचार से सम्बन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण पदों एवं विषयों का संक्षिप्त विवेचन है। एक प्रकार से बृहत्कल्पनियुक्ति और व्यवहारनियुक्ति परस्पर पूरक हैं।

जैन परम्परागत अनेक महत्त्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों की सुस्पष्ट व्याख्या सर्वप्रथम आचार्य भद्रबाहु ने अपनी आगमिक नियुक्तियों में की है। इस दृष्टि से नियुक्तिकार आचार्य भद्रबाहु का जैन साहित्य के इतिहास में एक विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण स्थान है। पीछे के भाष्यकारों एवं टीकाकारों ने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में उपयुक्त नियुक्तियों का आधार लेते हुए ही अपनी कृतियों का निर्माण किया है।

भाष्य :

नियुक्तियों का मुख्य प्रयोजन पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या रहा है। इन शब्दों में छिपे हुए अर्थबाहुल्य को अभिव्यक्त करने का सर्वप्रथम श्रेय भाष्यकारों को है। नियुक्तियों की भाँति भाष्य भी पद्यबद्ध प्राकृत में हैं। कुछ भाष्य नियुक्तियों पर हैं और कुछ केवल मूल सूत्रों पर। निम्नोक्त आगम ग्रन्थों पर भाष्य लिखे गये हैं - १ आवश्यक, २ दशवैकालिक, ३ उत्तराध्ययन, ४ बृहत्कल्प, ५ पचकल्प, ६ व्यवहार, ७ निशीथ, ८ जीतकल्प, ९ ओष-नियुक्ति, १० पिण्डनियुक्ति। आवश्यकसूत्र पर तीन भाष्य लिखे गये। इनमें से विशेषावश्यकभाष्य आवश्यकसूत्र के प्रथम अव्ययन सामायिक पर है। इसमें ३६०३ गाथाएँ हैं। दशवैकालिकभाष्य में ६३ गाथाएँ हैं। उत्तराध्ययन भाष्य भी बहुत छोटा है। इसमें ४५ गाथाएँ हैं। बृहत्कल्प पर दो भाष्य हैं।

इनमें से लघुभाष्य मे ६४९० गाथाएँ हैं। पचकल्प-महाभाष्य की गाथा-सख्या २५७४ है। व्यवहारभाष्य मे ४६२९ गाथाएँ हैं। निगोथभाष्य में लगभग ६५०० गाथाएँ हैं। जीतकल्पभाष्य मे २६०६ गाथाएँ हैं। ओषनियुक्ति पर दो भाष्य हैं। इनमे मे लघुभाष्य में ३२२ तथा बृहद्भाष्य मे २५१७ गाथाएँ हैं। पिण्डनियुक्तिभाष्य में केवल ४६ गाथाएँ हैं।

इस विशाल प्राकृत भाष्य-साहित्य का जैन साहित्य मे और विशेषकर आगमिक साहित्य में अति महत्त्वपूर्ण स्थान है। पद्यबद्ध होने के कारण इसके महत्त्व मे और भी वृद्धि हो जाती है।

भाष्यकार :

भाष्यकार के रूप में दो आचार्य प्रसिद्ध हैं - जिनभद्रगणि और सघदास-गणि। विशेषावश्यकभाष्य और जीतकल्पभाष्य आचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण की कृतिया हैं। बृहत्कल्पलघुभाष्य और पचकल्पमहाभाष्य सघदासगणि की रचनाएँ हैं। इन दो भाष्यकारो के अतिरिक्त अन्य किसी आगमिक भाष्यकार के नाम का कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं है। इतना निश्चित है कि इन दो भाष्यकारो के अतिरिक्त कम-से-कम दो भाष्यकार तो और हुए ही हैं जिनमे से एक व्यवहारभाष्य आदि के प्रणेता एव दूसरे बृहत्कल्प-बृहद्भाष्य आदि के रचयिता है। विद्वानो के अनुमान के अनुसार बृहत्कल्प-बृहद्भाष्य के प्रणेता बृहत्कल्पचूर्णिकार तथा बृहत्कल्प-विशेषचूर्णिकार से भी पीछे हुए हैं। ये हरिभद्रसूरि के कुछ पूर्ववर्ती अथवा समकालीन हैं। व्यवहारभाष्य के प्रणेता विशेषावश्यकभाष्यकार आचार्य जिनभद्र के भी पूर्ववर्ती हैं। सघदासगणि भी आचार्य जिनभद्र के पूर्ववर्ती ही हैं।

विशेषावश्यकभाष्य के प्रणेता आचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण का अपनी महत्त्वपूर्ण कृतियो के कारण जैन साहित्य के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा होते हुए भी उनके जीवन के सम्बन्ध में विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं है। उनके जन्म, शिष्यत्व आदि के विषय मे परस्पर विरोधी उल्लेख मिलते हैं। उनके सम्बन्ध मे एक आश्चर्यजनक उल्लेख यह भी मिलता है कि वे हरिभद्र-सूरि के पट्टधर शिष्य थे, जबकि हरिभद्रसूरि आचार्य जिनभद्र के लगभग सौ वर्ष बाद हुए हैं। आचार्य जिनभद्र वाचनाचार्य के रूप मे भी प्रसिद्ध थे एव उनके कुल का नाम निवृत्तिकुल था। उन्हें अधिकतर क्षमाश्रमण शब्द से ही सम्बोधित किया जाता था। वैसे वादी, क्षमाश्रमण, दिवाकर, वाचक, वाचना-चार्य आदि शब्द एकार्थक भी हैं। विविध उल्लेखो के आधार पर आचार्य जिनभद्र का उत्तरकाल वि० स० ६५० के आसपास सिद्ध होता है। उन्होने

विशेषावश्यकभाष्य आदि नौ ग्रंथों का निर्माण किया था। इनमें से सात ग्रन्थ पद्यबद्ध प्राकृत में हैं। एक ग्रन्थ—अनुयोगद्वारचूर्णि प्राकृत गद्य में है जो जिनदासकृत अनुयोगद्वारचूर्णि तथा हरिभद्रकृत अनुयोगद्वारवृत्ति में अक्षरशः उद्धृत की गई है। उनकी अन्तिम कृति विशेषावश्यकभाष्य-स्वोपज्ञवृत्ति जो कि उनके देहावसान के कारण अपूर्ण ही रह गई थी और जिसे बाद में कोट्टार्य ने पूर्ण की थी, संस्कृत गद्य में है। उनके एक ग्रन्थ ध्यानशतक के कर्तृत्व के विषय में अभी विद्वानों को सन्देह है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा से प्रभावित हो बाद के आचार्यों ने उनका जो वर्णन किया है उससे प्रतीत होता है कि आचार्य जिनभद्र आगमों के अद्वितीय व्याख्याता थे, युगप्रधान पद के धारक थे, श्रुति आदि अन्य शास्त्रों के कुशल विद्वान् थे, विभिन्न दर्शनशास्त्र, लिपिविद्या, गणितशास्त्र, छन्दशास्त्र, शब्दशास्त्र आदि के अद्वितीय पंडित थे, स्व-पर-सिद्धान्त में निपुण थे, स्वाचार-पालन में प्रवण एवं सर्व जैन-श्रमणों में प्रमुख थे। उत्तरवर्ती आचार्यों ने इनके लिए भाष्यसुधाम्बोधि, भाष्यपीयूषपाथोधि, भगवान् भाष्यकार, प्रशस्यभाष्यसस्यकाश्यपीकल्प आदि अति सम्मानपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है। इन सब तथ्यों को देखने से यह सिद्ध होता है कि भाष्यकार जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण अपने समय के एक प्रभावशाली आचार्य थे।

वृहत्कल्प-लघुभाष्य तथा पचकल्प-महाभाष्य के प्रणेता आचार्य सघदासगणि वसुदेवहिंडि-प्रथम खण्ड के प्रणेता आचार्य सघदासगणि से भिन्न हैं। वसुदेव-हिंडिकार सघदासगणि भी विशेषावश्यकभाष्यकार आचार्य जिनभद्र के पूर्ववर्ती हैं।

विशेषावश्यकभाष्य :

इसमें जैन आगमों के प्रायः समस्त महत्त्वपूर्ण विषयों की चर्चा है। इस भाष्य की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जैन मान्यताओं का निरूपण केवल जैन दृष्टि से न किया जाकर, इतर भारतीय दार्शनिक मान्यताओं के साथ तुलना, खण्डन, समर्थन आदि करते हुए किया गया है। यही कारण है कि प्रस्तुत भाष्य में दार्शनिक दृष्टिकोण का विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जैन आगमों का रहस्य समझने के लिए विशेषावश्यकभाष्य निःसंदेह एक अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ है। इसकी उपयोगिता एवं महत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि जिनभद्र के उत्तरवर्ती आगमिक व्याख्याकारों एवं ग्रन्थकारों ने एतद्निरूपित सामग्री के साथ ही साथ इसकी तर्कपद्धति का भी बहुत उदारतापूर्वक उपयोग किया है। यह ग्रन्थ, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आवश्यकसूत्र की व्याख्या के रूप में है। इसमें आवश्यक के प्रथम अध्यायन सामायिक से सम्बन्धित नियुक्ति-गाथाओं का व्याख्यान है जिसमें निम्नोक्त विषयों का समावेश किया गया है भगलरूप

ज्ञानपचक, निरुक्त, निक्षेप, अनुगम, नय, सामायिक की प्राप्ति, सामायिक के बाधक कारण, चारित्रलाभ, प्रवचन, सूत्र, अनुयोग, सामायिक की उत्पत्ति, गणघरवाद, सामायिक का क्षेत्र-काल, अनुयोगो का पृथक्करण, निह्वववाद, सामायिक के विविध द्वार, नमस्कार की उत्पत्ति आदि, 'करेमि भते' आदि पदो की व्याख्या । ज्ञानपचक प्रकरण मे आभिनिबोधिक, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञान के स्वरूप, क्षेत्र, विषय, स्वामी आदि का विवेचन किया गया है । साथ ही मति और श्रुत के सम्बन्ध, नयन और मन की अप्राप्यकारिता, श्रुत-निश्चित मतिज्ञान के ३३६ भेद, भाषा के स्वरूप, श्रुत के चौदह प्रकार आदि का भी विचार किया गया है । चारित्ररूप सामायिक की प्राप्ति का विचार करते हुए भाष्यकार ने कर्म की प्रकृति, स्थिति, सम्यक्त्वप्राप्ति आदि का विस्तारपूर्वक विवेचन किया है । कषाय को सामायिक का बाधक बताते हुए कषाय की उत्कृष्टता एव मंदता से किस प्रकार चारित्र का घात होता है, इस पर विशेष प्रकाश डाला है । चारित्र-प्राप्ति के कारणो पर प्रकाश डालते हुए आचार्य ने सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारत्रिशुद्धि, सूक्ष्मसम्भराय और यथाख्यात चारित्र का विस्तार से व्याख्यान किया है । सामायिक चारित्र का उद्देश, निर्देश, निर्गम, क्षेत्र, काल पुरुष, कारण, प्रत्यय, लक्षण, नय, समवतार, अनुमत, किम्, कतिविध, कस्य, कुत्र, केषु, कथम्, कियञ्चि, कति, सान्तर, अविरहित, भव, आकर्ष, स्पर्शन और निरुक्ति—इन छव्वीस द्वारो से वर्णन किया है । इस वर्णन मे सामायिकसम्बन्धोसभी आवश्यक बातो का समावेश हो गया है । तृतीय द्वार निर्गम अर्थात् सामायिक की उत्पत्ति की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने भगवान् महावीर के एकादश गणघरो की चर्चा की है एव गणघरवाद अर्थात् भगवान् महावीर एव गणघरो के बीच हुई चर्चा का विस्तार से निरूपण किया है । एकादश गणघरो के नाम ये है . १ इन्द्रभूति, २. अग्निभूति, ३ वायुभूति, ४ व्यक्त, ५ सुघर्मा ६ मडिक, ७ मौर्यपुत्र, ८ अकपित, ९ अचलभ्राता, १० मेतार्य, ११ प्रभास । ये पहले वेदानुयायी ब्राह्मण-पण्डित थे किन्तु बाद मे भगवान् महावीर के मन्तव्यो से प्रभावित होकर उनके शिष्य हो गये थे । यही महावीर के गणघर-प्रमुख शिष्य कहलाते हैं । इनके साथ महावीर की जिन विषयो पर चर्चा हुई थी । वे क्रमशः इस प्रकार हैं : १ आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व, २. कर्म की सत्ता, ३ आत्मा और देह का भेद, ४ शून्यवाद का निरास, ५ इहलोक और परलोक की विचित्रता, ६ बध और मोक्ष का स्वरूप, ७ देवो का अस्तित्व, ८ नारको का अस्तित्व, ९ पुण्य और पाप का स्वरूप, १० परलोक का अस्तित्व, ११ निर्वाण की सिद्धि । आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध करने के लिए अधिष्ठातृत्व, सघातपरार्थत्व आदि अनेक हेतु दिये गये हैं । ये हेतु साख्य आदि अन्य दर्शनो मे भी उपलब्ध हैं । आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि के साथ ही साथ एकात्मवाद-

का खंडन करते हुए अनेकात्मवाद की भी सिद्धि की गई है। इसी प्रकार जीव को स्व-देहपरिमाण सिद्ध करते हुए यह बताया गया है कि अन्य पदार्थों की भाँति जीव भी नित्यानित्य है तथा विज्ञान भूतधर्म न होकर एकस्वतन्त्र तत्त्व—आत्मतत्त्व का धर्म है। कर्म का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए भी अनेक हेतु दिये गये हैं। कर्म को मूर्त सिद्ध करते हुए कर्म और आत्मा के सम्बन्ध पर भी प्रकाश डाला गया है तथा ईश्वर-कर्तृत्व का खंडन किया गया है। आत्मा और देह के भेद की सिद्धि में चार्वाक-सम्मत भूतवाद का निरास किया गया है एवं इन्द्रियभिन्न आत्मसाधक अनुमान प्रस्तुत करते हुए आत्मा की नित्यता एवं अदृश्यता का प्रतिपादन किया गया है। शून्यवाद के निरास के प्रसंग पर वायु, आकाश आदि तत्त्वों की सिद्धि की गई है तथा भूतों की सजीवता का निरूपण करते हुए हिंसा-अहिंसा के विवेक पर प्रकाश डाला गया है। सुधर्मा का इहलोक और परलोकविपयक सशय दूर करने के लिए कर्म-वैचित्र्य से भव-वैचित्र्य की सिद्धि की गई है एवं कर्मवाद के विरोधी स्वभाववाद का निरास कर कर्मवाद की स्थापना की गई है। मडिक के सशय का निवारण करने के लिए विविध हेतुओं से बंध और मोक्ष की सिद्धि की गई है तथा मुक्त आत्माओं के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार देव, नारक, पुण्य-पाप, पर-भव और निर्वाण की सत्ता सिद्ध करने हुए जैनदर्शनाभिमत निर्वाण आदि के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। सामायिक के ग्यारहवें द्वार समवतार का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार ने अनुयोगो—चरणकरणानुयोग, धर्मकथानुयोग, गणितानुयोग और द्रव्यानुयोग के पृथक्करण की चर्चा की है और बताया है कि आर्य वज्र के बाद होने वाले आर्य रक्षित ने भविष्य में मति-मेघा-धारणा का नाश होना जानकर अनुयोगो का विभाग कर दिया। उस समय तक सब सूत्रों की व्याख्या चारों प्रकार के अनुयोगों से होती थी। आर्य रक्षित ने इन सूत्रों का निश्चित विभाजन कर दिया। चरणकरणानुयोग में कालिक श्रुतरूप ग्यारह अंग, महाकल्पश्रुत और छेदसूत्र रखे। धर्मकथानुयोग में ऋषिभाषितो का समावेश किया। गणितानुयोग में सूर्यप्रज्ञप्ति को रखा। द्रव्यानुयोग में दृष्टिवाद को समाविष्ट किया। इसके बाद उन्होंने पुष्पमित्र को गणिपद पर प्रतिष्ठित किया। इसे गोष्ठामाहिल ने अपना अपमान समझा और वह ईर्ष्यावश सघ से अलग हो अपनी नई मान्यताओं का प्रचार करने लगा। यही गोष्ठामाहिल सप्तम निह्वव के रूप में प्रसिद्ध है। नियुक्तिकारनिर्दिष्ट सात निह्ववों में शिवभूति बोटिक नामक एक और निह्वव मिलाकर भाष्यकार जिनभद्र ने प्रस्तुत भाष्य में निम्नलिखित आठ निह्ववों की मान्यताओं का वर्णन किया है १ जमालि, २ तिष्यगुप्त,

३ आषाढभूति, ४ अश्वभिन्न, ५ गग, ६ रोहगुप्त-षडुलूक, ७ गोष्ठामाहिल, ८ शिवभूति । भगवान् महावीर को केवलज्ञान होने के १४ वर्ष बाद प्रथम तथा १६ वर्ष बाद द्वितीय निह्लव हुआ । शेष निह्लव क्रमशः महावीर-निर्वाण के २१४, २२०, २२८, ५४४, ५८४ और ६०९ वर्ष बाद हुए । इनकी मान्यताएँ आठ प्रकार के निह्लववाद के रूप में प्रसिद्ध हैं । अपने अभिनिवेश के कारण आगमिक परंपरा से विरुद्ध तत्त्व-प्रतिपादन करनेवाला निह्लव कहलाता है । अभिनिवेशरहित अर्थ-विवाद निह्लववाद की कोटि में नहीं आता क्योंकि इस प्रकार के विवाद का प्रयोजन यथार्थ तत्त्व-निर्णय है, न कि अपने अभिनिवेश का मिथ्या पोषण । निह्लव समस्त जिनप्रवचन को प्रमाणभूत मानता हुआ भी उसके किसी एक अर्थ का परंपरा से विरुद्ध अर्थ करता है एव उस अर्थ का जनता में प्रचार करता है । प्रथम निह्लव जमालि ने बहुरत मत का प्रचार किया । इस मत के अनुसार कोई भी क्रिया एक समय में न होकर बहु—अनेक समय में होती है । द्वितीय निह्लव तिष्यगुप्त ने जीवप्रादेशिक मत का प्रचार किया । इस मत के अनुसार जीव का वह चरम प्रदेश जिसके बिना वह जीव नहीं कहलाता और जिसके होने पर ही वह जीव कहलाता है, वास्तव में जीव है । उसके अतिरिक्त अन्य प्रदेश तो उसके अभाव में अजीव ही हैं क्योंकि उसी से वे सब जीवत्व प्राप्त करते हैं । तृतीय निह्लव आषाढभूति ने अव्यक्त मत का प्रचार किया । इस मत के अनुसार किसी की साधुता-असाधुता आदि का निश्चय नहीं हो सकता । अतः किसी को वन्दना-नमस्कार आदि नहीं करना चाहिए । चतुर्थ निह्लव अश्वभिन्न ने सामुच्छेदिक मत का प्रचार किया । समुच्छेद का अर्थ है जन्म होते ही सर्वथा नाश हो जाना । सामुच्छेदिक मत इसी सिद्धान्त का समर्थक है । पंचम निह्लव गग ने द्वैक्रियवाद का प्रचार किया । एक समय में दो क्रियाओं के अनुभव की शक्यता का समर्थन करना द्वैक्रियवाद है । षष्ठ निह्लव रोहगुप्त-षडुलूक ने त्रैराशिक मत का प्रचार किया । इस मत के अनुसार ससार में जीव, अजीव और नोजीव—इस तरह तीन प्रकार की राशियाँ हैं । रोहगुप्त का नाम षडुलूक क्यों रखा गया, इसका समाधान करते हुए भाष्यकार ने लिखा है कि उसका नाम तो रोहगुप्त है किन्तु गोत्र उलूक है । उलूक गोत्रीय रोहगुप्त ने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय—इन पद पदार्थों (वैशेषिक मत) का प्ररूपण किया अतः उसका नाम पद और उलूक के संयोग से षडुलूक हो गया । सप्तम निह्लव गोष्ठामाहिल ने अबद्धिक मत का प्रचार किया । इस मत के अनुसार जीव और कर्म का बंध नहीं अपितु स्पर्शमात्र होता है । अष्टम निह्लव शिवभूति—बोटिक ने दिग्भ्रर मत का प्रचार किया । इस मत के अनुसार वस्त्र कपाय का हेतु होने से परिग्रहरूप है अतः त्याज्य है । निह्लववाद के बाद सामायिक के अनुमत आदि

शेष द्वारो का वर्णन करते हुए भाष्यकार ने सूत्रस्पर्शिक नियुक्ति का व्याख्यान प्रारंभ किया। इसमें नमस्कार का उत्पत्ति, निक्षेप, पद, पदार्थ, प्ररूपणा, वस्तु, आक्षेप, प्रसिद्धि, क्रम, प्रयोजन और फल—इन ग्यारह द्वारो से विवेचन किया है। सिद्ध नमस्कार का व्याख्यान करते हुए आचार्य ने कर्मस्थिति, समुद्घात, जैलेशी अवस्था, ध्यान आदि के स्वरूप का भी पर्याप्त विवेचन किया है। सिद्ध का उपयोग साकार है अथवा निराकार, इसकी चर्चा करते हुए केवलज्ञान और केवलदर्शन के भेद और अभेद का विचार किया है। केवलज्ञान और केवलदर्शन क्रमश होते हैं या युगपद्, इस प्रश्न पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है। भाष्यकार ने इस मत का समर्थन किया है कि केवली को भी एक-साथ दो उपयोग नहीं हो सकते अर्थात् केवलज्ञान और केवलदर्शन भी क्रमश ही होते हैं, युगपद् नहीं। नमस्कार-भाष्य के बाद 'करेमि भते' इत्यादि सामायिक-सूत्र के मूल पदों का व्याख्यान है। इस प्रकार प्रस्तुत भाष्य में जैन आचार-विचार के मूलभूत समस्त तत्त्वों का सुव्यवस्थित एवं सुप्ररूपित संग्रह कर लिया है, यह सुस्पष्ट है। इसमें गूढतम दार्शनिक मान्यता से लेकर सूक्ष्मतम आचारविषयक विधि-विधान का सक्षिप्त किन्तु पर्याप्त विवेचन है।

जीतकल्पभाष्य :

प्रस्तुत भाष्य, भाष्यकार जिनभद्र की अपनी ही कृति जीतकल्पसूत्र पर है। इसमें बृहद्कल्प-लघुभाष्य, व्यवहारभाष्य, पचकल्प-महाभाष्य, पिण्डनियुक्ति आदि ग्रन्थों की अनेक गाथाएँ अक्षरशः उद्धृत हैं। ऐसी स्थिति में इसे एक संग्रह-ग्रन्थ मानना भी संभवतः उचित ही है। इसमें प्रायश्चित्त के विधि-विधान की मुख्यता है। प्रायश्चित्त का शब्दार्थ करते हुए भाष्यकार ने लिखा है जो पाप का छेद करता है वह प्रायश्चित्त—प्रायश्चित्त है अथवा प्रायः जिससे चित्त शुद्ध होता है वह पच्छित्त—प्रायश्चित्त है। जीतकल्पाभिमत जीत-व्यवहार का व्याख्यान करते हुए आचार्य ने आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा और जीत—इन पाँचों प्रकार के व्यवहार का विवेचन किया है। जो व्यवहार आचार्य-परंपरा से प्राप्त हो, उत्तम पुरुषों द्वारा अनुमत हो, बहुश्रुतों द्वारा सेवित हो वह जीत-व्यवहार है। इसका आधार आगमादि नहीं अपितु परंपरा है। प्रायश्चित्त का विवेचन करते हुए भाष्यकार ने प्रायश्चित्त के अठारह, बत्तीस एवं छत्तीस स्थानों का निरूपण किया है। प्रायश्चित्तदाताओं की योग्यता-अयोग्यता का विचार करते हुए आचार्य ने बताया है कि प्रायश्चित्त देने की योग्यता रखने वाले केवली अथवा चतुर्दश-पूर्वधर का वर्तमान युग में अभाव होने पर भी कल्प (बृहत्कल्प), प्रकल्प (निशीथ) तथा व्यवहार के आधार पर प्रायश्चित्तदान की क्रिया सरलतापूर्वक

सम्पन्न हो सकती है। चारित्र्य की शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त का व्यवहार अनिवार्य है। सापेक्ष प्रायश्चित्तदान से होने वाले लाभ एवं निरपेक्ष प्रायश्चित्तदान से होनेवाली हानि का विचार करते हुए कहा गया है कि प्रायश्चित्त देते समय दाता के हृदय में दयाभाव रहना चाहिए। जिसे प्रायश्चित्त देना हो उसकी शक्ति-अशक्ति का पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्रायश्चित्त के विधान का विशेष निरूपण करते हुए भाष्यकार ने प्रसंगवशात् भक्तपरिज्ञा, इगिनीमरण तथा पाद-पोषणमनस्व मारणातिक्र साधनाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। आलोचना, प्रतिक्रमण, मिश्र, त्रिवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल, अनवस्थाप्य और पाराचिक— इन दस प्रकार के प्रायश्चित्त का स्वरूप बताते हुए तत्सम्बन्धी अपराध-स्थानों का भी वर्णन किया गया है। प्रतिक्रमण के अपराध-स्थानों का वर्णन करते हुए आचार्य ने अहन्नक, धर्मरुचि आदि के उदाहरण भी दिये हैं। अन्त में यह भी बताया है कि अनवस्थाप्य और पाराचिक प्रायश्चित्त का सद्भाव चतुर्दशपूर्वधर भद्रवाहुस्वामी तक ही रहा। तदनन्तर इन दोनों प्रायश्चित्तों का व्यवहार बन्द हो गया।

बृहत्कल्प-लघुभाष्य :

यह भाष्य बृहत्कल्प के मूल सूत्रों पर है। इसमें पीठिका के अतिरिक्त छः उद्देश हैं। प्राचीन भारतीय मस्कृति की दृष्टि से इस भाष्य का विशेष महत्त्व है। जैन श्रमणों के आचार का मूक्य एवं सतक विवेचन इस भाष्य की विशेषता है। पीठिका में मंगलवाद, ज्ञानपचक, अनुयोग, कल्प, व्यवहार आदि पर प्रकाश डाला गया है। प्रथम उद्देश की व्याख्या में ताल-वृक्ष से सम्बन्धित विविध दोष एवं प्रायश्चित्त, टूटे हुए ताल-प्रलम्ब अर्थात् ताल वृक्ष के मूल के ग्रहण से सम्बन्धित अपवाद, निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के देशान्तर-गमन के कारण और उसकी विधि, श्रमणों की रुग्णावस्था के विधि-विधान, वैद्य और उनके प्रकार, दुष्काल आदि के समय श्रमण-श्रमणियों के एक-दूसरे के अवगृहीत क्षेत्र में रहने की विधि, ग्राम, नगर, खेड, कवंटक, मडम्ब, पत्तन, आकर, द्रोणमुख, निगम, राजधानी, आश्रम, निवेश, संवाध, घोष, अशिका, पुटभेदन, शकर आदि पदों का विवेचन, नक्षत्रमास, चद्रमास, ऋतुमास, आदित्यमास और अभिविधितमास का स्वरूप, मासकल्पविहारों साधु-साध्वियों का स्वरूप एवं जिनकल्पिक और स्थविरकल्पिक की क्रियाएँ, समवसरण की रचना, तीर्थकर, गणधर, आहारकशरीरी, अनुत्तरदेव, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि की शुभाशुभ कर्म-प्रकृतियाँ, तीर्थकर की एकरूप भाषा का विभिन्न भाषास्वों में परिणमन, आपणगृह, रथ्यामुख, ऋङ्गाटक, चतुष्क, चत्वर अतरापण आदि पदों का व्याख्यान एवं इन स्थानों पर बने हुए

उपाश्रय में रहनेवाली निर्ग्रन्थियों को लगने वाले दोष, श्रमणों के पाँच प्रकार—
 आचार्य, उपाध्याय, भिक्षु, स्थविर और क्षुल्लक, श्रमणियों के पाँच प्रकार—
 प्रवर्तिनी, अभिषेका, भिक्षुणी, स्थविरा और क्षुल्लिका, श्रमण-श्रमणियों के लिए
 योग्य एव निर्दोष उपाश्रय, निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के विहार का उपयुक्त काल एव
 स्थान, रात्रि-भोजन का निषेध आदि विषयों का समावेश है। ग्राम, नगर
 आदि का स्वरूप बताते हुए भाष्यकार ने बारह प्रकार के ग्रामों का उल्लेख
 किया है - १ उत्तानकमल्लक, २. अवाद्मुखमल्लक, ३. सम्पुटकमल्लक, ४.
 उत्तानकखण्डमल्लक, ५ अवाद्मुखखण्डमल्लक, ६. सम्पुटकखण्डमल्लक, ७
 भित्ति, ८. पडालि, ९ वलभी, १० अक्षाटक, ११. रुचक, १२ काश्यपक।
 जिनकल्पिक की चर्चा में बताया गया है कि तीर्थङ्करों अथवा गणघर आदि
 केवलियों के समय में जिनकल्पिक होते हैं। जिनकल्पिक की सामाचारी का
 निम्नलिखित २७ द्वारों से वर्णन किया गया है : १. श्रुत, २ सहनन, ३.
 उपसर्ग, ४ आतक, ५. वेदना, ६ कतिजन, ७, स्थण्डिल, ८ वसति, ९
 कियच्चिर, १० उच्चार, ११ प्रस्रवण, १२ अवकाश, १३ तृणफलक,
 १४ सरक्षणता, १५ संस्थापनता, १६ प्राभृतिका, १७ अग्नि, १८ दीप,
 १९ अवधान, २० वत्स्यथ, २१ भिक्षाचार्या, २२ पानक, २३ लेपालेप,
 २४ अलेप, २५ आचाम्ल, २६ प्रतिमा, २७ मासकल्प। स्थविरकल्पिकों
 की चर्चा करते हुए आचार्य ने बताया है कि स्थविरकल्पिक की प्रव्रज्या, शिक्षा,
 अर्थग्रहण, अनियतवास और निष्पत्ति जिनकल्पिक के ही समान है। विहार-
 वर्णन में निम्नोक्त बातों का विशेष विचार किया है विहार का समय, विहार
 करने के पूर्व गच्छ के निवास एव निर्वाहयोग्य क्षेत्र का परीक्षण, उत्सर्ग तथा
 अपवाद की दृष्टि से योग्य-अयोग्य क्षेत्रप्रत्युपेक्षकों का निर्वाचन, क्षेत्र की प्रति-
 लेखना के निमित्त गमनागमन की विधि, विहार-मार्ग एवं स्थण्डिलभूमि, जल,
 विश्रामस्थान, भिक्षा, वसति, सम्भवित उपद्रव आदि की परीक्षा, प्रतिलेखनीय
 क्षेत्र में प्रवेश करने की विधि, भिक्षाचार्या द्वारा उस क्षेत्र के निवासियों की
 मनोवृत्ति की परीक्षा, भिक्षा, औषध आदि की सुलभता-दुर्लभता का ज्ञान,
 विहार करने के पूर्व वसति के स्वामी की अनुमति, विहार करते समय शुभ
 शकुन-दर्शन, विहार के समय आचार्य, बालदीक्षित, वृद्धसाधु आदि का सामान
 (उपधि) ग्रहण करने की विधि, प्रतिलिखित क्षेत्र में प्रवेश एव शुभाशुभ
 शकुनदर्शन, वसति में प्रवेश करने की विधि, वसति में प्रविष्ट होने के बाद
 आचार्य आदि का जिनचैत्यों के वन्दन के निमित्त गमन, मार्ग में गृह-जिनमदिरों
 के दर्शन, स्थापनाकुलों की व्यवस्था, स्थापनाकुलों में जाने योग्य अथवा भेजेने
 योग्य वैयावृत्यकार के गुण-दोष की परीक्षा, स्थापनाकुलों में से विधिपूर्वक

उचित द्रव्यों का ग्रहण, एक-दो-तीन गच्छयुक्त वसति से भिक्षाग्रहण करने की विधि । गच्छवासियो—स्थविरकल्पको की सामाचारी से सम्बन्धित निम्नोक्त बातों पर भी आचार्य ने प्रकाश डाला है १ प्रतिलेखना—वस्त्रादि की प्रतिलेखना का काल, प्रतिलेखना के दोष और प्रायश्चित्त, २ निष्क्रमण—उपाश्रय से बाहर निकलने का समय, ३ प्राभृतिका—गृहस्थ आदि के लिए तैयार किये हुए गृह आदि में रहने न रहने की विधि, ४ भिक्षा—पिण्ड आदि के ग्रहण का समय, भिक्षा सम्बन्धी आवश्यक उपकरण आदि, ५ कल्पकरण—पात्र-घावन की विधि, लेपकृत और अलेपकृत पात्र, पात्र-लेप के लाभ, ६ गच्छशतिकादि—सात प्रकार की सौवीरिणियाँ (१) आधार्कामिक, (२) स्वगृहयतिमिश्र, (३) स्वगृह-पाषण्डमिश्र, (४) यावदर्थिकमिश्र, (५) क्रीतकृत, (६) पूतिकर्मिक, (७) आत्मार्षकृत, ७ अनुयान-रथयात्रा का वर्णन एव तद्विषयक अनेक प्रकार के दोष, ८ पुर कर्म—भिक्षादान के पूर्व शीतल जल से हस्त आदि घोंसे लगने वाले दोष, पुर-कर्म और उदकार्द्रदोष में अन्तर, पुर कर्म सम्बन्धी प्रायश्चित्त, ९ ग्लान—रुग्ण साधु की सेवा से होने वाली निजंरा, रुग्ण साधु के लिए पथ्यापथ्य की गवेषणा, चिकित्सा के निमित्त वैद्य के पास जाने-आने की विधि, वैद्य से ग्लान साधु के विषय में बातचीत करने की विधि, ग्लान साधु के लिए उपाश्रय में आये हुए वैद्य के साथ व्यवहार करने की विधि, वैद्य के लिए भोजनादि एव औषधादि के मूल्य की व्यवस्था, रुग्ण साधु को निर्दयतापूर्वक उपाश्रय आदि में छोड़कर चले जाने वाले आचार्य को लगने वाले दोष एव उनका प्रायश्चित्त, १० गच्छप्रतिवद्धयथालदिक—वाचना आदि कारणों से गच्छ से सम्बन्ध रखने वाले यथालदिक कल्पघारियों के साथ वदना आदि व्यवहार, ११ उपरिदोष—ऋतुबद्ध काल से अतिरिक्त समय में एक क्षेत्र में एक मास से अधिक रहने से लगने वाले दोष, १२ अपवाद—एक मास से अधिक रहने के आपवादिक कारण । आगे आचार्य ने यह भी बताया है कि यदि ग्राम, नगर आदि दुर्ग के अन्दर और बाहर इस प्रकार दो भागों में बसे हुए हों तो अन्दर और बाहर मिलाकर एक क्षेत्र में दो मास तक रहना विहित है । निर्ग्रन्थियो—श्रमणियो—साध्वियो के आचारविषयक विधि-विधानों की चर्चा करते हुए प्रस्तुत भाष्य में निम्न बातों का विचार किया गया है मासकल्प की मर्यादा, विहार-विधि, समुदाय का गणघर और उसके गुण, गणघर द्वारा क्षेत्र की प्रतिलेखना, भडौंच में बौद्ध श्रावको द्वारा साध्वियों का अपहरण, साध्वियों के विचरने योग्य क्षेत्र, वसति आदि, विषर्मा आदि की ओर से होने वाले उपद्रवों से रक्षा, भिक्षा के लिए जाने वाली साध्वियों की सख्या, वर्षाऋतु के अतिरिक्त एक स्थान पर रहने की अवधि । स्थविर-कल्प और जिनकल्प इन दोनों अवस्थाओं में कौनसी अवस्था प्रधान है ? इस

प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्यकार ने स्याद्वादी भाषा में लिखा है कि निष्पादक और निष्पन्न इन दो दृष्टियों से दोनों ही प्रधान हैं। स्थविरकल्प सूत्रार्थग्रहण आदि दृष्टियों से जिनकल्प का निष्पादक है, जबकि जिनकल्प ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य आदि दृष्टियों से निष्पन्न है। इस प्रकार दोनों ही अवस्थाएँ महत्त्वपूर्ण एवं प्रधान हैं। इस वक्तव्य को विशेष स्पष्ट करने के लिए आचार्य ने गुर्हासिंह, दो स्त्रियो और दो गोवर्गों के उदाहरण भी दिये हैं। श्रमण-श्रमणियों के लिए रात्रि अथवा विकाल में अघ्वगमन का निषेध करते हुए भाष्यकार ने अघ्व के दो भेद किये हैं पथ और मार्ग। जिसके बीच में ग्राम, नगर आदि कुछ भी न हो वह पन्थ है। जो ग्रामानुग्राम की परम्परा से युक्त हो वह मार्ग है। अपवादरूप से रात्रिगमन की छूट है किन्तु उसके लिए अघ्वोपयोगी उपकरणों का सग्रह तथा योग्य सार्थ का सहयोग आवश्यक है। सार्थ पाँच प्रकार का है - १ भडो, २, बहिलक, ३ भारवह, ४ औदरिक, ५ कार्पटिक। इसी प्रकार आचार्य ने आठ प्रकार के सार्थवाहो और आठ प्रकार के आदियात्रिको—सार्थ-व्यवस्थापको का भी उल्लेख किया है। श्रमण-श्रमणियों के विहार-योग्य क्षेत्र की चर्चा में बताया है कि उत्सर्गरूप से विहार के लिए आर्यक्षेत्र ही श्रेष्ठ है। आर्य पद का निम्नोक्त निक्षेपो से व्याख्यान किया गया है - १ नाम, २ स्थापना, ३ द्रव्य, ४ क्षेत्र, ५ जाति, ६ कुल, ७ कर्म, ८ भाषा, ९ शिल्प, १० ज्ञान, ११ दर्शन, १२ चारित्र्य। आर्यजातियाँ छ प्रकार की हैं - १ अम्बुष्ठ, २ कलिन्द, ३ वैदेह, ४ विदक, ५ हारित, ६ तन्तुण। आर्यकुल भी छ प्रकार के हैं - १ उग्र, २ भोग, ३ राजन्य, ४ क्षत्रिय, ५ ज्ञात-कौरव, ६ इक्ष्वाकु। द्वितीय उद्देश के भाष्य में निम्नोक्त विषयो का व्याख्यान है उपाश्रयसम्बन्धी दोष एवं यतनाएँ, सागरिक के आहारादि के त्याग की विधि, दूसरो के यहाँ से आई हुई भोजन-सामग्रो के दान की विधि, सागरिक के भाग के पिण्ड का ग्रहण, विशिष्ट व्यक्तियों के निमित्त निर्मित भक्त, उपकरण आदि का अग्रहण, वस्त्रादि उपधि के परिभोग की विधि एवं मर्यादा, रजोहरण-ग्रहण की विधि। वस्त्रादि-उपधि के परिभोग की चर्चा में पाँच प्रकार के वस्त्रो का स्वरूप बताया गया है १ जागिक, २ भागिक, ३ सानक, ४ पोतक, ५ तिरीटपट्टक। रजोहरण-ग्रहण की चर्चा में पाँच प्रकार के रजोहरणो के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है १ औणिक, २ औष्टिक, ३ शनक, ४ वच्चकचिप्पक, ५ मुञ्जचिप्पक। तृतीय उद्देश की व्याख्या में भाष्यकार ने निम्न बातों पर प्रकाश डाला है निर्ग्रन्थों का निर्ग्रन्थियों के और निर्ग्रन्थियों का निर्ग्रन्थो के उपाश्रय में प्रवेश, निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों द्वारा सलोमादि चर्म का उपयोग, कृत्स्न एवं अकृत्स्न वस्त्र का सग्रह व उपयोग,

भिन्न एव अभिन्न वस्त्र का संग्रह व उपयोग, अवग्रहानन्तक एव अवग्रहपट्टक का उपयोग, निग्रन्थी द्वारा वस्त्रादिग्रहण, नवदीक्षित श्रमण-श्रमणियों के लिए उपत्रि की मर्यादा, प्रथम वर्षात्रित्तु में उपधिग्रहण की विधि, वस्त्रविभाजन की निर्दोष विधि, अभ्युत्थान-वदन आदि करने का विधान, किसी घर के अन्दर अथवा दो घरों के बीच मोने-बैठने का निषेध, शय्या-सस्तारक की याचना एव रक्षा, असुरक्षित स्थान का त्याग । भिन्न एव अभिन्न वस्त्र का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने वस्त्र फाड़ने से होने वाले हिंसा अहिंसा की चर्चा की है । इस चर्चा में निम्नोक्त बातों का विचार किया गया है । द्रव्यहिंसा और भावहिंसा का स्वरूप, हिंसा में रागादि की तीव्रता और तीव्र कर्मबन्ध, रागादि की मदता और मद कर्मबन्ध, हिंसक में ज्ञान और अज्ञान के कारण कर्मबन्ध का न्यूनाधिक्य, अधिकरण की विविधता में कर्मबन्ध का वैविध्य, हिंसक की देहादि की शक्ति के कारण कर्मबन्ध की विचित्रता । अवग्रहानन्तक और अवग्रहपट्टक के उपयोग की चर्चा करते हुए आचार्य ने इस बात का ममर्शन किया है कि निग्रन्थों के लिए इन दोनों का उपयोग वर्जित है जबकि निग्रन्थियों के लिए उनका उपयोग अनिवार्य है । इस प्रसंग पर अपूर्ण वस्त्र-धारण का निषेध करते हुए भाष्यकार ने निग्रन्थियों के अपहरण आदि की चर्चा की है । गर्भाधान की चर्चा करते हुए बताया गया है । एक पुरुष-समर्ग के अभाव में भी निम्नोक्त पांच कारणों में गर्भाधान हो सकता है । १ दुर्विकृत एव दुर्निपण्ण स्त्री की योनि में पुरुषनिःसृष्ट शुक्रपुद्गल किसी तरह प्रविष्ट हो जाए, २ स्त्री स्वयं पुत्रकामना से उसे अपनी योनि में प्रविष्ट करे, ३ अन्य कोई उसे उसकी योनि में रख दे, ४ वस्त्र-समर्ग से शुक्रपुद्गल स्त्री-योनि में प्रविष्ट हो जाए, ५ उदकाचमन से स्त्री के भीतर शुक्रपुद्गल प्रविष्ट हो जाए । चतुर्थ उद्देश की व्याख्या में निम्नलिखित विषयों का विवेचन किया गया है . हस्तकर्म, मैथुन और रात्रिभोजन के लिए अनुद्घातिक अर्थात् गुरु प्रायश्चित्त, दुष्ट, प्रमत्त और अन्योन्यकारक के लिए पाराचिक प्रायश्चित्त, साधर्मिक-स्तैन्य, अन्यधार्मिक-स्तैन्य एव हस्ताताल के लिए अनवस्थाय्य प्रायश्चित्त, पडक, क्लोव और वातिक के लिए प्रव्रज्या का निषेध, अविनोत, विकृतिप्रतिबद्ध और अव्यवशमितकपाय के लिए वाचना का वर्जन, दुष्ट, मूढ एव व्युद्ग्राहित के लिए उपदेश का निषेध, रुग्ण निग्रन्थ-निग्रन्थियों की यतनापूर्वक सेवा-शुश्रूषा, कालातिक्रान्त एव क्षेत्रातिक्रान्त अशनादि की अकल्प्यता, अकल्प्य अशनादि का निर्दोष उपयोग एव विसर्जन, अशनादिक की कल्प्यता और अकल्प्यता, गणान्तरोपसम्पदा का ग्रहण और उसकी यथोचित विधि, मृत्युप्राप्त भिक्षुक के शरीर की परिष्ठापना, भिक्षुक का गृहस्थ के साथ अधिकरण—झगडा और उसका व्यवशमन, परिहारतप

में स्थित भिक्षुक का भक्तपानादि, विविध नदियों को पार करने की मर्यादाएँ, विविध ऋतुओं के लिए योग्य उपाश्रय । हस्तकर्म का स्वरूप बताते हुए भाष्यकार ने आठ प्रकार के हस्तकर्म का उल्लेख किया है . छेदन, भेदन, घर्षण, पेषण, अभिघात, स्नेह, काय और क्षार । मैथुन का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने लिखा है कि मैथुनभाव रागादि से रहित नहीं होता अतः उसके लिए किसी प्रकार के अपवाद का विधान नहीं है । पडक आदि की प्रव्रज्या का निषेध करते हुए आचार्य ने पडक के सामान्यतया छ' लक्षण बताये हैं १ महिलास्वभाव, २. स्वरभेद, ३ वर्णभेद, ४ महन्मेद, ५. मृदुवाक्, ६. सशब्द-अफेनक मूत्र । इसी प्रसंग पर भाष्यकार ने एक ही जन्म में पुरुष, स्त्री और नपुंसकवेद का अनुभव करने वाले कपिल का दृष्टान्त भी दिया है । पचम उद्देश की व्याख्या में निम्न विषयों का समावेश है . गच्छसम्बन्धी शास्त्र स्मरण और तद्विषयक व्याघात, क्लेशयुक्त चित्त से गच्छ में रहने अथवा स्वगच्छ को छोड़कर अन्य गच्छ में चले जाने से लगने वाले दोष और उनका प्रायश्चित्त, निशक तथा सशक रात्रिभोजन, उद्गार—वमनादिविषयक दोष एवं प्रायश्चित्त, आहार-प्राप्ति के लिए प्रयत्न एवं यातनाएँ, निर्ग्रन्थीविषयक विशेष विधि-विधान । षष्ठ उद्देश के भाष्य में क्षमण-श्रमणियों से सम्बन्धित निम्न विषयों पर प्रकाश डाला गया है : निर्दोष वचनों का प्रयोग एवं अलीकादि वचनों का अप्रयोग, प्राणातिपात आदि से सम्बन्धित प्रायश्चित्तों के प्रस्तार—विविध प्रकार, कटक आदि का उद्धरण, दुर्गम मार्ग का अनालम्बन, क्षिप्तचित्त निर्ग्रन्थी की समुचित चिकित्सा, साधुओं के परिमथ अर्थात् व्याघात और उनका स्वरूप, विविध कल्पस्थितियाँ एवं उनका स्वरूप । भाष्य के अन्त में कल्पाध्ययन शास्त्र के अधिकारों की योग्यताओं का निरूपण है ।

बृहत्कल्प-लघुभाष्य का जैन साहित्य के इतिहास में ही नहीं, सम्पूर्ण भारतीय साहित्य के इतिहास में भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान है । इसमें भाष्यकार के समय की एवं अन्यकालीन भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालने वाली सामग्री की प्रचुरता का दर्शन होता है । जैन साधुओं के लिए तो इसका व्यावहारिक महत्त्व है ही ।

बृहत्कल्प-बृहद्भाष्य :

यह भाष्य अपूर्ण ही उपलब्ध है । उपलब्ध भाष्य में पीठिका एवं प्रारंभ के दो उद्देश पूर्ण हैं तथा तृतीय उद्देश अपूर्ण है । इसमें बृहत्कल्प-लघुभाष्य में प्रतिपादित विषयों का ही विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है । कहीं-कहीं गाथाओं में व्यतिक्रम दृष्टिगोचर होता है ।

व्यवहारभाष्य :

यह भाष्य भी साधुओं के आचार से सम्बन्धित है। इसमें भी बृहत्कल्प-लघुभाष्य की ही भाँति प्रारम्भ में पीठिका है। पीठिका के प्रारम्भ में व्यवहार, व्यवहारी एवं व्यवहर्तव्य का स्वरूप बताया गया है। व्यवहार में दोषों की सभावना को दृष्टि में रखते हुए प्रायश्चित्त का अर्थ, भेद, निमित्त आदि दृष्टियों से व्याख्यान किया गया है। बीच-बीच में अनेक प्रकार के दृष्टान्त भी दिये गये हैं। पीठिका के बाद सूत्र-स्वशिक्षा नियुक्ति का व्याख्यान प्रारम्भ होता है। प्रथम उद्देश को व्याख्या में भिक्षु, मास, परिहार, स्यान्, प्रतिभेदना, आलोचना आदि पदों का निदोषपूर्वक विवेचन किया गया है। आशुक्रम आदि से सम्बन्धित अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार के लिए विभिन्न प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। अतिक्रम के लिए मासगुरु, व्यतिक्रम के लिए मासगुरु और काललघु, अतिचार के लिए तपोगुरु और कालगुरु तथा अनाचार के लिए चतुर्गुरु प्रायश्चित्त का विधान है। प्रायश्चित्त से मूढगुण एवं उत्तरगुण दोनों ही परिशुद्ध होते हैं। इनकी परिशुद्धि में ही चारित्र्य की शुद्धि होती है। पिण्डविशुद्धि, समिति, भावना, तप, प्रतिभा और अभिग्रह उत्तरगुणान्तर्गत हैं। इनके क्रमशः ४२, ८, २५, १०, १२ और ४ भेद हैं। प्रायश्चित्त करने वाले पुरुष दो प्रकार के होते हैं—निर्गत और वर्तमान। जो प्रायश्चित्त से अतिक्रान्त है वे निर्गत हैं। जो प्रायश्चित्त में विद्यमान है वे वर्तमान हैं। प्रायश्चित्तार्ह अर्थात् प्रायश्चित्त के योग्य पुरुष चार प्रकार के होते हैं : उभयतर, आत्मतर, परतर और अन्यतर। जो स्वयं तप करता हुआ दूसरों की सेवा भी कर सकता है वह उभयतर है। जो केवल तप ही कर सकता है वह आत्मतर है। जो केवल सेवा ही कर सकता है वह परतर है। जो तप और सेवा इन दोनों में से किसी एक समय में एक का ही सेवन कर सकता है वह अन्यतर है। शिथिलतावश गच्छ छोड़ कर पुनः गच्छ में सम्मिलित होने वाले साधु के लिए विविध प्रायश्चित्तों का विधान करते हुए भाष्यकार ने पार्श्वस्थ, यथाच्छन्द, कुशील, अवसन्न तथा ससक्त के स्वरूप पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है। पार्श्वस्थ दो प्रकार के होते हैं : देशतः पार्श्वस्थ और सर्वतः पार्श्वस्थ। सर्वतः पार्श्वस्थ के तीन भेद हैं—पार्श्वस्थ, प्रास्वस्थ और पाशस्थ। जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य आदि के पार्श्व अर्थात् समीप—तट पर है वह पार्श्वस्थ है। जो ज्ञानादि के प्रति स्वस्थ भाव रखते हुए भी तद्विषयक उद्यम से दूर रहता है वह प्रास्वस्थ है। जो मिथ्यात्व आदि पाशों में स्थित है वह पाशस्थ है। जो स्वयं परिश्रष्ट है तथा दूसरों को भी श्रष्टाचार की शिक्षा देता है वह यथाच्छन्द—इच्छाच्छन्द है। जो ज्ञानाचार आदि की विराधना करता है वह कुशील है। अवसन्न देशतः

ओर सर्वत भेद से दो प्रकार का है । आवश्यकतादि में होना, अधिकता, विपर्यय आदि करने वाला देशवसन्न है । समय पर सन्तारक आदि का प्रत्युपेक्षण न करने वाला सर्वावसन्न है । जो पार्श्वस्थ आदि का ससर्ग प्राप्त कर उन्हीं के समान हो जाता है वह ससक्त है । साधुओं के विहार की चर्चा करते हुए भाष्यकार ने एकाकी विहार का निषेध किया है तथा तत्सम्बन्धी दोषों का निरूपण किया है । इस प्रसंग पर एक वणिक् का दृष्टान्त देते हुए आचार्य ने बताया है कि जहाँ राजा, वैद्य, धनिक, नियतिक और रूपयक्ष—ये पाच प्रकार के लोग न हो वहाँ धन और जीवन का नाश हुए बिना नहीं रहता । अथवा राजा, युवराज, महत्तरक, अमात्य तथा कुमार से परिगृहित राज्य गुणविशाल होता है । अपनी उन्नति की कामना वाले व्यक्ति को इसी प्रकार के राज्य में रहना चाहिए । जो उभय योनि (मातृपक्ष तथा पितृपक्ष) से शुद्ध है, प्रजा से आय का केवल दशम भाग ग्रहण करता है, लोकाचार एव नीतिशास्त्र में निपुण है वही वास्तव में राजा है, शेष राजाभास है । जो प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम शरीरशुद्धि आदि आवश्यक कार्यों से निवृत्त होता है एव आस्थानिका में जाकर राज्य के सब कार्यों की विचारणा करता है वह युवराज है । जो गम्भीर है, मार्दवयुक्त है, कुशल है, जाति एव विनयसम्पन्न है तथा युवराज के साथ सब कार्यों का प्रेक्षण करता है वह महत्तरक है । जो व्यवहारकुशल एव नीतिसम्पन्न है तथा जनपद, राजधानी व राजा का हितचिन्तन करता है वह अमात्य है । जो दुर्दान्त लोगों का दमन करता हुआ सग्रामनीति में अपनी कुशलता का परिचय देता है वह कुमार है । जो वैद्यकशास्त्र का पंडित है तथा माता-पिता आदि से सम्बन्धित रोगों को निर्मूल कर स्वास्थ्य प्रदान करता है वह वैद्य है । जिसके परम्परा से प्राप्त करोड़ों की सम्पत्ति हो वह धनिक है । जिसके यहाँ निम्नलिखित १७ प्रकार के धान्य के भाण्डार भरे हुए हो वह नियतिक है १ शालि, २ यव, ३ कोद्रव, ३ ब्रीहि, ५ रालक, ६ तिल, ७. मुद्ग, ८. माष, ९. चावल, १० चणक, ११ तुवरी, १२ मसुरक, १३ कुलत्थ, १४ गोधूम, १५. निष्पाव १६ अतसी, १७ सण । जो माढर और कौण्डिन्य की दण्डनीति में कुशल है, किसी से भी लचा—उत्कोच नहीं लेता तथा किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करना वह रूपयक्ष है । रूपयक्ष का शब्दार्थ है मूर्तिमान् धर्मकनिष्ठ देव । जिस प्रकार राजा आदि के अभाव में धन-जीवन की रक्षा असंभव है उसी प्रकार आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गीतार्थ के अभाव में चारित्रधर्म की रक्षा असंभव है । द्वितीय उद्देश को व्याख्या में द्वि, सार्धमिक, विहार आदि पदों का विवेचन है । विविध प्रकार के तपस्वियों एव रोगियों की सेवा का विधान करते हुए भाष्यकार ने क्षिप्तचित्त तथा दीप्तचित्त साधुओं की सेवा करने की मनोवैज्ञानिक विधि बताई है । व्यक्ति क्षिप्तचित्त क्यों

होता है ? क्षिप्तचित्त होने के तीन कारण हैं : राग, भय और अपमान । दीप्तचित्त क्षिप्तचित्त से ठीक विरोधी स्वभाव का होता है । क्षिप्तचित्त होने का मुख्य कारण अपमान है जबकि दीप्तचित्त होने का मुख्य कारण सम्मान है । विगिष्ट सम्मान के बाद मद के कारण, लाभमद से मत्त होने पर अथवा दुर्जय शत्रुओं को जीतने के मद से उन्मत्त होने के कारण व्यक्ति दीप्तचित्त हो जाता है । क्षिप्तचित्त और दीप्तचित्त में एक अन्तर यह है कि क्षिप्तचित्त प्रायः मौन रहता है जबकि दीप्तचित्त अनावश्यक बक-बक किया करता है । तृतीय उद्देश के भाष्य में इच्छा, गण आदि शब्दों का निक्षेपपूर्वक व्याख्यान किया गया है एवं गणावच्छेदक, आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, प्रवर्तिनी आदि पदविर्यां धारण करनेवालों की योग्यताओं का विचार किया गया है । जो एकादशाग-सूत्रार्थधारी है, नवम पूर्व के ज्ञाना है, कृतयोगी है, बहुश्रुत है, बह्वागम है, सूत्रार्थविशारद है, धीर है, श्रुतनिर्घर्ष है, महाजन है वे ही आचार्य आदि पदविर्यो के योग्य है । चतुर्थ उद्देश की व्याख्या में साधुओं के विहार से सम्बन्धित विधि-विधान है । शीत और उष्णकाल के आठ महीनों में आचार्य तथा उपाध्याय को एक भी अन्य साधु साथ में न होने पर विहार नहीं करना चाहिए । गणावच्छेदक को साथ में कम से-कम दो साधु होने पर ही विहार करना चाहिए । आचार्य तथा उपाध्याय को कमसे-कम अन्य दो साधु साथ में होने पर ही अलग चातुर्मास करना (वर्षाऋतु में एक स्थान पर रहना) चाहिए । गणावच्छेदक के लिए चातुर्मास में कम-से-कम तीन अन्य साधुओं का सहवास अनिवार्य है । प्रस्तुत उद्देश की व्याख्या में निम्नोक्त विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है जातसमाप्तकल्प, जातअसमाप्तकल्प, अजातसमाप्तकल्प, अजातअसमाप्तकल्प, वर्षाकाल के लिए उपयुक्त स्थान, त्रैवार्षिकस्थापना, गणधरस्थापना, श्लान की सेवा-शुश्रूषा, अवग्रह का विभाग, आहारादिविषयक अनुकम्पा इत्यादि । पंचम उद्देश की व्याख्या में साध्वियों के विहारसम्बन्धी नियमों पर प्रकाश डाला गया है । षष्ठ उद्देश के भाष्य में साधु-साध्वियों के सम्बन्धियों के यहाँ से आहारादि ग्रहण करने के नियमों का निरूपण किया गया है । सप्तम उद्देश के भाष्य में अन्य समुदाय से आनेवाले साधु-साध्वियों को अपने समुदाय में लेने के नियमों पर प्रकाश डाला गया है । जो साधु-साध्वियाँ साभोगिक हैं अर्थात् एक ही आचार्य के संरक्षण में रहते हैं उन्हें अपने आचार्य की अनुमति प्राप्त किये बिना अन्य समुदाय से आने वाले साधु-साध्वियों को अपने सघ में सम्मिलित नहीं करना चाहिए । यदि किसी स्त्री को एक सघ में दीक्षा लेकर दूसरे सघ की साध्वी बनना हो तो उसे दीक्षा नहीं देनी चाहिए । उसे जिस सघ में रहना हो उमी सघ में दीक्षा ग्रहण करना चाहिए । पुरुष के लिए ऐसा नियम नहीं है । वह कारणवशात् एक सघ में दीक्षा लेकर दूसरे सघ के आचार्य की

अपना गुरु बना सकता है। दोषा ग्रहण करने वाले के गुण-दोषों का विवेचन करते हुए आचार्य ने बताया है कि कुछ लोग अपने देश-स्वभाव से ही अनेक दोषों से युक्त होते हैं। आन्ध्र में उत्पन्न हुआ हो और अक्रूर हो, महाराष्ट्र में पैदा हुआ हो और अवाचाल हो, कोशल में पैदा हुआ हो और अदुष्ट हो—ऐसा सौ में से एक भी मिलना दुर्लभ है। अष्टम उद्देश की व्याख्या में शयनादि के निमित्त सामग्री जुटाने एवं वापस लौटाने की विधि बताई गई है तथा आहार की मर्यादा पर प्रकाश डाला गया है। कुक्कुटी के अण्डे के बराबर के आठ कौर खाने वाला साधु अल्पाहारी कहलाता है। इसी प्रकार बारह, सोलह, चौबीस, इकतीस और बत्तीस ग्रास ग्रहण करने वाले साधु क्रमशः अपार्घाहारी, अर्घाहारी, प्राप्तावमौदर्य, किञ्चिदवमौदर्य और प्रमाणाहारी कहलाते हैं। नवम उद्देश की व्याख्या में भाष्यकार ने शय्यातर अर्थात् सागारिक के ज्ञातिक, स्वजन, मित्र आदि आगतुक लोगो से सम्बन्धित आहार के ग्रहण-अग्रहण के विवेक पर प्रकाश डालते हुए निग्रन्थो की विविध प्रतिमाओं का स्वरूप बताया है। दशम उद्देश से सम्बन्धित भाष्य में यवमध्यप्रतिमा और वज्रमध्यप्रतिमा का विशेष विवेचन है। साथ ही पाँच प्रकार के व्यवहार, बालदोषा की विधि, दस प्रकार की सेवा-वैयावृत्य आदि का भी व्याख्यान किया गया है।

ओधनियुक्ति-भाष्य

ओधनियुक्ति-लघुभाष्य में ओध, पिण्ड, व्रत, श्रमणधर्म, समय, वैयावृत्य, गुप्ति, तप, समिति, भावना, प्रतिमा, इन्द्रियनिरोध, प्रतिलेखना, अभिग्रह, अनुयोग, कायोत्सर्ग, औपघातिक, उपकरण आदि विषयों का संक्षिप्त व्याख्यान है। ओधनियुक्ति-बृहद्भाष्य में इन्हीं विषयों पर विशेष प्रकाश डाला गया है।

पिण्डनियुक्ति-भाष्य :

इसमें पिण्ड, आघाकर्म, औद्देशिक, मिश्रजात, सूक्ष्मप्राभृतिका, विशोधि, अविशोधि आदि श्रमणधर्मसम्बन्धी विषयों का संक्षिप्त विवेचन है।

पचकल्प-महाभाष्य .

यह भाष्य पचकल्पनियुक्ति के व्याख्यान के रूप में है। भाष्यकार ने नियुक्ति की प्रथम गाथा में प्रयुक्त 'भद्रबाहु' पद का अर्थ 'सुन्दर बाहुओं से युक्त, किया है और बताया है कि अन्य भद्रबाहुओं से छेदसूत्रकार भद्रबाहु को पृथक् सिद्ध करने के लिए उनके नाम के साथ प्राचीन गोत्रीय, चरम सकलश्रुतज्ञानी और दशा-कल्प-व्यवहारप्रणेता विशेषण जोड़े गये हैं। प्रस्तुत भाष्य में पचकल्प के

कल्प का नक्षिप्त वर्णन है। पाँच प्रकार के कल्प के क्रमशः छ, सात, दस, बीस और बयालीस भेद हैं। प्रथम कल्प—मनुजजीवकल्प छ प्रकार का है प्रवाजन, मुण्डन, शिक्षण, उपन्य, भोग और नवसन। जाति, कुल, रूप और विनयसम्पन्न व्यक्ति ही प्रव्रज्या के योग्य है। निम्नोक्त बीस प्रकार के व्यक्ति प्रव्रज्या के अयोग्य हैं—१ बाल, २ वृद्ध, ३ नपुंसक, ४ जड, ५ बलीब, ६ रोगी, ७ स्तेन, ८ राजापकारो, ९ उन्मत्त, १० अदर्शी, ११ दास, १२ दुष्ट, १३ मूढ, १४ अज्ञानी, १५ जुगित, १६ भयभीत, १७ पलायित, १८ निष्कासित, १९ गभिणी और २० बालवत्साः श्री। आगे क्षेत्रकल्प की चर्चा करते हुए आचार्य ने माटे पञ्चोम देशों को आर्यक्षेत्र बताया है जिनमें माधु विचर सकते हैं। इन आर्य जनपदों एवं उनकी राजधानियों के नाम इस प्रकार हैं १ मगध और राजगृह, २ अंग और चम्पा, ३ दंग और ताम्रलिप्ति, ४ कर्लिंग और काचनपुर, ५ काशी और वाराणसी, ६ कोशल और नाकेत, ७ कुरु और गजपुर, ८ कुशावर्त और नौरिक, ९ पाचाल और काम्पिल्य, १० जगल और अहिच्छत्रा, ११ मुराष्ट्र और द्वारवता, १२ विदेह और मियिला, १३ वत्स और कौशावी, १४ शाडिल्य और नदोपुर, १५ मलय और भद्रिदलपुर, १६ वत्स और वैराटपुर, १७ वरण और अच्छापुरो, १८ दशार्ण और मृत्तिकावती, १९ चेदि और शौक्तिकावती, २० सिंधु और वीतभय, २१ सीवीर और मयुरा, २२ सूरसेन और पापा, २३ भग और नामपुरिवट्ट, २४ कुणाल और श्रावस्ती, २५ लाट और कोटिवर्ष २५^३ केरुयार्ध और श्वेताविका। द्वितीय कल्प के सात भेद हैं स्थितकल्प, अस्थितकल्प, जिनकल्प, स्थविरकल्प, लिंगकल्प, उपधिकल्प और समोगकल्प। तृतीयकल्प के दस भेद हैं कल्प, प्रकल्प, विकल्प, सकल्प, उपकल्प, अनुकल्प, उत्कल्प, अकल्प, दुष्कल्प और मुकल्प। चतुर्थ कल्प के अन्तर्गत नामकल्प, स्थापनाकल्प, द्रव्यकल्प, क्षेत्रकल्प, कालकल्प, दर्शनकल्प, धृतकल्प, अध्ययनकल्प, चारित्रकल्प आदि बीस प्रकार के कल्पों का समावेश है। पंचम कल्प के द्रव्य, भाव, तदुभय, करण, विरमण, सदाधार, निर्वेश, अतर, नयातर, स्थित, अस्थित, स्थान आदि दृष्टिकोणों में बयालिस भेद किये गये हैं।

चूर्णियाँ :

जैन आगमी की प्राकृत अथवा मस्कृतमिश्रित प्राकृत व्याख्याएँ चूर्णियाँ कहलाती हैं। इस प्रकार की कुछ चूर्णियाँ आगमेतर साहित्य पर भी हैं। जैन आचार्यों ने निम्नोक्त आगमों पर चूर्णियाँ लिखी हैं १ आचाराग, २ सूत्रकृताग, ३ व्याख्याप्रज्ञप्ति, (भगवती), ४ जीवाभिगम, ५. निशीथ, ६ महानिशीथ, ७ व्यवहार, ८ दशाश्रुतस्कन्ध, ९ वृहत्कल्प, १०. पचकल्प, ११. ओध-

निर्युक्ति, १२. जीतकल्प, १३ उत्तराध्ययन, १४ आवश्यक, १५ दशवैकालिक, १६ नन्दी, १७. अनुयोगद्वार, १८ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति । निशीथ और जीतकल्प पर दो-दो चूर्णियाँ लिखी गई हैं किन्तु वर्तमान में एक-एक ही उपलब्ध है । अनुयोगद्वार, बृहत्कल्प एव दशवैकालिक पर भी दो-दो चूर्णियाँ हैं । जिनदासगणि महत्तर की मानी जाने वाली निम्नांकित चूर्णियों का रचनाक्रम इस प्रकार है नन्दीचूर्ण, अनुयोगद्वारचूर्ण, ओधनिर्युक्तिचूर्ण, आवश्यकचूर्ण, दशवैकालिकचूर्ण, उत्तराध्ययनचूर्ण, आचारागचूर्ण, सूत्रकृतागचूर्ण, निशीथविशेषचूर्ण,, दशाश्रुतस्कम्बचूर्ण एव बृहत्कल्पचूर्ण सस्कृतमिश्रित प्राकृत में हैं । आवश्यकचूर्ण, अगस्त्यसिंहकृत दशवैकालिकचूर्ण एव जीतकल्पचूर्ण (मिट्ठसेनकृत) प्राकृत में हैं ।

चूर्णिकार .

चूर्णिकार के रूप में जिनदासगणि महत्तर का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है । परम्परा से निम्न चूर्णियाँ जिनदासगणि महत्तर की मानी जाती हैं निशीथ-विशेषचूर्ण, नन्दीचूर्ण, अनुयोगद्वारचूर्ण, आवश्यकचूर्ण, दशवैकालिकचूर्ण, उत्तराध्ययनचूर्ण, आचारागचूर्ण, सूत्रकृतागचूर्ण । उपलब्ध जीतकल्पचूर्ण के कर्ता सिद्धसेनसूरि हैं । बृहत्कल्पचूर्ण प्रलम्बसूरि की कृति है । अनुयोगद्वार की एक चूर्ण (अगुल पद पर) के कर्ता भाष्यकार जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण भी हैं । यह चूर्ण जिनदासगणिकृत अनुयोगद्वारचूर्ण में अक्षरशः उद्धृत है । दशवैकालिक पर अगस्त्यसिंह ने भी एक चूर्ण लिखी है । इनके अतिरिक्त अन्य चूर्णिकारों के नाम अज्ञात हैं ।

प्रसिद्ध चूर्णिकार जिनदासगणि महत्तर के घर्मगुरु का नाम उत्तराध्ययनचूर्ण के अनुसार वाणिज्यकुलीन, कोटिकगणीय, वज्रशास्त्रीय'गोपालगणि महत्तर हैं तथा विद्यागुरु का नाम निशीथ-विशेषचूर्ण के अनुसार प्रद्युम्न क्षमाश्रमण है । जिनदास का समय भाष्यकार आचार्य जिनभद्र और टीकाकार आचार्य हरिभद्र के बीच में है । इसका प्रमाण यह है कि आचार्य जिनभद्रकृत विशेषावश्यकभाष्य की गाथाओ का प्रयोग इनकी चूर्णियों में दृष्टिगोचर होता है तथा इनकी चूर्णियों का पूरा उपयोग आचार्य हरिभद्र की टीकाओ में हुआ दिखाई देता है । ऐसी स्थिति में चूर्णिकार जिनदासगणि महत्तर का समय वि स ६५०-७५० के आसपास मानना चाहिए क्योंकि इनके पूर्ववर्ती आचार्य जिनभद्र वि स ६५०-६६० के आसपास तथा इनके उत्तरवर्ती आचार्य हरिभद्र वि स ७५७-८२७ के आसपास विद्यमान थे । नन्दीचूर्ण के अन्त में उसका रचना-काल शक संवत् ५९८ उल्लिखित है । इस प्रकार इस उल्लेख के अनुसार भी जिनदास का समय विक्रम की आठवीं शताब्दी का पूर्वार्ध निश्चित है ।

जीतकल्पचूर्ण के कर्ता सिद्धसेनसूरि प्रसिद्ध सिद्धसेन दिवाकर से भिन्न है। इसका कारण यह है कि सिद्धसेन दिवाकर जीतकल्प सूत्र के प्रणेता आचार्य जिनभद्र के पूर्ववर्ती है जबकि चूर्णिकार सिद्धसेनसूरि आचार्य जिनभद्र के पश्चात्वर्ती है। इनका समय वि स १२२७ के पूर्व है, पश्चात् नहीं, क्योंकि प्रस्तुत जीतकल्पचूर्ण की एक टीका जिसका नाम विषमपदव्याख्या है, श्रीचन्द्रसूरि ने वि स १२२७ में पूर्ण की थी। प्रस्तुत सिद्धसेन सभवत उपदेशगच्छीय देवगुप्तसूरि के शिष्य एव यशोदेवसूरि के गुरुभाई है।

बृहत्कल्पचूर्णिकार प्रलम्बसूरि वि स १३३४ के पूर्व हुए हैं क्योंकि ताडपत्र पर लिखित प्रस्तुत चूर्ण की एक प्रति का लेखन-समय वि स १३३४ है।

दशवैकालिकचूर्णिकार अगस्त्यसिंह कोटिगणीय वज्रस्वामी की शाखा के एक स्थविर हैं इसके गुरु का नाम ऋषिगुप्त है। इनका समय अज्ञात है। चूर्ण की भाषा, शैली आदि देखते हुए यह कहा जा सकता है कि चूर्णिकार विशेष प्राचीन नहीं है।

नन्दोचूर्ण

यह चूर्ण मूल सूत्र का अनुसरण करते हुए लिखी गयी है। इसकी व्याख्यान-शैली सक्षिप्त एव सारग्राही है। इसमें मुख्यतया ज्ञान के स्वरूप की चर्चा है। अन्त में चूर्णिकार ने 'णिरेणगामेत्तमहासहा जिता' आदि शब्दों में अपना परिचय दिया है जो स्पष्ट नहीं है।

अनुयोगद्वारचूर्ण .

जिनदासगणिकृत प्रस्तुत चूर्ण भी मूल सूत्रानुसारी है। इसमें नन्दीचूर्ण का उल्लेख किया गया है। सप्तस्वर, नवरस आदि का भी इसमें सोदाहरण निरूपण किया गया है। अन्त में चूर्णिकार के नाम आदि का कोई उल्लेख नहीं है।

आवश्यकचूर्ण .

यह चूर्ण मुख्यतया नियुक्त्यनुसारी है। यत्र-तत्र विशेषावश्यकभाष्य की गाथाओं का भी व्याख्यान किया गया है। भाषा में प्रवाह एव शैली में ओज है। विषय-विस्तार भी अन्य चूर्णियों की अपेक्षा अधिक है। कथानकों की प्रचुरता भी इसकी एक विशेषता है। इसमें ऐतिहासिक आख्यानों के विशेष दर्शन होते हैं। ओषधिनियुक्तचूर्ण, गोविदनियुक्त, वसुदेवहिण्डि आदि अनेक ग्रन्थों का इसमें उल्लेख है। संस्कृत के अनेक श्लोक इसमें उद्धृत हैं। आवश्यक-

के सामायिक नामक प्रथम अध्ययन की व्याख्या करते हुए चूर्णिकार ने अंतिम तीर्थंकर भगवान् महावीर के भवो की चर्चा की है तथा आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव के धनसार्थवाह आदि भवो का वर्णन किया है। ऋषभदेव के जन्म, विवाह, अपत्य आदि का वर्णन करते हुए तत्कालीन शिल्प, कर्म, लेख आदि पर भी प्रकाश डाला है। इसी प्रसंग पर आचार्य ने ऋषभदेव के पुत्र भरत की दिग्विजय-यात्रा का अति रोचक एवं विद्वत्तापूर्ण वर्णन किया है। भरत का राज्याभिषेक, भरत और बाहुबलि का युद्ध, बाहुबलि को केवलज्ञान की प्राप्ति आदि घटनाओं के वर्णन में भी चूर्णिकार ने अपना कौशल दिखाया है। भगवान् महावीर के जीवन से सम्बन्धित निम्नोक्त घटनाओं का वर्णन भी प्रस्तुत चूर्ण में उपलब्ध है - धैर्य-परीक्षा, विवाह, अपत्य, दान, सम्बोध, लोकान्तिकागमन, इन्द्रागमन, दीक्षा-महोत्सव, उपसर्ग, अभिग्रह-पचक, अच्छदक-वृत्त, चण्डकौशिक-वृत्त, गोशालक-वृत्त, सगमककृत-उपसर्ग, देवीकृत-उपसर्ग, वैशाली आदि में विहार, चन्दनबाला-वृत्त, गोपकृत-शलाकोपसर्ग, केवलोत्पाद, समवसरण, गणधर-दीक्षा। सामायिकसम्बन्धी अन्य विषयो को चर्चा में आनद, कामदेव, शिवराजर्षि, गगदत्त, इलापुत्र, मेतार्य, कालिकाचार्य, चिलातिपुत्र, धर्मरुचि, तेतलीपुत्र आदि अनेक ऐतिहासिक आख्यानों के दृष्टान्त दिये गये हैं। तृतीय अध्ययन वदना की व्याख्या में चूर्णिकार ने वद्यावद्य का विचार करते हुए पाँच प्रकार के श्रमणो को अवद्य बताया है : १ आजीवक, २ तापस, ३. परिव्राजक, ४ तच्चणिय (तत्क्षणिक), ५. बोटिक। प्रतिक्रमण नामक चतुर्थ अध्ययन की चूर्ण में अभयकुमार, श्रेणिक, चेल्लणा, सुलसा, कोणिक, चेटक, उदायी, महा-पद्मनद, शकटाल, वररुचि, स्थूलभद्र आदि ऐतिहासिक व्यक्तियों से सम्बन्धित अनेक कथानकों का सग्रह किया गया है। आगे के अध्ययनों में भी इसी प्रकार विविध विषयो का सदृष्टान्त व्याख्यान किया गया है।

दशवैकालिकचूर्ण (जिनदासकृत) :

प्रस्तुत चूर्ण नियुक्ति का अनुसरण करती है। इसमें आवश्यकचूर्ण का भी उल्लेख है। पचम अध्ययन से सम्बन्धित चूर्ण में मासाहार, मद्यपान आदि की भी चर्चा है। चूर्णिकार ने तरगवती, ओषनियुक्ति, पिण्डनियुक्ति आदि ग्रथो का नामोल्लेख भी किया है।

उत्तराध्ययनचूर्ण :

यह चूर्ण भी नियुक्त्यनुसारी है। इसके अंत में चूर्णिकार ने अपना परिचय देते हुए अपने को 'वाणिजकुलसभूयो, कोडियगणिओ उ वयरसाहीतो। गोवालयिमहत्तरओ' " तेसि सीसेण इम ' अर्थात् वाणिज्यकुलीन,

कोटिकगणाय, वज्रशाखीय गोपालगणि महत्तर का शिष्य बताया है। इसमें आचार्य ने अपनी कृति दशवैकालिकचूर्ण का भी उल्लेख किया है।

आचारागचूर्ण

यह चूर्ण भी नियुक्ति का अनुसरण करते हुए लिखी गई है। इसमें यत्र तत्र प्राकृत गाथाएँ एव सस्कृत श्लोक भी उद्धृत किये गये हैं। इन उद्धरणों के स्थल-निर्देश की ओर चूर्णकार ने ध्यान नहीं दिया है।

सूत्रकृतागचूर्ण .

आचारागचूर्ण और सूत्रकृतागचूर्ण की शैली में अत्यधिक साम्य है। इनमें सस्कृत का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक है। विषय-विवेचन सक्षिप्त एव स्पष्ट है। सूत्रकृताग की चूर्ण भी आचाराग आदि की चूर्णियों की ही भाँति नियुक्त्यनुसारी है।

जीतकल्प-बृहच्चूर्ण :

सिद्धसेनसूरिप्रणीत प्रस्तुत चूर्ण में एतत्पूर्वकृत एक अन्य चूर्ण का भी उल्लेख है। प्रस्तुत चूर्ण अथ से इति तक प्राकृत में है। इसमें जितनी गाथाएँ एव गद्यांश उद्धृत हैं, सब प्राकृत में हैं। यह चूर्ण मूल सूत्रानुसारी है। प्रारम्भ व अंत में चूर्णकार ने जीतकल्पसूत्र के प्रणेता आचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण को सादर नमस्कार किया है।

दशवैकालिकचूर्ण (अगस्त्यसिंहकृत) :

प्रस्तुत चूर्ण भाषा एव शैली दोनों दृष्टियों से सुगम है। जिनदासकृत दशवैकालिकचूर्ण की भाँति प्रस्तुत चूर्ण भी नियुक्त्यनुसारी है। चूर्ण के अंत में चूर्णकार ने अपना पूरा परिचय दिया है। चूर्णकार का नाम कलश-भवमृगेन्द्र अर्थात् अगस्त्यसिंह है। चूर्णकार के गुरु का नाम ऋषिगुप्त है। ये कोटिकगणाय वज्रस्वामी की शाखा के हैं। प्रस्तुत चूर्णगत मूल सूत्र-पाठ, जिनदामकृतचूर्ण के मूल सूत्र-पाठ एव हारिभद्रोय वृत्ति के मूल सूत्र—इन तीनों में कहीं-कहीं थोड़ा सा अंतर दृष्टिगोचर होता है। यही बात नियुक्ति-गाथाओं के विषय में भी है। नियुक्ति को कुछ गाथाएँ ऐसी भी हैं जो हारिभद्रोय वृत्ति में तो उपलब्ध हैं किन्तु दोनों चूर्णियों में नहीं मिलती।

निशोथ-विशेषचूर्ण :

जिनदासगणिकृत प्रस्तुत चूर्ण मूल सूत्र, नियुक्ति एव भाष्य के विवेचन के रूप में है। इसमें सस्कृत का अल्प प्रयोग है। प्रारम्भ में पीठिका है

जिसमें निशीथ की भूमिका के रूप में तत् सम्बद्ध आवश्यक विषयों का व्याख्यान किया गया है। प्रारम्भिक भगल-गाथाओं में आचार्य ने अपने विद्यागुरु प्रद्युम्न क्षमाश्रमण को भी नमस्कार किया है। इसी प्रसंग पर उन्होंने यह भी बताया है कि निशीथ का दूसरा नाम प्रकल्प भी है। निशीथ का अर्थ है अप्रकाश अर्थात् अंधकार। अप्रकाशित वचनों के निर्णय के लिए निशीथसूत्र है। प्रथम उद्देश की चूर्णि में हस्तकर्म का विश्लेषण करते हुए आचार्य ने बताया है कि हस्तकर्म दो प्रकार का है - असक्लिष्ट और सक्लिष्ट। असक्लिष्ट हस्तकर्म आठ प्रकार का है छेदन, भेदन, घर्षण, पेपण, अभिघात, स्नेह, काय और क्षार। सक्लिष्ट हस्तकर्म दो प्रकार का है - सनिमित्त और अनिमित्त। सनिमित्त हस्तकर्म तीन प्रकार के कारणों से होता है - शब्द सुनकर, रूप देखकर अथवा पूर्व अनुभूत विषय का स्मरण कर। अगोपाग का विवेचन करते हुए चूर्णिकार ने बताया है कि शरीर के तीन भाग हैं अङ्ग, उपाङ्ग और अङ्गोपाङ्ग। अङ्ग आठ है : सिर, उर, उदर, पीठ, दो बाहु और दो ऊरु। कान, नाक, आँखे, जघाएँ, हाथ और पैर उपाग हैं। नख, बाल, श्मश्रु, अगुलियाँ, हस्ततल और हस्तोपतल अङ्गोपाङ्ग हैं। दड, विदड, लाठी एवं विलट्टी का भेद आचार्य ने इस प्रकार किया है दड तीन हाथ का होता है, विदड दो हाथ का होता है, लाठी आत्म-प्रमाण होती है, विलट्टी लाठी से चार अगुल न्यून होती है। इसी प्रकार द्वितीय उद्देश की व्याख्या में शय्या और सस्तारक का भेद बताते हुए कहा गया है कि शय्या सर्वांगिका अर्थात् पूरे शरीर के बराबर होती है जबकि सस्तारक ढाई हाथ लम्बा ही होता है। उपधि का विवेचन करते हुए आचार्य ने बताया है कि उपधि दो प्रकार की होती है : अवधियुक्त और उपगृहीत। जिनकल्पिकों के लिए वारह प्रकार की, स्थविरकल्पिकों के लिए चौदह प्रकार की एवं आर्याओं-साध्वियों के लिए पच्चीस प्रकार की उपधि अवधियुक्त है। जिनकल्पिक दो प्रकार के हैं - पाणिपात्रभोजी और प्रतिग्रहधारी। इनके पुन दो-दो भेद हैं : सप्रावरण—सवस्त्र और अप्रावरण—निर्वस्त्र। जिनकल्प में उपधि की आठ कोटियाँ हैं दो, तीन, चार, पाँच, नव, दस, ग्यारह और वारह (प्रकार की उपधि)। निर्वस्त्र पाणिपात्र की जघन्य उपधि दो प्रकार की है। रजोहरण और मुखवस्त्रिका। वही पाणिपात्र यदि सवस्त्र है तो उसकी जघन्य उपधि तीन प्रकार की होगी। रजोहरण, मुखवस्त्रिका और एक वस्त्र। इस प्रकार उपधि की सख्या क्रमशः बढ़ती जाती है। पष्ठ उद्देश की व्याख्या में साधुओं के मँथुनसम्बन्धी दोषों एवं प्रायश्चित्तों का वर्णन करते हुए चूर्णिकार ने मातृग्राम और मँथुन का जब्दार्थ इस प्रकार किया है : माता के समान नारियों के वृद्ध को मातृग्राम कहते हैं। अथवा सामान्य स्त्री-वर्ग को मातृग्राम-मातृग्राम कहना चाहिए, जैसे कि

मराठी में स्त्री को मातृगाम कहते हैं । मिथुनभाव अथवा मिथुनकर्म को मैथुन कहते हैं । मातृग्राम तीन प्रकार का है : दिव्य, मनुष्य और तिर्यक् । इनमें से प्रत्येक के दो भेद हैं - देहयुक्त और प्रतिमायुक्त । देहयुक्त के पुन दो भेद हैं - सजीव और निर्जीव । प्रतिमायुक्त भी दो प्रकार का है सन्निहित और असन्निहित । कामियों के प्रेमपत्र-लेखन का विवेचन करते हुए आचार्य ने बताया है कि लेख दो प्रकार होता का है . छन्न—अप्रकाशित और प्रकट—प्रकाशित । छन्न लेख तीन प्रकार का है लिपिछन्न, भाषाछन्न और अर्थछन्न । सप्तम उद्देश की व्याख्या में कुडल, गुण, मणि, तुडिय, तिसरिय, वालभा, पलबा, हार, अघहार, एकावली, मुक्तावली, कनकावली, रत्नावली, पट्ट, मुकुट आदि आभरणों का स्वरूप बताया गया है । इसी प्रकार आँगिन, परिष्वजन, चुम्बन, छेदन एव विच्छेदनरूप काम-क्रीडाओं पर भी प्रकाश डाला गया है । अष्टम उद्देश से सम्बन्धित चूर्ण में उद्यान, उद्यानगृह, उद्यानशाला, निर्याण, निर्याण-गृह, निर्याणशाला, अट्ट, अट्टालक, चरिका, प्रकार, द्वार, गोपुर, दक, दकमार्ग, दकपथ, दकतीर, दकस्थान, शून्यगृह, शून्यशाला, भिन्नगृह, भिन्नशाला, कूटागार, कोष्ठागार, तृणगृह, तृणशाला, तुषगृह, तुषशाला, छुसगृह, छुसशाला, पर्यायगृह, पर्यायशाला, कर्मान्तगृह, कर्मान्तशाला, महागृह, महाकुल, गोगृह, गोशाला आदि का स्वरूप बताया गया है । नवम उद्देश की चूर्ण में राजा के अन्त पुर में मुनिप्रवेश का निषेध करते हुए आचार्य ने तीन प्रकार के अन्त-पुरों का वर्णन किया है . जीर्णान्त पुर, नवान्त पुर और कन्यकान्त पुर । इसी उद्देश में कोष्ठागार, भाडागार, पानागार, क्षीरगृह, गजशाला, महानशाला आदि का स्वरूप भी बताया गया है । एकादश उद्देश की व्याख्या में अयोग्य दीक्षा का निषेध करते हुए आचार्य ने ४८ प्रकार के व्यक्तियों को प्रव्रज्या के अयोग्य माना है . १८ प्रकार के पुरुष, २० प्रकार की स्त्रियाँ और १० प्रकार के नपुंसक । इसी प्रसंग पर आचार्य ने १६ प्रकार के रोग एवं ८ प्रकार की व्याधि के नाम गिनाये हैं । शीघ्र नष्ट होने वाली व्याधि तथा देर से नष्ट होने वाला रोग कहलाता है । पचदश उद्देश की व्याख्या में चार प्रकार के आमों का उल्लेख है : उस्सेतिम, ससेतिम, उवक्खड और पलिय । पलिय आम्र पुन चार प्रकार के हैं : ईधन-पलिय, धूमपलिय, गधपलिय और वृक्षपलिय । षोडश उद्देश की चूर्ण में चूर्णकार ने पण्यशाला, भडशाला, कर्मशाला, पचनशाला, ईधनशाला और व्यघारणशाला का स्वरूप बताया है । इसी उद्देश में जुगुप्सित कुलो से आहारादि के ग्रहण का निषेध करते हुए आचार्य ने बताया है कि जुगुप्सित दो प्रकार के हैं : इत्वरिक और यावत्कथिक । सूतक आदि से युक्त कुल इत्वरिक—कुछ समय के लिए जुगुप्सित है । लोहकार, कलाल, चर्मकार आदि यावत्कथिक—जीवनपर्यन्त

जुगुप्सित हैं। श्रमणों के लिए आर्यदेश में ही विचरने का विधान करते हुए आचार्य ने आर्यदेश की सीमा इस प्रकार बताई है—पूर्व में मगध, पश्चिम में स्थूणा, उत्तर में ऋणाला और दक्षिण में कौशाम्बी। अंतिम उद्देश—बीसवें उद्देश की व्याख्या के अन्त में चूर्णिकार के पूरे नाम—जिनदासगणि महत्तर का उल्लेख किया गया है तथा प्रस्तुत चूर्ण का नाम विशेषनिशाथचूर्ण बताया गया है। प्रस्तुत चूर्ण का जैन आचारशास्त्र के व्याख्याग्रंथों में एक विशिष्ट स्थान है। इसमें आचार के नियमों के अतिरिक्त प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालने वाली सामग्री की भी प्रचुरता है। अन्य व्याख्याग्रंथों की भाँति इसमें भी अनेक कथानक उद्धृत किये गये हैं। इनमें घूर्तास्थान, तरगवती, मलयवती, मगधसेन, आर्य कालक एवं उनकी भगिनी रूपवती तथा उज्जयिनी के राजा गर्दभिल्ल आदि के वृत्तान्त उल्लेखनीय हैं।

दशाश्रुतस्कन्धचूर्ण :

यह चूर्ण नियुक्त्यनुसारी है। व्याख्यान की शैली सरल है। मूल सूत्रपाठ तथा चूर्णसम्मत पाठ में कहीं-कहीं थोड़ा-सा अंतर है। कहीं-कहीं सूत्रों का विपर्यास भी है।

बृहत्कल्पचूर्ण :

यह चूर्ण लघुभाष्य का अनुसरण करते हुए है। इसमें पीठिका तथा छ. उद्देश है। आचार्य ने कहीं-कहीं दार्शनिक चर्चा भी की है। एक जगह वृक्ष शब्द के छः भाषाओं में पर्याय दिये गये हैं। संस्कृत में जो वृक्ष है वही प्राकृत में रुक्ख, मगध देश में ओदण, लाट में कूर, दमिल में चोर और अघ्र में इडकु नाम से प्रसिद्ध है। इसमें तत्त्वार्थाधिगम, विशेषावश्यकभाष्य, कर्म-प्रकृति, महाकल्प, गोविन्दनियुक्ति आदि का भी उल्लेख है। चूर्ण के अन्त में चूर्णिकार के नाम आदि का कोई उल्लेख नहीं है।

टीकाएँ और टीकाकार :

जैन आगमों की संस्कृत व्याख्याओं का भी आगमिक साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत के प्रभाव की विशेष वृद्धि होते देख जैन आचार्यों ने भी अपने प्राचीनतम साहित्य आगम-ग्रन्थों पर संस्कृत में टीकाएँ लिखना प्रारंभ किया। इन टीकाओं में प्राचीन नियुक्तियों, भाष्यों एवं चूर्णियों की सामग्री का तो उपयोग हुआ ही, साथ ही साथ टीकाकारों ने नये-नये हेतुओं एवं तर्कों द्वारा उस सामग्री को पुष्ट भी किया। आगमिक साहित्य पर प्राचीनतम संस्कृत टीका आचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणकृत विशेषावश्यकभाष्य की स्वोपज्ञवृत्ति है। यह वृत्ति आचार्य जिनभद्र अपने जीवनकाल में पूर्ण न कर सके। इस

अपूर्ण कार्य को कोट्यार्य ने (जो कि कोट्याचार्य से भिन्न है) पूर्ण किया । इस दृष्टि से आचार्य जिनभद्र प्राचीनतम आगमिक टीकाकार हैं । भाष्य, चूर्ण और टोका—तीनों प्रकार के व्याख्यात्मक साहित्य में इनका योगदान है । भाष्यकार के रूप में तो इनकी प्रसिद्धि है ही । अनुयोगद्वार के अगुल पद पर इनको एक चूर्ण भी है । टोका के रूप में इनको लिखी हुई विशेषावश्यकभाष्य—स्वोपज्ञवृत्ति है ही । टोकाकारों में हरिभद्रसूरि, शीलाकसूरि, वादिवेताल शान्तिसूरि, अभयदेवसूरि, मलयगिरि, मलधारी हेमचन्द्र आदि विशेष प्रसिद्ध हैं । इनमें हरिभद्रसूरि प्राचीनतम हैं । कुछ टोकाकारों के नाम अज्ञात भी हैं । ज्ञातनामा टीकाकार ये हैं जिनभद्रगणि, हरिभद्रसूरि, कोट्याचार्य, कोट्यार्य अथवा कोट्यार्य, जिनभद्र, शीलाकसूरि, गधहस्ती, वादिवेताल शान्तिसूरि, अभयदेवसूरि, द्रोणसूरि, मलयगिरि, मलधारी हेमचन्द्र, नेमिचन्द्रसूरि अपरनाम देवेन्द्रगणि, श्रीचन्द्रसूरि, श्रोतिलकसूरि, क्षेमकीर्ति, भवनतुंगसूरि, गुणरत्न, विजयविमल, वानरर्षि, हीरविजयसूरि, शान्तिचन्द्रगणि, जिनहस, हर्षकुल, लक्ष्मीकल्लोलगणि, नन्दानशेखरसूरि, विनयहस, नमिसाधु, ज्ञानसागर, सोमसुन्दर, माणिक्यशेखर, शुभवर्धनगणि, धीरसुन्दर, कुलप्रभ, राजवल्लभ, हितरुचि, अजितदेवसूरि, साधुरग उपाध्याय, नर्गर्षिगणि, सुमतिकल्लोल, हर्षनन्दन, मेघराज वाचक, भावसागर, पद्मसुन्दरगणि, कस्तूरचन्द्र, हर्षवल्लभ उपाध्याय, विवेकहस उपाध्याय, ज्ञान-विमलसूरि, राजचन्द्र, रत्नप्रभसूरि, समरचन्द्रसूरि, पद्मसागर, जीवविजय, पुण्यसागर, विनयराजगणि, विजयसेनसूरि, हेमचन्द्रगणि, विशालसुन्दर, सौभाग्य-सागर, कीर्तिवल्लभ, कमलसयम उपाध्याय, तपोरत्न वाचक, गुणशेखर, लक्ष्मी-वल्लभ, भावविजय, हर्षनन्दनगणि, धर्ममन्दिर उपाध्याय, उदयसागर, मुनिचन्द्रसूरि, ज्ञानशीलगणि, ब्रह्मर्षि, अजितचन्द्रसूरि, राजशील, उदयविजय, सुमत्तिसूरि, समयसुन्दर, शान्तिदेवसूरि, सोमविमलसूरि, क्षमारत्न, जयदयाल इत्यादि । इनमें से जिनकी जीवनी आदि के विषय में कुछ प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध है उनका परिचय देते हुए उनको टीकाओं का सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हैं । इस परिचय में प्रकाशित टीकाओं की प्रधानता रहेगी ।

‘जिनभद्रकृतविशेषावश्यकभाष्य—स्वोपज्ञवृत्ति .

भाष्यकार आचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणकृत प्रस्तुत अपूर्ण वृत्ति कोट्यार्य चादिगणि ने पूर्ण की । जिनभद्र षष्ठ गणधरवाद तक की वृत्ति समाप्त कर दिवगत हो गए थे । वृत्ति का अवशिष्ट भाग, जैसा कि वृत्ति की उपलब्ध प्रति से स्पष्ट है, कोट्यार्य ने पूर्ण किया । प्रस्तुत वृत्ति अति सरल, स्पष्ट एवं सक्षिप्त है ।

हरिभद्रसूरिकृत टीकाएँ .

हरिभद्र का जन्म वीरभूमि मेवाड के चित्तौड़ नगर में हुआ था। ये इसी नगर के राजा जितारि के राज-पुरोहित थे। इनके गच्छपति गुरु का नाम जिनभट, दीक्षादाता गुरु का नाम जिनदत्त, धर्मजननी का नाम याकिनी महत्तरा, धर्मकुल का नाम विद्याधरगच्छ एवं सम्प्रदाय का नाम श्वेताम्बर था। इनका समय ईस्वी सन् ७००-७७० अर्थात् वि० स० ७५७-८२७ है। कहा जाता है कि हरिभद्रसूरि ने १४४४ ग्रन्थों की रचना की थी। इनके लगभग ७५ ग्रन्थ तो अभी भी उपलब्ध हैं। इन ग्रन्थों को देखते हुए यह कहना पड़ता है कि आचार्य हरिभद्र एक बहुश्रुत विद्वान् थे। इनकी विद्वत्ता निःसन्देह अद्वितीय थी। इन्होंने नन्दी, अनुयोगद्वार, दशवैकालिक, प्रज्ञापना, आवश्यक, जीवाभिगम और पिण्डनियुक्ति पर टीकाएँ लिखी। पिण्डनियुक्ति की अपूर्ण टीका वीराचार्य ने पूरी की।

नन्दीवृत्ति

यह टीका प्रायः नन्दीचूर्ण का ही रूपान्तर है। इसमें टीकाकार ने केवल-ज्ञान और केवलदर्शन का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए उनके योगपद के समर्थन के लिए सिद्धसेन आदि का, क्रमिकत्व के समर्थन के लिए जिनभद्र आदि का एव अभेद के समर्थन के लिए वृद्धाचार्यों का नामोल्लेख किया है। अत्रोल्लिखित सिद्धसेन सिद्धसेन-दिवाकर से भिन्न कोई अन्य ही आचार्य हो सकते हैं। उनका यह मत दिगम्बरसमत है क्योंकि दिगम्बर आचार्य केवलज्ञान और केवलदर्शन को युगपद् मानते हैं। सन्मतितर्क के कर्ता सिद्धसेन-दिवाकर तो अभेदवाद के समर्थक अथवा यो कहिए कि प्रवर्तक हैं। टीकाकार ने सभवतः वृद्धाचार्य के रूप में उन्हीं का निर्देश किया है। क्रमिकत्व के समर्थक जिनभद्र आदि को सिद्धान्तवादी कहा गया है। प्रस्तुत टीका का ग्रथमान १३३६ श्लोकप्रमाण है।

अनुयोगद्वारटीका

यह टीका अनुयोगद्वारचूर्ण की ही शैली पर है। इसका निर्माण नन्दी टीका के बाद हुआ है, जैसा कि स्वयं टीकाकार ने प्रस्तुत टीका के प्रारम्भ में निर्देश किया है। इसमें आवश्यकविवरण और नन्दी-विशेषविवरण का भी उल्लेख है।

दशवैकालिकवृत्ति :

यह वृत्ति दशवैकालिकनियुक्ति का अनुसरण करते हुए लिखी गई है। इसमें अनेक प्राकृत कथानक एव संस्कृत तथा प्राकृत चद्वरण हैं। कही-कही दार्शनिक

दृष्टि का प्रभाव भी दिखाई देता है। पचम अध्ययन की वृत्ति में आहारविषयक मूल गाथाओं का व्याख्यान करते हुए वृत्तिकार ने अस्थि आदि पदों का मासपरक एवं फलपरक दोनों प्रकार का अर्थ किया है।

प्रज्ञापना-प्रदेशव्याख्या .

यह वृत्ति प्रज्ञापना सूत्र के पदों पर है। इसमें वृत्तिकार ने आवश्यकटीका और आचार्य वादिमुख्य का नामोल्लेख किया है। वृत्ति सक्षिप्त एवं सरल है। इसमें यत्र-तत्र संस्कृत एवं प्राकृत उद्धरण भी हैं।

आवश्यकवृत्ति

यह वृत्ति आवश्यकनिर्युक्ति पर है। यत्र-तत्र भाष्य गाथाओं का भी उपयोग किया गया है। वृत्ति में आवश्यकचूर्ण का पदानुसरण न करते हुए स्वतंत्र रीति से विषय-विवेचन किया गया है। इस वृत्ति को देखने से प्रतीत होता है कि आवश्यकसूत्र पर आचार्य हरिभद्र ने दो टीकाएँ लिखी हैं। उपलब्ध टीका अनुपलब्ध टीका से प्रमाण में छोटी है। प्रस्तुत टीका में वृत्तिकार ने वादिमुख्य-कृत कुछ संस्कृत श्लोक भी उद्धृत किये हैं। कहीं-कहीं निर्युक्ति के पाठान्तर भी दिये हैं। इसमें भी दृष्टान्तरूप एवं अन्य कथानक प्राकृत में ही हैं। वृत्ति का नाम शिष्यहिता है। इसका ग्रन्थमान २२००० श्लोकप्रमाण है।

कोट्याचार्यविहित विशेषावश्यकभाष्यविवरण :

कोट्याचार्य ने अपनी प्रस्तुत टीका में आचार्य हरिभद्र अथवा उनकी किसी कृति का कोई उल्लेख नहीं किया है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कोट्याचार्य संभवतः हरिभद्र के पूर्ववर्ती अथवा समकालीन हैं। प्रस्तुत विवरण में टीकाकार ने आवश्यक की मूलटीका का अनेक बार उल्लेख किया है। यह मूलटीका उनके पूर्ववर्ती आचार्य जिनभट की है। मलवारी हेमचन्द्रसूरि ने अपनी कृति विशेषावश्यकभाष्य-चूहद्वृत्ति में कोट्याचार्य का एक प्राचीन टीकाकार के रूप में उल्लेख किया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि कोट्याचार्य काफी पुराने टीकाकार हैं। शीलाकाचार्य और कोट्याचार्य को एक ही व्यक्ति मानना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। आचार्य शीलाक का समय विक्रम की नवी-दसवीं शती है जबकि कोट्याचार्य का समय उपर्युक्त दृष्टि से आठवीं शती सिद्ध होता है।

कोट्याचार्यकृत विशेषावश्यकभाष्यविवरण न अति सक्षिप्त है, न अति विस्तृत। इसमें उद्धृत कथानक प्राकृत में हैं। कहीं-कहीं पद्यात्मक कथानक भी हैं। यत्र-तत्र पाठान्तर भी दिये गये हैं। विवरणकार ने आचार्य जिनभद्रकृत

विशेषावश्यकभाष्य-स्वोपज्ञवृत्ति का भी उल्लेख किया है। प्रस्तुत विवरण का ग्रथमान १३७०० श्लोकप्रमाण है।

आचार्य गंधहस्तिकृत शस्त्रपरिज्ञाविवरण

आचार्य गंधहस्ती ने आचारागसूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन शस्त्रपरिज्ञा पर जो विवरण लिखा था वह अनुपलब्ध है। आचार्य शीलाक ने अपनी कृति आचारागविवरण के प्रारंभ में गंधहस्तिकृत प्रस्तुत विवरण का उल्लेख किया है एवं उसे अति कठिन बताया है। प्रस्तुत गंधहस्ती तथा तत्त्वार्थ-भाष्य पर बृहद्वृत्ति लिखने वाले सिद्धसेन एक ही व्यक्ति हैं। इनके गुरु का नाम भास्वामी है। इनका समय विक्रम की सातवीं और नवीं शती के बीच में कही है। इन्होंने अपनी तत्त्वार्थभाष्य-बृहद्वृत्ति में वपुबधु, धर्मकीर्ति आदि बौद्ध विद्वानों का उल्लेख किया है जो सातवीं शती के पहले के नहीं हैं। दूसरी ओर आचार्य शीलाक ने गंधहस्ती का उल्लेख किया है। शीलाक नवीं शती के टीकाकार हैं।

शीलाकाचार्यकृत टीकाए :

आचार्य शीलाक के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने प्रथम नौ अंगों पर टीकाएँ लिखी थीं। वर्तमान में इनकी केवल दो टीकाएँ उपलब्ध हैं : आचाराग-विवरण और सूत्रकृतागविवरण। इन्होंने व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती) आदि पर भी टीकाएँ अवश्य लिखी होगी, जैसा कि अभयदेवसूरिकृत व्याख्याप्रज्ञप्तिवृत्ति से फलित होता है। आचार्य शीलाक, जिन्हें शीलाचार्य एवं तत्त्वार्थद्वय भी कहा जाता है, विक्रम की नवीं-दसवीं शती में विद्यमान थे।

आचारागविवरण :

यह विवरण आचाराग के मूलपाठ एवं उसकी नियुक्ति पर है। विवरण शब्दार्थ तक ही सीमित नहीं है। इसमें प्रत्येक सम्बद्ध विषय का सुविस्तृत व्याख्यान है। यत्र-तत्र प्राकृत एवं संस्कृत उद्धरण भी हैं। प्रारंभ में आचार्य ने गंधहस्तिकृत शस्त्रपरिज्ञा-विवरण का उल्लेख किया है एवं उसे कठिन बताया है। आचाराग पर सुबोध विवरण लिखने का संकल्प किया है। प्रथम श्रुतस्कन्ध के षष्ठ अध्ययन की व्याख्या के अन्त में विवरणकार ने बताया है कि महापरिज्ञा नामक सप्तम अध्ययन का व्यवच्छेद हो जाने के कारण उसका अतिलघन करके अष्टम अध्ययन का व्याख्यान प्रारंभ किया जाता है। अष्टम अध्ययन के षष्ठ उद्देशक के विवरण में ग्राम, नगर (नगर), खेट, कर्बट, मडम्ब, पत्तन, द्रोण-मुख, आकर, आश्रम, सन्निवेश, नैगम, राजधानी आदि का स्वरूप बताया गया।

है। काननद्वीप आदि को जलपत्तन एव मधुरा आदि को स्थलपत्तन कहा गया है। भरुकच्छ, तासलिसी आदि द्वीपमुख अर्थात् जल और स्थल के आवागमन के केन्द्र हैं। प्रस्तुत विवरण नियुक्तिकुलीन शीलाचार्य ने गुप्त सवत् ७७२ की भाद्र-पद शुक्ला पक्षमी के दिन याहरिसाधु की सहायता से गभूता में पूर्ण किया। विवरण का प्रथमान १२००० श्लोकप्रमाण है।

मूलकृतांगविवरण

यह विवरण मूलकृतांग के मूलपाठ एव उनकी नियुक्ति पर है। विवरण सुबोध है। दार्शनिक दृष्टि की प्रसुप्तता होते हुए भी विवेचन में क्लृप्तता नहीं आने पाई है। यत्र-तत्र पाठान्तर भी उद्धृत किये गये हैं। विवरण में अनेक श्लोक एव गाथाएँ उद्धृत की गई हैं किन्तु कहीं पर भी किसी ग्रन्थ अथवा ग्रन्थकार के नाम का कोई उल्लेख नहीं है। प्रस्तुत टीका का प्रथमान १२८५० श्लोकप्रमाण है। यह टीका भी शीलाचार्य ने याहरिगण की सहायता से पूर्ण की है।

वादिवेताल शान्तिसूरिकृत उत्तराध्ययन टीका :

वादिवेताल शान्तिसूरि का जन्म राधनपुर के पास उण-उन्नतायु नामक गाँव में हुआ था। इनका बाल्यावस्था का नाम भीम था। इन्होंने धारापद्र-गच्छीय विजयसिंहसूरि से दीक्षा ग्रहण की थी। पाटन के भीमराज की सभा में ये कवीन्द्र तथा वादिचक्रवर्ती के रूप में प्रसिद्ध थे। कवि घनपाल के अनुरोध पर शान्तिसूरि मालव प्रदेश में भी पहुँचे थे तथा भोजराज की सभा के ८४ वादियों को पराजित कर ८४ लाख रुपये प्राप्त किये थे। अपनी सभा के पंडितों के लिए शान्तिसूरि को वेताल के समान समक्ष राजा भोज ने उन्हें वादिवेताल की पदवी प्रदान की थी। इन्होंने महाकवि घनपाल की तिलकमजरी का भी सशोधन किया था। शान्तिसूरि अपने अन्तिम दिनों में गिरनार में रहे एव वहाँ २५ दिन का अनशन अर्थात् सथारा किया तथा वि० सं० १०९६ की ज्येष्ठ शुक्ला नवमी को स्वर्गवासी हुए। वादिवेताल शान्तिसूरि ने उत्तराध्ययन-टीका के अतिरिक्त कवि घनपाल की तिलकमजरी पर भी एक टिप्पणी लिखा है। जीवविचारप्रकरण और चैत्यवदन-महाभाष्य भी इन्हीं की कृतियाँ मानी जाती हैं।

वादिवेताल शान्तिसूरिकृत उत्तराध्ययन-टीका शिष्यहितावृत्ति कहलाती है। यह पाठ्य-टीका के नाम से भी प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें प्राकृत कथानको एव उद्धरणों की प्रचुरता है। टीका भाषा, शैली आदि सभी दृष्टियों से सफल है। इसमें मूल-सूत्र एव नियुक्ति का व्याख्यान है। बीच-बीच में यत्र-तत्र भाष्य-

गाथाएँ भी उद्धृत हैं। अनेक स्थानों पर पाठान्तर भी दिये गये हैं। प्रस्तुत टीका में निम्नलिखित ग्रंथों एवं ग्रथकारों के नाम निर्दिष्ट हैं - विद्योपावश्यकभाष्य, उत्तराध्ययनचूर्ण, आवश्यकचूर्ण, सप्तशतारनयचक्र, निशीथ, बृहदारण्यक, उत्तराध्ययनभाष्य, स्त्रीनिर्वाणसूत्र, महामति (जिनभद्र), भर्तृहरि, वाचक सिद्धसेन, अश्वसेन वाचक, वात्स्यायन, शिवशर्मन्, हारिल वाचक, गंधहस्तिन्, जिनेन्द्रबुद्धि ।

द्रोणसूरिविहित ओघनियुक्ति-वृत्ति -

द्रोणसूरि अथवा द्रोणाचार्य पाटन-जैनसभ के प्रमुख अधिकारी थे। ये विक्रम की ग्यारहवी-बारहवी शताब्दी में विद्यमान थे। इन्होंने ओघनियुक्ति (लघु-भाष्यसहित) पर वृत्ति लिखी एवं अभयदेवमूरिकृत कई टीकाओं का सशोचन किया।

द्रोणाचार्यकृत ओघनियुक्ति-वृत्ति की भाषा सरल एवं गैली सुगम है। आचार्य ने मूल पदों के अर्थ के साथ ही साथ तद्गत विषय का भी शका-समाधानपूर्वक सक्षिप्त विवेचन किया है। यत्र-तत्र प्राकृत एवं संस्कृत उद्धरणों का भी प्रयोग किया गया है। वृत्ति का ग्रथमान लगभग ७००० श्लोक-प्रमाण है।

अभयदेवसूरिकृत टीकाएँ :

अभयदेवसूरि नवांगीवृत्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने निम्नोक्त आगमों पर टीकाएँ लिखी हैं नौ अंग—१ स्थानांग, २ ममवायाग, ३ व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती), ४ ज्ञाताधर्मकथा, ५ उपासकदशा, ६ अतकृद्दशा, ७ अनुत्तरीपपातिक, ८ प्रश्नव्याकरण, ९ विपाक और १० औपपातिक उपांग। इनके अतिरिक्त प्रज्ञापनातृतीयपदसंग्रहणी, पचाशकवृत्ति, जयतिहुअणस्तोत्र, पचनिग्रन्थी और सप्ततिकाभाष्य भी इन्हीं की कृतियाँ हैं। इन सब रचनाओं का ग्रन्थमान लगभग ६०००० श्लोकप्रमाण है। अभयदेवकृत टीकाएँ शब्दार्थप्रधान होते हुए भी वस्तुविवेचन की दृष्टि से भी उपयोगी हैं। इनकी सभी टीकाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं।

अभयदेवमूरि, जिनका बाल्यकाल का नाम अभयकुमार था, धारानिवासी सेठ धनदेव के पुत्र थे। इन्हें वर्धमानसूरि के शिष्य जिनेश्वरसूरि ने दीक्षित किया था। योग्यता प्राप्त होने पर वर्धमानसूरि के आदेश से इन्हें आचार्यपदवी प्रदान की गई। वर्धमानसूरि के स्वर्गवास के बाद ये घवलक—धोलका नगर में भी रहे जहाँ इन्हें रक्तविकार की बीमारी हुई जो कुछ समय बाद शान्त हो गई। अभयदेव का जन्म-अनुमानत वि० स० १०८८, दीक्षा वि० स० ११०४, विद्याभ्यास

वि० स० ११०४ से १११४, रुणावस्था वि० स० १११४ से १११७, आचार्य एव टीकाओ का प्रारम्भ वि० स० ११२० और स्वर्गवास वि० स० ११३५ अथवा ११३९ में माना जाता है। पट्टावलियों में अभयदेवसूरि का स्वर्गवास कपडवज में वि० स० १२३५ तथा मतान्तर से वि० स० ११३९ में होने का उल्लेख है, जबकि प्रभावकचरित्र में केवल इतना ही उल्लेख है कि अभयदेवसूरि पाटन में कर्णराज के राज्य में स्वर्गवासी हुए। अभयदेवसूरिकृत आगमिक टीकाओ के सशोधन में उस समय पाटन में विराजित आगमिक परम्परा के विशेषज्ञ सधप्रमुख द्रोणाचार्य ने पूर्ण योगदान दिया था। द्रोणाचार्य के इस महान् ऋण को स्वयं अभयदेवसूरि ने कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया है।

स्थानागवृत्ति •

यह टीका स्थानाग के मूल सूत्रों पर है। यह शब्दार्थ तक ही सीमित नहीं है अपितु इसमें सूत्रसम्बद्ध प्रत्येक विषय का आवश्यक विश्लेषण भी है। दार्शनिक दृष्टि की झलक भी इसमें स्पष्ट दिखाई देती है। वृत्ति में कुछ सक्षिप्त कथानक भी हैं। वृत्ति के अन्त में आचार्य ने अपना परिचय देते हुए बताया है कि मैंने यह टीका अजितसिंहाचार्य के अन्तेवामो यशोदेवगणि की सहायता से पूरी की है। अपनी कृतियों को आद्योपान्त पढ़ कर आवश्यक सशोधन करने वाले द्रोणाचार्य का सादर नामोल्लेख करते हुए वृत्तिकार ने लिखा है कि परम्परागत सत्सम्प्रदाय एव सत्शास्त्रार्थ की हानि हो जाने तथा आगमों की अनेक वाचनाओं एवं पुस्तक की अशुद्धियों के कारण प्रस्तुत कार्य में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और यही कारण है कि इसमें अनेक प्रकार की त्रुटियाँ सभव हैं। विद्वान् पुरुषों को इनका सशोधन कर लेना चाहिए। वृत्ति का ग्रन्थ-मान १४२५० श्लोक प्रमाण है। रचना का समय वि० स० ११२० एव स्थान पाटन है।

समवायागवृत्ति :

यह वृत्ति समवायाग के मूलपाठ पर है। विवेचन न अति सक्षिप्त है, न अति विस्तृत। यत्र-तत्र पाठान्तर भी उपलब्ध हैं। प्रस्तुत वृत्ति भी वि० स० ११२० में ही पूर्ण हुई। इसका ग्रन्थमान ३५७५ श्लोकप्रमाण है।

व्याख्याप्रज्ञप्तिवृत्ति •

यह टीका व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती) के मूलपाठ पर है। व्याख्यान शब्दार्थ-प्रधान एव सक्षिप्त है। यत्र-तत्र उद्धरण भी उपलब्ध हैं। पाठान्तरो एव व्याख्या-भेदों की भी प्रचुरता है। वृत्ति के प्रारम्भ में आचार्य ने इस बात का निर्देश

किया है कि इसी सूत्र की प्राचीन टीका एव चूर्णि तथा जीवाभिगम आदि की वृत्तियोकी सहायता से प्रस्तुत विवरण प्रारम्भ किया जाता है। यह प्राचीन टीका सभवत आचार्य शीलाककृत व्याख्याप्रज्ञप्ति-वृत्ति है जो इस समय अनुपलब्ध है। प्रस्तुत वृत्ति के अन्त में अभयदेवसूरि ने अपनी गुरु-परम्परा का सक्षिप्त परिचय देते हुए बताया है कि १८६१६ श्लोकप्रमाण प्रस्तुत टीका पाटन (अणहिल-पाटन) में वि० स० ११२८ में समाप्त हुई।

ज्ञाताधर्मकथाविवरण :

प्रस्तुत टीका सूत्रस्पर्शी एव शब्दार्थप्रधान है। प्रत्येक अध्ययन की व्याख्या के अन्त में उससे फलित होनेवाला विशेष अर्थ स्पष्ट किया गया है एव उसकी पुष्टि के लिए तदर्थगर्भित गाथाएँ भी दी गई हैं। विवरण के अन्त में आचार्य ने अपना परिचय दिया है तथा प्रस्तुत टीका के सशोधक के रूप में निवृत्तककुलीन द्रोणाचार्य का नामोल्लेख किया है। विवरण का ग्रन्थमान ३८०० श्लोक प्रमाण है। ग्रन्थ-समाप्ति की तिथि वि० स० ११२० की विजयादशमी एव लेखन-समाप्ति का स्थान पाटन है।

उपासकदशागवृत्ति -

यह वृत्ति भी सूत्रस्पर्शी एव शब्दार्थ-प्रधान है। कही-कही व्याख्यान्तर का भी निर्देश है। अनेक जगह ज्ञाताधर्मकथा की व्याख्या से अर्थ समझ लेने की सूचना दी गई है। वृत्ति का ग्रन्थमान ८१२ श्लोकप्रमाण है। वृत्ति-लेखन के स्थान, समय आदि का कोई उल्लेख नहीं है।

अन्तकृद्दशावृत्ति :

प्रस्तुत वृत्ति भी सूत्रस्पर्शी एव शब्दार्थ-प्रधान है। इसमें भी अव्याख्यात पदों का अर्थ समझने के लिए अनेक जगह ज्ञाताधर्मकथा की व्याख्या का उल्लेख किया गया है। वृत्ति का ग्रन्थमान ८९९ श्लोक-प्रमाण है।

अनुत्तरापपातिकदशावृत्ति -

यह वृत्ति भी सूत्रस्पर्शी एव शब्दार्थग्राही है। वृत्ति का ग्रन्थमान १९२ श्लोक-प्रमाण है।

प्रबन्धव्याकरणवृत्ति

यह वृत्ति भी सूत्रस्पर्शी एव शब्दार्थ-प्रधान है। इसका ग्रन्थमान ४६०० श्लोक-प्रमाण है। इसे सशोधित करने का श्रेय भी द्रोणाचार्य को ही है। वृत्तिकार ने प्रबन्धव्याकरणसूत्र को अति दुरुह ग्रन्थ बताया है।

विपाकवृत्ति -

प्रस्तुत वृत्ति भी शब्दार्थ-प्रधान है। इसमें अनेक पारिभाषिक शब्दों का मक्षित एव सतुलित अर्थ किया गया है। उदाहरण के लिए राष्ट्रकूट-रट्ठकूड-रट्ठउड का अर्थ इस प्रकार है: 'रट्ठउडे' त्ति राष्ट्रकूटो मण्डलोपजीवी राजनियोगिक। वृत्ति का ग्रन्थमान ९०० श्लोकप्रमाण है।

औपपातिकवृत्ति :

यह वृत्ति भी शब्दार्थ-प्रधान है। इसमें वृत्तिकार ने सूत्रों के अनेक पाठभेद-वाचनाभेद होना स्वीकार किया है। प्रस्तुत वृत्ति में अनेक महत्त्वपूर्ण मास्कृतिक, सामाजिक, प्रगासनमम्ब्रन्धो एव शास्त्रीय शब्दों की परिभाषाएँ दी गई हैं। यत्र-तत्र पाठान्तरो एव मतान्तरो का भी उल्लेख किया गया है। इस वृत्ति का संशोधन द्रोणाचार्य ने पाटन में किया था। वृत्ति का ग्रन्थमान ३१२५ श्लोक-प्रमाण है।

मलयगिरिसूरिकृत टीकाएँ .

मलयगिरिसूरि एक प्रतिभासम्पन्न टीकाकार हैं। इन्होंने जैन आगमों पर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण टीकाएँ लिखी हैं। ये टीकाएँ विषय-वैशद्य एव निरूपण कौशल दोनों दृष्टियों से सफल हैं।

मलयगिरिसूरि आचार्य हेमचन्द्र (कलिकालसर्वज्ञ) के समकालीन थे एव उन्हीं के साथ विद्यासाधना भी की थी। आचार्य हेमचन्द्र की भाँति मलयगिरि भी आचार्य-पद के धारक थे एव आचार्य हेमचन्द्र को अति सम्मानपूर्ण दृष्टि से देखते थे। आचार्य हेमचन्द्र के समकालीन होने के कारण मलयगिरिसूरि का समय वि० म० ११५०-१२५० के आसपास मानना चाहिए।

मलयगिरिविरचित निम्नोक्त आगमिक टीकाएँ आज उपलब्ध हैं :
१. व्याख्याप्रज्ञप्ति-द्वितीयशतकवृत्ति, २ राजप्रश्नीयटीका, ३ जीवाभिगमटीका, ४ प्रज्ञापनाटीका, ५ चन्द्रप्रज्ञप्तिटीका, ६ सूर्यप्रज्ञप्तिटीका, ७. नन्दीटीका, ८ व्यवहाग्वृत्ति, ९ बृहत्कल्पपोठिकावृत्ति, १० आवश्यकवृत्ति, ११. पिण्ड-नियुक्तटीका, १२ ज्योतिष्करण्डकटीका। निम्नलिखित आगमिक टीकाएँ अनुपलब्ध हैं १ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिटीका, २ ओषनियुक्तटीका, ३ विशेषावश्यकटीका। इनके अतिरिक्त मलयगिरि की अन्य ग्रन्थों पर मात टीकाएँ और उपलब्ध हैं एव तीन टीकाएँ अनुपलब्ध हैं। इनका एक स्वरचित शब्दानुशासन भी उपलब्ध है। इस प्रकार आचार्य मलयगिरि ने कुल छब्बीस ग्रन्थों का निर्माण किया जिनमें पच्चीस टीकाएँ हैं। यह ग्रन्थराशि लगभग दो लाख श्लोकप्रमाण है। इस

दृष्टि से मलयगिरिसूरि आगमिक टीकाकारों में सबसे आगे हैं। इनकी पाण्डित्य-पूर्ण टीकाओं की विद्वत्समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है।

नन्दीवृत्ति

यह वृत्ति नन्दी के मूल सूत्रों पर है। इसमें दार्शनिक वाद-विवाद की प्रचुरता है। यत्र-तत्र उदाहरणरूप संस्कृत कथानक भी दिये गये हैं। प्राकृत एवं संस्कृत उद्धरण भी उपलब्ध हैं। वृत्ति के अन्त में आचार्य ने चूर्णिकार एवं आद्य टीकाकार हरिभद्र को नमस्कार किया है। वृत्ति का ग्रन्थमान ७७३२ श्लोकप्रमाण है।

प्रज्ञापनावृत्ति .

यह वृत्ति प्रज्ञापनासूत्र के मूल पदों पर है। विवेचन आवश्यकतानुसार कहीं संक्षिप्त है तो कहीं विस्तृत। अन्त में वृत्तिकार ने अपने पूर्ववर्ती टीकाकार आचार्य हरिभद्र को यह कहते हुए नमस्कार किया है कि टीकाकार हरिभद्र की जय हो जिन्होंने प्रज्ञापना सूत्र के विषय पदों का व्याख्यान किया है एवं जिनके विवरण से मैं भी एक छोटा-सा टीकाकार बन सका हूँ। प्रस्तुत वृत्ति का ग्रन्थमान १६००० श्लोक-प्रमाण है।

सूर्यप्रज्ञप्तिविवरण :

प्रस्तुत टीका के प्रारम्भ में आचार्य ने यह उल्लेख किया है कि भद्रबाहुसूरि-कृत नियुक्ति का नाश हो जाने के कारण मैं केवल मूल सूत्र का ही व्याख्यान करूँगा। इस टीका में लोकश्री तथा उसकी टीका, स्वकृत शब्दानुशासन, जीवाभिगम-चूर्ण, हरिभद्रसूरिकृत तत्त्वार्थ-टीका आदि का सोद्धरण उल्लेख है। इसका ग्रन्थमान ९५०० श्लोक-प्रमाण है।

ज्योतिष्करण्डकवृत्ति :

यह वृत्ति ज्योतिष्करण्डक प्रकीर्णक के मूलपाठ पर है। इसमें आचार्य मलयगिरि ने पादलिप्तसूरिकृत प्राकृत वृत्ति का उल्लेख करते हुए उसका एक वाक्य भी उद्धृत किया है। यह वाक्य इस समय उपलब्ध ज्योतिष्करण्डक की प्राकृत वृत्ति में नहीं मिलता। सम्भवतः इस सूत्र पर एक और प्राकृत वृत्ति लिखी गई जिसका मलयगिरि ने प्रस्तुत वृत्ति में मूलटीका के नाम से उल्लेख किया है। यह भी सम्भव है कि उपलब्ध प्राकृत वृत्ति ही मूलटीका हो क्योंकि मलयगिरिकृत वृत्ति में उद्धृत मूलटीका का एक वाक्य इस समय उपलब्ध प्राकृत-वृत्ति में मिलता है। यह भी सम्भव है कि पादलिप्तसूरिकृत वृत्ति ही मूलटीका हो जो कि इस समय उपलब्ध है, किन्तु इसके कुछ वाक्यों का कालक्रम

से लोप हो गया हो। मलयगिरि विरचित वृत्ति का ग्रन्थमान ५०० श्लोक-प्रमाण है।

जीवाभिगमविवरण :

यह टीका तृतीय उपाग जीवाभिगम के पदों के व्याख्यान के रूप में है। इसमें अनेक प्राचीन ग्रन्थों के नाम एवं उद्धरण हैं। इसी प्रकार कुछ ग्रन्थकारों का नामोल्लेख भी है। उल्लिखित ग्रन्थ ये हैं - धर्मसंग्रहण-टीका, प्रज्ञापना-टीका, प्रज्ञापना-मूलटीका, तत्त्वार्थ-मूलटीका, सिद्धप्राभृत, विशेषणवती, जीवाभिगम-मूलटीका, पचमग्रह, कर्मप्रकृतिसंग्रहणी, क्षेत्रसमास-टीका, जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति-टीका, कर्मप्रकृतिसंग्रहण-चूर्ण, वसुदेवचरित (वसुदेवहिण्ड), जीवाभिगमि-चूर्ण, चन्द्रप्रज्ञप्ति-टीका, सूर्यप्रज्ञप्ति-टीका, देशीनाममाला, सूर्यप्रज्ञप्ति-नियुक्ति-पचवस्तुक, हरिभद्रकृत तत्त्वार्थ-टीका, तत्त्वार्थ-भाष्य, विशेषावश्यकभाष्य-स्वोपज्ञ-वृत्ति, पचसंग्रह-टीका। प्रस्तुत विवरण का ग्रन्थमान १६००० श्लोक-प्रमाण है।

व्यवहाराविवरण .

प्रस्तुत विवरण सूत्र, नियुक्ति एवं भाष्य पर है। प्रारम्भ में टीकाकार ने भगवान् नेमिनाथ, अपने गुरुदेव एवं व्यवहारचूर्णिकार को सादर नमस्कार किया है। विवरण का ग्रन्थमान ३४६२५ श्लोक-प्रमाण है।

राजप्रश्नीयविवरण .

यह विवरण द्वितीय उपाग राजप्रश्नीय के पदों पर है। इसमें देशीनाममाला, जीवाभिगम-मूलटीका आदि के उद्धरण हैं।

अनेक स्थानों पर सूत्रों के वाचनाभेद—पाठभेद का भी उल्लेख है। टीका का ग्रन्थमान ३७०० श्लोक-प्रमाण है।

पिण्डनियुक्ति-वृत्ति

यह वृत्ति पिण्डनियुक्ति तथा उसके भाष्य पर है। इसमें अनेक संस्कृत कथानक हैं। वृत्ति के अन्त में आचार्य ने पिण्डनियुक्तिकार द्वादशागविद् भद्रबाहु तथा पिण्डनियुक्ति-विषमपदवृत्तिकार (आचार्य हरिभद्र एवं वीरगणि) को नमस्कार किया है। वृत्ति का ग्रन्थमान ६७०० श्लोक-प्रमाण है।

आवश्यकविवरण :

प्रस्तुत टीका आवश्यक-नियुक्ति पर है। इसमें यत्र-तत्र विशेषावश्यकभाष्य की गाथाएँ उद्धृत की गई हैं। विवेचन भाषा एवं शैली दोनों दृष्टियों से सरल

तथा सुबोध है। स्थान-स्थान पर कथानक भी उद्धृत किए गए हैं। ये कथानक प्राकृत में हैं। विवरण में विशेषावश्यकभाष्य-स्वोपज्ञवृत्तिकार, प्रजाकरगुप्त, आवश्यकचूर्णिकार, आवश्यक-मूलटीकाकार, आवश्यक-मूलभाष्यकार, लघुभाष्य-लंकारकार अरुलक, न्यायानतार-विवृत्तिकार आदि का उल्लेख है। उपलब्ध विवरण चतुर्विधतिस्तय नामक द्वितीय अद्ययन के 'शुभ रयणविचित्त कुशु सुमि-णम्मि तेण कुशुजिणो' की व्याख्या तक ही है। उसके बाद 'साम्प्रतमर' अर्थात् 'अब अरनाय के व्याख्यान का अधिकार है' इतना-सा उल्लेख और है। इसके बाद का विवरण अनुपलब्ध है। उपलब्ध विवरण का ग्रन्थमान १८००० श्लोक-प्रमाण है।

बृहत्कल्प-पीठिकावृत्ति :

यह वृत्ति भद्रबाहुकृत बृहत्कल्प-पीठिकानियु'क्ति एव संघदासकृत बृहत्कल्प-पीठिकाभाष्य (लघुभाष्य) पर है। आचार्य मलयगिरि पीठिकाभाष्य को गा० ६०६ पर्यन्त ही प्रस्तुत वृत्ति लिख सके। शेष वृत्ति बाद में आचार्य क्षेमकीर्ति ने लिखी। इस तथ्य का प्रतिपादन स्वयं क्षेमकीर्ति ने अपनी वृत्ति प्रारम्भ करते समय किया है। प्रस्तुत वृत्ति के आरम्भ में आचार्य मलयगिरि ने बृहत्कल्प-लघुभाष्यकार एव बृहत्कल्प-चूर्णिकार के प्रति कृतज्ञता स्वीकार की है। वृत्ति में प्राकृत गायत्री के साथ ही साथ प्राकृत कथानक भी उद्धृत किए गए हैं। मलयगिरिकृत वृत्ति का ग्रन्थमान ४६०० श्लोकप्रमाण है।

मलधारी हेमचन्द्रसूरिकृत टोकाएँ :

मलधारी हेमचन्द्रसूरि का गृहस्थाश्रम का नाम प्रद्युम्न था। प्रद्युम्न राज-मन्त्री थे। ये अपनी चार स्त्रियों को छोड़कर मलधारी अभयदेवसूरि के पास दीक्षित हुए थे। अभयदेव की मृत्यु होने पर अर्थात् वि० स० ११६८ में हेमचन्द्र ने आचार्य-पद प्राप्त किया था। सम्भवतः ये वि० स० ११८० तक इस पद पर प्रतिष्ठित रहे एवं तदनन्तर इनका देहावसान हुआ। इनके किसी भी ग्रन्थ की प्रशस्ति में वि० स० ११७७ के बाद का उल्लेख नहीं है। इन्होंने निम्नोक्त आगम-व्याख्याएँ लिखी हैं : आवश्यक-टिप्पण, अनुयोगद्वार-वृत्ति, नन्दि-टिप्पण और विशेषावश्यकभाष्य-बृहद्वृत्ति। इनके अतिरिक्त निम्न कृतियाँ भी मलधारी हेमचन्द्र की ही हैं शतक-विवरण, उपदेशमाला, उपदेशमाला-वृत्ति, जीवसमास-विवरण, भवभावना, भवभावना-विवरण। इन ग्रन्थों का परि-माण लगभग ८०००० श्लोक-प्रमाण है।

आवश्यकटिप्पण :

यह टिप्पण हरिभद्रकृत आवश्यक-वृत्ति पर है। इसे आवश्यकवृत्ति प्रदेश-व्याख्या अथवा हारिभद्रीयावश्यकवृत्ति-टिप्पणक भी कहते हैं। इस पर हेमचन्द्र के

ही एक शिष्य श्रीचन्द्रसूरि ने एक और टिप्पण लिखा है जिसे प्रदेशव्याख्या-टिप्पण कहते हैं। आवश्यक-टिप्पण का ग्रन्थमान ४६०० श्लोक-प्रमाण है।

अनुयोगद्वारवृत्ति .

प्रस्तुत वृत्ति अनुयोगद्वार के मूलपाठ पर है। इसमें सूत्रों के पदों का सरल एवं सक्षिप्त अर्थ है। यत्र-तत्र संस्कृत श्लोक भी उद्धृत किए गए हैं। वृत्ति का ग्रन्थमान ५९०० श्लोक-प्रमाण है।

विशेषावश्यकभाष्य-बृहद्वृत्ति .

प्रस्तुत वृत्ति, जिसे शिष्यहितावृत्ति भी कहते हैं, मलघारी हेमचन्द्र की बृहत्तम कृति है। इसमें विशेषावश्यकभाष्य के विषय का सरल एवं सुबोध प्रति-पादन है। दार्शनिक चर्चाओं की प्रधानता होते हुए भी वृत्ति की शैली में क्लिष्टता का अभाव दृष्टिगोचर होता है। इस टीका के कारण विशेषावश्यकभाष्य के पठन-पाठन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, इसमें कोई सदेह नहीं। आचार्य ने प्रारंभ में ही लिखा है कि जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणविरचित विशेषावश्यकभाष्य पर स्वोपज्ञवृत्ति तथा कोट्याचार्यविहित विवरण के विद्यमान रहते हुए भी प्रस्तुत वृत्ति लिखी जा रही है क्योंकि ये दोनों टीकाएँ अति गभीर वाक्यात्मक एवं सक्षिप्त होने के कारण मद बुद्धिवाले शिष्यों के लिए कठिन सिद्ध होती हैं। वृत्ति के अन्त की प्रशस्ति में बताया गया है कि यह वृत्ति राजा जयसिंह के राज्य में वि. सं. ११७५ की कार्तिक शुक्ला पचमी के दिन समाप्त हुई। वृत्ति का ग्रन्थ-मान २८००० श्लोक-प्रमाण है।

नेमिचन्द्रसूरिकृत उत्तराध्ययनवृत्ति :

नेमिचन्द्रसूरि का दूसरा नाम देवेन्द्रगणि है। इन्होंने वि. सं. ११२९ में उत्तराध्ययनसूत्र पर एक टीका लिखी। इस टीका का नाम उत्तराध्ययन-सुख-बोधावृत्ति है। यह वृत्ति वादिवेताल शान्तिसूरिविहित उत्तराध्ययन-शिष्यहितावृत्ति के आधार पर लिखी गई है। वृत्ति की सरलता एवं सुबोधता को दृष्टि में रखते हुए इसका नाम सुबोधा रखा गया है। इसमें उदाहरणरूप अनेक प्राकृत कथानक हैं। वृत्ति के अन्त की प्रशस्ति में उल्लेख है कि नेमिचन्द्राचार्य बृहद्-गच्छोय उद्योतनाचार्य के शिष्य उपाध्याय आम्रदेव के शिष्य हैं। इनके गुरु-भ्राता का नाम मुनिचन्द्रसूरि है जिनकी प्रेरणा ही प्रस्तुत वृत्ति की रचना का मुख्य कारण है। वृत्ति-रचना का स्थान अणहिलपाटक नगर (पाटन) में सेठ दोहड़ि का घर है। वृत्ति की समाप्ति का समय वि. सं. ११२९ है। इसका ग्रन्थमान १२००० श्लोक प्रमाण है।

श्रीचन्द्रसूरिकृत टीकाएँ :

श्रीचन्द्रमूरि शीलभद्रसूरि के शिष्य हैं। इन्होंने निम्नांकित ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखी हैं निशीथ (बीसवाँ उद्देशक), श्रमणोपासन-प्रतिक्रमण (आवश्यक), नन्दी, जीतकल्प, निरयावलिकादि अन्तिम पाँच उपाग।

निशीथचूर्णि-दुर्गपदव्याख्या :

इसमें निशीथचूर्णि के बीसवें उद्देशक के कठिन अशो की सुबोध व्याख्या की गई है। व्याख्या का अधिक अंश विविध प्रकार के मासों के भग, दिनों की गिनती आदि से सम्बन्धित होने के कारण कुछ नीरस है। अन्त में व्याख्याकार ने अपना परिचय देते हुए अपने को शीलभद्रसूरि का शिष्य बताया है। प्रस्तुत व्याख्या वि स ११७४ की माघ शुक्ला द्वादशी रविवार के दिन समाप्त हुई।

निरयावलिकावृत्ति :

यह वृत्ति अन्तिम पाँच उपागरूप निरयावलिका सूत्र पर है। वृत्ति सक्षिप्त एव शब्दार्थ-प्रधान है। इसका ग्रन्थमान ६०० श्लोक-प्रमाण है।

जीतकल्पवृहच्चूर्णि-विषमपदव्याख्या :

प्रस्तुत व्याख्या सिद्धसेन सूरिकृत जीतकल्प-वृहच्चूर्णि के विषम पदों के व्याख्यान के रूप में है। इसमें यत्र-तत्र प्राकृत गाथाएँ उद्धृत की गई हैं। अन्त में व्याख्याकार ने अपना नामोल्लेख करते हुए बताया है कि प्रस्तुत व्याख्या वि स १२२७ के महावीर-जन्मकल्याण के दिन पूर्ण हुई। व्याख्या का ग्रन्थमान ११२० श्लोक-प्रमाण है।

उपर्युक्त टीकाकारों के अतिरिक्त और भी ऐसे अनेक आचार्य हैं जिन्होंने आगमों पर छोटी या बड़ी टीकाएँ लिखी हैं। इस प्रकार की कुछ प्रकाशित टीकाओं का परिचय आगे दिया जाता है।

आचार्य क्षेमकीर्तिकृत बृहत्कल्पवृत्ति :

यह वृत्ति आचार्य मलयगिरिकृत अपूर्ण वृत्ति की पूर्ति के रूप में है। शंली आदि की दृष्टि से प्रस्तुत वृत्ति मलयगिरिकृत वृत्ति की ही कोटि की है। आचार्य क्षेमकीर्ति के गुरु का नाम विजयचन्द्रसूरि है। वृत्ति का समाप्तिकाल जेष्ठ शुक्ला दशमी वि स १३३२ एव ग्रन्थमान ४२६०० श्लोक-प्रमाण है।

माणिक्यशेखरसूरिकृत आवश्यकनियुक्ति-दीपिका .

यह टीका आवश्यकनियुक्ति का शब्दार्थ एव भावार्थ समझने के लिए बहुत उपयोगी है। टीका के अन्त में बताया गया है कि दीपिकाकार माणिक्यशेखर-

अचलगच्छीय महेन्द्रप्रभसूरि के शिष्य मेरुगसूरि के शिष्य है। प्रस्तुत दीपिका के अतिरिक्त निम्नलिखित दीपिकाएँ भी इन्हीं की लिखी हुई हैं। दशवैकालिक-नियुक्ति-दीपिका, पिण्डनियुक्ति-दीपिका, ओघनियुक्ति-दीपिका, उत्तराध्ययन-दीपिका, आचार-दीपिका। माणिक्यशेखरसूरि विक्रम की पन्द्रहवीं शती में विद्यमान थे।

अजितदेवसूरिकृत आचारागदीपिका :

यह टीका चन्द्रगच्छीय महेश्वरसूरि के शिष्य अजितदेवसूरि ने वि.स. १६२९ के आस-पास लिखी है। इसका आधार शीलाकाचार्य कृत आचाराग-विवरण है। टीका सरल, सक्षिप्त एवं सुबोध है।

विजयविमलगणिविहित गच्छाचारवृत्ति :

प्रस्तुत वृत्ति तपागच्छीय आनन्दविमलसूरि के शिष्य विजयविमलगणि ने वि.स. १६३४ में लिखी है। इसका ग्रंथमान ५८५० श्लोक-प्रमाण है। वृत्ति विस्तृत है एवं प्राकृत कथानको से युक्त है।

विजयविमलगणिविहित तन्दुलवैचारिकवृत्ति :

यह वृत्ति उपर्युक्त विजयविमलगणि ने गुणसौभाग्यगणि से प्राप्त तन्दुलवैचारिक प्रकीर्णक के ज्ञान के आधार पर लिखी है। वृत्ति शब्दार्थ-प्रधान है। इसमें कहीं-कहीं अन्य ग्रंथों के उद्धरण भी हैं।

वानरर्षिकृत गच्छाचारटीका :

प्रस्तुत टीका के प्रणेता वानरर्षि तपागच्छीय आनन्द विमलसूरि के शिष्यानु-शिष्य है। टीका सक्षिप्त एवं सरल है। टीकाकार ने इसका आधार हर्षकुल से प्राप्त गच्छाचार प्रकीर्णक का ज्ञान माना है।

भावविजयगणिकृत उत्तराध्ययनव्याख्या :

प्रस्तुत व्याख्या तपागच्छीय मुनिविमलसूरि के शिष्य भावविजयगणि ने वि.स. १६८९ में लिखी है। व्याख्या कथानको से भरपूर है। सभी कथानक पद्य-निबद्ध हैं। व्याख्या का ग्रंथमान १६२५५ श्लोक-प्रमाण है।

समयसुन्दरसूरिसदृब्ध दशवैकालिकदीपिका :

प्रस्तुत दीपिका के प्रणेता समयसुन्दरसूरि खरतरगच्छीय सकलचन्द्रसूरि के शिष्य है। दीपिका शब्दार्थ-प्रधान है। इसका ग्रंथमान ३४५० श्लोक-प्रमाण है। यह वि.स. १६९१ में स्तम्भतीर्थ (खम्भात) में पूर्ण हुई थी।

ज्ञानविमलसूरिग्रथित प्रश्नव्याकरण-सुखबोधिकावृत्ति .

यह वृत्ति विस्तार में अभयदेवसूरिकृत प्रश्नव्याकरण-वृत्ति से बड़ी है। वृत्ति के प्रारम्भ में आचार्य ने नवागवृत्तिकार अभयदेवसूरि-विरचित प्रश्नव्याकरणवृत्ति की कृतज्ञता स्वीकार की है। वृत्तिकार ज्ञानविमलसूरि का दूसरा नाम नयविमलगणि है। ये तपागच्छीय घोरविमलगणि के शिष्य है। प्रस्तुत वृत्ति के लेखन में कवि सुखसागर ने विशेष सहायता दी थी। वृत्ति का ग्रन्थमान ७५०० श्लोक-प्रमाण है। इसका रचना-काल वि स १७९३ के कुछ वर्ष पूर्व है।

लक्ष्मीवल्लभगणिविरचित उत्तराध्ययनदीपिका .

दीपिकाकार लक्ष्मीवल्लभगणि खरतरगच्छीय लक्ष्मीकीर्तिगणि के शिष्य है। दीपिका सरल एवं सुबोध है। इसमें दृष्टान्तरूप अनेक संस्कृत आख्यान हैं।

दानशेखरसूरिसकलित भगवती-विशेषपदव्याख्या

यह व्याख्या प्राचीन भगवती-वृत्ति के आधार पर लिखी गई है। इसमें भगवती (व्याख्याप्रज्ञप्ति) सूत्र के कठिन—दुर्ग पदों का विवेचन किया गया है। व्याख्याकार दानशेखरसूरि जिनमाणिक्यगणि के शिष्य अनन्तहमगणि के शिष्य है। प्रस्तुत व्याख्या तपागच्छनायक लक्ष्मीसागरसूरि के शिष्य सुमतिसाधुसूरि के शिष्य हेमविमलसूरि के समय में सकलित की गई थी।

सधविजयगणिकृत कल्पसूत्र-कल्पप्रदीपिका

कल्पसूत्र की प्रस्तुत वृत्ति विजयसेनसूरि के शिष्य सधविजयगणि ने वि सं. १६७४ में लिखी। वि. स १६८१ में कल्याणविजयसूरि के शिष्य धनविजयगणि ने इसका सशोधन किया। वृत्ति का ग्रन्थमान ३२५० श्लोक-प्रमाण है।

विनयविजयोपाध्यायविहित कल्पसूत्र-सुबोधिका :

यह वृत्ति तपागच्छीय कीर्तिविजयगणि के शिष्य विनयविजय उपाध्याय ने वि स १६९६ में लिखी तथा भावविजय ने सशोधित की। इसमें कही-कही चर्मसागरगणिकृत किरणावली एवं जयविजयगणिकृत दीपिका का खण्डन किया गया है। टीका का ग्रन्थमान ५४०० श्लोक-प्रमाण है।

समयसुन्दरगणिविरचित कल्पसूत्र-कल्पलता :

यह व्याख्या उपर्युक्त दशवैकालिक-दीपिकाकार खरतरगच्छीय समयसुन्दरगणि की कृति है। इसका रचना-काल वि स १६९९ के आस-पास है। वृत्ति का सशोधन करनेवाले हर्षनन्दन हैं। इसका ग्रन्थमान ७७०० श्लोक-प्रमाण है।

शान्तिसागरगणिविदृब्ध कल्पसूत्र-कल्पकौमुदी

यह वृत्ति तपागच्छीय धर्मसागरगणि के प्रशिष्य एव श्रुतसागरगणिके शिष्य शान्तिसागरगणि ने वि स १७०७ में लिखी। वृत्ति का ग्रथमान ३७०७ श्लोक-प्रमाण है।

पृथ्वीचन्द्रसूरिप्रणीत कल्पसूत्र-टिप्पणक :

प्रस्तुत टिप्पणक के प्रणेता पृथ्वीचन्द्रसूरि देवसेनगणि के शिष्य है। देवसेनगणि के गुरु का नाम यशोभद्रसूरि है। यशोभद्रसूरि राजा शाकम्भरी को प्रतिबोध देने वाले आचार्य धर्मघोष के शिष्य है। धर्मघोषसूरि के गुरु चन्द्रकुलीन शीलभद्रसूरि है।

लोकभाषाओं में निर्मित व्याख्याएँ .

आगमों की संस्कृत व्याख्याओं की बहुलता होने हुए भी बाद के आचार्यों ने जनहित को दृष्टि में लोकभाषाओं में आगमों को व्याख्याएँ लिखना आवश्यक समझा। परिणामतः तत्कालीन प्राचीन गुजराती में कुछ आचार्यों ने आगमों पर सरल एवं सुबोध बालावबोध लिखे। इस प्रकार के बालावबोध लिखने वालों में विक्रम की सोलहवीं शती में विद्यमान पार्श्वचन्द्रगणि एवं अठारहवीं शती में विद्यमान लोकागच्छीय (स्थानकवासी) मुनि धर्मसिंह के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। मुनि धर्मसिंह ने भगवती, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, चन्द्रप्रज्ञप्ति तथा सूर्य-प्रज्ञप्ति को छोड़ स्थानकवासी-सम्मत शेष २७ आगमों पर बालावबोध—टिप्पण लिखे हैं। हिन्दी व्याख्याओं में मुनि हस्तिमलकृत दशवैकालिक-सौभाग्यचन्द्रिका एवं नन्दीसूत्र-भाषाटीका, उपाध्याय आत्मारामकृत दशाश्रुतस्कन्ध-गणपतिगुणप्रकाशिका, दशवैकालिक आत्मज्ञानप्रकाशिका, उत्तराध्ययन-आत्मज्ञानप्रकाशिका, उपाध्याय अमरमुनिकृत आवश्यक-विवेचन (श्रमणसूत्र) आदि उल्लेखनीय हैं।

आगमिक व्याख्याओं में सामग्री-वैविध्य

जैन आगमों की जो व्याख्याएँ उपलब्ध हैं वे केवल शब्दार्थ तक ही सीमित नहीं हैं। उनमें आचारशास्त्र, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिकशास्त्र, मनो-विज्ञान आदि विषयों से सम्बन्धित प्रचुर सामग्री विद्यमान है।

आचारशास्त्र .

आवश्यक-नियुक्ति का सामायिकसम्बन्धी अधिकांश विवेचन आचारशास्त्र-विषयक है। इसी प्रकार अन्य नियुक्तियों में भी एतद्विषयक सामग्री की प्रचुरता है। विशेषावश्यक-भाष्य में सामायिक आदि पाँच प्रकार के चारित्र का विस्तारपूर्वक व्याख्यान किया गया है। जीतकल्प-भाष्य, बृहत्कल्प-लघुभाष्य, बृहत्कल्प-

बृहद्भाष्य एवं व्यवहार-भाष्य तो आचार-सम्बन्धी विवि-विधानों में भरपूर हैं। पञ्चक-प-महाभाष्य का कल्पविषयक वर्णन भी जैन आचारशास्त्र की दृष्टि में बहुत महत्त्वपूर्ण है। बृहत्कल्प-लघुभाष्य में दिग्-अग्नि के स्वप्न की विशेष चर्चा है। इसमें तथा अन्य भाष्यों में जिन-सं-स्यविष्कन्त की विविध अग्नि-आओ का विशद वर्णन है।

दर्शनशास्त्र

सूक्तताग-निघु गिन में त्रियात्रादी, अत्रियात्रादी आदि ३६३ मत-मनान्तरो का उल्लेख है। विशेषावश्यकभाष्य में प्रतिपादित गणधरवाद और निल्लववाद दर्शनशास्त्र की विविध दृष्टियों का प्रतिनिधित्व करने हैं। अवश्य-वृष्णि में आजीवक, ताम्र, परिव्राजक, तच्चणिय (तत्त्वणिक), बोटिक आदि अनेक मत-मनान्तरो का वर्णन है। इनो प्रकार अन्य व्याख्याओं में भी थोड़ी-बहुत दार्शनिक मामग्री मिलती हैं। संस्कृत टीकाओं में इस प्रकार की मामग्री की प्रचुरता है।

ज्ञानवाद :

विशेषावश्यकभाष्य में ज्ञानपञ्चक—मति, श्रुति, अवधि, मन पर्यं और केवल-ज्ञान के स्वप्न पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार इसमें केवलज्ञान और केवलदर्शन के भेद और अभेद का भी सुक्तिपुरस्सर विचार किया गया है। बृहत्कल्प-लघुभाष्य के प्रारम्भ में भी ज्ञानपञ्चक की विशेष चर्चा है। नन्दी-वृष्णि में भी इसी विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार आचार्य हरिभद्रकृत नन्दोवृत्ति में भी ज्ञानवाद पर पर्याप्त नामग्री है।

प्रमाणशास्त्र :

दशवैकालिक-नियुक्ति में अनुमान के प्रतिज्ञा आदि दस प्रकार के अवयवों का निर्देश है। इसी विषय का आचार्य हरिभद्र ने अपनी दशवैकालिक-वृत्ति में विस्तार से प्रतिपादन किया है। प्रमाणशास्त्र-सम्बन्धी चर्चा के लिए आचार्य शीलक एवं मलयगिरि की टीकाएँ विशेष द्रष्टव्य हैं।

कर्मवाद :

विशेषावश्यकभाष्य में सामायिकनिर्गम की चर्चा के प्रसंग में उपशम और क्षपक श्रेणी का तथा सिद्ध-नमस्कार का व्याख्यान करते हुए आचार्य ने कर्मस्थिति समुद्घात, शैलेशी-अवस्था आदि का वर्णन किया है। बृहत्कल्प-लघुभाष्य के तृतीय उद्देश में हिंसा के स्वरूप-वर्णन के प्रसंग पर रागादि की तीव्रता और तीव्र कर्म-बन्ध, हिंसक के ज्ञान एवं अज्ञान के कारण कर्मबन्ध की न्यूनाधिकता, अविकरण-वैविध्य से कर्म-वैविध्य आदि का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया गया है।

मनोविज्ञान और योगशास्त्र :

विशेषावश्यकभाष्य के सिद्ध-नमस्कार प्रकरण में ध्यान का पर्याप्त विवेचन है। व्यवहार-भाष्य के द्वितीय उद्देश में भाष्यकार ने क्षिप्तचित्त तथा दीप्तचित्त साधुओं की चिकित्सा की मनोवैज्ञानिक विधि बताई है। इसी उद्देश में क्षिप्त-चित्त एवं दीप्तचित्त होने के कारणों पर भी प्रकाश डाला गया है। पचकल्प-महाभाष्य में पन्नज्या की योग्यता-अयोग्यता का विचार करते हुए भाष्यकार ने व्यक्तित्व के बीस भेदों का वर्णन किया है। इसी प्रकार निशीथ-विशेषचूर्ण में व्यक्तित्व के अडतालीस भेदों का स्वरूप बताया गया है अठारह प्रकार के पुरुष, बीस प्रकार की स्त्रियाँ और दस प्रकार के नपुंसक।

कामविज्ञान

दशवैकालिक-नियुक्ति में चौदह प्रकार के संप्राप्तकाम और दस प्रकार के असंप्राप्त काम का उल्लेख है। बृहत्कल्प-लघुभाष्य के तृतीय उद्देश में पुरुष-ससर्ग के अभाव में गर्भाधान होने के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। इसी भाष्य के चतुर्थ उद्देश में हस्तकर्म मैथुन आदि के स्वरूप का वर्णन है। निशीथ-विशेषचूर्ण के प्रथम उद्देश में इसी विषय पर विशेष प्रकाश डाला गया है। इसी चूर्ण के षष्ठ उद्देश में कामियों के प्रेमपत्र-लेखन का विवेचन किया गया है तथा सप्तम उद्देश में विविध प्रकार की काम-क्रीडाओं पर प्रकाश डाला गया है।

समाजशास्त्र :

आवश्यक-नियुक्ति में प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव के समय की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। उस समय के आहार, शिल्प, कर्म, लेखन, मानदण्ड, पोत, इपुगास्त्र, उपासना, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, यज्ञ, उत्सव, विवाह आदि चालीस सामाजिक विषयों का उल्लेख किया गया है। आचाराग-नियुक्ति में मनुष्य-जाति के सात वर्णों एवं नौ वर्णान्तरो का उल्लेख है। बृहत्कल्प-लघुभाष्य में पाँच प्रकार के सार्थ, आठ प्रकार के सार्थवाह, आठ प्रकार के सार्थ-व्यवस्थापक, छ प्रकार की आर्यजातियाँ, छः प्रकार के आर्यकुल आदि समाजशास्त्र से सम्बन्धित अनेक प्रकार के विषयों का वर्णन है। आवश्यक-चूर्ण में आवश्यक-नियुक्ति का ही अनुसरण करते हुए ऋषभदेव के जन्म, विवाह, अपत्य आदि के वर्णन के साथ-साथ तत्कालीन शिल्प, कर्म, लेख आदि पर विशेष प्रकाश डाला गया है। निशीथ-विशेषचूर्ण के नवम उद्देश में तीन प्रकार के अन्त पुरो का वर्णन है। इसी चूर्ण के सोलहवें उद्देश में जुगुप्सित कुलो का वर्णन किया गया है।

नागरिकशास्त्र :

बृहत्कल्प-लघुभाष्य के प्रथम उद्देश में ग्राम, नगर, खेड, कवंटक, मडम्ब, पत्तन, आकर, द्रोणमुख, निगम, राजधानी आदि का स्वरूप बताया गया है। शीलाकाचार्यकृत आचाराग-विवरण के प्रथम श्रुतस्कन्ध के अष्टम अध्यायन के पष्ठ उद्देशक में भी इसी प्रकार का वर्णन है।

भूगोल :

आवश्यक-नियुक्ति में चौबीस तोर्यकरो के भिक्षालाभ के प्रसंग से हस्तिनापुर आदि चौबीस नगरों के नाम गिनाए गए हैं। पञ्चकल्प-महाभाष्य में क्षेत्रकल्प की चर्चा करते हुए भाष्यकार ने साठे पञ्चीस आर्यदेशों एवं उनकी राजधानियों का नामोल्लेख किया है। निशीथ-विशेषचूर्ण के मोलह्वं उद्देश में आर्यदेश की सीमा इस प्रकार बताई गई है : पूर्व में मगध, पश्चिम में स्थूणा, उत्तर में कुणाला और दक्षिण में कौशाम्बी।

राजनीति

व्यवहार-भाष्य के प्रथम उद्देश में राजा, युवराज, महत्तरक, अमात्य, कुमार, नियतिक, रूपयक्ष आदि के स्वरूप एवं कार्यों पर प्रकाश डाला गया है।

ऐतिहासिक चरित्र .

आवश्यकनियुक्ति में ऋषभदेव, महावीर, आर्य रक्षित, नप्त तिह्व, नागदत्त, महागिरि, स्थूलभद्र, धर्मघोष, सुरेन्द्रदत्त, चन्वन्तरि वैद्य, करकड्डु, पुष्पभूति आदि के चरित्र पर सक्षिप्त सामग्री उपलब्ध है। विशेषावश्यकभाष्य में आर्य वज्र, आर्य रक्षित, पुष्पमित्र, जमालि, तिष्यगुप्त, आषाढभूति, अश्वमित्र, गग, रोहगुप्त, गोष्ठामाहिल, शिवभूति आदि अनेक ऐतिहासिक पुरुषों के जीवन-चरित्र पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। आवश्यकचूर्ण में भगवान् ऋषभदेव एवं महावीर, भरत और बाहुबलि, गोशालक, चन्दनबाला, आनन्द, कामदेव, शिव-राजषि, गंगदत्त, इलापुत्र, मेतार्य, कालिकाचार्य, चिलातिपुत्र, धर्मरुचि, तैतली-पुत्र, अभयकुमार, श्रेणिक, चेल्लणा, सुलसा, कोणिक, चेटक, उदायी, महापद्म-नन्द, शकटाल, वररुचि, स्थूलभद्र आदि अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियों से सम्बन्धित आख्यान हैं।

सस्कृति एवं सभ्यता .

दशवैकालिक-नियुक्ति में धान्य एवं रत्न की चौबीस जातियाँ गिनाई गई हैं। बृहत्कल्प-लघुभाष्य के द्वितीय उद्देश में जागिक आदि पाँच प्रकार के वस्त्र एवं और्णिक आदि पाँच प्रकार के रजोहरण का स्वरूप बताया गया है। व्यवहार-

भाष्य के प्रथम उद्देश में सत्रह प्रकार के धान्य-भाण्डारो का वर्णन है । निशीथ-विशेषचूर्ण के प्रथम उद्देश में दंड, विदड, लाठी, विलट्ठी आदि का अन्तर बताया गया है । इसी चूर्ण के सप्तम उद्देश में कुडल, गुण, मणि, तुडिय, विसरिय, बालभा, पलबा, हार, अर्धहार, एकावली, मुक्तावली, कनकावली, रत्नावली, पट्ट, मुकुट आदि विविध प्रकार के आभरणो का स्वरूप-वर्णन है । अष्टम उद्देश में उद्यानगृह, निर्याणगृह, अट्ट, अट्टालक, शून्यगृह, भिन्नगृह, तृण-गृह, गोगृह आदि अनेक प्रकार के गृहो एव शालाओ का स्वरूप बताया गया है । नवम उद्देश में कोष्ठागार, भाडागार, पानागार, क्षीरगृह, गजशाला, महानस-शाला आदि के स्वरूप का वर्णन है ।



प्रथम प्रकरण

निर्युक्तियाँ और निर्युक्तिकार

मूल ग्रथो के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए उन पर व्याख्यात्मक साहित्य लिखने की परम्परा प्राचीन भारतीय साहित्यकारो मे विशेष रूप से विद्यमान रही है। वे मूल ग्रथ के प्रत्येक शब्द की विवेचना एव आलोचना करते तथा उस पर एक बड़ी या छोटी टीका लिखते। विशेषतः पारिभाषिक शब्दो की व्याख्या की ओर अधिक ध्यान देते। जिस प्रकार वैदिक पारिभाषिक शब्दो की व्याख्या करने के लिए यास्क महर्षि ने निघण्टुभाष्यरूप निरुक्त लिखा, उसी प्रकार जैन आगमो के पारिभाषिक शब्दो की व्याख्या करने के लिए आचार्य भद्रबाहु ने प्राकृत पद्य मे निर्युक्तियो की रचना की। निर्युक्ति की व्याख्या-पद्धति बहुत प्राचीन है। अनुयोगद्वारसूत्र मे श्रुत, स्कन्ध आदि पदो का निर्युक्ति-पद्धति से अर्थात् निक्षेपपूर्वक व्याख्यान किया गया है।^१ यास्क महर्षि के निरुक्त में जिस प्रकार सर्वप्रथम निरुक्त-उपोद्धात है उसी प्रकार जैन निर्युक्तियो में भी प्रारम्भ में उपोद्धात मिलता है।

दस निर्युक्तियाँ .

आचार्य भद्रबाहु ने निम्नांकित ग्रथो पर निर्युक्तियाँ लिखी हैं :
१ आवश्यक, २ दशवैकालिक, ३ उत्तराध्ययन, ४ आचाराग, ५ सूत्रकृताग,
६ दशाश्रुतस्कन्ध, ७ वृहत्कल्प, ८ व्यवहार, ९ सूर्यप्रज्ञप्ति और १० ऋषि-
भाषित।

इनमे से अन्तिम दो निर्युक्तियाँ उपलब्ध नहीं हैं। शेष आठ उपलब्ध हैं। इन निर्युक्तियो मे आचार्य ने जैन न्याय-सम्मत निक्षेप-पद्धति का आधार लिया है। निक्षेप-पद्धति मे किसी एक शब्द के समस्त सभावित अर्थो का निर्देश करके प्रस्तुत अर्थ का ग्रहण किया जाता है। आचार्य भद्रबाहु ने अपनी निर्युक्तियो मे प्रस्तुत अर्थ के निश्चय के साथ ही साथ तत्सम्बद्ध अन्य बातो का भी निर्देश किया है। 'निर्युक्ति' शब्द की व्याख्या करने हुए वे स्वयं कहते हैं - एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं किन्तु कौन-सा अर्थ किस प्रसंग के लिए उपयुक्त होता है, भगवान् के उपदेश के समय कौन-सा अर्थ किस शब्द से सम्बद्ध था, इत्यादि बातो को

१ देखिए—अनुयोगद्वार, पृ० १८ और आगे

ध्यान में रखने हुए ठीक-ठीक अर्थ का निर्णय करना और उस अर्थ का सूत्र के शब्दों से सवन्ध स्थापित करना—यही नियुक्ति का प्रयोजन है ।^१

नियुक्तियों की रचना प्रारंभ करते हुए आचार्य भद्रबाहु ने सर्वप्रथम पाँच प्रकार के ज्ञान का विवेचन किया है । बाद के टीकाकारों ने ज्ञान को मगलरूप मानकर यह सिद्ध किया है कि इन गायत्रियों से मगल का प्रयोजन भी मित्र होता है : आगे आचार्य ने यह बताया है कि इन पाँच ज्ञानों में से प्रस्तुत अधिकार श्रुतज्ञान का ही है क्योंकि यही ज्ञान ऐसा है जो प्रदीपवत् स्व पर-प्रकाशक है । यही कारण है कि श्रुतज्ञान के आधार से ही मति आदि अन्य ज्ञानों का एव स्वयं श्रुत का भी निरूपण हो सकता है । इसके बाद नियुक्तिकार ने नामान्यरूप से सभी तीर्थंकरों को नमस्कार किया है । फिर वर्तमान तीर्थंके प्रणेता—प्रवर्तक भगवान् महावीर को नमस्कार किया है । तदुपरान्त महावीर के प्रमुख शिष्य एकादश गणधरों को नमस्कार करके गुरुपरपरारूप आचार्यवश और अव्यापक-परपरारूप उपाध्यायवश को नमस्कार किया है । इसके बाद आचार्य ने यह प्रतिज्ञा की है कि इन सबने श्रुत का जो अर्थ बताया है उसकी मैं नियुक्ति अर्थात् श्रुत के साथ अर्थ की योजना करता हूँ । इसके लिए निम्नांकित श्रुतग्रथों को लेता हूँ १ आवश्यक, २ दशकवैलिक, ३ उत्तराध्ययन, ४ आचाराग, ५ सूत्र-कृताग, ६ दशाश्रुतस्कन्ध, ७ कल्प (वृहत्कल्प), ८ व्यवहार, ९ सूर्यप्रज्ञप्ति, १० ऋषिभाषित ।^२

आचार्य भद्रबाहु की इन दस नियुक्तियों का रचना-क्रम भी वही होना चाहिए जिम क्रम से नियुक्ति-रचना को प्रतिज्ञा की गई है । इस कथन को पुष्टि के लिए कुछ प्रमाण^३ नीचे दिये जाते हैं —

१ उत्तराध्ययन-नियुक्ति में विनय का व्याख्यान करते समय लिखा है कि इसके विषय में पहले कह दिया गया है ।^४ यह कथन दशवैकालिक के 'विनय-समाधि' नामक अव्ययन को नियुक्ति को लक्ष्य में रखकर किया गया है । इसमें यह सिद्ध होता है कि उत्तराध्ययन-नियुक्ति के पूर्व दशवैकालिक-नियुक्ति की रचना हुई ।

२ 'कामा पुब्बुद्धिहा' (उत्तराध्ययननियुक्ति, गा २०८) में यह सूचित किया गया है कि काम के विषय में पहले विवेचन हो चुका है । यह विवेचन दशवैकालिकनियुक्ति की गा. १६१-१६३ में है । इससे भी यही बात सिद्ध होती है ।

१ आवश्यकनियुक्ति, गा. ८८ २ वही, गा ७९-८६ ३ गणधरवाद, प्रस्तावना, पृ० १५-६ ४ उत्तराध्ययननियुक्ति, गा २९.

३. आवश्यकनियुक्ति के प्रारंभ में दस नियुक्ति की रचना करने की प्रतिज्ञा की गई है। इससे यह स्वतः सिद्ध है कि सर्वप्रथम आवश्यकनियुक्ति लिखी गई। आवश्यकनियुक्ति की निह्वणववाद से सम्बन्धित प्रायः सभी गाथाएँ ज्यो की त्यो उत्तराध्ययननियुक्ति में ली गई हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि उत्तराध्ययननियुक्ति की रचना आवश्यकनियुक्ति के बाद ही हुई।

४ आचारागनियुक्ति (गा. ५) में कहा गया है कि 'आचार' और 'अग' के निक्षेप का कथन पहले हो चुका है। इससे दशवैकालिक और उत्तराध्ययन की नियुक्तियों की रचना आचारागनियुक्ति के पूर्व सिद्ध होती है क्योंकि दशवैकालिक के 'क्षुल्लिकाचार' अध्ययन की नियुक्ति में 'आचार' की तथा उत्तराध्ययन के 'चतुर्ग' अध्ययन की नियुक्ति में 'अग' शब्द की जो व्याख्या की गई है उसी का उपयुक्त उल्लेख है।

५ आचारागनियुक्ति (गा ३४६) में लिखा है कि 'भोक्ष' शब्द की नियुक्ति के अनुसार ही 'विमुक्ति' शब्द की व्याख्या है। यह कथन उत्तराध्ययन के 'भोक्ष' शब्द की नियुक्ति से सम्बन्ध रखता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि आचारागनियुक्ति से पहले उत्तराध्ययननियुक्ति की रचना हुई।

६ सूत्रकृतागनियुक्ति (गा. ९९) में कहा गया है कि 'घर्म' शब्द का निक्षेप पहले हो चुका है। यह कथन दशवैकालिकनियुक्ति की रचना सूत्रकृतागनियुक्ति के पूर्व हुई।

७ सूत्रकृतागनियुक्ति (गा १२७) में कहा गया है कि 'ग्रन्थ' का निक्षेप पहले हो चुका है। यह कथन उत्तराध्ययननियुक्ति (गा २४०) को अनुलक्षित करके है। इससे यही सिद्ध होता है कि सूत्रकृतागनियुक्ति के पूर्व उत्तराध्ययननियुक्ति की रचना हुई।

नियुक्तिकार आचार्य भद्रबाहु

भद्रबाहु नाम के एक से अधिक आचार्य हुए हैं। श्वेताम्बर-मान्यता के अनुसार चतुर्दशपूर्वधर आचार्य भद्रबाहु नेपाल में योगसाधना के लिए गए थे, जबकि दिग्म्बर-मान्यता के अनुसार यही भद्रबाहु नेपाल में न जाकर दक्षिण में गए थे। इन दो घटनाओं से यह अनुमान हो सकता है कि ये दोनों भद्रबाहु भिन्न-भिन्न व्यक्ति थे। नियुक्तियों के कर्ता भद्रबाहु इन दोनों से भिन्न एक तीसरे ही व्यक्ति हैं। ये चतुर्दशपूर्वधर भद्रबाहु न होकर विक्रम की छठी शताब्दी में विद्यमान एक अन्य ही भद्रबाहु हैं जो प्रसिद्ध ज्योतिर्विद् वराहमिहिर के सहोदर थे।

जैन मम्प्रदाय की सामान्यनया यही धारणा है कि छेदसूत्रकार तथा नियुक्तिकार दोनो भद्रबाहु एक ही है जो चतुर्दशपूर्वधर स्थविर आर्य भद्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः छेदसूत्रकार चतुर्दशपूर्वधर स्थविर आर्य भद्रबाहु और नियुक्तिकार आचार्य भद्रबाहु दो भिन्न व्यक्ति हैं।^१

दशाश्रुतस्कन्धनियुक्ति के प्रारंभ में नियुक्तिकार कहते हैं कि प्राचीन गोश्रीय, अतिम श्रुतकेवली, दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प और व्यवहार प्रणेता महर्षि भद्रबाहु को मैं नमस्कार करता हूँ।^२ इसी प्रकार का उल्लेख पञ्चकल्पनियुक्ति के प्रारंभ में भी है। इन उल्लेखों से यह निश्चय होता है कि छेदसूत्रकार के कर्ता चतुर्दशपूर्वधर अतिम श्रुतकेवली स्थविर आर्य भद्रबाहुस्वामी हैं।

छेदसूत्र तथा नियुक्तियाँ एक ही भद्रबाहु की कृतियाँ हैं, इस मान्यता के समर्थन के लिए भी कुछ प्रमाण मिलते हैं। इसमें सबसे प्राचीन प्रमाण आचार्य शीलककृत आचाराग-टीका में मिलता है।^३ इसका समय विक्रम की आठवीं शताब्दी का उत्तरार्ध अथवा नौवीं शताब्दी का प्रारंभ है। इसमें यही बताया गया है कि नियुक्तिकार चतुर्दशपूर्वविद् भद्रबाहुस्वामी हैं।

नियुक्तिकार चतुर्दशपूर्वविद् भद्रबाहुस्वामी हैं, इस मान्यता को बाधित करने वाले प्रमाण अधिक सत्रल एवं तर्कपूर्ण हैं। इन प्रमाणों की प्रामाणिकता का सबसे बड़ा आधार तो यह है कि स्वयं नियुक्तिकार अपने को चतुर्दशपूर्वधर भद्रबाहुस्वामी से भिन्न बताते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रमाण अधिक प्राचीन एवं प्रबल हैं। नियुक्तिकार भद्रबाहुस्वामी ही यदि चतुर्दशपूर्वविद् भद्रबाहुस्वामी ही तो उनकी बनाई हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित बातें नहीं मिलनी चाहिए —

१ आवश्यकनियुक्ति की ७६४ से ७७६ तक की गाथाओं में स्थविर भद्रगुप्त, आर्य सिंहगिरि, वज्रस्वामी, तोमलिपुत्राचार्य, आर्य रक्षित, फाल्गुरक्षित आदि अर्वाचीन आचार्यों में सम्बन्धित प्रसंगों का वर्णन।

२ पिण्डनियुक्ति गाथा ४९८ में पादलिप्ताचार्य का प्रसंग तथा ५०३ से ५०५ तक की गाथाओं में वज्रस्वामी के मामा आर्य समितसूरि का सम्बन्ध, ब्रह्मद्वीपिक तापसों की प्रव्रज्या और ब्रह्मद्वीपिका शाखा की उत्पत्ति का वर्णन।

१ महावीर जैन विद्यालय रजत महोत्सव ग्रंथ, पृ० १८५

२ वदामि भद्रबाहु, पाईण चरिमसगलसुयनार्णि।

सुत्तस्स कारगमिस्सि, दसासु कप्पे य ववहारे ॥ १ ॥

३ नियुक्तिकारस्य भद्रबाहुस्वामिनश्चतुर्दशपूर्वधरस्याचार्योऽस्तान्।

३. उनराज्यमननिर्मुक्ति गाथा १२० में काव्यिगाथायं ही कथा ।

४ भागवतनिर्मुक्ति की ३६१ में ३६९ अक्षरों की गाथा (में दशमस्कंध यक्षगाथी को नमस्कार ।

५ उनराज्यमन मुक्त के प्रथमस्कंध नामक अष्टमस्कंध में मन्वन्तिम एव निर्मुक्ति-गाथा है त्रिमका अक्षरों में । इसमें मन्वन्तिमिका में मन्वन्तिरु मन्ती द्वारा का अनुक्रम में वर्णन किया । अद्यत्त का मन्वन्तिरु विद्वत्त यत्न नो विन अमर्त्त केराज्ञानी ओर चतुर्दशपूर्वार्द्ध ही कर सकते हैं । यदि निर्मुक्तिनार स्वयं चतुर्दशपूर्वार्द्ध ही तो अनेक मन्त्रों द्वारा न करते ।

६ जैना कि पहले कहा जा रहा है, 'राश्वरान्तरिर्मुक्ति के प्रारम्भ में ही आचार्य लिगां ?' 'प्राचीन गोत्रीय जिनम श्रुतकेवली और दशाश्रुतमन्त्र, कल्प तथा व्यवहार के प्रणेता महर्षि भद्रवाहु को मैं नमस्कार करता हूँ । इसमें महत्त्व ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि निर्मुक्तिनार स्वयं चतुर्दशपूर्वार्द्ध भद्रवाहुगाथी होने से ही इस प्रकार ऐश्वर्यवान् ही नमस्कार न करते । इसके बाद में यदि ऐश्वर्यनार और चित्तु विचरार न ही भद्रवाहु होने तो दशाश्रुतमन्त्रनिर्मुक्ति के प्रारम्भ में ऐश्वर्यनार भद्रवाहु ही नमस्कार न किया जाता क्योंकि कोई भी नमस्कार करता है उसे आरका नमस्कार नहीं करता है ।

उपर्युक्त उल्लेखों ने यही बात सिद्ध होती है कि ऐश्वर्यनार चतुर्दशपूर्वार्द्ध श्रुतकेवली आयं भद्रवाहु और निर्मुक्तिनार आचार्य भद्रवाहु एक ही व्यक्ति न होकर निम्न-भिन्न व्यक्ति हैं । हाँ, निर्मुक्तिनों में उपलब्ध कुछ गाथाओं अत्यन्त प्राचीनतर हो सकती हैं जिनका आचार्य भद्रवाहु ने अपनी कृतियों में समावेश कर लिया हो । इसी प्रकार निर्मुक्तिनों की कुछ गाथाओं अर्वाचीन—बाद के आचार्यों द्वारा जोड़ी हुई भी हो सकती हैं ।

१. मन्वे एए दारा, मरणविभत्तोऽ वणिगया तममो ।
सगलञ्जिण पयत्थे, जिणचउददपुत्ति भासति ॥२३॥
- २ इस विषय में मुनि श्री पुण्यविजय जी ने पर्याप्त ऊहापोह किया है । वे जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं वह उन्हीं के शब्दों में यहाँ उद्धृत किया जाता है .—
बृहत्कल्प-भाष्य भा० ६ की प्रस्तावना में मैंने अनेक प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि उपलब्ध निर्मुक्तिनों के कर्ता श्रुतकेवली भद्रवाहु नहीं हैं किन्तु ज्योतिर्विद् बराहमिहिर के भ्राता द्वितीय भद्रवाहु हैं जो विक्रम की छठी शताब्दी में हुए हैं । अपने इस कथन का स्पष्टीकरण करना यहाँ

नियुक्तिकार आचार्य भद्रबाहु वाराहीसहिता के प्रणेता ज्योतिविद् बराह-मिहिर के पूर्वाश्रम के सहोदर भाई के रूप में जैन सम्प्रदाय में प्रसिद्ध हैं। ये

उचित है। जब मैं यह कहता हूँ कि उपलब्ध नियुक्तियाँ द्वितीय भद्रबाहु की हैं, श्रुतकेवली भद्रबाहु की नहीं तब इसका तात्पर्य यह नहीं कि श्रुतकेवली भद्रबाहु ने नियुक्तियों की रचना की ही नहीं। मेरा तात्पर्य केवल इतना ही है कि जिस अन्तिम सकलन के रूप में आज हमारे समक्ष नियुक्तियाँ उपलब्ध हैं वे श्रुतकेवली भद्रबाहु की नहीं हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि द्वितीय भद्रबाहु के पूर्व कोई नियुक्तियाँ थी ही नहीं। नियुक्ति के रूप में आगमव्याख्या की पद्धति बहुत पुरानी है। इसका पता हमें अनुयोगद्वारा से लगता है। वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि अनुगम दो प्रकार का होता है : सुस्ताणुगम और निज्जुत्तिअणुगम। इतना ही नहीं किन्तु नियुक्तिरूप से प्रसिद्ध गाथाएँ भी अनुयोगद्वारा में दी गई हैं। पाक्षिकमूत्र में भी सनिज्जुत्तिएँ ऐसा पाठ मिलता है। द्वितीय भद्रबाहु के पहले की गोविन्द वाचक की नियुक्ति का उल्लेख निशीथ-भाष्य व चूर्णि में मिलता है। इतना ही नहीं किन्तु वैदिक वाङ्माय में भी निरुक्त अति प्राचीन है। अतएव यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि जैनागम की व्याख्या का नियुक्ति नामक प्रकार प्राचीन है। यह सभव नहीं कि छठी शताब्दी तक आगमों की कोई व्याख्या नियुक्ति के रूप में हुई ही न हो। दिगम्बरमान्य मूलाचार में भी आवश्यक-नियुक्तिगत कई गाथाएँ हैं। इमसे भी पता चलता है कि श्वेताम्बर-दिगम्बर सम्प्रदाय का स्पष्ट भेद होने के पूर्व भी नियुक्ति की परम्परा थी। ऐसी स्थिति में श्रुतकेवली भद्रबाहु ने नियुक्तियों की रचना की है—इस परम्परा को निमूल मानने का कोई कारण नहीं है अतः यही मानना उचित है कि श्रुतकेवली भद्रबाहु ने भी नियुक्तियों की रचना की थी और बाद में गोविन्द वाचक जैसे अन्य आचार्यों ने भी। इस प्रकार क्रमशः बढ़ते-बढ़ते नियुक्तियों का जो अन्तिम रूप हुआ वह द्वितीय भद्रबाहु का है अर्थात् द्वितीय भद्रबाहु ने अपने समय तक की उपलब्ध नियुक्ति-गाथाओं का अपनी नियुक्तियों में संग्रह किया, साथ ही अपनी ओर से भी कुछ नई गाथाएँ बनाकर जोड़ दीं। यही रूप आज हमारे सामने नियुक्ति के नाम से उपलब्ध है। इस तरह क्रमशः नियुक्ति-गाथाएँ बढ़ती गईं। इसका एक प्रबल प्रमाण यह है कि दशवैकालिक की दोनों चूर्णियों में प्रथम अध्ययन की केवल ५७ नियुक्ति-गाथाएँ हैं जबकि हारिभद्र की वृत्ति में १५७ हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि द्वितीय भद्रबाहु ने नियुक्तियों

अष्टागनिमित्त और मन्त्रविद्या के पारगामी अर्थात् नैमित्तिक के रूप में भी प्रसिद्ध है। इन्होंने अपने भाई के साथ धार्मिक स्पर्धा करते हुए भद्रबाहुसंहिता तथा उपसर्गहरस्तोत्र की रचना की। अथवा यो भी कह सकते हैं कि इन्होंने इन-ग्रन्थों की रचना आवश्यक प्रतीत हुई। नियुक्तिकार तथा उपसर्गहरस्तोत्र के प्रणेता भद्रबाहु एक हैं और वे नैमित्तिक भद्रबाहु हैं, इस मान्यता की पुष्टि के लिए यह प्रमाण दिया जाता है कि आवश्यकनियुक्ति की १२५२ से १२७० तक की गाथाओं में गधर्व नागदत्त का कथानक है। इस कथानक में नाग का विष उतारने की क्रिया बताई गई है। उपसर्गहरस्तोत्र में भी 'वितहर फुल्लगमंत' इत्यादि से नाग का विष उतारने की क्रिया का ही वर्णन किया गया है। उपयुक्त नियुक्तिग्रन्थ में मन्त्रक्रिया के प्रयोग के साथ 'स्वाहा' पद का निर्देश भी मिलता है जो रचयिता के तत्सम्बन्धी प्रेम अथवा ज्ञान की ओर संकेत करता है। दूसरी बात यह है कि अष्टागनिमित्त तथा मन्त्रविद्या के पारगामी नैमित्तिक भद्रबाहु ज्योतिर्विद् वराहमिहिर के भाई के सिवाय अन्य कोई प्रसिद्ध नहीं है। इससे सहज ही में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उपसर्गहरस्तोत्रादि ग्रन्थों के रचयिता और आवश्यकादि नियुक्तियों के प्रणेता भद्रबाहु एक ही हैं।

नियुक्तिकार भद्रबाहु की नैमित्तिकता सिद्ध करने वाला एक अन्य प्रमाण भी है। उन्होंने आवश्यक आदि जिन ग्रन्थों पर नियुक्तियाँ लिखी हैं उनमें सूर्यप्रज्ञप्ति का भी समावेश है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे निमित्तविद्या में कुशल एव रुचि रखने वाले थे। निमित्तविद्या के प्रति प्रेम एव कुशलता के अभाव में यह ग्रन्थ वे हाथ में न लेते।

पञ्चसिद्धान्तिका के अन्त में शक सवत् ४२७ अर्थात् विक्रम सवत् ५६२ का उल्लेख है। यह वराहमिहिर का समय है। जब हम यह मान लेते हैं कि नियुक्तिकार भद्रबाहु वराहमिहिर के सहोदर थे तब यह स्वतः सिद्ध है कि आचार्य भद्रबाहु विक्रम की छठी शताब्दी में विद्यमान थे और नियुक्तियों का रचना-काल विक्रम सवत् ५००-६०० के बीच में है।

आचार्य भद्रबाहु ने दस नियुक्तियाँ, उपसर्गहरस्तोत्र और भद्रबाहुसंहिता— इन चारह ग्रन्थों की रचना की। भद्रबाहुसंहिता अनुपलब्ध है। आज जो भद्रबाहु-

का अन्तिम सग्रह किया उसके बाद भी उसमें वृद्धि होती रही है। इस स्पष्टीकरण के प्रकाश में यदि हम श्रुतकेवली भद्रबाहु को भी नियुक्तिकार मानें तो अनुचित न होगा।

—मुनि श्री हजारीमल स्मृति-ग्रन्थ, पृ०. ७१८-९.

१. महावीर जैन विद्यालय रजत महोत्सव ग्रन्थ, पृ १९७-८.

सहिता मिलती है वह कृत्रिम है, ऐसा विद्वानो का मत है । ओषनियुक्ति और पिण्डनियुक्ति क्रमशः आवश्यकनियुक्ति और दशवैकालिकनियुक्ति की ही अग्र-रूप है । निशीथनियुक्ति आचारागनियुक्ति का ही एक अंग है क्योंकि निशीथ-सूत्र को आचाराग की पञ्चम चूलिका के रूप में ही माना गया है ।^१



१ देखिए—आचारागनियुक्ति, गा ११ तथा गा २९७ एवं उनकी शीलाककृत वृत्ति,

द्वितीय प्रकरण

आवश्यकनिर्युक्ति

भद्रबाहुकृत दस निर्युक्तियो मे आवश्यकनिर्युक्ति^१ की रचना सर्वप्रथम हुई

१. आवश्यकनिर्युक्ति पर अनेक टीकाएँ लिखी गई है। इनमें से निम्नलिखित टीकाएँ प्रकाशित हो चुकी है.—

(अ) मलयगिरिकृत वृत्ति—(क) आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९२८-१९३२.

(ख) देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, सूरत, सन् १९३६.

(आ) हरिभद्रकृत वृत्ति—आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९१६-७.

(इ) मलघारी हेमचन्द्रकृत प्रदेशव्याख्या तथा चन्द्रसूरिकृत प्रदेशव्याख्या-टिप्पण—देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई, सन् १९२०

(ई) जिनभद्रकृत विशेषावश्यकभाष्य तथा उसकी मलघारी हेमचन्द्रकृत टीका—यशोविजय जैन ग्रन्थमाला, बनारस, वीर स २४२७-२४४१

(उ) माणिक्यशेखरकृत आवश्यकनिर्युक्ति-दीपिका—विजयदानसूरीश्वर सूरत, सन् १९३९-१९४९

(ऊ) कोट्याचार्यकृत विशेषावश्यकभाष्य-विवरण-ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर संस्था, रतलाम, सन् १९३६-७

(ऋ) जिनदासगणिमहत्तरकृत चूर्ण—ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर संस्था, रतलाम, सन् १९२८.

(ए) विशेषावश्यकभाष्य की जिनभद्रकृत स्वोपज्ञवृत्ति—ला० द० विद्या-मन्दिर, अहमदाबाद, सन् १९६६

आवश्यकनिर्युक्ति की गाथा सख्या भिन्न-भिन्न प्रतियो मे भिन्न-भिन्न प्रकार से उपलब्ध होती है। इन गाथाओ में कहीं-कहीं भाष्य की गाथाएँ भी मिली हुई प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए आवश्यकनिर्युक्तिदीपिका की १२२ से १२६ तक की गाथाएँ विशेषावश्यककोट्याचार्यवृत्ति मे नहीं है। गा. १२१ को कोट्याचार्य ने भाष्य में सम्मिलित किया है। मलयगिरिविवरण में आवश्यकनिर्युक्तिदीपिका की १२४ से १२६ तक की गाथाएँ नहीं है। इसी प्रकार अन्यत्र भी गाथाओ की सख्या, क्रम आदि मे भेद दिखाई देता है। हमने अपने लेखन, स्थलनिर्देश आदि का आधार आवश्यकनिर्युक्तिदीपिका रखा है।

है। यही कारण है कि यह नियुक्ति सामग्री, शैली आदि सभी दृष्टियों से अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसमें अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों का विस्तृत एवं व्यवस्थित व्याख्यान किया गया है। आगे की नियुक्तियों में पुनः उन विषयों के आने पर संक्षिप्त व्याख्या करके आवश्यकनियुक्ति की ओर संकेत कर दिया गया है। इस दृष्टि से दूसरी नियुक्तियों के विषयों को ठीक तरह से समझने के लिए इस नियुक्ति का अध्ययन आवश्यक है। जब तक आवश्यकनियुक्ति का अध्ययन न किया जाय, अन्य नियुक्तियों का अर्थ समझने में कठिनाइयाँ होती हैं।

आवश्यकसूत्र का जैन आगम-ग्रन्थों में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसमें छः अध्ययन हैं। प्रथम अध्ययन का नाम सामायिक है। शेष पाँच अध्ययनों के नाम चतुर्विंशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान हैं। आवश्यकनियुक्ति इसी सूत्र की आचार्य भद्रबाहुकृत प्राकृत पद्यात्मक व्याख्या है। इसी व्याख्या के प्रथम अंश अर्थात् सामायिक-अध्ययन से सम्बन्धित नियुक्ति की विस्तृत व्याख्या आचार्य जिनभद्र ने की है। जो विशेषावश्यकभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इस भाष्य की भी अनेक व्याख्याएँ हुई हैं। इन व्याख्याओं में स्वयं जिनभद्रकृत व्याख्या भी है। मलधारी हेमचन्द्रकृत व्याख्या विशेष प्रसिद्ध है।

उपोद्घात .

आवश्यकनियुक्ति के प्रारम्भ में उपोद्घात है। इसे ग्रन्थ की भूमिका के रूप में समझना चाहिए। भूमिका के रूप में होते हुए भी इसमें ८८० गाथाएँ हैं।

ज्ञानाधिकार :

उपोद्घातनियुक्ति की प्रथम गाथा में पाँच प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं - आभिनिबोधिक, श्रुत, अवधि, मन पर्यय और केवल। ये पाँचों प्रकार के ज्ञान मंगलरूप हैं अतः इस गाथा से मंगलगाथा का प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है, ऐसा बाद के टीकाकारों का मन्तव्य है। आभिनिबोधिक ज्ञान के संक्षेप में चार भेद किए गए हैं - अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। इनमें से प्रत्येक का काल-प्रमाण क्या है, यह बताते हुए आगे कहा गया है - अवग्रह की मर्यादा एक समय है, ईहा और अवाय अन्तर्मुहूर्त तक रहते हैं, धारणा की कालमर्यादा सख्येय समय, असख्येय समय और अन्तर्मुहूर्त है। अविच्युति और स्मृतिरूप धारणा अन्तर्मुहूर्त तक रहती है, वासना व्यवृत्तविशेष की आयु एवं तदावरणकर्म के क्षयोपशम की विशेषता के कारण सख्येय अथवा असख्येय समय तक बनी रहती है।^१

आभिनियोगिक ज्ञान की निम्नलिखित पाँच इन्द्रियों में से श्रोत्रेन्द्रिय स्पृष्ट शब्द का ग्रहण करती है, चक्षुःन्द्रिय अस्पृष्ट रस का देखती है, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय उदस्पृष्ट अर्थात् गन्धद्रव्यस्पृष्ट विषयों का ज्ञान करती है।^१ इस कथन में उन दासजनों की मान्यता का स्पष्टन भी हो जाता है जो शब्द को मूर्त न मानकर अमूर्त आकाश का गुण मानती है तथा चक्षुरिन्द्रिय को प्राप्यकारी मानती है। आगे की कुछ गायाम्रो में शब्द और भाषा के स्वरूप का वर्णन किया गया है।

आभिनियोगिक ज्ञान के निम्नलिखित पर्यायशब्द दिए गए हैं। ईहा, अर्थाह, विमर्ष, मार्गणा, गवेयणा, गंज्ञा, स्मृति, मति और प्रज्ञा।^२ इसके बाद आचार्य ने मत्पदप्ररूपणा में गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कर्माय, लक्ष्या, मन्वन्व, शान, दर्शन, मगत, उपयोग, आहार, भावक, परीक्षा, पर्यायक, मूढम, मज्ञा, भय और चरम इन नवीं शारों—दृष्टियों में आभिनियोगिक ज्ञान के स्वरूप की चर्चा हा मकती है, इनको आगे मकेन किया है।^३ यहाँ तक आभिनियोगिक ज्ञान की चर्चा है। इसके बाद श्रुतज्ञान का चर्चा प्रारम्भ होती है।

लोक में जिनने भी अक्षर है और उनके जिनने भी मयुक्त रूप धन मकने है उनमें ही श्रुतज्ञान के भेद है। ऐसी स्थिति में यह समझ ली कि श्रुतज्ञान के सभी भेदों का वर्णन हो गये। यह स्वोक्तार करने हुए नियुक्तिज्ञान ने केवल चौदह प्रकार के निशेष में श्रुतज्ञान का विचार किया है। चौदह प्रकार के श्रुतनिशेष इस प्रकार हैं : अक्षर, मज्ञा, मन्वक्, मादिक, सपर्यवसिन, गमिक, अप्रशिष्ट, अनक्षर, अमज्ञा, मिव्या, अनादिक, अपर्यवसिन, अगमिक और अगवाहा।^४

अवधिज्ञान का स्वरूप बताते हुए कहा गया है कि अवधिज्ञान की सम्पूर्ण प्रकृतियाँ अर्थात् भेद तो अमरूप हैं किन्तु सामान्यतया इसके भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय ये दो भेद हो सकते हैं। इसके अनिश्चय अवधिज्ञान का चौदह प्रकार के निशेष से भी विचार हो सकता है। ये चौदह निशेष इस प्रकार हैं स्वरूप, क्षेत्र, सस्थान, आनुगामिक, अवस्थित, चल, तोत्रमन्द, प्रतिपातोत्पाद, ज्ञान, दर्शन, विभग, देश, क्षेत्र और गति। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भय और भाय—इन सात निशेषों से भी अवधिज्ञान की चर्चा हो सकती है।^५ इनका निर्देश करने के बाद आचार्य ने इन निशेषों का विस्तार से विचार किया है।^६ पाँच प्रकार के ज्ञान की स्वरूप-चर्चा में इतना अधिक विस्तार अवधिज्ञान को चर्चा का ही है।

१ गा० ५. २ गा० १२. ३. गा० १३-५ ४. गा० १७-९.

५. गा० २५-९. ६. गा० ३०-७५.

मन द्वारा चिन्तित अर्थ का मात्र आत्मसापेक्ष ज्ञान मन पर्ययज्ञान है। यह मनुष्यक्षेत्र तक सीमित है, गुणप्रात्ययिक है तथा चारित्रवानो की सम्पत्ति है।^१

सब द्रव्यो और उनको समस्त पर्यायो का सर्वकालभावी तथा अप्रतिपाती ज्ञान केवलज्ञान है। इममे किसी प्रकार का तारतम्य नहीं होता अतः यह एक ही प्रकार का है।^२

सामायिक ·

केवलज्ञानी जिस अर्थ का प्रतिपादन करता है और जो शास्त्रो मे वचनरूप से सगृहीत है वह द्रव्यश्रुत है। इस प्रकार के श्रुत का ज्ञान भावश्रुत है। प्रस्तुत अधिकार श्रुतज्ञान का है क्योंकि श्रुतज्ञान मे ही जीव आदि पदार्थ प्रकाशित होते हैं। इतना ही नहीं अपितु मति आदि जानो का प्रकाशक भी श्रुतज्ञान ही है।^३

इतनी पीठिका—भूमिका वाँवने के बाद नियुक्तिकार सामान्यरूप से सभी तीर्थङ्करो को नमस्कार करते हैं। इमके बाद भगवान् महावीर को विशेषरूप से नमस्कार करते हैं। महावीर के बाद उनके गणवर, शिष्य-प्रशिष्य आदि को नमस्कार करते हैं। इतना करने के बाद यह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं भी इन सबने श्रुत का जो अर्थ बताया है उसको नियुक्ति अर्थात् सक्षेप मे श्रुत के साथ उसी अर्थ की योजना करता हूँ। इसके लिए आवश्यकदि दस सूत्र-ग्रन्थो का आधार लेता हूँ।^४ आवश्यकनियुक्ति मे भी सर्वप्रथम सामायिकनियुक्ति की रचना करूँगा क्योंकि यह गुरु परम्परा मे उपदिष्ट है।^५ सम्पूर्ण श्रुत के आदि मे सामायिक है और अन्त मे बिन्दुसार है। श्रुतज्ञान अपने आप मे पूर्ण एव अन्तिम लक्ष्य है, ऐसी बात नहीं। श्रुतज्ञान का सार चारित्र है। चारित्र का सार निर्वाण अर्थात् मोक्ष है^६ और यही हमारा अन्तिम लक्ष्य है।

जैन आगम-ग्रन्थो मे आचाराग सर्वप्रथम माना जाता है किन्तु यहाँ आचार्य भद्रबाहु सामायिक को सम्पूर्ण श्रुत के आदि मे रखते हैं, ऐसा क्यों ? इसका कारण यह है कि श्रमण के लिए सामायिक का अध्ययन सर्वप्रथम अनिवार्य है। सामायिक का अध्ययन करने के बाद ही वह दूसरे ग्रन्थो का अध्ययन करता है, क्योंकि चारित्र का प्रारम्भ ही सामायिक से होता है। चारित्र की पाँच भूमिकाओ में प्रथम भूमिका सामायिकचारित्र की है। आगमग्रन्थो में भी जहाँ भगवान् महावीर के श्रमणो के श्रुताध्ययन की चर्चा है वहाँ अनेक जगह अगग्रन्थो के आदि मे सामायिक के अध्ययन का निर्देश है।

१ गा० ७६ २ गा० ७७ ३ गा० ७८-९. ४ गा० ८०-८६

५ गा० ८७ ६ गा० ९३.

ज्ञान और चारित्र के पारस्परिक सम्बन्ध की चर्चा करते हुए आचार्य ने यही सिद्ध किया है कि मुक्ति के लिए ज्ञान और चारित्र दोनों अनिवार्य हैं। ज्ञान और चारित्र के सतुलित समन्वय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। चारित्र-विहीन ज्ञान और ज्ञानविहीन चारित्र एक-दूसरे से बहुत दूर बैठे हुए अन्धे और लगड़े के समान हैं जो एक-दूसरे के अभाव में अपने अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुँच सकते।^१

इसके बाद आचार्य यह बताते हैं कि सामायिक का अधिकारी कौन हो सकता है? इस बहाने वस्तुतः उन्होंने श्रुतज्ञान के अधिकारी का ही वर्णन किया है। वह क्रमशः किस प्रकार विकास करता है, उसके कर्मों का किस प्रकार क्षय, उपशम अथवा क्षयोपशम होता है, वह किस प्रकार केवलज्ञान प्राप्त करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है आदि प्रश्नों का उपशम और क्षपकश्रेणी के विस्तृत वर्णन द्वारा समाधान किया है।^२ आचार्य का अभिप्राय यही है कि सामायिक-श्रुत का अधिकारी ही क्रमशः मोक्ष का अधिकारी बनता है।

जब मोक्ष की प्राप्ति के लिए सामायिक-श्रुत का अधिकार आवश्यक है। तब तीर्थङ्कर बनने के लिए तो वह आवश्यक है ही क्योंकि तीर्थङ्कर का अन्तिम लक्ष्य भी मोक्ष ही है। जो सामायिक-श्रुत का अधिकारी होता है वही क्रमशः विकास करता हुआ किसी समय तीर्थङ्कररूप से उत्पन्न होता है। प्रत्येक तीर्थङ्कर अपने समय में सर्वप्रथम श्रुत का उपदेश देता है और वही श्रुत आगे जाकर सूत्र का रूप धारण करता है। तीर्थङ्करोपदिष्ट श्रुत को जिन-प्रवचन भी कहते हैं। आचार्य भद्रबाहु ने प्रवचन के निम्न पर्याय दिये हैं प्रवचन, श्रुत, धर्म, तीर्थ और मार्ग। सूत्र, तन्त्र, ग्रन्थ, पाठ और शास्त्र एकार्थक हैं। अनुयोग, नियोग, भाष्य, विभाषा और वार्तिक पर्यायवाची हैं।^३ आगे आचार्य ने अनुयोग और अननुयोग का निक्षेपविधि से वर्णन किया है।^४ इसके बाद भाषा, विभाषा और वार्तिक का भेद स्पष्ट किया है। साथ ही व्याख्यानविधि का निरूपण करते हुए आचार्य और शिष्य की योग्यता का नाप-दण्ड बताया है।^५ इसके बाद आचार्य अपने मुख्य विषय सामायिक का व्याख्यान प्रारम्भ करते हैं तथा व्याख्यान की विधिरूप निम्नलिखित बातों का निर्देश करते हैं.—^६

१. उद्देश अर्थात् विषय का सामान्य कथन, २ निर्देश अर्थात् विषय का विशेष कथन, ३ निर्गम अर्थात् व्याख्येय वस्तु का उद्भव, ४ क्षेत्र अर्थात्

१. गा० ९४-१०३ २. गा० १०४-१२७

३. गा० १३०-१ ४. गा० १३२-४

५. गा० १३५-९ ६. गा० १४०-१.

देश-चर्चा, ५ काल अर्थात् समय-चर्चा, ६ पुरुष अर्थात् तदाधारभूत व्यक्ति की चर्चा, ७ कारण अर्थात् माहात्म्य-चर्चा, ८ प्रत्यय अर्थात् श्रद्धा की चर्चा, ९ लक्षण-चर्चा, १० नय-चर्चा, ११ समवतार अर्थात् नयो की अवतारणा-चर्चा, १२. अनुमत अर्थात् व्यवहार और निश्चयनय की दृष्टि से विचार, १३ किं अर्थात् स्वरूप-विचार, १४ भेद-विचार, १५ सम्बन्ध-विचार, १६ स्थान-विचार, १७ अधिकरण-विचार, १८ प्राप्ति-विचार, १९ स्थिति-विचार, २० स्वामित्व-विचार, २१ विरहकाल-विचार, २२ अविरहकाल-विचार, २३. भव-विचार, २४ प्राप्तिकाल-सख्या-विचार, २५ क्षेत्र-स्पर्शन-विचार, २६ निरुक्ति ।

ऋषभदेव-चरित्र :

उद्देश और निर्देश की निक्षेपविधि से चर्चा होने के बाद निर्गम की चर्चा प्रारम्भ होती है । निर्गम की चर्चा करते समय आचार्य यह बताते हैं कि भगवान् महावीर का मिथ्यात्वादि से निर्गम अर्थात् निकलना कैसे हुआ ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् महावीर के पूर्वभवों की चर्चा प्रारम्भ होती है । इतना ही नहीं अपितु इसी से भगवान् ऋषभदेव के युग से भी पहले होने वाले कुलकरो की चर्चा प्रारम्भ हो जाती है । इसमें उनके पूर्वभव, जन्म, नाम, शरीर-प्रमाण, सहनन, सस्थान, वर्ण, स्त्रियाँ, आयु, विभाग, भवनप्राप्ति, नीति—इन सब का संक्षिप्त विवरण है । अन्तिम कुलकर नाभि थे जिनकी पत्नी मरुदेवी थी । उन्हीं के पुत्र का नाम ऋषभदेव है ।^१ ऋषभदेव के अनेक पूर्वभवों का वर्णन करने के बाद नियुक्ति-कार ने बताया है कि बीस कारणों से ऋषभदेव ने अपने पूर्वभव में तीर्थङ्कर नामकर्म बाँधा था ।^२ ये बीस कारण इस प्रकार हैं —^३

१ अरिहत, २ सिद्ध, ३ प्रवचन, ४ गुरु, ५ स्थविर, ६ बहुश्रुत, ७ तपस्वी—इनके प्रति वत्सलता, ८ ज्ञानोपयोग, ९ दर्शन-सम्यक्त्व, १० विनय, ११ आवश्यक, १२ शीलव्रत—इनमें अतिचार का अभाव, १३ क्षणलवादि के प्रति संवेगभावना, १४ तप, १५ त्याग, १६ वैयावृत्य, १७ समाधि १८ अपूर्वज्ञानग्रहण, १९ श्रुतभक्ति और २० प्रवचन-प्रभावना ।

इसके बाद भगवान् ऋषभदेव की जीवनी से सम्बन्ध रखने वाली निम्नोक्त घटनाओं का वर्णन है जन्म, नाम, वृद्धि, जातिस्मरणज्ञान, विवाह, अपत्य, अभिषेक, राज्यसग्रह । इन घटनाओं के साथ ही साथ उस युग के आहार, शिल्प, कर्म, ममता, विभूषणा, लेख, गणित, रूप, लक्षण,

नीति, युद्ध, इषुशास्त्र, उपासना, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, वन्य, घात, ताडन, यज्ञ, उत्सव, समवाय, मगल, कौतुक, वस्त्र, गन्त्र, माल्य, अलंकार, चूला, उपनयन, विवाह, दत्ति, मृतपूजना, ध्यापना, स्तूप, शब्द, खेलापन, पृच्छना—इन चालीस विषयों की ओर भी संकेत किया गया है।^१ इनके निर्माता अर्थात् प्रवर्तक के रूप में ऋषभदेव का नाम आता है।

ऋषभदेव के जीवन-चरित्र के साथ ही साथ अन्य सभी तीर्थंकरों के चरित्र की ओर भी थोड़ा-सा संकेत किया गया है तथा सम्बोवन, परित्याग, प्रत्येक, उपधि, अन्यलिङ्ग—कुलिङ्ग, ग्राम्याचार, परोपह, जोवादितत्वोपलम्भ, प्राग्भव-श्रुतलाभ, प्रत्याख्यान, समय, छद्मस्थकाल, तप-कर्म, ज्ञानोत्पत्ति, साधुसाध्वी-संग्रह, तीर्थ, गण, गणघर, घर्मोपायदेगक, पर्यायकाल, अन्तक्रिया—मुक्ति इन इक्कीस द्वारों से^२ उनके जीवन-चरित्र की तुलना की गई है।

इसके बाद नियुक्तिकार यह बताते हैं कि सामायिक-अध्ययन की चर्चा के साथ इन सब बातों का वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी? सामायिक के निर्गमद्वार की चर्चा के समय भगवान् महावीर के पूर्वभव की चर्चा का प्रसंग आया जिसमें उनके मरीचिजन्म की चर्चा आवश्यक प्रतीत हुई। इसी प्रसंग से भगवान् ऋषभदेव की चर्चा भी की गई क्योंकि मरीचि को उत्पत्ति ऋषभदेव से है^३ (मरीचि ऋषभदेव का पोत्र था)। इस प्रकार पुनः ऋषभदेव का चरित्र प्रारम्भ होता है। दोक्षा के समय से लेकर वर्षान्त तक पहुँचते हैं और भिक्षालाभ का प्रसंग आता है। इस प्रसंग पर चौबीस तीर्थंकरों के पारणो—उपवास के उपरान्त सर्वप्रथम भिक्षालाभों का वर्णन है। उन्हें जिन नगरों में भिक्षालाभ हुआ उनके नाम ये हैं हस्तिनापुर, अयोध्या, श्रावस्तो, साकेत, विजयपुर, ब्रह्मस्थल, पाटलिखण्ड, पद्मखण्ड, श्रेयपुर, रिष्टपुर, सिद्धार्थपुर, महापुर, धान्यकर, वर्धमान, सोमनस, मन्दिर, चक्रपुर, राजपुर, मिथिला, राजगृह, वीरपुर, द्वारवती, कूपकट, कोल्लाकग्राम। जिन लोगों के हाथ से भिक्षालाभ हुआ, उनके नाम भी इसी प्रकार गिनाए गए हैं तथा उससे होने वाले लाभ का भी वर्णन किया गया है।^४

ऋषभदेव-चरित्र को आगे बढ़ाते हुए नियुक्तिकार कहते हैं कि बाहुबलि ने भगवान् ऋषभदेव की स्मृति में घर्मचक्र की स्थापना की। ऋषभदेव एक सहस्र वर्ष पयन्त छद्मस्थपर्याय में विचरते रहे। अन्त में उन्हें केवलज्ञान हुआ।

१ गा० १८५-२०६ २. गा० २०९-३१२ ३ गा० ३१३

४. गा० ३२३-३३४

इसके बाद उन्होंने पञ्च-महाव्रत की स्थापना की। जिस दिन ऋषभदेव की केवलज्ञान की प्राप्ति हुई उसी दिन भरत की आयुधशाला में चक्ररत्न भी उत्पन्न हुआ। भरत को ये दोनों समाचार मिले। भरत ने सोचा कि पहले कहीं पहुँचना चाहिए? पिता की उपकारिता को दृष्टि में रखते हुए पहले वे भगवान् ऋषभदेव के पास पहुँचे और उनकी पूजा की। ऋषभदेव की माता मरुदेवी एवं पुत्र-पुत्री-पौत्रादि सभी उनके दर्शन करने पहुँचे। भगवान् का उपदेश सुनकर उनमें से कश्यप को वैराग्य हुआ और उन्होंने भगवान् के पाम दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा लेने वालों में भगवान् महावीर के पूर्वभव का जीव मरीचि भी था।^१

ऋषभदेव के ज्येष्ठपुत्र भरत ने देश-विजय की यात्रा प्रारम्भ की। अपने छोटे भाइयों से अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। उन्होंने भगवान् ऋषभदेव के सम्मुख यह समस्या रखी। भगवान् ने उन्हें उपदेश दिया जिसे सुनकर वाहुवलि के अतिरिक्त सभी भाइयों ने दीक्षा ले ली। वाहुवलि ने भरत को युद्ध के लिए बाह्यान किया। सेना की सहायता न लेते हुए दोनों ने अकेले ही आपस में लड़ना स्वीकार किया। अन्त में वाहुवलि को इस अधम-युद्ध में वैराग्य हो गया और उन्होंने भी दीक्षा ले ली।^२

इसके बाद आचार्य यह बताते हैं कि मरीचि ने किस प्रकार परीपहो से घबडाकर त्रिदण्डी संप्रदाय की स्थापना की, भरत ने समवसरण में भगवान् ऋषभदेव से जिन और चक्रवर्ती के विषय में पूछा और भगवान् ने किस प्रकार जिन, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव आदि के विषय में विस्तृत विवेचन किया आदि। भरत ने भगवान् से प्रश्न किया कि क्या हम सभा में भी कोई भावी तीर्थंकर है? भगवान् ने ध्यानस्थ परिव्राजक म्वपीत्र मरीचि की ओर सकेत किया और कहा कि यह वीर नामक अन्तिम तीर्थंकर होगा तथा अपनी नगरी में आदि वासुदेव त्रिपृष्ठ एवं विदेह क्षेत्र में मूका नगरी में प्रियमित्र नाम का चक्रवर्ती होगा। यह सुनकर भरत भगवान् ऋषभदेव को नमस्कार करके मरीचि को नमस्कार करने जाते हैं। नमस्कार करके कहते हैं कि मैं इस परिव्राजक मरीचि को नमस्कार नहीं कर रहा हूँ अपितु भावी तीर्थंकर वीरप्रभु को नमस्कार कर रहा हूँ। यह सुनकर मरीचि गर्व से फूल उठता है और अपने कुल की प्रशंसा के पुल बाँधने लगता है।^३

इसके बाद नियुक्तिकार भगवान् के निर्वाण-मोक्ष का प्रसंग उपस्थित करते हैं। भगवान् विचरते-विचरते अष्टापद पर्वत पर पहुँचते हैं जहाँ उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण के बाद उनके लिए चिता बनाई जाती है और

वाद में उसी स्थान पर स्तूप और जिनालय भी बनते हैं। इसके बाद अँगूठी के गिरने से भरत को आदर्श-गृह अर्थात् शीशमहल में कैसे वैराग्य हुआ और उन्होंने किस प्रकार दीक्षा ग्रहण की आदि बातों का विवरण है।^१ भगवान् ऋषभदेव के निर्वाण के पूर्व मरोचि स्वयं किसी को दीक्षा नहीं देता था अपितु दीक्षार्थियों को अन्य साधुओं को सौंप देता था और अपनी दुर्बलता स्वीकार करता हुआ भगवान् के धर्म का ही प्रचार करता था किन्तु अब यह बात न रही। उसने कपिल को अपने ही हाथों दीक्षा दी और कहा कि मेरे मत में भी धर्म है। इस प्रकार के दुर्वचन के परिणामस्वरूप वह कोटा-कोटि सागरोपम तक संसार-सागर में भटका और कुलमद के कारण नीच गोत्र का भी बन्धन किया।^२

महावीर-चरित्र .

अनेक भवों को पार करता हुआ मरोचि अन्त में ब्राह्मणकुण्डग्राम में कोडालमगोत्र ब्राह्मण के घर देवानन्दा की कुक्षि में आया।^३ यही से भगवान् महावीर का जीवन-चरित्र प्रारम्भ होता है। उनके जीवन से सम्बन्ध रखने वाली निम्नलिखित तेरह घटनाओं का निर्देश आवश्यकनियुक्ति में मिलता है - स्वप्न, गर्भापहार, अभिग्रह, जन्म, अभिवेक, वृद्धि, जातिस्मरणज्ञान, भयोत्पादन, विवाह, अपत्य, दान, सम्बोध और महाभिनिष्क्रमण।^४ देवानन्दा ने गज, वृषभ, सिंह आदि चौदह प्रकार के स्वप्न देखे। हरिनैगमेषी द्वारा गर्भ परिवर्तन किया गया और नई माता त्रिशला ने भी वे ही चौदह स्वप्न देखे। गर्भवास के सातवें मास में महावीर ने यह अभिग्रह-प्रतिज्ञा-दृढ निश्चय किया कि मैं माता-पिता के जीवित रहते श्रमण नहीं बनूँगा। तीस मास और सात दिन बीतने पर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को पूर्वाह्निके समय कुण्डग्राम में महावीर का जन्म हुआ। देवों द्वारा रत्नवर्षा से जन्माभिवेक किया गया।^५ महावीर ने माता-पिता के स्वर्गगमन के बाद श्रमणधर्म अंगीकार किया।^६ इस अवस्था में उन्हें अनेक परीषह सहन करने पड़े। गोप आदि द्वारा उन्हें अनेक कष्ट दिए गए।^७ जीवन-यात्रा के लिए उन्होंने ये प्रतिज्ञाएँ की - १ जिस घर में रहने से गृह-स्वामी को अप्रीति हो उस घर में नहीं रहना, २ प्रायः कायोत्सर्ग में रहना, ३ प्रायः मीन रहना, ४ भिक्षा पात्र में न लेकर हाथ में ही लेना, ५ गृहस्थ को वन्दना-नमस्कार नहीं करना।^८ इन प्रतिज्ञाओं का पूर्णरूप से पालन करते हुए भगवान् महावीर अनेक स्थानों में श्रमण

१ गा० ४३३-७ २ गा० ४३८-४४० ३ गा० ४५८.

४ गा० ४५९ ५. ये गाथाएँ मूल नियुक्ति की नहीं हैं। ६ गा० -

४६०-१ ७ गा० ४६२ ८ गा० ४६३-४

करते रहे। अन्त में उन्हें जृम्भिकाग्राम के बाहर ऋजुवालुका नदी के किनारे वैयावृत्य चैत्य के पास में श्यामाक गृहपति के क्षेत्र में शाल वृक्ष के नीचे पष्ठतप के दिन उत्कुटुकावस्था में केवलज्ञान की प्राप्ति हुई।^१

केवलज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान् मध्यमा पापा के महसेन उद्यान में पहुँचे। वहाँ पर द्वितीय समवसरण हुआ और उन्हें घर्मवरचक्रवर्तित्व की प्राप्ति हुई। इसी स्थान पर सोमिलार्थ नामक ब्राह्मण की दीक्षा के अवसर पर (यज्ञ के समय) विशाल जनसमूह एकत्र हुआ था। यज्ञपाट के उत्तर में एकान्त में देवदानवेन्द्र भगवान् महावीर का महिमा-गान कर रहे थे। दिव्यध्वनि से चारों दिशाएँ गुँज रही थी। समवसरण की महिमा का पार न था। दिव्यध्वनि सुनकर यज्ञवाटिका में बैठे हुए लोगो को बहुत आनन्द का अनुभव हो रहा था। वे सोच रहे थे कि हमारे यज्ञ से आकर्षित होकर देव दौड़े आ रहे हैं।^२ इसी यज्ञवाटिका में भगवान् महावीर के भावी गणधर भी आये हुए थे जिनकी सख्या ग्यारह थी। उनके नाम ये हैं १ इन्द्रभूति, २ अग्निभूति, ३ वायुभूति, ४ व्यक्त, ५ सुघर्मा, ६ मडिक, ७ मौर्यपुत्र, ८ अकपित, ९ अचलभ्राता, १० मेलार्थ, ११ प्रभास।^३ उनके मन में विविध शकाएँ थी जिनका भगवान् महावीर ने सतोपप्रद समाधान किया। अन्त में उन्होंने भगवान् से दीक्षा ग्रहण की और उनके प्रमुख शिष्य—गणधर हुए। उनके मन में क्रमशः निम्नलिखित शकाएँ थीं १ जीव का अस्तित्व, २ कर्म का अस्तित्व, ३ जीव और शरीर का अभेद, ४ भूतो का अस्तित्व, ५ इहभव-परभवसादृश्य, ६ बध-मोक्ष, ७ देवो का अस्तित्व, ८ नरक का अस्तित्व, ९ पुण्य-पाप, १० परलोक की मत्ता, ११ निर्वासिद्धि। जब यज्ञवाटिका के लोगो को यह मालूम हुआ कि देवतासमूह हमारे यज्ञ से आकर्षित होकर नहीं आ रहा है अपितु जिनेन्द्र भगवान् महावीर की महिमा से खिच कर दौड़ा आ रहा है तब अभिमानी इन्द्रभूति अमर्ष के माथ भगवान् के पास पहुँचा। ज्योही इन्द्रभूति भगवान् के समीप पहुँचा त्यों ही भगवान् ने उसे नाम लेकर सम्बोधित किया और उसके मन की शका सामने रखी और उसका समाधान किया जिसे सुनकर इन्द्रभूति का सगय दूर हुआ और वह अपने ५०० शिष्यों के साथ भगवान् के पास दीक्षित हो गया। इसी प्रकार अन्य गणधरो ने भी क्रमशः भगवान् से दीक्षा ली।^४ इन गणधरो के जन्म, गोत्र, माता-पिता आदि की ओर भी आचार्य ने सकेत किया है।^५

क्षेत्र-कालादि द्वार

निर्गमद्वार की चर्चा के प्रसंग से भगवान् ऋषभदेव और महावीर के जीवन-

१ गा० ५२७ २ गा० ५४०-५९२ ३ गा० ५९४-५

४ गा० ५९७. ५ गा० ५९९-६४२ ६ गा० ६४३-६६०.

चरित्र का संक्षिप्त चित्रण करने के बाद नियुक्तिकार ने क्षेत्र-काल आदि शेष द्वारों का वर्णन किया है। सामायिक का प्रकाश जिनेन्द्र भगवान् महावीर ने वैशाख शुक्ला एकादशी के दिन पूर्वाह्न के समय महसेन उद्यान में किया अतः इस क्षेत्र और काल में सामायिक का साक्षात् निर्गम है। अन्य क्षेत्र और काल में सामायिक का परंपरागत निर्गम है।^१ इसके बाद पुरुष तथा कारणद्वार का वर्णन है। कारणद्वार की चर्चा करते समय ससार और मोक्ष के कारणों की भी चर्चा की गई है। इसके पश्चात् यह बताया गया है कि तीर्थंकर व्योमकर मामायिक-अध्ययन का उपदेश देते हैं तथा गणधर उस उपदेश को किमलिए सुनते हैं।^२ इससे आगे प्रत्यय अर्थात् श्रद्धाद्वार की चर्चा है। लक्षणद्वार में वस्तु के लक्षण की चर्चा की गई है। नयद्वार में सात मूल नयों के नाम तथा लक्षण दिए गए हैं तथा यह भी बताया गया है कि प्रत्येक नय के सैकड़ों भेद-प्रभेद हो सकते हैं।^३ जिनमत में एक भी मूत्र अथवा उसका अर्थ ऐसा नहीं है जिसका नयदृष्टि के बिना विचार हो सकता हो। इसलिए नयविशारद का यह कर्त्तव्य है कि वह श्रोता की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए नय का कथन करे। तथापि इस समय कालिक श्रुत में नयावतारणा (समवतार) नहीं होती है। ऐसा क्यों? इसका समाधान करते हुए नियुक्तिकार कहते हैं कि पहले कालिक का अनुयोग अपृथक् था किन्तु आर्य वज्र के बाद कालिक का अनुयोग पृथक् कर दिया गया।^४ इस प्रसंग को लेकर आचार्य ने आर्य वज्र के जीवन-चरित्र की कुछ घटनाओं का उल्लेख किया है और अन्त में कहा है कि आर्य रक्षित ने चार अनुयोग पृथक् किये।^५ इसके बाद आर्य रक्षित का जीवन-चरित्र भी संक्षेप में दे दिया गया है।^६ आर्य रक्षित का मातुल गोष्ठा-माहिल सप्तम निह्लव हुआ। भगवान् महावीर के शासन में उस समय तक छ निह्लव और हो चुके थे। सातों निह्लवों के नाम इस प्रकार हैं १. जमालि, २ तिष्यगुप्त, ३ आपाढ, ४ अश्वमित्र, ५ गगसूरि, ६ पडुलक, ७ गोष्ठा माहिल। इनके मत क्रमशः ये हैं . १ बहुरत, २ जीवप्रदेश, ३ अव्यवत, ४ समुच्छेद, ५ द्विक्रिया, ६ त्रिराशि, ७ अवद्ध।^६

इसके बाद आचार्य अनुमत द्वार का व्याख्यान करते हैं और फिर सामायिक के स्वरूप की चर्चा प्रारंभ करते हैं। नयदृष्टि से सामायिक की चर्चा करने के बाद उसके तीन भेद करते हैं : सम्यक्त्व, श्रुत और चारित्र।^७ समय, नियम और तप में जिमकी आत्मा रमण करती है वही सामायिक का सच्चा अधिकारी है। जिसके-

१ गा० ७३५ २ गा० ७३७-७६०

३ गा० ७६४ ४ गा० ७७५. ५ गा० ७७६-७

६. गा० ७७९-७८१ ७. गा० ७९०-७.

चित्त में प्राणिमात्र के प्रति नम्रभाव है वही सामायिक में स्थित है ।^१ इसी प्रकार शेष द्वारो की भी नियुक्तिनकार ने मक्षेप में व्याख्या की है ।^२ इन द्वारो की व्याख्या के साथ उपोद्घातनियुक्ति नमाप्त हो जाती है ।

उपोद्घात का यह विस्तार केवल आवश्यकनियुक्ति के लिए ही उपयोगी नहीं है । इसकी उपयोगिता वास्तव में सभी नियुक्तियों के लिए है । इसमें वर्णित भगवान् ऋषभदेव और महावीर के जीवन-चरित्र एवं तत्संबद्ध अन्य तथ्य प्राचीन जैन इतिहास एवं मस्त्रुति पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं । जैन आचार और विचार को रूपरेखा नमस्त्रुने के लिए यह अश बहुत उपयोगी है । इसके बाद आचार्य नमस्कार का व्याख्यान करते हैं ।

नमस्कार .

सामायिकनियुक्ति की नूत्रम्पर्शा व्याख्या का प्रारंभ यही में होता है । इसके पूर्व सामायिक मस्त्रुन्धो अन्य ज्ञातव्य बातों का विवरण दिया गया है । सामायिक-सूत्र के प्रारंभ में नमस्कार मन्त्र आता है अतः नमस्कार को नियुक्ति के रूप में आचार्य उत्पत्ति निक्षेप, पद, पदार्थ, प्ररूपणा, वस्तु, आक्षेप, प्रमिद्धि, क्रम, प्रयोजन और फल—इन ग्यारह द्वारो में नमस्कार की चर्चा करते हैं ।^३ उत्पत्ति आदि द्वारो का उनके भेद-प्रभेदों के साथ अति विस्तृत विवेचन किया गया है । यहाँ उनके कुछ महत्त्वपूर्ण अशों का परिचय दिया जाता है ।

जहाँ तक नमस्कार की उत्पत्ति का प्रश्न है, वह उत्पन्न भी है और अनुत्पन्न भी है, नित्य भी है और अनित्य भी है । नयदृष्टि में विचार करने पर स्याद्वादियों के मत में इसमें किमी प्रकार का विरोध नहीं है ।^४ नमस्कार में चार प्रकार के निक्षेप हैं : नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव । पद के पाँच प्रकार हैं . नामिक, नैपातिक, औपसर्गिक, आख्यातक और मिश्र । 'नमस्' पद नैपातिक है क्योंकि यह निपातसिद्ध है । 'नमस्' पद का अर्थ द्रव्यमकोच और भावमकोच है ।^५ प्ररूपणा के दो, चार, पाँच, छ और नौ भेद हो सकते हैं । उदाहरण के लिए छ भेद इस प्रकार है १ नमस्कार क्या है, २ किससे सम्बन्ध रखता है, ३ किस कारण से प्राप्त होता है, ४ कहाँ रहता है, ५ कितने समय तक रहता है, ६ कितने प्रकार का होता है ?^६ नौ भेद ये हैं : १ सत्पदप्ररूपणता, २ द्रव्य-प्रमाण, ३ क्षेत्र, ४ स्पर्शना, ५ काल, ६ अन्तर, ७ भाग, ८ भाव, ९ अल्पवहुत्व ।^७ अरिहत्, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु—ये पाँचों

१ गा० ७९८-९. २ गा० ८००-८८० ३. गा० ८८१

४ गा० ८८२ ५. गा० ८८४ ६ गा० ८८५ ७ गा० ८८९.

नमस्कारयोग्य हैं अतः वस्तुद्वार के अन्तर्गत हैं। इस द्वार की चर्चा के प्रसंग से नियुक्तिकार ने अरिहत आदि पाँच परमेष्ठियों का बहुत विस्तारपूर्वक गुणगान किया है और यह बताया है कि अरिहत आदि को नमस्कार करने से जीव सहस्र भवों से छूटकारा पाता है तथा उसे भावपूर्वक क्रिया करते हुए बोध—सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अरिहत आदि के नमस्कार से सब पापों का नाश होता है। यह नमस्कार सब मगलों में प्रथम मगल है। 'अरिहत' (अहंत्) शब्द को निरक्षित करते हुए आचार्य कहते हैं कि इन्द्रिय, विषय, कषाय, परीपह, वेदना, उपसग आदि जितने भी आवृत्तिक अरि अर्थात् शत्रु हैं उनका हनन करनेवाले अरिहत कहलाते हैं अथवा अष्ट प्रकार के कर्मरूपी अरियों का नाश करनेवालों को अरिहत कहते हैं अथवा जो वन्दना, नमस्कार, पूजा, सत्कार और सिद्धि के अर्ह अर्थात् योग्य हैं उन्हें अहंन्त कहते हैं अथवा जो देव, असुर और मनुष्यों से अर्ह अर्थात् पूज्य हैं वे अहंन्त हैं।^१ 'सिद्ध' शब्द को निक्षेपपद्धति से व्याख्या करते हुए आचार्य कहते हैं कि जो कर्म, शिल्प, विद्या, मन्त्र, योग, आगम, अर्थ, यात्रा, अभिप्राय, तप और कर्मक्षय—इनमें सिद्ध अर्थात् सुपरिनिष्ठित एव पूर्ण है वह सिद्ध है।^२ अभिप्राय अर्थात् बुद्धि को व्याख्या करते हुए नियुक्तिकार ने चार प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है १ औत्पातिकी, २ वैतयिकी, ३ कर्मजा, ४ पारिणामिकी।^३ इन चारों प्रकार की बुद्धियों का सदृष्टान्त विवेचन किया गया है।^४ कर्मक्षय की प्रक्रिया का व्याख्यान करते समय समुद्रान्त का स्वरूप बताया गया है। इसके बाद अलाव, एरण्डफल, अग्निशिखा और बाण के दृष्टान्त द्वारा सिद्ध आत्माओं की गति का स्वरूप समझाया गया है।^५ फिर सिद्धस्थान, सिद्धशिलाप्रमाण, सिद्धशिलास्वरूप, सिद्धावगाहना, सिद्धस्पशना, सिद्धलक्षण, सिद्धसुख आदि सिद्धसम्बन्धी अन्य बातों पर प्रकाश डालते हुए यही निष्कर्ष निकाला गया है कि सिद्ध अशरीरी होते हैं, हमेशा दर्शन और ज्ञान में उपयुक्त होते हैं, केवलज्ञान में उपयुक्त होकर सर्वद्रव्य और समस्त पर्यायों को विशेषरूप से जानते हैं, केवलदर्शन में उपयुक्त होकर सर्वद्रव्य और समस्त पर्यायों को सामान्यरूप से देखते हैं उन्हें ज्ञान और दर्शन इन दोनों में से एक समय में एक ही उपयोग होता है क्योंकि युगपत् दो उपयोग नहीं हो सकते।^६ 'आचार्य' शब्द की निरक्षित करते हुए कहा गया है कि आचार्य के चार प्रकार हैं—नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और वीर्य—इन पाँच प्रकार के आचारों का स्वयं आचरण करता है, दूसरों के सामने उनका प्रभाषण और प्ररूपण करता है तथा दूसरों को अपनी क्रिया द्वारा आचार का ज्ञान कराता—

१. गा० ९१३-६, २ गा० ९२१ ३ गा० ९३२.

४ गा० ९४८-९५० ५ गा० ९५१, ६ गा० ९५२-९८२

है वही भावाचार्य है ।^१ उपाध्याय भी नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद से चार प्रकार के होते हैं । जो द्वादशांग का स्वयं अध्ययन करता है तथा दूसरो को वाचनारूप से उपदेश देता है उसे उपाध्याय कहते हैं ।^२ 'उपाध्याय' पद की दूसरी नियुक्ति इस प्रकार है उपाध्याय के लिए 'उज्झा' शब्द है । 'उ' का अर्थ है उपयोगकरण और 'ज्झा' का है ध्यानकरण । इस प्रकार 'उज्झा' का अर्थ है उपयोगपूर्वक ध्यान करनेवाला । उपाध्याय के लिए एक और शब्द है 'उपाज्झाउ' । 'उ' का अर्थ है उपयोगकरण, 'पा' का अर्थ है पाप का परिवर्जन, 'झा' का अर्थ है ध्यानकरण और 'उ' का अर्थ है उत्सारणाकम । इस प्रकार 'उपाज्झाउ' का अर्थ है उपयोगपूर्वक पाप का परिवर्जन करते हुए ध्यानारोहण से कर्मों का उत्सारण—अपनयन करने वाला ।^३ साधु भी नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद से चार प्रकार के होते हैं । जो निर्वाण साधक व्यापार की साधना करता है उसे साधु कहते हैं अथवा जो सर्वभूतों में समभाव रखता है वह साधु है ।^४ अरिहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु—इन पाँचों को नमस्कार करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है । यह पंच नमस्कार मव मंगलो में प्रथम अर्थात् सर्वश्रेष्ठ मंगल है ।^५ यहाँ तक वस्तुद्धार का अधिकार है । आक्षेपद्वार में यह बताया गया है कि नमस्कार या तो सक्षेप में करना चाहिए या विस्तार से । सक्षेप में सिद्ध और साधु—इन दो को ही नमस्कार करना चाहिए । विस्तार से नमस्कार करने की अवस्था में ऋषभादि अनेक नाम लिए जा सकते हैं । अतः पंचविध नमस्कार उपयुक्त नहीं है ।^६ इस आक्षेप का प्रसिद्धिद्वार में निराकरण किया गया है । उसमें यह सिद्ध किया गया है कि पंचविध नमस्कार सहेतुक है अतः उपयुक्त है, अनुपयुक्त नहीं ।^७ इसके बाद क्रमद्वार है । इसमें जिस क्रम से नमस्कार किया गया है उसे युक्तियुक्त बताया गया है । पहले सिद्धों को नमस्कार न करके अरिहतों को नमस्कार इसलिए किया गया है कि अरिहतों के उपदेश से ही सिद्ध जाने जाते हैं अतः अरिहतों का विशेष माहात्म्य है ।^८ प्रयोजनद्वार में नमस्कार का उद्देश्य कर्मक्षय और मंगलागम बताया गया है । फलद्वार की ओर सकेत करते हुए कहा गया है कि नमस्कार का फल दो प्रकार का है : ऐहलौकिक और पारलौकिक । अर्थ, काम, आरोग्य, अभिरति आदि ऐहलौकिक फल के अन्तर्गत है । पारलौकिक फल में सिद्धि, स्वर्ग, सुकुलप्राप्ति आदि का समावेश होता है ।^९ यहाँ तक नमस्कारविषयक विवेचन है ।

१. गा० ९८७-८.

२. गा० ९९५

३. गा० ९९७.

४. गा० १००२-४

५. गा० १०१२

६. गा० १०१३.

७. गा० १०१४.

८. गा० १०१६.

९. गा० १०१७-८

पचनमस्कार के बाद सामायिकरत ग्रहण किया जाता है क्योंकि पचनमस्कार सामायिक का ही एक अंग है। सामायिक किम प्रकार करना चाहिए, इसका करण, भय, अन्त अथवा भदन्त, सामायिक, नर्व, अवद्य, योग, प्रत्याख्यान, यावज्जीवन और त्रिविध पदो की व्याख्या के माय विवेचन किया गया है।^१ सामायिक का लाभ कैसे होता है ? इसका उत्तर देते हुए निर्युक्तिकार कहते हैं कि सामायिक के सर्वघाती और देशघाती कर्मस्पट्टंको मे मे देशघाती स्पट्टंको की विशुद्धि की अनन्तगुणवृद्धि होने पर आत्मा को सामायिक का लाभ होता है।^२ 'साम', 'सम' और 'सम्यक्' के आगे 'इक' पद जोड़ने से जो पद बनते हैं वे सभी सामायिक के एकार्थक पद हैं। उनका नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निक्षेपो से विचार हो सकता है।^३ सामायिक के और भी एकार्थक पद ये हैं - समता, सम्यक्त्व, प्रशस्त, शान्ति, शिव, हित, शुभ, अनिन्य, अगहित, अनवद्य।^४ हे भगवन् ! मैं सामायिक करता हूँ—करेमि भंते ! सामाद्वय—यहाँ पर कौन कारक है, क्या करण है और क्या कर्म है ? कारण और करण में भेद है या अभेद ? आत्मा ही कारक है, आत्मा ही कर्म है और आत्मा ही करण है। आत्मा का परिणाम ही सामायिक है अत आत्मा ही कर्ता, कर्म और करण है।^५ नक्षेप में सामायिक का अर्थ है तीन करण और तीन योग से मावद्य क्रिया का त्याग।^६ तीन करण अर्थात् करना, कराना और करते हुए का अनुमोदन करना, तीन योग अर्थात् मन, वचन और काया, इनसे होनेवाली सावद्य अर्थात् पापकारिणी क्रिया का जीवनपर्यन्त त्याग, यही सामायिक का उद्देश्य है।

चतुर्विंशतिस्तव :

आवश्यक सूत्र का दूसरा अध्ययन चतुर्विंशतिस्तव है। 'चतुर्विंशति' शब्द का छ प्रकार का और 'स्तव' शब्द का चार प्रकार का निक्षेप-न्याम है। चतुर्विंशति-निक्षेप के छ प्रकार ये हैं - नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। स्तव-निक्षेप के चार प्रकार ये हैं : नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। पुष्प आदि सामग्री से पूजा करना द्रव्यस्तव है। सद्गुणो का उत्कीर्तन भावस्तव है। द्रव्यस्तव और भावस्तव में भावस्तव ही अधिक गुण वाला है क्योंकि जिन-वचन में पड़्जीव की रक्षा का प्रतिपादन किया गया है। जो लोग यह सोचते हैं कि द्रव्यस्तव बहुगुण वाला है वे अनिपुणमति वाले हैं। द्रव्यस्तव में पड़्जीव की रक्षा का विरोध आता है अतः सयमविद् साधु द्रव्यस्तव की इच्छा नहीं रखते हैं।

१ गा० १०२३-१०३४ २. गा० १०३५ ३ गा० १०३७
४. गा० १०४० ५. गा० १०४१-२. ६ गा० १०५९

चतुर्विंशतिस्तव के लिए आवश्यक सूत्र में 'लोगस्सुज्जोयगरे' का पाठ है । इसकी नियुक्ति करते हुए आचार्य भद्रबाहु कहते हैं कि 'लोक' (लोग) शब्द का निम्नोक्त आठ प्रकार के निक्षेप से विचार हो सकता है . नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल भव, भाव और पर्याय ।^१ आलोक्यते इति 'आलोक', प्रलोक्यते इति 'प्रलोक', लोक्यते इति 'लोक.', सलोक्यते इति 'सलोक'—ये सभी शब्द एकार्थक हैं ।^२ 'उद्योत' (उज्जोय) दो प्रकार का है द्रव्योद्योत और भावोद्योत । अग्नि, चन्द्र, सूर्य, मणि, विद्युतादि द्रव्योद्योत हैं । ज्ञान भावोद्योत है ।^३ चौबीस जिनवरों को जो लोक के उद्योतकर कहा जाता है वह भावोद्योत की अपेक्षा से है, न कि द्रव्योद्योत की अपेक्षा से ।^४ 'धर्म' भी दो प्रकार का है : द्रव्यधर्म और भावधर्म । भावधर्म के पुन दो भेद हैं : श्रुतधर्म और चरणधर्म । श्रुत का स्वाध्याय श्रुतधर्म है । चारित्ररूप धर्म चरणधर्म है । इसे धर्मगणधर्म कहते हैं । यह धान्त्यादिरूप दस प्रकार का है ।^५ 'तीर्थ' के मुख्यरूप से चार निक्षेप हैं : नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव । इनमें से प्रत्येक के पुन अनेक प्रकार हो सकते हैं ।^६ जहाँ अनेक भवो से सञ्चित अष्टविध कर्मरज तप और सयम से घोया जाता है वह भावतीर्थ है ।^७ जिनवर अर्थात् तीर्थङ्कर इमी प्रकार के धर्मतीर्थ को स्थापना करते हैं । इमीलिए उन्हें 'धर्मतीर्थकर' (धम्मतित्थयर) कहते हैं । उन्हें 'जिन' इमलिए कहते हैं कि उन्होंने क्रोध, मान, माया, लोभ आदि दोषो को जीत लिया है । कर्मजरूपी अरि का नाश करने के कारण उन्हें 'अरिहत' भी कहते हैं ।^८ इसके बाद नियुक्तिकार चौबीस तीर्थङ्करो के नाम की निक्षेप पद्धति से व्याख्या करते हैं । फिर उनकी विशेषताओ—गुणो पर प्रकाश डालते हैं ।^९ इसके साथ 'चतुर्विंशतिस्तव' नामक द्वितीय अध्ययन की नियुक्ति समाप्त हो जाती है । वन्दना .

तृतीय अध्ययन का नाम वन्दना है । इस अध्ययन की नियुक्ति करते हुए आचार्य सर्वप्रथम यह बताते हैं कि वन्दनाकर्म, चित्तिकर्म, कृतिकर्म पूजाकर्म और विनयकर्म—ये पाँच सामान्यतया वन्दना के पर्याय हैं । वन्दना का नौ द्वारों से विचार किया गया है १ वन्दना किसे करनी चाहिए, २ किसके द्वारा होनी चाहिए, ३ कब होनी चाहिए, ४ कितनी बार होनी चाहिए, ५ वन्दना करते समय कितनी बार झुकना चाहिए, ६ कितनी बार सिर झुकाना चाहिए, ७ कितने आवश्यको से शुद्ध होना चाहिए, ८ कितने दोषो से मुक्त होना चाहिए,

१ गा० १०६४ २ गा० १०६५ ३ गा० १०६६-७.

४ गा० १०६८ ५ गा० १०७०-१ ६. गा० १०७२.

७ गा० १०७५ ८ गा० १०८३ ९ गा० १०८७-११०९

१ वन्दना किसलिए करनी चाहिए।^१ इन द्वागो का निर्देश करने के बाद वन्द्यावन्द्य का बहुत विस्तार के साथ विचार किया गया है। श्रमणो को चाहिए कि वे अमयती माता, पिता, गुरु, सेनापति, प्रयासक, राजा, देव-देवी आदि को वन्दना न करें। जो सयती है, मेघावो है, सुसमाहित है, पचसमिति और त्रिगुप्ति से युक्त है उसी श्रमण को वन्दना करें।^२ पार्वस्थ आदि मयमभ्रष्ट सन्यासियों की वन्दना करने से न तो कीर्ति मिलती है, न निर्जरा ही होती है। इस प्रकार की वन्दना कायव्लेश मात्र है जो केवल कर्मबंध का कारण है।^३ इसके बाद ससर्ग से उत्पन्न होने वाले गुण-दोषो का वर्णन करते हुए आचार्य ने समुद्र के दृष्टान्त से यह समझाया है कि जिस प्रकार नदियों का मीठा पानी समुद्र के लवणजल में गिरते ही खारा हो जाता है उसी प्रकार शीलवान् पुरुष शीलभ्रष्ट पुरुषों की सगति से शीलभ्रष्ट हो जाते हैं।^४ केवल बाह्य लिंग से प्रभावित न होकर पर्याय, पर्यद्, पुरुष, क्षेत्र, काल आगम आदि बातें जान कर जिस समय जैसा उचित प्रतीत हो उस समय वैसा करना चाहिए।^५ जिनप्रणीत लिंग को वन्दना करने से विपुल निर्जरा होती है, चाहे वह पुरुष गुणहीन ही क्यों न हो, क्योंकि वन्दना करनेवाला अध्यात्मशुद्धि के लिए ही वन्दना करता है।^६ अन्यालिंगी को जान-बूझकर नमस्कार करने से दोष लगता है क्योंकि वह निषिद्ध लिंग को धारण करता है। संक्षेप में जो द्रव्य और भाव से सुश्रमण है वही वन्द्य है।^७ ज्ञान, दर्शन और चारित्र के विविध भगो का विचार करने के बाद आचार्य इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र— इन तीनों का सम्यक् योग होने पर ही सम्पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः जो हमेशा दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, विनय आदि में लगे रहते हैं वे ही वदनीय हैं और उन्हीं से जिनप्रवचन का यश फैलता है।^८

वदना करनेवाला पचमहाव्रती आलस्यरहित, मानपरिवर्जितमति, सविग्न और निर्जरार्थी होता है।^९ जो आलसी, अभिमानी और पाप से भय न रखने वाला होता है उसमें वदना करने की योग्यता कैसे आ सकती है ?

जो धर्मकथा आदि से पराङ्मुख है अथवा प्रमत्त है उसे कभी भी वदना न करे। जिस समय कोई आहार अथवा नीहार कर रहा हो उस समय उसे वन्दना न करे। जिस समय वह प्रशान्त, आसनस्थ और उपशान्त हो उसी समय उसके पास जाकर वन्दना करे।^{१०}

१. गा० १११०-१. २. गा० १११३-४. ३. गा० १११६. ४. गा० ११२७-८.
 ५. गा० ११३६. ६. गा० ११३९. ७. गा० ११४५-७.
 ८. गा० ११६७-१२००. ९. गा० १२०४ १०. १२०५-६.

वन्दना कितनी बार करनी चाहिए ? इसका उत्तर देते हुए निर्युक्तिकार कहते हैं कि प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग, अपराध आदि आठ अवस्थाओं में वन्दना करनी चाहिए ।^१

वन्दना करते समय दो बार झुकना चाहिए, बारह आवर्त लेने चाहिए (१. अहो, २. काय, ३. काय, ४. जता भे, ५. जवणि, ६. ज्ज च भे । यह एक बार हुआ । इसी प्रकार दूसरी बार भी बोलना चाहिए) तथा चार बार सिर झुकाना चाहिए ।^२

जो पचीस प्रकार के आवश्यकों से परिशुद्ध होकर गुरु को नमस्कार करता है वह शीघ्र ही या तो निर्वाण प्राप्त करता है या देवपद पर पहुँचता है ।^३

कितने दोषों से मुक्त होकर वन्दना करनी चाहिए ? इसके उत्तर में निर्युक्तिकार ने बत्तीस दोष गिनाये हैं जिनसे शुद्ध होकर ही वन्दना करनी चाहिए ।^४

वन्दना किसलिए करनी चाहिए ? इसका समाधान करते हुए कहा गया है कि वन्दना करने का मुख्य प्रयोजन विनय-प्राप्ति है क्योंकि विनय ही शासन का मूल है, विनीत ही सयती होता है, विनय से दूर रहने वाला न तो धर्म कर सकता है, न तप ।^५

वन्दना की आवश्यकता और विधि की इतनी लम्बी भूमिका बाँधने के बाद आचार्य 'वन्दना' के मूल पाठ 'इच्छामि खमासमणो' की सूत्रस्पर्शी व्याख्या प्रारम्भ करते हैं । इसके लिए १ इच्छा, २. अनुज्ञापना, ३. अव्यावाध, ४. यात्रा, ५. यापना और ६. अपराधक्षमणा—इन छ स्थानों की निर्युक्ति करते हैं ।^६ नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि निक्षेपों से इनका संक्षिप्त विवेचन करके वन्दनाध्ययन की निर्युक्ति समाप्त करते हैं । इसके बाद 'प्रतिक्रमण' नामक चतुर्थ अध्ययन शुरू होता है ।

प्रतिक्रमण :

प्रतिक्रमण^७ का तीन दृष्टियों से विचार किया जाता है : १. प्रतिक्रमणरूप क्रिया, २. प्रतिक्रमण का कर्ता अर्थात् प्रतिक्रामक और ३. प्रतिक्रान्तव्य अर्थात् प्रतिक्रमितव्य अशुभयोगरूप कर्म ।^८ जीव पापकर्मयोगो का प्रतिक्रामक है । इसलिए जो ध्यानप्रशस्त योग है उनका साधु को प्रतिक्रमण नहीं करना

१. गा. १२०७ २ गा १२०९ ३ गा १२११. ४ गा. १२१२-६.
५ गा. १२२०-१ ६ गा. १२२३ ७. स्वस्थानात्यत्परस्थानं प्रमादस्य
वशाद् गत । तत्रैव क्रमण भूय प्रतिक्रमणमुच्यते ॥ ८. गा. १२३६.

चाहिए ।^१ प्रतिक्रमण के निम्नोक्त पर्याय हैं : प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण, परिहरणा, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गर्हा, शुद्धि ।^२ इन पर्यायों का अर्थ ठीक तरह समझ में आ जाए, इसके लिए नियुक्तिकार ने प्रत्येक शब्द के लिए अलग-अलग दृष्टांत दिए हैं । इसके बाद शुद्धि की विधि बताते हुए, दिशा आदि की ओर संकेत किया है ।^३

प्रतिक्रमण दैवसिक, रात्रिक, इत्वरिक, यावत्कथिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सावत्सरिक, उत्तमार्थक आदि अनेक प्रकार का होता है । पञ्चमहाव्रत, रात्रिभुक्तिविरति, चतुर्याम, भक्तपरिज्ञा आदि यावत्कथिक अर्थात् जीवनभर के लिए हैं । उच्चार, मूत्र, कफ, नासिकामल, आभोग, अनाभोग, सहमाकार आदि क्रियाओं के उपरान्त प्रतिक्रमण आवश्यक है ।

प्रतिक्रमण पांच प्रकार का है . मिथ्यात्वप्रतिक्रमण, असयमप्रतिक्रमण, कषायप्रतिक्रमण, अप्रशस्तयोगप्रतिक्रमण तथा ससारप्रतिक्रमण । ससारप्रतिक्रमण के चार दुर्गतियों के अनुसार चार प्रकार हैं । भावप्रतिक्रमण का अर्थ है तीन करण और तीन योग से मिथ्यात्वादि का सेवन छोड़ना ।^४ इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए आचार्य ने आगे को कुछ गायथाओ में नागदत्त का उदाहरण भी दिया है । इसके बाद यह बताया है कि प्रतिषिद्ध विषयो का आचरण करने, विहित विषयो का आचरण न करने, जिनोक्त वचनों में श्रद्धा न रखने तथा विपरीत प्ररूपणा करने पर प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिए ।^५ इसके बाद आलोचना आदि बत्तीस योगों का संग्रह किया गया है । उनके नाम ये हैं :^६ १ आलोचना, २ निरपलोप, ३ आपत्ति में दृढवर्माना, ४ अनिश्रितोपधान, ५ शिक्षा, ६ निष्प्रतिकर्मता, ७ अज्ञातना, ८ अलोभता, ९ तितिक्षा १०. आर्जव, ११ शुचि, १२ सम्यग्दृष्टित्व, १३, समाधि, १४ आचारोपगत्व, १५ विनयोपगत्व, १६ धृतिमति, १७ सवेग, १८ प्रणिधि, १९ सुविधि, २०. सवर, २१ आत्मदोषोपसंहार, २२ सर्वकामविरक्तता, २३. मूलगुणप्रत्याख्यान, २४ उत्तरगुणप्रत्याख्यान, २५. व्युत्सर्ग, २६. अप्रमाद, २७. लवालव, २८. ध्यान, २९. मरणाभीति, ३०. सगपरिज्ञा, ३१ प्रायश्चित्तकरण, ३२ मरणान्ताराधना । इन योगों का अर्थ ठीक तरह से समझाने के लिए विविध व्यक्तियों के उदाहरण भी दिए गए हैं ।^७ इनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं . महागिरि, स्थूलमद्र, धर्मबोध, सुरेन्द्रदत्त, वारत्तक, धन्वन्तरी वैद्य,

१. गा. १२३७,

२. गा. १२३८.

३. गा. १२३९-१२४३.

४. गा. १२४४-६

५. गा. १२४७-८

६. गा. १२६८.

७. गा. १२६९-१२७३.

८. गा. १२७४-१३१४.

करकण्डु, आर्य पुण्यभूति । तदनन्तर अस्वाध्यायिक को नियुक्ति को गई है । अस्वाध्याय दो प्रकार का है • आत्मसमुत्थ और परममुत्थ । परममुत्थ के पुनर्पांच प्रकार है . नयमनातक, औत्पातिक, नदिव्य, व्युद्घाहक और शारीर ।^२ इन पांचो प्रकारो को उदाहरणपूर्वक ममज्ञाया गया है । माथ मे बहुत विस्तार से यह भी बताया गया है कि किस काल और किस देश (स्थान) में श्रमण को स्वाध्याय नही करना चाहिए, स्वाध्याय के लिए कौनसा देश और कौनसा काल उपयुक्त है, गुरु आदि के ममक्ष क्रिय प्रकार स्वाध्याय करना चाहिए, आदि । आत्मसमुत्थ अस्वाध्याय एक प्रकार का भी होता है और दो प्रकार का भी । श्रमणो के लिए एक प्रकार का है जो केवल व्रणदशा में होता है । श्रमणियो के लिए व्रण तथा ऋतुकाल मे होने के कारण दो प्रकार का है ।^५ तत्पश्चात्, अस्वाध्याय से होने वाले परिणाम की चर्चा की गई है । इस चर्चा के साथ अस्वाध्यायिक को नियुक्ति ममान् होनी है और माय हो माथ चतुर्थ अव्ययन—प्रतिक्रमणाध्ययन की नियुक्ति भी पूर्ण होती है ।

कायोत्सर्ग :

प्रतिक्रमण के बाद कायोत्सर्ग है । यह आवश्यक सूत्र का पांचवाँ अव्ययन है । कायोत्सर्ग की नियुक्ति करने के पूर्व आचार्य प्रायश्चित्त के भेद बनाने है । प्रायश्चित्त दस प्रकार का है • १ आलोचना, २. प्रतिक्रमण, ३ मिश्र, ४. विवेक, ५ व्युत्सर्ग, ६ तप, ७. छेद, ८ मूल, ९ अनवस्थाप्य और १० पाराचिक्र ।^५ कायोत्सर्ग और व्युत्सर्ग एकार्थवाची है । यहाँ कायोत्सर्ग का अर्थ है व्रणविक्रमा । व्रण दो प्रकार का होता है . तदुद्भव अर्थात् कायोत्थ और आगन्तुक अर्थात् परोत्थ । इनमें से आगन्तुक व्रण का श्लयोद्धरण किया जाता है, न कि तदुद्भव का ।^५ श्लयोद्धरण को विधि शल्य की प्रकृति के अनुरूप होती है । जैसा व्रण होता है वैसी ही उसको चिकित्सा होती है । यह बाह्य व्रण को चिकित्सा को बात हुई । आभ्यन्तर व्रण को चिकित्सा को भी अलग-अलग विधियाँ हैं । मिश्राचार्यो से उत्पन्न व्रण आलोचना से ठीक हो जाता है । व्रतो के अतिचारो को शुद्धि प्रतिक्रमण मे होनी है । किमी अतिचार को शुद्धि कायोत्सर्ग अर्थात् व्युत्सर्ग मे होनी है । कोई-कोई अतिचार तपस्था से शुद्ध होते हैं ।^५ इस प्रकार आभ्यन्तर व्रण को चिकित्सा के भी अनेक उपाय हैं ।

१. गा. १३१६-७.

२ गा १३१८-१३१७.

३. गा. १३१८.

४. गा., १४१३.

५. गा., १४१४.

६ गा १४२०-२.

‘कायोत्सर्ग’ शब्द की व्याख्या करने के लिए नियुक्तिकार निम्नलिखित ग्यारह द्वारो का आधार लेते हैं . १ निक्षेप, २ एकार्यकशब्द, ३ विधान-मार्गणा ४ कालप्रमाण, ५ भेदपरिमाण, ६ अगठ, ७ शठ, ८ विधि, ९ दोष, १० अधिकारी और ११ फल ।^१

‘कायोत्सर्ग’ में दो पद हैं : काय और उत्सर्ग । काय का निक्षेप बारह प्रकार का है और उत्सर्ग का छ प्रकार का । कायनिक्षेप के बारह प्रकार ये हैं : १ नाम, २ स्थापना, ३ शरीर, ४ गति, ५ निकाय, ६ अस्तिकाय, ७ द्रव्य, ८ मातृका, ९ सग्रह, १० पर्याय, ११. भार और १२. भाव ।^२ इनमें से प्रत्येक के अनेक भेद-प्रभेद होते हैं ।

काय के एकार्यक शब्द ये हैं काय, शरीर, देह, बोन्दि, चय, उपचय, सघात, उच्छ्रय, समुच्छ्रय, कलेवर, भस्त्रा तनु, प्राणु ।^३

उत्सर्ग का निक्षेप छ प्रकार का है नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ।^४ उत्सर्ग के एकार्यवाची शब्द ये हैं उत्सर्ग, व्युत्सर्जन, उज्जना, अवकिरण, छर्दन, विवेक, वर्जन, त्यजन, उन्मोचना, परिशाठता, शातना ।^५

कायोत्सर्ग के विधान अर्थात् प्रकार दो है चेष्टाकायोत्सर्ग और अभिभव कायोत्सर्ग । भिक्षाचर्या आदि में होने वाला चेष्टाकायोत्सर्ग है, उपसर्ग आदि में होने वाला अभिभवकायोत्सर्ग है ।^६

अभिभवकायोत्सर्ग की कालमर्यादा अधिक से अधिक सवत्सर—एक वर्ष है और कम से कम अन्तर्मुहूर्त है ।^७

कायोत्सर्ग के भेदपरिमाण की चर्चा करते हुए नियुक्तिकार नौ भेदों की गणना करते हैं : १ उच्छ्रितोच्छ्रित, २ उच्छ्रित ३ उच्छ्रितनिषण्ण, ४ निषण्णोच्छ्रित, ५ निषण्ण, ६ निषण्णनिषण्ण, ७ निर्विण्णोच्छ्रित ८. निर्विण्ण, ९ निर्विण्णनिर्विण्ण ।^८ उच्छ्रित, का अर्थ है ऊर्ध्वस्थ अर्थात् खड़ा हुआ, निषण्ण का अर्थ है उपविष्ट अर्थात् बैठा हुआ और निर्विण्ण का अर्थ है सुप्त अर्थात् सोया हुआ ।

भेदपरिमाण की चर्चा करते-करते आचार्य कायोत्सर्ग के गुणों की चर्चा शुरू कर देते हैं । कायोत्सर्ग से देह और मति की जडता की शुद्धि होती है, सुख-दुःख सहन करने की क्षमता आती है, अनुप्रेक्षा अर्थात् अनित्यत्वादि का चिन्तन होता है तथा एकाग्रतापूर्वक शुभध्यान का अभ्यास होता है । शुभध्यान

१. गा. १४२१ २. गा. १४२४-५ ३ गा १४४१ ४ गा १४४२-
५. गा १४४६. ६ गा. १४४७. ७. गा. १४५३. ८ गा. १४५४-५

का आधार लेकर आचार्य ध्यान की चर्चा छेड़ देते हैं।^१

ध्यान का स्वरूप बताते हुए आचार्य कहते हैं कि अन्तर्मुहूर्त के लिए जो चित्त की एकाग्रता है वही ध्यान है। ध्यान चार प्रकार का होता है . आर्त्त, रुद्र, धर्म और शुक्ल।^२ इनमें से प्रथम दो प्रकार ससारवर्धन के हेतु हैं और अन्तिम दो प्रकार विमोक्ष के हेतु हैं। प्रस्तुत अधिकार अन्तिम दो प्रकार के ध्यान का ही है।^३ इतना सामान्य सकेत करने के बाद नियुक्तिकार ध्यान से सम्बन्ध रखने वाली अन्य बातों का वर्णन करते हैं।^४

कायोत्सर्ग मोक्षपथप्रदाता है, ऐसा समझकर धीरे धीरे श्रमण दिवसादिसवधी अतिचारों का परिज्ञान करने के लिए कायोत्सर्ग में स्थित होते हैं। ये अतिचार कौन से हैं ? नियुक्तिकार आगे की कुछ गाथाओं में विविध प्रकार के अतिचारों का स्वरूप व उनसे शुद्ध होने का उपाय बताते हैं। साथ ही कायोत्सर्ग की विधि की ओर भी मकेत करते हैं। साधुओं को चाहिए कि सूर्य के रङ्गते हुए ही प्रसन्नवर्णोच्चारकालसम्बन्धी भूमि को अच्छी तरह देख कर अपने-अपने स्थान पर आकर सूर्यास्त होते ही कायोत्सर्ग में स्थित हो जाएँ।^५ दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और सावत्सरिक प्रतिक्रमणों के कायोत्सर्ग नियत हैं, गमनादिविषयक शेष कायोत्सर्ग अनियत हैं। अब नियतकायोत्सर्गों के उच्छ्वासों की संख्या बताते हैं दैवसिक में सौ उच्छ्वास, रात्रिक में पचास, पाक्षिक में तीस, चातुर्मासिक में पाँच सौ, सावत्सरिक में एक हजार आठ।^६ इसी प्रकार प्रत्येक प्रकार के कायोत्सर्ग के लिए 'लोगस्तुज्जोयगरे' के पाठ भी नियत हैं दैवसिक कायोत्सर्ग में चार, रात्रिक में दो, पाक्षिक में बारह, चातुर्मासिक में बीस और सावत्सरिक में चालीस।^७ अनियतकायोत्सर्ग के लिए भी इसी प्रकार के निश्चित नियम हैं।

अशठद्वार का व्याख्यान करते हुए कहा गया है कि साधु अपनी शक्ति की मर्यादा के अनुसार ही कायोत्सर्ग करे। शक्ति की सीमा का उलंघन करने से अनेक दोष उत्पन्न होने का भय रहता है।^८

शठद्वार की व्याख्या करते हुए आचार्य कहते हैं कि कायोत्सर्ग के समय छल-पूर्वक नींद लेना, सूत्र अथवा अर्थ की प्रतिपृच्छा करना, काटा निकालना, प्रसन्नवर्ण अर्थात् पेशाव करने चले जाना आदि कार्य दोषपूर्ण हैं। इनसे अनुष्ठान झूठा हो जाता है।^९

१ गा १४५७ २ गा १४५८ ३ गा १४५९ ४ गा १४६०-१४९१.

५ गा १५१२. ६ गा १५२४-५ ७ गा १५२६ ८ गा १५३६.

९ गा १५३८

कायोत्सर्ग की विधि का विधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि गुरु के समीप ही कायोत्सर्ग प्रारम्भ करना चाहिए तथा गुरु के समीप ही समाप्त करना चाहिए। कायोत्सर्ग के समय दाहिने हाथ में मुग्धवस्त्रिका और बाएँ हाथ में रजोहरण रखना चाहिए।^१

कायोत्सर्ग के निम्नांकित दोष हैं - १ घोटकदोष, २ लतादोष, ३ स्तम्भ, कुड्यदोष, ४ मालदोष, ५ शवरीदोष, ६ बरूदोष, ७ निगडदोष, ८ लम्बोत्तरदोष, ९ स्तनदोष, १० उद्विदोष, ११ मयतीदोष, १२ मलिनदोष, १३ वायसदोष, १४ कपित्थदोष, १५ शीपंकम्पदोष, १६ मूकदोष, १७ अगुलिभ्रूदोष, १८ वारुणीदोष १९. प्रेक्षादोष।^२

अब आचार्य अधिकारी का स्वरूप बताते हैं। जो वासी और चन्दन दोनों को समान समझता है, जिसकी जीने और मरने में समबुद्धि है, जो देह की ममता से परे है वही कायोत्सर्ग का मन्त्राधिकारी है।^३

कायोत्सर्ग के अन्तिम द्वार—फलद्वार की चर्चा करते हुए नियुक्तिकार कहते हैं कि सुभद्रा, राजा उदितोदित, श्रेष्ठिभार्या मिश्रवती, मोदास, खड्गस्तम्भन आदि उदाहरणों से कायोत्सर्ग के ऐहलौकिक फल का अनुमान लगा लेना चाहिए। पारलौकिक फल के रूप में सिद्धि, स्वर्ग आदि समझने चाहिए।^४ यहाँ कायोत्सर्ग नामक पञ्चम अध्ययन के ग्यारह द्वारों की चर्चा समाप्त होती है।

प्रत्याख्यान :

आवश्यक सूत्र का पष्ठ अध्ययन प्रत्याख्यान के रूप में है। नियुक्तिकार आचार्य भद्रबाहु प्रत्याख्यान का छः दृष्टियों से व्याख्यान करते हैं - १. प्रत्याख्यान, २. प्रत्याख्याता, ३. प्रत्याख्येय, ४ पदंद्, ५. कथनविधि और ६. फल।^५

प्रत्याख्यान के छ भेद हैं १. नामप्रत्याख्यान, २ स्थापनाप्रत्याख्यान, ३. द्रव्यप्रत्याख्यान, ४. अदित्साप्रत्याख्यान, ५. प्रतिषेधप्रत्याख्यान और ६. भावप्रत्याख्यान।^६ प्रत्याख्यान की शुद्धि छः प्रकार से होती है - १. अज्ञानशुद्धि, २ जाननाशुद्धि, ३ विनयशुद्धि, ४. अनुभाषणाशुद्धि, ५ अनुपालनाशुद्धि, ६ भावशुद्धि।^७ अशन, पान, खादिम और स्वादिम—ये चार प्रकार की आहारविधियाँ हैं। इन चार प्रकार के आहारों को छोड़ना आहार-प्रत्याख्यान है। जो शीघ्र ही क्षुधा को शान्त करता है वह अशन है। जो प्राण अर्थात् इन्द्रियादि का उपकार करता है वह पान है। जो आकाश में समाता है अर्थात् उदर के रिक्त स्थान में भरा जाता है वह खादिम है। जो सरस आहार के गुणों को स्वाद प्रदान

१. गा १५३९-१५५०. २. गा. १५४१-२. ३. गा १५४३. ४. गा. १५४५.

५. गा. १५५०.

६. गा १५५१. ७. गा. १५८०.

करता है वह स्वादिम है ।^१ प्रत्याख्यान के गुणों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं कि प्रत्याख्यान से, आस्रव के द्वार अर्थात् कर्मगम के द्वार बंद हो जाते हैं, फलतः आस्रव का उच्छेद होता है । आस्रवोच्छेद से तृष्णा का नाश होता है । तृष्णोच्छेद से मनुष्य के अन्दर अतुल उपशम अर्थात् मध्यस्थभाव पैदा होता है । मध्यस्थभाव से पुनः प्रत्याख्यान की विशुद्धि होती है । इससे शुद्ध चारित्रधर्म का उदय होता है जिससे कर्मनिर्जरा होती है और क्रमशः अपूर्व-करण होता हुआ श्रेणिक्रम से केवलज्ञान की प्राप्ति होती है । अन्त में शाश्वत सुखरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है ।^२ प्रत्याख्यान दस प्रकार के आकारों से ग्रहण किया व पाला जाता है - १ नमस्कार, २ पौरण्य, ३ पुरिमाह, ४ एकाशन, ५ एकस्थान, ६ आचाम्ल, ७ अभक्तार्थ, ८ चरम, ९ अभिग्रह, १० विकृति ।^३

अब प्रत्याख्याता का स्वरूप बताते हैं । प्रत्याख्याता गुरु होता है जो यथोक्त-विधि से शिष्य को प्रत्याख्यान कराता है । गुरु मूलगुण और उत्तरगुण से शुद्ध तथा प्रत्याख्यान की विधि जानने वाला होता है । शिष्य कृत्तिकर्मादि की विधि जानने वाला, उपयोगपरायण, ऋजु प्रकृति वाला, मविन और स्थिरप्रतिज्ञ होता है ।^४

प्रत्याख्यातव्य का स्वरूप बताते हुए कहा गया है कि प्रत्याख्यातव्य दो प्रकार का होता है : द्रव्यप्रत्याख्यातव्य और भावप्रत्याख्यातव्य । अज्ञानादि का प्रत्याख्यान प्रथम प्रकार का है । अज्ञानादि का प्रत्याख्यान दूसरे प्रकार का है ।^५

विनीत एवं अब्याक्षितरूप से शिष्य के उपस्थित होने पर प्रत्याख्यान कराना चाहिए । यही पर्वद्वार है ।^६

कथनविधि इस प्रकार है : आज्ञाग्राह्य अर्थात् आगमग्राह्य विषय का कथन आगम द्वारा ही करना चाहिए, दृष्टान्तवाच्य अर्थ का कथन दृष्टान्त द्वारा ही करना चाहिए । ऐसा न करने से कथनविधि की विराधना होती है ।^७

फल का व्याख्यान करते हुए नियुक्तिकार कहते हैं कि प्रत्याख्यान का फल ऐहलौकिक और पारलौकिक दो प्रकार का होता है । ऐहलौकिक फल के दृष्टान्त के रूप में घम्मिलादि और पारलौकिक फल के दृष्टान्त के रूप में दामन्तिकादि समझने चाहिए । जिनवरोपदिष्ट प्रत्याख्यान का सेवन करके अनन्त जीव शीघ्र ही शाश्वत सुखरूप मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं ।^८ फल प्रत्याख्यान का

१ गा. १५८१-२ २ गा. १५८८-१५९०. ३ गा. १५९१-१६०६.

४ गा. १६०७-९. ५. गा. १६११. ६ गा. १६१२.

७. गा. १६१३. ८. गा. १६१४-५.

अन्तिम द्वार है और प्रत्याख्यान आवश्यक सूत्र का अन्तिम अध्ययन है अन इ९ द्वार की नियुक्ति के साथ आवश्यकनियुक्ति समाप्त होती है ।

आवश्यकनियुक्ति के इस विस्तृत परिचय से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि जैन नियुक्तिग्रथों में आवश्यकनियुक्ति का कितना महत्त्व है । श्रमण-जीवन की सफल साधना के लिए अनिवार्य सभी प्रकार के विधि-विधानों का मंशिन एवं सुव्यवस्थित निरूपण आवश्यकनियुक्ति की एक बहुत बड़ी विशेषता है । जैन परम्परा से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों का प्रतिपादन भी सर्वप्रथम इसी नियुक्ति में किया गया है । ये सब बातें आवश्यकनियुक्ति के अध्ययन से स्पष्ट मालूम होती हैं ।



तृतीय प्रकरण

दशवैकालिकनिर्युक्ति

सर्वप्रथम निर्युक्तिकार ने सर्वसिद्धो को मगलरूप नमस्कार करके दशवैकालिकनिर्युक्ति^१ रचने की प्रतिज्ञा की है। मगल के विषय में वे कहते हैं कि ग्रन्थ के आदि, मध्य और अन्त में विधिपूर्वक मगल करना चाहिए। मगल नामादि भेद से चार प्रकार का होता है। भावमगल का अर्थ श्रुतज्ञान है। वह चार प्रकार का है चरणकरणानुयोग, घर्मकथानुयोग, गणितानुयोग (कालानुयोग) और द्रव्यानुयोग। चरणकरणानुयोग के द्वार ये हैं निक्षेप, एकार्थं, निरुक्त, विधि, प्रवृत्ति, किसके द्वारा, किसका, द्वारभेद, लक्षण, पपंद् और सूथार्थ^२।

दशवैकालिक शब्द का व्याख्यान करने के लिए 'दश' और 'काल' का निक्षेप पद्धति से विचार करना चाहिए। 'दश' के पूर्व 'एक' का निक्षेप करते हुए आचार्य कहते हैं कि एकक के नाम, स्थापना, द्रव्य, मातृकापद, सग्रह, पर्याय और भाव—ये सात प्रकार हैं। दशक का निक्षेप छः प्रकार का है—नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। काल के दस भेद इस प्रकार हैं—बाला, क्रीडा, मदा, बला, प्रज्ञा, हायिनि, प्रपचा, प्राग्भारा, मृन्मुखी और शायिनी।^३ ये प्राणियों को दस दशाएँ—अवस्थाविशेष हैं।

काल का द्रव्य, अर्द्ध, यथायुक्त, उपक्रम, देश, काल, प्रमाण, वर्ण और भाव—इन नौ दृष्टियों से विचार करना चाहिए।^४

दशकालिक अथवा दशवैकालिक 'दश' और 'काल' इन दो पदों से सम्बन्ध रखता है। दशकालिक में 'दश' का प्रयोग इसलिए किया गया है कि इस सूत्र में

१ (अ) हरिभद्रिय विवरणसहित . प्रकाशक-देवचन्द लालाभाई जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई, १९१८

(आ) निर्युक्ति व मूल : सम्पादक E. Leumann, ZDMG भा ४६
पृ ५८१-६६३

२ गा १-५ ३ गा. ८-१० ४. गा ११

दस अध्ययन है। काल का प्रयोग इसलिए है कि इस सूत्र की रचना उस समय हुई जबकि पौरुषी व्यतीत हो चुकी थी अथवा जो दश अध्ययन पूर्वों से उद्धृत किये गये उनका सुव्यवस्थित निरूपण विकाल अर्थात् अपराह्न में किया गया इसीलिए इस सूत्र का नाम दशवैकालिक रखा गया। इस सूत्र की रचना मनक नामक शिष्य के आधार से आचार्य शय्यम्भव ने की।^१

दशवैकालिकसूत्र में द्रुमपुष्पिका आदि दस अध्ययन है। प्रथम अध्ययन में धर्म की प्रशंसा की गई है। दूसरे अध्ययन में धृति की स्थापना की गई है और बताया गया है कि यही धर्म है। तीसरे अध्ययन में क्षुत्तिका अर्थात् लघु आचारकथा का अधिकार है। चौथे अध्ययन में आत्मसयम के लिए पद्मजीवरक्षा का उपदेश दिया गया है। पंचम अध्ययन भिक्षाविशुद्धि से सम्बन्ध रखता है। भिक्षाविशुद्धि तप और समम का पोषण करने वाली है। छठे अध्ययन में महती अर्थात् वृहद् आचारकथा का प्रतिपादन किया गया है। सप्तम अध्ययन में वचनविभक्ति का अधिकार है। आठवा अध्ययन प्रणिधान अर्थात् विशिष्ट चित्त-धर्मसम्बन्धी है। नवें अध्ययन में विनय का तथा दसवें में भिक्षु का अधिकार है। इन अध्ययनों के अतिरिक्त इस सूत्र में दो चूलिकाएँ भी हैं। प्रथम चूलिका में सयम में स्थिरोकरण का अधिकार है और दूसरी में विविधतर्चया का वर्णन है। यह दशवैकालिक का संक्षिप्त अर्थ है।^२

द्रुमपुष्पिका नामक प्रथम अध्ययन की नियुक्ति में सामान्य श्रुताभिधान चार प्रकार का बताया गया है : अध्ययन, अक्षीण, आय और क्षपणा।^३ आत्मा की कर्ममल से मुक्ति ही भावाध्ययन है। द्रुम और पुष्प का निक्षेप करते हुए कहा गया है कि द्रुम नाम, स्थापना, द्रव्य और भावभेद से चार प्रकार का है। इसी प्रकार पुष्प का निक्षेप भी चार प्रकार का है। द्रुम के पर्यायवाची शब्द ये हैं द्रुम, पादप, वृक्ष, अगम, विटपी, तरु, क्रुह, महीरुह, रोपक, रुञ्चक, । पुष्प के एकार्थक शब्द ये हैं पुष्प, कुसुम, फुल्ल, प्रसव, सुमन, सूक्ष्म।^४

सूत्रस्पर्शिक नियुक्ति करते हुए आचार्य 'धर्म' पद का व्याख्यान इस प्रकार करते हैं कि धर्म चार प्रकार का होता है। नामधर्म, स्थापनाधर्म, द्रव्य धर्म और भावधर्म। धर्म के लौकिक और लोकोत्तर ये दो भेद भी होते हैं। लौकिक धर्म अनेक प्रकार का होता है। गम्यधर्म, पशुधर्म, राज्यधर्म, पुरवरधर्म, ग्रामधर्म, गणधर्म, गोष्ठीधर्म, राजधर्म आदि लौकिक धर्म के भेद हैं। लोकोत्तर

१. गा. १२, ५.

२. गा. १९-२५.

३. गा. २६-७

४. गा. ३५-६.

धर्म दो प्रकार का है : श्रुतधर्म और चारित्र्यधर्म । श्रुतधर्म स्वाध्यायरूप है और चारित्र्यधर्म श्रमणधर्म रूप है ।^१

मगल भी द्रव्य और भावरूप होता है । पूर्णकलशादि द्रव्यमगल है । धर्म भावमगल है ।^२

हिंसा के प्रतिकूल अहिंसा होती है । उसके भी द्रव्यादि चार भेद होते हैं ।^३ प्राणानिपातविरति आदि भाव अहिंसा है ।^३

आचार्य मयम की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय एवं पंचेन्द्रिय की मन, वचन, और काय से यतना रक्षना मयम है ।^४

तप बाह्य और आभ्यन्तर के भेद से दो प्रकार का होता है । अनशन, ऊनो-दरता, वृत्तिसंक्षेप, रसपन्त्याग, कायबलेश और सलोनता बाह्य तप के भेद है । प्रायश्चित्त, विनय, वैद्यावृत्य, म्नाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग आभ्यन्तर तप के भेद है ।^५

हेतु और उदाहरण की उपयोगिता बताते हुए नियुक्तिकार कहते हैं कि श्रोता को योग्यता को ध्यान में रखते हुए पाच अथवा दम अवयवों का प्रयोग किया जा सकता है । उदाहरण दो प्रकार का होता है । ये दो प्रकार पुनः चार-चार प्रकार के होते हैं । हेतु चार प्रकार का होता है । हेतु का प्रयोजन अर्थ की सिद्धि करना है ।^६ आचार्य ने उदाहरण का स्वरूप समझाने के लिए अनेक दृष्टान्त देते हुए उदाहरण के विविध द्वारों का विस्तृत विवेचन किया है । उदाहरण के चार तरह के दोष इस प्रकार हैं . अधर्मयुक्त, प्रतिलोम, आत्मोपन्यास और दुष्पनीत ।^७ हेतु के चार प्रकार ये हैं यापक, स्थापक, व्यसक और लूपक ।^८ प्रथम अध्ययन में अमर का उदाहरण अनियतवृत्तित्व का दिग्दर्शन कराने के लिए दिया गया है ।^९

सूत्रस्पर्शी नियुक्ति करते हुए आचार्य विहंगम शब्द की व्याख्या इस प्रकार करते हैं .-विहंगम दो प्रकार का होता है : द्रव्यविहंगम और भावविहंगम । जिस पूर्वोपात्त कर्म के उदय के कारण जीव विहंगमकुल में उत्पन्न होता है वह द्रव्यविहंगम है । भावविहंगम के पुनः दो भेद हैं गुणसिद्ध और सज्ञासिद्ध । जो विह अर्थात् आकाश में प्रतिष्ठित है उसे गुणसिद्ध विहंगम कहते हैं । जो आकाश में गमन करते हैं अर्थात् उडते हैं वे सभी सज्ञासिद्ध विहंगम हैं । प्रस्तुत प्रसंग

१ गा. ३९-४३

४ गा ४६

७ गा. ८१-५

२. गा ४४

५. गा. ४७-८

८ गा ८६-८.

३. गा. ४५.

६. गा. ५०-१.

९. गा. ९७.

आकाश में गमन करने वाले भ्रमरो का है ।^१

हेतु और दृष्टान्त के प्रसंग पर जिन दस अवयवों का निर्देश ऊपर किया गया है उनके नाम ये हैं १ प्रतिज्ञा, २ विभक्ति, ३. हेतु, ४. विभक्ति, ५ विपक्ष, ६ प्रतिबोध, ७ दृष्टान्त, ८ आशंका, ९ तत्प्रतिषेध, १० निगमन। नियुक्तिकार ने इन दस प्रकार के अवयवों पर दशवैकालिक के प्रथम अध्ययन को अच्छी तरह कसा है और यह मिद्ध किया है कि इस अध्ययन की रचना में इन अवयवों का सम्यक् रूपेण अनुसरण किया गया है ।^२

दूसरे अध्ययन के प्रारंभ में 'श्रामण्यपूर्वक' की निक्षेप-पद्धति से व्याख्या की गई है। 'श्रामण्य' का निक्षेप चार प्रकार का है तथा 'पूर्वक' का तेरह प्रकार का। जो सयत है वही भावश्रमण है। आगे की कुछ गाथाओं में भावश्रमण का बहुत ही नया-तुला और भावपूर्ण वर्णन किया गया है ।^३ 'श्रमण' शब्द के पर्याय ये हैं - प्रव्रजित, अनगार, पाखंडी, चरक, तापस, भिक्षु, परिव्राजक, श्रमण, निर्ग्रन्थ, सयत, मुक्त, तीर्ण, त्राता, द्रव्य, मुनि, क्षान्त, दान्त, विरत, रूक्ष, तीरार्थी ।^४ 'पूर्व' के निक्षेप के तेरह प्रकार ये हैं - १ नाम, २ स्थापना, ३. द्रव्य, ४. क्षेत्र, ५ काल, ६ दिक्, ७. तापक्षेत्र, ८ प्रज्ञापक, ९. पूर्व, १०. वस्तु, ११ प्राभूत, १२ अतिप्राभूत और १३ भाव ।^५ इसके बाद 'काम' का नामादि चार प्रकार के निक्षेप से विचार किया गया है। भावकाम दो प्रकार का है इच्छाकाम और मदनकाम। इच्छा प्रशस्त और अप्रशस्त दो प्रकार की होती है। मदन का अर्थ है वेदोपयोग अर्थात् स्त्रीवेदादि के विपाक का अनुभव। प्रस्तुत अधिकार मदनकाम का है ।^६

'पद' की नियुक्ति करते हुए आचार्य कहते हैं कि पद चार प्रकार का होता है : नामपद, स्थापनापद, द्रव्यपद और भावपद। भावपद के दो भेद हैं अपराधपद और नोअपराधपद। नोअपराधपद के पुन दो भेद हैं मातृकापद और नोमातृकापद। नोमातृकापद के भी दो भेद हैं - ग्रथित और प्रकीर्णक। ग्रथित चार प्रकार का होता है - गद्य, पद्य, गेय और चौर्ण। प्रकीर्णक के अनेक भेद होते हैं। इन्द्रिय, विषय, कषाय, परोषह, वेदना, उपसर्ग आदि अपराध पद हैं। श्रमणधर्म के पालन के लिए इनका परिवर्जन आवश्यक है ।^७

तीसरे अध्ययन का नाम क्षुल्लिकाचारकथा है। नियुक्तिकार क्षुल्लक, आचार और कथा—इन तीनों का निक्षेप करते हैं। क्षुल्लक महत् सापेक्ष है

१ गा. ११७-१२२

३ गा १५२-७.

५. गा. १६०

२ गा १३७-१४८

४. गा १५८-९

६ गा १६१-३.

७. गा १६६-१७७.

अतः महत् का निक्षेप करने हुए कहा गया है कि नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, प्रधान, प्रतीत्य और भाव—इन आठ भेदों के साथ महत् का विचार करना चाहिए। क्षुल्लक महत् का प्रतिपक्षी है अतः उसके भी ये ही आठ भेद हैं। आचार या निक्षेप नामादि भेद से चार प्रकार का है। नामन, धावन, वासन, शिक्षापन आदि द्रव्याचार हैं। भावाचार पाच प्रकार का है 'दशंन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य'।^१ कथा चार प्रकार की होती है - अर्थकथा, कामकथा, धर्मकथा और मिश्रकथा। अर्थकथा के निम्नोक्त भेद हैं - विद्या, शिल्प, उपाय, अनिर्वेद, नचय, दक्षत्व, माम, दण्ड, भेद और उपप्रदान। कामकथा के निम्नलिखित भेद हैं : रूप, वय, वेप, दाक्षिण्य, विषयज्ञ, दृष्ट, धृत, अनुभूत और सस्तव। धर्मकथा चार प्रकार की है - आक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेजनी और निर्वेदनी। धर्म, अर्थ और काम में मिश्रित कथा का नाम मिश्रकथा है। कथा से विपक्षभूत विरुधा है। उसके स्त्रीकथा, भक्तकथा, राजकथा, चीरजनपदकथा, नटनतंकजल्लमुष्टिरुक्कथा आदि अनेक भेद हैं। श्रमण को चाहिए कि वह क्षेत्र, काल, पुष्प, नामर्थ्य आदि का ध्यान रखते हुए अनवद्य कथा का व्याख्यान करे।^२

चतुर्थ अध्ययन का नाम पद्जोवनिकाय है। इसकी नियुक्ति में एक, छ, जीव, निकाय और शस्त्र का निक्षेप-पद्धति से विचार किया गया है। आचार्य ने जीव के निम्नोक्त लक्षण बताये हैं : आदान, परिभोग, योग, उपयोग, कषाय, लेख्या, आन, आपान, इन्द्रिय, वन्य, उदय, निर्जरा, चित्त, चेतना, सज्ञा, विज्ञान, धारणा, बुद्धि, ईहा, मति, वितर्क।^३ शस्त्र की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि द्रव्यशास्त्र स्वकाय, परकाय अथवा उभयकायरूप होता है। भावशस्त्र असयम है।^४

पिण्डपणा नामक पंचम अध्ययन की नियुक्ति में आचार्य भद्रबाहु ने पिण्ड और एपणा इन दो पदों का निक्षेपपूर्वक व्याख्यान किया है। गुड, ओदन आदि द्रव्यपिण्ड हैं। क्रोधादि चार भावपिण्ड हैं। द्रव्यपणा तीन प्रकार की है - सचित्त, अचित्त और मिश्र। भावपणा दो प्रकार की है - प्रशस्त और अप्रशस्त। ज्ञानादि प्रशस्त भावपणा है। क्रोधादि अप्रशस्त भावपणा है। प्रस्तुत अधिकार द्रव्यपणा का है।^५

षष्ठ अध्ययन का नाम महाचारकथा है। इसकी नियुक्ति में आचार्य ने यह निर्देश किया है कि क्षुल्लिकाचारकथा की नियुक्ति में महत्, आचार और

१. गा. १७८-१८७.

३. गा. २२३-४.

२. गा. १८८-२१५

४. गा. २३१.

५. गा. २३४-२४४.

कथा का व्याख्यान हो चुका है^१ सूत्रस्पर्शिक नियुक्ति करते हुए आचार्य 'धर्म' शब्द की व्याख्या इस प्रकार करते हैं — धर्म दो प्रकार का होता है — अगारधर्म और अनगारधर्म । अगारधर्म बारह प्रकार का है : पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत । अनगारधर्म दस प्रकार का है क्षान्ति, मादंभ, आर्जव, मुक्ति, तप, सयम, सत्य, शौच, आर्किचन्य और ब्रह्मचर्य ।^२ धान्य २४ प्रकार का होता है . १. यव, २ गोधूम, ३, गालि, ४ ब्रीहि, ५ पष्टिक ६ कोद्रव, ७ अणुक, ८ कगु, ९. रालक, १० तिल, ११ मुद्ग, १२ माप, १३. अतसी, १४ हरिमथ, १५ त्रिपुटक, १६ निष्पाव, १७. सिर्लिद, -१८ राजमाप, १९ इक्षु, २० मसूर, २१, तुवरी, २२. कुलत्य, .२३ धान्यक, २४. कलाय । रत्न २४ प्रकार के होते हैं १ सुवर्ण, २ त्रपु, ३, ताम्र, ४ रजत, ५. लोह, ६. सीसक, ७ हिरण्य, ८. पाषाण, ९ वज्र, १०. मणि, ११. मौक्तिक, १२. प्रवाल, १३ शख, १३. तिनिश, १५ अगुरु, १६ चदन, १७ वस्त्र, १८. अमिल, १९ काष्ठ, २०. चर्म, २१ दन्त, २२. बाल, २३. गध और २४. द्रव्यौषध । स्थावर के तीन भेद हैं . भूमि, गृह और तरु । द्विपद दो प्रकार के हैं . चक्रारबद्ध और मानुष । चतुष्पद दस प्रकार के हैं . गो, महिषी, उष्ट्र, अज, एडक, अश्व, अश्वतर, घोटक, गर्दभ और हस्ती । काम दो प्रकार का है संप्राप्त और असंप्राप्त । संप्राप्त काम चौदह प्रकार का और असंप्राप्त काम दस प्रकार का है । असंप्राप्त काम के दस प्रकार ये हैं अर्थ, चिंता, श्रद्धा, सस्मरण, विक्लवता, लज्जानाश, प्रमाद, उन्माद, तद्भावना और मरण । संप्राप्त काम के चौदह प्रकार ये हैं : दृष्टिसंपात, सभाषण, हसित, ललित, उपगृहित, दत्तनिपात, नखनिपात, चुबन, आर्लिगन, आदान, करण, आसेवन, संग और क्रीडा ।^३

सप्तम अव्ययन का नाम वाक्यशुद्धि है । 'वाक्य' का निक्षेप चार प्रकार का है । भाषाद्रव्य को द्रव्यवाक्य कहते हैं । भाषा शब्द भाववाक्य है । वाक्य के एकार्थक शब्द ये हैं . वाक्य, वचन, गिरा, सरस्वती, भारती, गो, वाक्, भाषा, प्रज्ञापनी, देशनी, वाग्योश, योग ।^४ सत्यभाषा जनपदादि के भेद से दस प्रकार की होती है, मृषाभाषा क्रोधादि के भेद से दस प्रकार की होती है, मिश्रभाषा उत्पन्नादि भेद से अनेक प्रकार की होती है, असत्यमृषा आमत्रणी आदि भेद से अनेक तरह की होती है ।^५ शुद्धि का निक्षेप भी नामादि चार प्रकार का है । भावशुद्धि तीन प्रकार की है : तद्भाव, आदेशाभाव और प्राधान्यभाव ।^६

१. गा. २४५

२. गा २४६-८.

३. गा २५०-२६२.

४. गा २६९-२७०

५. गा. २७३-६.

६. गा २८६

अष्टम अध्ययन का नाम आचारप्रणिधि है। आचार का निक्षेप पहले हो चुका है। प्रणिधि दो प्रकार की है : द्रव्यप्रणिधि और भावप्रणिधि। निधानादि द्रव्यप्रणिधि है। भावप्रणिधि के दो भेद हैं . इन्द्रियप्रणिधि और नोइन्द्रियप्रणिधि। ये पुन प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से दो प्रकार की होती है।^१

विनयसमाधि नामक नवम अध्ययन की नियुक्ति में आचार्य भावविनय के पाँच भेद करते हैं . लोकोपचार, अर्थनिमित्त, कामहेतु, भयनिमित्त और मोक्षनिमित्त। मोक्षनिमित्तक विनय पाँच प्रकार का है . दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और उपचारसम्बन्धी।^२

दसवें अध्ययन का नाम सभिक्षु है। सकार का निक्षेप नामादि चार प्रकार का है। द्रव्यसकार प्रशसादिविषयक है। भावसकार तद्रूपयुक्त जीव है। निर्देश, प्रशसा और अस्तिभाव में सकार का प्रयोग होता है। प्रस्तुत अध्ययन में निर्देश, और प्रशसा का अधिकार है।^३ भिक्षु का निक्षेप भी नामादि चार प्रकार का है। भावभिक्षु दो प्रकार का है आगमत. और नोआगमत.। भिक्षुपदार्थ में उपयुक्त आगमत. भावभिक्षु है। भिक्षुगुणसवेदक नोआगमत. भावभिक्षु है।^४ भिक्षु के पर्याय ये हैं : तीर्ण, तायी, द्रव्य, व्रती, क्षात, दात, विरत, मुनि, तापस, प्रज्ञापक, ऋजु, भिक्षु, बुद्ध, यति, विद्वान्, प्रव्रजित, अनगार, पासण्डी, चरक, ब्राह्मण, परिव्राजक, श्रमण, निग्रन्थ, सयत, मुक्त, साधु, रुक्ष, तीरार्थी।^५ इनमें से अधिकांश शब्द 'श्रमण' के पर्यायों में आ चुके हैं।

चूलिकाओं की नियुक्ति करते हुए कहा गया है कि 'चूलिका' का निक्षेप द्रव्य, क्षेत्र, काल, ओर भावपूर्वक होता है। कुंकुटचूडा आदि सचित द्रव्यचूडा है, मणिचूडा आदि अचित्त द्रव्यचूडा है ओर मयूरशिखा आदि मिश्र द्रव्यचूडा है। भावचूडा क्षायोपशमिक भावरूप है।^६ 'रति' का निक्षेप नामादि चार प्रकार का है। जो रति कर्म के उदय के कारण होता है वह भावरति है। जो धर्म के प्रति रतिकारक है वह अधर्म के प्रति अरतिकारक है।^७

१ गा २९३-४

२ गा ३०९-३२२

३ गा. ३२८-९

४. गा. ३४१.

५ गा ३४५-७

६ गा. ३५९-३६१.

७. गा ३६२-७

चतुर्थ प्रकरण

उत्तराध्ययननिर्युक्ति

इस नियुक्ति^१ में ६०७ गाथाएँ हैं। अन्य नियुक्तियों की तरह इसमें भी अनेक पारिभाषिक शब्दों का निक्षेप-पद्धति से व्याख्यान किया गया है। इसी प्रकार अनेक शब्दों के विविध पर्याय भी दिये गए हैं।

सर्वप्रथम आचार्य 'उत्तराध्ययन' शब्द की व्याख्या करते हुए 'उत्तर' पद का पन्द्रह प्रकार के निक्षेपो से विचार करते हैं : १. नाम, २. स्थापना, ३. द्रव्य, ४. क्षेत्र, ५. दिशा, ६. तापक्षेत्र, ७. प्रज्ञापक, ८. प्रति, ९. काल, १०. सचय, ११. प्रधान, १२. ज्ञान, १३. क्रम, १४. गणना और १५. भाव।^२ 'उत्तराध्ययन' में 'उत्तर' का अर्थ क्रमोत्तर समझना चाहिए।^३

उत्तराध्ययनसूत्र में भगवान् जिनेन्द्र ने छत्तीस अध्ययनों का उपदेश दिया है।^४

'अध्ययन' पद का निक्षेपपूर्वक व्याख्यान करते हुए नियुक्तिकार कहते हैं कि नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव—इन चार द्वारों से 'अध्ययन' का विचार हो सकता है। भावाध्ययन की व्याख्या इस प्रकार है. प्रारब्ध तथा बध्यमान कर्मों के अभाव से आत्मा का जो अपने स्वभाव में आनयन अर्थात् ले जाना है वही अध्ययन है। जिससे जीवादि पदार्थों का अधिगम अर्थात् परिच्छेद होता है अथवा जिससे अधिक नयन अर्थात् विशेष प्राप्ति होती है अथवा जिससे शीघ्र ही अभीष्ट अर्थ की सिद्धि होती है वही अध्ययन है।^५ चूँकि अध्ययन से अनेक भवों से आते हुए अष्ट प्रकार के कर्मरज का क्षय होता है इसीलिए उसे भावाध्ययन कहते हैं।^६ यहाँ तक 'उत्तराध्ययन' का व्याख्यान है। इसके बाद आचार्य 'श्रुतस्कन्ध' का निक्षेप करते हैं क्योंकि उत्तराध्ययनसूत्र श्रुतस्कन्ध है। तदनन्तर छत्तीस अध्ययनों के नाम गिनाते हैं। तथा उनके विविध अधिकारों का निर्देश करते हैं।^७ यहाँ तक संक्षेप में उत्तराध्ययन का पिण्डार्थ

१ शान्तिसूत्रिकृत शिष्यहिता-टीकासहित—देवचन्द लालभाई जैन पुस्तको-

द्वार, बम्बई, १९१९-१९२७

२. गा० १.

३. गा० ३.

४. गा० ४.

५. गा० ५-७.

६. गा० ११

७. गा० १२-२६.

अर्थात् समुदायार्थ दिया गया है। आगे प्रत्येक अध्ययन का विशेष व्याख्यान किया गया है।

प्रथम अध्ययन का नाम विनयश्रुत है। 'विनय' का विचार पहले हो चुका है।^१ 'श्रुत' का नामादि चार प्रकार का निक्षेप होता है। निह्ववादि द्रव्यश्रुत है। जो श्रुत में उपयुक्त है वह भावश्रुत है।^२ इसके बाद 'सयोग' शब्द की सूत्रस्पर्शिक नियुक्ति करते हुए आचार्य ने छ एव दो प्रकार के निक्षेप से 'सयोग' की अति विस्तृत व्याख्या की है। इसमें सस्थान, अभिप्रेत, अनभिप्रेत, अभिलाप, सम्बन्धन, अनादेश, आदेश, आत्मसयोग, बाह्यसयोग आदि विषयो का बहुत विस्तार से विवेचन किया है।^३ विनय के प्रसंग से आचार्य और शिष्य के गुणो का वर्णन करते हुए यह बताया गया है कि इन दोनों का सयोग कैसे होता है। सम्बन्धनसयोग मसार का हेतु है क्योंकि यह कर्मपाश के कारण होता है। इसे नष्ट कर जीव मुक्ति का वास्तविक आनन्द भोगता है।^४

विनयश्रुत की वारहवी गाथा में 'गलि' शब्द आता है। इसके पर्यायवाची शब्द ये हैं : गण्डि, गलि, मरालि। 'आकीर्ण' शब्द के पर्याय ये हैं - आकीर्ण, विनीत, भद्रक।^५ 'गलि' का प्रयोग अविनीत के लिये है और 'आकीर्ण' का प्रयोग विनीत के लिए।

दूसरे अध्ययन का नाम परीपह है। परीपह का न्यास अर्थात् निक्षेप चार प्रकार का है। इनमें से द्रव्यनिक्षेप दो प्रकार का है : आगमरूप नोआगमरूप। नोआगम परीपह पुन तीन प्रकार का है - ज्ञायकशरीर, भव्य और तद्रव्यतिरिक्त। कर्म और नोकर्मरूप से द्रव्यपरीपह दो प्रकार का भी होता है। नोकर्मरूप द्रव्यपरीपह सचित्त, अचित्त और मिश्ररूप से तीन प्रकार का है। भावपरीपह में कर्म का उदय होता है। उसके द्वार ये हैं - कुतः (कहाँ से) कस्य (किसका), द्रव्य, समवतार, अध्यास, नय, वर्तना, काल, क्षेत्र, उद्देश, पृच्छा, निर्देश और सूत्रस्पर्श।^६ वादरसम्पराय गुणस्थान में बाईस, सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थान में चौदह, छद्मस्थवीतराग गुणस्थान में भी चौदह और केवली अवस्था में ग्यारह परीपह होते हैं।^७

क्षुत्पिपासा अदि परीपहो की विशेष व्याख्या करते हुए नियुक्तिकार ने [विविध उदाहरणों द्वारा यह समझाया है कि श्रमण को किस प्रकार इन परीपहो

१ दशवैकालिक, अध्ययन ९ (विनयसमाधि) की नियुक्ति।

२ गा० २९

३. गा० ३०-५७

४. गा० ६२.

५. गा० ६४.

६. गा० ६५-८.

७. गा० ७९.

को सहन करना चाहिए।^१ इस प्रसंग से आचार्य ने जैन परम्परा में आने वाली अनेक महत्त्वपूर्ण एवं शिक्षाप्रद कथाओं का सकलन किया है।

तीसरे अध्ययन का नाम चतुर्गीय है। एक के बिना चार नहीं होने हैं अतः नियुक्ति-कार सर्वप्रथम 'एक' का निक्षेप-पद्धति में विचार करते हैं। इसके लिए सात प्रकार के 'एकक' का निर्देश करते हैं - १. नामैकक, २. स्थापनैकक, ३. द्रव्यैकक, ४. मातृकापदैकक, ५. संग्रहैकक, ६. पर्यवैकक, और ७. भावैकक। 'एकक' की विस्तृत व्याख्या दशवैकालिकनियुक्ति में हो चुकी है। 'चतुष्क' अर्थात् चार का सात प्रकार का निक्षेप है : नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, गणना और भाव। प्रस्तुत अधिकार गणना का है।^२

'अग' का निक्षेप चार प्रकार का है : नामाग, स्थापनाग, द्रव्याग, और भावाग। उनमें से द्रव्याग छ प्रकार का होता है - १. गवाग, २. औपधाग, ३. मद्याग, ४. आतोद्याग, ५. शरीराग और ६. युद्धाग।^३

गधाग निम्नलिखित है : जमदग्निजटा (बालक), हरेणूका (प्रियगु), शबर-निवमनक (तमालपत्र), सपिन्निक, मल्लिकावासित, ओसीर, ह्नीवेर, भद्रदार (देवदार), गतपुष्पा, तमालपत्र,। इनका माहात्म्य यही है कि इनसे स्नान और विलेपन किया जाता है। वासवदत्ता ने उदयन को हृदय में रखते हुए इनका सेवन किया था।^४

औपधाग की गुटिका में पिण्डदार, हरिद्रा, माहेन्द्रफल, सुण्ठी, पिप्पली, मरिच, आर्द्र, त्रिल्वमूल और पानी—ये आठ वस्तुएँ मिली हुई होती हैं। इससे कडु, तिमिर, अर्द्धशिरोरोग, पूर्णशिरोरोग, तार्त्तीयिक और चातुर्थिक ज्वर (तिजरा और चौथे दिन आने वाला बुखार), मूषक और सर्पदश शीघ्र ही दूर हो जाते हैं।^५

द्राक्षा के सोलह भाग (सोलह दाखें), घातकीपुष्प के चार भाग और एक आढक इक्षुरस—इनसे मद्याग बनता है। आढक का नाप मागघ मान से समझना चाहिए।^६

एक मुकुन्दातूर्यं, एक अभिमारदारुक, एक शाल्मलीपुष्प—इनके बंध से आमोडक अर्थात् पुष्पोन्मिश्र बालबधविशेष होता है। यही आतोद्याग है।^७

अब शरीराग के नाम बताते हैं। सिर, उर, उदर, पीठ, बाहु (दो) और उर (दो)—ये आठ अग हैं। शेष अगोपाग है।^८

१. गा० ८९-१४१ २. गा० १४२. ३. गा० १४३ ४. गा० १४४-५.
 ५. गा० १४६-८ ६. गा० १४९-१५० ७. गा० १५१ ८. गा० १५२.
 ९. गा० १५३.

युद्धाग ये है - यान (हस्त्यादि), आवरण (कवचादि), प्रहरण (खड्गादि), कुशलत्व (प्रावीण्य), नीति, दक्षत्व (आशुकारित्व), व्यवसाय, शरीर (अहीनाग) और आरोग्य ।^१ यहाँ तक द्रव्याग का व्याख्यान है ।

भावाग दो प्रकार का है श्रुताग और नोश्रुताग । श्रुताग आचारादि भेद से बारह प्रकार का है । नोश्रुताग चार प्रकार का है ये चार प्रकार ही चतुरगीय के रूप में प्रसिद्ध है । ससार में ये चार भावाग दुर्लभ है : मानुष्य, धर्मश्रुति, श्रद्धा और वीर्य (तप और सयम में पराक्रम) ।^२

अग, दशभाग, भेद, अवयव, असकल, चूर्ण, खण्ड, देश, प्रदेश, पर्व, शाखा, पटल, पर्यवखिल—ये सब शरीराग के पर्याय हैं । सयम के पर्याय ये हैं दया, सयम, लज्जा, जुगुप्सा, अछलना, तितिक्षा, अहिंसा और ह्नी ।^३

आगे नियुक्तिकार ने उदाहरणों की सहायता से यह बताया है कि मनुष्यभवं की प्राप्ति कितनी दुर्लभ है, मनुष्यभवं प्राप्त हो जाने पर भी धर्मश्रुति कितनी कठिन है, धर्मश्रुति का लाभ होने पर भी उम पर श्रद्धा करना कितना कठिन है, श्रद्धा हो जाने पर भी तप और सयम में वीर्य अर्थात् पराक्रम करना तो और भी कठिन है । श्रद्धा की चर्चा करते समय जमालिप्रभृति सात 'निह्नवो का परिचय दिया गया है ।^४

चतुर्थं अद्ययन का नाम 'असकृत' है । इसकी नियुक्ति करते समय सर्वप्रथम प्रमाद और अप्रमाद दोनों का निक्षेप किया गया है । प्रमाद और अप्रमाद दोनों नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद से चार प्रकार के होते हैं । इनमें से द्रव्य और भावप्रमाद पाँच प्रकार के होते हैं मद्य, त्रिपय, कषाय, निद्रा और विकथा । अप्रमाद के भी पाँच प्रकार हैं जो इनसे विपरीत हैं ।^५

जो उत्तरकरण से कृत अर्थात् निर्वातित है वह असकृत है । शेष असकृत है । करण का निक्षेप छ प्रकार का होता है - नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव । द्रव्यकरण दो प्रकार का होता है सज्ञाकरण और नोसज्ञाकरण । सज्ञाकरण पुन तीन प्रकार का है कटकरण, अर्थकरण और वेलुकरण । नोसज्ञाकरण दो प्रकार का है प्रयोगकरण और विश्रसाकरण । विश्रसाकरण के पुन दो भेद हैं सादिक और अनादिक । अनादिक तीन प्रकार का है - धर्म, अधर्म और आकाश । सादिक दो प्रकार का है चक्षुस्पर्श और अचक्षुः-स्पर्श । प्रयोगकरण के दो भेद हैं : जीवप्रयोगकरण और अजीवप्रयोगकरण ।

१, गा० १५४

२ गा० १५५-६

३ गा० १५७-८

४ गा० १५९-१७८

५ गा० १७९-१८१

जीवप्रयोगकरण पुन' दो प्रकार का है . मूलकरण और उत्तरकरण । पाँच प्रकार के शरीर और तीन प्रकार के अगोपाग मूलकरण हैं । कर्ण, स्कध आदि उत्तरकरण हैं ।^१ अजीवप्रयोगकरण वर्णादि भेद से पाँच प्रकार का होता है ।^२ इसीप्रकार क्षेत्रकरण और कालकरण का विवेचन किया गया है ।^३ भावकरण जीवकरण और अजीवकरण के भेद से दो प्रकार का है । इनमें से अजीवकरण पुन पाँच प्रकार का है वर्ण, रम, गध, स्पणं और सस्थान । ये क्रमशः पाँच, पाँच, दो, आठ और पाँच प्रकार के हैं । जीवकरण दो प्रकार का है : श्रुतकरण और नोश्रुतकरण । श्रुतकरण बद्ध और अबद्धरूप से दो प्रकार का है । बद्ध के पुन दो भेद हैं निशीथ और अनिशीथ । नोश्रुतकरण दो प्रकार का है गुणकरण और योजनाकरण । गुणकरण तप-सयम-योगरूप है और योजनाकरण मन, वचन और काय विषयरूप है ।^४ इतना विस्तारपूर्वक करण का विचार करने के बाद नियुक्तिकार अपने अभीष्ट अर्थ की योजना करते हैं । कामण देह के निमित्त होने वाला आयुःकरण असंस्कृत है । उसे टूटने पर पटादि की भाँति उत्तरकरण से साधा नहीं जा सकता । प्रस्तुत अधिकार आयु कर्म से असंस्कृत का है । चूँकि आयु कर्म असंस्कृत है इसलिए हमेशा अप्रमादपूर्वक आचरण करना चाहिए ।^५

आगे के अध्ययनो की नियुक्ति में भी इसी भाँति प्रत्येक अध्ययन के नाम का नामादि निक्षेपो से विचार किया गया है । गाथा २०८ में 'काम' और 'मरण' का निक्षेप है । गा० २३७ में 'निग्रन्थ' शब्द का निक्षेप-पद्धति से विवेचन है । गा० २४४ में उरअ, गा० २५० में कपिल, गा० २६० में नमि, गा० २८० में द्रुम, गा० ३१० में बहु, श्रुत और पूजा, गा० ४५५ में प्रवचन, गा० ४८० में साम, गा० ४९६ में मोक्ष, गा० ५१४ में चरण और गा० ५१६ में विधि का निक्षेपपूर्वक व्याख्यान किया गया है । २१२ से २३५ तक की गाथाओं में सत्रह प्रकार की मृत्यु का विचार किया गया है ।



१ गा० १८२-१९१.

२. गा० १९५.

३. गा० १९६-२००

४. गा० २०१-४.

५. गा० २०५

पंचम प्रकरण

आचारांगनियुक्ति

यह नियुक्ति^१ आचारांग सूत्र के दोनो श्रुतस्कन्धो पर है। इसमें ३४७ गाथाएँ हैं जिनमें आचार, अग, ब्रह्म, चरण, शस्त्र, सज्ञा, दिशा, पृथिवी, विमोक्ष, इर्या आदि शब्दो के निक्षेप, पर्याय आदि हैं। यह नियुक्ति उत्तराध्ययननियुक्ति के बाद तथा सूत्रकृतांगनियुक्ति के पहले लिखी गई है।

प्रथम श्रुतस्कन्ध :

प्रारभ में मगलगाथा है जिसमें सर्वसिद्धो को नमस्कार करके आचारांग की नियुक्ति करने की प्रतिज्ञा की गई है।^२ इसके बाद यह बतलाया गया है कि आचार, अङ्ग, श्रुत, स्कन्ध, ब्रह्म, चरण, शस्त्र, परिज्ञा, सज्ञा और दिशा—इन सबका निक्षेप करना चाहिए। इनमें से कौन सा निक्षेप किनने प्रकार का है, यह बताते हुए कहा गया है कि चरण और दिशा को छोड़ कर शेष का निक्षेप चार प्रकार का है। चरण का निक्षेप छ प्रकार का है और दिशा का सात प्रकार का।^३

आचार और अग का निक्षेप पहले किया जा चुका है।^४ यहाँ पर भावाचार के विषय में कुछ विशेष प्रकाश डाला गया है। इसके लिए निम्नलिखित सात द्वारो का आधार लिया गया है : एकार्थक, प्रवृत्ति, प्रथमाग, गणी, परिमाण, समवतरण और सार।^५

आचार के एकार्थक शब्द ये हैं . आचार, आचाल, आगाल, आकर, आश्वास, आदर्श, अग, आचीर्ण, आजाति, आमोक्ष।^६

१. (अ) शीलाक, जिनहस तथा पार्श्वचन्द्रकृत टीकाओ सहित—

राय बहादुर धनपतिसिंह, कलकत्ता, वि० स० १९३६

(आ) शीलाककृत टीकासहित—

आगमोदय समिति, सूरत, वि० स० १९७२-३

जैानानन्द पुस्तकालय, गोपीपुरा, सूरत, सन् १९३५

२ गा० १. ३ गा० २-३ ४ दशवैकालिक की क्षुल्लिकाचारकथा तथा उत्तराध्ययन का चतुरंगीय अध्ययन। ५ गा० ५-६.

६ गा० ७

आचार का प्रवर्तन कब हुआ ? सभी तीर्थंङ्करो ने तीर्थ-प्रवर्तन के आदि में आचाराग का प्रवर्तन किया। शेष ग्यारह अंगों का आनुपूर्वी से निर्माण हुआ।^१

आचाराग प्रथम अंग क्यों है, इसका कारण बताते हैं। आचाराग द्वादशांगों में प्रथम है क्योंकि इसमें मोक्ष के उपाय का प्रतिपादन है जो सम्पूर्ण प्रवचन का सार है।^२

चूँकि आचाराग के अध्ययन से श्रमणधर्म का परिज्ञान होता है इसलिए इसका प्रधान अर्थात् आद्य गणिस्थान है।^३

इसका परिमाण इस प्रकार है इसमें नौ ब्रह्मचर्याभिधायी अध्ययन है, अठारह हजार पद हैं, पाँच चूडाएँ हैं।^४

इन चूडाओं का ब्रह्मचर्याध्ययन में ममवतरण होता है। ये ही पुनः छ कार्यों में, पाँच व्रतों में, सर्व द्रव्यों में और पर्यायों के अनन्तवें भाग में अवतरित होती है।^५

अब अन्तिम द्वार का स्वरूप बताते हैं। अंगों का सार क्या है ? आचार। आचार का सार क्या है ? अनुयोगार्थ। अनुयोगार्थ का सार क्या है ? प्ररूपणा। प्ररूपणा का सार क्या है ? चरण। चरण का सार क्या है ? निर्वाण। निर्वाण का सार क्या है ? अव्यावाच। यही सर्वोत्कृष्ट सार है—अन्तिम ध्येय है।^६

चूँकि भावश्रुतस्कन्ध ब्रह्मचर्यात्मक है अतः ब्रह्म और चरण का निक्षेप करते हैं। ब्रह्म की और इसी प्रकार ब्राह्मण की नामादि चार स्थानों से उत्पत्ति होती है। भावब्रह्म सयम है। ब्राह्मण के प्रसंग को दृष्टि में रखते हुए नियुक्तिकार सात वर्णों और नौ वर्णान्तरों का भी वर्णन करते हैं। एक मनुष्यजाति के सात वर्ण ये हैं - क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, सकरक्षत्रिय, सकरवैश्य और सकरशूद्र। नौ वर्णान्तर ये हैं - अम्बष्ठ, उग्र, निपाद, अयोगव, मागव, सूत, क्षत, विदेह और चाण्डाल।^७

चरण नामादि भेद से छ प्रकार का होता है। भावचरण गति, आहार और गुण के भेद से तीन प्रकार का होता है।^८

मूल और उत्तरगुण की स्थापना करने वाले नौ अध्याय निम्नलिखित हैं -
१. शस्त्रपरिज्ञा २. लोकविजय, ३. शीतोष्ण, ४. सम्यक्त्व, ५. लोकसार-

१. गा० ८ २. गा० ९. ३. गा० १०।

४. गा० ११ ५. गा० १२-४. ६. गा० १६-७.

७. गा० १८-२२. ८. गा० २९-३०

६. ध्रुव, ७ महापरिज्ञा, ८. विमोक्ष और ९ उपघानश्रुत । ये नी आचार हैं, शेष आचाराग्र हैं ।^१

अब इन अध्ययनो के अर्थाधिकार बताते हैं । प्रथम अध्ययन का अधिकार जीवसंयम है, दूसरे का अष्टविध कर्मविजय है, तीसरे का सुख-दुःखतितिक्षा है, चौथे का सम्यक्त्व की दृढ़ता है, पाँचवें का लोकसार रत्नत्रयाराधना है, छठे का निःसंगता है, सातवें का मोहसमुत्थ परीपहोपसर्गसहनता है, आठवे का निर्याण अर्थात् अन्तक्रिया है और नौवें का जिनप्रतिपादित अर्थश्रद्धान है ।^२

शस्त्रपरिज्ञा मे दो पद है : शस्त्र और परिज्ञा . शस्त्र का निक्षेप नामादि चार प्रकार का है । खड्ग, अग्नि, विष, स्नेह, आम्ल, क्षार, लवणादि द्रव्यशस्त्र है । दुष्प्रयुक्त भाव ही भावशस्त्र है । परिज्ञा भी नामादि भेद मे चार प्रकार की है । द्रव्यपरिज्ञा दो प्रकार की है . ज्ञपरिज्ञा और प्रत्याख्यानपरिज्ञा । भावपरिज्ञा भी दो प्रकार की है . ज्ञपरिज्ञा और प्रत्याख्यानपरिज्ञा । द्रव्यपरिज्ञा मे ज्ञाता अनुपयुक्त होता है जबकि भावपरिज्ञा में ज्ञाता को उपयोग होता है ।^३

इसके बाद नियुक्तिकार सूत्रस्पर्शी नियुक्ति प्रारम्भ करते हैं । सर्वप्रथम 'सज्ञा' का निक्षेप करते हुए कहते हैं कि सच्चित्तादि (हस्त, ध्वज, प्रदोपादि) से होनेवाली सज्ञा द्रव्यसज्ञा है । भावसज्ञा दो प्रकार की है : अनुभवनसज्ञा और ज्ञानमज्ञा । मति आदि ज्ञानसज्ञा है । कर्मोदयादि के कारण होने वाली सज्ञा अनुभवनमज्ञा है । यह सोलह प्रकार की है . आहार, भय, परिग्रह, मैथुन, सुख, दुःख, मोह, विचिकित्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, शोक, लोक, धर्म धर्म और ओष ।^४

'दिक्' का निक्षेप सात प्रकार का है नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, ताप, प्रजापक और भाव । द्रव्यादि दिशाओ का स्वरूप बताने के बाद आचार्य भाव-दिशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भावदिशाएँ अठारह हैं . चार प्रकार के मनुष्य (सम्मूच्छन्नज, कर्मभूमिज, अकर्मभूमिज, अन्तरद्वीपज), चार प्रकार के तिर्यंच (द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय), चार प्रकार के काय (पृथ्वी, अप्, तेजस्, वायु), चार प्रकार के बीज (अग्र, मूल, स्कन्ध, पर्व) देव और नारक ।^५ चूँकि जीव इन अठारह प्रकार के भावो से युक्त होता है और उसका इनसे व्यपदेश होता है इसलिए इन्हें भावदिशाएँ कहा जाता है । यहाँ तक शस्त्रपरिज्ञा के प्रथम उद्देश का अधिकार है ।

द्वितीय उद्देशक के प्रारम्भ में पृथ्वी का निक्षेपादि पद्धति से विचार किया

१ गा० ३१-२.

२ गा० ३३-४

३ गा० ३६-७.

४ गा० ३८-९

५ गा० ४०-६०.

गया है। इसके लिए निम्नोक्त द्वारो का आधार लिया गया है। निक्षेप, प्ररूपणा, लक्षण, परिमाण, उपभोग, शस्त्र, वेदना, वध और निवृत्ति।^१

पृथ्वी का निक्षेप चार प्रकार का है : नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। जो जीव पृथ्वी-नामादि कर्मों को भोगता है वही भावपृथ्वी है।^२

प्ररूपणाद्वार की व्याख्या करते हुए नियुक्तिकार कहते हैं कि पृथ्वीजीव दो प्रकार के हैं। सूक्ष्म और वादर। सूक्ष्म जीव सर्वलोकव्यापी हैं। वादर पृथ्वी के पुन दो भेद हैं इलक्षण और। इलक्षण के कृष्ण, नील, लोहित, पीत और शुक्ल वर्णरूप पाच भेद हैं। खर के पृथ्वी, शर्करा, बालुका आदि छत्तीस भेद हैं। वादर और सूक्ष्म दोनो ही या तो पर्याप्तक होते हैं या अपर्याप्तक।^३

लक्षणद्वार की व्याख्या इस प्रकार है पृथ्वीकाय के जीवों में उपयोग, योग, अध्यवसाय, मति और श्रुतज्ञान, अचक्षुर्दर्शन, अष्टविधकर्मादय, लेख्या, सज्ञा, उच्छ्वास और कषाय होते हैं।^४

परिमाणद्वार का व्याख्यान इस प्रकार है वादर-पर्याप्तक-पृथ्वीकायिक सर्वात लोकप्रत्तर के असख्येय भागप्रमाण है, शेष तीन (वादर-अपर्याप्तक एव सूक्ष्म-पर्याप्तक और अपर्याप्तक) में से प्रत्येक असख्येय लोकाकाशप्रदेशप्रमाण है।^५

उपभोगद्वार की व्याख्या करते हुए आचार्य कहते हैं कि चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, उपकरण लेते हुए, रखते हुए आदि अनेक अवसरों पर पृथ्वीकाय के जीवो का हनन होता है।^६

हल, कुलिक, विप, कुद्दाला, लित्रक, मृगशृग, काण्ठ, अग्नि, उच्चार, प्रस्रवण आदि द्रव्यशस्त्र हैं। असयम भावशस्त्र है।^७

जिस प्रकार पादादि अग-प्रत्यग के छेदन से मनुष्यो को वेदना होती है उसी प्रकार छेदन-भेदन से पृथ्वीकाय के जीवो को भी वेदना होती है।^८

वध तीन प्रकार का होता है कृत, कारित और अनुमोदित। अनगार श्रमण मन, वचन और काय से तीनों प्रकार के वध का त्याग करते हैं।^९ यही निवृत्तिद्वार है। इसके साथ शस्त्रपरिज्ञा का द्वितीय उद्देशक समाप्त होता है।

तृतीय उद्देशक में अप्काय की चर्चा करते हुए नियुक्तिकार कहते हैं कि अप्काय के भी उतने ही द्वार हैं जितने पृथ्वीकाय के हैं।^{१०} अतः इनका विशेष विवेचन करना आवश्यक नहीं है। चौथे उद्देशक में तेजस्काय की चर्चा है जिसमें वादर अग्नि के पाँच भेद किये गये हैं : अगार, अग्नि, अचि, ज्वाला और

१. गा० ६८.

२. गा० ६९-७०.

३. गा० ७१-९.

४. गा० ८४

५. गा० ८६

६. गा० ९२-४.

७. गा० ९५-६.

८. गा० ९७.

९. गा० १०१-५

१०. गा० १०६.

सुर्मर ।^१ पाँचवें उद्देशक में वनस्पति की चर्चा है । इसके भी वे ही द्वार हैं जो पृथ्वीकाय के हैं । बादर वनस्पति के दो भेद हैं : प्रत्येक और साधारण । प्रत्येक के बारह प्रकार हैं । साधारण के तो अनेक भेद हैं किन्तु सक्षेप में उसके भी छ भेद किये जा सकते हैं । प्रत्येक के बारह भेद ये हैं : १ वृक्ष, २ गुच्छ, ३ गुल्म, ४ लता, ५ वल्लि, ६ पर्वक, ७ तृण, ८ वलय, ९ हरित, १०. औषधि, ११ जलरुह, १२ कुहुण । साधारण के छ भेद इस प्रकार हैं १ अग्रबीज, २ मूलबीज, ३ स्कन्धबीज, ४ पर्वबीज, ५ बीजरुह और ६ सम्मूच्छन्नज ।^२ छठे उद्देशक में त्रसकाय की चर्चा की गई है । त्रसकाय के भी वे ही द्वार हैं जो पृथ्वीकाय के हैं । त्रसजीव दो प्रकार के हैं. लब्धित्रस और गतित्रस । तेजस् और वायु लब्धित्रस के अन्तर्गत हैं । गतित्रस के चार भेद हैं नारक, तिर्यक्, मनुष्य और सुर । ये या तो पर्याप्तक होते हैं वा अपर्याप्तक ।^३ सप्तम उद्देशक में वायुकाय का विचार किया गया है । इसके भी पृथ्वीकाय के समान ही द्वार हैं । वायुकाय के जीव दो प्रकार के होते हैं - सूक्ष्म और बादर । बादर के पाँच भेद हैं उत्कलिका, मण्डलिका, गुजा, वन और शुद्ध ।^४ यहाँ तक प्रथम अध्ययन का अधिकार है ।

द्वितीय अध्ययन का नाम लोकविजय है । इसके प्रथम उद्देशक में 'स्वजन' का अधिकार है, जिसमें यह बताया गया है कि श्रमण माता-पिता आदि के प्रति मोह ममता न रखे । दूसरे उद्देशक में समयसम्बन्धी अदृढत्व की निवृत्ति का उपदेश है । तृतीय उद्देशक में मान न करने की सूचना दी गई है । चौथा उद्देशक भोगों की नि सारता पर है । पाँचवाँ उद्देशक लोकाश्रय की निवृत्ति से सम्बन्ध रखता है । छठे उद्देशक में अममत्व की परिपालना का उपदेश है ।^५

'लोकविजय' में दो पद हैं 'लोक' और 'विजय' । 'लोक' का निक्षेप आठ प्रकार का है और 'विजय' का छ प्रकार का । भावलोक का अर्थ है कषाय । अतः कषायविजय ही लोकविजय है ।^६ कषाय की उत्पत्ति कर्म के कारण होती है । कर्म सक्षेप में दस प्रकार का है नामकर्म, स्थापनाकर्म, द्रव्यकर्म, प्रयोगकर्म, समुदानकर्म, ईर्यापथिककर्म, आघाकर्म, तप कर्म, कृतिकर्म और भावकर्म ।^७

तीसरे अध्ययन का नाम शीतोष्णीय है । इसमें चार उद्देशक हैं । प्रथम उद्देशक में भावसुप्त के दोषों पर प्रकाश डाला गया है । दूसरे में भावसुप्त के अनुभव में आने वाले दुःखों का विचार किया गया है । तीसरे में इस बात

१ गा० ११६-८ २ गा० १२६-१३० ३. गा० १५२-४
४. गा० १६४-६ ५ गा० १७२ ६ गा० १७५, ७ गा० १९२-३.

पर प्रकाश डाला गया है कि केवल दुःख सहने से ही कोई श्रमण नहीं बन जाता। श्रमण की क्रिया करने से श्रमण बनता है। चौथे में यह बताया गया है कषायो का क्या कार्य है, पाप से विरति कैसे सम्भव है, समय से किस प्रकार कर्मों का क्षय होकर मुक्ति प्राप्त होती है? साथ ही इस अध्ययन में 'शीत' और 'उष्ण' पदों का नामादि निक्षेपो से विचार किया गया है। स्त्रीपरीपह और सत्कारपरीपह—ये दो शीत परीपह हैं। शेष बीस उष्ण परीपह की कोटि में है।^१

चतुर्थ अध्ययन का नाम सम्यक्त्व है। इसके चार उद्देशक हैं। प्रथम उद्देशक में सम्यग्दर्शन का अधिकार है, द्वितीय में सम्यग्ज्ञान का अधिकार है, तृतीय में सम्यक्त्व की चर्चा है, चतुर्थ में सम्यक्चारित्र्यका वर्णन है। ये चारो मोक्षाग हैं। मुमुक्षु के लिए इन चारों का पालन आवश्यक है।^२ सम्यक्त्व का भी नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव—इन चार निक्षेपो से विवेचन होता है। भावसम्यक्त्व तीन प्रकार का है - दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य। दर्शन और चारित्र्य के पुन तीन-तीन भेद होते हैं - औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक। ज्ञान के दो भेद हैं - क्षायोपशमिक और क्षायिक।^३

लोकसार नामक पंचम अध्ययन के छ. उद्देशक हैं। प्रथम उद्देशक में यह बताया गया है कि हिंसक, विषयारम्भक और एकचर मुनि नहीं हो सकता। दूसरे में यह बताया गया है कि हिंसादि से विरत ही मुनि होता है। तीसरे में इस बात का निर्देश है कि विरत मुनि ही अपरिग्रही होता है। चौथे में यह बताया गया है कि सूत्रार्थापरिनिष्ठित के क्या-क्या प्रत्यपाय होते हैं। पाँचवें में साधु के लिए हृदोपम होने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। छठे में उन्मार्गवर्जना पर भार दिया गया है। 'लोक' और 'सार' का भी चार प्रकार का निक्षेप होता है। फलसाधनता ही भावसार है। इससे सिद्धि प्राप्त होती है और फलतः उत्तमसुख का लाभ होता है।^४ इसी बात को दूसरे शब्दों में यो कह सकते हैं सम्पूर्ण लोक का सार धर्म है, धर्म का सार ज्ञान है, ज्ञान का सार समय है, समय का सार निर्वाण है।^५

इसके बाद सूत्रस्पष्टिक नियुक्ति करते हुए आचार्य कहते हैं कि चर, चर्या और चरण एकार्थक है। चर का छः प्रकार का निक्षेप होता है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य भावचरण के अन्तर्गत है। भावचरण प्रशस्त और अप्रशस्त भेद से दो प्रकार का होता है।^६

१ गा. १९७-२१३

२ गा २१४-५.

३. गा २१६-८.

४ गा २३५-२४०.

५ गा. २४४.

६. गा. २४५-६.

घृत नामक पण्ड अध्वयन के पांच उद्देशक हैं। प्रथम उद्देशक मे निजक अर्थात् स्वजनो के विधूनन का अधिकार है, द्वितीय मे कर्मविधूनन का अधिकार है, तृतीय में उपकरण और शरीर के विधूनन की चर्चा है, चतुर्थ में गौरवत्रिक के विधूनन का अधिकार है, पचम मे उपसर्ग और सम्मान के विधूनन की चर्चा है। वस्त्रादि का प्रक्षालन द्रव्यघृत है। अष्टविध कर्मों का क्षय भावघृत है।^१

सप्तम अव्ययन व्यवच्छिन्न है। अष्टम अध्वयन का नाम विमोक्ष है। इसके आठ उद्देशक हैं। प्रथम उद्देशक मे असमनोज्ञ के विमोक्ष अर्थात् परित्याग का उपदेश है। द्वितीय मे अकल्पिक के विमोक्ष का विधान है। तृतीय में अगचेष्टा के प्रति भाषित अथवा आशक्ति मशय के निवारण का विधान है। चतुर्थ में वैहानस (उद्वन्धन) तथा गाढ्वंपृष्ठ को मरण की उपमा दी गई है। पचम में ग्लानता तथा भवतपरिज्ञा का बोध है। पण्ड मे एकत्व-भावना और इगितमरण का बोध है। सप्तम मे प्रतिमाओ तथा पादपोषगमन का विचार किया गया है। अष्टम में अनुपूर्वविहारियो का अधिकार है।^२

विमोक्ष का नामादि छ प्रकार का निक्षेप होता है। भावविमोक्ष दो प्रकार का है देशविमोक्ष और मवविमोक्ष। साधु देशविमुक्त है, सिद्ध सर्वविमुक्त है।^३

नवम अध्वयन का नाम उपधानश्रुत है। इस अव्ययन के अधिकार की चर्चा करते हुए नियुक्तिकार कहते हैं कि जो तीर्थंकर जिस समय उत्पन्न होता है वह उस समय अपने तीर्थ में उपधानश्रुताध्ययन मे तप कर्म का वर्णन करता है।^४ सभी तीर्थंकारो का तप कर्म निरूपसर्ग है किन्तु वर्धमान का तप कर्म सोपसर्ग है।^५ इस अध्वयन के प्रथम उद्देशक का अधिकार चर्चा है, दूसरे का शय्या है, तीसरे का परीपह है, चौथे का आतंककालीन चिकित्सा है। वैसे चारो उद्देशको मे तपश्चर्या का अधिकार तो है ही।^६

‘उपधान’ और ‘श्रुत’ दोनो का नामादि भेद से चार प्रकार का निक्षेप-होता है। शय्यादि मे होने वाला उपधान द्रव्योपधान है, तप और चारित्र-सम्बन्धी उपधान भावोपधान है। जिस प्रकार मलीन वस्त्र उदकादि द्रव्यो से शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार भावोपधान से अष्ट प्रकार के कर्मों की शुद्धि होती है।^७

१. गा. २४९-२५०. २ गा. २५२-६ ३ गा. २५७-९ ४ गा. २७५-
५ गा. २७६ ६ गा २७९. ७. गा. २८०-२,

जो बीरवर वर्धमानस्वामी के बताये हुए इस मार्ग पर चलता है उसे शाश्वत शिवपद की प्राप्ति होती है।^१ यहाँ ब्रह्मचर्य नामक प्रथम श्रुतस्कन्ध की नियुक्ति समाप्त होती है।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध :

प्रथम श्रुतस्कन्ध में नौ ब्रह्मचर्याध्ययनो का प्रतिपादन किया गया। उनमें समस्त विवक्षित अर्थ का अभिधान न किया जा सका। जो अभिधान किया गया वह भी बहुत ही संक्षेप में किया गया। इसी बात को दृष्टि में रखते हुए द्वितीय श्रुतस्कन्ध की रचना की गई। आचाराग के परिमाण की चर्चा करते समय इस ओर निर्देश किया गया था कि इनमें नौ ब्रह्मचर्याभिधायी अध्ययन हैं, अष्टादश सहस्र पद हैं और पाँच चूडाए अर्थात् चूलिकाएँ हैं।^२ चूलिका का स्वरूप बताते हुए शीलाकाचार्य कहते हैं 'उक्तशेषानुवादिनी चूडा' अर्थात् कह चुकने पर जो कुछ शेष रह जाता है उसका कथन चूलिका कहलाता है। द्वितीय श्रुतस्कन्ध को अग्रश्रुतस्कन्ध भी कहते हैं। नियुक्तिकार 'अग्र' शब्द का निक्षेप करते हुए कहते हैं कि अग्र आठ प्रकार का होता है १ द्रव्याग्र, २ अवगाहनाग्र, ३ आदेशाग्र, ४ कालाग्र, ५ क्रमाग्र, ६ गणनाग्र, ७ सचयाग्र, ८ भावाग्र। भावाग्र पुनः तीन प्रकार का है - प्रदानाग्र, प्रभूताग्र और उपकाराग्र। प्रस्तुत अधिकार उपकाराग्र का है।^५

चूलिकाओं का परिमाण इस प्रकार है 'पिण्डैपणा' अध्ययन से लेकर 'अवग्रहप्रतिमा' अध्ययनपर्यन्त सात अध्ययनो की प्रथम चूलिका है, सप्तसप्तिका नामक द्वितीय चूलिका है, भावना नामक तृतीय चूलिका है, चतुर्थ चूलिका का नाम विमुक्ति है, निशीथ पचम चूलिका है।^६

प्रथम चूलिका के सात अध्ययनो के नाम ये हैं - १ पिण्ड, २ शय्या, ३ ईर्या, ४ भाषा, ५ वस्त्र, ६ पात्र, ७ अवग्रह। नियुक्तिकार ने इनकी नामादि निक्षेपो से व्याख्या की है।^६ आगे की गाथाओं में सप्तसप्तिका, भावना और विमुक्ति का विशेष व्याख्यान है। निशीथ चूलिका के विषय में आचार्य कहते हैं कि इसकी नियुक्ति में वाद में कल्लंगा।^६ यह नियुक्ति निशीथनियुक्ति के रूप में अलग से उपलब्ध थी जो बाद में निशीथभाष्य में मिल गई।



| | | |
|---------------|------------|--------------------|
| १ गा २८४ | २ गा ११ | ३ गा. ११ की वृत्ति |
| ४. गा २८५-६ | ५. गा २९७ | ६ गा २९८-३२२. |
| ७. गा ३२३-३४६ | ८ गा. ३४७. | |

षष्ठ प्रकरण

सूत्रकृतांगनियुक्ति

इस नियुक्ति^१ में २०५ गाथाएँ हैं। गाथा १८ और २० में 'सूत्रकृतांग' शब्द का विचार किया गया है। गाथा ६६-६७ में पद्मह प्रकार के परमाषा-मिको के नाम गिनाये गये हैं अम्ब, अम्बरीप, श्याम, शवल, रुद्र, अवरुद्र, काल, महाकाल, असिपत्र, धनुप, कुम्भ, वालुक, वैतरणी, खरस्वर और महा-घोष। आगे की कुछ गाथाओं में नियुक्तिकार ने यह बताया है कि ये नरक-वामियो को किस प्रकार सताते हैं, क्या-क्या यातनाएँ पहुँचाते हैं। गाथा ११९ में आचार्य ने निम्नलिखित ३६३ मतान्तरो का निर्देश किया है १८० क्रियावादी, ८४ अक्रियावादी, ६७ अज्ञानवादी और ३२ वैतनिक। गाथा १२७-१३१ में शिष्य और शिक्षक के भेद-प्रभेदों का निर्देश किया गया है।

इन विषयों के अतिरिक्त प्रस्तुत नियुक्ति में अनेक पदों का निक्षेप-पद्धति से विवेचन किया गया है। उदाहरण के लिए गाथा, षोडश, श्रुत, स्कन्व, पुरुष, विभक्ति, समाधि, मार्ग, आदान, ग्रहण, अध्ययन, पुण्डरीक, आहार, प्रत्याख्यान, सूत्र, आद्रं आदि शब्दों का नामादि निक्षेपों से विचार किया गया है। इस नियुक्ति में पर्यायवाचक शब्दों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। 'आद्रं' पद की व्याख्या करते समय आद्रं की जीवन-कथा भी दे दी गई है। अन्त में नालन्दा अध्ययन की नियुक्ति करते समय 'अलम्' शब्द की नामादि चार प्रकार के निक्षेपों से व्याख्या की गई है और बताया गया है कि राजगृह नगर के बाहर नालन्दा बसा हुआ है।



१. (अ) शीलाकृत टीकासहित--आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९१७.

(आ) सूत्रसहित--सम्पादक : डा. पी. एल. वैद्य, पूना, सन् १९२८.

सप्तम प्रकरण

दशाश्रुतस्कन्धनियुक्ति

यह नियुक्ति^१ दशाश्रुतस्कन्ध नामक छेदमूय पर है। प्रारंभ में नियुक्तिकार ने दशा, कल्प और व्यवहार मूय के कर्त्ता, चरम मकलश्रुतज्ञानी, प्राचीन गोश्रीय भद्रवाहु को नमस्कार किया है।

वदामि भद्रवाहु, पाईण चरममयल्लमुअनाणि।
मुत्तस्स कारगमिस्सि, दमानु कप्पे अ ववहारे॥

तदनन्तर 'एक' और 'दश' का निक्षेप-पद्धति में व्याख्यान किया है तथा दशाश्रुतस्कन्ध के दस अध्ययनो के अप्रिकारो का निर्देश किया है। प्रथम अध्ययन असमाधिस्थान की नियुक्ति में द्रव्य और भावममाधि का म्वन्ध बताया है तथा स्थान के नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, अद्धा, ऊच्चं, चर्या, वसति, समय, प्रग्रह, योध, अचल, गणन, मघान और भाव—इन पद्वह निक्षेपो का उल्लेख किया है :

नाम ठवणा दविए खेत्तद्धा उड्ढओ चर्ई वमही।
सजम परगह जोहो अचल गणण सधणा भावे॥

द्वितीय अध्ययन शबल की नियुक्ति में शबल का नामादि चार निक्षेपो से व्याख्यान किया गया है और बताया गया है कि आचार में भिन्न अर्थात् अशतः गिरा हुआ व्यक्ति भावशबल है।

तृतीय अध्ययन आशातना की नियुक्ति में दो प्रकार की आशातना की व्याख्या है - मिध्याप्रतिपादनसम्बन्धी एव लाभसम्बन्धी (आसापणा उ दुबिहा मिच्छापडिवहजणा य लाभे अ)। लाभसम्बन्धी आशातना के पुन. नामादि छ भेद होते हैं।

चतुर्थ अध्ययन गणिसपदा की नियुक्ति में 'गणि' और 'सपदा' पदों का निक्षेपपूर्वक विचार किया गया है। नियुक्तिकार ने गणि और गुणो को एका-

१. यह परिचय मुनि श्री पुण्यविजयजी के असीम सौजन्य से प्राप्त दशाश्रुतस्कन्धचूर्ण की हस्तलिखित प्रति की नियुक्ति-गाथाओ के आचार पर लिखा गया है।

थक बताया है। आचार का अध्ययन करने से श्रमणधर्म का ज्ञान होता है, अतः आचार को प्रथम गणस्थान दिया गया है। सपदा दो प्रकार की होती है द्रव्यसपदा और भावसपदा। शरीरसपदा द्रव्यसपदा है। आचार आदि भावसपदा है।

चित्तसमाधिस्थान नामक पंचम अध्ययन की निर्युक्ति में 'चित्त' और 'समाधि' का निक्षेपपूर्वक व्याख्यान किया गया है। चित्त नाम, स्थापना, द्रव्य और भावरूप से चार प्रकार का है। इसी प्रकार समाधि भी चार प्रकार की है। भावचित्त की समाधि ही भावसमाधि है। रागद्वेषरहित चित्त जब विशुद्ध धर्म-ध्यान में लीन होता है तभी उसकी समाधि भावसमाधि कही जाती है।

उपासकप्रतिमा नामक षष्ठ अध्ययन की निर्युक्ति में 'उपासक' और 'प्रतिमा' का निक्षेपपूर्वक व्याख्यान किया गया है। उपासक चार प्रकार का होता है - द्रव्योपासक, तदर्थोपासक, मोहोपासक और भावोपासक। जो सम्यग्दृष्टि है तथा श्रमण की उपामना करता है वह भावोपासक है। उसे श्रमण भी कहते हैं। प्रतिमा नामादि चार प्रकार की है। सद्गुणधारणा का नाम भाव प्रतिमा है। वह दो प्रकार की है : भिक्षुप्रतिमा और उपासकप्रतिमा। भिक्षुप्रतिमाएँ वारह हैं। उपासकप्रतिमाओं को मह्या ग्यारह है। प्रस्तुत अधिकार उपासकप्रतिमा का है।

सप्तम अध्ययन में भिक्षुप्रतिमा का अधिकार है। भावभिक्षु की प्रतिमा पाँच प्रकार की होती है समाधिप्रतिमा, उपधानप्रतिमा, विवेकप्रतिमा, प्रतिसलीन-प्रतिमा और एकविहारप्रतिमा —

समाहि उत्रहाणे य विवेगपडिमाड्ढा ।

पडिसलीणा य तहा एगविहारे अ पचमिआ ॥

अष्टम अध्ययन की निर्युक्ति में पयुपणाकल्प का व्याख्यान किया गया है। परिवसना, पयुपणा, पयुपणमना, वर्षावास, प्रथमसमवसरण, स्थापना और ज्येष्ठ-ग्रह एकार्थक है।

परिवसणा पज्जुमणा, पज्जोसमणा य वासवासो य ।

पढमसमोसरण ति य ठवणा जेट्ठोग्गहेगट्ठा ॥

माघुओ के लिए वर्षा ऋतु में चार मास तक एक स्थान पर रहने का जो विधान है उसी का नाम वर्षावास है। उन्हें हेमन्त के चारमास और ग्रीष्म के चार मास इन आठ महीनों में भिन्न-भिन्न स्थानों में विचरना चाहिए।

नवम अध्ययन में मोहनोपस्थान का अधिकार है। मोह नामादि चार प्रकार

का है। पाप, वज्र्यं, चैर, पक, पनक, क्षोभ, असात, मग, शल्म, अतर, निरति और घूर्त्यं मोह के पर्यायवाची हैं :

पावे वज्जे वेरे पके पणगे च्छुहे असाए य ।
सगे सल्लेयरेए निरए धुत्ते य एगट्ठा ॥

दशम अध्ययन में आज्ञातिस्थान का अधिकार है। आज्ञाति अर्थात् जन्म-मरण के क्या कारण हैं और अनाज्ञाति अर्थात् मोक्ष किम प्रकार प्राप्त होता है? इन दोनों प्रश्नों का प्रस्तुत अध्ययन की नियुक्ति में समाधान किया गया है।



अष्टम प्रकरण

बृहत्कल्पनियुक्ति

यह नियुक्ति^१ भाष्यमिश्रित अवस्था में मिलती है। इसमें सर्वप्रथम तीर्थ-करो को नमस्कार किया गया है।^२ इसके बाद ज्ञान के विविध भेदों का निर्देश किया गया है और कहा गया है कि ज्ञान और मंगल में कथञ्चित् भेद और कथञ्चित् अभेद है। मंगल चार प्रकार का है। नाममंगल, स्थापनामंगल, द्रव्यमंगल और भावमंगल।^३ इस प्रकार मंगल का निक्षेप-पद्धति से व्याख्यान किया गया है और साथ ही ज्ञान के भेदों की चर्चा की गई है।

अनुयोग का निक्षेप करते हुए कहा गया है कि नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, वचन और भाव—इन सात भेदों से अनुयोग का निक्षेप होता है।^४ निरुक्त का अर्थ है निश्चित उक्त। वह दो प्रकार का है सूत्रनिरुक्त और अर्थनिरुक्त।^५ अनुयोग का अर्थ इस प्रकार है : अनु अर्थात् पश्चाद्भूत जो योग है वह अनुयोग है। अथवा अणु अर्थात् स्तोकरूप जो योग है वह अनुयोग है। चूँकि यह पीछे होता है और स्तोकरूप में होता है इसलिए इसे अनुयोग कहते हैं।^६ कल्प के चार अनुयोगद्वार हैं। उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय।^७

कल्प और व्यवहार का श्रवण और अध्ययन करने वाला बहुश्रुत, चिर-प्रव्रजित, कल्पिक, अचंचल, अवस्थित, मेघावी, अपरिश्रावी, विद्वान्, प्राप्तानुज्ञात और भावपरिणामक होता है।^८

प्रथम उद्देशक के प्रारम्भ में प्रलम्बसूत्र का अधिकार है। उसकी सूत्रस्पर्शिक नियुक्ति करते हुए कहा गया है कि आदि नकार, ग्रथ, आम, ताल, प्रलम्ब और भिन्न—इन सब पदों का नामादि भेद से चार प्रकार का निक्षेप होता है।^९ इसके बाद प्रलम्बग्रहण से सम्बन्ध रखने वाले प्रायश्चित्तों का वर्णन किया गया है। तत्रग्रहण का विवेचन करते हुए कहा गया है कि तत्रग्रहण दो प्रकार का होता है। सपरिग्रह और अपरिग्रह। सपरिग्रह तीन प्रकार का है। देवपरिगृहीत,

१. नियुक्ति—लघुभाष्य—वृत्तिसहित—सम्पादक मुनि चतुरविजय तथा पुण्य-विजय, प्रकाशक • जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, सन् १९३३-१९४२

२ गा. १. ३. गा. ३-५ ४ गा. १५१ ५ गा. १८८

६ गा. १९०. ७. गा. २५६ ८. गा. ४००-१. ९ ८१५

मनुष्यपरिगृहीत और तिर्यक्परिगृहीत।^१ मासकल्पप्रकृत सूत्रों की व्याख्या करते हुए ग्राम, नगर, खेड, कर्बंटक, मडम्ब, पत्तन, आकर, द्रोणमुख, निगम, राजधानी, आश्रम, निवेश, सवाघ, घोष, अशिका आदि पदों का निक्षेप-पद्धति से विवेचन किया गया है।^२ आगे की कुछ गाथाओं में जिनकल्पिक और स्थविरकल्पिक के आहार-विहार की चर्चा है। व्यवगमनप्रकृत सूत्र की नियुक्ति करते हुए आचार्य कहते हैं कि क्षमित, व्यत्रक्षमित, विनाशित और क्षपित एकार्थबोधक पद हैं। प्राभून, प्रहेणक और प्रणयन एकार्थवाची हैं।^३ प्रथम उद्देशक के अन्त में आर्यक्षेत्रप्रकृत सूत्र का व्याख्यान है जिसमें 'आर्य' पद का नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, जाति, कुल, कर्म, भाषा, शिल्प, ज्ञान, दर्शन और चारित्र—इन बारह प्रकार के निक्षेपों से विचार किया गया है।^४ आर्यक्षेत्र की मर्यादा भगवान् महावीर के समय से ही है, इस बात का निरूपण करते हुए आर्यक्षेत्र के बाहर विचरण करने से लगने वाले दोषों का स्कन्दकाचार्य के दृष्टान्त के साथ दिग्दर्शन किया गया है। साथ ही ज्ञान, दर्शन, चारित्र की रक्षा और वृद्धि के लिए आर्यक्षेत्र के बाहर विचरण की आज्ञा भी दी गई है जिसका सप्रतिराज के दृष्टान्त से समर्थन किया गया है।^५ इसी प्रकार आगे के उद्देशको का भी निक्षेप-पद्धति से व्याख्यान किया गया है।



१. गा. ८९१-२

२. गा. १०८८-११२०.

३. गा. २६७८.

४. गा. ३२६३.

५. गा. ३२७१-३२८९.

नवम प्रकरण व्यवहारनियुक्ति

व्यवहार सूत्र और बृहत्कल्प सूत्र एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार बृहत्कल्पसूत्र में श्रमण-जीवन की साधना के लिए आवश्यक विधि-विधान, दोष, अपवाद आदि का निर्देश किया गया है उसी प्रकार व्यवहारसूत्र में भी इन्हीं विषयो से सबधित उल्लेख है। यही कारण है कि व्यवहार-नियुक्ति में भी अधिकतर उन्ही अथवा उसी प्रकार के विषयो का विवेचन है जो बृहत्कल्प-नियुक्ति में उपलब्ध है। इस प्रकार ये दोनों नियुक्तियाँ परस्पर पूरक हैं। व्यवहारनियुक्ति भी भाष्यमिश्रित अवस्था में ही मिलती है।



१. नियुक्ति-भाष्य-मलयगिरिविवरणसहित—प्रकाशक : केशवलाल प्रेमचंद मोदी
व त्रिकमलाल उगरचंद्र, अहमदाबाद, वि० सं० १९८२-५.

दशम प्रकरण अन्य नियुक्तियाँ

यह पहले ही कहा जा चुका है कि आचार्य भद्रबाहु ने दस सूत्रग्रंथों पर नियुक्ति लिखने की प्रतिज्ञा की थी। इन दस नियुक्तियों में से आठ उपलब्ध हैं और दो अनुपलब्ध। इन आठ नियुक्तियों का परिचय कहीं संक्षेप में तो कहीं विस्तार से दिया जा चुका है। इनके अतिरिक्त पिण्डनियुक्ति, ओषनियुक्ति, पचकल्पनियुक्ति, निशीथनियुक्ति व संसक्तनियुक्ति भी मिलती हैं। संसक्तनियुक्ति बहुत बाद के किसी आचार्य की रचना है। पिण्डनियुक्ति, ओषनियुक्ति और पचकल्पनियुक्ति स्वतन्त्र नियुक्तिग्रंथ न होकर क्रमशः दशवैकालिकनियुक्ति, आवश्यकनियुक्ति और बृहत्कल्पनियुक्ति के ही पूरक अंग हैं। निशीथनियुक्ति भी एक प्रकार से आचारागनियुक्ति का ही अंग है क्योंकि आचारागनियुक्ति के अन्त में स्वयं नियुक्तिकार ने लिखा है कि पचम चूलिका निशीथ की नियुक्ति में बाद में करूँगा।^१ यह नियुक्ति निशीथभाष्य में इस प्रकार समाविष्ट हो गई है कि उसे अलग नहीं किया जा सकता। गोविन्दाचार्यकृत एक अन्य नियुक्ति अनुपलब्ध है।



१. पचमचूलनिसीहं तस्स य उवरिं भणीहामि ।

—आचारागनियुक्ति, गा० ३४७.

प्रथम प्रकरण

भाष्य और भाष्यकार

आगमो की प्राचीनतम पद्यात्मक टीकाए नियुक्तियों के रूप में प्रसिद्ध हैं। नियुक्तियों की व्याख्यान-शैली बहुत गूढ़ एवं सकोचशील है। किसी भी विषय का जितने विस्तार से विचार होना चाहिए, उसका उनमें अभाव है। इसका कारण यही है कि उनका मुख्य उद्देश्य पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या करना है, न कि किसी विषय का विस्तृत विवेचन। यही कारण है कि नियुक्तियों की अनेक बातें बिना आगे की व्याख्याओं की सहायता के सरलता से समझ में नहीं आती। नियुक्तियों के गूढ़ार्थों को प्रकटरूप में प्रस्तुत करने के लिए आगे के आचार्यों ने उन पर विस्तृत व्याख्याएँ लिखना आवश्यक समझा। इस प्रकार नियुक्तियों के आधार पर अथवा स्वतंत्ररूप से जो पद्यात्मक व्याख्याएँ लिखी गईं वे भाष्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। नियुक्तियों की भाँति भाष्य भी प्राकृत में ही है।

भाष्य

जिस प्रकार प्रत्येक आगम-ग्रन्थ पर नियुक्ति न लिखी जा सकी उसी प्रकार प्रत्येक नियुक्ति पर भाष्य भी नहीं लिखा गया। निम्नलिखित आगम ग्रन्थों पर भाष्य लिखे गये हैं १ आवश्यक, २ दशवैकालिक, ३ उत्तराध्ययन, ४ बृहत्कल्प, ५ पञ्चकल्प, ६ व्यवहार, ७ निशीथ, ८ जीतकल्प, ९ ओष-नियुक्ति, १० पिण्डनियुक्ति।

आवश्यकसूत्र पर तीन भाष्य लिखे गए हैं १. मूलभाष्य, २ भाष्य और ३ विशेषावश्यकभाष्य। प्रथम दो भाष्य बहुत ही संक्षिप्त रूप में लिखे गये और उनकी अनेक गाथाएँ विशेषावश्यकभाष्य में सम्मिलित कर ली गईं। इस प्रकार विशेषावश्यकभाष्य को तीनों भाष्यों का प्रतिनिधि माना जा सकता है, जो आज भी विद्यमान है। यह भाष्य पूरे आवश्यकसूत्र पर न होकर केवल उसके प्रथम अध्ययन 'सामायिक' पर है। एक अध्ययन पर होते हुए भी इसमें ३६०३ गाथाएँ हैं। दशवैकालिकभाष्य में ६३ गाथाएँ हैं। उत्तराध्ययनभाष्य भी बहुत छोटा है। इसमें केवल ४५ गाथाएँ हैं। बृहत्कल्प पर दो भाष्य हैं : बृहत् और लघु। बृहद्भाष्य पूरा उपलब्ध नहीं है। लघुभाष्य में ६४९०

गाथाएं हैं। पंचकल्प-महाभाष्य की गाथामत्या २५७४ है। व्यवहारभाष्य में ४६२९ गाथाएं हैं। निशीथभाष्य में लगभग ६५०० गाथाएं हैं। जीत-कल्पभाष्य की गाथासख्या २६०६ है। ओघनियु^१क्ति पर दो भाष्य हैं जिनमें से एक की गाथासख्या ३२२ तथा दूसरे की २५१७ है। पिण्डनियु^२क्ति-भाष्य में ४६ गाथाएं हैं।

भाष्यकार :

उपलब्ध भाष्यों की प्रतियों के आधार पर केवल दो भाष्यकारों के नाम का पता लगता है। वे हैं आचार्य जिनभद्र और सघदासगणि। आचार्य जिनभद्र ने दो भाष्य लिखे विशेषावश्यकभाष्य और जीतकल्पभाष्य। सघदासगणि के भी दो भाष्य हैं - बृहत्कल्प-लघुभाष्य और पञ्चकल्प-महाभाष्य।

आचार्य जिनभद्र :

आचार्य जिनभद्र^१ का अपने महत्त्वपूर्ण ग्रंथों के कारण जैन परंपरा के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान है। इतना होते हुए भी आश्चर्य इस बात का है कि उनके जीवन की घटनाओं के विषय में जैन ग्रंथों में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। उनके जन्म और शिष्यत्व के विषय में परस्पर विरोधी उल्लेख मिलते हैं। ये उल्लेख बहुत प्राचीन नहीं हैं अपितु १५वीं या १६वीं शताब्दी की पट्टावलियों में हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि आचार्य जिनभद्र को पट्टपरंपरा में सम्यक् स्थान नहीं मिला। उनके महत्त्वपूर्ण ग्रंथों तथा उनके आधार पर लिखे गये विवरणों को देखकर ही बाद के आचार्यों ने उन्हें उचित महत्त्व दिया तथा आचार्य-परंपरा में सम्मिलित करने का प्रयास किया। चूंकि इस प्रयास में वास्तविकता की मात्रा अधिक नहीं थी अतः यह स्वाभाविक है कि विभिन्न आचार्यों के उल्लेखों में मतभेद हो। यही कारण है कि उनके सबंध में यह भी उल्लेख मिलता है कि वे आचार्य हरिभद्र के पट्ट पर बैठे।

आचार्य जिनभद्रकृत विशेषावश्यकभाष्य की प्रति शक सवत् ५३१ में लिखी गई तथा बलभी के एक जैन मंदिर में समर्पित की गई। इस घटना से यह प्रतीत होता है कि आचार्य जिनभद्र का बलभी से कोई सबंध अवश्य होना चाहिए। आचार्य जिनभद्र लिखते हैं कि आचार्य जिनभद्र क्षमाभ्रमण ने मथुरा में देवनिर्मित स्तूप के देव की आराधना एक पक्ष की तपस्या द्वारा की और दीमक द्वारा खाए हुए महानिनीथसूत्र का उद्धार किया।^२ इससे

१. गणधरवाद : प्रस्तावना, पृ० २७-४५

२. विविधतीर्थकल्प पृ० १९

यह सिद्ध होता है कि आचार्य जिनभद्र का सवध बलभी के अतिरिक्त मथुरा से भी है।

डा० उमाकांत प्रेमानंद शाह ने अंकोट्टक—अकोटा गाँव से प्राप्त हुई दो प्रतिमाओं के अध्ययन के आधार पर यह सिद्ध किया है कि ये प्रतिमाएँ ई० सन् ५५० से ६०० तक के काल की हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि इन प्रतिमाओं के लेखों में जिन आचार्य जिनभद्र का नाम है, वे विशेषावश्यकभाष्य के कर्ता क्षमाश्रमण आचार्य जिनभद्र ही हैं। उनकी वाचना के अनुसार एक मूर्ति के पद्मासन के पिछले भाग में 'ॐ देवाधर्मोय निवृत्तिकुले जिनभद्रवाचनाचार्यस्य' ऐसा लेख है और दूसरी मूर्ति के भामडल में 'ॐ निवृत्तिकुले जिनभद्रवाचनाचार्यस्य' ऐसा लेख है।^१ इन लेखों से तीन बातें फलित होती हैं (१) आचार्य जिनभद्र ने इन प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित किया होगा, (२) उनके कुल का नाम निवृत्तिकुल था और (३) उन्हें वाचनाचार्य कहा जाता था। चूँकि ये मूर्तियाँ अकोट्टक में मिली हैं, अतः यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय भडौच के आसपास भी जैनो का प्रभाव रहा होगा और आचार्य जिनभद्र ने इस क्षेत्र में भी विहार किया होगा। उपर्युक्त उल्लेखों में आचार्य जिनभद्र को क्षमाश्रमण न कहकर वाचनाचार्य इसलिए कहा गया है कि परंपरा के अनुसार वादी, क्षमाश्रमण, दिवाकर तथा वाचक एकार्थक शब्द माने गए हैं।^२ वाचक और वाचनाचार्य भी एकार्थक हैं, अतः वाचनाचार्य और क्षमाश्रमण शब्द वास्तव में एक ही अर्थ के सूचक हैं।^३ इनमें से एक का प्रयोग करने से दूसरे का प्रयोजन भी सिद्ध हो ही जाता है।

१. जैन सत्य प्रकाश, अंक १९६.

२ वही

३ प० श्री दलरुख मालवणिया ने इन शब्दों की मीमांसा इस प्रकार की है —

प्रारंभ में 'वाचक' शब्द शास्त्रविशारद के लिए विशेष प्रचलित था। परन्तु जब वाचको में क्षमाश्रमणों की संख्या बढ़ती गई तब 'क्षमाश्रमण' शब्द भी वाचक के पर्याय के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अथवा 'क्षमाश्रमण' शब्द आवश्यकसूत्र में सामान्य गुरु के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। अतः संभव है कि शिष्य विद्यागुरु के क्षमाश्रमण के नाम से संबोधित करते रहे हों। इसलिए यह स्वाभाविक है कि 'क्षमाश्रमण' 'वाचक' का पर्याय बन जाए। जैन समाज में जब वादियों की प्रतिष्ठा स्थापित हुई, शास्त्र-वैशारद्य के कारण वाचकों का ही अधिकतर भाग 'वादी' नाम से विख्यात हुआ

आचार्य जिनभद्र निवृत्तिकुल के थे, इसका प्रमाण उपयुक्त लेखों के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं मिलता। यह निवृत्तिकुल कैसे प्रसिद्ध हुआ, इसके लिए निम्न कथन का आधार लिया जा सकता है —

भगवान् महावीर के १७ वें पट्ट पर आचार्य वज्रसेन हुए थे। उन्होने सोपारक नगर के सेठ जिनदत्त और सेठानी ईश्वरी के चार पुत्रों को दीक्षा दी थी। उनके नाम इस प्रकार थे नागेन्द्र, चन्द्र, निवृत्ति और विद्याधर। आगे जाकर इनके नाम से भिन्न-भिन्न चार प्रकार की परम्पराएँ प्रचलित हुईं और उनकी नागेन्द्र, चन्द्र, निवृत्ति तथा विद्याधर कुलों के रूप में प्रसिद्धि हुई।^१

इन तथ्यों के अतिरिक्त उनके जीवन से सवधित और कोई विशेष बात नहीं मिलती। हाँ, उनके गुणों का वर्णन अवश्य उपलब्ध होता है। जीतकल्पचूर्ण के कर्ता सिद्धसेनगणि अपनी चूर्ण के प्रारम्भ में आचार्य जिनभद्र की स्तुति करते हुए उनके गुणों का इस प्रकार वर्णन करते हैं —

“जो अनुयोगधर, युगप्रधान, प्रधान ज्ञानियों से बहुमत, सर्व श्रुति और शास्त्र में कुशल तथा दर्शन-ज्ञानोपयोग के मार्गरक्षक है। जिस प्रकार कमल की सुगन्ध के वश में होकर भ्रमर कमल की उपासना करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानरूप मकरकंद के पिपासु मुनि जिनके मुखरूप निर्झर से प्रवाहित ज्ञानरूप अमृत का सर्वदा सेवन करते हैं। स्व-समय तथा पर-समय के अगम, लिपि, गणित, छन्द और शब्दशास्त्रों पर किए गए व्याख्यानो से निर्मित जिनका अनुपम यशपट्ट दशो दिशाओं में बज रहा है। जिन्होंने अपनी अनुपम बुद्धि के प्रभाव से ज्ञान, ज्ञानी, हेतु, प्रमाण तथा गणधरवाद का सविशेष विवेचन विशेषावश्यक में ग्रथनिबद्ध किया है। जिन्होंने छेदसूत्रों के अर्थ के आधार पर पुरुषविशेष के पृथक्करण के अनुसार प्रायश्चित्त की विधि का विधान

होगा। अतः कालांतर में ‘वादी’ का भी ‘वाचक’ का ही पर्यायवाची बन जाना स्वभाविक है। सिद्धसेन जैसे शास्त्रविशारद विद्वान् अपने को ‘दिवाकर’ कहलाते होंगे अथवा उनके साथियों ने उन्हें ‘दिवाकर’ की पदवी दी होगी, इसलिए ‘वाचक’ के पर्याय में ‘दिवाकर’ को भी स्थान मिल गया। आचार्य जिनभद्र का युग क्षमाश्रमणों का युग रहा होगा, अतः संभव है कि उनके बाद के लेखकों ने उनके लिए ‘वाचनाचार्य’ के स्थान पर ‘क्षमाश्रमण’ पद का उल्लेख किया हो।

—गणधरवाद प्रस्तावना, पृ ३१.

करने वाले जीतकल्पसूत्र की रचना की है। ऐसे पर-समय के मिद्धांतो में निपुण, मंथमसील भ्रमणो के मार्ग के अनुगामी और क्षमाश्रमणों में निधानभूत जिन-भद्रगणि क्षमाश्रमण को नमस्कार हो।”

इन वर्णन ने ऐसा प्रतीत होता है कि जिनभद्रगणि भागमो के अग्नितीय व्याख्याता थे, 'युगप्रधान' पद के धारक थे, तत्कालीन प्रधान श्रुतधर भी इनका बहुमान करने थे, श्रुति और दन्व्य शास्त्रों के गृहल विद्वान् थे। जैन परंपरा में जो ज्ञान-दानरूप उपयोग का विचार किया गया है, उसके ये समर्थक थे। उनकी सेवा में अनेक मुनि ज्ञानान्धकार करने के लिए सदा उपस्थित रहने थे। भिन्न-भिन्न दर्शनों के शास्त्र, लिपिविद्या, गणितशास्त्र, छद्म-शास्त्र, वादशास्त्र आदि के ये अनुपम पंडित थे। उन्होंने विशेषावश्यकभाष्य और जीतकल्पसूत्र की रचना की थी। ये पर-मिद्धान्त में निपुण, स्वाचारपालन में प्रवण और सर्व जन श्रमणों में प्रमुख थे।

उत्तरवर्ती भाषाओं ने भी आचार्य जिनभद्र का बहुमानपूर्वक नामोच्चारण किया है। इनके लिए भाष्यपुष्पाभोषि, भाष्यपीयूषपाशोषि, भगवान् भाष्यकार, दुष्प-मान्यकारनिमग्नजिनवचनप्रदीपप्रतिम, दलिनकुत्यादिप्रयाद, प्रशम्यभाष्यमस्यताप्य-पोषकल्प, त्रिभुवनजनप्रथितप्रचनोपनिपद्येक्षी, गन्देहगन्दोद्गन्तश्रगभगदम्भोलि आदि विशेषणों का प्रयोग किया है।

आचार्य जिनभद्र के समय के विषय में मुनि श्री जिनविजयजी का मत है कि उनकी मुख्य कृति विशेषावश्यकभाष्य की जैश्लमेर स्थित प्रति के अन्त में मिलने वाली दो गाथाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस भाष्य की रचना विक्रम संवत् ६६६ में हुई। ये गाथाएँ इस प्रकार हैं —

पच मता इगतीसा भगणिवकाल्दम्म वट्माणस्स ।

तो चैत्तपुण्णिमाए बुधदिण सार्तिमि णक्खत्ते ॥

रज्जे णु पालणपरे सी (लाइ) च्चम्मि णरवरिन्दम्मि ।

वलभीणगरीए इम महवि मि जिणभवणे ॥

मुनि श्री जिनविजयजी ने इन गाथाओं का अर्थ इस प्रकार किया है - शक संवत् ५३१ (विक्रम संवत् ६६६) में वलभी में जिन समय शीलादित्य राज्य करता था उस समय चैत्र शुक्ला पूर्णिमा, बुधवार और स्वाति नक्षत्र में विशेषावश्यकभाष्य की रचना पूर्ण हुई।

प० श्री दलमुख मालवणिया इस मत का विरोध करते हैं। उनकी मान्यता है कि उपयुक्त मत मूल गाथाओं से फलित नहीं होता। उनके मतानुसार इन २ जीतकल्पवर्णन, गा० ५-१० (जीतकल्पसूत्र . प्रस्तावना, पृ० ६-७)

गाथाओ में रचनाविषयक कोई उल्लेख नहीं है। वे कहते हैं कि खण्डित अक्षरो को हम यदि किसी मंदिर का नाम मान लें तो इन दोनों गाथाओ में कोई क्रिया पद नहीं रह जाता। ऐसी अवस्था में उसकी शक सवत् ५३१ में रचना हुई, ऐसा निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। अधिक संभव यह है कि वह प्रति उस समय लिखी जाकर उस मंदिर में रखी गई हो। इस मत की पुष्टि के लिए कुछ प्रमाण भी दिये जा सकते हैं —

१—ये गाथाएँ केवल जैसलमेर की प्रति में ही मिलती हैं, अन्य किसी प्रति में नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि ये गाथाएँ मूलभाष्य की न होकर प्रति लिखी जाने तथा उक्त मंदिर में रखी जाने के समय की सूचक हैं। जैसलमेर की प्रति मन्दिर में रखी गई प्रति के आधार पर लिखी गई होगी।

२—यदि इन गाथाओ की रचनाकालसूचक माना जाए तो इनकी रचना आचार्य जिनभद्र ने की है, यह भी मानना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में इनकी टीका भी मिलनी चाहिए। परन्तु बात ऐसी नहीं है। आचार्य जिनभद्र द्वारा प्रारंभ की गई विशेषावश्यकभाष्य की सर्वप्रथम टीका में अथवा कोट्याचार्य और मलधारी हेमचन्द्र की टीकाओ में इन गाथाओ की टीका नहीं मिलती। इतना ही नहीं अपितु इन गाथाओ के अस्तित्व की सूचना तक नहीं है।

इन प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि ये गाथाएँ आचार्य जिनभद्र ने न लिखी हो अपितु उस प्रति की नकल करने-कराने वालों ने लिखी हो। ऐसी स्थिति में यह भी स्वतः सिद्ध है कि इन गाथाओ में निर्दिष्ट समय रचना समय नहीं अपितु प्रतिलेखनसमय है। कोट्यायं के उल्लेख से यह भी निश्चित है कि आचार्य जिनभद्र की अंतिम कृति विशेषावश्यकभाष्य है। इस भाष्य की स्वोपज्ञ टीका उनकी मृत्यु हो जाने के कारण पूर्ण न हो सकी।^१

यदि विशेषावश्यकभाष्य की जैसलमेर स्थित उक्त प्रति का लेखनसमय शक सवत् ५३१ अर्थात् विक्रम संवत् ६६६ माना जाए तो विशेषावश्यकभाष्य का रचनासमय इससे पूर्व ही मानना पड़ेगा। यह भी हम जानते हैं कि विशेषावश्यकभाष्य आचार्य जिनभद्र की अन्तिम कृति थी और उसकी स्वोपज्ञ टीका भी उनकी मृत्यु के कारण अपूर्ण रही, ऐसी दशा में यदि यह माना जाए कि जिनभद्र का उत्तरकाल विक्रम सवत् ६५०-६६० के आसपास रहा होगा तो अनुचित नहीं है।

आचार्य जिनभद्र ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की है १ विशेषावश्यकभाष्य (प्राकृत पद्य), २ विशेषावश्यकभाष्यस्वोपज्ञवृत्ति (अपूर्ण—संस्कृत

अन्य भाष्यकार :

आचार्य जिनभद्र और सघदासगणि को छोड़कर अन्य भाष्यकारों के नाम का पता अभी तक नहीं लग पाया है। यह तो निश्चित है कि इन दो भाष्यकारों के अतिरिक्त अन्य भाष्यकार भी हुए हैं जिन्होंने व्यवहारभाष्य आदि की रचना की है। मुनि श्री पुण्यविजयजी के मतानुसार कम से कम चार भाष्यकार तो हुए ही हैं। उनका कथन है कि एक श्री जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण, दूसरे श्री संघदासगणि क्षमाश्रमण, तीसरे व्यवहारभाष्य आदि के प्रणेता और चौथे बृहद्भाष्य आदि के रचयिता—इस प्रकार सामान्यतया चार आगमिक भाष्यकार हुए हैं। प्रथम दो भाष्यकारों के नाम तो हमें मालूम ही हैं। बृहत्कल्प-बृहद्भाष्य के प्रणेता, जिनका नाम अभी तक अज्ञात है, बृहत्कल्पचूर्णिकार तथा बृहत्कल्पविशेषचूर्णिकार से भी पीछे हुए हैं। इसका कारण यह है कि बृहत्कल्पलघुभाष्य की १६६१ वीं गाथा में प्रतिलेखना के समय का निरूपण किया गया है। उसका व्याख्यान करते हुए चूर्णिकार और विशेषचूर्णिकार ने जिन आदेशातरो का अर्थात् प्रतिलेखना के समय से सवध रखने वाली विविध मान्यताओं का उल्लेख किया है उनसे भी और अधिक नई-नई मान्यताओं का संग्रह बृहत्कल्प-बृहद्भाष्यकार ने उपयुक्त गाथा से सम्बन्धित महाभाष्य में किया है जो याकिनीमहत्तरासूनु आचार्य श्री हरिभद्रसूरिविरचित पचवस्तुकप्रकरण की स्वोपज्ञ वृत्ति में उपलब्ध है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बृहत्कल्प-बृहद्भाष्य के प्रणेता बृहत्कल्पचूर्णि तथा विशेषचूर्णि के प्रणेताओं से पीछे हुए हैं। ये आचार्य हरिभद्रसूरि के कुछ पूर्ववर्ती अथवा समकालीन हैं। अब रही बात व्यवहारभाष्य के प्रणेता कौन हैं और वे कब हुए हैं? इतना होते हुए भी यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि व्यवहारभाष्यकार जिनभद्र के भी पूर्ववर्ती हैं।^१ इसका प्रमाण यह है कि आचार्य जिनभद्र ने अपने विशेषणवती ग्रंथ में व्यवहार के नाम के साथ जिस विषय का उल्लेख किया है वह व्यवहारसूत्र के छठे उद्देशक के भाष्य में उपलब्ध होता है।^२ इससे

१ नियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्त्युपेत बृहत्कल्पसूत्र (षष्ठ भाग) प्रस्तावना,
पृ० २१-२२

२ सीहो सुदाढनागो, आसगीत्रो य होइ अण्णोसि ।
सिहो मिगद्धओ त्ति य, होइ वसुदेवचरियम्मि ॥
सीहो चैव सुदाढो, ज रायगिहम्मि कविलबडुओ त्ति ।
सीसइ बवहारे गोयमोवसमिओ स णिक्खत ॥

सोहो रिचिट्ट निगो, भमिउं रायगिट कल्लियट्टुग नि ।
जिगवर वट्टणमल्लुवमन; गोयभोवमन दिवगा य ॥

—अवहारभाष्य, १९२.

द्वितीय प्रकरण

विशेषावश्यकभाष्य

विशेषावश्यकभाष्य^१ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जैन आगमों में वर्णित सभी महत्त्वपूर्ण विषयों की चर्चा की गई है। जैन ज्ञानवाद, प्रमाणशास्त्र, आचार-नीति, स्याद्वाद, नयवाद, कर्मसिद्धान्त आदि सभी विषयों से सम्बन्धित सामग्री की प्रचुरता का दर्शन इस ग्रन्थ में सहज ही उपलब्ध होता है। इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जैन तत्त्व का निरूपण केवल जैन दृष्टि से न होकर इतर दार्शनिक मान्यताओं की तुलना के साथ हुआ है। आचार्य जिनभद्र ने आगमों की सभी प्रकार की मान्यताओं का जैसा तर्कपुरस्सर निरूपण इस ग्रन्थ में किया है वैसा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। यही कारण है कि जैनागमों के तात्पर्य को ठीक तरह समझने के लिए विशेषावश्यकभाष्य एक अत्यन्त उपयोगी ग्रंथ है। आचार्य जिनभद्र के उत्तरवर्ती जैनाचार्यों ने विशेषावश्यकभाष्य की सामग्री एवं तर्कपद्धति का उदारतापूर्वक उपयोग किया है। उनके बाद में लिखा गया आगम की व्याख्या करनेवाला एक भी महत्त्वपूर्ण ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें विशेषावश्यकभाष्य का आधार न लिया गया हो।

इस सक्षिप्त भूमिका के साथ अब हम विशेषावश्यकभाष्य के विस्तृत परिचय की ओर बढ़ते हैं। यह ग्रंथ आवश्यकसूत्र की व्याख्यारूप है। इसमें केवल प्रथम अध्ययन अर्थात् सामायिक से सम्बन्धित नियुक्ति की गाथाओं का विवेचन किया गया है।

उपोद्घात :

सर्वप्रथम आचार्य ने प्रवचन को प्रणाम किया है एवं गुरु के उपदेशानुसार सकल चरण-गुणसग्रह रूप आवश्यकानुयोग करने की प्रतिज्ञा की है। इसके फल

- १ (क) शिष्यहिताख्य बृहद्वृत्ति (मलधारी हेमचन्द्रकृत टीका) सहित—यशो-विजय जैन ग्रन्थमाला, बनारस, चीर सवत् २४२७-२४४१
- (ख) गुजराती अनुवाद—आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९२४-१९२७
- (ग) विशेषावश्यकगाथानामकारादि. क्रम तथा विशेषावश्यकविषयाणाम-नुक्रम.—आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९२३
- (घ) स्वोपज्ञ वृत्तिसहित (प्रथम भाग)—लालभाई दलपतभाई भारतीय सस्कृति विद्यामंदिर, अहमदाबाद, सन् १९६६.

आदि का विचार करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि आवश्यकानुयोग का फल, योग भगल, समुदायार्थ, द्वारोपन्यास, तद्भेद, निरुक्त, क्रमप्रयोजन आदि दृष्टियों से विचार करना चाहिए ।^१

फलद्वार :

आवश्यकानुयोग का फल यह है . ज्ञान और क्रिया से मोक्ष होता है और आवश्यक ज्ञान-क्रियामय है, अतः उसके व्याख्यानरूप कारण से मोक्षलक्षणरूप कार्यसिद्धि होती है ।^२

योगद्वार .

योगद्वार की व्याख्या इस प्रकार है जिस प्रकार वैद्य बालक आदि के लिए यथोचित आहार की सम्मति देता है, उसी प्रकार मोक्षमार्गाभिलाषी भव्य के लिए प्रारम्भ में आवश्यक का आचरण योग्य है—उपयुक्त है ।^३ आचार्य शिष्य को पचनमस्कार करने पर सर्वप्रथम विधिपूर्वक सामायिक आदि देता है; उसके बाद क्रमशः शेष श्रुति का भी बोध कराता है^४ क्योंकि स्थविरकल्प का क्रम उसी प्रकार है । वह क्रम यो है . प्रव्रज्या, शिक्षापद, अर्थग्रहण, अनियतवास, निष्पत्ति, विहार और सामाचारीस्थिति ।^५ यहाँ एक शका होती है कि यदि पहले नमस्कार करना चाहिए और बाद में सामायिकादि आवश्यक का ग्रहण करना चाहिए, तो सर्वप्रथम नमस्कार का अनुयोग करना चाहिए और उसके बाद आवश्यक का अनुयोग करना उपयुक्त है । इसका उत्तर देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि नमस्कार सर्व श्रुतस्कन्ध का अन्त्यन्तर है अतः आवश्यकानुयोग के ग्रहण के साथ उसका भी ग्रहण ही हो जाता है । नमस्कार सर्वश्रुतस्कन्धाभ्यन्तर है इसका क्या प्रमाण ? उसकी सर्वश्रुताभ्यन्तरता का यही प्रमाण है कि उसे प्रथम भगल कहा गया है । दूसरी बात यह है कि इसका नदी में पृथक् श्रुतस्कन्ध के रूप में ग्रहण नहीं किया गया है ।^६

भगलद्वार :

अब भगलद्वार की चर्चा प्रारम्भ होती है । भगल की क्या उपयोगिता है, यह बताते हुए कहा गया है कि श्रेष्ठ कार्य में अनेक विघ्न उपस्थित हो जाया करते हैं । उन्ही की शान्ति के लिए भगल किया जाता है । शास्त्र में भगल तीन स्थानों पर होता है आदि, मध्य और अन्त । प्रथम भगल का प्रयोजन शास्त्रार्थ की अविघ्नपूर्वक समाप्ति है, द्वितीय का प्रयोजन उसी की स्थिरता है और तृतीय का प्रयोजन उसी की शिष्य-प्रशिष्यादि वक्षपर्यन्त अव्यवच्छिन्ति है ।^७ भाष्यकार ने भगल का शब्दार्थ इस प्रकार किया है मंगयत्तेऽधिगम्यते येन हितं तेन भगल

१ गा० १-२ २. गा० ३ ३ गा० ४ ४ गा० ५ ५ गा० ७

६ गा० ८-१० ७ गा० १२-४

भवति' अर्थात् जिससे हित की सिद्धि होती है वह मंगल है। अथवा मगो धर्मस्तं लाति तक समादत्ते' अर्थात् जो धर्म का समादान कराता है वह मंगल है। अथवा निपातन से मंगल का अर्थ इष्टार्थप्रकृति हो सकता है। अथवा 'मां गालयति भवाद्' अर्थात् जो भावचक्र से मुक्त करता है वह मंगल है। उसके नामादि चार प्रकार हैं।^१ इसके बाद आचार्य ने नाम, स्थापना, द्रव्य, और भावमंगल के स्वरूप का विस्तारपूर्वक विचार किया है। द्रव्यमंगल की चर्चा करते समय नयो के स्वरूप, क्षेत्र आदि की ओर भी निर्देश किया है।^२ चार प्रकार के मंगलों में एक-दूसरे से क्या विशेषता है, इसको ओर निर्देश करते हुए आचार्य कहते हैं कि जैसा आकार, अभिप्राय, बुद्धि, क्रिया और फल स्थापनेन्द्र में देखा जाता है, वैसा न नामेन्द्र में देखा जाता है, न द्रव्येन्द्र में। उसी प्रकार जैसा उपयोग और परिणमन द्रव्य और भाव में देखा जाता है, वैसा न नाम में है, न स्थापना में।^३ वस्तु का अभिधान मात्र नाम है, उसका आकार स्थापना है, उसकी कारणता द्रव्य है और उसकी कार्यापन्नता भाव है।^४ प्रकारान्तर से मंगल की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि नदी को भी मंगल कहा जा सकता है। उसके भी मंगल की तरह चार प्रकार हैं। उनमें से भावनदी पञ्चज्ञानरूप है।^५ वे पाँच ज्ञान हैं आभिनिबोधिकज्ञान (मतिज्ञान), श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान।^६

ज्ञानपञ्चक -

अभिनिबोध का अर्थ है अर्थाभिमुख नियत बोध। यही आभिनिबोधिक ज्ञान (मतिज्ञान) है। जो सुना जाता है अथवा जो सुनता है अथवा जिसमें सुना जाता है वह श्रुत है। अवधि का अर्थ है मर्यादा। जिससे मर्यादित द्रव्यादि जाने जाते हैं वह अवधिज्ञान है। वह जो ज्ञान मन के पर्यायो को जानता है मन-पर्ययज्ञान है। पर्यय का अर्थ पर्यवन, पर्ययन और पर्याय है। केवलज्ञान अकेला अर्थात् असहाय है, शुद्ध है, पूर्ण है, असाधारण है, अनन्तर है।^७ इसके बाद आचार्य ने यह सिद्ध किया है कि इन पाँच प्रकारों को इसी क्रम से क्यों गिनाया गया है। इन पाँच ज्ञानों में से मति और श्रुत परोक्ष हैं, शेष प्रत्यक्ष है। अक्ष का अर्थ है जीव। जो ज्ञान सीधा जीव से उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो ज्ञान द्रव्येन्द्रिय और द्रव्यमन की सहायता से उत्पन्न होता है वह परोक्ष है।^८ वैशेषिकादिसम्मत इन्द्रियोत्पन्न प्रत्यक्ष का खण्डन करते हुए आचार्य कहते हैं कि कुछ लोग इन्द्रियो को अक्ष मानते हैं और उनसे उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, यह ठीक नहीं। इन्द्रियाँ घटादि की तरह अचेतन हैं, अतः उनसे ज्ञान उत्पन्न नहीं

१. गा. २२-४. २. गा. २५-५१. ३. गा. ५३-४ ४. गा. ६० ५. गा. ७८.
६. गा. ७९. ७. गा. ८०-४. ८. गा. ८५-९०.

हो सकता।^१ इन्द्रिय-मनोजन्य ज्ञान को परोक्ष सिद्ध करने के लिए अनेक हेतु प्रस्तुत करते हुए भाष्यकार ने यही निष्कर्ष निकाला है कि लैंगिक अर्थात् अनुमान-जन्य ज्ञान एकान्तरूप से परोक्ष है, अवधिआदि एकान्तरूप से प्रत्यक्ष है, इन्द्रिय मनोजन्य ज्ञान सव्यवहारप्रत्यक्ष है।^२

मति और श्रुत .

मति और श्रुत के लक्षणभेद की चर्चा करते हुए आचार्य कहते हैं कि जो विज्ञान इन्द्रिय-मनोनिमित्तक तथा श्रुतानुसारी है वह भावश्रुत है। शेष मति है।^३ दूसरी बात यह है कि श्रुत मतिपूर्वक होता है किन्तु मति श्रुतपूर्वक नहीं होती।^४ भाष्यकार ने इस विषय पर विस्तृत चर्चा की है कि श्रुत मतिपूर्वक होता है, इसका क्या अर्थ है ? द्रव्यश्रुत और भावश्रुत में क्या मन्वद है ? द्रव्यश्रुत मति-पूर्वक होता है अथवा भावश्रुत ?^५ मति और श्रुत में एक भेद यह भी है कि श्रुत श्रोत्रेन्द्रियोपलब्धि है, शेष मति है। यहाँ पर एक शका होती है कि श्रोत्रेन्द्रियोपलब्धि यदि श्रुत ही है, तो श्रोत्रेन्द्रियजन्य अवग्रह आदि का क्या होगा ? यदि श्रोत्रेन्द्रियजन्य अवग्रह आदि बुद्धि को मति माना जाए तो वह श्रुत नहीं हो सकती, श्रुत मानने पर मति नहीं हो सकती, दोनों मानने पर मकर दोष का प्रसंग उपस्थित होता है। इसका समाधान करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि हमारा प्रयोजन यह है कि श्रोत्रेन्द्रियोपलब्धि ही श्रुत है, न कि श्रोत्रेन्द्रियोपलब्धि श्रुत ही है। कही-कही पर (अश्रुतानुसारिणी) श्रोत्रेन्द्रियोपलब्धि मति भी होती है।^६ पञ्चादिगत मामग्री श्रुत का कारण होने से शब्द के समान द्रव्यश्रुत मानी गयी है। अक्षरलाभ भावश्रुत है। शेष मतिज्ञान है।^७ अनभिलाष्य पदार्थों का अनन्तवा भाग प्रज्ञापनीय है। प्रज्ञापनीय पदार्थों का अनन्तवा भाग श्रुतनिवद्ध है। ऐसा क्यों ? क्योंकि जो चतुर्दशपूर्वधर होते हैं वे परस्पर पदस्थानपतित होते हैं और इसीलिए जो सूत्र हैं वे प्रज्ञापनीय भावों के अनन्तवें भाग हैं।^८ मति और श्रुत के भेद को और स्पष्ट करने के लिए बल्क और शुम्ब के उदाहरण की युक्तियुक्त परीक्षा करते हुए भाष्यकार ने यह सिद्ध किया है कि मति बल्क के समान है और भावश्रुत शुम्ब के समान है।^९ इसी प्रकार अक्षर और अनक्षर के भेद से भी श्रुत और मति की व्याख्या की है।^{१०} मूक और इतर भेद से मति और श्रुत के भेद का विचार करते हुए आचार्य ने यह प्रतिपादन किया है कि करादिचेष्टा शब्दार्थ ही हैं, क्योंकि वह

१ गा ९१ २. गा ९५, ३ गा १००. ४ गा० १०५.
५. गा० १०६-११३. ६. गा० १२२ ७. गा० १२४ ८ गा० १४१-२
९. गा० १५४-१६१ १० गा० १६२-१७०.

उसी का काम करती है और इसप्रकार श्रुतज्ञान का कारण है, न कि मति का ।^१ यहाँ तक मति-श्रुत के भेद का अधिकार है ।

आभिनिबोधिक ज्ञान :

आभिनिबोधिक ज्ञान के भेदों की ओर निर्देश करते हुए आगे कहा गया है कि इन्द्रिय-मनोनिमित्त जो आभिनिबोधिक ज्ञान है उसके दो भेद हैं श्रुत-निश्चित और अश्रुतनिश्चित । इन दोनों के पुनः चार-चार भेद होते हैं अवग्रह, ईहा, अपाय और धारणा । सामान्यरूप से अर्थ का अवग्रहण अवग्रह है, भेद की मार्गणा करना ईहा है, उसका निश्चय अपाय है और उसकी अविच्युति धारणा है ।^२ जो लोग सामान्यविशेष के ग्रहण को अवग्रह कहते हैं उनका मत ठीक नहीं क्योंकि उसमें अनेक दोष हैं । कुछ लोग यह कहते हैं कि ईहा सशयमात्र है, यह ठीक नहीं, क्योंकि सशय तो अज्ञान है जबकि ईहा ज्ञान है । ऐसी स्थिति में ज्ञानरूप ईहा अज्ञानरूप सशय कैसे हो सकती है ?^३ इसी प्रकार अपाय और धारणासम्बन्धी मतान्तरों का भी भाष्यकार ने खण्डन किया है ।

अवग्रह दो प्रकार का है • व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह । जिसमें अर्थ (पदार्थ) प्रकट होता है वह व्यंजनावग्रह है । उपकरणेन्द्रिय और शब्दादिरूप से परिणत द्रव्य का पारस्परिक सम्बन्ध व्यंजनावग्रह है ।^४ इसके चार भेद हैं : स्पर्शन, रसन, घ्राण और श्रोत । नयन और मन अप्राप्यकारी हैं अतः उनसे व्यंजनावग्रह नहीं होता । जो लोग श्रोत्र और घ्राण को भी अप्राप्यकारी मानते हैं उनके मत का खण्डन करते हुए भाष्यकार ने यह सिद्ध किया है कि स्पर्शन और रसन की ही भाँति घ्राण और श्रोत्र भी प्राप्त अर्थ का ही ग्रहण करते हैं ।^५ इसी प्रकार नयन और मन की अप्राप्यकारिता का भी रोचक ढंग से समर्थन किया गया है ।^६ विशेष कर जहाँ स्वप्न का प्रसंग आता है वहाँ तो आचार्य ने प्रतिपादन की कुशलता एवं रोचकता का परिचय बहुत ही सुन्दर ढंग से दिया है । व्यंजनावग्रह के स्वरूप का विस्तारपूर्वक वर्णन करने के बाद अर्थावग्रह का व्याख्यान किया है, जिसमें अनेक शकाओं का समाधान करते हुए व्यावहारिक एवं नैश्चयिक दृष्टि से अर्थावग्रह के त्रिषय, समय आदि का निर्णय किया है ।^७ इसके बाद ईहा, अपाय और धारण के स्वरूप की चर्चा की गई है । मतिज्ञान के मुख्यरूप से दो भेद हैं श्रुतनिश्चित और अश्रुतनिश्चित । श्रुतनिश्चित के अवग्रहादि चार भेद हैं । अवग्रह के पुनः दो भेद हैं • व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह

१ गा० १७१-५ २ गा० १७७-१८० ३ गा० १८१-२. ४. गा० १९३-४. ५ गा० २०४-८ ६ गा० २०९-२३६ ७. गा० २३७-२८८.

व्यजनावग्रह श्रोत्रादि चार प्रकार का है। अर्थावग्रह, ईहा, अपाय और धारणा के श्रोत्रादि पाँच इन्द्रियाँ और मन-इन छ से उत्पन्न होने के कारण प्रत्येक के छ भेद होते हैं। इस प्रकार व्यजनावग्रह के ४ तथा अर्थावग्रहादि के २४ कुल २८ भेद हुए। ये श्रुतनिश्चित मतिज्ञान के भेद हैं। कुछ लोग अवग्रह के दो भेदों को अलग न गिनाकर अवग्रह, ईहा, अपाय और धारणा-इन चारों के छ-छ भेद करके श्रुतनिश्चित मति के २४ भेद करते हैं और उनमें अश्रुतनिश्चित मति के औत्पत्तिकी, वैयक्तिकी, कामिकी और पारिणामिकी इन चार भेदों को मिलाकर पूरे मतिज्ञान के २८ भेद करते हैं।^१ भाष्यकार ने इस मत का खण्डन किया है। उपर्युक्त २८ प्रकार के श्रुतनिश्चित मतिज्ञान के बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित, निश्चित और ध्रुव-ये छ तथा इनसे विपरीत छ और-इस प्रकार प्रत्येक के १२ भेद होते हैं। इस प्रकार श्रुतनिश्चित मति के $२८ \times १२ = ३३६$ भेद होते हैं।^२ इसके बाद आचार्य ने सदाय ज्ञान है या अज्ञान, इसकी चर्चा करते हुए मय्यगृह्णति और मिथ्यादृष्टि की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है।^३ अवग्रहादि की कालमर्यादा इस प्रकार है अवग्रह एक समयपर्यन्त रहता है, ईहा और अपाय अन्तर्मुहूर्त तक रहते हैं, धारणा अन्तर्मुहूर्त, सख्येयकाल तथा असख्येयकाल तक रहती है। इसी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि केवल नैश्चयिक अर्थावग्रह एक समयपर्यन्त रहता है। वासनारूप धारणा को छोड़कर शेष व्यजनावग्रह, एक समयपर्यन्त रहता है। वामनारूप धारणा को छोड़कर शेष व्यजनावग्रह, व्यावहारिक अर्थावग्रह, ईहा आदि प्रत्येक का काल अन्तर्मुहूर्त है। वामनारूप धारणा ज्ञानावगम कर्म के क्षयोपशम की विशिष्टता के कारण मख्येय अथवा अमख्येय कालपर्यन्त रहती है।^४ इसके बाद भाष्यकार ने इन्द्रियों की प्राप्तकारिता और अप्राप्तकारिता के सामीप्य, दूरी, काल आदि से सम्बन्ध रखने वाली बातों पर प्रकाश डाला है।^५ इस प्रसंग पर भाषा, शरीर, समुद्घात आदि विषयों का भी विस्तृत परिचय दिया गया है।

मतिज्ञान ज्ञेयभेद से चार प्रकार का है। सामान्य प्रकार से मतिज्ञानोपयुक्त जीव द्रव्यादि चारों प्रकारों को जानता है। ये चार प्रकार हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव।^६ नियुक्तिकार का अनुसरण करते हुए आगे की कुछ गाथाओं में आभिनिवोधिक ज्ञान का सत्पदप्ररूपणता, द्रव्यप्रमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाग, भाव और अल्प-बहुत्व—इन द्वारों से विचार किया है। प्रसंगवश व्यवहार-वाद और निश्चयवाद के पारस्परिक मतभेद का दिग्दर्शन करते हुए दोनों के स्याद्वाद-सम्मत सामजस्य का निरूपण किया गया है।^७

१ गा० ३००-२ २ गा० ३०७ ३ गा० ३०८-३३२ ४ गा० ३३३-४

५ गा० ३४०-३९५ ६ गा० ४०२-४ ७ गा० ४०६-४४२

श्रुतज्ञान :

श्रुतज्ञान की चर्चा करते हुए कहा गया है कि लोक में जितने भी प्रत्येकाक्षर हैं और जितने भी उनके सयोग हैं उननी ही श्रुतज्ञान की प्रकृतियाँ होती हैं। सयुक्त और असंयुक्त एकाक्षरो के अनन्त सयोग होते हैं और उनमें से भी प्रत्येक-सयोग के अनन्त पर्याय होते हैं।^१ श्रुतज्ञान का चौदह प्रकार के निक्षेपो से विचार किया जाता है। वे चौदह प्रकार ये हैं अक्षर, मञ्जी, सम्यक्, सादिक, सपर्य-वसित, गमिक और अगप्रविष्ट—ये सात और सात इनके प्रतिपक्षी।^२

अक्षर तीन प्रकार का है . सज्ञाक्षर, व्यजनाक्षर और लब्ध्याक्षर। जितने भी लिपिभेद हैं वे सब सज्ञाक्षर के कारण हैं। जिसमें अर्थ की अभिव्यक्ति होती है उसे व्यञ्जनाक्षर कहते हैं। अक्षर की उपलब्धि अर्थात् लाभ को लब्ध्याक्षर कहते हैं। यह विज्ञानरूप है, इन्द्रिय-मनोनिमित्तक है तथा आवरण के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है। इनमें से सज्ञाक्षर और व्यञ्जनाक्षर द्रव्यश्रुतरूप हैं तथा लब्ध्याक्षर भावश्रुतरूप है।^३ श्रुतज्ञान के प्रसंग को दृष्टि में रखते हुए भाष्यकार ने यह भी सिद्ध किया है कि एकेन्द्रियादि असञ्जी जीवो को अक्षर का लाभ (लब्ध्याक्षर) कैसे होता है।^४ उच्छ्वसित, निश्चसित, निष्ठश्रुत, कासित, क्षुत, नि सिंघित, अनुस्वार, सेण्डित आदि अनक्षर हैं।^५

जिसके सज्ञा होती है उसे सञ्जी कहते हैं। सज्ञा तीन प्रकार की है कालिकी, हेतुवादोपदेशिकी और दृष्टिवादोपदेशिकी। कालिकी सज्ञा वाला अतीत और अनागत वस्तु का चिंतन करने में समर्थ होता है।^६ हेतुवादोपदेशिकी सज्ञा वाला जीव स्वदेहपरिपालन को दृष्टि से इष्ट और अनिष्ट वस्तु का विचार करता हुआ उसमें प्रवृत्त अथवा निवृत्त होता है। यह सज्ञा प्रायः साप्रतकालीन अर्थात् वर्तमान काल में ही होती है। अतीत और अनागत की चिन्ता इसका विषय नहीं होता। क्षायोपशमिक ज्ञान में वर्तमान सम्यग्दृष्टि जीव दृष्टिवादोपदेशिकी सज्ञा वाला है। इस दृष्टि से मिथ्यादृष्टि असञ्जी है।^७ पृथिवी, अप्, तेजस्, वायु और वनस्पति में ओषसज्ञा (वृत्त्यारोहणादि अभिप्रायरूप) होती है। द्वीन्द्रियादि में हेतु-सज्ञा रहती है। सुर, नारक और गर्भोद्भव प्राणियों में कालिकी सज्ञा होती है। छद्मस्थ सम्यग्दृष्टि जीवों में दृष्टिवाद सज्ञा रहती है। केवलियों में किसी प्रकार की सज्ञा नहीं होती, क्योंकि स्मरण, चिन्ता आदि मति-व्यापारों से विमुक्त होते हैं, अतः वे सज्ञातीत हैं।^८

१. गा० ४४४-५.

२. गा० ४५३-४

३. गा० ४६४-७

४. गा० ४७४-६

५. गा० ५०१ (नियुक्ति)

६. गा० ५०४-८

७. गा० ५१५-७.

८. गा० ५२३-४

अगप्रविष्ट आचारादि श्रुत तथा अनगप्रविष्ट आवश्यकदि श्रुत सम्यक्-श्रुत की कोटि में है। लौकिक महाभारतादि श्रुत मिथ्याश्रुत है। स्वामित्व की दृष्टि से विचार करने पर सम्यग्दृष्टिपरिगृहीत लौकिक श्रुत भी सम्यक्श्रुत की कोटि में आ जाता है जबकि मिथ्यादृष्टिपरिगृहीत आचारादि सम्यक्श्रुत भी मिथ्याश्रुत की कोटि में चला जाता है। तात्पर्य यह है कि सम्यक्त्वपरिगृहीत श्रुत सम्यक् होता है। सम्यक्त्व पाच प्रकार का है औपशमिक, सास्वादन, क्षायोपशमिक, वेदक तथा क्षायिक। भाष्यकार ने इन प्रकारों का संक्षिप्त परिचय दिया है।^१

द्रव्यास्तिक नय की अपेक्षा से श्रुत पचास्तिकाय की भाति अनादि तथा अपर्यवसित—अनन्त है और पर्यायास्तिक नय की दृष्टि से जीव के गतिपर्यायो की भाति सादि एव सपर्यवसित—मान्त है।^२ जो वात श्रुत के लिए कही गई है वही ससार के समस्त पदार्थों के लिए है। प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण उत्पन्न होता है, नष्ट होता है तथा नित्यरूप में स्थित रहता है। इसी प्रकार सुख-दुःख, बन्ध-मोक्ष आदि का सद्भाव सिद्ध किया जाता है।^३

गम का अर्थ होता है भग अर्थात् गणितादि विशेष। वे जिसमें हो उसे गमिक कहते हैं। अथवा गम का अर्थ है सदृश पाठ। वे जिसमें बहुतायत से हो उसे गमिक कहते हैं। जिस श्रुत में इस प्रकार की सामग्री न हो वह अगमिक श्रुत है।^४

द्वादशागरूप गणधरकृत श्रुत को अगप्रविष्ट कहते हैं तथा अनगरूप स्थविरकृत श्रुत को अगवाह्य कहते हैं। अथवा गणधरपृष्ट तीर्थकरसबन्धी जो आदेश है, उससे निष्पन्न होने वाला श्रुत अगप्रविष्ट है तथा जो मुक्त अर्थात् अप्रश्नपूर्वक अर्थप्रतिपादन है वह अगवाह्य है। अथवा जो श्रुत ध्रुव अर्थात् सभी तीर्थकरों के तीर्थों में नियत है वह अगप्रविष्ट है तथा जो चल अर्थात् अनियत है वह अगवाह्य है।^५

उपयोगयुक्त श्रुतज्ञानी सब द्रव्यों को जानता है किन्तु उनमें से अपने अचक्षु-दर्शन से कुछ को ही देखता है। ऐसा द्रव्य / इसका भी उत्तर भाष्यकार ने दिया है।^६ जिन आठ गुणों से आगमशास्त्र का ग्रहण होता है वे इस प्रकार हैं : शुश्रूपा, प्रतिपृच्छा, श्रवण, ग्रहण, पर्यालोचन, अपोहन (निश्चय), धारण और सम्यगनुष्ठान। भाष्यकार ने नियुक्तिव्यम्मत इन आठ प्रकार के गुणों का संक्षिप्त विवेचन किया है।^७

१ गा० ५२७-२३६.

२ गा० ५३७

३ गा० ५४४. ४ गा० ५४९.

५ गा० ५५०

६ गा० ५५३-५

७. गा० ५६२-६

अवधिज्ञान :

अवधिज्ञान का विवेचन करते हुए भाष्यकार ने नियुक्ति की गाथाओं का बहुत विस्तार से व्याख्यान किया है। भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय भेदों की ओर निर्देश करते हुए चौदह प्रकार के निक्षेपो का बहुत ही विस्तृत विवेचन किया है।^१ नारक और देवों को पक्षियों के नभोगमन की भाँति जन्म से ही भवप्रत्यय अवधिज्ञान होता है। शेष प्राणियों को गुणप्रत्यय अर्थात् अपने कर्म के क्षयो-पशम के कारण यदाकदा होता है। उनके लिए ऐसा नियम नहीं कि उन्हें जन्म से हो ही।

मन.पर्ययज्ञान .

मन पर्ययज्ञान से मनुष्य के मानसिक परिचितन का प्रत्यक्ष होता है। यह ज्ञान मनुष्यक्षेत्र तक सीमित है, गुणप्रत्ययिक है और चारित्रशील को होता है। दूसरे शब्दों में जो संयत है, सर्वप्रमादरहित है, विविध ऋद्धियुक्त है वही इस ज्ञान का अधिकारी होता है। मन पर्ययज्ञान का विषय चिन्तित मनोद्रव्य है, क्षेत्र नरलोक है, काल भूत और भविष्यत् का पत्योपमासख्येय भाग है। मन'पर्ययज्ञानी चिन्तित मनोद्रव्य को साक्षात् देखता व जानता है किन्तु तद्भासित बाह्य पदार्थ को अनुमान से जानता है।^२

केवलज्ञान :

केवलज्ञान सर्वद्रव्य तथा सर्वपर्यायो को ग्रहण करता है। वह अनन्त है, शाश्वत है, अप्रतिपाती है, एक ही प्रकार का है। यह ज्ञान सर्वावरणक्षय से उत्पन्न होने वाला है, अतः सर्वोत्कृष्ट है, सर्वविशुद्ध है, सर्वगत है। केवली किसी भी अर्थ का प्रतिपादन प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा ही करता है। उसका वाग्योग प्रत्यक्ष ज्ञान पर अवलंबित होता है। यही वाग्योग श्रुत का रूप धारण करता है।^३ इस प्रकार केवलज्ञान के स्वरूप की चर्चा के साथ ज्ञानपचक का अधिकार समाप्त होता है।

समुदायार्थद्वार :

पचज्ञान की चर्चा के साथ मगलरूप तृतीय द्वार समाप्त होता है तथा समुदायार्थरूप चतुर्थ द्वार का व्याख्यान प्रारंभ होता है। ज्ञानपचक में से यह किस ज्ञान का मगलार्थ अर्थात् अनुयोग है? इसका उत्तर देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि मतिज्ञानादि में श्रुत का प्रकृतानुयोग है, अन्य का नहीं क्योंकि दूसरे प्रकार के ज्ञान पराधीन होते हैं तथा परबोध में प्रायः समर्थ नहीं होते। श्रुतज्ञान दीपक

की तरह स्वप्रकाशन तथा परप्रबोधन में समर्थ है, अतः उसी का अनुयोग यहाँ उचित है। यहाँ जो आवश्यक का अधिकार है वह श्रुतरूप ही है।^१ अनुयोग का अर्थ है सूत्र का अपने अभिधेय से अनुयोजन अर्थात् अनुसंबन्धन, अथवा सूत्र का अनुरूप प्रतिपादनलक्षणरूप व्यापार, अथवा सूत्र का अर्थ से अनु=अणु है—स्तोक है, तथा अनु=पश्चात् है उसकी अर्थ के साथ योजना अर्थात् सम्बन्धस्थापन।^२

प्रस्तुत शास्त्र का नाम आवश्यक श्रुतस्कन्ध है। इसके सामायिकादि जो छः भेद हैं उन्हें अध्ययन कहते हैं। अतः 'आवश्यक', 'श्रुत', 'स्कन्ध', 'अध्ययन' आदि पदों का पृथक्-पृथक् अनुयोग करना चाहिए। 'आवश्यक' का नाम, स्थापना, द्रव्य और भावरूप चार प्रकार का निक्षेप होता है। इनमें से प्रस्तुत भाष्य में द्रव्यावश्यक की आगम और नोआगमरूप से विस्तृत व्याख्या की गई है। अधिकाक्षर सूत्रपाठ के लिए कुणाल नामक राजपुत्र तथा कपि का उदाहरण दिया गया है। हीनाक्षर पाठ के लिए विद्याधर आदि के उदाहरण दिए गए हैं। उभय के लिए बाल तथा आतुर के लिए अतिभोजन तथा भेषजविपर्यय के उदाहरण दिए गए हैं। लोकोत्तर नोआगमरूप द्रव्यावश्यक के स्वरूप की पुष्टि के लिए साध्वाभास का दृष्टान्त दिया गया है।^३ भावावश्यक भी दो प्रकार का होता है - आगमरूप तथा नोआगमरूप। आवश्यक के अर्थ का उपयोगरूप परिणाम आगमरूप भावावश्यक है। ज्ञानक्रियोभयरूप परिणाम नोआगमरूप भावावश्यक है। नोआगमरूप भावावश्यक के तीन प्रकार हैं लौकिक, लोकोत्तर तथा कृपावचनिक। इन तीनों में से लोकोत्तर भावावश्यक प्रशस्त है अतः शास्त्र में उसी का अधिकार है।^४

आवश्यक के पर्याय ये हैं - आवश्यक, अवश्यकरणीय, ध्रुव, निग्रह, विशुद्धि, अध्ययनषट्क, वर्ग, न्याय, आराधना, मार्ग। भाष्यकार ने इन नामों की सार्थकता भी दिखाई है।^५ इसी प्रकार श्रुत, स्कन्ध आदि का भी निक्षेप-पद्धति से विचार किया गया है। श्रुत के एकार्थक नाम ये हैं - श्रुत, सूत्र, ग्रन्थ, सिद्धांत, शासन, आज्ञा, वचन, उपदेश, प्रज्ञापन, आगम।^६ स्कन्ध के पर्याय ये हैं - गण, काय, निकाय, स्कन्ध, वर्ग, राशि, पुञ्ज, पिण्ड, निकर, सघात, आकुल, समूह।^७

आवश्यक श्रुतस्कन्ध के छ अध्ययनों का अर्थाधिकार इस प्रकार है सामायिकाध्ययन का अर्थाधिकार सावद्ययोगविरति है, चतुर्विंशतिस्तव का अर्थाधिकार गुणोत्कीर्तन है, वन्दनाध्ययन का अर्थाधिकार गुणी गुरु की प्रतिपत्ति है, प्रतिक्रमण

१ ८३७-८४०. २ गा० ८४१-२ ३ गा० ८४७-८६८

४ गा० ८६९-८७० ५ गा० ८७२-३ ६ गा० ८९४ ७ गा० ९००.

का अर्थाधिकार श्रुत-शीलस्खलन की निंदा है, कायोत्सर्गाध्ययन का अधिकार अपराधत्रणचिकित्सा है तथा प्रत्याख्यानाध्ययन का अधिकार गुण धारणा है।^१ यहाँ आवश्यक का पिण्डार्थ—समुदायार्थ नामक चतुर्थ द्वार समाप्त होता है।

द्वारोपन्यास तथा भेदद्वार :

पचम द्वार मे सामायिक नामक प्रथम अध्ययन की विशेष व्याख्या करते हुए आचार्य कहते है कि सामायिक का लक्षण समभाव है। जिस प्रकार व्योम सब द्रव्यो का आधार है उसी प्रकार सामायिक सब गुणो का आधार है। शेष अध्ययन एक तरह से सामायिक के ही भेद है क्योंकि सामायिक दर्शन, ज्ञान और चारित्ररूप तीन प्रकार की है और कोई गुण ऐसा नहीं है जो इन तीनों प्रकारो से अधिक हो। किसी महानगर के द्वारो की भाँति सामायिकाध्ययन के भी चार अनुयोगद्वार है। उनके नाम इस प्रकार है . उपक्रम, निक्षेप, अनुगम तथा नय। इनके पुन क्रमशः छ, तीन, दो तथा दो प्रभेद होते है।^२ यहाँ तक पाँचवे द्वारो-पन्यास तथा छठे भेदद्वार का अधिकार है।

निरुक्तद्वार

सातवें निरुक्तद्वार मे उपक्रम आदि की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि शास्त्र का उपक्रमण अर्थात् समीपीकरण (न्यासदेशानयन) उपक्रम है। निक्षेप का अर्थ है निश्चित क्षेप अर्थात् न्यास अथवा नियत व्यवस्थापन। अनुगम का अर्थ है सूत्रानुरूप गमन (व्याख्यान) अथवा अर्थानुरूप गमन। इसका प्रयोजन सूत्र और अर्थ का अनुरूप सम्बन्धस्थापन है। नय का अर्थ है वस्तु का संभावित अनेक पर्यायो के अनुरूप परिच्छेदन।^३

क्रमप्रयोजन .

अष्टम द्वार का नाम क्रमप्रयोजन है। इसमे उपक्रम, निक्षेप, अनुगम तथा नय के उक्त क्रम को युक्तियुक्त सिद्ध किया गया है।^४ यहाँ तक भाष्य की द्वितीय गाथा मे निदिष्ट द्वारो का अधिकार है। इसके बाद उपक्रम का भावोपक्रम की दृष्टि से विस्तारपूर्वक व्याख्यान किया गया है तथा आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता, अर्थाधिकार और समवतार नामक छ भेदो का विस्तृत विवेचन किया गया है।^५

१ गा० ९०२.

२ गा० ९०५-९१०

३ गा० ९११-४

४ गा० ९१५-६

५ गा० ९१७-९५६

निक्षेप :

निक्षेप के तीन भेद हैं - ओघनिष्पन्न, नामनिष्पन्न तथा सूत्रालापकनिष्पन्न । श्रुत के अग, अध्ययन आदि सामान्य नाम ओघ है । प्रस्तुत सामायिक श्रुत का ओघ चार प्रकार का है - अध्ययन, अक्षीण, आय तथा क्षपणा । शुभ अध्यात्मानयन का नाम अध्ययन है । यह बोध, सयम, मोक्ष आदि की प्राप्ति में हेतुभूत है । जो अनवरत वृद्धि की ओर अग्रसर है वह अक्षीण है । जिससे ज्ञानादि का लाभ होता है वह आय है । जिससे पापकर्मों की निर्जरा होती है वह क्षपणा है । प्रस्तुत अध्ययन का एक विशेष नाम (सामायिक) है । यही नाम निक्षेप है । 'करेमि भन्ते' आदि सूत्रपदों का न्याम ही सूत्रालापकनिक्षेप है ।^१

अनुगम :

अनुगम दो प्रकार का है - नियुक्त्यनुगम तथा सूत्रानुगम । नियुक्ति के पुन-तीन भेद हैं - निक्षेपनियुक्ति, उपोद्घातनियुक्ति एवं सूत्रस्पर्शिकनियुक्ति । भाष्यकार ने इन भेदों का विस्तृत वर्णन किया है ।^२

नय :

किसी भी सूत्र की व्याख्या करते समय सब प्रकार के नयों की परिशुद्धि का विचार करते हुए निरवशेष अर्थ का प्रतिपादन किया जाता है । यही नय है ।^३ यहाँ चार प्रकार के अनुयोगद्वारों की व्याख्या समाप्त होती है ।

उपोद्घात-विस्तार

भाष्यकार कहते हैं कि अब मैं मगलोपचार करके शास्त्र का विस्तारपूर्वक-उपोद्घात करूँगा । यह मगलोपचार मध्यमगलरूप है ।^४ मैं सर्वप्रथम अनुत्तर पराक्रमी, अमितज्ञानी, तीर्ण, सुगतिप्राप्त तथा सिद्धिपथप्रदर्शक तीर्थंकरों को नमस्कार करता हूँ । जिससे तिरा जाता है अथवा जो तिरा देता है अथवा जिसमें तैरा जाता है उसे तीर्थ कहते हैं । वह नामादि भेद से चार प्रकार का है । सरित्-समुद्र आदि का कोई भी निरपाय नियत भाग द्रव्यतीर्थ कहलाता है क्योंकि वह देहादि द्रव्य को ही तिरा सकता है । जो लोग यह मानते हैं कि नद्यादि तीर्थ भवतारक हैं उनकी यह मान्यता ठीक नहीं है क्योंकि स्नानादि जीव का उपघात करने वाले हैं । इनसे पुण्योपार्जन नहीं होता । यदि कोई यह कहे कि जाह्नवीजलादिक तीर्थरूप ही है क्योंकि उनसे दाहनाश, पिपासोपशमादि कार्य सम्पन्न होते हैं और इस प्रकार वे देह का उपकार करते हैं, यह ठीक नहीं । ऐसा मानने पर मधु, मद्य, मास, वेश्या आदि भी तीर्थरूप हो जाएँगे क्योंकि वे

१ गा० ९५७-९७०

२ गा० ९७१-१००७

३ गा० १००८-१०११

४ गा० १०१४-६

भी देह का उपकार करते हैं।^१ जो श्रुतविहित सध है वही भावतीर्थ है, उसमें रहने वाला साधु तारक है। ज्ञानादि त्रिक तरण है तथा भवसमुद्र तरणीय है।^२ तीर्थ का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि जो दाहोपशम, तूष्णाच्छेद तथा मल-क्षालनरूप अथवा सम्यग्दर्शन, ज्ञान एव चारित्ररूप तीन अर्थों में स्थित है वह त्रिस्थ (तित्थ) अर्थात् तीर्थ है। यह भी सध ही है। तीर्थ (तित्थ) का अर्थ त्र्यर्थ भी हो सकता है अर्थात् जो क्रोधाग्निदाहोपशम आदि उपर्युक्त तीन अर्थों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है वह त्र्यर्थ—तित्थ—तीर्थ है। यह अर्थ भी सधरूप ही है।^३ जो भावतीर्थ की स्थापना करते हैं अर्थात् उसे गुणरूप से प्रकाशित करते हैं उन्हें तीर्थंकर—हितार्थंकर कहते हैं।^४ तीर्थंकरों के पराक्रम, ज्ञान, गति आदि विषयो पर भी आचार्य ने प्रकाश डाला है।^५ इसके बाद वर्तमान तीर्थ के प्रणेता भगवान् महावीर को नमस्कार किया है। तदुपरान्त उनके एकादश गणधर आदि अन्य पूज्य पुरुषों को वन्दन किया है।^६ इसके बाद सर्वप्रथम आवश्यकसूत्र की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा करते हुए सामायिक नामक-प्रथम अध्ययन का विवेचन करने की प्रतिज्ञा की है। 'नियु'वित' शब्द का विशेष व्याख्यान करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि सूत्र के निश्चित अर्थ की व्याख्या करना ही नियु'वित है।^७ सूत्रादि की रचना कैसे होती है, इसकी ओर संकेत करते हुए यह बताया गया है कि जिन अर्थभाषक है तथा गणधर सूत्रग्रथक हैं। शासन के हितार्थ ही सूत्र की प्रवृत्ति है। अर्थप्रत्यायक शब्द में अर्थ का उपचार किया जाता है और इसी प्रकार अर्थ का अभिलाप होता है। सूत्र में अर्थविस्तार अधिक है अतएव वह महार्थ है।^८

ज्ञान और चारित्र ।

सामायिकादि श्रुत का सार चारित्र है, चारित्र का सार निर्वाण है। चारित्र को प्रधान इसलिए कहा जाता है कि वह मुक्ति का प्रत्यक्ष कारण है। ज्ञान से वस्तु की यथार्थता-अयथार्थता का प्रकाशन होता है और इससे चारित्र की विशुद्धि होती है, अतः ज्ञान चारित्र-विशुद्धि के प्रति प्रत्यक्ष कारण है। इस प्रकार ज्ञान और चारित्र दोनों मोक्ष के प्रति कारण हैं। दोनों में अन्तर यही है कि ज्ञान चारित्र-शुद्धि का कारण होने से मोक्ष का व्यवहित कारण है, जबकि चारित्र मोक्ष का अव्यवहित कारण है।^९ दूसरी बात यह है कि ज्ञान का उत्कृष्टतम

१ गा० १०२५-३१

२ गा० १०३२.

३ गा० १०३५-७-

४ गा० १०४७.

५ गा० १०४९-१०५३

६ गा० १०५७-६८

७ गा० १०८६

८. गा० १०९५-११२५

९. गा० ११२६-११३०.

लाभ (केवलज्ञान) हो जाने पर भी जीव मुक्त नहीं होता, जब तक कि सर्व-सवर का लाभ न हो जाए। इससे भी यही सिद्ध होता है कि सवर—चारित्र ही मोक्ष का मुख्य हेतु है, न कि ज्ञान। अतः चारित्र ज्ञान से प्रधानतर है।^१ आचार्य ने ज्ञान और चारित्र के सम्बन्ध की और भी चर्चा की है।^२

सामायिक-लाभ :

सामायिक का लाभ कैसा होता है ? इसका उत्तर देते हुए नियुक्तिकार ने कहा है कि आठों कर्म प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति के विद्यमान होने पर जीव को चार प्रकार की सामायिक में से एक का भी लाभ नहीं हो सकता।^३ इसका विवेचन करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बीस कोटाकोटी सागरोपम है, मोहनीय की सत्तर कोटाकोटी सागरोपम है, शेष अर्थात् ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अतराय की तीस कोटाकोटी सागरोपम है तथा आयु की तैतीस सागरोपम है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, आयु, मोहनीय तथा अतराय की जघन्य स्थिति अतर्मुहूर्त है, नाम और गोत्र की आठ मुहूर्त है तथा वेदनीय की बारह मुहूर्त है। मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का वध होने पर छ कर्मों-ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, नाम, गोत्र तथा अतराय की उत्कृष्ट स्थिति का वध होता ही है (उत्कृष्ट सक्लेश होने पर ही मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति का वध होता है) किन्तु आयु की स्थिति का वध उत्कृष्ट अथवा मध्यम कैसा भी हो सकता है। इतना अवश्य है कि इस स्थिति में आयु का जघन्य वध नहीं हो सकता। मोहनीय को छोड़कर शेष ज्ञानावरणादि किसी की भी उत्कृष्ट स्थिति का वध होने पर मोहनीय अथवा अन्य किसी भी कर्म की उत्कृष्ट या मध्यम स्थिति का वध होता है किन्तु आयु का स्थिति वध जघन्य भी हो सकता है। सम्यक्त्व, श्रुत, देशव्रत तथा सर्वव्रत इन चार सामायिकों में से उत्कृष्ट कर्मस्थिति वाला एक भी सामायिक की प्राप्ति नहीं कर सकता किन्तु उसे पूर्वप्रतिपन्न विकल्प से है अर्थात् होती भी है, नहीं भी होती (अनुत्तरसुर में पूर्वप्रतिपन्न सम्यक्त्व तथा श्रुत होते हैं, शेष नहीं)। ज्ञानावरणादि की जघन्य स्थिति वाले को भी इन सामायिकों में से एक का भी लाभ नहीं होता क्योंकि उसे पहले से ही ये सब प्राप्त होती हैं, ऐसी स्थिति में पुनर्लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता। आयु की जघन्य स्थिति वाले को न तो ये पहले से प्राप्त होती हैं, न वह प्राप्त कर सकता है।^४ इसके बाद सम्यक्त्व की प्राप्ति के कारणों पर प्रकाश डालते हुए ग्रथिभेद का स्वरूप बताया गया है।^५

१. गा० ११३१-२.

२. गा० १३३-११८२

३. गा० ११८६

४. गा० ११८७-११९२.

सामायिक-प्राप्ति के स्वरूप का विशेष स्पष्टीकरण करने के लिए पल्लकादि नी प्रकार के दृष्टान्त दिए गए हैं।^१ सम्यक्त्वलाभ के बाद देगविरति आदि का लाभ कैसे होता है ? इसका उत्तर देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि जितनी कर्म-स्थिति के रहते हुए सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, उगमे से पत्योपमपृथक्त्व का क्षय होने पर देगविरति—श्रावकत्व की प्राप्ति होती है। उगमे से भी सख्यात सागरोपम का क्षय होने पर चारित्र्य की प्राप्ति होती है। उगमे मे भी सख्यात सागरोपम का क्षय होने पर उपगमश्रेणी की प्राप्ति होती है। उगमे से भी सख्यात सागरोपम का क्षय होने पर क्षयश्रेणी का लाभ होता है।^२

सामायिक के बाधक कारण .

कपायादि के उदय से दर्शनादि सामायिक प्राप्त नहीं होती अथवा प्राप्त होकर पुन नष्ट हो जाती है। जिसके कारण प्राणी परस्पर हिमा करते हैं (कर्षन्ति) उसे कपाय कहते हैं, अथवा जिसके कारण प्राणी शारीरिक एव मानसिक दुःखों से घिमते रहते हैं (कृष्यन्ते) उसे कपाय कहते हैं, अथवा जिममे 'कप' अर्थात् कर्म का 'आय' अर्थात् लाभ होता है उसे कपाय कहते हैं, अथवा जिममे प्राणी 'कप' अर्थात् कर्म को 'आयन्ति' अर्थात् प्राप्त होते हैं उसे कपाय कहते हैं, अथवा जो 'कप' (कर्म) का 'आय' अर्थात् उपादान (हेतु) है वह कपाय है। कपाय मुख्यरूप से चार प्रकार के हैं . क्रोध, मान, माया और लोभ। इनमे से किस कपाय की उदृष्टता अथवा मदता से किम प्रकार के चारित्र्यादि का घात होता है, इसका भाष्यकार ने विस्तार से वर्णन किया है।^३

चारित्र्य-प्राप्ति :

अनन्तानुबन्धी आदि बारह प्रकार के कपायों का क्षय, उपशम अथवा क्षयोप-शम होने पर मनो-वाक्-कायरूप प्रशस्त हेतुओं से चारित्र्य-लाभ होता है। चारित्र्य पाच प्रकार का है सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसपराय तथा यथाख्यात।^४ प्रस्तुत मे नियम यह है कि बारह कपायों के क्षयादि से चारित्र्य का लाभ होता ही है नकि पाँचों ही प्रकार के चारित्र्य का (गा० १२५८)— ऐसा स्पष्टीकरण भाष्यकार ने किया है।

सामान्यरूप से सभी प्रकार का चारित्र्य सामायिक ही है। छेदादि उसकी विशेष प्रकार की अवस्थाएँ हैं। सामायिक का अर्थ है सावद्य योग का त्याग। वह दो प्रकार का है इत्वर तथा यावत्कथिक। इत्वर स्वल्पकालीन है तथा यावत्कथिक जीवनमयन्त के लिए है।^५ जिससे चारित्र्य के पूर्वगर्भ का

१. गा० ११९३-१२२१

२ गा० १२२२

३ गा० १२२४-१२५३

४ गा० १२५४-१२६१.

५ गा० १२६२-७

छेद होता है तथा क्रतो मे उपस्थापन होता है उसे छेदोपस्थापन कहते हैं। वह दो प्रकार का है . सात्तिचार तथा निरतिचार। शिष्य की उपस्थापना अथवा तीर्थान्तरसंक्राति मे जिसका आरोप किया जाता है वह निरतिचार छेदोपस्थापन है। मूलगुणघाती का जो पुन समारोपण है वह सात्तिचार छेदोपस्थापन है।^१ परिहार नाम तपविशेष से विशुद्ध होने का नाम परिहारविशुद्धि चारित्र है। वह दो प्रकार का है निर्विगमान तथा निर्विष्टकायिक। परिहारिक का चारित्र निर्विगमान है। अनुपहारी तथा कल्पस्थित का चारित्र निर्विष्टकायिक है।^२ क्रोधादि कषायवर्ग को सपराय कहते हैं। जिसमे सपराय का सूक्ष्य अवशेष रहता है वह सूक्ष्मसपराय चारित्र है। श्रेणी (उपशम अथवा क्षपक) पर आरूढ होने वाला विशुद्धिप्राप्त जीव इसका अधिकारी होता है।^३ यथाख्यात चारित्र वाला जीव कपाय से निर्लिप्त होता है। यह चारित्र दो प्रकार का है : छद्मस्थ-सम्बन्धी तथा केवलीसम्बन्धी। छद्मस्थसम्बन्धी के पुन दो भेद है मोहक्षय-समुत्थ तथा मोहोपशमप्रभव अर्थात् कपाय के क्षय से उत्पन्न होने वाला तथा कषाय के उपशम से उत्पन्न होने वाला। केवलीसम्बन्धी यथाख्यात के दो भेद है : सयोगी तथा अयोगी।^४ कपाय के उपशम और क्षय की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए भाष्यकार ने आगे उपशमश्रेणी तथा क्षपकश्रेणी का स्वरूप-वर्णन किया है।^५

प्रवचन एव सूत्र

केवलज्ञान की उत्पत्ति के प्रसंग को दृष्टि मे रखते हुए जिन-प्रवचन की उत्पत्ति का वर्णन करने के बाद आचार्य नियुक्ति की उस गाथा का व्याख्यान प्रारम्भ करते हैं जिसमे यह निर्देश किया गया है कि श्रुतधर्म, तीर्थ, मार्ग, प्रावचन, प्रवचन—ये सब प्रवचन के एकार्थक हैं तथा सूत्र, तन्त्र, ग्रन्थ, पाठ, शास्त्र—ये सब सूत्र के एकार्थक हैं। श्रुतधर्म क्या है ? इसका विवेचन करते हुए कहा गया है कि श्रुत का धर्म अर्थात् स्वभाव बोध होता है और वही श्रुतधर्म है, अथवा श्रुतरूप धर्म श्रुतधर्म है और वह जीव का पर्यायविशेष है, अथवा सुगति अर्थात् सयम में धारण करने के कारण धर्म को श्रुत कहते हैं और वही श्रुतधर्म है।^६ इसी प्रकार भाष्यकार ने तीर्थ, मार्ग, प्रावचन, सूत्र, तन्त्र, ग्रन्थ, पाठ और शास्त्र का शब्दार्थ-विवेचन किया है।^७

१ गा० १२६८-९

२. १२७०-१

३. १२७७-८.

४ गा० १२७९-१२८०.

५. गा० १२८३-१३४५.

६. गा० १३७९

७. गा० १३८०-४.

अनुयोग •

सूत्रकार्यों का व्याख्यान करने के बाद अर्थकार्यों का व्याख्यान प्रारम्भ होता है। अनुयोग, नियोग, भाषा, विभाषा, वार्तिक—ये पाँच एकार्थक हैं। अनुयोग का सात प्रकार से निक्षेप होता है • नामानुयोग, स्थापनानुयोग, द्रव्यानुयोग, क्षेत्रानुयोग, कालानुयोग, वचनानुयोग और भावानुयोग।^१ आचार्य ने इन भेदों का विस्तृत विवेचन किया है।^२ इसी प्रकार अनुयोग के विपर्ययरूप अननुयोग का भी सोदाहरण एवं सविस्तार वर्णन किया गया है।^३ नियत, निश्चित अथवा हित (अनुकूल) योग का नाम नियोग है। इससे अभिधेय के साथ सूत्र का सम्बन्ध स्थापित होता है। इसका भी अनुयोग की भाँति समेद एवं सोदाहरण विचार करना चाहिए। व्यक्त वाक् का नाम भाषा है। इससे श्रुत के भाव-सामान्य की अभिव्यक्ति होती है। भावविशेष की अभिव्यक्ति का नाम विभाषा है। वृत्ति (सूत्रविवरण) का सर्व पर्यायो से व्याख्यान करना वार्तिक कहलाता है।^४ व्याख्यान-विधि की चर्चा करते हुए भाष्यकार ने विविध दृष्टान्त देकर यह समझाया है कि गुरु और शिष्य की योग्यता और अयोग्यता का माप-दण्ड क्या है ? जिस प्रकार हस मिले हुए दूध और पानी में से पानी को छोड़कर दूध पी जाता है उसी प्रकार सुशिष्य गुरु के दोषों को एक ओर रख कर उसके गुणों का ही ग्रहण करता है। जिस प्रकार एक भैंसा किसी जलाशय में उतरकर उसका सारा पानी इस प्रकार मटमैला व कलुपित कर डालता है कि वह न तो उसके खुद के पीने के काम में आ सकता है और न कोई अन्य ही उसे पी सकता है उसी प्रकार कुशिष्य किसी व्याख्यान-मण्डल में जाकर अपने गुरु अथवा शिष्य के साथ इस प्रकार कलह प्रारम्भ कर देता है कि उस व्याख्यान का रस न तो वह स्वयं ले सकता है और न कोई अन्य ही। इस प्रकार अनेक सुन्दर-सुन्दर उदाहरण देकर आचार्य जिनभद्र ने गुरु-शिष्य के गुण-दोषों का सरस, सरल एवं सफल चित्रण किया है।^५

सामायिक द्वार •

व्याख्यान-विधि का विवेचन करने के बाद आचार्य सामायिक-सम्बन्धी द्वार-विधि की व्याख्या प्रारम्भ करते हैं। वह द्वार-विधि इस प्रकार है • उद्देश, निर्देश, निर्गम, क्षेत्र, काल, पुरुष, कारण, प्रत्यय, लक्षण, नय, समवतार, अनुमत, किम्, कतिविधि, कस्य, कुत्र, केपु, कथम्, कियन्चिद, कति, सान्तर, अविरहित, भव, आकर्ष, स्पर्शन, निर्घक्त।^६

१ गा० १३८५-८

२ गा० १३८९-१४०९

३ गा० १४१०-८.

४ गा० १४१९-१४२२

५ गा० १४४६-१४८२

६ गा० १४८४-५.

उद्देश .

उद्देश का अर्थ है सामान्य निर्देश । वह नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल समास, उद्देश और भाव भेद से आठ प्रकार का होता है । भाष्यकार ने इनका सक्षिप्त परिचय दिया है ।^१

निर्देश .

वस्तु का विशेष उल्लेख निर्देश है । इसके भी मानादि आठ भेद होते हैं । इनका भी भाष्यकार ने विशेष परिचय दिया है तथा नय दृष्टि से सामायिक की त्रिलिंगता का विस्तार से विचार किया है ।^२

निर्गम .

निर्गम का अर्थ है प्रसूति अर्थात् उत्पत्ति । निर्गम छ प्रकार का है : नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भाव । इन भेदों की चर्चा करते हुए कहा गया है कि जिस द्रव्य से सामायिक का निर्गम हुआ है वह द्रव्य यहाँ पर महावीर के रूप में है । जिस क्षेत्र में उसका निर्गम हुआ है वह महसेन वन है । उसका काल प्रथम पौरुषी-प्रमाणकाल है । भाव वक्ष्यमाण लक्षण भावपुरुष है । ये मक्षेप में सामायिक के निर्गमांग हैं ।^३ सामायिक के निर्गम के साथ स्वयं महावीर के निर्गम की चर्चा करते हुए भाष्यकार नियुक्तिकार के ही शब्दों में कहते हैं कि महावीर किस प्रकार मिथ्यात्वादि तम से निकले, किस प्रकार उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ तथा कैसे सामायिक की उत्पत्ति हुई—आदि बातें बताऊँगा ।^४ इतना कहने के बाद भाष्यकार एकदम गणधरवाद की व्याख्या प्रारम्भ कर देते हैं । टीकाकार मलधारी हेमचन्द्र उपर्युक्त बातों की ओर हमारा ध्यान खींचते हुए कहते हैं कि ये सब बातें सूत्रसिद्ध ही हैं । इनमें जो कुछ कठिन प्रतीत हो वह मूलावश्यकत्रिवरण से जान लेना चाहिए ।

गणधरवाद :

भगवान् महावीर तथा ग्यारह प्रमुख ब्राह्मण-पण्डितों के बीच विभिन्न दार्शनिक विषयों पर जो चर्चा हुई तथा भगवान् के मन्तव्यों से प्रभावित होकर उन पण्डितों ने महावीर के सध में सम्मिलित होना स्वीकार किया, इसकी भाष्यकार जिनभद्र ने अपने ग्रंथ में विस्तृत एवं तर्कयुक्त चर्चा की है इसी चर्चा का नाम गणधरवाद है । इस चर्चा में दार्शनिक जगत् के प्रायः समस्त

१. गा० १५८६-१४९६

२. गा० १४९७-१५३०

३. गा० १५२१-१५४६.

४. गा० १५४८

विषयो का समावेश करलिया गया है।^१ इस चर्चा में भाग लेनेवाले पण्डित जोकि बाद में भगवान् महावीर के प्रमुख शिष्य—गणधर के नाम से प्रसिद्ध हुए उनके नाम इस प्रकार हैं . १ इन्द्रभूति २ अग्निभूति, ३ वायुभूति, ४ व्यक्त, ५ सुधर्मा, ६. मडिक, ७. मौर्यपुत्र, ८. अकपित, ९. अचलभ्राता, १०. मेतार्य, ११ प्रभास । इनके साथ जिन विषयों की चर्चा हुई वे क्रमश इस प्रकार है .
१. आत्मा का अस्तित्व, २ कर्म का अस्तित्व, ३. आत्मा और शरीर का भेद, ४ शून्यवादनिरास, ५. इहलोक और परलोक का वैचित्र्य, ६ वध और मोक्ष, ७ देवों का अस्तित्व, ८. नरकों का अस्तित्व, ९ पुण्य और पाप, १० परलोक का अस्तित्व, ११ निर्वाण का अस्तित्व ।

आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व

सर्वज्ञत्व की प्राप्ति के बाद भगवान् महावीर एक समय महमेन वन में विराजित थे। जनसमूह श्रद्धावश उनके दर्शन के लिए जा रहा था। यज्ञवाटिका में स्थित ब्राह्मण पण्डितों के मन में यह दृश्य देखकर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ऐसे महापुरुष से अवश्य मिलना चाहिए जिसके दर्शन के लिए इतना बड़ा जनसमूह उमड़ रहा है। उन सभी के मन में वेदवाक्यों को लेकर नाना प्रकार की शकाए थी। सर्वप्रथम इन्द्रभूति (गीतम) भगवान् महावीर के पास जाने के लिए तैयार हुए। जैसे ही वे अपनी शिष्य-मडली सहित भगवान् के पास पहुँचे, भगवान् ने उनके मन में स्थित सन्देह की ओर संकेत करते हुए कहा—आत्मा के अस्तित्व के विषय में तुम्हारे मन में इस प्रकार का सशय है कि यदि जीव (आत्मा) का अस्तित्व है तो वह घटादि पदार्थों की भाँति प्रत्यक्ष दिखाई देना

१. प० श्री दलसुख मालवणियाकृत 'गणधरवाद' में आचार्य जिनभद्रकृत गणधरवाद का सवादात्मक गुजराती अनुवाद, टिप्पण, विस्तृत तुलनात्मक प्रस्तावना आदि हैं। गुजरात विद्यासभा, भद्र, अहमदाबाद की ओर से सन् १९५२ में इसका प्रकाशन हुआ है। श्री पृथ्वीराज जैन, एम०ए०, शास्त्री ने इसका हिन्दी में भी अनुवाद किया है जो अभी तक अप्रकाशित है। प्रस्तुत परिचय में इस ग्रन्थ का उपयोग करने के लिए लेखक व अनुवादक दोनों का आभारी हूँ।

गणधरवाद के अंग्रेजी अनुवाद तथा विवेचन के लिए देखिए—श्रमण भगवान् महावीर, भा० ३ . सम्पा०—मुनि रत्नप्रभविजय, अनु०—प्रो० धीरुभाई पी० ठाकर, प्रका०—श्री जैनग्रन्थ प्रकाशक सभा, पाजरापोल, अहमदाबाद, सन् १९४२; श्री जैन सिद्धान्त सोसायटी, पाजरापोल, अहमदाबाद, सन् १९५० तथा डा० ई० ए० सोलोमन का अंग्रेजी अनुवाद : प्रका० गुजरात विद्यासभा, अहमदाबाद, सन् १९६६

चाहिए। चूँकि वह खपुष्य की भाँति सर्वथा अप्रत्यक्ष है, अतः उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि कोई यह कहे कि जीव अनुमान से सिद्ध है तो भी ठीक नहीं। इसका कारण यह है कि अनुमान प्रत्यक्षपूर्वक ही होता है। जिसका प्रत्यक्ष ही नहीं उसकी सिद्धि अनुमान से कैसे हो सकती है? प्रत्यक्ष में निश्चित धूम तथा अग्नि के अविनाभावसवन्ध का स्मरण होने पर ही धूम के प्रत्यक्ष से अग्नि का अनुमान किया जा सकता है। जीव के किसी भी लिंग का सवन्धग्रहण उसके साथ प्रत्यक्ष द्वारा नहीं होता, जिससे उस लिंग का पुनः प्रत्यक्ष होने पर उस सवन्ध का स्मरण हो जाए तथा उमसे जीव का अनुमान किया जा सके। आगम प्रमाण से भी जीव का स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिमका प्रत्यक्ष ही नहीं वह आगम का विषय कैसे हो सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आता जिसे जीव का प्रत्यक्ष हो और जिसके वचनों को प्रमाणभूत मानकर जीव का अस्तित्व सिद्ध किया जा सके। दूसरी बात यह है कि आगम प्रमाण मानने पर भी जीव की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि विभिन्न आगम परस्पर विरोधी तत्त्वों को सिद्ध करते हैं। जिस बात की एक आगम सिद्धि करता है उसी का दूसरा खंडन करता है। ऐसी स्थिति में आगम के आधार पर भी जीव का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार किसी भी प्रमाण से जीव के अस्तित्व की सिद्धि नहीं हो सकती, अतः उसका अभाव मानना चाहिए। ऐसा होते हुए भी लोग जीव का अस्तित्व क्यों मानते हैं ?

इस सशय का निवारण करते हुए भगवान् महावीर कहते हैं—हे गीतम ! तुम्हारा यह सदेह उचित नहीं। तुम्हारी यह मान्यता कि 'जीव प्रत्यक्ष नहीं है' ठीक नहीं, क्योंकि जीव तुम्हें प्रत्यक्ष है ही। यह कैसे? 'जीव है या नहीं' इस प्रकार का जो सशयरूप विज्ञान है वही जीव है क्योंकि जीव विज्ञानरूप है। तुम्हारा सशय तो तुम्हें प्रत्यक्ष ही है। ऐसी दशा में तुम्हें जीव का प्रत्यक्ष हो रहा है। इसके अतिरिक्त 'मैंने किया', 'मैं करता हूँ', 'मैं करूँगा' इत्यादि रूप से तीनों काल सम्बन्धी विविध कार्यों का जो निर्देश किया जाता है उसमें 'मैं' (अहम्) रूप जो ज्ञान है वह भी आत्म-प्रत्यक्ष ही है। दूसरी बात यह है कि यदि सशय करने वाला कोई न हो तो 'मैं हूँ या नहीं' यह सशय किसे होगा? जिसे स्वरूप में ही सदेह हो उसके लिए ससार में कौन-सी वस्तु असदिग्ध होगी? ऐसे व्यक्ति को सर्वत्र सशय होगा। अनुमान से जीव की सिद्धि करते हुए आगे कहा गया है कि आत्मा प्रत्यक्ष है क्योंकि उसके स्मरणार्थि विज्ञानरूप गुण स्वसवेदन द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आते हैं। जिस गुणी के गुणों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है उस गुणी का भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है जैसे घट।

जीव के गुण प्रत्यक्ष हैं अतः जीव भी प्रत्यक्ष है। जिस प्रकार घट के प्रत्यक्ष का आधार उसके रूपादि गुण हैं उसी प्रकार आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभव का आधार उसके ज्ञानादि गुण हैं। जो लोग गुण से गुणों को एकान्त भिन्न मानते हैं उनके मत में रूपादि का ग्रहण होने पर भी घटादि गुणरूप पदार्थों का ग्रहण न होगा। इन्द्रियो द्वारा मात्र रूपादि का ग्रहण होने से रूपादि को तो प्रत्यक्ष माना जा सकता है किन्तु रूपादि से एकान्त भिन्न घट का प्रत्यक्ष नहीं माना जा सकता। इस प्रकार जब घटादि पदार्थ भी सिद्ध नहीं तो फिर आत्मा के अस्तित्व-नास्तित्व का विचार करने से क्या लाभ? अतः स्मरणादि गुणों के आधार पर आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए।^१

आत्मा और शरीर के भेद ·

उपर्युक्त चर्चा के आधार पर इन्द्रभूति यह बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ज्ञानादि गुणों का प्रत्यक्ष होने के कारण उनका आधारभूत कोई गुणी अवश्य होना चाहिए। इतना स्वीकार करने पर वे एक नई शंका उठाते हैं। वे कहते हैं कि स्मरणादि गुणों का आधार आत्मा ही है, यह मान्यता ठीक नहीं क्योंकि कृशता, स्थूलता आदि गुणों के समान स्मरणादि गुण भी शरीर में ही उपलब्ध होते हैं। ऐसी दशा में उनका गुणीभूत आधार शरीर को ही मानना चाहिए, शरीर से भिन्न आत्मा को नहीं। इस शंका का समाधान करते हुए महावीर कहते हैं कि ज्ञानादि शरीर के गुण नहीं हो सकते क्योंकि शरीर घट के समान मूर्त अर्थात् चाक्षुष है जबकि ज्ञानादि गुण अमूर्त अर्थात् अचाक्षुष हैं। अतः ज्ञानादि गुणों के अनुरूप देह से भिन्न किसी अमूर्त गुणी की सत्ता अवश्य मानना चाहिए। यही गुणी आत्मा अर्थात् जीव है। इसके बाद इन्द्रभूति एक और शंका उठाते हैं। वे कहते हैं कि मैं अपनी देह में आत्मा का अस्तित्व मान सकता हूँ किन्तु दूसरों की देह में भी आत्मा की सत्ता है, इसका क्या प्रमाण? महावीर कहते हैं कि इस हेतु से अन्य आत्माओं की भी सिद्धि हो सकती है। दूसरों के शरीर में भी विज्ञानमय जीव है क्योंकि उनमें भी इष्टप्रवृत्ति, अनिष्टनिवृत्ति आदि विज्ञानमय क्रियाएँ देखी जाती हैं।^२

आत्मा की सिद्धि के हेतु :

जिस प्रकार साख्यदर्शन में पुरुष को प्रकृति से भिन्न सिद्ध करने के लिए अविष्ठातृत्व, सघातपरार्थत्व आदि हेतु दिए गए उसी प्रकार विशेषावश्यकभाष्य में भी आत्मसिद्धि के लिए इसी प्रकार के कुछ हेतु दिए गए हैं। (१) इन्द्रियो का कोई अधिष्ठाता अवश्य होना चाहिए क्योंकि वे कारण हैं जैसे कि दबादि

करणो का अधिष्ठाता कुभकार होता है । जिसका कोई अधिष्ठाता नहीं होता वह आकाश के समान करण भी नहीं होता । इन्द्रियो का जो अधिष्ठाता है वही आत्मा है । (२) देह का कोई कर्ता होना चाहिए क्योंकि उसका घट के समान एक सादि एव नियत आकार है । जिसका कोई कर्ता नहीं होता उसका सादि एव निश्चित आकार भी नहीं होता, जैसे बादल । इम देह का जो कर्ता है वही आत्मा है । (३) जब इन्द्रियो और विषयो मे आदान-आदेयभाव है तब उनका कोई आदाता अवश्य होना चाहिए । जहाँ आदान-आदेयभाव होता है वहाँ कोई आदाता अवश्य होता है, जैसे सडासी (मदशक) और लोहे मे आदान-आदेयभाव है तथा लुहार (लोहकार) आदाता है । इसी प्रकार इन्द्रिय और विषय मे आदान-आदेयभाव है तथा आत्मा आदाता है । (४) देहादि का कोई भोक्ता अवश्य होना चाहिए क्योंकि वह भोग्य है, जैसे भोजन वस्त्रादि भोग्य पदार्थों का भोक्ता पुष्पविशेष है । देहादि का जो भोक्ता है वही आत्मा है । (५) देहादि का कोई स्वामी अवश्य होना चाहिए क्योंकि ये सघातरूप है । जो सघात रूप होता है उसका कोई स्वामी अवश्य होता है, जैसे गृह और उसका स्वामी गृहपति । देहादि सघातो का जो स्वामी है वही आत्मा है ।

व्युत्पत्तिमूलक हेतु

शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से जीव का अस्तित्व सिद्ध करते हुए भगवान् महावीर इन्द्रभूति को समझाने है कि 'जीव' पद 'घट' पद के समान व्युत्पत्तियुक्त शुद्ध पद होने के कारण सार्थक होना चाहिए अर्थात् 'जीव' पद का कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए । जो पद सार्थक नहीं होता वह व्युत्पत्तियुक्त शुद्ध पद भी नहीं होता, जैसे डित्य, खरविषाण आदि । 'जीव' पद व्युत्पत्तियुक्त तथा शुद्ध है अतः उसका कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए । इस तर्क को सुनकर इन्द्रभूति फिर कहते हैं कि शरीर ही 'जीव' पद का अर्थ है, उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं । महावीर इस मत का खण्डन करते हुए पुनः कहते हैं—'जीव' पद का अर्थ शरीर नहीं हो सकता क्योंकि 'जीव' शब्द के पर्याय 'शरीर' शब्द के पर्यायो से भिन्न है जीव के पर्याय है जन्तु, प्राणी, सत्त्व, आत्मा आदि । शरीर के पर्याय है : देह, वपु, काय, कलेवर आदि । और फिर देह और जीव के लक्षण भी भिन्न-भिन्न हैं । जीव ज्ञानादि गुणयुक्त है जबकि देह जड है ।^२ इसके बाद महावीर ने अपनी सर्वज्ञता के प्रमाण देकर यह सिद्ध किया है कि सर्वज्ञ के वचनो में सन्देह नहीं होना चाहिए क्योंकि वह राग, द्वेषादि दोषो से परे होता है जिनके कारण मनुष्य झूठ बोलता है ।^३

जीव की अनेकता :

जीव का लक्षण उपयोग है । जीव के मुख्य दो भेद हैं ससारी और सिद्ध । ससारी जीव के पुन दो भेद हैं त्रस और स्यावर ।^१

जो लोग आकाश के समान एक ही जीव की सत्ता में विश्वास करते हैं वे यथार्थवादी नहीं हैं । नारक, देव, मनुष्य, तिर्यञ्च आदि पिण्डों में आकाश के समान एक ही आत्मा मानने में क्या हानि है ? इसका उत्तर यह है कि आकाश के समान सब पिण्डों में एक आत्मा मभव नहीं । आकाश का सर्वत्र एक ही लिंग अथवा लक्षण हमारे अनुभव में आता है अत आकाश एक ही है । जीव के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता । जीव प्रत्येक पिण्ड में विलक्षण है अत उसे सर्वत्र एक नहीं कहा जा सकता । जीव अनेक है क्योंकि उनमें लक्षणभेद है, जैसे विविध घट । जो वस्तु अनेक नहीं होती उसमें लक्षण भेद भी नहीं होता, जैसे आकाश । फिर, एक ही जीव मानने पर सुख, दुःख, वध, मोक्ष आदि की व्यवस्था भी नहीं बन सकती । एक ही जीव का एक ही समय में सुखी-दुःखी होना संभव नहीं, बद्ध-मुक्त होना संभव नहीं । अतः अनेक जीवों की सत्ता मानना युक्तिसंगत है । इन्द्रभूति महावीर के उपयुक्त वक्तव्य से पूर्ण सतुष्ट नहीं होते । वे पुन शका करते हैं कि यदि जीव का लक्षण ज्ञान-दर्शनरूप उपयोग है और वह सब जीवों में विद्यमान है तो फिर प्रत्येक पिण्ड में लक्षण भेद कैसे माना जा सकता है ? इसका समाधान करते हुए भगवान् महावीर कहते हैं कि सभी जीवों में उपयोगरूप सामान्य लक्षण के विद्यमान होते हुए भी प्रत्येक शरीर में विशेष-विशेष उपयोग का अनुभव होता है । जीवों में उपयोग के अपकर्ष तथा उत्कर्ष के तारतम्य के अनन्त भेद हैं । यही कारण है कि जीवों की सख्या भी अनन्त है ।^२

जीव का स्वदेह-परिमाण :

जीवों को अनेक मानते हुए भी सर्वव्यापक मानने में क्या आपत्ति है ?^३ जीव सर्वव्यापक नहीं अपितु शरीरव्यापी है क्योंकि उसके गुण शरीर में ही उपलब्ध होते हैं । जैसे घट के गुण घट से बाह्य देश में उपलब्ध नहीं होते अतः वह सर्वव्यापक नहीं माना जाता, उसी प्रकार आत्मा के गुण भी शरीर से बाहर उपलब्ध नहीं होते अतः वह स्वदेहपरिमाण ही है ।^४ अथवा जहाँ जिसकी उपलब्धि प्रमाणसिद्ध नहीं होती वहाँ उसका अभाव मानना चाहिए जैसे घट में

१ गा० १५८०.

२ ब्रह्मविन्दु उपनिषद्, ११ आदि

३ गा० १५८१-३

४ जैसा कि साख्य, नैयायिक आदि मानते हैं ।

५. तुलना • अन्ययोगव्यवच्छेदद्वारिणिका, ९

पट का अभाव है। शरीर से बाहर ससारी आत्मा की उपलब्धि नहीं है अतः शरीर से बाहर उसका अभाव मानना युक्तियुक्त है। जीव में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ऋध, मोक्ष, सुख, दुःख आदि सभी युक्तिसंगत सिद्ध हो सकते हैं, जब उसे अनेक और असर्वव्यापक-स्वशरीरव्यापी माना जाए। अतः जीव को अनेक और असर्वगत मानना चाहिए।^१

जीव की नित्यानित्यता :

आत्मा पूर्व पर्याय के नाश और अपर पर्याय की उत्पत्ति की अपेक्षा से अनित्य स्वभाव वाली है। घटादि विज्ञानरूप उपयोग का नाश होने पर पटादि विज्ञानरूप उपयोग उत्पन्न होता है। इससे जीव में उत्पाद और व्यय दोनों सिद्ध होते हैं अतः जीव विनाशी है। ऐसा होते हुए भी विज्ञान-सन्तति की अपेक्षा से जीव अविनाशी अर्थात् नित्य—ध्रुव भी सिद्ध होता है। आत्मा में विज्ञानसामान्य का कभी अभाव नहीं होता, विज्ञानविशेष का अभाव होता है। अतः विज्ञानसन्तति अर्थात् विज्ञानसामान्य की अपेक्षा से आत्मा नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, अविनाशी है। ससार के अन्य पदार्थों का भी यही स्वभाव है।^२

जीव भूतधर्म नहीं :

कुछ लोग यह मानते हैं कि विज्ञान की उत्पत्ति भूतो से ही होती है, अतः विज्ञानरूप जीव भूतो का ही धर्म है।^३ उनकी यह मान्यता अनुपयुक्त है। विज्ञान का भूतो के साथ कोई अन्वय-व्यतिरेक सम्बन्ध नहीं है। भूतो का अस्तित्व होने पर भी मृत शरीर में ज्ञान का अभाव देखा जाता है। भूतो के अभाव में भी मुक्तावस्था में ज्ञान का सद्भाव है। अतः भूतो के साथ ज्ञान का अन्वय-व्यतिरेक असिद्ध है। इसीलिए ज्ञानरूप जीव भूतधर्म नहीं हो सकता। जिस प्रकार घट का सद्भाव होने पर नियमपूर्वक पट का सद्भाव नहीं होता तथा घट के अभाव में भी पट का सद्भाव देखा जाता है, अतः पट को घट से भिन्न एव स्वतन्त्र माना जाता है, उसी प्रकार ज्ञान को भी भूतो से भिन्न मानना चाहिए। अतः विज्ञानरूप जीव भूतधर्म नहीं हो सकता।^४

इस प्रकार भगवान् महावीर ने इन्द्रभूति का जीवविषयक मशय दूर किया और उन्होंने अपने पाँच सौ शिष्यों महित महावीर से दीक्षा ग्रहण की।^५

१ गा० १५८६-७.

२ गा० १५९५

३. चार्वाक की यही मान्यता है।

४ गा० १५९७-९

५ गा० १६०४

कर्म का अस्तित्व •

इसके बाद अग्निभूति महावीर के पास पहुँचे । भगवान् ने उन्हें आया हुआ देखकर नाम और गोत्र मे मन्त्रोघित किया और कहा—अग्निभूति ! तुम्हारे मन में यह सन्देह है कि कर्म है अथवा नहीं । मैं तुम्हारे इस सन्देह का निवारण करूँगा । तुम यह समझते हो कि कर्म प्रत्यक्ष आदि किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं है, अतः वह खरविषाण की भाँति अभावरूप है । तुम्हारा यह सन्देह अनुपयुक्त है । मैं कर्म को प्रत्यक्ष देवता हूँ । यद्यपि तुम्हें उसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है तथापि अनुमान से तुम भी उसकी सिद्धि कर सकते हो । सुख-दुःखरूप कर्मफल तो तुम्हें प्रत्यक्ष ही है और उससे उसके कारणरूप कर्म की सत्ता का अनुमान किया जा सकता है । सुख-दुःख का कोई कारण अवश्य होना चाहिए क्योंकि वे कार्य हैं, जैसे अकुररूप कार्य का हेतु बीज है । सुख-दुःखरूप कार्य का जो हेतु है वही कर्म है ।^१

अग्निभूति महावीर को यह बात मानकर आगे शका करता है कि यदि सुख-दुःख का दृष्ट कारण सिद्ध हो तो अदृष्ट कारणरूप कर्म का अस्तित्व भानने की क्या आवश्यकता है ? चन्दन आदि पदार्थ सुख के हेतु हैं और सर्पविष आदि दुःख के हेतु हैं । इन दृष्ट कारणों को छोड़कर अदृष्ट कर्म को भानने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । इसका समाधान करते हुए भगवान् कहते हैं कि दृष्ट कारण मे व्यभिचार दिखाई देता है अतः अदृष्ट कारण मानना अनिवार्य हो जाता है । यह कैसे ? सुख-दुःख के दृष्ट कारणों के समानरूप से उपस्थित होने पर भी उनके कार्य में जो तारतम्य दिखाई देता है वह निष्कारण नहीं हो सकता । इसका जो कारण है वही कर्म है ।^२

कर्म-साधक एक और प्रमाण देते हुए भगवान् महावीर कहते हैं—आद्य बालशरीर देहान्तरपूर्वक है क्योंकि वह इन्द्रियादि से युक्त है जैसे युवदेह बालदेह-पूर्वक है । आद्य बालशरीर जिस देहपूर्वक है वही कर्म—कर्मणशरीर है ।^३

कर्म-साधक तीसरा अनुमान इस प्रकार है : दानादि क्रिया का कुछ फल अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वह सचेतन व्यक्तिकृत क्रिया है, जैसे कृषि । दानादि क्रिया का जो फल है वही कर्म है । अग्निभूति इस बात को मानता हुआ पुनः प्रश्न करता है कि जैसे कृषि आदि क्रिया का दृष्ट फल घान्यादि है, उसी प्रकार दानादि क्रिया का फल भी मन प्रसाद आदि क्यों न मान लिया जाए ? इस दृष्ट फल को छोड़कर अदृष्ट फलरूप कर्म की सत्ता मानने से क्या लाभ ? महावीर इसका उत्तर देते हुए कहते हैं—अग्निभूति ! क्या तुम नहीं जानते कि मन प्रसाद भी एक प्रकार की क्रिया है, अतः सचेतन की अन्य क्रियाओं

के समान उसका भी फल मानना चाहिए। वही फल कर्म है। इस कर्म के कार्य-रूप से सुखदुःख आदि आगे जाकर पुनः हमारे अनुभव में आते हैं।^१

मूर्त कर्म ·

यदि कार्य के अस्तित्व से कारण की सिद्धि होती है तो शरीर आदि कार्य के मूर्त होने के कारण उसका कारणरूप कर्म भी मूर्त ही होना चाहिए। इस सशय का निवारण करते हुए महावीर कहते हैं कि मैं कर्म को मूर्त ही मानता हूँ क्योंकि उसका कार्य मूर्त है। जैसे परमाणु का कार्य घट मूर्त है अतः परमाणु भी मूर्त है, वैसे ही कर्म का शरीरादि कार्य मूर्त है अतः कर्म भी मूर्त ही है।^२

कर्म का मूर्तत्व सिद्ध करने वाले अन्य हेतु ये हैं - (१) कर्म मूर्त है क्योंकि उससे सम्बन्ध होने पर सुख आदि का अनुभव होता है, जैसे भोजन। जो अमूर्त होता है उससे सम्बन्ध होने पर सुख आदि का अनुभव नहीं होता, जैसे आकाश। (२) कर्म मूर्त है क्योंकि उसके सम्बन्ध से वेदना का अनुभव होता है, जैसे अग्नि। (३) कर्म मूर्त है क्योंकि उसमें बाह्य पदार्थों से बलाघान होता है। जैसे घटादि पदार्थों पर तेल आदि बाह्य वस्तु का विलेपन करने से बलाघान होता है—स्निग्धता आती है उसी प्रकार कर्म में भी माला, चन्दन, वनिता आदि बाह्य वस्तुओं के संसर्ग से बलाघान होता है अतः वह मूर्त है। (४) कर्म मूर्त है क्योंकि वह आत्मादि से भिन्न रूप में परिणामी है, जैसे दूध।^३

कर्म और आत्मा का सम्बन्ध ·

कर्म को मूर्त मानने पर अमूर्त आत्मा से उसका सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? घट मूर्त है फिर भी उसका सयोग सम्बन्ध अमूर्त आकाश से होता है। ठीक इसी प्रकार मूर्त कर्म का अमूर्त आत्मा से सम्बन्ध होता है। अथवा जिस प्रकार अगुली आदि मूर्त द्रव्य का आकुञ्चन आदि अमूर्त क्रिया से सम्बन्ध होता है उसी प्रकार कर्म और जीव का सम्बन्ध सिद्ध होता है।^४

स्थूल शरीर मूर्त है किन्तु उसका आत्मा से सम्बन्ध प्रत्यक्ष ही है। इसी प्रकार भवान्तर में जाते हुए जीव का कार्मण शरीर से सम्बन्ध होना ही चाहिए अन्यथा नये स्थूल शरीर का ग्रहण सम्भव नहीं हो सकता।^५

मूर्त द्वारा अमूर्त का उपघात और अनुग्रह कैसे हो सकता है ? विज्ञानादि अमूर्त हैं किन्तु मदिरा, विष आदि मूर्त वस्तुओं द्वारा उनका उपघात होता है तथा घी, दूध आदि पौष्टिक भोजन से उनका उपकार होता है। इसी प्रकार मूर्त कर्म द्वारा अमूर्त आत्मा का अनुग्रह अथवा उपकार हो सकता है।^६

१. गा० १६१५-६

२. गा० १६२५.

३. गा० १६२६-७

४. गा० १६३५.

५. गा० १६३६

६. गा० १६३७

अथवा यो कहिये कि मसारी आत्मा वस्तुतः एकान्तरूप से अमूर्त नहीं है। जीव तथा कर्म का अनादिकालीन सम्बन्ध होने के कारण कथञ्चित् जीव भी कर्म-परिणामरूप है, अतः वह उस रूप में मूर्त भी है। इस प्रकार मूर्त आत्मा पर मूर्त कर्म द्वारा होने वाले अनुग्रह और उपघात को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देह और कर्म में परस्पर कार्य-कारणभाव है। जैसे बीज से अक्रुर और अक्रुर से बीज की उत्पत्ति है और इस प्रकार बीजाक्रुर सन्तति अनादि है उसी प्रकार देह से कर्म और कर्म से देह का उद्भव समझना चाहिए। देह और कर्म की यह परम्परा अनादि है।^१

ईश्वरकर्तृत्व का खण्डन

अग्निभूति एक और शका उपस्थित करते हैं। वे कहते हैं कि यदि ईश्वरादि को जगत्-वैचित्र्य का कारण मान लिया जाए तो कर्म को कोई आवश्यकता नहीं रहती। महावीर कहते हैं कि कर्म की सत्ता न मानकर मात्र शुद्ध जीव को ही देहादि की विचित्रता का कर्ता माना जाए अथवा ईश्वरादि को इस समस्त वैचित्र्य का कर्ता माना जाए तो हमारी सारी मान्यताएँ असंगत सिद्ध होगी। यह कैसे? यदि शुद्ध जीव अथवा ईश्वरादि को कर्म-साधन की अपेक्षा नहीं है तो वह शरीरादि का आरम्भ ही नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास आवश्यक उपकरणों का अभाव है जैसे कुम्भकार दडादि उपकरणों के अभाव में घटादि का निर्माण नहीं कर सकता उसी प्रकार ईश्वर कर्मादि साधनों के अभाव में शरीरादि का निर्माण नहीं कर सकता। इसी प्रकार निश्चेष्टता, अमूर्तता आदि हेतुओं से भी ईश्वर-कर्तृत्व का खण्डन किया जा सकता है।^२

इस प्रकार भगवान् महावीर ने अग्निभूति के सशय का निवारण कर दिया तो उन्होंने अपने ५०० शिष्यों सहित भगवान् से दीक्षा ग्रहण कर ली।^३

आत्मा और शरीर का भेद .

इन्द्रभूति तथा अग्निभूति के दीक्षित होने के समाचार सुनकर वायुभूति भगवान् महावीर के पास पहुँचे। भगवान् ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा— वायुभूति! तुम्हारे मन में यह सशय है कि जीव और शरीर एक ही हैं अथवा भिन्न-भिन्न हैं? तुम्हें वेद-पदों का सच्चा अर्थ मालूम नहीं है, इसीलिए तुम्हें इस प्रकार का सदेह हो रहा है।^४ तुम यह मानते हो कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु—इन चार भूतों के समुदाय से चैतन्य उत्पन्न होता है। जिस प्रकार मद्य उत्पन्न करने वाली पृथक्-पृथक् वस्तुओं में मदशक्ति दिखाई नहीं देती फिर

भी उनके समुदाय से मदशक्ति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार पृथ्वी आदि किसी भी पृथक् भूत मे चैतन्यशक्ति दिखाई नहीं देती फिर भी उनके समुदाय से चैतन्य का प्रादुर्भाव होता है। जिस प्रकार पृथक्-पृथक् द्रव्यो के समुदाय से मदशक्ति उत्पन्न होती है और कुछ समय तक स्थिर रह कर कालान्तर में विनाश की सामग्री उपस्थित होने पर पुन नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार भूतो के समुदाय से चैतन्य उत्पन्न होता है और कुछ समय तक विद्यमान रहने पर कालान्तर मे विनाश की सामग्री उपस्थित होने पर पुन नष्ट हो जाता है। अत चैतन्य भूतो का धर्म है और भूतरूप शरीर तथा चैतन्यरूप आत्मा अभिन्न है।^१

भगवान् महावीर इस सशय का निराकरण करते हुए कहने है—हे वायुभूति। तुम्हारा यह सशय ठीक नहीं है क्योंकि चैतन्य केवल भूतो के समुदाय से उत्पन्न नहीं हो सकता। वह स्वतन्त्ररूप से सत् है क्योंकि प्रत्येक भूत मे उसकी सत्ता का अभाव है। जिसका प्रत्येक अवयव मे अभाव हो वह समुदाय से भी उत्पन्न नहीं हो सकता। रेत के प्रत्येक कण में तेल नहीं है अत रेत के समुदाय से भी तेल नहीं निकल सकता। तिल-समुदाय से तेल निकलता है क्योंकि प्रत्येक तिल में तेल की सत्ता है।^२ तुम्हारा यह कथन कि मद्य के प्रत्येक द्रव्य मे मद अविद्यमान है, अयुक्त है। वस्तुतः मद्य के प्रत्येक अग में मद की न्यून या अधिक मात्रा विद्यमान है ही इसीलिए वह समुदाय से उत्पन्न होता है।^३

भूतां मे भी मद्यागो के ममान प्रत्येक में चैतन्य की मात्रा विद्यमान है अत वह समुदाय मे भी उत्पन्न हो जाता है, ऐसा मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ? यह बात नहीं मानी जा सकती क्योंकि जिस प्रकार मद्य के प्रत्येक अग—घातकीपुष्प, गुड, द्राक्षा, इक्षुरस आदि में मदशक्ति दिखाई देती है उस प्रकार प्रत्येक भूत में चैतन्यशक्ति का दर्शन नहीं होता। अत यह नहीं कहा जा सकता कि केवल भूतसमुदाय से ही चैतन्य उत्पन्न होता है।^४

मद्य के प्रत्येक अग में भी यदि मदशक्ति न मानें तो क्या दोष है ? यदि भूतो में चैतन्य के समान मद्य के भी प्रत्येक अग मे मदशक्ति न हो तो यह नियम ही नहीं बन सकता कि मद्य के घातकीपुष्प आदि तो कारण हैं और अन्य पदार्थ नहीं। ऐसी अवस्था में राख, पत्थर आदि कोई भी वस्तु मद का कारण बन जाएगी और किसी भी समुदाय से मद्य उत्पन्न हो जाएगा। किन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं होता अत मद्य के प्रत्येक अगभूत पदार्थ मे मदशक्ति का अस्तित्व अवश्य मानना चाहिए।^५

१ गा० १६५०-१

२ यह सत्कार्यवाद का मूलभूत सिद्धान्त है।

३ गा० १६५२

४ गा० १६५३

५ गा० १६५४

इन्द्रिय-भिन्न आत्मसाधक अनुमान :

भूत अथवा इन्द्रियो से भिन्नस्वरूप किसी तत्त्व का धर्म चैतन्य है, क्योंकि भूत अथवा इन्द्रियो द्वारा उपलब्ध पदार्थ का स्मरण होता है, जैसे पाँच क्षरोखो से उपलब्ध वस्तु का स्मरण होने के कारण क्षरोखो से भिन्नस्वरूप देवदत्त का धर्म चैतन्य है। जैसे क्रमशः पाँच क्षरोखो से देखने वाला देवदत्त एक ही है और वह उन क्षरोखो से भिन्न है क्योंकि वह पाँचो क्षरोखो द्वारा देखी गई चीजो का स्मरण करता है, उसी प्रकार पाँचो इन्द्रियो द्वारा गृहीत पदार्थो का स्मरण करने वाला भी इन्द्रियो से भिन्न कोई तत्त्व अवश्य होना चाहिए। इसी तत्त्व का नाम आत्मा अथवा जीव अथवा चेतना है। यदि स्वयं इन्द्रियो को ही उपलब्ध-कर्ता मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? इन्द्रियव्यापार के बन्द होने पर अथवा इन्द्रियो के नाश हो जाने पर भी इन्द्रियो द्वारा गृहीत वस्तु का स्मरण होता है तथा कभी-कभी इन्द्रियव्यापार के अस्तित्व में भी अन्यमनस्क को वस्तु का ज्ञान नहीं होता, अतः यह मानना चाहिए कि किसी वस्तु का ज्ञान इन्द्रियो को नहीं होता अपितु इन्द्रियभिन्न किसी अन्य को ही होता है। यही ज्ञाता आत्मा है।^१

दूसरा अनुमान इस प्रकार है . आत्मा इन्द्रियो से भिन्न है, क्योंकि वह एक इन्द्रिय द्वारा गृहीत पदार्थ का दूसरी इन्द्रिय से ग्रहण करती है। जैसे एक खिडकी से देखे गये घट को देवदत्त दूसरी खिडकी से ग्रहण करता है अतः देवदत्त दोनो खिडकियो से भिन्न है, वैसे ही आत्मा भी एक इन्द्रिय से गृहीत वस्तु का दूसरी इन्द्रिय से ग्रहण करती है अतः वह इन्द्रियो से भिन्न है। दूसरी बात यह है कि वस्तु का ग्रहण एक इन्द्रिय से होता है किन्तु विकार दूसरी इन्द्रिय में होता है, जैसे आँखो द्वारा झमली आदि आम्ल पदार्थ देखते हैं किन्तु लालालवादि विकार (लार टपकना, मुँह में पानी भर आना) जिह्वा में होता है, अतः यह मानना पडता है कि आत्मा इन्द्रियो से भिन्न है।^२

तीसरा अनुमान इस प्रकार है : जीव इन्द्रियो से भिन्न है, क्योंकि वह सभी इन्द्रियो द्वारा गृहीत अर्थ का स्मरण करता है। जिसप्रकार अपनी इच्छा से रूप आदि एक-एक गुण के ज्ञाता ऐसे पाँच पुरुषो से रूप आदि ज्ञान का ग्रहण करने वाला पुरुष भिन्न है, उसी प्रकार पाँचो इन्द्रियो से उपलब्ध अर्थ का स्मरण करने वाला पाँचो इन्द्रियो से भिन्न कोई तत्त्व होना चाहिए। यही तत्त्व आत्मा है।^३

आत्मा की नित्यता :

आत्मा शरीर से भिन्न सिद्ध होने पर भी शरीर के समान क्षणिक तो है ही । ऐसी दशा में वह शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती है । तब फिर उसे शरीर से भिन्न सिद्ध करने से क्या लाभ ? यह शका ठीक नहीं । पूर्व जन्म का स्मरण करने वाले जीव का उसके पूर्व भव के शरीर का नाश हो जाने पर भी क्षय नहीं माना जा सकता । जीव का क्षय मानने पर पूर्व भव का स्मरण करने वाला कोई नहीं रहता । जिस प्रकार बाल्यावस्था का स्मरण करने वाली वृद्ध की आत्मा का बाल्यकाल में सर्वथा नाश नहीं हो जाता क्योंकि वह बाल्यावस्था का स्मरण करती हुई प्रत्यक्ष दिखाई देती है, ठीक इसी प्रकार जीव भी पूर्व जन्म का स्मरण करता है, यह बात सिद्ध है । अथवा जिस प्रकार विदेश में गया हुआ कोई व्यक्ति स्वदेश की बातों का स्मरण करता है अतः उसे नष्ट नहीं माना जा सकता, उसी प्रकार पूर्व जन्म का स्मरण करने वाले जीव का भी सर्वथा नाश नहीं माना जा सकता ।^१

यदि कोई यह कहे कि जीवरूप विज्ञान को क्षणिक मानकर भी विज्ञान-सतति के सामर्थ्य से स्मरण की सिद्धि की जा सकती है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर का नाश हो जाने पर भी विज्ञान-सतति का नाश नहीं हुआ । अतः विज्ञान-सतति शरीर से भिन्न ही सिद्ध हुई । विज्ञान का सर्वथा क्षणिक होना सम्भव नहीं क्योंकि पूर्वोपलब्ध वस्तु का स्मरण होता हुआ दिखाई देता है । जो क्षणिक होता है उसे अतीत का स्मरण नहीं हो सकता । चूँकि हमें अतीत का स्मरण होता है अतः हमारा विज्ञान सर्वथा क्षणिक नहीं है । क्षणिकवाद के अनेक दोषों की ओर संकेत करते हुए भाष्यकार ने इस मत की स्थापना की है कि ज्ञान-सतति का जो सामान्य रूप है वह नित्य है अतः उसका कभी भी व्यवच्छेद नहीं होता । यही आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है ।^२

आत्मा की अदृश्यता :

यदि आत्मा शरीर से भिन्न है तो वह शरीर में प्रविष्ट होते समय अथवा वहाँ से बाहर निकलते समय दिखाई क्यों नहीं देती ? किसी भी वस्तु की अनुपलब्धि दो प्रकार की होती है : (१) जो वस्तु खरभृगादि के समान सर्वथा असत् हो वह कभी भी उपलब्ध नहीं होती, (२) वस्तु सत् होने पर भी बहुत दूर, बहुत पास, अति सूक्ष्म आदि होने के कारण उपलब्ध नहीं होती । आत्मा स्वभाव से अमूर्त है तथा उसका कार्मण शरीर परमाणु के सदृश सूक्ष्म है अतः वह हमारे शरीर में प्रविष्ट होते समय अथवा शरीर से बाहर निकलते समय दिखाई नहीं देती ।^३

इस प्रकार जब भगवान् महावीर ने वायुभूति के मग्य का निवारण किया तो उन्होंने अपने ५०० शिष्यों सहित भगवान् से दीक्षा अंगीकार कर ली।^१

शून्यवाद का निरास .

इन्द्रभूति आदि तीनों को दीक्षित हुए मुनिकर व्यक्त ने विचार किया कि मुझे भी महावीर के पास पहुँचना चाहिए। यह मोचकर वे भगवान् महावीर के पास पहुँचे। भगवान् ने उन्हें आया हुआ जान कर मबोधित करने हुए कहा— हे व्यक्त ! तुम्हारे मन में यह सशय है कि भूतो का अस्तित्व है या नहीं ? तुम वेद-वाक्यों का यथार्थ अर्थ नहीं जानते, इसीलिए तुम्हें इस प्रकार की शका है। मैं तुम्हें इनका सच्चा अर्थ बताऊँगा जिसमें तुम्हारा मग्य दूर होगा।^२

हे व्यक्त ! तुम यह समझते हो कि प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले ये सब भूत स्वप्नोपम हैं तथा जीव, पुण्य, पाप आदि परोक्ष पदार्थ भी मायोपम हैं। इस प्रकार समस्त ससार यथार्थ में शून्यरूप है। तुम यह भी जानने हो कि समान में सकल व्यवहार ह्रस्व-दीर्घ के समान सापेक्ष है, अतः वस्तु की मिद्वि स्वतः, परतः, उभयतः तथा अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकती। अतः सब कुछ शून्य है। इसी प्रकार पदार्थ के साथ अस्तित्व, एकत्व, अनेकत्व आदि का किसी प्रकार का सम्बन्ध सिद्ध नहीं हो सकता, अतः सब शून्य है। उत्पत्ति, अनुत्पत्ति, उभय, अनुभय आदि में भी इसी प्रकार के अनेक दोष उपस्थित होते हैं, अतः जगत् को शून्यरूप ही मानना चाहिए।^३

इन शकाओं का निवारण इस प्रकार है : यदि समान में भूतो का अस्तित्व ही न हो तो उनके विषय में आकाश-कुसुम के समान सशय ही उत्पन्न न हो। जो वस्तु विद्यमान होती है उसी के विषय में सशय होता है जैसे स्थाणु और पुरुष के विषय में। ऐसी कौन-सी विशेषता है जिसके कारण स्थाणु-पुरुष के विषय में तो सन्देह होता है किन्तु आकाश-कुसुम के विषय में सन्देह नहीं होता ? अथवा ऐसा क्यों नहीं होता कि आकाश-कुसुम आदि के विषय में ही सन्देह हो तथा स्थाणु-पुरुष के विषय में सन्देह न हो ? अतः यह मानना चाहिए कि आकाश-कुसुम के समान सब कुछ समानरूप से शून्य नहीं है। प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम द्वारा पदार्थ की सिद्धि होती है, अतः इन प्रमाणों के विषयभूत पदार्थों के सम्बन्ध में ही सशय उत्पन्न होता है। जो सर्वप्रमाणातीत है उसके विषय में सशय कैसे हो सकता है ? इसीलिए स्थाणु-पुरुष आदि पदार्थों के विषय में तो सन्देह होता है किन्तु आकाश-कुसुम आदि के विषय में नहीं। दूसरी बात यह है कि सशयादि

ज्ञानपर्याय है। ज्ञान की उत्पत्ति बिना ज्ञेय के संभव नहीं। अतः यदि ज्ञेय ही नहीं तो सशय उत्पन्न ही कैसे होगा ?^१

यहाँ पर कोई यह कह सकता है कि ऐसा कोई नियम नहीं कि यदि सबका अभाव हो तो सशय ही न हो। जैसे सोये हुए पुरुष के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वह स्वप्न में सशय करता है कि 'यह गजराज है अथवा पर्वत ?' अतः सब कुछ शून्य होने पर भी सशय हो सकता है। यह कथन ठीक नहीं। स्वप्न में जो सदेह होता है वह भी पूर्वानुभूत वस्तु के स्मरण से ही होता है। यदि सभी वस्तुओं का सर्वथा अभाव हो तो स्वप्न में भी सशय न हो। जिन कारणों से स्वप्न होता है वे इस प्रकार हैं अनुभूत अर्थ—जैसे स्नानादि, दृष्ट अर्थ—जैसे हस्ति-नुरगादि, चिन्तित अर्थ—जैसे प्रियतमा आदि, श्रुत अर्थ—जैसे स्वर्ग-नरकादि, प्रकृति विकार—जैसे वात-पित्तादि, अनुकूल या प्रतिकूल देवता, सजल प्रदेश, पुण्य तथा पाप। अतः स्वप्न भी भावरूप है। स्वप्न भावरूप है क्योंकि घट-विज्ञानादि के समान वह भी विज्ञानरूप है अथवा स्वप्न भावरूप है क्योंकि वह भी अपने कारणों से उत्पन्न होता है, जैसे घट आदि अपने कारणों से उत्पन्न होने के कारण भावरूप है।^२

शून्यवाद में एक दोष यह भी है कि यदि सब कुछ शून्य हो तो स्वप्न-अस्वप्न, सत्य-मिथ्या, गन्धर्वनगर-पाटलिपुत्र, मुख्य-गौण, साध्य-साधन, कार्य-कारण, वक्ता-वचन, त्रि-अवयव-पचावयव, स्वपक्ष-परपक्ष आदि भेद भी न हो।^३

यह कहना कि समस्त व्यवहार सापेक्ष है, अतः किसी पदार्थ की स्वरूप-सिद्धि नहीं हो सकती, अयुक्त है। हमारे सामने एक प्रश्न है कि ह्रस्व-दीर्घ का ज्ञान युगपद् होता है या क्रमशः ? यदि युगपद् होता है तो जिस समय मध्यम अगुली के विषय में दीर्घत्व का प्रतिभास हुआ उसी समय प्रदेशिनी में ह्रस्वत्व का प्रतिभास हुआ, ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में यह नहीं कहा जा सकता कि ह्रस्वत्व-दीर्घत्व सापेक्ष है। यदि ह्रस्व-दीर्घ का ज्ञान क्रमशः होता है तो पहले प्रदेशिनी में ह्रस्वत्व का ज्ञान होता है जो मध्यम अगुली के दीर्घत्व के प्रतिभास से निरपेक्ष है। अतः यह मानना पड़ता है कि ह्रस्वत्व-दीर्घत्व का व्यवहार केवल सापेक्ष नहीं है। एक और दृष्टान्त लें। बालक जन्म लेने के बाद सर्वप्रथम आँखें खोल कर जो ज्ञान प्राप्त करता है उसमें किसकी अपेक्षा है ? तथा दो सदृश पदार्थों का ज्ञान यदि एक साथ हो तो उसमें भी किसी की अपेक्षा दृष्टिगोचर नहीं होती। इन सब कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह

१ गा० १६९७-१७००.

२ १७०२-४

३. गा० १७०५-९

मानना चाहिए कि किसी एक वस्तु का स्वविषयक ज्ञान अन्य वस्तु की अपेक्षा के बिना ही होता है। तत्प्रतिपक्षी पदार्थ का स्मरण होने पर इस प्रकार का व्यपदेश अवश्य होता है कि यह अमुक से ह्रस्व है, अमुक से दीर्घ है आदि। अतः पदार्थों को स्वतः सिद्ध मानना चाहिए।^१

पदार्थ के अस्तित्व आदि धर्मों की सिद्धि इस प्रकार की जा सकती है यदि पदार्थ के अस्तित्व आदि धर्म अन्यनिरपेक्ष न हो तो ह्रस्व पदार्थों का नाश होने पर दीर्घ पदार्थों का भी सर्वथा नाश होजाना चाहिए, क्योंकि दीर्घ पदार्थों की सत्ता ह्रस्व पदार्थ सापेक्ष है। किन्तु ऐसा नहीं होता। अतः यही सिद्ध होता है कि पदार्थ के ह्रस्व आदि धर्मों का ज्ञान और व्यवहार ही परसापेक्ष है, उसके अस्तित्व आदि धर्म नहीं।^२ घटसत्ता घट का धर्म होने के कारण घट से अभिन्न है किन्तु पटादि से भिन्न है। घट के समान पटादि की सत्ता पटादि में ही अतः घट के समान अघटरूप पटादि भी विद्यमान है। इस प्रकार अघट का अस्तित्व होने के कारण तद्भिन्न को घट कहा जा सकता है यहाँ एक शंका उठ सकती है कि यदि घट और अस्तित्व एक ही हो तो यह नियम क्यों नहीं बन सकता कि 'जो जो अस्तिरूप है वह सब घट ही है?' ऐसा इसलिए नहीं होता कि घट का अस्तित्व घट में ही है, पटादि में नहीं। अतः घट और उसके अस्तित्व को अभिन्न मानकर भी यह नियम नहीं बन सकता कि 'जो जो अस्तिरूप है वह सब घट ही है।' केवल 'अस्ति' अर्थात् 'है' कहने से जितने पदार्थों में अस्तित्व है उन सब का बोध होगा। इसमें घट और अघट सब का समावेश होगा। 'घट है' ऐसा कहने से तो उतना ही बोध होगा कि केवल घट है। इसका कारण यह है कि घट का अस्तित्व घट तक ही सीमित है। जैसे 'वृक्ष' कहने से आम्र, नीम आदि सभी वृक्षों का बोध होता है क्योंकि इन सबमें वृक्षत्व समानरूपेण विद्यमान है। किन्तु 'आम्र' कहने से तो केवल आम्र वृक्ष का ही बोध होगा क्योंकि उसका वृक्षत्व उसी तक सीमित है।^३ इसी प्रकार जात-अजात, दृश्य-अदृश्य आदि की भी सिद्धि की जा सकती है। इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि आदि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले भूतादि के विषय में सन्देह नहीं होना चाहिए। वायु तथा आकाश प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते अतः उनके विषय में सन्देह हो सकता है। इस सशय का निवारण अनुमान से हो सकता है।

१ गा० १७१०-१.

२ गा० १७१५

३ गा० १७२२-३.

४. गा० १७२४

वायु और आकाश का अस्तित्व .

स्पर्शादि गुणों का कोई गुणो अवश्य होना चाहिए क्योंकि ये गुण हैं, जेमे
अन्य गुण का गुणो घट है । स्पर्शादि गुणों का जो गुणो है वह वायु है ।^१

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु—इन सब का कोई आधार होना चाहिए क्योंकि
ये सब मृत हैं । जो मृत होता है उनका आधार अवश्य होता है, जैसे कि पानी
का आधार पट है । पृथ्वी आदि का जो आधार है वही आकाश है ।^२

इस प्रकार भगवान् महावीर व्यक्त श्री भूतविषयक का का समाधान करते
हुए आगे कहते हैं कि जबतक शब्द से उपपात न हुआ हो सबतक ये भूत सचेतन
हैं, शरीर के आधारभूत हैं, विविध प्रकार से जीवों के उपयोग में आते हैं ।^३

भूतों की मजीवता :

पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु सचेतन हैं क्योंकि उनमें जीव के लक्षण दिखाई
देने हैं । आकाश अमृत है । वह केवल जीव का आधार ही बनता है । यह मजीव
नहीं है ।^४ पृथ्वी सचेतन है क्योंकि उनमें जीव में दिखाई देनेवाले जन्म, जरा,
जीवन, मरण, क्षयसरोहण, आहार, दोहद, रोग, चिन्तिया आदि लक्षण पाये जाने
हैं । स्पृष्टप्ररोदिका (आजबन्तो) धृद्र जीव के समान मर्ज से संकुचित हो जाती
है । लता अपना आश्रय प्राप्त करने के लिए मनुष्य के समान वृक्ष की ओर बढ़ती
हुई दिखाई देती है । शमी आदि में निद्रा, प्रबोध, गहोष आदि लक्षण माने जाने
हैं । बकुल शब्द का, अशोक लव का, गुग्गुलु गंध का, विरहक रग का, नपक
स्पर्श का उपयोग करते हुए दृष्टिगोचर होने हैं ।^५ जल भी सचेतन है । मृमि
बोदने से स्वाभाविक रूप में निकलने के कारण मृग के समान जल मजीव सिद्ध
होता है । मत्स्य के समान स्वाभाविक रूप में व्योम में गिरने के कारण जल
को सचेतन मानना चाहिए ।^६ वायु की सचेतनता का प्रमाण यह है जैसे गाय
किमी की प्रेरणा के बिना ही अनियमित रूप में तिर्यक् गमन करती है उसी प्रकार
वायु भी है अतः वह मजीव है । अग्नि भी मजीव है क्योंकि जैसे मनुष्य में
आहार आदि से वृद्धि और विकार दिखाई देने हैं वैसे ही अग्नि में भी काष्ठादि
आहार से वृद्धि और विकार दिखाई देते हैं ।^७

१ गाथा १७४९

२. गा० १७५०.

३. गा० १७५१.

४. गा० १७५२.

५ गा० १७५४-५

६ ग० १७५७.

७. गा० १७५८

हिंसा-अहिंसा का विवेक .

यदि पृथ्वी आदि भूतो मे अनन्त जीव विद्यमान है तो साधु को आहारादि लेने के कारण अनन्त जीवों की हिंसा का दोष लगेगा । ऐसी अवस्था मे साधु को अहिंसक कैसे माना जाएगा ? भूतो के सजीव होने पर भी साधु को हिंसा का दोष इसलिए नहीं लगता कि शस्त्रोपहृत पृथ्वी आदि भूतो मे जीव नहीं होता । ऐसे भूत निर्जीव ही होते हैं । यह कथन भी ठीक नहीं कि कोई व्यक्ति केवल जीव का घातक बनने से हिंसक हो जाता है । यह कथन भी अनुचित है कि एक व्यक्ति किसी भी जीव का घातक नहीं है अतः वह निश्चित रूप से अहिंसक है । यह मानना भी युक्तिसंगत नहीं कि थोड़े जीव हो तो हिंसा नहीं होती और अधिक जीव हो तो हिंसा होती है । हिंसक और अहिंसक की पहिचान यह है कि जीव की हत्या न करने पर भी दुष्ट भावों के कारण व्यक्ति हिंसक कहलाता है तथा जीव का घातक होने पर भी व्यक्ति शुद्ध भावों के कारण अहिंसक कहलाता है । पाँच समिति तथा तीन गुप्ति सम्पन्न ज्ञानी मुनि अहिंसक हैं । इससे विपरीत जो असयमी है वह हिंसक है । सयमी किसी जीव का घात करे या न करे किन्तु वह हिंसक नहीं कहलाता क्योंकि हिंसा-अहिंसा का आधार आत्मा का अध्यवसाय है, न कि क्रिया । वस्तुतः अशुभ परिणाम का नाम ही हिंसा है । यह अशुभ परिणाम बाह्य जीवघात की अपेक्षा रख भी सकता है और नहीं भी । जो जीववध अशुभ परिणामजन्य है अथवा अशुभ परिणाम का जनक है वह जीववध तो हिंसा ही है । जो जीववध अशुभ परिणाम का जनक नहीं वह हिंसा की कोटि से बाहर है । जिस प्रकार शब्दादि विषय वीतराग में राग उत्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि वीतराग के भाव शुद्ध होते हैं उसी प्रकार सयमी का जीववध भी हिंसा नहीं कहलाता क्योंकि उसका मन शुद्ध है ।^१

इस प्रकार भगवान् महावीर ने व्यक्त का सशय दूर किया और उन्होंने अपने ५०० शिष्यों सहित भगवान् से दीक्षा ग्रहण की ।^२

इहलोक और परलोक की विचित्रता .

उपर्युक्त चार पंडितों के दीक्षित होने का समाचार सुनकर सुधर्मा भगवान् महावीर के पास पहुँचे । महावीर ने उन्हें सम्बोधित करते हुए कहा—सुधर्मा ! तुम्हें यह सशय है कि जीव जैसा इस भव मे है वैसा ही परभव मे भी होता है या नहीं ? तुम्हें वेदपदों का अर्थ ज्ञात नहीं इसीलिए इस प्रकार का सशय होता है । मैं तुम्हारे सशय का निवारण करूँगा ।^३

यह मान्यता कि कार्य कारण के समान ही होता है, ठीक नहीं। यह कोई ऐकान्तिक नियम नहीं कि कार्य कारण के सदृश ही होता है। शृग से भी शर नामक वनस्पति उत्पन्न होती है। उसी पर यदि सरसो का लेप किया जाये तो पुनः उसी में से एक विशेष प्रकार की घास पैदा होती है। गाथ तथा बकरी के बालों से दूर्वा (दूब) उत्पन्न होती है। इस प्रकार नाना प्रकार के द्रव्यों के संयोग से विलक्षण वनस्पति की उत्पत्ति का वर्णन वृक्षायुर्वेद में मिलता है। अतः यह मानना चाहिए कि कार्य कारण से विलक्षण भी उत्पन्न हो सकता है। यह ऐकान्तिक नियम नहीं कि कार्य कारणानुरूप ही हो।^१

कारणानुरूप कार्य मानने पर भी भवान्तर में विचित्रता सम्भव है। कारणानुरूप कार्य स्वीकार करने पर भी यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य मर कर मनुष्य ही बनता है। यह कैसे ? बीज के अनुरूप अकुर की उत्पत्ति मानने पर भी परभव में जीव में वैचित्र्य मानना ही पड़ेगा। मनुष्य का उदाहरण लें। भवाकुर का बीज मनुष्य स्वयं न होकर उसका कर्म होता है। चूँकि कर्म विचित्र है अतः उसका परभव भी विचित्र ही होगा।^२ कर्म की विचित्रता का प्रमाण यह है कि कम पुद्गल का परिणाम है अतः उसमें बाह्य अभ्रादि विकार के समान वैचित्र्य होना चाहिए। कर्म की विचित्रता के राग-द्वेषादि विशेष कारण हैं।^३

कर्म के अभाव में भी भव मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है ? ऐसी स्थिति में भव का नाश भी निष्कारण मानना पड़ेगा और मोक्ष के लिए तपस्या आदि अनुष्ठान भोव्यर्थ सिद्ध होंगे। इसी प्रकार जीवों के विसादृश्य को भी निष्कारण मानना पड़ेगा।^४ इस प्रकार कर्म के अभाव में भव की सत्ता मानने पर अनेक दोषों का सामना करना पड़ेगा।

कर्म के अभाव में स्वभाव से ही परभव मानने में क्या हानि है ? इसका उत्तर देते हुए महावीर कहते हैं कि स्वभाव क्या है ? वह कोई वस्तु है, निष्कारणता है अथवा वस्तुधर्म है ? वस्तु मानने पर उसकी उपलब्धि होना चाहिए किन्तु आकाश-कुसुम के समान उसकी उपलब्धि नहीं होती अतः वह वस्तु नहीं है। यदि अनुपलब्ध होने पर भी स्वभाव का अस्तित्व स्वीकार किया जा सकता है तो अनुपलब्ध होने पर कर्म का अस्तित्व स्वीकार करने में क्या आपत्ति है ? दूसरी बात यह है कि स्वभाव की विसदृशता आदि की सिद्धि के लिए कोई हेतु नहीं मिलता जिससे कि जगत्-वैचित्र्य सिद्ध हो सके। स्वभाव की निष्कार-

१ गा० १७७३-५.

२ गा० १७७६-८.

३. गा० १७८०.

४. गा० १७८४.

गता में भी अनेक दोषों की सम्भावना है। स्वभाव को वस्तुधर्म भी नहीं माना जा सकता क्योंकि उसमें भी वैसा दृश्य के लिए कोई स्थान नहीं रहता। स्वभाव को पुद्गलरूप मानकर वैसादृश्य की सिद्धि की जाये तो वह कर्मरूप ही सिद्ध होगा।^१

इस प्रकार भगवान् महावीर ने सुधर्मा का सशय दूर किया और उन्होंने अपने ५०० शिष्यों सहित भगवती दीक्षा अंगीकार की।^२

बध और मोक्ष.

इसके बाद मंडिक भगवान् महावीर के पास पहुँचे। भगवान् ने उनके मन का सशय प्रकट करते हुए कहा—मंडिक! तुम्हारे मन में सन्देह है कि बध और मोक्ष हैं कि नहीं? तुम वेदपदों का अर्थ ठीक तरह से नहीं समझते अतः तुम्हारे मन में इस प्रकार का सन्देह उत्पन्न होता है। मैं तुम्हारा सन्देह दूर करूँगा।^३

मंडिक! तुम यह सोचते हो कि यदि जीव का कर्म के साथ जो सयोग है वही बध है तो वह बध सादि है या अनादि? यदि वह सादि है तो क्या (१) प्रथम जीव और तत्पश्चात् कर्म उत्पन्न होता है अथवा (२) प्रथम कर्म और तत्पश्चात् जीव उत्पन्न होता है अथवा (३) वे दोनों साथ ही उत्पन्न होते हैं? इन तीनों विकल्पों में निम्न दोष आते हैं :—

१. कर्म से पूर्व जीव की उत्पत्ति सम्भव नहीं क्योंकि खरशृंग के समान उसका कोई हेतु दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि जीव की उत्पत्ति निर्हेतुक मानी जाये तो उसका विनाश भी निर्हेतुक मानना पड़ेगा।

२. जीव से पहले कर्म की उत्पत्ति भी सम्भव नहीं क्योंकि जीव कर्म का कर्ता माना जाता है। यदि कर्ता ही न हो तो कर्म कैसे उत्पन्न हो सकता है? जीव के समान ही कर्म की निर्हेतुक उत्पत्ति भी सम्भव नहीं। यदि कर्म की उत्पत्ति बिना किसी कारण के मानी जाये तो उसका विनाश भी निर्हेतुक मानना पड़ेगा। अतः कर्म को जीव से पूर्व नहीं माना जा सकता।

३. यदि जीव तथा कर्म दोनों की युगपत् उत्पत्ति मानी जाये तो जीव को कर्ता तथा कर्म को उसका कार्य नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार लोक में एक साथ उत्पन्न होने वाले गाय के सींगों में से एक को कर्ता तथा दूसरे को कार्य नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार एक साथ उत्पन्न होने वाले जीव और कर्म में कर्ता और कर्म का व्यवहार नहीं किया जा सकता।^४

१. गा० १७८५-१७९३

२. गा० १८०१.

३. गा० १८०२-४.

४. गा० १८०५-१८१०.

जीव और कर्म का अनादि सम्बन्ध भी युक्तिमगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि ऐना मानने पर जीव को मृक्त्वि कभी भी नहीं हो सकती । जो वस्तु अनादि होती है वह अनन्त भी होती है जैसे जीव तथा आकाश का सम्बन्ध । जीव तथा कर्म के सम्बन्ध को अनादि मानने पर अनन्त भी मानना ही पड़ेगा । ऐसी स्थिति में जीव कभी भी मृक्त नहीं हो सकेगा ।^१

इन युक्तियों का समाधान करते हुए भगवान् महावीर कहते हैं कि शरीर तथा कर्म को मन्ति अनादि है क्योंकि इन दोनों में परस्पर कार्य-कारणभाव है, जैसे बीज और अकुर । निम्न प्रकार बीज ने अकुर तथा अकुर ने बीज उत्पन्न होना है और यह क्रम अनादि काल में चला आ रहा है अतः इन दोनों को सन्तान अनादि है उन्ही प्रकार देह में कर्म और कर्म से देह की उत्पत्ति का क्रम अनादि काल में चला आ रहा है अतः इन दोनों की सन्तान अनादि है । अतः जीव और कर्मसम्बन्धी उपयुक्त विकल्प व्यर्थ है । जीव और कर्म की सन्तान अनादि है । जीव कर्म द्वारा शरीर उत्पन्न करता है अतः वह शरीर का कर्ता है तथा शरीर द्वारा कर्म को उत्पन्न करता है अतः वह कर्म का भी कर्ता है । शरीर व कर्म को सन्तान अनादि है अतः जीव और कर्म की सन्तान को भी अनादि मानना चाहिए । इस प्रकार जीव और कर्म का वध भी अनादि सिद्ध होता है ।^२

यह कथन कि जो अनादि है वह अनन्त भी होता ही है, अयुक्त है । बीज और अकुर की सन्तान अनादि होने हुए भी अन्त हो सकती है । इसी प्रकार अनादि कर्म सन्तान का भी अन्त हो सकता है । बीज तथा अकुर में से यदि किसी का भाग अपना कार्य उत्पन्न करने में पूर्व ही नाश हो जाए तो उसकी सन्तान का भी अन्त हो जाना है । यही नियम मूर्गी और अण्डे के लिए भी है । हमारा उदाहरण लॉजिंग । स्वर्ग तथा मिट्टी का संयोग अनादि सततितगत है फिर भी उपायविशेष से उभय संयोग का नाश हो जाता है । ठीक इसी प्रकार जीव तथा कर्म के अनादि संयोग का भी सम्यग्दर्शन आदि द्वारा नाश हो सकता है ।^३ इनके बाद आचार्य ने मोक्षत्रिपयक विवेचन करते हुए भव्य और अभव्य के स्वरूप की चर्चा की है ।^४

जीव तथा कर्म के संयोग का नाश उपायजन्य है अर्थात् मोक्ष की उत्पत्ति उपाय से होती है । जो उपायजन्य है वह कृतक है । जो कृतक होता है वह अनित्य होता है, जैसे घट । अतः मोक्ष भी घटादि के समान कृतक होने के कारण अनित्य होना चाहिए । इस संशय का निवारण करने हुए भगवान् महावीर कहते हैं कि

१ गा० १८११

२. गा० १८१३-५

३ गा० १८१७-९

४ गा० १८२१-१८३६

यह नियम व्यभिचारी है कि जो कृतक होता है वह अनित्य ही होता है। घटादि का प्रध्वंसाभाव कृतक होने पर भी नित्य है। यदि प्रध्वमाभाव को अनित्य माना जाए तो प्रध्वसाभाव का अभाव हो जाने के कारण विनष्ट घटादि पदार्थ पुन उत्पन्न हो जाने चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं होता। अतः प्रध्वमाभाव को कृतक होने पर भी नित्य मानना पड़ता है। इसी प्रकार कृतक होने पर भी मोक्ष नित्य है।^१ इसके बाद आचार्य ने सिद्ध-भुगत आत्माओं के स्वरूप की चर्चा की है तथा लोकाकाश, अलोकाकाश आदि का वर्णन किया है।^२

इस प्रकार जब भगवान् महावीर ने मडिक के सण्य का निवारण कर दिया तब उन्होने अपने साठे तीन सौ शिष्यों महित जिनदीक्षा अगीकार कर ली।^३

देवो का अस्तित्व .

मडिक के दीक्षित होने का समाचार सुनकर मौर्यपुत्र भी भगवान् के पास पहुँचे। भगवान् ने उन्हें सम्बोधित करते हुए कहा—मौर्यपुत्र ! तुम्हारे मन में यह सन्देह है कि देव हैं अथवा नहीं ? मैं तुम्हारे सन्देह का निराकरण करूँगा।^४

मौर्यपुत्र ! तुम यह सोचते हो कि नारक तो परतन्त्र हैं तथा अत्यन्त दुःखी हैं अतः वे हमारे सन्मुख उपस्थित होने में असमर्थ हैं। किन्तु देव तो स्वच्छन्द-विहारी हैं तथा दिव्य प्रभावयुक्त हैं। फिर भी वे कभी दिखाई नहीं देते। उनके अस्तित्व के विषय में सन्देह होना स्वाभाविक है।^५

इस सन्देह का निवारण इस प्रकार किया जा सकता है कम से कम सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतिष्क देव तो प्रत्यक्ष दिखाई ही देते हैं अतः यह नहीं कहा जा सकता कि देव कभी दिखाई नहीं देते। इसके अतिरिक्त लोक में देवकृत अनुग्रह और पीडा दोनों ही हैं। इसके आधार पर भी देवो का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए।^६

चन्द्र, सूर्य आदि शून्यनगर के समान दिखाई देते हैं। उनमें निवास करने वाला कोई भी नहीं है। अतः यह कैसे कहा जा सकता है कि सूर्यादि का प्रत्यक्ष होने से देवो का भी प्रत्यक्ष हो गया ? इस शका का समाधान करते हुए भगवान् महावीर कहते हैं कि सूर्य, चन्द्रादि को आलय मानने पर उनमें रहने वाला भी कोई न कोई मानना ही चाहिए अन्यथा उन्हें आलय नहीं कहा जा सकता।^७ यहाँ एक और शका उत्पन्न होती है। जिन्हे आलय कहा गया है वे वास्तव में आलय हैं या नहीं, इसका निर्णय न होने की अवस्था में यह नहीं कहा जा सकता कि वे

१. गा० १८३७.

२. गा० १८४०-१८६२

३. गा० १८६३

४. गा० १८६४-६.

५. गा० १८६७-८

६. गा० १८७०.

७. गा० १८७१.

निवासस्थान है अतः उनमें रहने वालों का कोई होना चाहिए। सम्भव है कि वे रत्नों के गोले ही हों। इसका समाधान करते हुए कहा गया है कि वे देवों के रहने के विमान ही हैं क्योंकि वे विद्याधरों के विमानों के समान रत्ननिर्मित हैं तथा आकाश में गमन करते हैं।^१

सूर्य, चन्द्रादि विमानों को मायिक क्यों न मान लिया जाए? वस्तुतः ये मायिक नहीं हैं। थोड़ी देर के लिए इन्हें मायिक मान भी लिया जाए तो भी इस माया को करने वाले देव तो मानने ही पड़ेंगे। बिना मायावी के माया सम्भव नहीं। दूसरी बात यह है कि माया तो कुछ ही देर में नष्ट हो जाती है जबकि उक्त विमान सर्वदा उपलब्ध होने के कारण शाश्वत हैं। अतः उन्हें मायिक नहीं कहा जा सकता।^२

देवों के अस्तित्व की सिद्धि के लिए एक हेतु यह भी है कि इस लोक में जो प्रकृष्ट पाप करते हैं उनके लिए उस फलभोग के हेतु नारको का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ता है उमी प्रकार प्रकृष्ट पुण्य करने वाली के लिए देवों का अस्तित्व भी स्वीकार करना चाहिए।^३

यदि देव है तो वे स्वर्गविहारी होते हुए भी मनुष्य-लोक में क्यों नहीं आते? सामान्यतः देव इस लोक में इसलिए नहीं आते कि वे स्वर्ग के दिव्य पदार्थों में ही आमक्त रहते हैं, वहाँ के विषयभोग में ही लिप्त रहते हैं। उन्हें वही के काम से अवकाश नहीं मिलता। मनुष्य-लोक की दुर्गन्ध भी उन्हें यहाँ आने से रोकती है और फिर उनके यहाँ आने का कोई विशेष प्रयोजन भी तो नहीं है। ऐसा होना हुए भी कभी-कभी वे इस लोक में आते भी हैं। तीर्थंकर के जन्म, दीक्षा, केवल प्राप्ति, निर्वाण आदि शुभ प्रसंगों पर देव इस लोक में आया करते हैं। पूर्व भ के राग, वैर आदि के कारण भी उनका यहाँ आगमन होता रहता है।^४

इस प्रकार भगवान् महावीर ने मौर्यपुत्र का देव विषयक सशय दूर किया और उन्होंने अपने साठे तीन सौ शिष्यों सहित भगवान् से दीक्षा ले ली।^५
नारको का अस्तित्व :

मौर्यपुत्रपर्यन्त सबको दीक्षित हुए जानकर अकंपित भी महावीर के पास पहुँचने महावीर ने उन्हें सम्बोधित करते हुए कहा—अकंपित! तुम्हारे मन में यह स है कि नारक हैं या नहीं? इस सशय का समाधान इस प्रकार है^६ :

प्रकृष्ट पापफल का भोक्ता कोई न कोई अवश्य होना चाहिए क्योंकि वह जघन्य-मध्यम कर्मफल के समान कर्मफल है। जघन्य-मध्यम कर्मफल के भी तियत्र तथा मनुष्य है। प्रकृष्ट पापकर्मफल के जो भोक्ता हैं वे ही नारक हैं

१ गा० १८७२ २ गा० १८७३ ३ गा० १८७४ ४ गा० १८७
५ गा० १८७५-७ ६ गा० १८७५-७ ७ गा० १८९९

अत्यन्त दुःखी तिर्यच और मनुष्य को ही प्रकृष्ट पापफल का भोक्ता मान लिया जाए तो क्या हर्ज है ? देवों में जैसा सुख का प्रकर्ष है वैसा दुःख का प्रकर्ष तिर्यच और मनुष्यों में नहीं है अतः उन्हें नारक नहीं मान सकते । ऐसा एक भी तिर्यञ्च अथवा मनुष्य नहीं है जो केवल दुःखी ही हो । अतः प्रकृष्ट पापकर्मफल के भोक्ता के रूप में तिर्यञ्च और मनुष्यों में भिन्न नारकों का अस्तित्व मानना चाहिए ।^१

इस प्रकार जब भगवान् ने अकपित का नशय दूर कर दिया तब उन्होंने भी अपने साठे तीन सौ शिष्यों सहित भगवती दीक्षा अर्गीकार कर ली ।^२

पुण्य-पाप का सद्भाव

इन सब को दीक्षित हुए जानकर नवे पंडित अचलभ्राता भगवान् के पास पहुँचे । भगवान् ने उन्हें सम्बोधित करते हुए कहा—अचलभ्राता ! तुम्हें सदेह है कि पुण्य-पाप का सद्भाव है या नहीं ? मैं तुम्हारे सदेह का निवारण करता हूँ ।^३

पुण्य-पाप के सम्बन्ध में निम्न विकल्प है (१) केवल पुण्य ही है, पाप नहीं; (२) केवल पाप ही है, पुण्य नहीं, (३) पुण्य और पाप एक ही साधारण वस्तु हैं, भिन्न-भिन्न नहीं, (४) पुण्य और पाप भिन्न-भिन्न हैं, (५) स्वभाव ही सब कुछ है, पुण्य-पाप कुछ नहीं ।^४

१. केवल पुण्य का ही सद्भाव है, पाप का सर्वथा अभाव है । जैसे-जैसे पुण्य बढ़ता जाता है वैसे-वैसे सुख की वृद्धि होती जाती है । पुण्य की क्रमशः हानि होने पर सुख की भी क्रमशः हानि होती है । पुण्य का सर्वथा क्षय होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है ।^५

२. केवल पाप का ही सद्भाव है, पुण्य का सर्वथा अभाव है । जैसे-जैसे पाप की वृद्धि होती है वैसे-वैसे दुःख बढ़ता है । पाप की क्रमशः हानि होने पर तज्जनित दुःख का भी क्रमशः अभाव होता है । पाप का सर्वथा क्षय होने पर मुक्ति प्राप्त होती है ।^६

३. पुण्य और पाप भिन्न-भिन्न न होकर एक ही साधारण वस्तु के दो भेद हैं । इस साधारण वस्तु में जब पुण्य की मात्रा बढ़ जाती है तब उसे पुण्य कहा जाता है तथा जब पाप की मात्रा बढ़ जाती है तब उसे पाप कहा जाता है । दूसरे शब्दों में पुण्याश का अपकर्ष होने पर उसे पाप कहते हैं तथा पापाश का अपकर्ष होने पर उसे पुण्य कहते हैं ।^७

४. पुण्य व पाप दोनों स्वतन्त्र हैं । सुख का कारण पुण्य है और दुःख का कारण पाप है ।

१. गा० १९०० २. गा० १९०४ ३. गा० १९०५-७ ४. गा० १९०८.
५. गा० १९०९ ६. गा० १९१०. ७. गा० १९११

५ पुण्य-पाप जैसी कोई वस्तु इस ससार में नहीं है। समस्त भवप्रपञ्च स्वभाव से ही होता है।

इन पाँच प्रकार के विकल्पों में से चौथा विकल्प ही युक्तियुक्त है। पाप व पुण्य दोनों स्वतन्त्र हैं। एक दुःख का कारण है और दूसरा सुख का। स्वभाववाद आदि युक्ति से बाधित है।^१

दुःख की प्रकृष्टता तदनुरूप कर्म के प्रकर्ष से सिद्ध होती है। जिस प्रकार सुख के प्रकृष्ट अनुभव का आधार पुण्य-प्रकर्ष है उसी प्रकार दुःख के प्रकृष्ट अनुभव का आधार पाप-प्रकर्ष है। अतः दुःखानुभव का कारण पुण्य का अपकर्ष नहीं अपितु पाप का प्रकर्ष है। इसी प्रकार केवल पापवाद का भी निरसन किया जा सकता है। सकीर्णपक्ष का निरास करते हुए भगवान् महावीर कहते हैं कि कोई भी कर्म पुण्य-पाप उभयरूप नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कर्म निर्दुल्लभ है। यह कैसे? कर्म-बन्ध का कारण योग है। किसी एक समय का योग या तो शुभ होगा या अशुभ। वह शुभाशुभ उभयरूप नहीं हो सकता। अतः उसका कार्य भी या तो शुभ होगा या अशुभ। वह उभयरूप नहीं हो सकता। जो शुभ कार्य है वही पुण्य है और जो अशुभ कार्य है वही पाप है।^२

पुण्य और पाप का लक्षण बताते हुए आगे कहा गया है कि जो स्वयं शुभ वर्ण, गन्ध, रस तथा स्पर्शयुक्त हो तथा जिसका विपाक भी शुभ हो वह पुण्य है। जो इससे विपरीत है वह पाप है। पुण्य व पाप दोनों पुद्गल हैं। वे मेरु आदि के समान अति स्थूल भी नहीं हैं और परमाणु के समान अति सूक्ष्म भी नहीं हैं।^३

इस प्रकार भगवान् महावीर ने अचलभ्राता के सन्देह का निवारण किया। उन्होंने भी अपने तीन सौ शिष्यों सहित भगवान् से दीक्षा ग्रहण की।^४
परलोक का सद्भाव :

इन सब की दीक्षा का समाचार सुन कर मेतार्य भी महावीर के पास पहुँचे। महावीर ने उन्हें नाम-गोत्र से सम्बोधित करते हुए कहा—मेतार्य! तुम्हें सशय है कि परलोक है या नहीं? मैं तुम्हारे सशय का निवारण करूँगा।^५

मेतार्य! तुम यह समझते हो कि मद्याग और मद के समान भूत और चैतन्य में कोई भेद नहीं है अतः परलोक मानना अनावश्यक है। जब भूतसंयोग के नाश के साथ ही चैतन्य का भी नाश हो जाता है तब परलोक मानने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती।^६ इसी प्रकार सर्वव्यापी एक ही आत्मा का अस्तित्व मानने पर भी परलोक की सिद्धि नहीं हो सकती।^७

१ गा० १९१२-१९२०. २. गा० १९३१-५ ३ गा० १९४०. ४. गा० १९४८
५ गा० १९४९-१९५१. ६. गा० १९५२. ७. गा० १९५४.

इन दोनों हेतुओं का निराकरण करते हुए महावीर कहते हैं कि भूत-इन्द्रिय आदि से भिन्नस्वरूप आत्मा का धर्म चैतन्य है, इस बात की सिद्धि पहले ही चुकी है। अतः आत्मा को स्वतन्त्र द्रव्य मानना चाहिए। इसी प्रकार अनेक आत्माओं का अस्तित्व भी सिद्ध किया जा चुका है। इस लोक से भिन्न देवादि परलोकों का सद्भाव भी मीर्य तथा अकपित के साथ हुई चर्चा में सिद्ध हो चुका है।^१ अतः परलोक का सद्भाव मानना युक्तिसंगत है। आत्मा उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यस्वभावयुक्त है अतः मृत्यु के पश्चात् उसका सद्भाव मिट्ट है।

इस प्रकार भेतायं के सशय का निवारण हुआ और उन्होंने अपने तीन सौ शिष्यों सहित भगवान् महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की।^२ निर्वाण की सिद्धि

इन सब को दीक्षित हुए सुनकर ग्यारहवें पंडित प्रभास के मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी महावीर के पास पहुँचूँ। यह सोचकर वे भगवान् के पास पहुँचे। भगवान् ने उन्हें उसी प्रकार सम्बोधित करते हुए कहा—प्रभास! तुम्हारे मन में सगय है कि निर्वाण है अथवा नहीं? इस विषय में मेरा मत सुनो।^३

कोई कहता है कि दीप-निर्वाण के समान जीव का नाश ही निर्वाण अर्थात् मोक्ष है।^४ कोई मानता है कि विद्यमान जीव के राग, द्वेष आदि दुःखों का अन्त हो जाने पर जो एक विशिष्ट अवस्था प्राप्त होती है वही मोक्ष है।^५ इन दोनों में से किसे ठीक कहा जाए? जीव तथा कर्म का सयोग आकाश के समान अनादि है अतः उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता। फिर निर्वाण कैसे माना जाए?^६

जिस प्रकार कनक-पाषाण तथा कनक का सयोग अनादि है फिर भी प्रयत्न द्वारा कनक को कनकपाषाण से पृथक् किया जा सकता है उसी प्रकार सम्यग्ज्ञान और क्रिया द्वारा जीव और कर्म के अनादि सयोग का अन्त होकर जीव कर्म से मुक्त हो सकता है।^७

जो लोग यह मानते हैं कि दीप-निर्वाण के समान मोक्ष में जीव का भी नाश हो जाता है उनकी मान्यता में दोष है। दीप की अग्नि का भी सर्वथा

१ गा० १९५६-८ २. गा० १९७१, ३. गा० १९७२-४

४ दीपो यथा निर्वृत्तिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम् ।
दिश न काञ्चिद् विदिश न काञ्चित् स्नेहक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ॥
जीवस्तथा निर्वृत्तिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम् ।
दिश न काञ्चिद् विदिश न काञ्चित् क्लेशक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ॥

—सौन्दरनन्द, १६, २८-९.

५ केवलसविद्दर्शनरूपा सर्वातिदु खपरिमुक्ता ।
मोदन्ते मुक्तिगता जीवाः क्षीणान्तरारिगणा ॥

६. गा० १९७५. ७ गा० १९७६. ८ गा० १९७७.

नाश नहीं होता। यह प्रकाशपरिणाम को छोड़कर अधकारपरिणाम को धारण करता है, जैसे दूध दधिरूप तथा घट कपालरूप परिणाम को धारण करते हैं। अतः दीपक के समान जीव का भी सर्वथा उच्छेद नहीं माना जा सकता। यहाँ एक शका होती है कि यदि दीप का सर्वथा नाश नहीं होता तो वह बुझने के बाद दिखाई क्यों नहीं देता? इसका उत्तर यह है कि बुझने के बाद वह अधकार में परिणत हो जाता है जो प्रत्यक्ष ही है। अतः यह कथन ठीक नहीं कि वह दिखाई नहीं देता। दीप बुझने पर उतनी ही स्पष्टता से क्यों नहीं दिखाई देता? इसका कारण यह है कि वह उत्तरोत्तर सूक्ष्मतर परिणाम को धारण करता जाता है अतः विद्यमान होने पर भी वह स्पष्टतया दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार बादल बिखर जाने के बाद विद्यमान होते हुए भी आकाश में दृष्टिगोचर नहीं होते तथा अजन-रज विद्यमान होने पर भी आँखों से दिखाई नहीं देती उसी प्रकार दीपक भी बुझने पर विद्यमान होते हुए भी अपने सूक्ष्म परिणाम के कारण स्पष्टतया दिखाई नहीं देता।^१ इसी प्रकार निर्वाण में भी जीव का सर्वथा नाश नहीं होता।

जिस प्रकार दीप जब निर्वाण प्राप्त करता है तब वह परिणामान्तर को प्राप्त होता है और सर्वथा नष्ट होता उसी प्रकार जीव भी जब परिनिर्वाण प्राप्त करता है तब वह निगवाध सुखरूप परिणामान्तर को प्राप्त करता है और सर्वथा नष्ट नहीं होता। अतः जीव को दुःखक्षयरूप विशेषावस्था ही निर्वाण है, मोक्ष है, मुक्ति है।^२ मुक्त जीव को परम मुनि के समान स्वाभाविक प्रकृष्ट सुख होता है क्योंकि उनमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होती।^३

यह मान्यता भी ठीक नहीं कि मुक्तात्मा में ज्ञान का अभाव है।^४ ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है। जैसे परमाणु कभी अमूर्त नहीं हो सकता वैसे ही आत्मा कभी ज्ञानरहित नहीं हो सकती। अतः यह कथन परस्पर विरुद्ध है कि 'आत्मा' है और वह 'ज्ञानरहित' है। इसका क्या प्रमाण कि ज्ञान आत्मा का स्वरूप है? यह बात तो स्वानुभव से ही सिद्ध है कि हमारी आत्मा ज्ञानस्वरूप है। इस प्रकार स्वात्मा को ज्ञानस्वरूपता स्वसवेदनप्रत्यक्ष से सिद्ध ही है। परदेह में विद्यमान आत्मा भी अनुमान से ज्ञानस्वरूप सिद्ध हो सकती है। वह अनुमान इस प्रकार है परदेहगत आत्मा ज्ञानस्वरूप है क्योंकि उसमें प्रवृत्ति-निवृत्ति दिखाई देती है। यदि वह ज्ञानस्वरूप न हो तो स्वात्मा के समान इष्ट में प्रवृत्त और अनिष्ट से निवृत्त न हो। चूँकि उसमें इष्टप्रवृत्ति और अनिष्टनिवृत्ति देखी जाती है अतः ज्ञानस्वरूप ही मानना चाहिए। जिस प्रकार प्रकाशस्वरूप

१ गा० १९८७-८.

२. गा० १९९१

३ गा० १९९२

४ नैयायिकों की यही मान्यता है : न सविदानन्दमयी मुक्ति ।

प्रदीप को छिद्रयुवन आवरण से आच्छादित कर देने पर वह अपना प्रकाश उन छिद्रों द्वारा थोड़ा-सा ही फैला सकता है उसी प्रकार ज्ञानप्रकाश स्वरूप आत्मा भी आवरणों का क्षयोपक्षम होने पर इन्द्रियरूप छिद्रों द्वारा अपना प्रकाश थोड़ा-सा ही फैला सकती है। मुक्तात्मा में आवरणों का सर्वथा अभाव होता है अतः वह अपने पूर्ण रूप में प्रकाशित होती है। उसे मसार के सम्पूर्ण पदार्थों का ज्ञान होता है। इससे यह सिद्ध है कि मुक्त आत्मा ज्ञानी है।^१

मुक्तात्मा का मुख निराबाध होता है, यह बात समझ में नहीं आती क्योंकि पुण्य से मुख होता है और पाप से दुःख। मुक्तात्मा में पुण्य-पापरूप किसी भी प्रकार के कर्म का सद्भाव नहीं होता अतः उममें मुख दुःख दोनों का अभाव होना चाहिए, जैसे आकाश में मुख-दुःख कुछ भी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि सुख-दुःख का आधार देह है। मुक्ति में देह का अभाव है अतः वहाँ आकाश के समान सुख और दुःख दोनों का अभाव होना चाहिए। इसका समाधान करते हुए कहा गया है कि वस्तुतः पुण्य का फल भी दुःख ही है क्योंकि वह कर्मजन्य है। जो कर्मजन्य होता है वह पापफल के समान दुःखरूप ही होता है। कोई इसका विरोधी अनुमान भी उपस्थित कर सकता है - पाप का फल भी वस्तुतः सुखरूप ही है क्योंकि वह कर्मजन्य है। जो कर्मजन्य होता है वह पुण्यफल के समान सुखरूप ही होता है। पाप का फल भी कर्मजन्य है अतः वह सुखरूप होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पुण्यफल का संवेदन अनुकूल प्रतीत होने के कारण सुखरूप है। ऐसी अवस्था में पुण्यफल को दुःखरूप कहना प्रत्यक्षविरोध है। इस शका का समाधान करते हुए महावीर कहते हैं कि जिसे प्रत्यक्ष सुख कहा जाता है वह सुख नहीं किन्तु दुःख ही है। मसार जिसे सुख मानता है वह व्याधि (दाद आदि) के प्रतीकार के समान दुःखरूप ही है। अतः पुण्य के फल को भी तत्त्वतः दुःख ही मानना चाहिए। इसके लिए अनुमान भी दिया जा सकता है - विषयजन्य सुख दुःख ही है क्योंकि वह दुःख के प्रतीकार के रूप में है। जो दुःख के प्रतीकार के रूप में होता है वह कुष्ठारि रोग के प्रतीकाररूप क्वाथपान आदि चिकित्सा के समान दुःखरूप ही होता है। ऐसा होते हुए भी लोग इसे उपचार से सुख कहते हैं। औपचारिक मुख पारमार्थिक सुख के बिना संभव नहीं अतः मुक्त जीव के सुख को पारमार्थिक सुख मानना चाहिए। इसकी उत्पत्ति सर्वदुःख के क्षय द्वारा होती है जो बाह्य वस्तु के संसर्ग से सर्वथा निरपेक्ष है। अतः मुक्तावस्था का सुख मुख्य एवं विशुद्ध सुख है तथा प्रतीकाररूप सासारिक सुख औपचारिक एवं वस्तुतः दुःखरूप है।^२

इस प्रकार जब भगवान् महावीर ने प्रभास का सशय दूर किया तब उन्होने भी अपने तीन सौ शिष्यो सहित भगवान् से जिनदीक्षा अगीकार की।^१ यहाँ तक गणधरवाद का अधिकार है। भगवान् महावीर को केवलज्ञान होने पर जिन ग्यारह पंडितो ने उनके साथ विविध दार्शनिक विषयो पर चर्चा की तथा उस चर्चा से मत्तुष्ट होकर भगवान् के प्रमुख शिष्य बने वे ही जैन-साहित्य मे ग्यारह गणधरो के रूप मे प्रसिद्ध है।

सामायिक की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने उद्देश, निर्देश, निर्गम, क्षेत्र, काल आदि द्वारो की ओर मकेत किया^२ तथा उनमे से तृतीय द्वार निर्गम अर्थात् उत्पत्ति की चर्चा करते हुए यह बताया कि जिस द्रव्य से सामायिक का निर्गम हुआ है वह द्रव्य यहाँ पर भगवान् महावीर के रूप मे है।^३ इस प्रकार भगवान् महावीर का प्रसंग सामने रखते हुए भाष्यकार ने गणधरवाद की विस्तृत चर्चा की।

क्षेत्र और काल :

क्षेत्र नामक चतुर्थ द्वार की चर्चा करते हुए आचार्य कहते हैं कि सर्वप्रथम महासेनवन नामक उद्यान में भगवान् महावीर ने सामायिक का प्ररूपण किया और उनके बाद परपरा से अन्यत्र भी प्ररूपण किया गया। यह प्रथम प्ररूपण किस काल में हुआ ? वैशाख शुक्ला एकादशी के पूर्वाह्न काल अर्थात् प्रथम पौर्णमी में सामायिक का निर्गम हुआ।^४ इस प्रकार क्षेत्र और काल के रूप मे चतुर्थ और पंचम द्वारसम्बन्धी चर्चा पूर्ण होती है।

पुरुष :

षष्ठ द्वार पुरुष की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि पुरुष के अनेक भेद हैं - द्रव्यपुरुष, अभिलापपुरुष, चित्तपुरुष, धर्मपुरुष, अर्थपुरुष, भोगपुरुष, भाव-पुरुष। शुद्धजीव तीर्थंकररूप पुरुष भावपुरुष कहलाता है। प्रकृत में भावपुरुष का ग्रहण करना चाहिए।^५

कारण :

सप्तम द्वार कारण का व्याख्यान करते हुए आचार्य कहते हैं कि कारण का निक्षेप चार प्रकार का है - नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। इनमे से द्रव्य-कारण के दो भेद हैं : तद्द्रव्य और अन्यद्रव्य, अथवा निमित्त और नैमित्तिक, अथवा समवायी और असमवायी। इसके छ भेद भी हो सकते हैं - कर्ता, करण,

१. गा० २०२४.

२. गा १४८४-५.

३. गा १५३१-१५४६.

४. गा० २०८३.

५. गा० २०९०-७.

कर्म, सप्रदान, अपादान, मंनिधान ।^१ इन सभी भेदों का भाष्यकार ने दार्शनिक दृष्टि से विशेष विवेचन किया है ।^२ तीर्थंकर सामायिक का उपदेश क्यों देते हैं ? इसका उत्तर देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि तीर्थंकरनामकर्म का उदय होने के कारण वे सामायिक आदि का उपदेश देते हैं । गौतम आदि गणधर सामायिक का उपदेश क्यों सुनते हैं ? उन्हें भगवान् के वचन सुनकर तदर्थविषयक ज्ञान प्राप्त होता है । इससे शुभ और अशुभ पदार्थों में विवेक-बुद्धि जाग्रत होती है तथा शुभप्रवृत्ति और अशुभनिवृत्ति की भावना पैदा होती है । परिणामतः सयम और तप की वृद्धि होती है जिससे कर्मनिर्जरा होकर अन्ततोगत्वा मुक्ति प्राप्त होती है ।^३

प्रत्यय :

अष्टम द्वार प्रत्यय की चर्चा करते हुए देखा गया है कि प्रत्यय का भी नामादि निक्षेपपूर्वक विचार करना चाहिए । अवधि आदि ज्ञानत्रयरूप भाव-प्रत्यय है । केवलज्ञानी साक्षात् सामायिक का अर्थ जानकर ही सामायिक का कथन करते हैं । इसीलिए गणधर आदि श्रोताओं को उनके वचनों में प्रत्यय अर्थात् बोध-निश्चय होता है ।^४

लक्षण :

नवम द्वार लक्षण का व्याख्यान करते हुए बताया गया है कि नामादि भेद से लक्षण बारह प्रकार का होता है : नाम, स्थापना, द्रव्य, सादृश्य, सामान्य, आकार, गत्यागति, नानात्व, निमित्त, उत्पाद-विगम, वीर्य और भाव । भाष्यकार ने इनका विशेष स्पष्टीकरण किया है ।^५ प्रस्तुत अधिकार भावलक्षण का है । सामायिक चार प्रकार की है - सम्यक्त्वसामायिक, श्रुतसामायिक, देशविरतिसामायिक और सर्वविरतिसामायिक । इनमें से सम्यक्त्वसामायिक और सर्वविरति अर्थात् चारित्रसामायिक क्षायोपशमिक, औपशमिक और क्षायिक भाव वाली होती है । श्रुतसामायिक और देशविरतिसामायिक केवल क्षायोपशमिक भाव वाली ही होती है ।^६

नय :

नय नामक दसवें द्वार का विचार करते हुए कहा गया है कि अनेक धर्मात्मक वस्तु का किसी एक धर्म के आधार पर विचार करना नय कहलाता है । वह नय सात प्रकार का है : नैगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिच्छेद

१. गा० २०९८-९.

२. गा० २१००-२१२१

३. गा० २१२२-८.

४. गा० २१३१-४.

५. गा० २१४६-२१७६.

६. गा० २१७७-८

और एवभूत । आचार्य ने प्रत्येक नय का लक्षण, व्युत्पत्ति, उदाहरण आदि दृष्टियों से विस्तृत विवेचन किया है ।^१ इन विवेचन में उन दार्शनिकों की मान्यताओं का युक्ति पुरस्कार गहन किया गया है जो वस्तु को अनेक धर्मत्मक न मान कर कित्ती एक विद्योप धर्मयुक्त ही मानते हैं । इसमें भारतीय दर्शन की समस्त एकान्तवादी परम्पराओं का नमावेग है ।

समवतार

ग्याग्रहों द्वारा समवतार का स्वरूप इस प्रकार है कालिक श्रुत अर्थात् प्रथम और चरम पौरुषों में पटे जाने वाले श्रुत में नयो की अवतारणा नहीं होती । चरणकरणानुयोग, धर्मकथानुयोग, गणितानुयोग और द्रव्यानुयोग का अपृथक् भाव से प्ररूपण होते समय नयो का विस्तारपूर्वक समवतार होता था । चरणकरणानुयोगो का पृथक्त्व हो जाने पर नयो का समवतार नहीं होता । अनुयोगो का पृथक्करण कथ व नयो हुआ ? इस प्रश्न पर विचार करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि आर्य वज्र के बाद आर्य रचित हुए । उन्होंने भविष्य में मति-मेघा-धारणा आदि का नाश होना जानकर अनुयोगो का विभाग कर दिया । उनके समय तक किमी एक मूत्र की व्याख्या चारों प्रकार के अनुयोगो में होती थी । उन्होंने विविध सूत्रों का निश्चित विभाजन कर दिया । चरणकरणानुयोग में कालिक श्रुतरूप ग्याग्रह अग, महाकल्पश्रुत और छेदमूत्र रखे गए । धर्मकथानुयोग में ऋषिभाषितो का नमावेग किया गया । गणितानुयोग में मूर्यप्रज्ञप्ति और द्रव्यानुयोग में दृष्टिवाद रमा गया ।^२ इस प्रकार अनुयोग का पृथक्करण करने के बाद आर्य रचित ने पुष्यमित्र को गणिपद पर प्रतिष्ठित किया । यह देखकर गोष्ठासाहिल को बहुत ईर्ष्या हुई और वह मिथ्यात्व के उदय के कारण सप्तम निह्व के रूप में प्रसिद्ध हुआ ।^३ अन्य छ निह्वो के नाम इस प्रकार हैं . १ जमालि, २ तिष्यगुप्त, ३ आपाढ, ४ अद्वमित्र, ५ गंग और ६ पहुलूक । इन सात निह्वो के जन्म स्थान ये हैं १ श्रावस्ती, २ ऋषभपुर, ३ श्वेतविका, ४ मिथिला, ५ उलूकातीर, ६ अतिरजिका और ७ दशपुर । इन सात निह्वो के अतिरिक्त भाष्यकार ने एक निह्व का उल्लेख और किया है जिमका नाम है शिवभूति वोटिक । उसका जन्म-स्थान रथवीरपुर है । इन आठ निह्वो के उत्पत्ति-काल का क्रम इस प्रकार है प्रथम दो भगवान् महावीर को केवलज्ञान होने के क्रमश. १४ एव १६ वर्ष बाद निह्वरूप में उत्पन्न हुए । शेष महावीर का निर्वाण होने पर क्रमश. २१४, २२०, २२८, ५४४, ५८४ और ६०९ वर्ष बाद उत्पन्न हुए ।^४

१ गा० २१८०-२२७८. २. गा० २२८४-२२९५. ३. गा० २२९६-७.

४. गा० २३०१-५.

निह्लववाद

अपने अभिनिवेश के कारण आगम-प्रतिपादित तत्त्व का परंपरा से विरुद्ध अर्थ करने वाला निह्लव की कोटि में आता है। जैनदृष्टि से निह्लव मिथ्यादृष्टि का ही एक प्रकार है। अभिनिवेश के बिना होने वाले सूत्रार्थ के विवाद के कारण कोई निह्लव नहीं कहलाता क्योंकि इस प्रकार के विवाद का लक्ष्य सम्यक् अर्थ निर्णय है, न कि अपने अभिनिवेश का मिथ्या पोषण। सामान्य मिथ्यात्वी और निह्लव में यह भेद है कि सामान्य मिथ्यात्वी जिनप्रवचन को ही नहीं मानता अथवा मिथ्या मानता है जबकि निह्लव उसके किसी एक पक्ष का अपने अभिनिवेश के कारण परंपरा से विरुद्ध अर्थ करता है तथा शेष पक्षों को परंपरा के अनुसार ही स्वीकार करता है। इस प्रकार निह्लव वास्तव में जैन-परंपरा के भीतर ही एक नया संप्रदाय खड़ा कर देता है। जिनभद्र आदि पीछे के आचार्यों ने तो दिगम्बर संप्रदाय को भी निह्लव-कोटि में डाल दिया है जिसका सबष शिवभूति बोटिक निह्लव से है। भाष्यकार जिनभद्र ने जमालि आदि आठ निह्लवों का उल्लेख किया है तथा संक्षेप में उनके मतों का भी वर्णन किया है।

प्रथम निह्लव :

प्रथम निह्लव का नाम जमालि है। उसने बहुरत मत का प्ररूपण किया। उसका जीवन-वृत्त इस प्रकार है : क्षत्रियकुमार जमालि ने वैराग उत्पन्न होने पर पांच सौ पुरुषों के साथ महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की तथा वह उनका आचार्य हुआ। जिस समय वह श्रावस्ती के तैन्दुक उद्यान में ठहरा हुआ था उस समय उसे कोई रोग हो गया। उसने अपने एक शिष्य से बिस्तर बिछाने के लिए कहा। कुछ देर बाद उसने उस शिष्य से पूछा—“बिस्तर हो गया ?” उसने बिछाते-बिछाते ही उत्तर दिया—“हो गया है।” जमालि सोने के लिए खड़ा हुआ। उसने जाकर देखा तो बिस्तर अभी बिछाया ही जा रहा था। यह देख कर उसने सोचा—भगवान् महावीर जो ‘क्रियमाण कृतम्’ अर्थात् ‘क्रिया जाने वाला कर दिया गया’ का कथन करते हैं वह मिथ्या है। यदि ‘क्रियमाण’ (क्रिया जाने वाला) ‘कृत’ (कर दिया गया) होता तो मैं इस बिस्तर पर इसी समय सो सकता किन्तु बात ऐसी नहीं है। अतः महावीर का यह सिद्धान्त कि ‘क्रियमाण कृत है’ झूठा है। दूसरे साधुओं ने उसे ‘क्रियमाण कृतम्’ का वास्तविक अर्थ समझाया किन्तु उसके मन में किसी को बात नहीं बैठी। उसने उसी समय से अपने विरोधी सिद्धान्त ‘बहुरत’ का प्रतिपादन प्रारंभ कर दिया।

इस सिद्धान्त के अनुसार कोई भी क्रिया एक समय में न होकर बहुत समय में होती है। भाष्यकार ने अनेक हेतु देकर इस सिद्धान्त को स्पष्ट किया है। इसमें प्रियदर्शना (मुदर्शना—अनवद्या—ज्येष्ठा) का वृत्तान्त भी दिया गया है जिनमें पहले तो पति के अनुराग के कारण जमालि के सघ में जाना स्वीकार कर लिया था किन्तु बाद में भगवान् महावीर के सिद्धान्त का वास्तविक अर्थ समझने पर पुन महावीर के सघ में सम्मिलित हो गई।^१

द्वितीय निह्लव .

द्वितीय निह्लव तिष्यगुप्त ने जीवप्रादेशिक मत का प्ररूपण किया था। तिष्यगुप्त वसु नामक चौदहपूर्ववर आचार्य का शिष्य था। वह जिस समय राजगृह—ऋषभपुर में था उस समय आत्मप्रवाद नामक पूर्व के आधार पर उसने एक नया तर्क उपस्थित किया और जीवप्रादेशिक मत की स्थापना की। कथानक इस प्रकार है . गौतम ने भगवान् महावीर से पूछा—“भगवन् ! क्या जीव के एक प्रदेश को जीव कह सकते हैं ?” महावीर ने कहा—“नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार दो, तीन, सख्यात अथवा असख्यात प्रदेशों को तो क्या, जीव के जो असख्यात प्रदेश हैं उनमें से एक प्रदेश भी कम हो तो उसे जीव नहीं कह सकते। लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर सम्पूर्ण प्रदेशयुक्त होने पर ही वह जीव कहा जाता है।” इस सवाद को सुनकर तिष्यगुप्त ने अपने गुरु वसु से कहा—“यदि ऐसा ही है तो जिस प्रदेश के बिना वह जीव नहीं कहलाता और जिस एक प्रदेश से वह जीव कहलाता है उस चरम प्रदेश को ही जीव क्यों न मान लिया जाए ? उसके अतिरिक्त अन्य प्रदेश तो उसके बिना अजीव ही हैं क्योंकि उसी से वे सब जीवत्व प्राप्त करते हैं।” गुरु ने उसे महावीर की जीवविषयक उपयुक्त मान्यता का रहस्य समझाने का काफी प्रयत्न किया किन्तु उमने अपना मत नहीं छोड़ा तथा दूसरों को भी इसी प्रकार समझाने लगा। परिणामस्वरूप वह सघ से निकाल दिया गया और अपनी जीवप्रदेशी मान्यता के कारण जीवप्रादेशिक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। एक समय अमलकल्पा नामक नगरी के मित्रश्री नामक श्रमणोपासक ने तिष्यगुप्त के पात्र में अनेक प्रकार के पदार्थों का थोड़ा-थोड़ा अतिम अंश रखा और कहने लगा—“मेरा अहोभाग्य है कि आज मैंने आपको इतने सारे पदार्थों का दान दिया।” यह सुनकर तिष्यगुप्त क्रुद्ध होकर बोला—“तुमने यह मेरा अपमान किया है।” मित्रश्री ने तुरन्त उत्तर दिया—“मैंने आप ही के मत के अनुसार इतना सारा दान दिया है।” यह सुनकर तिष्यगुप्त को अपने मिथ्या मत का

भान हुआ । उसने अपने अभिनिवेश का प्रायश्चित्त किया और गुरु से क्षमा-याचना की ।^१

तृतीय निह्वव :

तीसरे निह्वव की मान्यता का नाम अव्यक्तमत है । श्वेतविका नगरी के पौलापाढ चैत्य में आपाढ नामक आचार्य ठहरे हुए थे । उनके अनेक शिष्य योग की साधना में सलग्न थे । आपाढ अकस्मात् रात्रि में मरकर देव हुए । उन्हें अपने योगसलग्न शिष्यों पर दया आई और वे पुनः अपने मृत शरीर में रहने लगे तथा अपने शिष्यों को पूर्ववत् ही आचार आदि की शिक्षा देते रहे । जब योग-साधना समाप्त हुई तब उन्होंने अपने शिष्यों को वन्दना कर कहा—“हे श्रमणो ! मुझे क्षमा करना कि मैंने असंयतो होते हुए भी आप लोगों से आज तक वन्दना करवाई ।” इतना कहकर वे अपना शरीर छोड़ कर देवलोक में चले गए । यह जानकर उनके शिष्यों को भारी पश्चात्ताप होने लगा कि हमने असंयतो—देव को इतनी बार वन्दना की । उन्हें धीरे-धीरे ऐसा भालूम होने लगा कि किसी के विषय में यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह साधु है या देव । इसलिए किसी को वन्दना करनी ही नहीं चाहिए । वन्दना करने पर वह व्यक्ति साधु के बदले देव निकल जाता है तो असंयत-नमन का दोष लगता है; यदि यह कहा जाए कि वह साधु नहीं है और कदाचित् साधु ही हो तो मृपावाद का पाप लगता है । चूँकि किसी की साधुता का निश्चय हो ही नहीं सकता इसलिए किसी को भी वन्दना नहीं करनी चाहिए । अन्य स्थविरों ने उन्हें बहुत समझाया कि ऐसा ऐकान्तिक आग्रह करना ठीक नहीं किन्तु उन्होंने किसी की न मानी और सध से अलग होकर अव्यक्तमत का प्रचार करने लगे । एकवार राजगृह के बलभद्र राजा ने ऐसा आदेश निकाला कि इन सब साधुओं को मार डालो । यह जानकर वे लोग बड़े व्याकुल हुए और राजा से कहने लगे—“हम लोग साधु हैं और तू हमें कैसे मरवा सकता है ? राजा ने कहा—“आपका कहना तो ठीक है किन्तु मैं कैसे जान सकता हूँ कि तुम लोग चोर हो या साधु ?” यह सुनकर उन लोगों का भ्रम बूर हुआ और यथोचित प्रायश्चित्त करके वे पुनः सध में सम्मिलित हुए ।^२ आपाढ के कारण से अव्यक्तमत का उद्भव हुआ अतः उसके नाम के साथ यह मत जोड़ दिया गया ।

चतुर्थ निह्वव

यह निह्वव सामुच्छेदिक के नाम से प्रसिद्ध है । समुच्छेद का अर्थ है जन्म होते ही अत्यन्त नाश । इस प्रकार की मान्यता का समर्थक सामुच्छेदिक

कहलाता है । इस मत की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है महागिरि का प्रशिष्य तथा कौण्डिन्य का शिष्य अश्वमित्र अनुप्रवाद नामक पूर्व का अध्ययन करता था । उसमें ऐसा वर्णन आया कि वर्तमान समय के नारक विच्छिन्न हो जाएंगे । इसी प्रकार द्वितीयादि समय के नारक भी विच्छिन्न हो जाएंगे । वैमानिक आदि के विषय में भी यही बात समझनी चाहिए । यह जानकर उसके मन में शका हुई कि यदि इस प्रकार उत्पन्न होते ही जोव नष्ट हो जाता हो तो वह कर्म का फल कब भोगता है ? उसकी इस शका का समाधान करते हुए गुरु ने कहा कि पर्यायरूप से नारकादि नष्ट होते हैं किन्तु द्रव्यरूप से तो वे विद्यमान ही रहते हैं अतः कर्मफल का वेदन घट सकता है । गुरु के समझाने पर भी वह अपने हठ पर दृढ़ रहा और एकान्त समुच्छेद का प्रचार करने लगा । परिणामतः वह सध में बहिष्कृत कर दिया गया । एक समय अश्वमित्र विचरते-विचरते राजगृह में जा पहुँचा । वहाँ के श्रावको ने उसे पीटना शुरू किया । यह देखकर वह कहने लगा—“तुम लोग श्रावक होकर साधु को पीटते हो !” श्रावको ने उत्तर दिया—“जो साधु ब्रना था वह अश्वमित्र और जो श्रावक बने थे वे लोग तो कभी के नष्ट हो चुके । तुम और हम तो कोई और ही हैं ।” यह मुनकर अश्वमित्र को अपने मत की दुर्वलता महसूस हुई । उसने पुनः अपने गुरु के पास जाकर क्षमायाचना की तथा महावीर के सध का अनुयायी बना ।^१

पचम निह्लव .

पचम निह्लव का नाम गग है । उसने इस मत का प्रतिपादन किया कि एक समय में दो क्रियाओं का अनुभव हो सकता है । इसी मान्यता के कारण उसे द्वैक्रिय निह्लव कहा जाता है । घटना इस प्रकार है . आर्य महागिरि का प्रशिष्य तथा घनगुप्त का शिष्य गग एक समय शरद् ऋतु में अपने आचार्य को वदना करने के लिए उल्लुकातीर नामक नगर से निकल कर चला । रास्ते में उल्लुका नदी में चलते समय उसे सिर पर लगती हुई सूय की गरमी तथा पैरों में लगती हुई नदी की ठंडक का अनुभव हुआ । यह देखकर उसने सोचा—‘सूत्रों में तो कहा गया है कि एक समय में एक ही क्रिया का वेदन हो सकता है किन्तु मुझे तो एक ही साथ दो क्रियाओं का अनुभव हो रहा है ।’ उसने अपना अनुभव अपने गुरु के सामने रखा । गुरु ने कहा—“तुम्हारा कहना ठाक है किन्तु बात यह है कि समय और मन इतने सूक्ष्म हैं कि हम लोग सामान्यतया उनके छोटे-छोटे भेदों को नहीं समझ सकते । वास्तव में किसी भी क्रिया का वेदन क्रमशः ही होता है ।” गग को गुरु की बात जैची नहीं । वह सध से अलग

१. गा० २३८९-२४२३.

होकर अपने मत का प्रचार करने लगा। एक समय राजगृह में अपने मत का प्रचार करते हुए मणिनाग द्वारा भयभीत होकर उसने पुनः अपने गुरु के पास आकर प्रायश्चित्त किया।^१

षष्ठ निह्वः :

छठे निह्व का नाम रोहगुप्त अथवा षडलूक है। उसने त्रैराशिक मत का प्ररूपण किया। इस मत का अर्थ है जीव, अजीव और नोजीव—इस प्रकार की तीन राशियों का सद्भाव। कथानक इस प्रकार है : एक समय रोहगुप्त किसी अन्य ग्राम से अतरजिका नगरी के भूतगृह नामक चैत्य में ठहरे हुए अपन गुरु श्रीगुप्त को वदना करने जा रहा था। मार्ग में उसने अनेक प्रवादियों को पराजित किया और सारा हाल अपने गुरु के सामने रखा। इसके बाद उसने मोरी, नकुली बिडाली, व्याघ्री, सिंही, उलूकी और उलावकी विद्याओं को ग्रहण किया तथा पोट्टशाल नामक परिव्राजक को जो कि वृश्चिकी, सर्पी, मूषकी, मृगी, वराही, काकी तथा पोताकी विद्याओं में सिद्धहस्त था, वाद के लिए चुनौती दी। राजसभा में पोट्टशाल ने जीव और अजीव—इन दो राशियों की स्थापना की। उसे परास्त करने के लिए रोहगुप्त ने एक तीसरी राशि नोजीव की भी स्थापना की। इसी प्रकार अन्य विद्याओं में भी उसे अपनी मोरी आदि विरोधी विद्याओं से पराजित किया। जब उसने अपने अपने गुरु के सामने यह सारा वृत्तान्त रखा तो गुरु ने कहा—“तू वापिस जा और राजसभा में जाकर कह कि राशित्रय का सिद्धान्त कोई वास्तविक सिद्धान्त नहीं है। मैंने केवल वादी को पराजित करने के लिए ही इस सिद्धान्त की अपने बुद्धिबल से स्थापना की है। यथार्थ में राशित्रय का सिद्धान्त अपसिद्धान्त है।” रोहगुप्त ने गुरु की इस धाज्जा को न माना तथा अपने अभिनिवेश के कारण वह राशित्रय के सिद्धान्त पर ही डटा रहा। यह देखकर गुरु स्वयं उसे अपने साथ राजसभा में ले गये। वहाँ से राजा के साथ वे कुत्रिकापण (सब चीजों की दुकान) पर गये। वहाँ जाकर उन्होंने जीव मागा तो जीव मिला, अजीव मागा तो अजीव भी मिला। जब उन्होंने नोजीव मागा तो कुछ नहीं मिला। यह देखकर मभा में रोहगुप्त की पराजय की घोषणा कर दी गयी। इतना होने पर भी उसका अभिनिवेश कम न हुआ और उसने वैशेषिक मत का प्ररूपण किया। रोहगुप्त का नाम षडलूक कैसे हो गया, इसका समाधान करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि उसका नाम तो रोहगुप्त है किन्तु गोत्र से वह उलूक है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय नामक षट् पदार्थों का प्ररूपण करने के कारण उलूकगोत्रीय रोहगुप्त को षडलूक कहा गया है।^२

१. गा० २४२४-२४५०.

२. गा० २४५१-२५०८

सप्तम निह्वव .

सप्तम निह्वव का नाम गोष्ठामाहिल है । उसने इस मान्यता का प्रचार किया कि जीव और कर्म का बध नहीं अपितु स्पर्शमात्र होता है । इसी अबद्ध सिद्धान्त के कारण वह अवद्विक निह्वव के नाम से प्रसिद्ध है । इस सिद्धान्त की उत्पत्ति से सम्बद्ध कथा इस प्रकार है - आर्यरक्षित की मृत्यु के बाद आचार्य दुर्बलिका पुष्पमित्र गणपद पर प्रतिष्ठित हुए । उसी गण में गोष्ठामाहिल नाम का एक साधु भी था । एक समय आचार्य दुर्बलिका पुष्पमित्र विन्ध्य नामक एक साधु को कर्मप्रवाद नामक पूर्व का कर्मबन्धाधिकार पढा रहे थे । उसमें ऐसा वर्णन आया कि कोई कर्म केवल जीव का स्पर्श करके ही अलग हो जाता है । उसकी स्थिति अधिक समय तक की नहीं होती । जिस प्रकार किसी सूखी दीवाल पर मिट्टी डालते ही दीवाल का स्पर्श करते ही मिट्टी तुरन्त नीचे गिर पडती है उसी प्रकार कोई कर्म जीव का स्पर्श करके थोड़े ही समय में उससे अलग हो जाता है । जैसे गीली दीवाल पर मिट्टी डालने से वह उसी में मिल कर एक रूप हो जाती है तथा बहुत समय के बाद उससे अलग हो सकती है वैसे ही जो कर्म बद्ध, स्पृष्ट तथा निकाचित होता है वह जीव के साथ एकत्व को प्राप्त कर कालान्तर में उदय में आता है । यह सुनकर गोष्ठामाहिल कहने लगा—“यदि ऐसी बात है तो जीव और कर्म कभी अलग नहीं होने चाहिए क्योंकि वे एकरूप हो जाते हैं । ऐसी स्थिति में कर्मवद्ध को कभी मोक्ष नहीं हो सकता क्योंकि वह हमेशा कर्म से बधा रहेगा । इसलिए वास्तव में जीव और कर्म का बध ही नहीं मानना चाहिए । केवल जीव और कर्म का स्पर्श ही मानना चाहिए ।” आचार्य ने उसे इन दोनों अवस्थाओं का रहस्य समझाया किन्तु ईर्ष्या एवं अभिनिवेश के कारण उसके मन में उनकी बात न जँची । अन्ततोगत्वा वह सध से बहिष्कृत कर दिया गया ।^१

अष्टम निह्वव

यह अन्तिम निह्वव है । इसकी प्रसिद्धि बोटिक—दिगंबर के रूप में है । कथानक इस प्रकार है रथवीरपुर नामक नगर में शिवभूति नामक एक साधु आया हुआ था । वहाँ के राजा ने उसे बहुमूल्य रत्नकम्बल दिया । यह देखकर शिवभूति के गुरु आर्यकृष्ण ने कहा—“साधु के मार्ग में अनेक अनर्थ उत्पन्न करने वाले इस कम्बल को ग्रहण करना ठीक नहीं ।” उसने गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर उस कम्बल को छिपाकर अपने पास रख लिया । गोचरचर्या से लौटने पर प्रतिदिन उसे सभाल लेता किन्तु कभी काम में नहीं लेता । गुरु ने यह

सब देखकर सोचा—‘इसे इसमें मूर्च्छा हो गई है। उसे दूर करने का कोई उपाय करना चाहिए।’ यह सोच कर उन्होंने उसके बाहर जाने पर बिना कुछ पूछे-ताछे उस रत्नकम्बल को फाड़कर उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके साधुओं के पादप्रोक्षणक बना दिये। यह जानकर शिवभूति मन ही मन जलने लगा। उसका कषाय दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगा। एक समय आचार्य जिनकल्पियो का वर्णन कर रहे थे ‘किन्ही जिनकल्पियो के रजोहरण और मुखवस्त्रिका—ये दो ही उपधियाँ होती हैं, आदि।’ यह सुनकर शिवभूति ने कहा—‘यदि ऐसा ही है तो हम लोग इतना सारा परिग्रह क्योंकर रखते हैं ? उसी जिनकल्प का पालन क्यों नहीं करते ?’ आचार्य ने उसे समझाया कि इस समय उपयुक्त सहनन आदि का अभाव होने से उसका पालन शक्य नहीं। शिवभूति ने कहा—‘मेरे रहते हुए यह अशक्य कैसे हो सकता है ? मैं अभी इसका आचरण करके दिखाता हूँ।’ यह कहकर वह अभिनिवेशवश अपने वस्त्रों को वही फेंक कर चला गया। बाद में उसने कौडिन्य और कोट्टवीर नामक दो शिष्यों को दीक्षा दी। इस प्रकार यह परंपरा आगे बढ़ती गयी जो बोटिक मत के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोटिको के मतानुसार वस्त्र कषाय का कारण होने से परिग्रहरूप है अतः त्याज्य है। भाष्यकार आर्य-कृष्ण के शब्दों में इस मत का खण्डन करते हुए कहते हैं कि जो जो कषाय का हेतु है वह वह यदि परिग्रह है और उसे त्याग देना चाहिए तो स्वकीय शरीर को भी त्याग देना पड़ेगा क्योंकि वह भी कषायोत्पत्ति का हेतु है अतः परिग्रह है।^१

ग्यारहवें द्वार समवतार की व्याख्या करते समय गोष्ठामाहिल का प्रसंग आया और उसी प्रसंग से निह्लववादी की चर्चा प्रारंभ हुई। इस चर्चा की समाप्ति के साथ समवतार द्वार की व्याख्या भी समाप्त होती है।

अनुमत द्वार :

बारहवें द्वार का नाम अनुमत है। व्यवहार-निश्चय नय की दृष्टि से कौनसी सामायिक मोक्षमार्ग का कारण है, इसका विचार करना अनुमत कहलाता है। नैगम, सग्रह और व्यवहार नय की अपेक्षा से सम्यक्त्व, श्रुत और चारित्ररूप तीनों प्रकार की सामायिक मोक्षमार्गरूप मानी गयी है। शब्द तथा ऋजुसूत्र नय की अपेक्षा से केवल चारित्रसामायिक ही मोक्षमार्ग है।^२

किं द्वार :

सामायिक क्या है ? सामायिक जीव है अथवा अजीव ? जीव और अजीव में भी वह द्रव्य है अथवा गुण ? अथवा वह जीवाजीव उभयात्मक है ? अथवा जीव और अजीव दोनों से भिन्न कोई अर्थान्तर है ? आत्मा अर्थात् जीव ही

देशविरति मे न तो सब द्रव्य ही होने हैं और न सब पर्याय ही । भाग्यकार ने इसका विज्ञेय स्पष्टीकरण किया है ।^१

कथं द्वार

सामायिक कैसे प्राप्त होती है ? इस द्वार की चर्चा भाष्यकार ने यहाँ नहीं की है । टीकाकार मलघारी हेमचन्द्र ने इस ओर नकेत करते हुए लिखा है कि सामायिक महाकण्टलम्ब्य है । इसके लाभक्रम के लिए 'माणुस्स' से लेकर 'अट्ठमद्वाणे विणए' पर्यन्त की गाथाएँ देखनी चाहिए । कही कठिनाई होने पर मूलावश्यक-टीका से सहायता लेनी चाहिए ।^२

कियच्चिर द्वार

उन्नीसवा द्वार कियच्चिर है । इसमें इस प्रश्न का विचार किया गया है कि सामायिक कितने समय तक रहती है । सम्यक्त्व और श्रुत की उत्कृष्ट स्थिति ६६ सागरोपम (पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक) है जबकि देगविरति और सर्वविरति की उत्कृष्ट स्थिति पूर्वकोटि देशोन्त है । सम्यक्त्व, श्रुत और देगविरति की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त है जबकि सर्वविरति सामायिक की जघन्य स्थिति एक ममय है । यह सब लब्धि का स्थितिकाल है । उपयोग की दृष्टि से तो मभी की स्थिति अन्तर्मुहूर्त है ।

कति द्वार .

सम्यक्त्वादि सामायिको के विवक्षित ममय में कितने प्रतिपत्ता, प्रतिपन्न अथवा प्रतिपतित होते हैं ? सम्यक्त्वी और देशविरत प्राणी (क्षेत्र) पल्योपम के असख्यातवे भाग के बराबर होते हैं । श्रुतप्रतिपत्ता श्रेणि के असख्यातवे भाग के बराबर होते हैं । सर्वविरतिप्रतिपत्ता महस्राग्रज होते हैं । यह सब प्रतिपत्ताओं की उत्कृष्ट सख्या है । पूर्वप्रतिपन्नो का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि वर्तमान समय मे सम्यक्त्व और देशविरतिप्रतिपन्न असख्येय है, सर्वविरतिप्रतिपन्न सख्येय है । इन तीनों को प्राप्त कर जो प्रतिपतित हो चुके हैं वे अनन्तगुण हैं । संप्रति श्रुतप्रतिपन्न प्रतर के असख्यातवे भाग के बराबर हैं । शेष ससारस्थ जीव (भाषालब्धिरहित पृथ्वी आदि) भाषालब्धि को प्राप्त करके प्रतिपतित होने के कारण सामान्यश्रुत से प्रतिपतित माने गए हैं ।^३

सान्तर द्वार

जीव को किसी एक समय सम्यक्त्वादि सामायिक प्राप्त होने पर पुन उसका परित्याग हो जाने पर जितने समय के बाद उसे पुन. उसकी प्राप्ति होती है उसे

१. गा० २७५१-२७६०

२. पृ० १०९७

३. गा० २७६१-३.

४. गा० २७६४-२७७४

अन्तरकाल कहने है। वह सामान्याक्षरात्मक श्रुत में जघन्यत. अन्तर्गृह्यतं है, उत्कृष्टत अनन्तकाल है। शेष में जघन्यत अन्तर्गृह्यतं है, उत्कृष्टत देशीन अर्धपरावर्तक है।^१

अविरहित द्वार .

सम्यक्त्व, श्रुत तथा देशविरति सामायिक का उत्कृष्ट अविरह काल आवलिका का असह्येय भाग है, चारित्र (सर्वविरति) का आठ समय है। जघन्यत सप्त सामायिको का दो समय है।^२

सम्यक्त्व और श्रुत का उत्कृष्ट विरहकाल मत्त अहोरात्र है, देशविरति का द्वादश अहोरात्र है। सर्वविरति का पञ्चदश अहोरात्र है।^३

भय द्वार :

सम्यग्दृष्टि तथा देशविरत उत्कृष्टत पन्च के असह्येय भाग जिनने भवों को प्राप्त करते है। सर्वविरत उत्कृष्टत आठ भवों को प्राप्त करता है। श्रुत-सामायिक वाला उत्कृष्टत अनन्त भव प्राप्त करता है^४ (जघन्यत मय के लिए एव भव है)।

आकर्ष द्वार .

आकर्ष का अर्थ है आकर्षण अर्थात् प्रथम द्वार अथवा छोड़े हुए का पुनर्ग्रहण। सम्यक्त्व, श्रुत और देशविरति सामायिक का एक भव में उत्कृष्ट आकर्ष महन्नपृथक्त्व द्वार होता है, सर्वविरति का षतपृथक्त्व द्वार होता है (जघन्यत मय का एक द्वार ही आकर्ष है)। नाना भवों की अपेक्षा में सम्यक्त्व और देशविरति के उत्कृष्टत असह्येय सहन्नपृथक्त्व आकर्ष होते है, सर्वविरति के सहन्नपृथक्त्व आकर्ष होते हैं, श्रुत के आकर्ष तो अनन्त है।^५

स्पर्शन द्वार .

सम्यक्त्व-चरणयुक्त प्राणी उत्कृष्टत सम्पूर्ण लोक का स्पर्श करते हैं (जघन्यत असह्येय भाग का स्पर्श करते हैं)। श्रुत के सप्तचतुर्दशभाग (१५) तथा पञ्चचतुर्दशभाग (१५) स्पर्शनीय हैं। देशविरति के पञ्चचतुर्दशभाग (५) स्पर्शनीय है।^६

निरुक्ति द्वार

अन्तिम द्वार का नाम निरुक्ति है। सम्यक्त्व सामायिक की निरुक्ति इस प्रकार है सम्यग्दृष्टि, अमोह, शुद्धि, सद्भावदर्शन, बोधि, अविपर्यय, सुदृष्टि आदि सम्यक्त्व के निरुक्ति—पर्याय हैं। श्रुत सामायिक की निरुक्ति करते हुए कहा गया है कि अक्षर, सत्री, सम्यक्, सादिक, सपर्यवसित, गमिक और अगप्रविष्ट—

१. गा० २७७५.

२. गा० २७७७.

३. गा० २७७८

४. गा० २७७९.

५. गा० २७८०-८१.

६. गा० २७८२.

ये सात और सात इनके प्रतिपक्षी—इस प्रकार चौदह भेद-पूर्वक श्रुत का विचार करना चाहिए। विरताविरति, सवृत्तासवृत्त, बालगण्डित, देशकदेशविरति, अणुधर्म, अगारधर्म आदि देशविरति सामायिक के निरुक्त—पर्याय हैं। सामायिक, सामयिक, मम्यग्वाद, समास, सक्षेप, अनवद्य, परिज्ञा, प्रत्याख्यान—ये आठ सर्वविरति सामायिक के निरुक्त—पर्याय हैं।^१ यहाँ तक सामायिक के उपोद्घात का अधिकार है।

नमस्कारनिर्युक्ति

सामायिक के इस सुविस्तृत उपोद्घात को समाप्ति के बाद भाष्यकार ने सूत्रस्पर्शिक निर्युक्ति का विस्तृत व्याख्यान किया है। नमस्कार (अन्तमगलरूप) की चर्चा करते हुए कहा गया है कि उत्पत्ति, निक्षेप, पद, पदार्थ, प्ररूपणा, वस्तु, आक्षेप, प्रसिद्धि, क्रम, प्रयोजन और फल—इन ग्यारह द्वारों से नमस्कार का व्याख्यान करना चाहिए।^२ भाष्यकार ने इन सभी द्वारों का बहुत विस्तार-पूर्वक विवेचन किया है। इस विवेचन में भी निक्षेपपद्धति का आश्रय लिया गया है जिमें नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, भेद, सम्बन्ध, काल, स्वामी आदि अनेक प्रभेदों का समावेश किया गया है। प्रत्येक द्वार के व्याख्यान में यथा-सम्भव नयदृष्टि का आधार भी लिया गया है। अर्हत्, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु को नमस्कार क्यों करना चाहिए, इसका युक्तियुक्त विचार किया गया है। राग, द्वेष, कपाय आदि दोषों की उत्पत्ति आदि का भी संक्षिप्त विवेचन किया गया है। सिद्ध के स्वरूप का वर्णन करते समय आचार्य ने कर्मस्थिति तथा समुद्घात की प्रक्रिया का भी वर्णन किया है। शैलेशी अवस्था का स्वरूप बताते हुए शुक्लध्यान आदि पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है।^३ सिद्ध को साकार उपयोग होता है अथवा निराकार, इसकी चर्चा करते हुए भाष्यकार ने केवल-ज्ञान और केवलदर्शन के भेद और अभेद का विचार किया है। केवलज्ञान और केवलदर्शन युगपत् होते हैं या क्रमशः, इस प्रश्न पर आगमिक मान्यता के अनुसार विचार करते हुए इस मत की पुष्टि की है कि केवलों को एक साथ दो उपयोग नहीं हो सकते।^४ सिद्धिगमनक्रिया का स्वरूप बनाते हुए आचार्य ने अलाबु, एरण्डफल, अग्निशिखा, शर आदि दृष्टान्तों का स्पष्टीकरण तथा विविध आक्षेपों का परिहार किया है। सिद्धसम्बन्धी अन्य आवश्यक बातों की जानकारी के साथ सिद्धनमस्कार का अधिकार समाप्त किया गया है।^५ इसी प्रकार आचार्य, उपाध्याय और साधुनमस्कार का विवेचन किया गया है।^६ नमस्कार के प्रयोजन, फल आदि द्वारों का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार ने परिणाम-विशुद्धि का

१. गा० २७८४-७

२. गा० २८०५.

३. गा० २८०६-३०८८.

४. गा० ३०८९-३१३५.

५. गा० ३१४०-३१८८

६. गा० ३१८९-३२००.

तृतीय प्रकरण जीतकल्पभाष्य

आचार्य जिनभद्र का दूसरा भाष्य जीतकल्प सूत्र पर है। यह सूत्र आचार्य की स्वयं की ही कृति है। इसमें १०३ प्राकृत गाथाएँ हैं जिनमें जीतव्यवहार के आधार पर दिए जाने वाले प्रायश्चित्तों का सक्षिप्त वर्णन है। मोक्ष के हेतुभूत चारित्र के साथ प्रायश्चित्त का विशेषरूप से सम्बन्ध है क्योंकि चारित्र के दोषों की शुद्धि का मुख्य आधार प्रायश्चित्त ही है। ऐसी दशा में मुमुक्षु के लिए प्रायश्चित्त का ज्ञान आवश्यक है। मूल सूत्र में आचार्य ने प्रायश्चित्त के आलोचना आदि दस भेद गिनाए हैं तथा प्रत्येक प्रायश्चित्त के अपराधस्थानों का निर्देश किया है और यह बताया है कि किस अपराध के लिए कौन सा प्रायश्चित्त करना चाहिए। आचार्य ने यह बताया है कि अनवस्थाप्य और पाराचिक प्रायश्चित्त चौदहपूर्वघर के समय तक दिए जाते थे अर्थात् चतुर्दशपूर्वघर आचार्य भद्रबाहु के समय तक ये प्रायश्चित्त प्रचलित थे। उसके बाद उनका विच्छेद हो गया।

जीतकल्पभाष्य^१ उपर्युक्त सूत्र पर २६०६ गाथाओं में लिखा गया स्वोपज्ञ भाष्य है। इस भाष्य में बृहत्कल्प-लघु भाष्य, व्यवहारभाष्य, पचकल्पमहाभाष्य, पिण्डनियुक्ति आदि ग्रंथों को अनेक गाथाएँ अक्षरशः मिलती हैं।

इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए यह भी कहा जाता है कि प्रस्तुत भाष्यग्रंथ कल्पभाष्य आदि ग्रंथों की गाथाओं का सग्रहरूप ग्रंथ है।^२ जीतकल्पसूत्र के प्रणेता आचार्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण हैं, यह निर्विवाद है। जीतकल्पभाष्य के कर्ता कौन हैं, इस प्रश्न का समाधान करते हुए यह कहा गया है कि प्रस्तुत भाष्य में भाष्यकार ने किसी भी स्थान पर अपने नाम का उल्लेख नहीं किया है। इसी प्रकार अन्यत्र भी ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर भाष्यकार के नाम का ठीक-ठीक निर्णय किया जा सके। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत भाष्य को निम्न गाथा के आधार पर कुछ निर्णय किया जा सकता है —

-
- १ सशोधक—मुनि पुण्यविजय, प्रकाशक—बबलचन्द्र केशवलाल मोदी, हाजापटेल की पोल, अहमदाबाद, वि० सं० १९९४
 २. जीतकल्पसूत्र (स्वोपज्ञ भाष्यसहित) . प्रस्तावना, पृ० ४-५.

तिममयहारादीण, गाहाणज्ठण्ह वी नत्थ तु ।
वित्थरयो वण्णज्जा, जह हेट्ठाज्जन्नाए भणिय ॥६०॥

इन गाथा के 'जह हेट्ठाज्जन्नाए भणिय' इन पाठ की ओर ध्यान देने से सहज ही प्रतीत होता है कि यहाँ 'जह् आजन्नाए भणियं' इतना मा पाठ ही काफी होने हुए भाष्यकार ने 'हेट्ठा' शब्द को क्यों बताया ? 'हेट्ठा' शब्द कोई पादपूर्विक शब्द नहीं कि यैना जानने में कान पड़ जाए । वास्तव में प्रथम 'हेट्ठा' और 'उवन्नि' इन दो शब्दों का अनुक्रम से 'पूर्व' और 'उत्तरे' रूप में ही नाम में आते हैं, उदाहरणार्थ 'हेट्ठा भणिय' अर्थात् 'पूर्व भणियम्' तथा 'उवन्नि वोच्छ' अर्थात् 'उत्तरे उच्छे' । इनसे यह कल्पित होगा कि प्रभु भाष्यकार ने 'तिममयहारा' अर्थात् 'जावट्या तिममया (जावट्यादिपु विन, गा० ३०) इत्यादि आठ गाथाओं का विवरण करने और वर में अर्थात् आयत्त-भाष्य में विवरण देने हेतु किया है । जावट्यादिपु विन के अनुगत 'जावट्या तिममया' आदि गाथाओं का नाम प्रत्येक विस्तृत व्याख्या करने यात्रा आचार्य जिनसे के विषय अन्य कोई नहीं है । उनही जीतवत्यभाष्य के प्रणेता आचार्य जिभर्याणि धाराधमण ही होने चाहिए ।

प्रायश्चित्त का अर्थ .

सर्वप्रथम आचार्य ने 'प्रवचन' शब्द का निरुक्ताप करते हुए प्रवचन को नमस्कृत किया है । इसके बाद इस प्रकार के प्रायश्चित्त को व्याख्या करने का नवत्प करने हुए 'प्रायश्चित्त' शब्द का निरुक्ताप किया है । 'प्रायश्चित्त' के प्राकृत में दो रूप प्रचलित हैं : 'प्रायश्चित्त' और 'पश्चित्त' । इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्तिशुद्ध व्याख्या करने हुए भाष्यकार कहते हैं कि जो पाप का छेद करता है वह 'प्रायश्चित्त' है एवं प्रायः जिनमें चित्त शुद्ध होता है वह 'पश्चित्त' है ।^१

आगमव्यवहार .

सूत्र की प्रथम गाथा में प्रयुक्त 'जीतव्यवहार' का व्याख्यान करने के लिए भाष्यकार ने आगमादि व्यवहारपञ्चक-आगम, श्रुत, आशा, धारणा और जीत-व्यवहार का विवेचन किया है । आगमव्यवहार के दो भेद हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष । प्रत्यक्ष के पुन दो भेद हैं इन्द्रियज और नोइन्द्रियज । इन्द्रियप्रत्यक्ष को पाँच विषयों के रूप में समझना चाहिए । 'अक्ष' शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए आचार्य ने 'अक्ष' के अर्थ के सम्बन्ध में अन्य मत का निर्देश एवं प्रतिषेध

किया है। नोइन्द्रियप्रत्यक्ष आगम तीन प्रकार का है - अवधि, मनःपर्यय और केवल। अवधिज्ञान या तो भवप्रत्ययिक होता है या गुणप्रत्ययिक। अवधि के छ. भेद हैं अनुगामिक, अनानुगामिक, वर्धमानक, हीयमानक, प्रतिपाती और अप्रतिपाती। द्रव्यावधि, क्षेत्रावधि, कालावधि और भावावधि की दृष्टि से अवधिज्ञान का विचार किया जाता है। मन पर्यय के दो भेद हैं - ऋजुमति और विपुलमति। इसका भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावपूर्वक विचार किया जाता है। केवलज्ञान सर्वावरण का क्षय होने पर उत्पन्न होता है। भूत, वर्तमान और भविष्य का कोई ऐसा क्षण नहीं है जिसका केवली को प्रत्यक्ष न हो। क्षयोपशमजन्य मति आदि ज्ञानों का केवली में अभाव है क्योंकि उसका ज्ञान सर्वथा क्षयजन्य है।^१

श्रुतधर आगमत परोक्ष व्यवहारी है। चतुर्दशपूर्वधर, दशपूर्वधर, नवपूर्वधर, गन्वहस्ती आदि इसी कोटि के हैं।^२

प्रायश्चित्त के स्थान :

इसके बाद भाष्यकार अपने मूल विषय प्रायश्चित्त का विवेचन प्रारम्भ करते हैं। प्रायश्चित्त को न्यूनता-अधिकता सम्बन्धी प्रश्नोत्तर के बाद प्रायश्चित्त-दान के योग्य व्यक्ति का स्वरूप बताते हुए आलोचना के श्रवण का क्रम बताते हैं।^३ प्रायश्चित्त के अठारह, बत्तीस तथा छत्तीस स्थानों का विचार किया है। बत्तीस स्थानों के लिए आठ गणिसम्पदाओं का विवेचन किया है। आठ सम्पदाओं के प्रत्येक के चार-चार भेद किए गए हैं १ चार प्रकार की आचारसम्पदा, २ चार प्रकार की श्रुतसम्पदा, ३ चार प्रकार की शरीरसम्पदा, ४ चार प्रकार की वचनसम्पदा, ५ चार प्रकार की वाचनासम्पदा, ६ चार प्रकार की मतिसम्पदा, ७ चार प्रकार की प्रयोगमतिसम्पदा, ८ चार प्रकार की सग्रहपरिज्ञासम्पदा। इनमें चार प्रकार की विनयप्रतिपत्ति और मिला देने से प्रायश्चित्त के छत्तीस स्थान बन जाते हैं। विनयप्रतिपत्ति के चार भेद इस प्रकार हैं आचारविनय, श्रुतविनय, विक्षेपणविनय और दोषनिर्घातविनय। इनमें से प्रत्येक के पुन चार भेद हैं।^४

प्रायश्चित्तदाता .

प्रायश्चित्त देनेवाले योग्य ज्ञानियों का अभाव होने पर प्रायश्चित्त कैसे सम्भव हो सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि प्रायश्चित्त

१ गा० ७-१०९

२ गा० ११०-६

३ गा० ११७-१४८.

४ गा० १४९-२४१.

देने की योग्यता वाले महापुरुष केवली तथा चौदहपूर्वधर इस युग में नहीं है, यह बात सच है किन्तु प्रायश्चित्त की विधि का मूल प्रत्याख्यान पूर्व की तृतीय वस्तु में है और उसके आधार पर कल्प, प्ररूप तथा व्यवहार ग्रन्थों का निर्माण हुआ है।^१ ये ग्रन्थ तथा इनके ज्ञाता आज भी विद्यमान हैं। अतः प्रायश्चित्त का व्यवहार इन ग्रन्थों के आधार पर सरलतापूर्वक किया जा सकता है और इस प्रकार चारित्र्य की शुद्धि हो सकती है।^२

प्रायश्चित्तदान की सापेक्षता -

दस प्रकार के प्रायश्चित्त का नामोल्लेख करने के बाद प्रायश्चित्तदान का विभाग किया गया है तथा प्रायश्चित्तविधाताओं का सद्भाव सिद्ध किया गया है।^३ सापेक्ष प्रायश्चित्तदान के लाभ और निरपेक्ष प्रायश्चित्तदान की हानि की ओर संकेत करते हुए कहा गया है कि प्रायश्चित्तदान में दाता को दयाभाव रखना चाहिए तथा जिसे प्रायश्चित्त देना हो उसकी शक्ति की ओर भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा होने पर ही प्रायश्चित्त का प्रयोजन मिद्ध होता है तथा प्रायश्चित्त करने वाले को मयम में दृढ़ता हो सकती है। ऐसा न करने से प्रायश्चित्त करने वाले में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है और वह समय में स्थिर होने के बजाय मयम का सर्वथा त्याग ही कर देता है। प्रायश्चित्त देने में इतना अधिक दयाभाव भी नहीं रखना चाहिए कि प्रायश्चित्त का विधान ही भंग हो जाए और दोषों की परम्परा इतनी अधिक बढ़ जाए कि चारित्र्यशुद्धि ही ही न सके। बिना प्रायश्चित्त के चारित्र्य स्थिर नहीं रह सकता। चारित्र्य के अभाव में तीर्थ चारित्र्य-शून्य हो जाता है। चारित्र्यशून्यता से निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। निर्वाण-लाभ का अभाव हो जाने पर कोई दीक्षित भी नहीं होगा। दीक्षित साधुओं के अभाव में तीर्थ भी नहीं बनेगा। इस प्रकार प्रायश्चित्त के अभाव में तीर्थ टिक ही नहीं सकता। इसलिए जहाँ तक तीर्थ की स्थिति है वहाँ तक प्रायश्चित्त की परम्परा चलनी ही चाहिए।^४

भक्तपरिज्ञा, इगिनीमरण व पादपोषण

प्रायश्चित्त के विधान का विशेष समर्थन करते हुए भाष्यकार ने प्रसंगवशात् भक्तपरिज्ञा, इगिनीमरण तथा पादपोषण—इन तीन प्रकार की मारणात्मिक साधनाओंका विस्तृत वर्णन किया है। भक्तपरिज्ञा की विधि की ओर संकेत करते हुए निर्व्याघात और गव्याघातरूपी सपराक्रमभक्तपरिज्ञा के स्वरूप का निम्न द्वारो से विचार किया है : १ गणिनिस्सरण, २ श्रित्ति, ३ सलेखना, ४ अगीत, ५ असविग्न, ६ एक, ७ आभोग, ८ अन्य, ९ अनापृच्छा,

१. कल्प अर्थात् बृहत्कल्प, प्रकल्प अर्थात् निशीथ ।

२. गा० २५५-२७३.

३ गा० २७४-२९९.

४. गा० ३००-३१८.

१० परीक्षा, ११ आलोचना, १२ स्थान—वसति, १३ निर्यापक, १४ ब्रव्यदापना, १५ हानि १६ अपरितान्त, १७ निर्जरा, १८ सस्तारक, १९ उद्वतना, २० स्मारणा, २१ कवच, २२ चिह्नकरण, २३ यतना । इसी प्रकार निर्व्याघात और सव्याघातरूपी अपराक्रमभक्तपरिज्ञा, इगिनीमरण और पादपोषण के स्वरूप का विवेचन किया गया है ।^१ यहाँ तक आगमव्यवहार का अधिकार है ।

श्रुतादिव्यवहार •

पूर्वनिर्दिष्ट आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा और जीतव्यवहार में से आगम व्यवहार का व्याख्यान समाप्त करके आचार्य ने श्रुतव्यवहार का सक्षिप्त विवेचन किया है । आज्ञाव्यवहार का व्याख्यान करते हुए अपरिणत, अतिपरिणत और परिणत शिष्यों की परीक्षा के स्वरूप की ओर निर्देश किया है । इसके बाद दर्प के दस तथा कल्पना के चौबीस भेदों का सभग विवेचन किया है । इसी प्रकार धारणाव्यवहार का भी विचार किया गया है ।^२

जीतव्यवहार :

जो व्यवहार परपरा से प्राप्त हो, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा अनुमत हो, जिसका बहुश्रुती ने अनेक बार सेवन किया हो तथा जिसका उनके द्वारा निवारण न किया गया हो वह जीतव्यवहार कहलाता है । जिसका आधार आगम, श्रुत, आज्ञा अथवा धारणा न हो वह जीतव्यवहार है । उसका मूल आधार आगमादि न होकर केवल परपरा ही होती है । जिस जीतव्यवहार में चारित्र्य की शुद्धि होती हो उसी का आचरण करना चाहिए । जो जीतव्यवहार चारित्र्य-शुद्धि का कारण न हो उसका आचरण नहीं करना चाहिए । संभव है कि ऐसा भी कोई जीतव्यवहार हो जिसका आचरण किसी एक ही व्यक्ति ने किया हो फिर भी यदि वह व्यक्ति सवेगपरायण हो, दान्त हो तथा वह आचार शुद्धिकर हो तो उस जीतव्यवहार का अनुकरण करना चाहिए ।^३ इसके बाद भाष्यकार ने व्यवहार के स्वरूप का उपसंहार किया है ।^४ यहाँ तक मूल सूत्र की प्रथम गाथा का व्याख्यान है ।

प्रायश्चित्त के भेद :

प्रायश्चित्त का माहात्म्य-वर्णन करने के बाद आचार्य ने उसके दस भेदों की गणना व उनका सक्षिप्त स्वरूप-वर्णन किया है । प्रायश्चित्त के दस भेद ये हैं १ आलोचना, २ प्रतिक्रमण, ३ मिश्र, ४ विवेक, ५ व्युत्सर्ग, ६ तप, ७ छेद, ८ मूल, ९ अनवस्थाप्य, १० पाराचिक ।^५

१ गा० ३२२-५५९

२. गा० ५६०-६७४

३ गा० ६७५-६९४

४ गा० ६९५-७०५

५ गा० ७०६-७३०

आलोचना .

प्रथम प्रायश्चित्त आलोचना के अपराध-स्थानों की ओर संक्षेप में संकेत करते हुए इसी प्रसंग से 'छद्म' का अर्थ बताते हुए भाष्यकार कहते हैं कि छद्म कर्म को कहते हैं । वह कर्म चार प्रकार का है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय । जब तक प्राणी इन चार प्रकार के कर्मों के बन्धन से मुक्त नहीं होता तब तक वह छद्मस्थ कहलाता है । आलोचना आदि प्रायश्चित्तों का विधान छद्मस्थों के लिए ही है ।^१

प्रतिक्रमण

प्रतिक्रमण के अपराध-स्थानों का वर्णन करते हुए गुप्ति और समिति का भी उदाहरण वर्णन किया गया है । मनोगुप्ति के लिए जिनदास का उदाहरण दिया गया है । इसी प्रकार वचनगुप्ति और कायगुप्ति के लिए भी दो अन्य उदाहरण दिए गए हैं । समितियों का स्वरूप समझाते हुए ईर्यामिति के लिए अर्हन्नक का उदाहरण दिया गया है । भाषासमिति का स्वरूप समझाने के लिए एक साधु का दृष्टान्त उपस्थित किया गया है । वसुदेव के जीव नदिवर्धन का उदाहरण देकर एषणासमिति का स्वरूप बताया गया है । इसी प्रकार आदान-निक्षेपणासमिति के लिए भी एक उदाहरण दिया गया है । परिष्ठापनिकासमिति का स्वरूप समझाने के लिए घर्मरुचि का दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया है ।^२ इस प्रसंग पर भाष्यकार ने निम्न विषयों की चर्चा भी की है गुरु की आगातना और उसका स्वरूप, गुरु और शिष्य का भाषा-प्रयोग, गुरु-विनय का भग और उसका स्वरूप, विनय-भग के सात प्रकार, इच्छादि, दस प्रकार की अकरणता, लघुमृषावाद व उसका स्वरूप ।^३

प्रतिक्रमण से सम्बन्धित अविधि, कास, जृम्भा, क्षुत, वात, असक्लिष्टकर्म, कन्दर्प, हास्य, विकथा, कपाय, विषयानुषंग, स्खलना, सहसा, अनाभोग, आभोग, स्नेह, भय, शोक और बाकुशिक अपराध-स्थानों का मूल सूत्र का अनुसरण करते हुए व्याख्यान किया गया है ।^४

मिश्र प्रायश्चित्त .

इस प्रायश्चित्त में आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों का समावेश है । इसमें आलोचना और प्रतिक्रमण इन दोनों के संयुक्त अपराध-स्थानों का विवेचन किया

१ गा० ७३५

२ गा० ७८४-८६०

३ गा० ८६१-९०५

४ गा० ९०६-९३२.

गया है। सभ्रम, भय, आपत्, सहसा, अनाभोग, अनात्मवशता, दुश्चित्त, दुर्भाषित, दुश्चेष्टित आदि अपराध-स्थान मिश्र कोटि के हैं। भाष्यकार ने इनकी विशेष व्याख्या की है।^१

विवेक

विवेक-प्रायश्चित्त के अपराध-स्थानों का विवेचन करते हुए आचार्य ने पिण्ड, उपधि, शय्या, कृतयोगी, कालातीत, अध्वातीत, शठ, अशठ, उद्गत, अनुद्गत, कारणगृहीत आदि पदों की व्याख्या की है।^२ व्याख्या बहुत सक्षिप्त एव सारग्राही है। इसके बाद व्युत्सर्ग-प्रायश्चित्त का व्याख्यान प्रारंभ होता है।

व्युत्सर्ग .

पंचम प्रायश्चित्त व्युत्सर्ग के अपराध-स्थानों का विश्लेषण करने के लिए भाष्यकार ने मूल सूत्र में निर्दिष्ट गमन, आगमन, विहार, श्रुत, सावद्यस्वप्न, नाव, नदी, सन्तार आदि पदों का सक्षिप्त व्याख्यान किया है। इसके बाद तपः-प्रायश्चित्त के अपराध-स्थानों की व्याख्या प्रारंभ होती है।

तप

तप की चर्चा के प्रारंभ में ज्ञान और दर्शन के आठ-आठ अतिचारों का विचार किया गया है। ज्ञान के आठ अतिचार निम्नोक्त आठ विषयों से सम्बन्धित हैं - १. काल, १ विनय, ३ बहुमान, ४. उपघान, ५ अनिल्लवन, ६ व्यञ्जन, ७ अर्थ, ८ तदुभय। दर्शन के अतिचारों का सम्बन्ध निम्न आठ विषयों से है १. नि शक्ति, २ निष्काक्षित, ३ निर्विचिकित्सा, ४ अमूढदृष्टि, ५ उपवृहण, ६ स्थिरीकरण, ७ वात्सल्य, ८ प्रभावना।^४ इसके बाद छ. व्रतरूप चारित्र के अतिचारों का वर्णन किया गया है।^५ चारित्रोद्गम का स्वरूप बताते हुए उद्गम के सोलह दोषों का भी विवेचन किया गया है।^६ ये सोलह दोष इस प्रकार हैं - १ आधाकम, २ औद्देशिक, ३ पूर्तिकर्म, ४ मिश्रजात, ५ स्थापना ६ प्राभृतिका, ७ प्रादुष्करण, ८ क्रीत, ९ प्रामित्य, १० परावर्तित, ११. अभ्याहृत, १२ उद्भिन्न, १३ मालाहृत, १४ आच्छेद्य, १५ अनिसृष्ट १६ अघ्यवपूरक।^७ उद्गम के बाद उत्पादना का स्वरूप बताया गया है। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव—इन चार प्रकार के निक्षेपों द्वारा उत्पादना का विश्लेषण किया गया है।^८ इसके भी सोलह दोष हैं १ घात्रीदोष, २ दूतीदोष, ३ निमित्तदोष, ४ आजीवदोष, ५ वनीपकदोष, ६ चिकित्सादोष, ७ क्रोधदोष,

१. गा० ९३३-९५४.

२. गा० ९५५-९७१

३ गा० ९७२-९९७

४ गा० ९९८-१०६८.

५ गा० १०६९-१०८६,

६. गा० १०९८-१२८६,

७. गा० १०९५-७

८. गा० १३१३-८.

८. मानदोष, ९. मायादोष, १० लोभदोष, ११ सस्तवदोष, १२ विद्यादोष, १३ मन्त्रदोष, १४ चूर्णदोष, १५ योगदोष, १६ मूलकर्मदोष ।^१ इन दोषों का भाष्यकार ने बहुत विस्तार-पूर्वक वर्णन किया है । क्रोध के लिए क्षपक का, मान के लिए क्षुल्लक का, माया के लिये आषाढभूति का, लोभ के लिये सिंहकेसर नामक मोदक की इच्छा रखने वाले क्षपक का, विद्या के लिए भिक्षु-उपासक अर्थात् बौद्ध-उपासक का, मन्त्र के लिए पादलिप्त और मुरुडराज का, चूर्ण के लिए दो क्षुल्लको का और योग के लिए ब्रह्मद्वैपिक तापसो का उदाहरण दिया है ।^२

ग्रहणैषणा का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने ग्रहणैषणा के दस प्रकारों का भी उल्लेख किया है । जिन दस पदों से ग्रहणैषणा की शुद्धि होनी चाहिए उनके नाम ये हैं - शक्ति, भ्रक्षित, निक्षिप्त, पिहित, संहत, दायक, उन्मिश्र, अपरिणत, लिप्त और छदित ।^३ इन दस प्रकार के दोषों का विशेष वर्णन करने के बाद ग्रासैषणा के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है । इसके लिए सयोजना, प्रमाण, अगार, घूम, कारण आदि दोषों के वर्णन का विधान किया गया है ।^४ इसके बाद पिण्डविशुद्धि त्रिपयक अतिचारों से सम्बन्धित प्रायश्चित्तों का विधान किया गया है ।^५

तप प्रायश्चित्त से सम्बन्धित अन्य सूत्र-गाथाओंकी विवेचना करते हुए भाष्यकार ने धावन, डेपन, सधर्ष, गमन, क्रीडा, कुधावना, उत्कृष्टि, गीत, सेष्टिका, जीवस्त आदि पदों का व्याख्यान किया है ।^६ तप प्रायश्चित्त की जघन्य, मध्यम तथा उत्कृष्ट उपधियों का आश्रय लेते हुए विच्युत, विस्मृत, अप्रोक्षित, अनिवेदन आदि पदों की व्याख्या की है । इसी प्रकार कालतीतकरण, अध्वातीत-करण, तत्परिभोग, पानासवरण, कायोत्सर्गभग, कायोत्सर्ग-अकरण, वेगवन्दना, रात्रिव्युत्सर्ग, दिवसगयन, चिरकषाय, लशुन, तर्णादि-बन्धन, पुस्तक-पचक, तृणपचक, दूष्यपचक, स्थापनाकुल आदि सम्बन्धी दोष, दर्प, पचेन्द्रिय-व्यपरोपण, सविलष्टकर्म, दीर्घाध्वकल्प, ग्लानकल्प, छेद, अश्रद्धान आदि अनेक पदों का आचार्य ने सम्यक् विवेचन किया है ।^७

सामान्य तथा विशेष आपत्ति की दृष्टि से तप प्रायश्चित्त का क्या स्वरूप है, इसका विश्लेषण करने के बाद भाष्यकार ने तपोदान का विचार किया है । द्रव्य का क्या स्वरूप है और उस दृष्टि से तपोदान की क्या स्थिति है, क्षेत्र के स्वरूप

१ गा १३१९-१३२०. २. गा० १३९५-१४६७ ३ गा० १४७६

४. गा० १६०५-१६७०. ५ गा० १६८०-१७१९. ६. गा० १७२०-२४.

७. गा० १७२५-१७९४.

की दृष्टि से तपोदान का क्या अर्थ है, काल के स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए तपोदान का किम प्रकार वर्णन किया जा सकता है, भात्र के स्वरूप की दृष्टि से तपोदान का रूप क्या हो सकता है—इन महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान भाष्यकार ने बहुत सक्षिप्त एवं सरल ढंग में किया है ।^१ इसी प्रकार पुरुष की दृष्टि से भी तपोदान का विचार किया गया है । इस प्रसंग पर गीतार्थ, अगीतार्थ, महनशील अमहनशील, शठ, अशठ, परिणामी, अपरिणामी, अतिपरिणामी, घृतिमहननोपेत, हीन, आत्मनर, परतर, उभयतर, नोभयतर, अन्यतर आदि अनेक प्रकार के पुरुषों का स्वरूप-वर्णन किया गया है ।^२ कल्पस्थित और अकल्पस्थित पुरुषों का वर्णन करते हुए आचार्य ने 'स्थिति' शब्द के निम्न पर्याय दिए हैं प्रतिष्ठा, स्थापना, स्थपिति, सस्थिति, स्थिति, अवस्थान, अवस्था ।^३ कल्पस्थिति छ प्रकार की है सामायिक, छेद, निविशमान, निविष्ट, जिनकल्प और स्थविरकल्प ।^४ कल्प दस प्रकार का है - १ आचेलक्य, २ औद्देशिक, ३ गद्ययातर, ४ राजर्षिण्ड, ५ कृति कर्म, ६ व्रत, ७ ज्येष्ठ, ८. प्रतिक्रमण, ९ मास, १०. पयुंषणा । भाष्यकार ने इन कल्पों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । इसके साथ ही परिहारकल्प, जिन-कल्प, स्थविरकल्प आदि के स्वरूप का भी वर्णन किया है । इसके बाद परिणत, अपरिणत, कृतयोगी, अकृतयोगी, तरमाण, अतरमाण आदि पुरुषों का स्वरूप बताते हुए कल्पस्थित आदि पुरुषों की दृष्टि से तपोदान का विभाग किया गया है ।^५ आगे मूल सूत्र के पदों का व्याख्यान करते हुए आचार्य ने जीतयन्त्र की विधि बताई है एव प्रतिसेवना का स्वरूप बताते हुए उस दृष्टि से तपोदान का विभाग करके तप प्रायश्चित्त का सुविस्तृत विवेचन समाप्त किया है ।^६

छेद और मूल .

छेदप्रायश्चित्त के अपराध-स्थानों के वर्णन के प्रसंग से उत्कृष्ट तपोभूमि की ओर भी निर्देश किया गया है । आदि जिन की उत्कृष्ट तपोभूमि एक वर्ष की हाती है, मध्यम जिनों की उत्कृष्ट तपोभूमि आठ मास की होती है तथा अन्तिम जिन की तपोभूमि का समय छ मास है ।^७ इसके बाद मूलप्रायश्चित्त के अपराध-स्थानों की ओर संकेत किया गया है ।^८

अनवस्थाप्य .

अनवस्थाप्य-प्रायश्चित्त के अपराध-स्थानों का दिग्दर्शन करते हुए आचार्य ने हस्तताल, हस्तालब, हस्तादान आदि का स्वरूप बताया है तथा अवसन्नाचार्य

-
- १ गा० १७९५-१९३७ २ गा० १९३८-१९६४ ३ गा० १९६६
 ४ गा० १९६७. ५ गा० १९६८-२१९५ ६. गा० २१९६-२२७९.
 ७ गा० २२८५-६. ८ गा० २२८८-२३००.

का दृष्टान्त देकर हस्तादान के स्वरूप की पुष्टि की है।^१ इसके बाद अतिम प्रायश्चित्त पाराचिक का वर्णन प्रारंभ होता है।

पाराचिक .

पाराचिक-प्रायश्चित्त का स्वरूप बताते समय आचार्य ने तीर्थंकर, प्रवचन, श्रुत, आचार्य आदि की आशातना से सम्बन्ध रखने वाले पाराचिक का निर्देश किया है। साथ ही कषायदुष्ट, विषयदुष्ट, स्त्यानद्धिप्रमत्त और अन्योन्य-कुर्वाण-पाराचिक का स्वरूप बताते हुए लिंग, क्षेत्र और काल की दृष्टि से पाराचिक का विवेचन किया है।^२ इसके बाद इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान खींचा है कि अनवस्थाप्य और पाराचिक-प्रायश्चित्त का सद्भाव चतुर्दशपूर्वधर भद्रबाहु तक ही रहा है।^३ जीतकल्प का उपसंहार करते हुए जीतकल्प सूत्र के अध्ययन का अधिकारी कौन है, इसका उत्तर देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि जो सूत्र और अर्थ दोनों से प्राप्त अर्थात् युक्त है वही जीतकल्प का योग्य अधिकारी है, शेष को उसके अयोग्य समझना चाहिए।^४ जीतकल्प के महत्त्व एव आचार की ओर एक बार पुन निर्देश करते हुए भाष्यकार ने भाष्य की समाप्ति की है।^५ आचार के नियमों और विशेषकर चारित्र के दोषों की शुद्धि का प्रायश्चित्त द्वारा विधान करने वाले जीतकल्प सूत्र के स्वोपज्ञ भाष्य के इस संक्षिप्त परिचय से उसकी शैली एव सामग्री का अनुमान लगाना कठिन नहीं है। जीतकल्पभाष्य आचार्य जिनभद्र की जैन आचारशास्त्र पर एक महत्त्वपूर्ण कृति है, इसमें कोई सदेह नहीं।



१. गा० २३०१-२४१०. २ गा० २४६३-२५८५. ३. गा० २५८६-७
४. गा० २५९४ ५ गा० २६००-६

चतुर्थ प्रकरण

बृहत्कल्प-लघुभाष्य

बृहत्कल्प-लघुभाष्य^१ के प्रणेता सघदासगणि क्षमाश्रमण है। इसमें बृहत्कल्प सूत्र के पदों का सुविस्तृत विवेचन किया गया है। लघुभाष्य होते हुए भी इसकी गाथा-संख्या ६४९० है। यह छः उद्देशों में विभक्त है। इनके अतिरिक्त भाष्य के प्रारम्भ में एक विस्तृत पीठिका भी है जिसकी गाथा-संख्या ८०५ है। इस भाष्य में प्राचीन भारत की कुछ महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक सामग्री भी सुरक्षित है। डा० मोतीचन्द्र ने अपनी पुस्तक सार्थवाह (प्राचीन भारत की पथ-पद्धति)^२ में इस भाष्य की कुछ सामग्री का 'यात्री और सार्थवाह' का परिचय देने की दृष्टि से उपयोग किया है। इसी प्रकार अन्य दृष्टियों से भी इस सामग्री का उपयोग हो सकता है। भाष्य के आगे दिये जानेवाले विस्तृत परिचय से इस बात का पता लग सकेगा कि इसमें प्राचीन भारतीय संस्कृति के इतिहास का कितना मसाला भरा पड़ा है।

पीठिका .

विशेषावश्यक-भाष्य की ही भाँति इस भाष्य में भी प्रारम्भिक गाथाओं में मंगलवाद की चर्चा की गई है। 'मंगल' पद के निक्षेप, मंगलाचरण का प्रयोजन, आदि, मध्य और अन्त में मंगल करने की विधि आदि विषयों की चर्चा करने के बाद नन्दी—ज्ञानपत्रक का विवेचन किया गया है। श्रुतज्ञान के प्रसंग से सम्यक्त्व-प्राप्ति के क्रम का विचार करते हुए औपशमिक, सास्वादन, क्षायोपशमिक, वेदक और क्षायिक सम्यक्त्व का स्वरूप बताया गया है।^३

अनुयोग का स्वरूप बताते हुए निक्षेप आदि बारह प्रकार के द्वारों से अनुयोग का विचार किया गया है। उनके नाम ये हैं १. निक्षेप, २. एकार्थिक,

१ नियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्त्युपेत बृहत्कल्पसूत्र (६ भाग) - सम्पादक—मुनि चतुरविजय एव पुण्यविजय, प्रकाशक—श्री जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, सन् १९३३, १९३६, १९३६, १९३८, १९३८, १९४२.

२ सार्थवाह (प्राचीन भारत की पथ-पद्धति) प्रकाशक—बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना, सन् १९५३.

३ गा० ४-१३१.

३ निरुक्त, ४ विधि, ५ प्रवृत्ति, ६ केन, ७ कस्य, ८ अनुयोगद्वार, ९. भेद, १० लक्षण, ११ तदहं, १२ पर्यद् ।^१

कल्प-व्यवहार के अनुयोग के लिए सुयोग्य मानी जानेवाली छात्रातिक पर्यदा के गुणो का बहुश्रुतद्वार, चिरप्रन्नजितद्वार और कल्पिकद्वार—इन तीन द्वारो से विचार किया गया है । कल्पिकद्वार का आचार्य ने निम्न उपद्वारो से विवेचन किया है . सूत्रकल्पिकद्वार, अर्थकल्पिकद्वार, तदुभयकल्पिकद्वार, उपस्थापना-कल्पिकद्वार, विचारकल्पिकद्वार, लेपकल्पिकद्वार, पिण्डकल्पिकद्वार, शय्याकल्पिक-द्वार, वस्त्रकल्पिकद्वार, पात्रकल्पिकद्वार, अवग्रहकल्पिकद्वार, विहारकल्पिकद्वार, उत्सारकल्पिकद्वार, अचचलद्वार, अवस्थितद्वार, मेघावीद्वार, अपरिस्रात्रीद्वार, यश्चविद्वान्द्वार, पत्तद्वार, अनुज्ञातद्वार और परिणामकद्वार । इनमे से विचार-कल्पिकद्वार का निरूपण करते हुए आचार्य ने विचारभूमि अर्थात् स्थण्डिलभूमि का सविस्तार निरूपण किया है । इस निरूपण मे निम्न द्वारो का आचार लिया गया है : भेद, शोधि, अपाय, वर्जना, अनुज्ञा, कारण, यतना ।^२ शय्याकल्पिक-द्वार का रक्षणकल्पिक और ग्रहणकल्पिक की दृष्टि से विचार किया है । इसी प्रकार अन्य द्वारो का भी विविध दृष्टियो से विवेचन किया गया है । यत्र-तत्र दृष्टान्तो का उपयोग भी हुआ है । उत्सारकल्पिकद्वार के योगविराघना दोष को समझाने के लिए घण्टाशृंगाल का दृष्टान्त दिया गया है । परिणामकद्वार मे परिणामक, अपरिणामक आदि शिष्यो की परीक्षा के लिए आम्र, वृक्ष, बीज आदि के दृष्टान्त दिये गये है ।^३ छेदमूत्रो (वृहत्कल्पादि) के अर्थश्रवण की विधि की ओर संकेत करते हुए परिणामकद्वार के उपमहार के साथ पीठिका की समाप्ति की गई है ।^४

प्रथम उद्देश—प्रलम्बसूत्र

पीठिका के बाद भाष्यकार प्रत्येक मूल सूत्र का व्याख्यान प्रारम्भ करते है । प्रथम उद्देश मे प्रलम्बप्रकृत, मामकल्पप्रकृत आदि सूत्रो का समावेश है । प्रथम प्रलम्बसूत्र की निम्न द्वारो से व्याख्या की गई है आदिनकारद्वार, ग्रन्थद्वार, आमद्वार, तालद्वार, प्रलम्बद्वार, भिन्नद्वार । ताल, तल और प्रलम्ब का अर्थ इन प्रकार है : तल वृक्षसम्बन्धी फल को ताल कहते है, तदाचारभूत वृक्ष का नाम तल है, उसके मूल को प्रलम्ब कहते है । प्रलम्ब शब्द से यहाँ मूलप्रलम्ब का ग्रहण करना चाहिए ।^५

प्रलम्बग्रहण सम्बन्धी प्रायश्चित्तो की ओर संकेत करते हुए तत्रप्रलम्बग्रहण अर्थात् जहाँ पर ताड आदि वृक्ष हो वहाँ जाकर गिरे हुए अचित्त प्रलम्बादि का

१ गा० १४९-३९९

२ गा० ४१७-४६९

३ गा० ४००-८०२.

४ गा० ८०३-५

५. गा० ८५०.

ग्रहण करते समय जिन दोषो की सम्भावना रहती है उनका स्वरूप बताया गया है। इसी प्रकार सचित्त प्रलम्बादि से सम्बन्धित बातों की आर भी निर्देश किया गया है। देव, मनुष्य तथा तिर्यंच के अधिकार में रहे हुए प्रलम्बादि का स्वरूप, तद्ग्रहणदोष आदि पर भी प्रकाश डाला गया है।^१ प्रलम्बादि का ग्रहण करने से लगनेवाले आज्ञाभंग, अनवस्था, मिथ्यात्व और आत्ममयमविराघना दोषो का विस्तृत वर्णन करते हुए आचार्य के अज्ञान और व्यसनो की ओर संकेत किया गया है।^२ गीतार्थ के विशिष्ट गुणो का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने गीतार्थ को प्रायश्चित्त न लगने के कारणो की मीमासा की है। गीतार्थ की केवली के साथ तुलना करते हुए श्रुतकेवली के वृद्धि-हानि के पट्स्थानो की ओर संकेत किया है।^३

द्वितीय प्रलम्बसूत्र के व्याख्यान में निम्न विषयो का समावेश किया गया है। निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियो के लिए टूटे हुए ताल-प्रलम्ब के ग्रहण से सम्बन्ध रखनेवाले अपवाद, निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियो के देशान्तर-गमन के कारण और उमकी विधि, रोग और आतक का भेद, रग्णावस्था के लिए विधि-विधान, वैद्य और उनके आठ प्रकार।^४

शेष प्रलम्बसूत्रो का विवेचन निम्न विषयो की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। पक्कतालप्रलम्बग्रहण-विषयक निषेध, 'पक्क' पद के निक्षेप, 'भिन्न' और 'अभिन्न' पदो की व्याख्या, तद्विषयक पदभंगी, तत्सम्बन्धी प्रायश्चित्त, अविविभिन्न और विधिभिन्न तालप्रलम्ब, तत्सम्बन्धी गुण, दोष और प्रायश्चित्त, दुष्काल आदि में निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियो के एक दूसरे के अवगृहीत क्षेत्र में रहने की विधि, तत्सम्बन्धी १४४ भंग और तद्विषयक प्रायश्चित्त।^५

मासकल्पप्रकृतसूत्र :

मासकल्पविषयक विवेचन प्रारम्भ करते समय सर्वप्रथम आचार्य ने प्रलम्ब-प्रकृत और मासकल्पप्रकृत के सम्बन्ध का स्पष्टीकरण किया है। प्रथम सूत्र की विस्तृत व्याख्या के लिए ग्राम, नगर, खेड, कर्दटक, मडम्ब, पत्तन, आकर, द्रोण-मुख, निगम, राजधानी, आश्रम, निवेश, सबाघ, घोप, अशिका, पुटभेदन, शकर आदि पदो का विवेचन किया है।^६ ग्राम का नामग्राम, स्थापनाग्राम, द्रव्यग्राम, भूतग्राम, आतोद्यग्राम, इन्द्रियग्राम, पितृग्राम, मातृग्राम और भावग्राम—इन नौ प्रकार के निक्षेपो से विचार किया गया है। द्रव्यग्राम बारह प्रकार का होता है

१. गा० ८६३-९२३. २. गा० ९२४-९५० ३. गा० ९५१-१०००
४. गा० १००१-१०३३ ५. गा० १०३४-१०८५. ६. गा० १०८८-१०९३.

१ उत्तानकमल्लक, २ अवाङ्मुखमल्लक, ३ सपुटकमल्लक, ४ उत्तानकखण्ड-मल्लक, ५. अवाङ्मुखखण्डमल्लक, ६ सम्पुटकखण्डमल्लक, ७ भित्ति, ८ पडालि, ९ वलभी, १० अक्षाटक, ११ रुचक, १२. काश्यपक ।^२

‘मास’ पद का विविध निक्षेपां से व्याख्यान करते हुए भाष्यकार ने नक्षत्र-मास, चन्द्रमास, ऋतुमास, आदित्यमास और अभिवर्धितमास का स्वरूप बताया है। इसके बाद मासकल्पविहारियो का स्वरूप बताते हुए जिनकल्पिक^३ स्थविर-कल्पिक आदि के स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया है।

जिनकल्पिक .

जिनकल्पिक को दीक्षा की दृष्टि से धर्म, धर्मोपदेशक और धर्मोपदेश के योग्य भवसिद्धिकादि जीवो का स्वरूप बताते हुए धर्मोपदेश की विधि और उसके दोषो का निरूपण किया गया है। जिनकल्पिक की शिक्षा का वर्णन करते हुए शास्त्राम्यास से होने वाले आत्महित, परिज्ञा, भावसत्वर, मवेग, निष्कम्पता, तप, निर्जरा, परदेशकत्व आदि गुणो को ओर सकेन किया गया है।^४ जिनकल्पिक कव हो ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि जिनकल्पिक जिन अर्थात् तीर्थकर के समय मे अथवा गणघर आदि केवलियो के समय मे हो।^५ इस प्रमग का विशेष विस्तार करते हुए आचार्य ने तीर्थकर के समवसरण (धर्मसभा) का वर्णन किया है। इस वर्णन मे निम्न विषयो का परिचय दिया गया है वेमानिक, ज्योतिष्क, भवनपति, व्यतर आदि देव एक साथ एकत्रित हुए हो उस समय समवसरण की भूमि साफ करना, सुगन्धित पानी, पुष्प आदि की वर्षा बरसाना, समवसरण के प्राकार, द्वार, पताका, ध्वज, तोरण, चित्र, चैत्यवृक्ष, पीठिका, देवच्छन्दक, आमन, छत्र, चामर आदि की रचना और व्यवस्था, इन्द्र आदि महर्द्धिक देवो का अकेले ही समवसरण की रचना करना, समवसरण में तीर्थकरो का किस समय किस दिशा से किम प्रकार प्रवेश होता है, वे किस दिशा में मुख रख कर उपदेश देते हैं, प्रमुख गणघर कहां बैठता है, अन्य दिशाओ में तीर्थकरो के प्रतिविम्ब कैसे होते हैं, गणघर, केवली, साधु, साध्वियाँ, देव, देवियाँ, पुरुष, स्त्रियाँ आदि समवसरण मे कहां बैठते हैं अथवा खडे रहते हैं, समवसरण मे एकत्रित देव, मनुष्य, तिर्यच आदि की मर्यादाएँ और पारस्परिक ईर्ष्या आदि का त्याग, तीर्थकर की अमोघ देशना, धर्मोपदेश के प्रारम्भ मे तीर्थकरो द्वारा तीर्थ को नमस्कार और उसके कारण, समवसरण मे श्रमणो के आगमन की हूरी, तीर्थकर, गणघर, आहारकशरीरो, अनुत्तरदेव, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि की रूप, सहनन, सस्थान, वर्ण, गति, सत्त्व,

२. गा० १०९४-११११. ३. गा० ११४३-११७१ ४ गा० ११७२

उच्छ्वास आदि शुभाशुभ प्रकृतियाँ, तीर्थंकर के रूप की सर्वोत्कृष्टता का कारण, श्रोताओ के सशयो का समाधान, तीर्थंकर की एकरूप भाषा का विभिन्न भाषा-भाषी श्रोताओ के लिए विभिन्न रूपों में परिणमन, तीर्थंकर के आगमन से सम्बन्धित समाचारों को बताने वाले को चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि की ओर से दिया जाने वाला प्रीतिदान, देवमाल्य, देवमाल्यानयन, गणघरोपदेश और उससे होनेवाला लाभ इत्यादि ।^१ जिनकल्पिक की शास्त्रार्थविषयक शिक्षा की ओर निर्देश करते हुए भाष्यकार ने सज्ञामूत्र, स्वसमयसूत्र, परसमयसूत्र, उत्सर्गसूत्र, अपवादसूत्र, हीनाक्षरसूत्र, अधिकाक्षरसूत्र, जिनकल्पिकसूत्र, स्थविरकल्पिकसूत्र, आर्यासूत्र, कालसूत्र, वचनसूत्र आदि सूत्रों के विविध प्रकारों की ओर संकेत किया है ।^२ इसके बाद जिनकल्पिक के अनियतत्रास, निष्पत्ति, उपसम्पदा, विहार, भावनाओ आदि पर प्रकाश डाला है । भावनाएँ दो प्रकार की हैं अप्रशस्त और प्रशस्त । अप्रशस्त भावनाएँ पाँच हैं कान्दर्षी भावना, देवकित्वपिकी भावना, आभियोगी भावना, आसुरी भावना और साम्मोही भावना । इसी प्रकार पाँच प्रशस्त भावनाएँ हैं तपोभावना, सत्त्वभावना, सूत्रभावना, एकत्वभावना और बलभावना ।^३ जिनकल्प ग्रहण करने की विधि, जिनकल्प ग्रहण करने वाले आचार्य द्वारा कल्प ग्रहण करते समय गच्छपालन के लिए नवीन आचार्य की स्थापना, गच्छ और नये आचार्य के लिए सूचनाएँ, गच्छ, सघ आदि से क्षमापना—इन सभी बातों का संक्षिप्त वर्णन करने के बाद जिनकल्पिक की सामाचारी पर प्रकाश डाला गया है ।^४ निम्नलिखित २७ द्वारों से इस सामाचारी का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है - १ श्रुत, २ सहनन, ३ उपसर्ग, ४ आतक, ५ वेदना, ६ कतिजन, ७ स्थण्डिल, ८ वसति, ९ क्रियच्चिर, १० उच्चार, ११ प्रसवण, १२ अवकाश, १३ तृणफलक, १४ सरक्षणता, १५ सस्थापनता, १६ प्राभृतिका, १७ अग्नि, १८ दीप, १९ अवधान, २० वत्स्यथ (कतिजन), २१ भिक्षाचर्या, २२ पानक, २३ लेपालेप, २४ अलेप, २५ आचाम्ल, २६ प्रतिमा, २७ मासकल्प ।^५ जिनकल्पिक की स्थिति का विचार करते हुए आचार्य ने निम्न द्वारों का आधार लिया है - क्षेत्र, काल, चारित्र, तीर्थ, पर्याय, आगम, वेद, कल्प, लिंग, लेश्या, ध्यान, गणना, अभिग्रह, प्रवाजना, मुण्डापना, प्रायश्चित्त, कारण, निष्प्रतिकर्म और भक्त ।^६ इसके बाद भाष्यकार परिहारविशुद्धिक और यथालन्दिक कल्प का स्वरूप बताते हैं तथा गच्छवासियों—स्थविरकल्पिकों की मासकल्पविषयक विधि का वर्णन प्रारम्भ करते हैं ।

१ गा० ११७६-१२१७

२ गा० १२१९-१२२२

३ गा० १२२३-१३५७

४ गा० १३६६-१३८१

५ गा० १३८२-१४१२

६ गा० १४१३-१४२४

स्थविरकल्पिक :

स्थविरकल्पिको के लिए प्रव्रज्या, शिक्षा, अर्थग्रहण, अनियतवास और निष्पत्ति का वर्णन जिनकल्पिको के ही समान समझ लेना चाहिए। विहार के लिए निम्न बातों का विचार किया गया है : विहार का समय और मर्यादा, विहार करने के लिए गच्छ के निवाम और निर्वाहयोग्य क्षेत्र की जाच करने की विधि, क्षेत्र की प्रतिलेखना के लिए क्षेत्रप्रत्युपेक्षको को भेजने के पहले उसके लिए योग्य सम्मति और सलाह लेने के लिए सम्पूर्ण गच्छ को बुलाने की विधि, उत्सर्ग और अपवाद की दृष्टि से योग्य-अयोग्य क्षेत्रप्रत्युपेक्षक, गच्छ के रहने योग्य क्षेत्र की प्रतिलेखना के लिए कितने जनो को जाना चाहिए और किस प्रकार जाना चाहिए, क्षेत्र की प्रतिलेखना के लिए जाने की विधि और क्षेत्र में परीक्षा करने योग्य बातें, क्षेत्र की प्रतिलेखना के लिए जाने वाले क्षेत्रप्रत्युपेक्षको द्वारा विहार के मार्ग, मार्ग में स्थण्डिलभूमि, पानी, विश्रामस्थान, भिक्षा, वसति, चोर आदि के उपद्रव आदि बातों की जाच, प्रतिलेखना करने योग्य क्षेत्र में प्रवेश करने की विधि, भिक्षाचर्या द्वारा उस क्षेत्र के लोगों की मनोवृत्ति की परीक्षा, भिक्षा, औषध आदि की सुलभता-दुर्लभता, महास्थण्डिल की प्रतिलेखना और उसके गुण-दोष, गच्छवामी यथालदिको के लिए क्षेत्र की परीक्षा, परीक्षित—प्रतिलिखित क्षेत्र की अनुज्ञा की विधि, क्षेत्रप्रत्युपेक्षको द्वारा आचार्यादि के समक्ष क्षेत्र के गुण-दोष निवेदन करने तथा जाने योग्य क्षेत्र का निर्णय करने की विधि, विहार करने के पूर्व जिसकी वसति में रहे हो उसे पूछने की विधि, अविधि से पूछने पर लगने वाले दोष और उनका प्रायश्चित्त, विहार करने के पूर्व वमति के स्वामी को विधिपूर्वक उपदेश देते हुए विहार के समय का सूचन, विहार करते समय शुभ दिवस और शुभ शकुन देखने के कारण, शुभ शकुन और अशुभ शकुन, विहार करते समय आचार्य द्वारा वसति के स्वामी को उपदेश, विहार के समय आचार्य, बालसाधु आदि के सामान को किसे किम प्रकार उठाना चाहिए, अननुज्ञात क्षेत्र में निवास करने से लगने वाले दोष और उनका प्रायश्चित्त, प्रतिलिखित क्षेत्र में प्रवेश और शुभाशुभ शकुनदर्शन, आचार्य द्वारा वमति में प्रवेश करने की विधि, वसति में प्रविष्ट होने के बाद गच्छवासियों की मर्यादाएँ और स्थापना-कुलो की व्यवस्था, वसति में प्रवेश करने के बाद झोली-पात्र लिये हुए अमुक साधुओं को साथ लेकर आचार्य आदि का जिनचैत्यवदना के लिए निकलना, झोली-पात्र साथ रखने के कारण, जिनचैत्यो के वन्दन के लिए जाने हुए मार्ग में गृहजिन-मदिरों के दर्शनार्थ जाना और दानश्रद्धालु, धर्मश्रद्धालु, ईर्ष्यालु, धर्मपराङ्मत्त आदि श्राद्धकुलो की पहचान करना, स्थापनाकुल आदि की व्यवस्था, उसके कारण और वीरशुनिका का उदाहरण, चार प्रकार के प्राघूर्णक नाधु, स्थापना-

कुलो में जाने की विधि, एक-दो दिन छोड़ कर स्थापनाकुलो में नही जाने से लगने वाले दोष, स्थापनाकुलो में जाने योग्य अथवा भेजने योग्य वेधावृत्यकर और उनके गुण-दोष, वैयावृत्य करने वाले के गुणों की परीक्षा करने के कारण, श्रावको को गोचरचर्या के दोष समझाने में होनेवाले लाभ और इसके लिए लुब्धक का दृष्टान्त, स्थापनाकुलो में से विधिपूर्वक उचित द्रव्यों का ग्रहण, जिस क्षेत्र में एक ही गच्छ ठहरा हुआ हो उस क्षेत्र की दृष्टि से स्थापनाकुलो में से भिक्षा ग्रहण करने की सामाचारी, जिस क्षेत्र में दो-तीन गच्छ एक वसति में अथवा भिन्न-भिन्न वसतियों में ठहरे हुए हो उस क्षेत्र की दृष्टि से भिक्षा लेने की सामाचारी इत्यादि ।^१ इसी प्रकार स्थविरकल्पिको की सामान्य मामाचारो, स्थिति आदि का वर्णन किया गया है ।^२

गच्छवासियो—स्थविरकल्पिको की विशेष सामाचारो का भी भाष्यकार ने विस्तृत वर्णन किया है ।^३ इस वर्णन में निम्न बातों पर प्रकाश डाला गया है —

१ प्रतिलेखनाद्वार—वस्त्रादि की प्रतिलेखना का काल, प्राभातिक प्रतिलेखना के समय से सम्बन्धित विविध आदेश, प्रतिलेखना के दोष और प्रायश्चित्त, प्रतिलेखना में अपवाद ।

२ निष्क्रमणद्वार—गच्छवासी आदि को उपाश्रय से बाहर कब और कितनी बार निकलना चाहिए ?

३ प्राभृतिकाद्वार—सूक्ष्म और बादर प्राभृतिका का वर्णन, गृहस्थादि के लिए तैयार किये गए घर, वसति आदि में रहने और न रहने सम्बन्धी विधि और प्रायश्चित्त ।

४ भिक्षाद्वार—किस एषणा से पिण्ड आदि का ग्रहण करना चाहिए, कितनी बार और किस समय भिक्षा के लिए जाना चाहिए, मिलकर भिक्षा के लिए जाना, अकेले भिक्षा के लिए जाने के कल्पित कारण और तत्सम्बन्धी प्रायश्चित्त, भिक्षा के लिए उपकरण आदि की व्यवस्था ।

५ कल्पमरणद्वार—पात्र धोने की विधि, लेपकृत और अलेपकृत द्रव्य, पात्र-लेप से होनेवाले लाभ और तद्विषयक एक श्रमण का दृष्टान्त, पात्र धोने के कारण और तद्विषयक प्रश्नोत्तर ।

६ गच्छशक्तिकाद्वार—सात प्रकार की सौवीरिणियाँ १ आधाकर्मिक-

१ गा० १४४७-१६२२

२ गा० १६२३-१६५५

३. गा० १६५६-२०३३

भी ग्रहण का निषेध है), पुर कर्मसम्बन्धी प्रायश्चित्त, पुर.कर्मविषयक अविधि-निषेध और विधिनिषेध, सात प्रकार के अविधिनिषेध, आठ प्रकार के विधिनिषेध, पुर कर्मविषयक ब्रह्महत्या का दृष्टान्त ।

९ ग्लानद्वार—ग्लान—रुग्ण साधु के समाचार मिलते ही उसका पता लगाने के लिए जाना चाहिए, वहाँ उसकी सेवा करने वाला कोई है कि नहीं—इसकी जाँच करनी चाहिए, जाँच न करने वाले के लिए प्रायश्चित्त, ग्लान साधु की श्रद्धा से सेवा करने वाले के लिए सेवा के प्रकार, ग्लान साधु की सेवा के लिए किसी की विनती या आज्ञा की अपेक्षा रखने वाले के लिए प्रायश्चित्त और तद्विषयक महर्द्धिक राजा का उदाहरण, ग्लान की सेवा करने में अशक्ति का प्रदर्शन करने वाले को शिक्षा, ग्लान साधु की सेवा के लिए जाने में दुःख का अनुभव करने वाले के लिए प्रायश्चित्त, उदगम आदि दोषों का बहाना करने वाले के लिए प्रायश्चित्त, ग्लान साधु की सेवा के बहाने से गृहस्थों के यहाँ से उत्कृष्ट पदार्थ, वस्त्र, पात्र आदि लाने वाले तथा क्षेत्रातिक्रान्त, कालातिक्रान्त आदि दोषों का सेवन करने वाले लोभी साधु को लगने वाले दोष और उनका प्रायश्चित्त, ग्लान साधु के लिए पथ्यापथ्य किस प्रकार लाना चाहिए, कहाँ से लाना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, उसकी प्राप्ति के लिए गवेषणा किस प्रकार करनी चाहिए, ग्लान साधु के विशोषणसाध्य रोग के लिए उपवास की चिकित्सा, आठ प्रकार के वैद्य (१ सविग्न, २ असविग्न, ३ लिंगी, ४. श्रावक, ५ सज्ञी, ६ अनभि-गृहीत असज्ञी (मिथ्या-दृष्टि), ७ अभिगृहीत असज्ञी, ८ परतीथिक), इनके क्रमभंग से लगने वाले दोष और उनका प्रायश्चित्त, वैद्य के पास जाने की विधि, वैद्य के पास ग्लान साधु को ले जाना या ग्लान साधु के पास वैद्य को लाना, वैद्य के पास कैसा साधु जाए, कितने साधु जाएँ, उनके वस्त्र आदि कैसे हों, जाते समय कैसे शकुन देखे जाएँ, वैद्य के पास जाने वाले साधु को किस काम में व्यस्त होने पर वैद्य से रोगी साधु के विषय में बातचीत करनी चाहिए, किस काम में व्यस्त होने पर बातचीत नहीं करनी चाहिए, वैद्य के घर आने के लिए श्रावकों को सकेत, वैद्य के पास जाकर रुग्ण साधु के स्वास्थ्य के समाचार कहने का क्रम, ग्लान साधु के लिए वैद्य का सकेत, वैद्य द्वारा बताये गए पथ्यापथ्य लभ्य हैं कि नहीं इसका विचार और लभ्य न होने पर वैद्य से प्रश्न, ग्लान साधु के लिए वैद्य का उपाश्रय में आना, उपाश्रय में आये हुए वैद्य के साथ व्यवहार करने की विधि, वैद्य के उपाश्रय में आने पर आचार्य आदि के उठने, वैद्य को आसन देने और रोगी को दिखाने की विधि, अविधि से उठने आदि में दोष और उनका प्रायश्चित्त, औषध आदि के प्रवध के विषय में भद्रक वैद्य का प्रश्न, धर्मभावनारहित वैद्य के लिए भोजनादि तथा औषधादि के मूल्य की व्यवस्था,

बाहर से बंध को बूलाने एव उमके खानपान को व्यवस्था करने की विधि, रोगी साधु और बंध की सेवा करने के कारण, रोगी तथा उसकी मेवा करने वाले को अपवाद-सेवन के लिए प्रायश्चित्त, ग्लान साधु के स्थानान्तर के कारण तथा एक-दूसरे समुदाय के ग्लान साधु की सेवा के लिए पण्डितं, ग्लान साधु की उपेक्षा करने वाले साधुओं को सेवा करने की शिक्षा नहीं देने वाले आचार्य के लिए प्रायश्चित्त, निर्दयता से रूग्ण साधु को उपाश्रय, गली आदि स्थानों में छोड़कर चले जाने वाले आचार्य को लगने वाले दोष और उनका प्रायश्चित्त, एक गच्छ रूग्ण साधु की सेवा कितने समय तक करे और बाद में उस साधु को क्रिमे सौपे, किन् विशेष कारणों से किस प्रकार के विवेक के साथ किस प्रकार के ग्लान साधु को छोड़ा जा सकता है तथा इससे होने वाला लाभ इत्यादि ।

१० गच्छप्रतिबद्धयथालदिकद्वार—इस द्वार में वाचना आदि के कारण गच्छ के साथ मन्त्र रचने वाले यथालदिककल्पधारियों के वन्दनादि व्यवहार तथा मामकल्प की मर्यादा का वर्णन किया गया है ।

११ उपरिदोषद्वार—इसमें वर्षाशुक्ल से अतिरिक्त समय में एक क्षेत्र में एक माम से अधिक रहने से लगने वाले दोषों का वर्णन किया गया है ।

१२ अपवादद्वार—यह अन्तिम द्वार है । इसमें एक क्षेत्र में एक माम से अधिक रहने के आपवादिक कारण तथा उस क्षेत्र में रहने एव भिक्षाचर्या करने की विधि पर प्रकाश डाला गया है ।

मासकल्पविषयक द्वितीय सूत्र का व्याख्यान करते हुए आचार्य ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि यदि ग्राम, नगर आदि दुर्ग के अन्दर और बाहर इन दो विभागों में बसे हुए हों तो अन्दर और बाहर मिलाकर एक क्षेत्र में दो माम तक रहा जा सकता है । इसके साथ ही ग्राम, नगरादि के बाहर दूसरा मासकल्प करते समय तृण, फलक आदि ले जाने की विधि की चर्चा की गई है तथा अविधि से ले जाने पर लगने वाले दोषों और प्रायश्चित्तों का वर्णन किया गया है ।^१

निर्ग्रन्थियाँ—साध्वियाँ

मासकल्पविषयक तृतीय सूत्र को व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने निर्ग्रन्थी-विषयक विशेष विधि-निषेधों की चर्चा की है ।^२ इस चर्चा में निम्न विषयों का समावेश किया गया है : निर्ग्रन्थी के मासकल्प की मर्यादा, विहार का वर्णन, निर्ग्रन्थियों के समुदाय का गणघर और उसके गुण, गणघर द्वारा क्षेत्र की

१. गा० २०३४-२०४६.

२. गा० २०४७-२१०५.

प्रतिलेखना, स्वयं निर्ग्रन्थी द्वारा अपने रहने योग्य क्षेत्र की प्रतिलेखना करने का निषेध तथा भडौच में वौद्ध श्रावको द्वारा किये गए साध्वियों के अपहरण का वर्णन, साध्वियों के रहने योग्य क्षेत्र के गुण, साध्वियों के रहने योग्य वसति—उपाश्रय और उसका स्वामी, साध्वियों के योग्य स्थण्डिलभूमि, साध्वियों को उनके रहने योग्य क्षेत्र में ले जाने की विधि, वारकद्वार, भक्तार्थनाविधिद्वार, विधर्मी आदि की ओर से होने वाले उपद्रवों से बचाव, भिक्षा के लिए जाने वाली साध्वियों की सख्या, समूहरूप से भिक्षाचार्या के लिए जाने के कारण और यतनाएँ, साध्वियों के ऋतुबद्ध काल के अतिरिक्त एक क्षेत्र में दो महीने तक रह सकने के कारण ।

मासकल्पविषयक चतुर्थं सूत्र का विवेचन करते हुए यह बताया गया है कि ग्राम, नगर आदि दुर्ग के भीतर और बाहर बसे हुए हो तो भीतर और बाहर मिलाकर एक क्षेत्र में चार मास तक साध्वियाँ रह सकती हैं । इससे अधिक रहने पर कुछ दोष लगते हैं जिनका प्रायश्चित्त करना पड़ता है । आपवादिक कारणों से अधिक समय तक रहने की अवस्था में विशेष प्रकार की यतनाओं का सेवन करना चाहिए ।^१

स्थविरकल्प और जिनकल्प इन दोनों में कौन प्रधान है ? निष्पादक और निष्पन्न इन दो दृष्टियों से दोनों ही प्रधान हैं । स्थविरकल्पसूत्रार्थग्रहण आदि दृष्टियों से जिनकल्प का निष्पादक है, जबकि जिनकल्प ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य आदि दृष्टियों से निष्पन्न है । इस प्रकार दोनों ही महत्त्वपूर्ण अवस्थाएँ होने के कारण प्रधान-महद्दिक हैं । इस दृष्टिकोण को विशेष स्पष्ट करने के लिए भाष्यकार ने गुहासिंह, दो स्त्रियों और दो गोवर्गों के दृष्टान्त दिए हैं ।^२

वगडाप्रकृतसूत्र :

वगडा का अर्थ है परिक्षेप—कोट—परिखा—प्राचीर—चहारदीवारी । एक परिक्षेप और एक द्वार वाले ग्राम, नगर आदि में निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को एक साथ नहीं रहना चाहिए । प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने एतस्सम्बन्धी दोषों, प्रायश्चित्तों आदि पर प्रकाश डाला है । इस विवेचन में निम्न बातों का समावेश किया गया है एक परिक्षेप और एक द्वार वाले क्षेत्र में निर्ग्रन्थ अथवा निर्ग्रन्थियों के एक समुदाय के रहते हुए दूसरे समुदाय के आकर रहने पर उसके आचार्य, प्रवर्तिनी आदि को लगने वाले दोष और उनका प्रायश्चित्त, क्षेत्र की प्रतिलेखना के लिए भेजे गए श्रमणों की प्रेरणा से साध्वियों द्वारा अवगृहीत

क्षेत्र को दनाने का विचार करने वाले तथा उस क्षेत्र में जाने का निर्णय करने वाले आचार्य, उपाध्याय आदि के लिए प्रायश्चित्त, वेदोदय आदि दोषो का अग्नि, योद्धा और गारुडिक के दृष्टान्तों द्वारा समर्थन, श्रमण और श्रमणिया भिन्न-भिन्न उपाश्रय में रहते हुए एक-दूसरे के महवास से दूर रह सकते हैं किन्तु ग्राम आदि में रहने वाले श्रमणों के लिए गृहस्थ स्त्रियों का सहवास तो अनिवार्य है, ऐसी दशा में श्रमणों के लिए वनवास ही श्रेष्ठ है—इस प्रकार की शका का समाधान, श्रमणियों के सहवास वाले ग्राम आदि के त्याग के कारण, एक वगडा और एक द्वार वाले क्षेत्र में रहने वाले साधु-साध्वियों को विचारभूमि—स्थंडिलभूमि, भिक्षाचर्या, विहारभूमि, चैत्यवन्दन आदि कारणों से लगने वाले दोष और उनके लिए प्रायश्चित्त, एक वगडा आदि वाले जिस क्षेत्र में श्रमणियाँ रहती हो वहाँ रहने वाले श्रमणों से कुलस्थविरो द्वारा रहने के कारणों की पूछ-ताछ, कारणवशात् एक क्षेत्र में रहने वाले श्रमण-श्रमणियों के लिए विचारभूमि, भिक्षाचर्या आदि विषयक व्यवस्था, भिन्न-भिन्न समुदाय के श्रमण अथवा श्रमणियाँ एक क्षेत्र में एक साथ रहे हुए हो और उनमें परस्पर कलह होवा हो तो उसकी शांति के लिए आचार्य, प्रवर्तिनी आदि द्वारा किए जाने वाले उपाय, न करने वाले को लगने वाले कलकादि दोष और उनका प्रायश्चित्त ।^१

साधु-साध्वियों को एक वगडा और अनेक द्वार वाले स्थान में एक साथ रहने से जो दोष लगते हैं उनका निम्न द्वारों से विचार किया गया है १ एक-शाखिकाद्वार—एक कतार में बने हुए बाड़ के अन्तर वाले घरों में साथ रहने वाले साधु-साध्वियों को परस्पर वार्तालाप, प्रश्नोत्तर आदि के कारण लगने वाले दोष, २ सप्रतिमुखद्वार द्वार—एक दूसरे के द्वार के सामने वाले घर में रहने से लगने वाले दोष, ३ पार्श्वमागद्वार—एक-दूसरे के पास के अथवा पीछे के दरवाजे वाले उपाश्रय में रहने से लगने वाले दोष, ४ उच्चनीचद्वार—श्रमण-श्रमणियों की एक-दूसरे पर दृष्टि पडनेवाले उपाश्रय में रहने से लगनेवाले दोष और तत्सम्बन्धी प्रायश्चित्त, दृष्टि-दोष से उत्पन्न होनेवाले दस प्रकार के काम-विकार के आवेग १ चिन्ता, २ दर्शनेच्छा, ३ दीर्घ निश्वास, ४ ज्वर, ५ दाह, ६ भक्ताहृत्, ७ मूर्च्छा, ८ उन्माद, ९ निश्चेष्टा और १० मरण, ५ घर्म-कथाद्वार—जहाँ निग्रन्थ-निग्रन्थियाँ एक-दूसरे के पास में रहते हो वहाँ रात्रि के समय घर्मकथा, स्त्राध्याय आदि करने की विधि, दुर्भिक्ष आदि कारणों से अकस्मात् एकवगडा-अनेकद्वार वाले ग्रामादि में एक साथ आने का अवसर उपस्थित होने पर उपाश्रय आदि की प्राप्ति का प्रयत्न तथा योग्य उपाश्रय के अभाव में

एक-दूसरे के उपाश्रय के समीप रहने का प्रसंग आने पर एक-दूसरे के व्यवहार से सम्बन्ध रखनेवाली यतनाएँ ।^१

अनेकवगडा-एकद्वार वाले ग्राम, नगर आदि में साधु-साध्वियों को माथ रहने में लगने वाले दोषों की ओर निर्देश करते हुए कुमुद्वल वस्त्र की रक्षा के लिए नग्न होने वाले अगारी, अश्व, फुम्फुक और पेशी के उदाहरण दिये गये हैं ।^२

द्वितीय वगडासून की व्याख्या करते हुए इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि श्रमण-श्रमणियों को अनेकवगडा-अनेकद्वार वाले ग्राम, नगर आदि में रहना चाहिए । जिन ग्राम आदि में श्रमण और श्रमणियों की भिक्षाभूमि, स्थडिलभूमि, विहारभूमि आदि भिन्न-भिन्न हो वही उन्हें रहना चाहिए ।^३

आपणगृहादिप्रकृतसूत्र .

आपणगृह, स्थयामुख, शृङ्गाटक, चतुष्क, चत्वर, अतरापण आदि पदों की व्याख्या करते हुए आचार्य ने इन स्थानों पर बने हुए उपाश्रय में रहने वाली श्रमणियों को लगने वाले दोषों और प्रायश्चित्तों का वर्णन किया है । सार्वजनिक स्थानों में बने हुए उपाश्रयों में रहने वाली श्रमणियों के मन में युवक, वेश्याएँ, वरघोडे, राजा आदि अलकृत व्यक्तियों को देखने से अनेक दोषों का उद्भव होता है । इस प्रकार आम रास्ते पर रहने वाली साध्वियों को देख कर लोगों के मन में अनेक प्रकार के अवर्णवादादि दोष उत्पन्न होते हैं । यदि किसी कारण से इस प्रकार के उपाश्रय में रहना ही पड़े तो उसके लिये आचार्य ने विविध यतनाओं का विधान भी किया है ।^४

अपावृतद्वारोपाश्रयप्रकृतसूत्र

श्रमणियों को बिना द्वार के खुले उपाश्रय में नहीं रहना चाहिए । कदाचित् द्वारयुक्त उपाश्रय अप्राप्य हो तो खुले उपाश्रय में परदा बाँध कर रहना चाहिए । इस सूत्र की व्याख्या में निम्न बातों का समावेश किया गया है . निश्रन्थीविषयक अपावृतद्वारोपाश्रय सूत्र आचार्य यदि प्रवर्तिनी को न समझावे, प्रवर्तिनी यदि अपनी साध्वियों को न सुनावे, साध्वियाँ यदि उसे न सुनें तो उन्हें लगने वाले दोष और उनका प्रायश्चित्त, बिना दरवाजे के उपाश्रय में रहने वाली प्रवर्तिनी, गणा-वच्छेदिनी, अभिषेका और श्रमणियों को लगने वाले दोष और प्रायश्चित्त, आप-

१. गा० २२३२-२२७७.

२. गा० २२७८-२२८७.

३. गा० २२८८-९

४. गा० २२९५-२३२५.

वादिक् रूप से बिना द्वार के उपाश्रय में रहने की विधि, इस प्रकार के उपाश्रय में द्विदलकटादि बाँधने की विधि, द्वारपालिका श्रमणी और उसके गुण, गणिनी, द्वारपालिका—प्रतिहारसाध्वी एव अन्य साध्वियों के निवास-स्थान का निर्देश, प्रस्रवण—पेशाब आदि के लिये बाहर जाने-आने में विलम्ब करने वाली श्रमणियों को फटकारने की विधि, श्रमणी के बजाय कोई अन्य व्यक्ति उपाश्रय में न घुस जाए इसके लिए उसकी परीक्षा करने की विधि, प्रतिहारसाध्वी द्वारा उपाश्रय के द्वार की रक्षा, शयनसम्बन्धी यतनाएँ, रात्रि के समय कोई मनुष्य उपाश्रय में घुस जाए तो उसे बाहर निकालने की विधि, विहार आदि के समय मार्ग में आने वाले गाँवों में सुरक्षित द्वार वाला उपाश्रय न मिले तथा कोई अनपेक्षित भयप्रद घटना घट जाए तो तरुण और वृद्ध साध्वियों को किस प्रकार उसका सामना करना चाहिए इसका निर्देश ।^१

साधु बिना दरवाजे के उपाश्रय में रह सकते हैं । उन्हें उत्सर्गरूप से उपाश्रय का द्वार बन्द नहीं करना चाहिए किन्तु अपवादरूप से वैसा किया जा सकता है । अपवादरूप कारणों के विद्यमान रहते हुए द्वार बन्द न करने पर प्रायश्चित्त का विधान है ।^२

घटीमात्रकप्रकृतसूत्र :

श्रमणियों के लिए घटीमात्रक—घडा रखना व उसका उपयोग करना विहित है किन्तु श्रमणों के लिए घटीमात्रक रखना अथवा उसका उपयोग करना निषिद्ध है । निष्कारण घटीमात्रक रखने से साधुओं को दोष लगते हैं । हाँ, अपवादरूप में उनके लिए घटीमात्रक रखना वर्जित नहीं है । श्रमण-श्रमणियाँ विशेष कारणों से घटीमात्रक रखते हैं व उसका प्रयोग करते हैं । घटीमात्रक पास न होने की अवस्था में उन्हें विविध यतनाओं का सेवन करना पड़ता है ।^३

चिलिमिलिकाप्रकृतसूत्र .

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियाँ वस्त्र की चिलिमिलिका—परदा रख सकते हैं व उसका प्रयोग कर सकते हैं । चिलिमिलिका का स्वरूप वर्णन करने के लिए भाष्यकार ने निम्न द्वारों का आश्रय लिया है १ भेदद्वार, २ प्ररूपणाद्वार—सूत्रमयी, रज्जुमयी, बल्कलमयी, दण्डकमयी और कटकमयी चिलिमिलिका, ३ द्विविधप्रमाणद्वार, ४ उपभोगद्वार ।^४

दकतीरप्रकृतसूत्र

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के लिए जलाशय, नदी आदि पानी के स्थानों के पास

१ गा० २३२६-२३५२.

२ गा० २३५३-२३६१

३ गा० २३६१-२३७०.

४. गा० २३७१-२३८२.

अथवा किनारे खड़ा रहना, बैठना, मोना, खाना-पीना, स्वाध्याय-व्याय-कायोत्सर्ग आदि करना निषिद्ध है । इसके प्रतिपादन के लिए निम्नलिखित विषयो पर प्रकाश डाला गया है - दकतीर की सीमा, पानी के किनारे खड़े रहने, बैठने आदि से लगनेवाले अधिकरण आदि दोष, अधिकरणदोष का स्वरूप, जलाशय आदि के पास श्रमण-श्रमणियों को देख कर स्त्री, पुरुष, पशु, आदि की ओर से उत्पन्न होने वाले अधिकरण दोष का स्वरूप, पानी के पास खड़े रहने आदि दस स्थानों से सम्बन्धित सामान्य प्रायश्चित्त, निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला और प्रचला-प्रचला का स्वरूप, सपातिम और असपातिम जल के किनारे बैठने आदि दस स्थानों का सेवन करने वाले आचार्य, उपाध्याय, भिक्षु, स्थविर और क्षुल्लक—इन पाँच प्रकार के श्रमणों तथा प्रवर्तिनी, अभिषेका, भिक्षुणी, स्थविग और क्षुल्लिका—इन पाँच प्रकार की श्रमणियों की दृष्टि से प्रायश्चित्त के विविध आदेश, असपातिम और सपातिम का स्वरूप (जलज मत्स्य-मण्डकादि असपातिम है । उनमें युक्त जल के किनारे को असपातिम दकतीर कहते हैं । शेष प्राणी सपातिम है । उनसे युक्त तीर को सपातिम दकतीर कहते हैं । अथवा, केवल पक्षी सपातिम है और तद्भिन्न शेष प्राणी असपातिम है । उनसे युक्त जलतीर क्रमशः सपातिम और असपातिम है ।), यूपक—जलमध्यवर्ती तट का स्वरूप और तत्सम्बन्धी प्रायश्चित्त, जल के किनारे आतापना लेने से लगनेवाले दोष, दकतीरद्वार, यूपकद्वार और आतापनाद्वार सम्बन्धी अपवाद और यतनाएँ ।^१

चित्रकर्मप्रकृतसूत्र :

साधु-साध्वियों को चित्रकर्मवाले उपाश्रय में नहीं ठहरना चाहिए । इस विषय का विवेचन करते हुए भाष्यकार ने निर्दोष और सदोष चित्रकर्म का स्वरूप, आचार्य, उपाध्याय आदि की दृष्टि से चित्रकर्म वाले उपाश्रय में रहने से लगने वाले दोष और प्रायश्चित्त, चित्रकर्मयुक्त उपाश्रय में रहने से लगने वाले विकथा, स्वाध्याय-व्याघात आदि दोष, आपवादिक रूप से चित्रकर्मयुक्त उपाश्रय में रहना पड़े तो उसके लिए विविध यतनाएँ आदि बातों का स्पष्टीकरण किया है ।^२

सागारिकनिश्चाप्रकृतसूत्र •

श्रमणियों को शय्यातर—वसति के स्वामी की निश्चा (सरक्षण) में ही रहना चाहिए । सागारिक—शय्यातर की निश्चा में न रहने वाली श्रमणियों को विविध दोष लगते हैं । इन दोषों का स्वरूप समझाने के लिए आचार्य ने गवादि-पशुवर्ग, अजा, पश्वान्त, इक्षु, घृत आदि के दृष्टान्त दिए हैं । अपवाद के रूप में सागारिक

की निश्चा के अभाव में रहने का अवसर आने पर किस प्रकार के उपाश्रय में रहना चाहिए, इसका दिग्दर्शन कराते हुए आचार्य ने यह भी बताया है कि योग्य उपाश्रय के अभाव में वृषभो को किन प्रकार श्रमणियों की रक्षा करनी चाहिए और वे वृषभ किन प्रकार के नद्गुणों से युक्त होने चाहिए ।^१

जहाँ तक श्रमणों का प्रश्न है, वे उत्सर्गस्व से सागारिक की निश्चा में नहीं रह सकने विन्नु एषवाद्स्व में वैसा कर सकने हैं । जो निर्ग्रन्थ विना किसी विशेष कारण के सागारिक की निश्चा में रहते हैं उन्हें दोष लगता है जिसका प्रायश्चित्त करना पड़ता है ।^२

सागारिकोपाश्रयप्रकृतसूत्र

निर्ग्रन्थ-निग्रन्थियों के लिए सागारिक के सम्बन्ध वाले उपाश्रय में रहना वजित है । इस विषय पर चर्चा करते हुए भाष्यकार ने निम्नोक्त बातों का विवेचन किया है सागारिक पद का निक्षेप, द्रव्य-सागारिक के रूप, आभरण, वस्त्र, अलंकार, भोजन, गध, आतोद्य, नाट्य, नाटक, गीत आदि प्रकार और तत्सम्बन्धी दोष एवं प्रायश्चित्त, भावसागारिक का स्वरूप, अन्नह्लाचयं के हेतुभूत प्राजापत्य, कौटुम्बिक और दण्डिरूपरिगृहीत देव, मनुष्य और तिर्यञ्च सम्बन्धी रूप का स्वरूप तथा उनके जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट प्रकार, देवप्रतिमा के विविध प्रकार, देवप्रतिमायुक्त उपाश्रयों में रहने से लगने वाले दोष और प्रायश्चित्त, देवता के मान्निव्यवाली प्रतिमाओं के प्रकार, मनुष्यप्रतिमा का स्वरूप, प्राजापत्य आदि दृष्टियों से विशेष विवरण, इस प्रकार की प्रतिमायुक्त वसति में ठहरने से लगने वाले दोष तथा तद्विषयक प्रायश्चित्त, तिर्यञ्चप्रतिमा का स्वरूप, भेद, तद्विषयक निवाम-दोष और प्रायश्चित्त, मनुष्य के माथ मथुन का सेवन करने वाले सिंहण का दृष्टान्त, सागारिकोपाश्रयसूत्र सम्बन्धी अपवाद और तत्सम्बन्धी यतनाएँ, भविकार पुत्र्य, पुत्र्यप्रकृति तथा स्योप्रकृति वाले नपुंसक का स्वरूप, इनके मध्यस्थ, आभरणप्रिय, कार्पाक और काथिक भेद, इनके सम्बन्ध वाले उपाश्रयों में रहने से लगने वाले मयमविराघनादि दोष और प्रायश्चित्त इत्यादि ।^३

प्रतिवद्धशय्याप्रकृतसूत्र

प्रथम प्रतिवद्धशय्या सूत्र की व्याख्या करते हुए यह बताया गया है कि जिम उपाश्रय के समीप गृहस्थ रहते हों वहाँ निर्ग्रन्थों को नहीं रहना चाहिए । इसमें निम्न विषयों का समावेश किया गया है . 'प्रतिवद्ध' पद के निक्षेप, भावप्रतिवद्ध के प्रस्रवण, स्थान, रूप और शब्द ये चार भेद, द्रव्यप्रतिवद्ध-भाव-

प्रतिबद्ध की चतुर्भंगी और तत्सम्बन्धी विधि-निषेध, निर्ग्रन्थो को 'द्रव्यत. प्रतिबद्ध भावत अप्रतिबद्ध' रूप प्रथम भग वाले आश्रय मे रहने से लगने वाले अघिकर-णादि दोष, उनका स्वरूप और तत्सम्बन्धी यतनाएँ, 'द्रव्यत अप्रतिबद्ध भावत प्रतिबद्ध' रूप द्वितीय भग वाले उपाश्रय मे रहने मे लगने वाले दोष, उनका स्वरूप और तत्सम्बन्धी यतनाएँ, 'द्रव्य-भावप्रतिबद्ध' रूप तृतीय भग वाले उपाश्रय मे रहने से लगने वाले दोष आदि, 'द्रव्य-भाव-अप्रतिबद्ध' रूप चतुर्थ भग वाले उपाश्रयो की निर्दोषता का प्ररूपण ।^१

द्वितीय सूत्र की व्याख्या मे इसका प्रतिपादन किया गया है कि जिस उपाश्रय के समीप गृहस्थ रहते हो वहाँ निर्ग्रन्थियो का निवास विहित है । द्रव्य-प्रतिबद्ध तथा भावप्रतिबद्ध उपाश्रयो मे रहने से निर्ग्रन्थियो को लगने वाले दोषो और यतनाओ का भी वर्णन किया गया है ।^२

गृहपतिकुलमध्यवासप्रकृतसूत्र

श्रमणो का गृहपतिकुल के मध्य मे रहना वर्जित है । इसके विचार के लिए आचार्य ने शालाद्वार, मध्यद्वार और छिडिकाद्वार का आश्रय लिया है ।

१ शालाद्वार—श्रमणो को शाला में रहने से लगने वाले दोषो का १ प्रत्यपाय, २. वैक्रिय, ३ अपावृत्त, ४ आदर्श, ५ कल्पस्थ, ६. भक्त, ७ पृथिवी, ८ उदक, ९ अग्नि, १० बीज और ११ अवहन्न—इन ग्यारह द्वारो से वर्णन किया है ।^३

२ मध्यद्वार—श्रमणो को शाला के मध्य मे बने हुए भवन आदि मे रहने से लगने वाले दोषो का उपयुक्त ग्यारह द्वारो के उपरान्त १ अतिगमन, २. अनाभोग, ३. अवभाषण, ४ मज्जन और ५ हिरण्य—इन पाँच द्वारो से निरूपण किया है ।^४

३ छिडिकाद्वार—छिडिका का अर्थ है पुरोहड अर्थात् वसति के द्वार पर बना हुआ प्रतिश्रय । छिडिका मे रहने से लगने वाले दोषो का विविध दृष्टियो से विचार किया है । इन द्वारो से सम्बन्ध रखने वाली यतनाओ का भी वर्णन किया गया है ।^५

श्रमणियो की दृष्टि से गृहपतिमध्यवास का विचार करते हुए आचार्य ने बताया है कि उन्हें भी गृहपतिकुल के मध्य मे नही रहना चाहिए । शाला आदि मे रहने से श्रमणियो को अनेक प्रकार के दोष लगते हैं ।^६

१ गा० २५८३-२६१५.

२. गा० २६१६-२६२८.

३ गा० २६३३-२६४४.

४. गा० २६४५-२६५२.

५. गा० २६५३-२६६७.

६ गा० २६६८-२६७५.

आपवादिक कारणों से वर्षाऋतु में विहार करने का प्रसंग उपस्थित होने पर विशेष यतनाओं के सेवन का विधान है।^१

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को हेमन्त और ग्रीष्मऋतु के आठ महीनों में विहार करना चाहिए। इन महीनों में विहार करने से अनेक लाभ होते हैं तथा न करने से अनेक दोष लगते हैं। विहार करते हुए मार्ग में आने वाले मामकल्प के योग्य ग्राम-नगरादि क्षेत्रों को चैत्यवन्दनादि के निमित्त छोड़ कर चले जाने से अनेक दोष लगते हैं। हाँ, किन्हीं आपवादिक कारणों से वैसा करना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं है।^२

वैराज्यप्रकृतसूत्र :

इस सूत्र की व्याख्या में यह बताया गया है कि निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को वैराज्य अर्थात् विरुद्धराज्य में पुनः पुनः गमनागमन नहीं करना चाहिए। इस व्याख्या में निम्न विषयों पर विचार किया गया है— वैराज्य, विरुद्धराज्य, सद्यो-गमन, सद्योआगमन, वैर आदि पद, वैराज्य के चार प्रकार (अराजक, यीव-राज्य, वैराज्य और द्वैराज्य), वैराज्य—विरुद्धराज्य में आने-जाने से लगने वाले आत्मविरावना आदि दोष, वैराज्य—विरुद्धराज्य में गमनागमन से सम्बन्धित अपवाद और यतनाएँ।^३

अवग्रहप्रकृतसूत्र :

प्रथम अवग्रहसूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि भिक्षाचार्यों के लिए गए हुए निर्ग्रन्थ से यदि गृहपति वस्त्र, पात्र, कम्बल आदि के लिए प्रार्थना करे तो उसे चाहिए कि उस उपकरण को लेकर आचार्य के समक्ष प्रस्तुत करे और आचार्य की आज्ञा लेकर ही उसे रखे अथवा काम में ले। वस्त्र दो प्रकार का है याचनावस्त्र और निमत्रणावस्त्र। याचनावस्त्र का स्वरूप पहले बताया जा चुका है।^४ निमत्रणावस्त्र का स्वरूप वर्णन करते हुए आचार्य ने निम्नोक्त बातों का स्पष्टीकरण किया है : निमत्रणावस्त्र सम्बन्धी सामाचारी, उससे विरुद्ध आचरण करने से लगने वाले दोष और उनका प्रायश्चित्त, निमत्रणावस्त्र की शुद्धता का स्वरूप, गृहीत वस्त्र का स्वामित्व आदि।^५

द्वितीय अवग्रहसूत्र की व्याख्या में बताया गया है कि स्थण्डिलभूमि आदि के लिए जाते समय यदि कोई निर्ग्रन्थ से वस्त्रादि की प्रार्थना करे तो उसे प्राप्त

१ गा० २७३२-२७४७.

२ गा० २७४८-२७५८

३ गा० २७५९-२७९१

४. गा० ६०३-६४८.

५. गा० २७९२-२८१३.

उपकरणादि को आचार्य के पास ले जाकर उपस्थित करना चाहिए तथा उनकी आज्ञा मिलने पर ही उनका उपयोग करना चाहिए ।^१

तृतीय और चतुर्थ सूत्र की व्याख्या में निर्ग्रन्थियों की दृष्टि से वस्त्रग्रहण आदि का विचार किया गया है । निर्ग्रन्थी गृहपतियों से मिलने वाले वस्त्र-पात्रादि को प्रवर्तिनी की आज्ञा से ही अपने काम में ले सकती है ।^२

रात्रिभक्तप्रकृतसूत्र :

निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों को रात्रि के समय अथवा विकाल में अशन-पानादि का ग्रहण नहीं कल्पता । प्रस्तुत सूत्र का विवेचन करते हुए भाष्यकार ने निम्न विषयों की चर्चा की है 'रात्रि' और 'विकाल' पदों की व्याख्या, रात्रि में खाने-पीने से लगने वाले आज्ञाभंग, अनवस्था, मिथ्यात्व, समयविराधना आदि दोष, रात्रि-भोजनविषयक 'दिवा गृहीत दिवा भुषतम्', 'दिवा गृहीत रात्रौ भुषतम्', 'रात्रौ गृहीतं दिवा भुषतम्' और 'रात्रौ गृहीत रात्रौ भुषतम्' रूप चतुर्भङ्गी एव तत्सम्बन्धी प्रायश्चित्त, रात्रिभोजनग्रहणसम्बन्धी आपवादिक कारण, रुग्ण, क्षुब्ध, पिपासित, असहिष्णु, चन्द्रवेष अनशन आदि में सम्बन्धित अपवाद, अध्वगमन अर्थात् देशान्तरगमन की अनुज्ञा, अध्वगमनोपयोगी उपकरण, १ चर्मद्वार | तलिका, पुट, वस्त्र, कोशक, कृत्ति, सिक्कक, फापोतिका आदि, २ लोहग्रहणद्वार—पिप्पलक, सूचो, आरी, नखहरणिका आदि, ३ नन्दीभाजनद्वार, ४ घर्मकरकद्वार; ५ पशुतीर्थकोपकरणद्वार, ६ गुलिकाद्वार, ७ खोलद्वार, अध्वगमनोपयोगी उपकरण न लेने वाले के लिए प्रायश्चित्त, प्रयाण करते समय शकुनावलोकन; मिहपर्पदा, वृषभपर्पदा और मृगपर्पदा का स्वरूप, मार्ग में अन्न-जल प्राप्त न होने पर उमकी प्राप्ति की विधि और तद्विषयक द्वार—१ प्रतिसार्थद्वार, २ स्तेन-पल्लीद्वार, ३ शून्यग्रामद्वार, ४ वृक्षादिप्रलोकनद्वार, ५ मन्दिरद्वार, ६ द्विविध-द्रव्यद्वार, उत्सर्गरूप से रात्रि में वसति आदि ग्रहण करने से लगने वाले दोष और प्रायश्चित्त; रात्रि में वसति आदि ग्रहण करने के आपवादिक कारण, गीतार्थ निर्ग्रन्थों के लिए वसति ग्रहण करने की विधि, अगीतार्थमिश्रित गीतार्थ निर्ग्रन्थों के लिए वसति-ग्रहण की विधि, अघरे में वसति की प्रतिलेखना के लिए प्रकाश का उपयोग करने की विधि व यतनाएं, ग्रामादि के बाहर वसति ग्रहण करने के लिए यतनाएं, कुल, गण, सघ आदि की रक्षा के निमित्त लगने वाले अपराधों की निर्दोषता और तद्विषयक सिद्धान्तगतक कृतकरण श्रमण का उदाहरण ।^३

१. गा० २८१४.

२. गा० २८१५-२८३५.

३. गा० २८३६-२९६८.

रात्रिवस्त्रादिग्रहणप्रकृतसूत्र :

श्रमण-श्रमणियों को रात्रि के समय अथवा विकाल में वस्त्रादिग्रहण नहीं कल्पता । इस नियम का विश्लेषण करते हुए भाष्यकार ने निम्नलिखित बातों का स्पष्टीकरण किया है . रात्रि में वस्त्रादिग्रहण करने से लगने वाले दोष एवं प्रायश्चित्त; इस नियम से सम्बन्धित अपवाद, सयतभद्र, गृहिभद्र, सयतप्रान्त और गृहिप्रान्त चौरविषयक चतुर्भङ्गी, सयतभद्र-गृहिप्रान्त चौर द्वारा छूटे गये गृहस्थ को वस्त्रादि देने की विधि, गृहिभद्र-सयतप्रान्त चौर द्वारा श्रमण और श्रमणी इन दो में से कोई एक छूट लिया गया हो तो परस्पर वस्त्र आदान-प्रदान करने की विधि, श्रमण-गृहस्थ, श्रमण-श्रमणी, समनोज्ञ-असमनोज्ञ अथवा सविग्न-असविग्न ये दोनों पक्ष छूट लिये गये हो उस समय एक दूसरे को वस्त्र आदान-प्रदान करने की विधि ।^१

हृताहृतिका-हरिताहृतिकाप्रकृतसूत्र :

पहले हृत अर्थात् हरा गया हो और बाद में आहृत अर्थात् लाया गया हो उसे हृताहृत कहते हैं । हरित अर्थात् वनस्पति में आहृत अर्थात् प्रक्षिप्त को हरिताहृत कहते हैं । चोरो द्वारा जिस वस्त्र का पहले हरण किया गया हो और बाद में वापस कर दिया गया हो अथवा जिसे चुराकर वनस्पति आदि में फेंक दिया गया हो उसके ग्रहणसम्बन्धी नियमों पर प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या में प्रकाश डाला गया है । प्रसंगवशात् मार्ग में आचार्य को गुप्त रखने की विधि और आवश्यकता का भी विवेचन किया गया है ।^२

अध्वगमनप्रकृतसूत्र :

श्रमण-श्रमणियों के लिए रात्रि में अथवा विकाल में अध्वगमन निषिद्ध है । अध्व पथ और मार्ग भेद से दो प्रकार का है । जिसके बीच में ग्राम, नगर आदि कुछ भी न हो उसे पथ कहते हैं । जो ग्रामानुपाम की परंपरा से युक्त हो उसे मार्ग कहते हैं । रात्रि में मार्गरूप अध्वगमन करने से मिथ्यात्व, उड्डाह, सयमविराधना आदि अनेक दोष लगते हैं । पथ दो प्रकार का होता है . छिन्नाध्वा और अछिन्नाध्वा । रात्रि के समय पथगमन करने से भी अनेक दोष लगते हैं । अपवादरूप से रात्रिगमन की छूट है किन्तु उसके लिए अध्वो-पयोगी उपकरणों का सग्रह तथा योग्य सार्थ का सहयोग आवश्यक है । सार्थ पाँच प्रकार के हैं १ भडी, २ बहिलक, ३ भारवह, ४ औदरिक और ५ कार्पटिक । इनमें से किस प्रकार के सार्थ के साथ श्रमण-श्रमणियों को जाना

चाहिए, इसकी ओर निर्देश करते हुए आचार्य ने आठ प्रकार के सार्थवाहो और आठ प्रकार के आदियात्रिको अर्थात् सार्थव्यवस्थापको का उल्लेख किया है। इसके बाद सार्थवाह की अनुज्ञा लेने की विधि और भिक्षा, भक्तार्थना, वसति, स्थंडिल आदि से सम्बन्ध रखने वाली यतनाओ का वर्णन किया है। अश्वगमनोपयोगी अश्वकल्प का स्वरूप बताते हुए अश्वगमनसम्बन्धी अशिव, दुर्भिक्ष, राजद्विष्ट आदि श्याघातो और तत्सम्बन्धी यतनाओ का विस्तृत विवेचन किया है।^१

सखडिप्रकृतसूत्र :

‘सखडि’ की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है - सम्-इति सामस्त्येन खण्ड्यन्ते त्रोटयन्ते जीवाना वनस्पतिप्रभृतीनामायूषि प्राचुर्येण यत्र प्रकरण विशेषे सा खलु सखडिरित्युच्यते अर्थात् जिस प्रसंग विशेष पर सामूहिक रूप से वनस्पति आदि का उपभोग किया जाता हो उसे सखडि कहते हैं।^२ प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या में यह बताया गया है कि निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियो को रात्रि के समय सखडि में अथवा सखडि को लक्ष्य में रख कर कही नहीं जाना चाहिए। माया, लोलुपता आदि कारणों से सखडि में जाने वाले को लगने वाले दोष, यावन्तिका, प्रगणिता, सञ्जेत्रा, अञ्जेत्रा, वाह्या, आकीर्णा आदि सखडि के विविध भेद और तत्सम्बन्धी दोषों का प्रायश्चित्त, सखडि में जाने योग्य आपवादिक कारण और आवश्यक यतनाएँ आदि विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है।^३

विचारभूमि-विहारभूमिप्रकृतसूत्र :

निर्ग्रन्थो को रात्रि के समय विचारभूमि—विहारभूमि अथवा विहारभूमि—स्वाध्यायभूमि में अकेले नहीं जाना चाहिए। विचारभूमि दो प्रकार की है : कायिकीभूमि और उच्चारभूमि। इनमें रात्रि के समय अकेले जाने से अनेक दोष लगते हैं। अपवादरूप से अकेले जाने का प्रसङ्ग आनेपर विविध प्रकार की यतनाओ के सेवन का विधान किया गया है। इसी प्रकार निर्ग्रन्थी के लिए भी रात्रि के समय अकेली विचारभूमि और विहारभूमि में जाने का निषेध है।^४

आर्यक्षेत्रप्रकृतसूत्र :

इस सूत्र की व्याख्या में आचार्य ने श्रमण-श्रमणियों के विहारयोग्य क्षेत्र की मर्यादाओं का विवेचन किया है। साथ ही आर्यक्षेत्रविषयक प्रस्तुत सूत्र अथवा सम्पूर्ण कल्पाध्ययन का ज्ञान न रखनेवाले अथवा ज्ञान होते हुए भी उसका

१ गा० ३०३८-३१३८

२ गा० ३१४०

३ गा० ३१४१-३२०६-

४ गा० ३२०७-३२३९.

आचरण न करनेवाले आचार्य की अयोग्यता का दिग्दर्शन कराया है। इस प्रसङ्ग पर साँप के सिर और पूँछ का सवाद, खसद्रुमशृगाल का आख्यान, बदर और चिडिया का सवाद, वैद्यपुत्र का कथानक आदि उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। 'आर्य' पद का १ नाम, २ स्थापना, ३ द्रव्य, ४ क्षेत्र, ५ जाति, ६ कुल, ७ कर्म, ८ भाषा, ९ शिल्प, १० ज्ञान, ११ दर्शन और १२ चारित्ररूप बारह प्रकार के निक्षेपो से विचार किया है। आर्यजातियाँ छ हैं : अम्बष्ठ, कलिन्द, वैदेह, विदक, हारित और तन्तुण। आर्यकुल भी छ हैं उग्र, भोग, राजन्य, क्षत्रिय, ज्ञात—कौरव और इक्ष्वाकु। आर्यक्षेत्र के बाहर विचरने से लगनेवाले दोषो का निरूपण करते हुए स्कन्दकाचार्य का दृष्टान्त दिया गया है। ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की रक्षा और वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए आर्यक्षेत्र के बाहर विचरने के विधान की दृष्टि से सम्प्रतिराज का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।^१ यहाँ तक प्रथम उद्देश का अधिकार है।

द्वितीय उद्देश :

द्वितीय उद्देश की व्याख्या में निम्नलिखित सात प्रकार के सूत्रों का अधिकार है १ उपाश्रयप्रकृत, २ सागारिकपारिहारिकप्रकृत, ३. आहृतिका-निहृतिकाप्रकृत, ४ अशिकाप्रकृत, ५ पूज्यभवतोपकरणप्रकृत, ६ उपधिप्रकृत, ७ रजोहरणप्रकृत।^२

उपाश्रयप्रकृतसूत्रों के विवेचन में उपाश्रय के व्याघातों का विस्तृत वर्णन है। जिसमें शालि, ब्रीहि आदि सचेतन धान्यकण बिखरे हुए हों उस उपाश्रय में श्रमण-श्रमणियों के लिए थोड़े से समय के लिए रहना भी वर्जित है। बीजाकीर्ण आदि उपाश्रयों में रहने से लगने वाले दोषो और प्रायश्चित्तो का निर्देश करते हुए भाष्यकार ने तद्विषयक अपवादो और यतनाओ को ओर भी संकेत किया है। प्रसंगवशात् उत्सर्गसूत्र, आपवादिकसूत्र, उत्सर्गपवादिकसूत्र, अपवादोत्सर्गिकसूत्र, उत्सर्गोत्सर्गिकसूत्र, अपवादापवादिकसूत्र, देशसूत्र, निरवशेषसूत्र, उत्क्रमसूत्र और क्रमसूत्र का स्वरूप बताया है। आगे यह भी बताया है कि सुराविकटकुभ, शोतोदकविकटकुभ, ज्योति, दीपक, पिंड, दुग्ध, दधि, नवनीत, आगमन, विकट, वशी, वृक्ष, अभ्रावकाश आदि पदार्थों से युक्त स्थानों में रहना साधु-साध्वियों के लिए निषिद्ध है।^३

सागारिकपारिहारिकप्रकृतसूत्रों का व्याख्यान करते हुए आचार्य ने वसति के एक अथवा अनेक सागारिकों के आहार आदि के त्याग की विधि बताई है।^४

१. गा० ३२४०-३२८९

२. गा० ३२९०-३५१७

इसका नौ द्वारो से विचार किया गया है - १. सागारिकद्वार, २. क सागारिकद्वार, ३ कदा सागारिकद्वार, ४. कतिविध. सागारिकपिण्डद्वार, ५. अशय्यातरो वा कदाद्वार, ६ शय्यातर. कस्य परिहर्तव्यद्वार, ७. दोषद्वार, ८ कल्पनीयकारणद्वार ९ यतनाद्वार—पिता-पुत्रद्वार, सपत्नीद्वार, वणिग्द्वार, घटाद्वार और व्रजद्वार ।^१

आहृतिका-निहृतिकाप्रकृतसूत्रो की व्याख्या में दूसरो के यहा से आने वाली भोजन-सामग्री का दान करने वाले सागारिक और ग्रहण करने वाले श्रमण के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है ।^२

अशिकाप्रकृतसूत्र की व्याख्या में इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि जब तक सागारिक की अशिका (भाग) अलग न कर दी गई हो तब तक दूसरे का अशिकापिण्ड श्रमण के लिए अग्रहणीय है । सागारिक की अशिका का पाच प्रकार के द्वारो से वर्णन किया गया है १ क्षेयद्वार, २. यन्त्रद्वार, ३ भोज्यद्वार, ४. क्षीरद्वार और ५ मालाकारद्वार ।^३

पूज्यभवतोपकरणप्रकृतसूत्रो का विवेचन करने हुए कहा गया है कि विशिष्ट व्यक्तियों के लिए निमित्त भक्त अथवा उपकरण सागारिक स्वयं अथवा उसके परिवार का कोई मदस्य श्रमण को दे तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए ।^४

उपधिप्रकृतसूत्र की व्याख्या में जाङ्गिक, भाङ्गिक, मानक, पोतक और तिरोटपट्टक—इन पाँच प्रकार के वस्त्रो का स्वरूप, उपधि के परिभोग की विधि, उनको सख्या, अपवाद आदि पर प्रकाश डाला गया है ।^५

रजोहरणप्रकृतसूत्र की व्याख्या में औणिक, औष्ट्रिक, सानक, वच्चकचिप्पक और मुञ्जचिप्पक—इन पाच प्रकार के रजोहरणो के स्वरूप, उनके ग्रहण की विधि, क्रम और कारणो का विचार किया गया है ।^६

तृतीय उद्देश—उपाश्रयप्रवेगप्रकृतसूत्र .

प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है कि निर्ग्रन्थो को निर्ग्रन्थियो के और निर्ग्रन्थियो को निर्ग्रन्थो के उपाश्रय में शयन, आहार, विहार, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्मगं आदि करना वर्जित है । इस प्रसंग पर स्थविरादि से पूछकर अथवा विना पूछे निर्ग्रन्थियो के उपाश्रय में विना कारण जाने से आचार्यादि को लगनेवाले दोषो और औघ प्रायश्चित्तो का वर्णन किया

१. गा० ३५१८—३६१५

२. गा० ३६१६—३६४२

३. गा० ३६४३—३६५२

४. गा० ३६५३—८.

५. गा० ३६५९—३६७२.

६. गा० ३६७३—८.

गया है। किसी कारण से निर्ग्रन्थियों के उपाश्रय में प्रवेश करने का प्रसंग उपस्थित होने पर तद्विषयक आज्ञा, विधि और कारणों पर निम्नलिखित छ द्वारों से प्रकाश डाला गया है १ कारणद्वार, २ प्राधुणकद्वार, ३ गणवरद्वार, ४ महद्विकद्वार, ५ प्रच्छादनाद्वार, ६ असहिष्णुद्वार।^१

चर्मप्रकृतसूत्र .

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थीविषयक चर्मोपयोग से सम्बन्धित विषयों का विवेचन करते हुए भाष्यकार ने निर्ग्रन्थियों को सलोम चर्म के उपभोग से लगने वाले दोष और प्रायश्चित्त, तद्विषयक अपवाद, निर्ग्रन्थियों के लिए सलोम चर्म के निषेध के कारण, उत्सर्गरूप से निर्ग्रन्थों के लिए भी सलोम चर्म अकल्प्य, पुस्तकपचक, तृणपचक, द्रव्यपचकद्वय और चर्मपचक का स्वरूप, तद्विषयक दोष, प्रायश्चित्त और यतनाएँ, निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के लिए कृत्स्नचर्म अर्थात् वर्ण-प्रमाणादि से प्रतिपूर्ण चर्म के उपभोग अथवा सग्रह का निषेध, सकलकृत्स्न, प्रमाणकृत्स्न, वर्णकृत्स्न और वधनकृत्स्न का स्वरूप, तत्सम्बन्धी दोष और प्रायश्चित्त, कृत्स्नचर्म के उपभोगादि से लगने वाले दोषों का गर्व, निर्मादवृत्ता, निरपेक्ष, निर्दय, निरन्तर और भूतोपगत द्वारों से निरूपण, तत्सम्बन्धी अपवाद और यतनाएँ, वर्ण-प्रमाणादि से रहित चर्म के उपभोग और मंग्रह का विधान सकारण अकृत्स्न का उपभोग और निष्कारणक उपभोग से लगने वाले दोष और उनका प्रायश्चित्त, अकृत्स्नचर्म के अष्टादश खण्ड आदि विषयों का विवेचन किया है।^२

कृत्स्नाकृत्स्नवस्त्रप्रकृतसूत्र :

निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों के लिए कृत्स्नवस्त्र का सग्रह और उपभोग अकल्प्य है। उन्हें अकृत्स्नवस्त्र का सग्रह एव उपयोग करना चाहिए। कृत्स्नवस्त्र का निक्षेप छ. प्रकार का है - १ नामकृत्स्न, २ स्थापनाकृत्स्न, ३ द्रव्यकृत्स्न, ४ क्षेत्रकृत्स्न, ५ कालकृत्स्न और ६ भावकृत्स्न। द्रव्यकृत्स्न के दो भेद हैं : सकलकृत्स्न और प्रमाणकृत्स्न। भावकृत्स्न दो प्रकार का है : वर्णयुत भावकृत्स्न और मूल्ययुत भावकृत्स्न। वर्णयुत भावकृत्स्न के पाँच भेद हैं - कृष्ण, नील, लोहित, पीत और शुक्ल। मूल्ययुत भावकृत्स्न के तीन भेद हैं - जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। इनके लिए विविध दोष, प्रायश्चित्त और अपवाद हैं।^३

भिन्नाभिन्नवस्त्रप्रकृतसूत्र :

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के लिए अभिन्न वस्त्र का सग्रह एव उपयोग अकल्प्य है।

१. गा० ३६७९-३८०४

२ गा० ३८०५-३८७८

३ गा० ३८७९-३९१७

इसका विवेचन करते हुए आचार्य ने निम्न विषयो का व्याख्यान किया है कृत्स्न और अकृत्स्न पदो की भिन्न और अभिन्न पदो के साथ चतुर्भङ्गी, अभिन्न पद का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावदृष्टि से विचार, तद्ग्रहणमन्त्रन्धी विधि, प्रायश्चित्त आदि, भिन्न वस्त्र उपलब्ध न होने की अवस्था में अभिन्न वस्त्र का फाड़कर उपयोग करना, वस्त्र फाड़ने में लगनेवाली हिमा-अहिमा की चर्चा, द्रव्यहिमा और भावहिमा का स्वरूप, राग, द्वेष और मोह की विविधता के कारण कर्मबन्ध में न्यूनाधिकता, हिमा करने में रागादि की तीव्रता से तीव्र कर्मबन्ध और रागादि की मन्दता से मन्द कर्मबन्ध; हिंसक के ज्ञान और अज्ञान के कारण कर्मबन्ध में न्यूनाधिकता, हिंसक के क्षायिक, धायोपशमिक, औपशमिक आदि भावो की विचित्रता के कारण कर्मबन्ध का वैचित्र्य; अधिकरण की विविधता के कारण कर्मबन्ध का वैविध्य, हिंसक के देहादि बल के कारण कर्मबन्ध की विविधता; जिनकल्पिक और स्थविरकल्पिक की उपधि और उमकी सख्या, स्थविरकल्पिक के पात्रकबन्ध और रजोहरण का माप, ग्रीष्म, शिशिर और वर्षाश्रुतु की दृष्टि से पटलको की मर्या और माप, रजोहरण का स्वरूप और माप, सत्तारक, उत्तरपट्ट एव चोलपट्ट, रजोहरण की ऊनी और सूती निपत्राएँ, मुखवस्त्रिका, गोच्छरु, पात्रप्रत्युपेक्षणिका और पात्रस्थापन का माप, प्रमाणातिरिक्त उपधिमन्त्रन्धो अपवाद, न्यूनाधिक उपधि में लगने वाले दोष, वस्त्र का परिक्रम अर्थात् सन्धि, विधिपरिक्रम और अविधिपरिक्रम, विभूषा के लिए उपधि के प्रक्षालन आदि से लगने वाले दोष और प्रायश्चित्त, मूर्च्छायुक्त होकर उपधि रखने वाले को लगने वाले दोष और प्रायश्चित्त, पात्रविषयक विधि, सख्या से अधिक अथवा न्यून और माप में बड़े अथवा छोटे पात्र रखने से लगने वाले दोष और प्रायश्चित्त, पात्र का माप, तद्विषयक अपवाद; पात्र के सुलक्षण और अपलक्षण, तुम्ब, काण्ठ और मृत्पात्र तथा यथाकृत, अल्पपरिक्रम और सपरिक्रम पात्र, ग्रहण के क्रम-भग में लगने वाले दोष और प्रायश्चित्त, पात्र लाने वाले निर्ग्रन्थ की योग्यता, पात्र की याचना का समय, पात्र-याचना के दिवस, पात्र-प्राप्ति के स्थान, तन्दुलधावन, उष्णोदक आदि से भावित कल्प्य पात्र और उनके ग्रहण की विधि, पात्रग्रहणविषयक जघन्य यतना, तद्विषयक शका ममाधान, प्रमाण-युक्त पात्र की अनुपलब्धि की अवस्था में उपयोगपूर्वक पात्र का छेदन, पात्र के मुख का मान, मात्रकविषयक विधि, प्रमाण, अपवाद आदि, निर्ग्रन्थियो के लिए पचीस प्रकार की ओषोपधि, निर्ग्रन्थियो के शरीर के अधोभाग को ढकने के लिए अवग्रहानसक, पट्ट, अर्द्धोसक, चलनिका, अन्तनिवसनी और वह्निनिवसनी, ऊर्ध्वभाग को ढकने के लिए कञ्चुक, औपकक्षिकी, वैकक्षिकी, सद्घाटी और

स्कन्धकरणी, जिनकल्पिक, स्थविरकल्पिक और श्रमणियों के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट उपधि का विभाग इत्यादि ।^१

अवग्रहानन्तक-अवग्रहपट्टकप्रकृतसूत्र

निर्ग्रन्थियों को अवग्रहानन्तक और अवग्रहपट्टक नहीं रखने से अनेक दोष लगते हैं। इसके विषय में कुछ अपवाद भी हैं। निर्ग्रन्थियों को हमेशा पूरे वस्त्रों सहित विधिपूर्वक बाहर निकलना चाहिए। अविधिपूर्वक बाहर निकलने से लगने वाले दोषों का निरूपण करते हुए भाष्यकार ने नर्तकी आदि के उदाहरण दिए हैं। घणित—अपहृत निर्ग्रन्थी के परिपालन की विधि का निर्देश करते हुए उमका अवर्णवाद—अवहेलना आदि करने वाले के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया है। इसी प्रसंग पर आचार्य ने यह भी बताया है कि पुरुषससर्ग के अभाव में भी पाँच कारणों से गर्भाधान हो सकता है। वे पाँच कारण ये हैं—१ दुर्विवृत एव दुर्निवण स्त्री की योनि में पुरुषनिसृष्ट शुक्रपुद्गल किसी प्रकार प्रविष्ट हो जाएँ, २ स्त्री स्वयं एव पुत्रकामना से उन्हें अपनी योनि में प्रवेश कराएँ, ३ अन्य कोई उन्हें उसकी योनि में रख दे, ४ वस्त्र के ससर्ग से शुक्रपुद्गल स्त्री-योनि में प्रविष्ट हो जाएँ, ५ उदकाचमन से स्त्री के भीतर शुक्रपुद्गल प्रविष्ट हो जाएँ।^२

निश्राप्रकृत एव त्रिकृत्स्नप्रकृतसूत्र .

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भिक्षा के लिए गई हुई निर्ग्रन्थी को वस्त्र आदि का ग्रहण करना ही प्रवर्तिनी की निश्रा में करना चाहिए। यदि प्रवर्तिनी साथ में न हो तो उस क्षेत्र में जो आचार्य आदि हो उनकी निश्रा में करना चाहिए।^३

त्रिकृत्स्नप्रकृतसूत्र की व्याख्या में इस विधान का प्रतिपादन किया गया है कि प्रथम दीक्षा ग्रहण करने वाले श्रमण के लिए रजोहरण, गोच्छक और प्रतिग्रहरूप तीन प्रकार की उपधि का ग्रहण विहित है। यदि दीक्षा लेने वाले ने पहले भी दीक्षा ली हो तो वह नई उपधि लेकर प्रव्रजित नहीं हो सकता। इस प्रसंग पर आचार्य ने निम्न विषयों का विवेचन किया है : प्रथम दीक्षा ग्रहण करने वाले शिष्य के लिए चैत्य, आचार्य, उपाध्याय, भिक्षु आदि की पूजा-सत्कार की विधि, तद्विषयक विशोधिकोटि-अविशोधिकोटि का स्वरूप, रजोहरण, गोच्छक और प्रतिग्रहरूप त्रिकृत्स्न के क्रय के योग्य कुत्रिकापण, कुत्रिकापण वाले नगर, निर्ग्रन्थी के लिए चतु कृत्स्न उपधि इत्यादि।^४

१ गा० ३९१८-४०९९

२ गा० ४१००-४१४७.

३. गा० ४१४८-४१८८.

४. गा० ४१८९-४२३४.

समवसरणप्रकृतसूत्र

श्रमण-श्रमणियों को पयम समवसरण अर्थात् वर्षाकाल से सम्बन्धित क्षेत्र-काल में प्राप्त वस्त्रों का ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस नियम की परिपुष्टि के लिए निम्न वातों का व्याख्यान किया गया है— वर्षाऋतु में अधिक उपधि लेने की आज्ञा, उसके कारण, तत्सम्बन्धी कृष्टिणी का दृष्टान्त, वर्षाऋतुयोग्य अधिक उपकरण नहीं रखने से सम्भावित दोष, वर्षाऋतु के योग्य उपकरण, तत्सम्बन्धी अपवाद, वर्षाऋतु की कालमर्यादा, वर्षावाम के क्षेत्र से निकले हुए श्रमण-श्रमणियों के लिए वस्त्रादि ग्रहण करने की विधि, अपवाद आदि।^१

यथारत्नाधिकवस्त्रपरिभाजनप्रकृतसूत्र .

प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या में वस्त्र-विभाजन की विधि की ओर निर्देश किया गया है। इसमें बताया गया है कि यथा रत्नाधिक परिभाजन का क्या अर्थ है, क्रमभंग में क्या दोष है, गुणों के योग्य वस्त्र कौन-से हैं, रत्नाधिक कौन हैं, उनका क्या क्रम है, सम्मिलित रूप से लाए गए वस्त्रों के परिभाजन—विभाजन का क्या क्रम है, लोभी साधु के साथ वस्त्र-विभाजन के समय कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि।^२ तच्चित्त, अच्चित्त और मिश्रग्रहण का विवेचन करते हुए भाष्यकार ने बताया है कि जल, अग्नि, चोर, दुर्भिक्ष, महारण्य, श्लान, श्वापद आदि भयप्रद प्रसंगों की उपस्थिति में आचार्य, उपाध्याय, भिक्षु, क्षुल्लक और स्थविर—इन पाँच निर्ग्रन्थों तथा प्रवर्तिनी, उपाध्याया, स्थविरा, भिक्षुणी और क्षुल्लिका—इन पाँच निर्ग्रन्थियों में से किमकी किम क्रम से रक्षा करनी चाहिए।^३ इसी प्रकार यथारत्नाधिकवस्त्रादिसत्वारकपरिभाजनप्रकृतसूत्र की भी व्याख्या की गई है।^४

कृतिकर्मप्रकृतसूत्र .

कृतिकर्म दो प्रकार का है अम्युत्थान और वन्दनक। निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को पार्श्वस्थ आदि अन्यतीर्थिक, गृहस्थ, यथाच्छद आदि को देखकर अम्युत्थान नहीं करना चाहिए अर्थात् खटे नहीं होना चाहिए। आचार्यादि को आते देख कर अम्युत्थान न करनेवाले को दोष लगता है। वन्दनक कृतिकर्म का स्वरूप बताते हुए निम्नाक्त वातों की चर्चा की गई है— दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक आदि प्रतिक्रमण में आचार्य, उपाध्याय आदि को वदना न करने, वदना के पदों को न पालने तथा हीनाधिक वदनक करने में लगनेवाले दोषों का प्रायश्चित्त, वन्दनक-

१ गा० ४२३५-४३०७

२ गा० ४३०८-४३२९.

३ गा० ४३३३-४३५२

४ गा० ४३६७-४४१३

विषयक पचीस आवश्यक क्रियाएँ, अनादृत, स्तब्ध, प्रवृद्ध, परिपिण्डित, टोलगति, अकुश आदि बत्तीस दोष और उनके लिए प्रायश्चित्त, आचार्यादि को वन्दना करने की विधि, विधि का विपर्यास करनेवाले के लिए प्रायश्चित्त, आचार्य से पर्यायज्येष्ठ को आचार्य वन्दन करे या नहीं—इसका विधान, आचार्य के रत्नाधिको का स्वरूप, वन्दना किसे करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए—इसका निर्णय, श्रेणिस्थितो को वन्दना करने की विधि, व्यवहार और निश्चयनय से श्रेणिस्थितो की प्रामाणिकता को स्थापना, सयमश्रेणि का स्वरूप, अपवादरूप से पार्श्वस्थादि के साथ किन स्थानों में किस प्रकार के अम्युत्थान और वन्दनक का व्यवहार रखना चाहिए इत्यादि ।^१

अन्तरगृहस्थानादिप्रकृतसूत्र .

साधु साध्वियों के लिए घर के अन्दर अथवा दो घरों के बीच में रहना, बैठना, सोना आदि वर्जित है । इसी प्रकार अन्तरगृह में चार-पाँच गाथाओं का व्याख्यान, पच महाव्रतों का व्याख्यान आदि निषिद्ध है । खड़े-खड़े एकाध श्लोक अथवा गाथा का व्याख्यान करने में कोई दोष नहीं है । इससे अधिक गाथाओं अथवा श्लोकों का व्याख्यान करने से अनेक प्रकार के दोषों की सम्भावना रहती है अतः वैसा करना निषिद्ध है ।^२

शय्या-सस्तारकप्रकृतसूत्र :

प्रथम शय्यासस्तारकसूत्र की व्याख्या में यह बताया गया है कि शय्या और सस्तारक के परिशाटी और अपरिशाटी ये दो भेद हैं । श्रमण-श्रमणियों को माँग कर लाया हुआ शय्या-सस्तारक स्वामी को सौंप कर ही अन्यत्र विहार करना चाहिए । ऐसा न करनेवाले को अनेक दोष लगते हैं ।

द्वितीय सूत्र की व्याख्या में इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को अपने तैयार किये हुए शय्या-सस्तारक को बिखेर कर ही अन्यत्र विहार करना चाहिए ।

तृतीय सूत्र के व्याख्यान में इस बात पर जोर दिया गया है कि शय्या-सस्तारक को चोरी हो जाने पर साधु-साध्वियों को उसकी खोज करनी चाहिए । खोज करने पर मिल जाने पर उसी स्वामी को वापिस सौंपना चाहिए । न मिलने पर दूसरी बार याचना करके नया शय्या-सस्तारक जुटाना चाहिए । सस्तारक आदि चुरा न लिये जाएँ इसके लिए उपाश्रय को सूना नहीं छोड़ना चाहिए । सावधानी रखने पर भी उपकरण आदि की चोरी हो जाने पर उन्हें ढूँढने के लिए राजपुरुषों को विधिपूर्वक समझाना चाहिए ।^३

१. गा० ४४१४-४५५३. २ गा० ४५५४-४५९७. ३. गा० ४५९८-४६४९.

सार्धमिकावग्रहप्रकृतसूत्र :

जिस दिन श्रमणो ने अपनी वसति और सस्तारक का त्याग किया हो उसी दिन यदि दूसरे श्रमण वहाँ आ जायें तो भी एक दिन तक पहले के श्रमणो का ही अवग्रह बना रहता है । प्रस्तुत सूत्र-विवेचन में शैक्षविषयक अवग्रह का भी विचार किया गया है । वास्तव्य और वाताहत—आगन्तुक शैक्ष का अव्याघात आदि ग्यारह द्वारो से वर्णन किया गया है । साथ ही अवस्थितावग्रह, अनवस्थितावग्रह, राजावग्रह आदि का स्वरूप-वर्णन भी किया गया है ।^१

सेनादिप्रकृतसूत्र :

परचक्र, अशिव, अवमौदर्य, बोधिकस्तेनभय आदि की सभावना होने पर निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियो को पहले से ही उस क्षेत्र से बाहर निकल जाना चाहिए । वैसा न करने से अनेक प्रकार के दोष लगते हैं । परचक्रागमन और नगररोध की स्थिति में वहाँ से न निकल सकने की दशा में भिक्षा, भक्तार्थना, वसति, स्थण्डिल और शरीरविवेचन सम्बन्धी विविध यतनाओ का सेवन करना चाहिए ।^२

श्रमण-श्रमणियो को चारों दिशा-विदिशाओ में सवा योजन का अवग्रह लेकर ग्राम, नगर आदि में रहना चाहिए । इस प्रसंग पर भाष्यकार ने सव्याघात और निर्व्याघात क्षेत्र, क्षेत्रिक और अक्षेत्रिक, आभाव्य और अनाभाव्य, अचल और चल क्षेत्र, व्रजिका, सार्य, सेना, सर्वत आदि का स्वरूप बताया है और एतत्सम्बन्धी अवग्रह को मर्यादा का निर्देश किया है ।^३

चतुर्थ उद्देश :

इस उद्देश में अनुद्घातिक आदि से सम्बन्ध रखनेवाले सोलह प्रकार के सूत्र हैं । भाष्यकार ने जिन विषयो का इनकी व्याख्या में समावेश किया है उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है —

१ अनुद्घातिकप्रकृतसूत्र—इसकी व्याख्या में यह बताया गया है कि हस्तकर्म, मैथुन और रात्रिभोजन अनुद्घातिक अर्थात् गुरु प्रायश्चित्त के योग्य हैं । हस्तकर्म का स्वरूप वर्णन करते हुए असकिलष्ट भावहस्तकर्म के छेदन, भेदन, घर्षण, पेपण अभिघात, स्नेह, काय और क्षाररूप आठ भेद बताये गए हैं । मैथुन का स्वरूप बताते हुए देव, मनुष्य और तिर्यञ्चसम्बन्धी मैथुन की ओर निर्देश किया गया है और बताया गया है कि मैथुनभाव रागादि से रहित नहीं होता अतः उसके लिए किसी प्रकार के अपवाद का विधान नहीं किया गया है । रात्रिभोजन का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने तत्सम्बन्धी अपवाद, यतनाएँ, प्रायश्चित्त आदि का निरूपण किया है ।^४

१ गा० ४६५०-४७९४.

२. गा० ४७९५-४८३९.

३. गा० ४८४०-४८७६.

४. गा० ४८७७-४९६८.

२ पाराञ्चिकप्रकृतसूत्र—दुष्ट, प्रमत्त और अन्योन्यकारक पाराञ्चिक प्रायश्चित्त के योग्य हैं। पाराञ्चिक के आशातनापाराञ्चिक और प्रतिसेवनापाराञ्चिक ये दो भेद हैं। आशातनापाराञ्चिक का सम्बन्ध १. तीर्थंकर, २ प्रवचन, ३. श्रुत, ४. आचार्य, ५. गणधर और ६ महद्दिक से है। प्रतिसेवनापाराञ्चिक के तीन भेद हैं : दुष्ट, प्रमत्त और अन्योन्यकारक। दुष्टपाराञ्चिक दो प्रकार का है - कपायदुष्ट और विषयदुष्ट। प्रमाद पाँच प्रकार का है : कपाय, विकथा, विकट, इन्द्रियाँ और निद्रा। प्रस्तुत अधिकार स्त्यानद्धि निद्रा का है। अन्योन्यकारक-पाराञ्चिक का उपाश्रय, कुल, निवेशन, लिंग, तप, काल आदि दृष्टियों से विचार किया गया है।^१

३. अनवस्थाप्यप्रकृतसूत्र—अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त के योग्य तीन प्रकार के अपराध हैं - साधमिकस्तैन्य, अन्यधामिकस्तैन्य और हस्ताताल। साधमिकस्तैन्य का निम्न द्वारो से विचार किया गया है - १. साधमिकोपघिस्तैन्य, २ व्यापारणा, ३. ध्यामना, ४ प्रस्थापना, ५ शैक्ष, ६. आहारविधि। अन्यधामिकस्तैन्य का प्रव्रजितान्यधामिकस्तैन्य और गृहस्थान्यधामिकस्तैन्य की दृष्टि से विवेचन किया गया है। हस्ताताल का अर्थ है हस्त, खड्ग आदि से आताडन। हस्ताताल के स्वरूप के साथ ही आचार्य ने हस्तालम्ब और अर्थादान का स्वरूप भी बताया है।^२

४ प्रव्राजनादिप्रकृतसूत्र—पडक, क्लीब और वातिक प्रव्रज्या के लिए अयोग्य है। पडक के सामान्यतया छ. लक्षण हैं : १. महिलास्वभाव, २. स्वर-भेद, ३ वर्णभेद, ४ महन्भेद—प्रलम्ब अङ्गादान, ५ मृदुवाक्, ६ सशब्द और अफेनक मूत्र। पडक के दो भेद हैं : दूषितपडक और उपघातपडक। दूषितपडक के पुन. दो भेद हैं : आसिक्त और उपसिक्त। उपघातपडक के भी दो भेद हैं - वेदोपघातपडक और उपकरणोपघातपडक। वेदोपघातपडक का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने हेमकुमार का उदाहरण दिया है तथा उपकरणोपघातपडक का वर्णन करते हुए एक ही जन्म में पुरुष, स्त्री और नपुंसक वेद का अनुभव करनेवाले कपिल का दृष्टान्त दिया है। मैथुन के विचार मात्र से जिसके अगादान में विकार उत्पन्न हो जाता है तथा बीजबिन्दु गिरने लग जाते हैं वह क्लीब है। महामोहकर्म का उदय होने पर ऐसा होता है। सनिमित्तक अथवा अनिमित्तक मोहोदय से किसी के प्रति विकार उत्पन्न होने पर जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मानसिक स्थिरता नहीं रहती। इसी को वातिक कहते हैं। अपवादरूप से पडक आदि को दीक्षा दी जा सकती है किन्तु उनके रहन-सहन आदि की-

विशेष व्यवस्था करनी पडती है। पडक, क्लीव और वातिक जैसे प्रव्रज्या के लिए अयोग्य है वैसे ही मुडन, शिक्षा, उपस्थापना, सहभोजन, सहवास आदि के लिए भी अनुपयुक्त है।^१

५ वाचनाप्रकृतसूत्र—अविनीत, विकृतिप्रतिबद्ध और अव्यवशमितप्राभृत वाचना के अयोग्य है। इसके विपरीत विनीत, विकृतिहीन और उपशान्तकषाय वाचना के योग्य है।^२

६ सज्ञाप्यप्रकृतसूत्र—दुष्ट, मूढ और व्युद्ग्राहित उपदेश आदि के अनधिकारी है। अदुष्ट, अमूढ और अव्युद्ग्राहित उपदेश आदि के वास्तविक अविकारी है।^३

७ ग्लानप्रकृतसूत्र—निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियां रूग्णावस्था में हो उस समय उनकी विविध यतनाओं के साथ सेवा करनी चाहिए।^४

८ काल-क्षेत्रातिक्रान्तप्रकृतसूत्र—निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के लिए कालातिक्रान्त तथा क्षेत्रातिक्रान्त अशनादि अकल्प्य है। जिनकल्पिक और स्थविरकल्पिक के लिए कालातिक्रान्त और क्षेत्रातिक्रान्त की भिन्न-भिन्न मर्यादाएँ हैं।^५

९ अनेपणीयप्रकृतसूत्र—भिक्षाचर्या में कदाचित् अनेपणीय—अशुद्ध स्निग्ध अशनादि ले लिया गया हो तो उसे अनुपस्थापित (अनारोपितमहाव्रत) शिष्य को दे देना चाहिए। यदि कोई वैसा शिष्य न हो तो उसका प्राणुक भूमि में विसर्जन कर देना चाहिए।^६

१० कल्पाकल्पस्थितप्रकृतसूत्र—जो अशनादि कल्पस्थित श्रमणों के लिए कल्प्य है वह अकल्पस्थित श्रमणों के लिए अकल्प्य है। इसी प्रकार जो अशनादि अकल्पस्थित श्रमणों के लिए कल्प्य है वह कल्पस्थित श्रमणों के लिए अकल्प्य है।^७

११ गणान्तरोपसम्पत्प्रकृतसूत्र—किसी भी निर्ग्रन्थ को किसी कारण से अन्य गण में उपसम्पदा ग्रहण करनी हो तो आचार्य आदि से पूछकर ही वैसा करना चाहिए। ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की वृद्धि के लिए ही गणान्तरोपसम्पदा स्वीकार की जाती है। ज्ञानोपसम्पदा, दर्शनोपसम्पदा और चारित्र्योपसम्पदा के विभिन्न विधियाँ हैं।^८

१२ विष्वग्भवनप्रकृतसूत्र—इसमें मृत्युप्राप्त भिक्षु परिष्ठापना का विचार किया गया है। इसके लिए ११।।

१ गा० ५१३८-५१९६ २ गा० ५१९७-५२१०

४ गा० ५२३६-५२६२ ५ गा० ५२६३-५३

७ गा० ५३३९ ३६१ ८. गा० ५३६२

लिया गया है १. प्रत्युपेक्षणाद्वार, २. दिग्द्वार, ३. णन्तकद्वार, ४. कालगत-द्वार, ५. जागरण-चन्द्रन-छेदनद्वार. ६. कुशप्रतिमाद्वार, ७. निवर्तनद्वार, ८. मात्रकद्वार, ९. शीर्षद्वार, १०. तृणादिद्वार, ११. उपकरणद्वार, १२. कायोत्सर्ग-द्वार, १३. प्रादक्षिण्यद्वार, १४. अभ्युत्थानद्वार, १५. व्याहरणद्वार, १६. परिष्ठापक-कायोत्सर्गद्वार, १७. क्षपण-स्वाध्यायमार्गणाद्वार, १८. व्युत्सर्जनद्वार, १९. अवलोकनद्वार ।^१

१३. अधिकरणप्रकृतसूत्र—भिक्षु का गृहस्थ के साथ अधिकरण—क्षगडा हो गया हो तो उसे शान्त किए बिना भिक्षाचर्या आदि करना अकल्प्य है ।^२

१४. परिहारिकप्रकृतसूत्र—परिहारतप में स्थित भिक्षु को इन्द्रमहादि उत्सवों के दिन विपुल भक्त-पानादि दिया जा सकता है । वाद में नहीं । उनकी अन्य प्रकार की सेवा तो वाद में भी की जा सकती है ।^३

१५. महानदीप्रकृतसूत्र—निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को गंगा, यमुना, सरयू, कोशिका, मही आदि महानदियों को महीने में एक से अधिक बार पार नहीं करना चाहिए । ऐरावती आदि कम गहरी नदियाँ महीने में दो-तीन बार पार की जा सकती हैं । नदी पार करने के लिए सक्रम, स्थल और नोस्थल—इस प्रकार तीन तरह के मार्ग बताये गये हैं ।^४

१६. उपाश्रयविधिप्रकृतसूत्र—इन सूत्रों की व्याख्या में निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के लिए वर्षाऋतु एवं अन्य ऋतुओं में रहने योग्य उपाश्रयों का वर्णन किया गया है ।^५

पचम उद्देश :

इस उद्देश में ब्रह्मापाय आदि ग्यारह प्रकार के सूत्र हैं । भाष्यकार ने इन सूत्रों की व्याख्या में निम्न विषयों का समावेश किया है —

१. ब्रह्मापायप्रकृतसूत्र—गच्छसम्बन्धी शास्त्र-स्मरणविषयक व्याघातों का घर्मकथा, महर्द्धिक, आवश्यकी, नैषेधिकी, आलोचना, वादो, प्राघूर्णक, महाजन, ग्लान आदि द्वारों से निरूपण, शास्त्रस्मरण के लिए गुरु की आज्ञा, गच्छवास के गुणों का वर्णन ।^६

२. अधिकरणप्रकृतसूत्र—अधिकरण—क्लेश को शान्त न करते हुए स्वर्गण को छोड़कर अन्य गण में जाने वाले भिक्षु, उपाध्याय, आचार्य आदि से सम्बन्धित प्रायश्चित्त, क्लेश के कारण गच्छ का त्याग न करते हुए क्लेशयुक्त चित्त

१. गा० ५४९७-५५६५. २. गा० ५५६६-५५९३. ३. गा० ५५९४-५६१७.
४. गा० ५६१८-५६६४. ५. गा० ५६६५-५६८१. ६. गा० ५६८२-५७२५.

क्षे गच्छ में रहने वाले भिक्षु आदि को शान्त करने की विधि, शान्त न होने वाले को लगने वाले दोष, प्रायश्चित्त आदि ।^१

३ सस्तृतनिर्विचिकित्सप्रकृतसूत्र—सशक्त अथवा अशक्त भिक्षु आदि सूर्य के उदय और अस्ताभाव के प्रति निःशंक होकर आहार आदि ग्रहण करते हो और बाद में ऐसा मालूम हो कि सूर्योदय हुआ ही नहीं है अथवा सूर्यास्त हो गया है । ऐसी दशा में आहार आदि का त्याग कर देने पर उनकी रात्रि-भोजनविरति अखण्डित ही रहती है । जो सूर्योदय और सूर्यास्त के प्रति शकाशील होकर आहारादि ग्रहण करते हैं उनकी रात्रिभोजनविरति खण्डित होती है—इस सिद्धान्त का प्रतिपादन ।^२

४ उद्गारप्रकृतसूत्र—भिक्षु, आचार्य आदि सम्बन्धी उद्गार—व्रमनादि विषयक दोष, प्रायश्चित्त आदि, उद्गार के कारण, उद्गार की दृष्टि से भोजन विषयक विविध आदेश, तद्विषयक अपवाद आदि ।^३

५ आहारविधिप्रकृतसूत्र—जिस प्रदेश में आहार, जल आदि जीवादि से ससक्त ही मिलते हो उस प्रदेश में जाने का विचार, प्रयत्न आदि करने से लगने वाले दोष, प्रायश्चित्त आदि, अशिव, दुर्भिक्ष आदि कारणों से ऐसे प्रदेश में जाने का प्रसंग आने पर तद्विषयक विविध यतनाएँ ।^४

६ पानकविधिप्रकृतसूत्र—पानक अर्थात् पानी के ग्रहण की विधि, उसके परिष्ठापन की विधि, तद्विषयक अपवाद आदि ।^५

७ ब्रह्मरक्षाप्रकृतसूत्र—पशु-पक्षी के स्पर्श आदि से सभावित दोष, प्रायश्चित्त आदि, अकेली रहने वाली निर्ग्रन्थी को लगने वाले दोष, प्रायश्चित्त, अपवाद आदि, नग्न निर्ग्रन्थी को लगने वाले दोष आदि, पात्ररहित निर्ग्रन्थी को लगने वाले दोष आदि, निर्ग्रन्थी के लिए व्युत्सृष्ट काय की अकल्प्यता, निर्ग्रन्थी के लिए ग्राम, नगर आदि के बाहर आतापना लेने का निषेध, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट आतापना का स्वरूप, निर्ग्रन्थी के लिए उपयुक्त आतापनाएँ, स्थानायत, प्रतिमास्थित, निषद्या, उत्कटिकासन, वीरासन, दण्डासन, लगण्डशायी, अवा-द्दमुख, उत्तान, आम्रकुब्ज, एकपार्श्वशायी आदि आसनो का स्वरूप और निर्ग्रन्थियों के लिए तद्विषयक विधि-निषेध, निर्ग्रन्थियों के लिए आकुंचनपट्ट के उपयोग का निषेध, निर्ग्रन्थियों के लिए सावश्रय आसन, सविषाण पीठफलक, सवृन्त अलावु, सवृन्त पात्रकेसरिका और दारुदण्डक के उपयोग का प्रतिषेध ।^६

१ गा० ५७२६-५७८३

२ गा० ५७८४-५८२८.

३ गा० ५८२९-५८६०

४ गा० ५८६१-५८९६

५. गा० ५८९७-५९१८

६ गा० ५९१९-५९७५.

८ मोकप्रकृतसूत्र—निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियो के लिए परस्पर मोक के आचमन आदि का निषेध ।^१

९ परिवासितप्रकृतसूत्र—परिवासित आहार का स्वरूप, परिवासित आहार और अनाहार विषयक दोष, अपवाद आदि, परिवासित आलेपनद्रव्य के उपयोग का निषेध, परिवासित तेल आदि से अभ्यगन आदि करने का निषेध ।^२

१० व्यवहारप्रकृतसूत्र—परिहारकल्पस्थित भिक्षु को लगने वाले कारण-जन्य अतिक्रमादि दोष और उनका प्रायश्चित्त आदि ।^३

११ पुलाकभक्तप्रकृतसूत्र—धान्यपुलाक, गधपुलाक और रमपुलाक का स्वरूप, पुलाकभक्तविषयक दोषों का वर्णन, निर्ग्रन्थियों के लिए पुलाकभक्त का निषेध ।^४

षष्ठ उद्देश :

इस उद्देश में वचन आदि से सम्बन्धित सात प्रकार के सूत्र हैं । भाष्यकार सघदासगणि क्षमाश्रमण ने इन सूत्रों की व्याख्या में जिन विषयों पर प्रकाश डाला है उनका क्रमशः परिचय इस प्रकार है —

१ वचनप्रकृतसूत्र—निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को अलोक, हीलित, खिसित, पुरुष, अगारस्थित और व्यवशमितोदीरण वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए । इन्हें अवचन अर्थात् दुर्वचन कहा गया है । अलोक वचन के निम्नलिखित सत्रह स्थान हैं . १ प्रचला, २ आर्द्र, ३ मरुक, ४ प्रत्याख्यान, ५ गमन, ६ पर्याय, ७ समुद्देश, ८ सखडी, ९ क्षुल्लक, १० पारिहारिक, ११ घोटकमुखी, १२ अवश्यगमन, १३ दिग्विषय, १४ एककुलगमन, १५ एकद्रव्यग्रहण, १६ गमन, १७. भोजन ।^५

२. प्रस्तारप्रकृतसूत्र—इस सूत्र की व्याख्या में प्राणवधवाद, मृषावाद, अदत्तादानवाद, अविरतिवाद, अपुरुषवाद और दासवादविषयक प्रायश्चित्तों के प्रस्तारो—रचना के विविध प्रकारों का निरूपण किया गया है । साथ ही प्रस्तारो-विषयक अपवादों का भी विधान किया गया है ।^६

३. कण्टकाद्युद्धरणप्रकृतसूत्र—इम प्रमग पर निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थीविषयक कटक

१. गा० ५९७६-५९९६

२. गा० ५९९७-६०३२

३. गा० ६०३३-६०४६.

४. गा० ६०४७-६०५९

५. गा० ६०६०-६१२८.

६ गा० ६१२९-६१६२.

आदि के उद्धरण से सम्बन्धित उत्सर्गमार्गं, विपर्यामजन्य दोष, प्रायश्चित्त, अपवाद, यतनाएँ आदि बातों का विचार किया गया है।^१

४ दुर्गप्रकृतसूत्र—इस प्रसंग पर यह बताया गया है कि धमण-श्रमणियों को दुर्ग अर्थात् विषम मार्ग से नहीं जाना चाहिये। इसी प्रकार पक आदि वाले मार्ग से भी नहीं जाना चाहिए।^२

५ क्षिप्तचित्तादिप्रकृतसूत्र—विविध कारणों से क्षिप्तचित्त हुई निर्ग्रन्थी को समझाने का क्या मार्ग है, क्षिप्तचित्त निर्ग्रन्थी की देख-रेख की क्या विधि है, दोषचित्त होने के क्या कारण हैं, दोषचित्त श्रमणी के लिए किन यतनाओं का परिपालन आवश्यक है—आदि प्रश्नों का विचार करते हुए आचार्य ने उन्माद, उपमगं, अधिकरण—फलेदा, प्रायश्चित्त, भक्तपान, अर्थाजात आदि विषयों की दृष्टि में निर्ग्रन्थीविषयक विधि-निषेधों का विवेचन किया है।^३

६ परिमन्यप्रकृतसूत्र—साधुओं के लिए छ' प्रकार के परिमन्य अर्थात् व्याघात माने गए हैं १ कौकुकिक, २ मोरारिक, ३ चञ्चुल्ल, ४ तित्ति-जिक, ५ इच्छालोभ, ६ भिज्जानिदानकरण। प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या में इन परिमन्यो के स्वरूप, दोष, अपवाद आदि का विचार किया गया है।^४

७ कल्पस्थितिप्रकृतसूत्र—इस सूत्र का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार ने निम्नलिखित छ प्रकार की कल्पस्थितियों का वर्णन किया है। १. सामायिक-कल्पस्थिति, २ छेदोपस्थापनीयकल्पस्थिति, ३ निविशमानकल्पस्थिति, ४ निविष्टकायिककल्पस्थिति, ५ जिनकल्पस्थिति, ६ स्थविरकल्पस्थिति। छेदोपस्थापनीय-कल्पस्थिति का दम स्थानों द्वारा निरूपण किया है १. आचेलव्यकल्पद्वार—अचेलक का स्वरूप, अचेलक-सचेलक का विभाग, वस्त्रों का स्वरूप आदि, २. औद्देशिककल्पद्वार, ३ श्याातरपिण्डकल्पद्वार, ४ राजपिण्डकल्पद्वार—राजा का स्वरूप, आठ प्रकार के राजपिण्ड आदि, ५. कृतिकल्पद्वार, ६ व्रत-कल्पद्वार—पचव्रतात्मक और चतुर्व्रतात्मक घर्म की व्यवस्था, ७. ज्येष्ठकल्पद्वार, ८. प्रतिक्रमणकल्पद्वार, ९ मासकल्पद्वार, १० पयु'पणाकल्पद्वार। वृहत्कल्प सूत्र के प्रस्तुत भाष्य की समाप्ति करते हुए आचार्य ने कल्पाध्ययन शास्त्र के अधिकारी और अनधिकारी का संक्षिप्त निरूपण किया है।^५

वृहत्कल्प-लघुभाष्य के इस सारग्राही संक्षिप्त परिचय से स्पष्ट है कि इसमें जैन साधुओं—मुनियों—श्रमणों—निर्ग्रन्थों—भिक्षुओं के आचार-विचार का अत्यन्त सूक्ष्म एवं सतर्क विवेचन किया गया है। विवेचन के कुछ स्थल ऐसे भी हैं जिनका

१. गा० ६१६३-६१८१. २. गा० ६१८२-६१९३. ३. गा० ६१९४-६३१०. ४. गा० ६३११-६३४८. ५. गा० ६३४९-६४९०

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अच्छा अव्ययन हो सकता है। तत्कालीन भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री का भी इसमें बाहुल्य है। इन सब दृष्टियों से प्रस्तुत भाष्य का भारतीय साहित्य के इतिहास में निःसन्देह एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। जैन साहित्य के इतिहास के लिए इसका महत्त्व और भी महान् है, यह कहने की आवश्यकता नहीं। संघदासगणि क्षमाश्रमण का भारतीय साहित्य पर और विशेषकर जैन साहित्य पर महान् उपकार है कि जिन्होंने जैन आचार पर इस प्रकार के समृद्ध, सुव्यवस्थित एवं सर्वांगसुन्दर ग्रंथ का निर्माण किया।



पंचम प्रकरण

व्यवहारभाष्य

व्यवहार सूत्र भी बृहत्कल्प सूत्र की ही भाँति साधु-साध्वियों के आचार से सम्बन्ध रखता है। इसमें दस उद्देश है। इन उद्देशों में आलोचना, प्रायश्चित्त, गच्छ, पदवी, विहार, मृत्यु, उपाश्रय, उपकरण, प्रतिमाएँ आदि विषयों का वर्णन किया है। प्रस्तुत भाष्य^१ इन्हीं विषयों पर विशेष प्रकाश डालता है। व्यवहारभाष्य के कर्तृत्व के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। बृहत्कल्प-लघुभाष्य का परिचय देते समय हमने जैन श्रमणों के आचार सम्बन्धी नियमों पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। व्यवहारभाष्य के परिचय में उन्हीं विषयों की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा जिनका विशेष विवेचन बृहत्कल्प के भाष्य में नहीं किया गया है।

पीठिका

बृहत्कल्पभाष्यकार की भाँति व्यवहारभाष्यकार ने भी अपने भाष्य के प्रारम्भ में पीठिका दी है। पीठिका में सर्वप्रथम व्यवहार, व्यवहारी और व्यवहर्तव्य का निक्षेप-पद्धति से स्वरूप वर्णन किया गया है। जो स्वयं व्यवहार से अभिज्ञ है वह गीतार्थ है। जिसे व्यवहार का कोई ज्ञान नहीं है वह अगीतार्थ है। अगीतार्थ के साथ पुरुष को व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि यथोचित व्यवहार करने पर भी वह यही समझेगा कि भेरे साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। अतः गीतार्थ के साथ ही व्यवहार करना चाहिए।^२

व्यवहार आदि में दोषों की सम्भावना रहती है अतः उनके लिए प्रायश्चित्तों का भी विधान किया जाता है। इसी तथ्य को दृष्टि में रखते हुए भाष्यकार ने प्रायश्चित्त का अर्थ, भेद, निमित्त, अध्ययनविशेष, तदहंपदं आदि दृष्टियों से विवेचन किया है।^३ प्रस्तुत भाष्य में प्रायश्चित्त का ठीक वही अर्थ

१ नियुक्ति-भाष्य-मलयगिरिविवरणसहित 'संशोधक-भुनि माणिक, प्रकाशक-केशवलाल प्रेमचन्द मोदी व त्रिकमलाल उगरचन्द, अहमदाबाद, वि० स० १९८२-५

२ प्रथम विभाग गा० २७.

३ गा० ३४.

किया गया है जो जीतकल्पभाष्य में उपलब्ध है।^१ प्रतिसेवना, सयोजना, आरोपणा और परिकुञ्चना—इन चारों के लिए चार प्रकार के प्रायश्चित्त बताये गये हैं।^२ प्रतिसेवना आदि के स्वरूप तथा तत्सम्बन्धी प्रायश्चित्तों का अनेक प्रकार के भेद-प्रभेदों के साथ विचार किया गया है। बृहत्कल्पभाष्यकार की भाँति व्यवहार-भाष्यकार ने भी अनेक बातों का दृष्टान्तपूर्वक स्पष्टीकरण किया है।^३

प्रथम उद्देश

पीठिका की समाप्ति के बाद आचार्य सूत्र-स्पर्शिक नियुक्ति का व्याख्यान प्रारम्भ करते हैं। प्रलम्ब आदि के सम्बन्ध में आचार्य ने सकेत किया है कि कल्प नामक अध्ययन में जिस प्रकार इनका निषेध किया गया है उसी प्रकार यहाँ भी समझ लेना चाहिए।^४ प्रथम सूत्र में आने वाले 'भिक्षु' शब्द का नाम, स्थापना, द्रव्य और भावदृष्टि से विचार किया गया है।^५ 'मास' शब्द का नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावनिक्षेप से प्ररूपण किया गया है और बताया गया है कि प्रस्तुत अधिकार कालमास का है।^६ 'परिहार' शब्द का निम्न दृष्टियों से विवेचन किया गया है . १. नाम, २ स्थापना, ३ द्रव्य, ४ परिहार, ५ परिहरण, ६ वर्जन, ७ अनुग्रह, ८ आपन्न ९ शुद्ध।^७ इसी प्रकार 'स्थान', 'प्रतिसेवना', 'आलोचना' आदि पदों की व्याख्या की गई है। आलोचना की विधि की ओर निर्देश करते हुए आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक छोटा बालक अपने माता-पिता के सामने सरल भाव से अपने मन की सब बातें रख देता है उसी प्रकार आलोचक को भी सरल भाव से अपने गुरु के समक्ष अपने प्रत्येक प्रकार के अपराध को रख देना चाहिए। ऐसा करने से उसमें आजर्ब, विनय, निर्मलता, निःशयता आदि अनेक गुणों की वृद्धि होती है।^८ प्रायश्चित्त के विविध विधानों की ओर सकेत करते हुए इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि कपटपूर्वक आलोचना करनेवाले के लिए कठोर प्रायश्चित्त का आदेश है।

१. पाव छिदइ जम्हा, पायच्छित्त तु भन्नए तेण ।

पाएण वा वि चित्त, विसोहए तेण पच्छित्त ॥

—व्यवहारभाष्य, ३५-

पाव छिदति जम्हा, पायच्छित्त ति भण्णते तेण ।

पायेण वा वि चित्त, सोहयई तेण पच्छित्त ॥

—जीतकल्पभाष्य, ५.

२ गा० ३६. ३. गा० ३७-१८४. ४. द्वितीय विभाग : गा० २ ५. गा०

३-१२. ६. गा० १३-२६. ७. गा० २७-९. ८. गा० १३४.

मासिकादि प्रायश्चित्त का सेवन करते हुए प्रायश्चित्त में वृद्धि-हानि क्यों होती है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि इस वृद्धि-हानि का कारण सर्वज्ञो ने राग-द्वेष-हर्ष आदि अध्यवसायो की मात्रा बताया है ।^१

अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार—इन चार प्रकार के आघा-कर्मादि विषयक अतिचारो के लिए भिन्न-भिन्न प्रायश्चित्तो का विधान है । अति-क्रम के लिए मासगुरु, व्यतिक्रम के लिए मासगुरु और काललघु, अतिचार के लिए तपोगुरु और कालगुरु और अनाचार के लिए चतुर्गुरु प्रायश्चित्त हैं । ये सब प्रायश्चित्तस्थविरकल्पिको की दृष्टि से हैं । जिनकल्पिको के लिए भी इनका विधान है किन्तु प्राय वे इन अतिचारो का सेवन नहीं करते ।^२

किस प्रकार के दोष के लिए किस प्रकार के प्रायश्चित्त का विधान किया जाता है, इसे समझाने के लिए भाष्यकार ने वातादि रोग की उपशान्ति के लिए प्रयुज्यमान घृतकुट के चार भंगो का दृष्टांत दिया है । ये चार भंग इस प्रकार हैं : कभी एक घृतकुट से एक रोग का नाश होता है, कभी एक घृतकुट से अनेक रोगो का नाश होता है, कभी अनेक घृतकुटो से एक रोग दूर होता है और कभी अनेक घृतकुटो से अनेक रोग नष्ट हो जाते हैं । इसी प्रकार विविध दोषो के लिए विविध प्रायश्चित्तो का विधान किया जाता है ।^३ मूलगुण और उत्तरगुण के सम्बन्ध की चर्चा करते हुए आचार्य ने बताया है कि एक की रक्षा एव परिवृद्धि के लिए दूसरे का परिपालन आवश्यक है । यही कारण है कि दोनो प्रकार के गुणो के दोषो की परिशुद्धि के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया गया है और बताया गया है कि दोनो की शुद्धि से ही चारित्र्य शुद्ध रहता है ।^४

उत्तरगुणो की सख्या की ओर अपना ध्यान खींचते हुए भाष्यकार कहते हैं कि पिण्डविशुद्धि, ममिति, भावना, तप, प्रतिमा और अभिग्रह उत्तरगुणान्तर्गत हैं । इनके क्रमशः बयालीस, आठ, पचीस, बारह, बारह और चार भेद हैं ।^५ प्रायश्चित्त करने वाले पुरुष दो प्रकार के होते हैं . निर्गत और वर्तमान । जो तपोर्ह प्राय-श्चित्त से अतिक्रान्त हो चुके होते हैं उन्हें निर्गत कहते हैं तथा जो उसमें विद्यमान होते हैं उन्हें वर्तमान कहते हैं । वर्तमान के पुनः दो भेद हैं : सचयित और असचयित । ये दोनो पुनः दो-दो प्रकार के हैं : उद्घात और अनुद्घात । निर्गत तप से तो निकल जाते हैं किन्तु छेदादि प्रायश्चित्तो में विद्यमान रहते हैं । सचायित, असचयित प्रायश्चित्त के लिए यथावसर एक मास से छ मास तक की प्रस्थापना होती है जबकि सचयित प्रायश्चित्त के लिए नियमत छ मास की प्रस्थापना-होती है ।^६

१. गा० १६६.

२ गा० २५१-३

३. गा० २५७-२६२.

४ गा० २८१-८

५. गा० २८९-२९०.

६. गा० २९१-४.

प्रायश्चित्ताहं अर्थात् प्रायश्चित्त के योग्य पुरुष चार प्रकार के होते हैं : उभयतर, आत्मतर, परतर और अन्यतर । जो पुरुष तप करता हुआ दूसरों की सेवा भी कर सकता हो वह उभयतर है । जो केवल तप ही कर सकता है वह आत्मतर है । जो केवल आचार्य आदि की सेवा ही कर सकता है वह परतर है । जो तप और सेवा इन दोनों में से एक समय में किसी एक का ही सेवन कर सकता हो वह अन्यतर है ।^१

निकाचना आदि प्रायश्चित्तों का वर्णन करते हुए इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि निकाचना वस्तुतः आलोचना ही है । आलोचना आलोचनाहं और आलोचक के बिना नहीं होती अतः आलोचनाहं और आलोचक का विवेचन करना चाहिए । आलोचनाहं निरपलापी होता है तथा निम्नलिखित आठ विशेषणों से युक्त होता है : आचारवान्, आधारवान्, व्यवहारवान्, अपत्रोडक, प्रकुर्वी, निर्यापक, अपायदर्शी और अपरिश्रावी । आलोचक निम्नलिखित दस विशेषणों से युक्त होता है : जातिसम्पन्न, कुलसम्पन्न, विनयसम्पन्न, ज्ञानसम्पन्न, दर्शनसम्पन्न, चरणसम्पन्न, क्षान्त, दान्त, अमायी, और अपश्चात्तापी ।^२ इसी प्रकार भाष्यकार ने आलोचना के दोष, तद्विषयभूत द्रव्यादि, प्रायश्चित्तदान की विधि आदि का भी विवेचन किया है ।^३

परिहार आदि तपो का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने तपसहभावी सेवा—वैयावृत्य का स्वरूप-वर्णन किया है । वैयावृत्य के तीन भेद हैं : अनुशिष्टि, उपा-लम्भ और अनुग्रह । इन तीनों में से प्रत्येक के पुनः तीन भेद हैं : आत्मविषयक, परविषयक और उभयविषयक ।^४ इनका स्वरूप समझाने के लिए सुभद्रा, मृगावती आदि के उदाहरण भी दिये गये हैं ।

मूल सूत्र में आने वाले 'पट्ठव'—'प्रस्थापना' शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य कहते हैं कि प्रायश्चित्तप्रस्थापना दो प्रकार की होती है एक और अनेक । सचयित प्रायश्चित्तप्रस्थापना नियमतः षाण्मासिकी होती है अतः वह एक प्रकार की ही है । शेष अनेक प्रकार की है ।^५

'आरोपणा' पाँच प्रकार की है . प्रस्थापनिका, स्थापिता, कृत्स्ना, अकृत्स्ना और हाडहडा । यह पाँच प्रकार की आरोपणा प्रायश्चित्त की है । आचार्य ने इन प्रकारों का स्वरूप बताते हुए हाडहडा का विशेष वर्णन किया है ।^६

१. गा० २९८-९.

२. गा० ३३६-३४०.

३. गा० ३४१-३५३.

४. गा० ३७४.

५. गा० ४१२

६. गा० ४१३-७.

प्रायश्चित्त करने वाले पुरुष दो प्रकार के होते हैं - कृतकरण और अकृत-करण। कृतकरण के पुन दो भेद हैं - सापेक्ष और निरपेक्ष। जिनादि निरपेक्ष कृतकरण हैं। सापेक्ष कृतकरण तीन प्रकार के हैं - आचार्य, उपाध्याय और भिक्षु। अकृतकरण दो प्रकार के हैं - अनधिगत और अधिगत। जिन्होंने सूत्रार्थ का ग्रहण नहीं किया होता है वे अनधिगत हैं। गृहीतसूत्रार्थ अधिगत कहलाते हैं। अथवा प्रायश्चित्त करने वाले पुरुष दो प्रकार के हैं - सापेक्ष और निरपेक्ष। निरपेक्ष पुरुष नियमत-कृतकरण होते हैं। सापेक्ष पुरुष तीन प्रकार के हैं : आचार्य, उपाध्याय और भिक्षु। ये तीनों दो प्रकार के हैं - कृतकरण और अकृत-करण। ये दोनों पुन दो प्रकार के हैं : गीतार्थ और अगीतार्थ। इन दोनों के पुन-दो भेद हैं : स्थिर और अस्थिर।^१ इन भेद-प्रभेदों का वर्णन करने के बाद आचार्य ने परिहारतप का बहुत विस्तार से विवेचन किया है। तदनन्तर साधुओं और साध्वियों की निस्तारणविधि का प्रतिपादन किया है। विविध भावनाओं का विवेचन करते हुए आचार्य ने मासिकी, द्वैमासिकी आदि प्रति-मासों का परिचय दिया है तथा शिथिलतावश गच्छ छोड़ कर पुन-गच्छ में सम्मिलित होने वाले श्रमण के लिए विविध प्रकार के प्रायश्चित्तों का विधान किया है। पार्श्वस्थ, यथाच्छन्द, कुशील, अवसन्न और ससक्त की व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, प्रायश्चित्त आदि पर भी भाष्यकार ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। पार्श्वस्थ के दो भेद हैं : देशत-पार्श्वस्थ और सर्वत-पार्श्वस्थ। सर्वत-पार्श्वस्थ के तीन विकल्प हैं - पार्श्वस्थ, प्रास्वस्थ और पाशस्थ। जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप आदि के पार्श्व अर्थात् तट पर विचरता है वह पार्श्वस्थ है। जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि के प्रति स्वस्थ भाव तो रखता है किन्तु उनमें उद्यमशील नहीं होता अर्थात् उनकी प्राप्ति के लिए परिश्रम नहीं करता वह प्रास्वस्थ है। जो मिथ्यात्व आदि बन्वहेतुरूप पाशों में स्थित होता है वह पाशस्थ है। देशत-पार्श्वस्थ शय्यातरपिण्ड आदि का भोग करता हुआ विचरता है।^२ जो स्वयं उत्सूत्र का आचरण करता है अर्थात् परिभ्रष्ट है तथा दूसरों को भी वैसे ही आचरण की शिक्षा देता है वह यथाच्छन्द है। जो ज्ञानाचार आदि की विराधना करता है वह कुशील है। अवसन्न दो प्रकार का है - देशत- और सर्वत। आवश्यक-कादि में हीनता, अधिकता, विपर्यय आदि दोषों का सेवन करने वाला देशावसन्न कहलाता है। जो समय पर सस्तारक आदि का प्रत्युपेक्षण नहीं करता वह-सर्वावसन्न है। जो पार्श्वस्थादि का ससर्ग प्राप्त कर उन्हीं के समान हो जाता है वह ससक्त कहलाता है। ससक्त दो प्रकार का है : असक्लिष्ट और सक्लिष्ट। जो पार्श्वस्थ में मिल कर पार्श्वस्थ हो जाता है, यथाच्छन्द में मिल कर यथाच्छन्द

१. गा० ४१८-४२०.

२. तृतीय विभाग : गा० २२६-२३०.

हो जाता है और इसी प्रकार कुशीलादि में मिल कर कुशीलादि के समान हो जाता है वह असंगत गतवत है। जो पाँच प्रकार के आन्व में प्रवृत्त होते हुए भी तीन प्रकार के गौरव से प्रतिबद्ध होता है तथा रथी आदि में बंधा होना है वह संगत गतवत है। इन सब प्रकार के व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रायश्चित्तों का विधान किया गया है।^३

माधुओं के विहार को चर्चा करते हुए एकाकी विहार का निषेध किया गया है तथा तत्सम्बन्धी अनेक दोषों का वर्णन किया गया है। बिना किसी विशेष कारण के आचार्यादि को छोड़ कर नहीं रहना चाहिए। जिस गच्छ में आचार्य, उपाध्याय गणानच्छेदक, प्रवर्तक और स्वविर—इन पाँच में से एक भी विद्यमान न हो उस गच्छ में नहीं रहना चाहिए क्योंकि वहाँ अनेक दोषों की सम्भावना रहती है। भाष्यकार ने इन दोषों का स्वरूप ममज्ञाते हुए एक वर्णिक का दृष्टान्त दिया है। वह इस प्रकार है : किसी वनिये के पाम बहुत-सा घन झकड़ा हो गया। तब उमने सोचा—मैं कहीं जाकर रहूँ कि इस घन का अच्छी तरह उपभोग कर सकूँ? ऐसा विचार करते हुए उमने निश्चय किया कि जहाँ पर ये पाँच आधार न हो वहाँ रहना ठीक नहीं। वे पाँच आधार ये हैं : राजा, वैद्य, धनिक, नियतिक और रूपयक्ष अर्थात् धर्मपाठक। जहाँ राजादि पाँच प्रकार के लोग न हो वहाँ घन का अथवा जीवन का नाश हुए बिना नहीं रहता। परिणामतः द्रव्योपाजन विफल सिद्ध होता है। अथवा राजा, युवराज, महत्तरक, अमात्य तथा कुमार—इन पाँच प्रकार के व्यक्तियों से परिगृहीत राज्य गुणविशाल होता है। इस प्रकार के गुणविशाल राज्य में रहना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए? जो उभय योनि अर्थात् मातृपक्ष और पितृपक्ष से शुद्ध है, प्रजा से आय का दशम भागमात्र ग्रहण करता है, लोकाचार, दार्शनिक सिद्धान्त एवं नीतिशास्त्र में निपुण है तथा धर्म में श्रद्धा रखता है वह वास्तव में राजा है, शेष राजाभास है। राजा स्वभुजोपाजित पाँच प्रकार के (रूप-रसादि) गुणों का निरुद्विग्न होकर उपभोग करता है तथा देशपरिपन्थनादि व्यापार से विप्रमुक्त होता है। युवराज कैसा होना चाहिए? जो प्रातःकाल उठकर शरीरशुद्धि आदि आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर आस्थानिका में जाकर सब कामों की विचारणा करता है वह युवराज है। महत्तरक के लक्षण ये हैं। जो गम्भीर है, मार्दवोपेत है, कुशल है, जाति और विनयसम्पन्न है तथा युवराज सहित राज कार्यों का प्रेक्षण करता है वह महत्तरक है। अमात्य कैसा होना चाहिए? जो व्यवहार कुशल और नीतिसम्पन्न होकर जनपद, पुरवर

(राजवानी) और नरपति का हित-चिन्तन करता है वह अमात्य है । अमात्य राजा को भी शिक्षा देता है । इस प्रसंग पर भाष्यकार ने राजा और पुरोहित अपनी-अपनी भार्या द्वारा किस प्रकार घसीटे गये, इसका बहुत रोचक उदाहरण दिया है । कुमार का स्वरूप इस प्रकार है . जो दुर्दान्त आदि लोगो का दमन करता हुआ सग्राम नीति में अपनी कुशलता का परिचय देता है वह कुमार है ।^१ इस प्रकार राजा आदि के स्वरूप का वर्णन करने के बाद आचार्य वैद्य आदि का स्वरूप बताते हैं । जो वैद्यकशास्त्रो का सम्यग्ज्ञाता है तथा माता-पिता आदि से सम्बन्धित रोगो का नाश कर स्वास्थ्य प्रदान करता है वह वैद्य है । जिसके पास पिता-पितामह आदि परम्परा से प्राप्त करोडो की सम्पत्ति विद्यमान हो वह धनिक है । नियतिक अथवा नैयतिक का स्वरूप इस प्रकार है : जिसके पास भोजन के लिए निम्नलिखित सत्रह प्रकार के धान्य के भाण्डार भरे हुए हो वह नैयतिक—नियतिक है . १ शालि, २ यव, ३ क्रोद्रव, ४. व्रीहि, ५ रालक, ६. तिल, ७ मुद्ग, ८ माप, ९ चवल, १० चणक, ११. तुवरी, १२ मसुरक, १३ कुलत्थ, १४ गोधूम, १५ निप्पाव, १६. अतसी, १७ सण । रूपयक्ष का स्वरूप बताते हुए भाष्यकार कहते हैं कि जो माडर और कौण्डिन्य को दण्डनीति में कुशल है, किमी से भी उत्कीच नहीं लेता तथा किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता वह रूपयक्ष अर्थात् मूर्तिमान् धर्मकनिष्ठ देव है । यहाँ तक वणिक् दृष्टान्त का अधिकार है ।^२ इस दृष्टान्त को साधुओ पर घटाते हुए आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार राजा आदि के अभाव में उपयुक्त वणिक् का कही वाम करना उचित नहीं उसी प्रकार साधु के लिए भी जिस गच्छ में आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गीतार्थ न हो उस गच्छ में रहना ठीक नहीं । इसके बाद भाष्यकार ने आचार्य आदि के स्वरूप का वर्णन किया है ।^३

द्वितीय उद्देश :

द्वितीय उद्देश के प्रथम सूत्र की सूत्र-स्पर्शिक व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने 'द्वि', 'साधर्मिक' और 'विहार' का निक्षेप-पद्धति से विवेचन किया है । 'द्वि' शब्द का छ. प्रकार का निक्षेप होता है : नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव । 'साधर्मिक' शब्द के निम्नलिखित बारह निक्षेप हैं नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, प्रवचन, लिंग, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, अभिग्रह और भावना । 'विहार' शब्द का नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निक्षेप से विचार होता है ।

१. तृतीय विभाग . पृष्ठ १२७-१३१. २ वही, पृ० १३१-२.

३ वही, पृ० १३२-७

जिससे विविध प्रकार के कर्मरज का हरण होता है वह भावविहार है। भाव-विहार दो प्रकार का होता है—गीतार्थ और गीतार्थनिश्चित। गीतार्थ दो प्रकार के है : गच्छगत और गच्छनिर्गत। गच्छनिर्गत जिनकल्पिक गीतार्थ है। इसी प्रकार परिहारविशुद्धिक और यथालन्दकल्पिकप्रतिमापन्न भी गीतार्थ है। गच्छगत गीतार्थ में दो प्रकार की ऋद्धियाँ हैं—आचार्य और उपाध्याय। शेष गीतार्थनिश्चित है।^१ जो स्वयं अगीतार्थ है अथवा अगीतार्थनिश्चित है वह आत्म-विराघना, सयमविराघना आदि दोषों का भागी होता है। इन आत्मविराघना आदि दोषों का भाष्यकार ने मार्ग, क्षेत्र, विहार, मिथ्यात्व, एषणा, शोषि, ग्लान और स्तेन—इन आठ द्वारों से निरूपण किया है।^२ गीतार्थ और गीतार्थनिश्चित भावविहार पुनः दो प्रकार का है—समाप्तकल्प और असमाप्तकल्प। समाप्तकल्प के पुनः दो भेद हैं : जघन्य और उत्कृष्ट। तीन गीतार्थों का विहार जघन्य समाप्तकल्प है। उत्कृष्ट समाप्तकल्प तो बत्तीस हजार का होता है। तीन का समाप्तकल्प जघन्य होता है अतः दो विचरने वालों को लघुक मास प्रायश्चित्त करना पड़ता है। इसी प्रकार अगीतार्थों के लिए भी विविध प्रायश्चित्तों का विधान किया गया है। दो के विहार में अनेक दोषों की सभावना रहती है अतः दो का विहार अकल्प्य है।^३ उपद्रव, दुर्भिक्ष आदि अवस्थाओं में अपवादरूप से दो के विहार का भी विधान है। कारणवशात् दो साधु साथ विचरे और दोनों को कोई दोष लगे तो एक की तपस्या के समय दूसरे को उसकी सेवा करनी चाहिए और दूसरे की तपस्या के समय पहले को उसकी सेवा करनी चाहिए। अनेक समान साधु साथ विचरते हों और उन सबको एक साथ कोई दोष लगा हो तो उनमें से किसी एक को प्रधान बनाकर अन्य साधुओं को तपश्चर्या करनी चाहिए। अन्त में उस प्रधान साधु को उचित प्रायश्चित्त करना चाहिए।^४

परिहार तप करने वाला यदि रुग्ण हो जाए और उसे किसी प्रकार का दोष लगे तो उसकी आलोचना करते हुए उसे तप करना चाहिए तथा अशक्ति की अवस्था में दूसरों को उसकी सेवा करनी चाहिए। इस विषय का विवेचन करते हुए भाष्यकार ने परिहार तप के विविध दोषों और प्रायश्चित्तों का वर्णन किया है। इसी प्रकार अनवस्थाप्य, पाराचित्त आदि से सम्बन्धित वैयावृत्य का भी विधान किया गया है।^५ क्षिप्तचित्त की सेवा का विवेचन करते हुए आचार्य कहते हैं कि सक्षेप में दो प्रकार के क्षिप्तचित्त होते हैं—लौकिक और लोको-

१. चतुर्थ विभाग : गा० ३-२१.

२. गा० २४-९.

३. गा० ३१-४९.

४. गा० ५०-६१.

५. गा० ६२-१०१.

त्तरिक । व्यक्ति क्षिप्तचित्त क्यों होता है ? आचार्य ने क्षिप्तचित्त होने के तीन कारण बताये हैं : राग, भय अथवा अपमान । इन तीन प्रकार के कारणों से व्यक्ति क्षिप्तचित्त होता है । इनका स्वरूप समझाने के लिए विविध उदाहरण भी दिये गये हैं । क्षिप्तचित्त को अपने हीनभाव से किस प्रकार मुक्त किया जा सकता है, इसका भाष्यकार ने विविध दृष्टान्त देते हुए अत्यन्त रोचक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है ।^१ क्षिप्तचित्त से ठीक विरोधी स्वभाव वाले दीप्तचित्त का विश्लेषण करते हुए आचार्य कहते हैं कि क्षिप्तचित्त और दीप्तचित्त में यह अन्तर है कि क्षिप्तचित्त प्रायः मीन रहता है जबकि दीप्तचित्त अनावश्यक वक्त्रक किया करता है । दीप्तचित्त होने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि क्षिप्तचित्त होने का मुख्य कारण अपमान है जबकि विविष्ट सम्मान के मद के कारण व्यक्ति दीप्तचित्त बनता है । लाभमद से मत्त होने पर अथवा दुर्जय शत्रुओं की जीत के मद से उन्मत्त होने पर अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से व्यक्ति दीप्तचित्त बनता है ।^२ आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाए तो महद्भाव जो कि हीनभाव से सर्वथा विपरीत है, दीप्तचित्त होने का मूल कारण है । इसी प्रकार आचार्य ने यक्षाविष्ट, उन्मत्त, मोहित, उपसर्गप्राप्त, साधिकरण, सप्रायश्चित्त, अर्थाजात, अनवस्थाप्य, पाराचित्त आदि की शुश्रूषा, यतना आदि का वर्णन किया है ।^३ सूत्रस्पर्शिक विवेचन करते हुए भाष्यकार ने एकपाक्षिक के दो भेद किये हैं . प्रव्रज्याविषयक और सूत्रविषयक । इसी प्रसंग पर आचार्य, उपाध्याय आदि की स्थापना की विधि, दोष, प्रायश्चित्त, अपवाद आदि तथा पारिहारिक और अपारिहारिक के पारस्परिक व्यवहार, खान-पान, रहन-सहन आदि का भी विचार किया गया है ।^४

तृतीय उद्देश :

गणधारण की इच्छा करने वाले भिक्षु की योग्यता-अयोग्यता का निरूपण करते हुए भाष्यकार ने सर्वप्रथम 'इच्छा' का नामादि निक्षेपो से व्याख्यान किया है । तदनन्तर 'गण' का निक्षेप-पद्धति से विवेचन किया है । गणधारण क्यों किया जाता है, इसका उत्तर देते हुए भाष्यकार ने बताया है कि निर्जरा के लिए ही गणधारण किया जाता है, न कि पूजा आदि के निमित्त । गणधारण करने वाला यति महातडाग के समान होता है जो अनेक प्रकार की विघ्नबाधाओं में भी गंभीर एवं शान्त रहता है ।^५ इसी प्रकार आचार्य ने अन्य अनेक उदाहरण देकर

१ गा० १०३-११६ २. गा० १४९-१५१.

३. गा० १६६-२११. ४. गा० ३२१-३८२.

५. चतुर्थ विभाग—तृतीय उद्देश : गा० ६-१६.

गणधारण करने वाले की योग्यता का दिग्दर्शन कराया है। भावपरिच्छिन्न शिष्य के विद्यमान होने पर आचार्य को उसे गणधारण की अनुमति देनी चाहिए तथा अपने पास शिष्य होने पर कम से कम तीन शिष्य उसे देने चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए कि तीन शिष्यों में से एक किसी भी समय उसके पास रह सके तथा दो भिक्षा आदि के लिए जा सकें।^१

आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर आदि पदवियों के धारण करने वालों की योग्यता-अयोग्यता का विचार करते हुए आचार्य कहते हैं कि जो एकादशाङ्गसूत्रार्थधारी है, नवम पूर्व के ज्ञाता है, कृतयोगी है, बहुश्रुत है, बह्वागम है, सूत्रार्थविशारद है, धीर है, श्रुतनिघर्ष है, महाजन-नायक है वे आचार्य, उपाध्याय आदि पदों के योग्य हैं।^२

आचार्य आदि की स्थापना का वर्णन करते हुए भाष्यकार ने नव, डहरक, तरुण, मध्यम, स्थविर आदि विभिन्न अवस्थाओं का स्वरूप बताया है और लिखा है कि आचार्य के मर जाने पर विधिपूर्वक अन्य गणधर का अभियेक करना चाहिए। वंसा न करने वालों के लिए प्रायश्चित्त का विधान है। अन्य गणधर की स्थापना किये बिना आचार्य की मृत्यु का समाचार प्रकाशित नहीं करना चाहिए। इस विधान की पुष्टि के लिए राजा का दृष्टान्त दिया गया है। अन्य गणधर की स्थापना किये बिना आचार्य की मृत्यु का समाचार प्रकाशित करने से गच्छक्षोभ का सामना करना पड़ता है। कोई यह सोचने लगता है कि हम लोग अब अनाथ हो गए। कुछ लोग स्वच्छन्दचारिता का प्रक्षय ले लेते हैं। कोई क्षिप्तचित्त हो जाते हैं। कभी-कभी स्वपक्ष और परपक्ष में स्तेन उठ खड़े होते हैं। कुछ साधु लता की भाँति काँपने लगते हैं। कुछ तरुण आचार्य को पिपासा से अन्यत्र चले जाते हैं।^३

प्रवर्तिनी के गुणों का वर्णन करते हुए भाष्यकार ने साध्वियों की दुर्वलताओं का चित्रण किया है तथा स्त्रिया के विषय में लिखा है कि स्त्री उत्पन्न होने पर पिता के वश में होती है, विवाहित होने पर पति में वश में हो जाती है तथा विधवा होने पर पुत्र के वश में हो जाती है। इस प्रकार नारी कभी भी तुद के वश में नहीं रहती। पैदा होने पर नारी को माता-पिता रक्षा करते हैं, विवाह हो जाने पर पति, स्वमुद, स्वधू आदि रक्षा करते हैं, विधवा हो जाने पर पिता, भ्राता, पुत्र आदि रक्षा करते हैं। इसी प्रकार आर्यिका को भी आचार्य, उपाध्याय, गणिनी—प्रवर्तिनी आदि रक्षा करते हैं।^४

१. गा० १०-१

२. गा० १२२-३.

३. गा० २२०-१

४. गा० २३३-४.

मैथुनसेवन के दोषों का स्वरूप बताते हुए आचार्य, उपाध्याय, गणावच्छेदक, साधु आदि के लिए भिन्न-भिन्न प्रायश्चित्तों, परिस्थितियों एवं प्रव्रज्या के नियमों पर प्रकाश डाला गया है। मैथुनसेवन के दो भेद हैं : सापेक्ष और निरपेक्ष। जो मैथुनसेवन की इच्छा होने पर अपने गुरु से पूछ लेते हैं वे सापेक्ष मैथुनसेवक हैं। जो गुरु से बिना पूछे ही मैथुन का सेवन करते रहते हैं वे निरपेक्ष मैथुनसेवक हैं। इन दोनों प्रकार के साधुओं के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रायश्चित्त है।^१ इसी प्रकार गणावच्छेदक, उपाध्याय, आचार्य आदि के लिए भी विभिन्न प्रायश्चित्तों का विधान किया गया है।^२ मृषावाद आदि अन्य अतिचारों के सेवन का वर्णन करते हुए तत्सम्बन्धी विविध प्रायश्चित्तों का विवेचन किया गया है। व्यवहारी और अव्यवहारी का स्वरूप बताते हुए भाष्यकार ने एक आचार्य का उदाहरण दिया है। आचार्य के पास सोलह शिष्य बैठे हुए थे जिनमें से आठ व्यवहारी थे और आठ अव्यवहारी। निम्नलिखित आठ प्रकार के व्यवहारियों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए : १ ककटुक, २. कुपप, ३, पक्क, ४. उत्तर, ५ चार्वाक, ६ बधिर, ७. गुण्ठसमान, ८ अम्लसमान। इन आठों प्रकार के व्यवहारियों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है।^३

चतुर्थ उद्देश .

इस उद्देश में मुख्यरूप से साधुओं के विहार का विधि-विधान है। शीत और उष्णकाल के आठ महीनों में आचार्य और उपाध्याय को कोई अन्य साधु साथ में न हो तो विहार नहीं करना चाहिए। गणावच्छेदक को अन्य साधु साथ में हो तो भी विहार नहीं करना चाहिए। उसे साथ में दो साधु होने पर ही विहार करना चाहिए। इसी प्रकार आचार्य और उपाध्याय को अन्य साधु साथ में हो तो भी अलग चातुर्मास नहीं करना चाहिए। उन्हें अन्य दो साधुओं के साथ में होने पर ही अलग चातुर्मास करना चाहिए। गणावच्छेदक के लिए चातुर्मास में कम-से-कम तीन साधुओं का सहवास अनिवार्य है। साधु जिस नायक के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हों उसका मार्ग में देहावसान हो जाए तो उन साधुओं को अपने में से श्रेष्ठ गीतार्थ और चारित्रवान् को नायक बना लेना चाहिए। इस प्रकार के योग्य नायक का अभाव प्रतीत होने पर उन्हें जहाँ अपने अन्य साधु विचरते हो वहाँ चले जाना चाहिए। वैसा न करने पर छेद अथवा परिहार तप का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। इसी प्रकार चातुर्मास में किसी नायक का देहावसान हो जाए तो योग्य साधु को नया नायक नियुक्त कर लेना चाहिए। कदाचित् वैसा न हो सके तो अपने समुदाय के अन्य साधुओं के

साथ मिल जाना चाहिए। वने जहाँ तक चातुर्मास में विहार करने का प्रसङ्ग उपस्थित नहीं होने देना चाहिए। आचार्य अथवा उपाध्याय बीमार पट जाएँ और समुदाय के साधुओं से कहें कि अमुक माधु को मेरी पदवी प्रदान करना और वे डम लोक में न रहें तो उम साधु को उस समय पदवी के योग्य होने की अवस्था में ही पदवी प्रदान करनी चाहिए, अयोग्यता की अवस्था में नहीं। कदाचित् उसे पदवी प्रदान कर दी गई हो किन्तु उममें आवश्यक योग्यता न हो तो अन्य साधुओं को उसे कहना चाहिए कि तुम डम पदवी के अयोग्य हो अतः इसे छोड़ दो। ऐसी अवस्था में यदि वह पदवी का त्याग कर देता है तो उसे किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। एक समुदाय के दो माधु साथ विचरते हों, उनमें एक चारित्र्य—पर्याय की दृष्टि से छोटा हो और दूसरा उभी दृष्टि से बड़ा हो तथा छोटा साधु शिष्यवाला हो और बड़े साधु के पास कोई शिष्य न हो तो छोटे साधु को बड़े साधु की आज्ञा में रहना चाहिए तथा उमे आहार-पानी आदि के लिए अपने शिष्य देने चाहिए। यदि बड़ा माधु शिष्य-परिवार से युक्त हो और छोटे साधु के पास एक भी शिष्य न हो तो छोटे को अपनी आज्ञा में रखना अथवा न रखना बड़े की इच्छा पर निर्भर है। डमी प्रकार अपना शिष्य उसकी सेवा के लिए नियुक्त करना या न करना उसकी इच्छा पर है। माराग यह है कि साथ विचरनेवाले साधुओं में जो गीतार्थ और रत्नाधिक हो उसी को नायक बनाना चाहिए एव उसकी आज्ञा में रहना चाहिए।

प्रस्तुत उद्देश के सूत्रों का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार ने निम्न विषयों का वर्णन किया है—चार कल्प—जातसमाप्तकल्प, जातअसमाप्तकल्प, अजातसमाप्तकल्प और अजातअसमाप्तकल्प, वर्षाकाल और विहार, वर्षावास के लिए उपयुक्त स्थान (चिक्खल, प्राण, स्थण्डिल, वसति, गोरस, जनसमाकुल, वैद्य, औषध, निचय, अधिपति, पाषण्ड, भिक्षा और स्वाध्याय—इन तेरह द्वारों से विचार), त्रैवर्षिकस्थापना, गणघरस्थापन की उपयुक्त विधि, उपस्थापना के नियम, ग्लान की वैयावृत्य, अवग्रह का विभाग, तीन प्रकार की अनुकम्पा—गव्यूत, द्व्यर्धगव्यूत और द्विगव्यूतसम्बन्धी अथवा आहार, उपधि और शय्याविषयक इत्यादि।^१

पंचम उद्देश :

इस उद्देश में साध्वियों के विहार के नियमों पर प्रकाश डाला गया है। प्रवर्तिनी आदि विभिन्न पदों को दृष्टि में रखते हुए विविध विधि-विधानों का निरूपण किया गया है। प्रवर्तिनी के लिए शीत और उष्णऋतु में एक साध्वी को साथ रखकर विहार करने का निषेध है। इन ऋतुओं में कम से कम दो

साध्वियाँ उसके साथ रहनी चाहिए । गणावच्छेदिनी के लिए कम से कम तीन साध्वियों को साथ रखने का नियम है । वर्षाऋतु के लिए उक्त सख्याओ में एक की वृद्धि की गई है । नायिका का देहावसान हो जाने पर अन्य नायिका की नियुक्ति के लिए वे ही नियम हैं जो चतुर्थ उद्देश में साधुओं के लिए बताये गये हैं । साधु को रात्रि के समय, सध्या के समय अथवा अन्य किसी समय साँप काट खाए तो सर्वप्रथम साधु और बाद में साध्वी, अन्य पुरुष अथवा स्त्री अपनी योग्यता के अनुसार उपचार करे । ऐसा करने पर साधु-साध्वी के लिए परिहारतप अथवा अन्य किसी प्रायश्चित्त का विधान नहीं है । यह नियम स्थविर-कल्पियों के लिए है । जिनकल्पों को यदि साँप काट खाए तो भी वह दूसरे से किसी प्रकार का उपचार आदि नहीं करा सकता । भाष्यकार ने 'जे निगंथा निगथीओ य सभोइया ' (सूत्र १९) की व्याख्या करते हुए 'सभोगिक' का विस्तारपूर्वक विवेचन किया है । 'सभोग' छ प्रकार का होता है ओघ, अभिग्रह, दानग्रहण, अनुपालना, उपपात और सवास । ओघसंभोग के बारह भेद हैं : उपघि, श्रुत, भक्तपान, अजलीग्रह, दापना, निकाचन, अभ्युत्थान, कृत्तिकर्म, वैयावृत्य, सम-वसरण, मन्निपद्या और कथाप्रबन्धनविषयक । उपसभोग के छ भेद हैं . उद्गम-शुद्ध, उत्पादनाशुद्ध, एपणाशुद्ध, परिकर्मणासभोग, परिहरणासभोग और सयोग-विषयक । इस प्रकार निशीय के पञ्चम उद्देश में वर्णित सभोगविधि, प्रायश्चित्त आदि के अनुसार यहाँ भी 'सभोग' का वर्णन समझ लेना चाहिए ।^१

पष्ठ उद्देश .

इस उद्देश में बताया गया है कि साधु को अपने सम्बन्धी के यहाँ से आहार आदि ग्रहण करने की इच्छा होने पर अपने से वृद्ध स्थविर आदि की आज्ञा लिए बिना वैसा करना अकल्प्य है । बिना स्थविर आदि की आज्ञा के अपने सम्बन्धी के यहाँ से आहार लेनेवाले के लिए छेद अथवा परिहारतप के प्रायश्चित्त का विधान है । आज्ञा मिलने पर भी यदि जानेवाला साधु अल्पबोध हो तो उसे अकेले न जाकर किसी बहुश्रुत साधु के साथ ही जाना चाहिए । वहाँ जाने पर उसके पहुँचने के पूर्व यदि भोजन तैयार किया हुआ हो तो उसे लेना चाहिए अन्यथा नहीं ।

आचाय तथा उपाध्याय के पाँच अतिगय होते हैं जिनका समुदाय के अन्य साधुओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए (१) उनके बाहर से आने पर पैरों को रज आदि को साफ करना तथा प्रमार्जन करना, (२) उनके उच्चार-प्रस्रवण आदि (अशुचि) को निर्दोष स्थान में फेंकना, (३) उनकी इच्छा होने पर

१ पञ्चम उद्देश : गा० ४६-५२.

वैयावृत्य करना, (४) उनके साथ उपाश्रय के भीतर रहना, (५) उनके साथ उपाश्रय के बाहर रहना । गणावच्छेदक के अन्तिम दो अतिशय होते हैं ।

ग्राम, नगर आदि में चारों ओर दीवाल से घिरे एक ही द्वार वाले मकान में आचार्य से भिन्न खण्ड में अगीतार्थ साधुओं का निवास निषिद्ध है । यदि उनमें कोई गीतार्थ साधु हो तो ऐसा कोई निषेध नहीं है । केवल अगीतार्थ साधुओं के इस प्रकार के स्थान में निवास करने पर उन्हें छेद अथवा परिहारतप के प्रायश्चित्त का भागी बनना पड़ता है । इसी प्रकार अनेक द्वारों से युक्त घर आदि में रहने के लिए भी गीतार्थ का साहचर्य अनिवार्य है । एतद्विषयक विस्तृत विवेचन बृहत्कल्पलघुभाष्य का परिचय देते समय किया जा चुका है ।^१

अनेक स्त्री-पुरुषों को किसी स्थान पर मैथुन सेवन करते हुए देखकर यदि कोई साधु विकारयुक्त हो हस्तकर्म आदि से अपने वीर्य का क्षय करे तो उसके लिए एक मास के अनुद्धाती परिहारतप के प्रायश्चित्त का विधान है, यदि वह किसी अचित्त प्रतिमादि में अपने शुकपुद्गलों को बहाता हुआ मैथुनप्रतिमेवना में प्रसक्त होता है तो उसके लिए चार मास के अनुद्धाती परिहारतप के प्रायश्चित्त का विधान है ।

अन्य गण से आये हुए क्षीण आचार वाले साधु-साध्वियों को बिना उनकी परिशुद्धि किए अपने गण में नहीं मिलाना चाहिए और न उनके साथ आहार आदि ही करना चाहिए । जो साधु-साध्वी अपने दोषों को खुले दिल से आचार्य के सामने रख दें तथा यथोचित प्रायश्चित्त करके पुनः वैसा कृत्य न करने को प्रतिज्ञा करें उन्हीं के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ना चाहिए ।

भाष्यकार ने षष्ठ उद्देश की व्याख्या में निम्न विषयों का भी समावेश किया है : 'ज्ञातविधि' पद का एकादश द्वारपूर्वक व्याख्यान—१ आक्रन्दनस्थान, २ क्षिप्त, ३ प्रेरणा, ४. उपसर्ग, ५ पथिरोदन, ६. अपभ्राजना, ७ घात, ८ अनुलोम, ९. अभियोग, १० विष, ११ कोप, सप्तविध कूरो की गणना—शालिकूर, त्रीहिकूर, कोद्रवकूर, यवकूर गोधूमकूर, रालककूर और आरण्यत्रीहिकूर; आचार्य की वसति के बाहर रहने से लगने वाले दोष, आचार्य स्वयं भिक्षा के लिए जाएं अथवा न जाएं, जाने के कारण, न जाने के कारण, तत्सम्बन्धी दोष और प्रायश्चित्त; अम्युत्थान के निराकरण के कारण, चार प्रकार की विकथों की व्याख्या, आक्षेप, आरोपणा, प्ररूपणा आदि पदों का व्याख्यान, आचार्य के पाँच अतिशय—उत्कृष्ट भक्त, उत्कृष्ट पान, मलिनोपधिघावन, प्रशसन और हस्तपादशौच; मतिभेद, पूर्वव्युद्ग्राह, ससर्ग और अभिनिवेश के कारण

१. देखिए—वगडाप्रकृतसूत्र • गा० २१२५—२२८९ (बृहत्कल्प-लघुभाष्य)-

मिथ्यादृष्टि की उत्पत्ति और इनके लिए क्रमशः जमालि, गोविन्द, श्रावकभिधु, और गोष्ठामाहिल के दृष्टान्त, वसतिविषयक विविध यतनाएँ; घर के अन्दर व बाहर को अभिनिर्विगडा, उनके विविध भेद, तद्विषयक विविध दोष, यतनाएँ एवं प्रायश्चित्त ।^१

सप्तम उद्देश :

सप्तम उद्देश के भाष्य में निम्न विषयो का विवेचन किया गया है .—

जो साधु-साध्वी साभोगिक हैं अर्थात् एक ही आचार्य के संरक्षण में हैं उन्हें (साध्वियों को) अपने आचार्य से पूछे बिना अन्य समुदाय से आने वाली अतिचार आदि दोषों से युक्त साध्वी को अपने सघ में नहीं लेना चाहिए । जिस साध्वी को आचार्य प्रायश्चित्त आदि से बृद्ध कर दे उसे अपने सघ में न लेने वाली साध्वियों को आचार्य को यथोचित दण्ड देना चाहिए ।

जो साधु-साध्वी एक गुरु की आज्ञा में हैं वे (साधु) अन्य समुदाय के साधुओं के साथ गोचरी का व्यवहार कर सकते हैं । यदि अन्य सघ के साधु आचारविरोध व्यवहार करते ही तो उनके साथ पीठ पीछे व्यवहार बन्द नहीं करना चाहिए अपितु उन्हें अपनी ऋतियों का प्रत्यक्ष भान करवाना चाहिए । यदि वे पश्चात्ताप करके अपनी ऋति सुधार लें तो उनके साथ व्यवहार भग नहीं करना चाहिए । यदि ऐसा करते हुए भी वे अपनी भूल न सुधारें तो उनके साथ व्यवहार बन्द कर देना चाहिए । साध्वियों के लिए दूसरे प्रकार का नियम है । उन्हें प्रत्यक्ष दोष देखने पर भी गोचरी का व्यवहार नहीं तोड़ना चाहिए किन्तु अपने आचार्य की आज्ञा लेकर अशुद्ध आचार वाली साध्वी के गुरु को उसकी सूचना देनी चाहिए । वैसा करने पर भी यदि वह अपना आचार न सुधारें तो उसे सूचना देनी चाहिए कि तुम्हारे साथ हमारा व्यवहार बन्द है ।

किसी भी साधु को अपनी वैयावृत्य के लिए स्त्री को दीक्षा देना अकल्प्य है । उसे दीक्षा देकर अन्य साध्वी को सौंप देना चाहिए । साध्वी किसी भी पुरुष को दीक्षा नहीं दे सकती । उसे तो किसी योग्य साधु के पास ही दीक्षा ग्रहण करना पड़ता है ।

साध्वी को एक सघ में दीक्षा लेकर दूसरे सघ की शिष्या बनना हो तो उसे दीक्षा नहीं देनी चाहिए । उसे जहाँ रहना हो वही जाकर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए । साधु के लिए ऐसा नियम नहीं है । वह कारणवशात् एक सघ में दीक्षा लेकर दूसरे सघ के गुरु को अपना गुरु बना सकता है ।

तीन वर्ष की पर्यायवाला साधु सुयोग्य होने पर तीस वर्ष की पर्यायवाली साध्वी का उपाध्याय हो सकता है । इसी प्रकार पाँच वर्ष की पर्यायवाला साधु साठ वर्ष की पर्यायवाली साध्वी का आचार्य हो सकता है ।

जिस मकान में साधु रहना चाहे उसके स्वामी, उसकी विधवा पुत्री, पुत्र, भाई आदि किसी की भी आज्ञा लेना अनिवार्य है। मार्ग में जाते समय कहीं ठहरने का प्रसंग आए तो भी यथावसर किसी न किसी गृहस्थ की आज्ञा लेना चाहिए। राज्य में एक राजा के किसी कारण से न रहने पर दूसरे राजा की निश्चित रूप से स्थापना हो जाए तो उसकी पुनः आज्ञा लेकर ही उसके राज्य में रहना चाहिए।

साधु की दीक्षा के प्रसंग का विवेचन करते हुए भाष्यकार ने एक कोशलक आचार्य और एक श्राविका का दृष्टान्त दिया है और बताया है कि कोशलक अपने देशस्वभाव से ही अनेक दोषों से युक्त होता है। इस मत की पुष्टि करते हुए अन्ध्र आदि प्रदेशों के निवासियों के स्वभाव की ओर भी संकेत किया गया है। अन्ध्र देश में उत्पन्न हुआ हो और अक्रूर हो, महाराष्ट्र में पैदा हुआ हो और अवाचाल हो, कोशल में उत्पन्न हुआ हो और अदुष्ट हो—ऐसा सौ में एक भी मिलना कठिन है।^१

साधु-साध्वियों के स्वाध्याय के लिए उपयुक्त तथा अनुपयुक्त काल का भाष्यकार ने अति विस्तृत वर्णन किया है। साथ ही स्वाध्याय की विधि आदि अन्य आवश्यक बातों पर भी पूर्ण प्रकाश डाला है। परस्पर वाचना देने के क्या नियम हैं, इसका भी विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया गया है।^२

अष्टम उद्देश .

इस उद्देश के भाष्य में मुख्यरूप से निम्नलिखित बातों की चर्चा की गई है :—

शयन करने अथवा अन्य प्रयोजन के लिए पाटे की आवश्यकता प्रतीत होने पर साधु एक हाथ से उठा सकने योग्य हल्का पाटा गाँव अथवा परगाँव से माग कर ला सकता है। परगाँव से लाने की अवस्था में तीन दिन की दूरी वाले गाँव से लाया जा सकता है, इससे अधिक नहीं। वृद्ध साधु के लिए आवश्यकता होने पर पाँच दिन की दूरी वाले स्थान से भी लाया जा सकता है। वापिस लौटाने की शर्त पर लायी हुई वस्तु अन्य मकान में ले जानी हो तो उसके लिए पुनः स्वामी की आज्ञा लेनी चाहिए। इसी प्रकार किसी मकान में ठहरना हो तो उसके स्वामी की आज्ञा लेकर ही ठहरना चाहिए। किसी साधु को गोचरी आदि के लिए जाते समय किसी अन्य साधु का छोटा-बड़ा उपकरण मिले तो पूछ-ताछ कर जिसका हो उसे दे देना चाहिए। स्वामी का पता न लगने की अवस्था में उसका निर्दोष स्थान में विसर्जन कर देना चाहिए। विशेष कारण उपस्थित

होने पर दूसरे साधु के लिए पात्रादि सामग्री स्वीकार करना कल्प्य है। वह सामग्री उस साधु से पूछकर उसके ग्रहण न करने की अवस्था में ही गुरु की आज्ञा से अन्य साधु को दी जानी चाहिए। कुक्कुटी के अण्डे के बराबर अथवा कुक्षी (पेट) में सुखपूर्वक भरा जा सके उतने आहार के बत्तीसवें भाग अर्थात् कुक्षी-अण्ड के बराबर के आठ कौर खाने वाला साधु अल्पाहारी, बारह कौर खाने वाला अपार्धाहारी, सोलह कौर खाने वाला अर्धाहारी, चौबीस कौर खाने वाला प्राप्ता-वमौदर्य, इकतीस कौर खाने वाला किञ्चिदवमौदर्य और बत्तीस कौर खाने वाला प्रमाणाहारी कहलाता है। कुक्कुटी अथवा कुकुटी का व्याख्यान करते हुए कहा गया है कि 'कुत्सिता कुटी कुकुटी' अर्थात् शरीर। उस शरीररूप कुकुटी का अण्डक अर्थात् अण्डे के समान जो मुख है वह कुकुटीअण्डक है। मुख को अण्डक क्यों कहा गया? क्योंकि गर्भ में सर्वप्रथम शरीर का मुख बनता है और बाद में शेष भाग, अतः प्रथम निष्पन्न होने के कारण मुख को अण्डक कहा गया है।^१

नवम उद्देशः

इस उद्देश का मुख्य विषय है शय्यातर अर्थात् सागारिक के ज्ञातिक, स्वजन, मित्र आदि आगतुको से सम्बन्धित आहार के ग्रहण-अग्रहण का विवेक तथा साधुओं की विविध प्रतिमाओं का विधान। सागारिक के घर के अन्दर या बाहर कोई आगन्तुक भोजन कर रहा हो और उम भोजन से सागारिक का सम्बन्ध हो अर्थात् उमें यह कहा गया हो कि तुम्हारे खाने के बाद जो कुछ बचे वापिस सौपना तो उस आहार में से साधु आगन्तुक के आग्रह करने पर भी कुछ न ले। यदि उस आहार से सागारिक का कुछ भी सम्बन्ध न रह गया हो तो साधु उसे ग्रहण कर सकता है। इसी प्रकार सागारिक के दास-दासी आदि के आहार के विषय में भी ममञ्चना चाहिए। औषधि आदि के विषय में भी यही नियम है कि जिसका उस वस्तु पर पूर्ण अधिकार हो उसी की इच्छा से उम वस्तु को ग्रहण करना चाहिए।

भाष्यकार ने प्रस्तुत उद्देश की व्याख्या में आदेश अथवा आवेश, चक्रिका, गौलिका, दौषिका, सौत्रिका, बोधिका, कार्पासा, गन्धिकाशाला, शौण्डिकशाला, आपण, भाण्ड, औषधि आदि पदों का समावेश किया है।^२

प्रतिमाओं के विवेचन में तत्सम्बन्धी काल, भिक्षापरिमाण, करण और करणान्तर, मोक प्रतिमा का शब्दार्थ, कल्पादिग्रहण का प्रयोजन, मोक का स्वरूप, महती मोकप्रतिमा का लक्षण आदि आवश्यक बातों पर सक्षिप्त प्रकाश डाला गया है।

१ अष्टम उद्देश . गा० ३००

२ नवम उद्देश . गा० १-७३

३ गा० ७४-१२८.

दशम उद्देश :

इस उद्देश में यवमध्य-प्रतिमा और वज्रमध्य-प्रतिमा की विधि पर विशेष रूप से विचार किया गया है। पांच प्रकार के व्यवहर का विस्तृत विवेचन करते हुए बालदीक्षा की विधि पर भी प्रकाश डाला गया है। दस प्रकार की सेवा का वर्णन करते हुए उससे होने वाली महानिर्जरा का भी निरूपण किया गया है।

यवमध्य-प्रतिमा का स्वरूप बताते हुए भाष्यकार कहते हैं कि इस प्रतिमा को यव और चन्द्र की उपमा दी गई है। जिसका मध्ययव के समान है वह यवमध्य-प्रतिमा है। इसका आकार चन्द्र के समान होता है। वज्रमध्य-प्रतिमा मध्य में वज्र के समान होती है। इसे भी चन्द्र की उपमा दी जाती है। यवमध्य-प्रतिमा मध्य में विपुल—स्थूल होती है तथा आदि और अन्त में तनु—कृश होती है। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चन्द्र क्रमशः वृद्धि की ओर जाकर पुनः ह्रास की ओर आता है उसी प्रकार यवमध्य-प्रतिमा भी क्रमशः भिक्षा की वृद्धि की ओर जाती हुई पुनः ह्रास की ओर आती है। वज्रमध्य-प्रतिमा में चन्द्र की उपमा दूसरी तरह से घटित होती है। इसमें बहुलपक्ष का आदि में ग्रहण होता है। जिस प्रकार कृष्णपक्ष का चन्द्र पहले क्रमशः ह्रास को प्राप्त होता है और फिर क्रमशः बढ़ता है उसी प्रकार वज्रमध्य-प्रतिमा में भी क्रमशः भिक्षा का ह्रास होकर पुनः उसकी वृद्धि होती है। इस प्रकार यह प्रतिमा आदि और अन्त में तो स्थूल होती है किन्तु मध्य में कृश होती है।^१

व्यवहार पाँच प्रकार का है : आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा और जीत।^२ इन पाँचों प्रकारों का स्वरूपवर्णन जीतकल्पभाष्य का परिचय देते समय किया जा चुका है अतः यहाँ उसकी पुनरावृत्ति अनावश्यक है।^३

निर्ग्रन्थ पाँच प्रकार के होते हैं : पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रन्थ और स्नातक। इनके लिए विविध प्रकार के प्रायश्चित्तों का विधान किया गया है। प्रायश्चित्त दस प्रकार के हैं : १. आलोचना, २. प्रतिक्रमण, ३. मिश्र, ४. विवेक, ५. व्युत्सर्ग, ६. तप, ७. छेद, ८. मूल, ९. अनवस्थाप्य और १०. पारचित्त या पाराचिक। पुलाक के लिए आलोचना, प्रतिक्रमण, मिश्र, विवेक, तप और व्युत्सर्ग—ये छ प्रकार के प्रायश्चित्त हैं। बकुश और कुशील के लिए सभी अर्थात् दस प्रायश्चित्त हैं। यथालन्द-कल्प में आठ प्रकार के प्रायश्चित्त हैं (क्योंकि उसमें अनवस्थाप्य और पारचित्त का अभाव है)। निर्ग्रन्थ के लिए आलोचना और विवेक इन दो प्रायश्चित्तों का विधान है। स्नातक के लिए केवल एक प्रायश्चित्त—

१. दशम उद्देश : गा० ३-५

२ गा० ५३

३. जीतकल्पभाष्य, गा० ७-६९४ तथा प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० २०३-२०७.

विवेक का विधान किया गया है। अब पाच प्रकार के सयतो के लिए प्रायश्चित्तों का विधान करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि सामायिकसयत स्थविरकल्पिको के लिए छेद और मूल को छोड़कर शेष आठ प्रायश्चित्त—आलोचना, प्रतिक्रमण, मिश्र, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, अनवस्थाप्य और पारचित है, जिनकल्पिको के लिए आलोचना, प्रतिक्रमण, मिश्र, विवेक, व्युत्सर्ग और तप—ये छ प्रायश्चित्त हैं। छेदोपस्थापनीय सयम में स्थित स्थविरो के लिए सब प्रकार के प्रायश्चित्त है; जिनकल्पिको के लिए आठ प्रकार के प्रायश्चित्त है। परिहारविशुद्धिक सयम में स्थित स्थविरो के लिए भी मूलपर्यन्त आठ ही प्रायश्चित्त है; जिनकल्पिको के लिए छेद और मूल को छोड़कर छ. प्रकार के प्रायश्चित्त है। सूक्ष्मसपराय और यथाख्यात सयम में विद्यमान के लिए आलोचना और विवेक—ये दो ही प्रायश्चित्त है।^१

आगमादि पाच प्रकार के व्यवहार का सुविस्तृत विवेचन करने के बाद चार प्रकार के पुरुषजात की चर्चा प्रारंभ की गई है : १ अर्थकर, २ मानकर, ३. उभयकर और ४ नोभयकर। इनमें से प्रथम और तृतीय सफल माने गए हैं और द्वितीय और चतुर्थ निष्फल। इन चारों प्रकार के पुरुषों का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए उज्जयिनी नगरी और शकराजा का दृष्टान्त दिया गया है।^२ इसी प्रकार १. गणार्थकर, २. मानकर, ३. उभयकर और ४ अनुभयकर का वर्णन करने के बाद गणसग्रहकर, गणशोभाकर, गणशोधिकर आदि चार-चार प्रकार के पुरुषों का स्वरूप समझाया गया है।^३ अन्त में तीन प्रकार की स्थविरभूमि, तीन प्रकार की शैक्षकभूमि, आठ वर्ष से ढ़ुकम आयु वाले की दीक्षा का निषेध, आचारप्रकल्प (निशीथ) के अध्ययन की योग्यता, सूत्रकृत आदि अन्य सूत्रों के अध्ययन की योग्यता, दस प्रकार की सेवा आदि का विचार किया गया है।^४



१. गा० ३५२-३६४.

२ दशम उद्देश : पु० ९४, गा० १-७

३. गा० १५-४४.

४ गा० ४५-१४०

षष्ठ प्रकरण

ओघनिर्युक्ति-लघुभाष्य

प्रस्तुत प्रकरण के प्रारम्भ में भाष्यों का सामान्य परिचय देते समय हमने आवश्यकतादि सूत्रों पर लिखे गए भाष्यों के जो नाम गिनाए हैं उनमें से निम्न-लिखित छः भाष्य प्रकाशित हो चुके हैं : १ विशेषावश्यकभाष्य, २. जीतकल्प-भाष्य, ३. बृहत्कल्पलघुभाष्य, ४ व्यवहारभाष्य, ५ ओघनिर्युक्ति-लघुभाष्य और ६. पिण्डनिर्युक्ति-भाष्य । इनमें से प्रथम चार का विस्तृत परिचय दिया जा चुका है । ओघनिर्युक्ति-लघुभाष्य और पिण्डनिर्युक्ति-भाष्य की गाथा-संख्या बहुत बड़ी नहीं है । प्रथम में ३२२ और द्वितीय में ४६ गाथाएँ हैं । ये गाथाएँ निर्युक्तियों में मिश्रितरूप में उपलब्ध हैं तथा गिनती में निर्युक्तियों की गाथाओं से कम हैं । व्यवहारभाष्यकार की भाँति इन दोनों भाष्यकारों के नाम का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता ।

ओघनिर्युक्ति-लघुभाष्य में निम्न विषयों का समावेश है - ओघ, पिण्ड, समास और सक्षेप एकार्थक है; व्रत, श्रमणधर्म, सयम, वैयावृत्य, ब्रह्मचर्यगुप्ति, ज्ञान-दिशिक, तप और क्रोधनिग्रहादि चरण हैं, पिण्डविशुद्धि, समिति, भावना, प्रतिभा, इन्द्रियनिरोध, प्रतिलेखना, गुप्ति और अभिग्रह करण हैं, अनुयोग चार प्रकार का होता है : चरणकरणानुयोग, धर्मकथानुयोग, गणितानुयोग और द्रव्यानुयोग, ग्लान साधु की परिचर्या क्यों करनी चाहिए व उसकी क्या विधि है, भोजन-ग्रहण की निर्दोष विधि व तत्सम्बन्धी यतनाएँ; साधुओं के विचरण का समय और तद्विषयक मर्यादाएँ आदि, ग्राम में प्रवेश तथा शकुनापशकुन का विचार, स्थापनाकुलो की स्थापना व उसकी अनिवार्यता; कायोत्सर्ग करने की विधि और उसके लिए उपयुक्त स्थान, आसन आदि; औपघातिक के तीन भेद - आत्मोपघा-

१ निर्युक्ति-भाष्य-द्रोणाचार्यसूत्रितवृत्तिभूषित प्रकाशक—शाह वेणीचन्द्र सुर-चन्द्र, आगमोदय समिति, मैसूर, सन् १९१९.

तिक, प्रवचनीपघातिक और समयीपघातिक, पात्रलेप की विधि, यतनाएं और दोष, भिक्षाग्रहण का उपयुक्त काल, भिक्षाटन की निर्दोष विधि, दाता की योग्यता, अयोग्यता का विवेक, स्त्री-पुरुष का विचार; गमनागमन के समय विविध उपकरण ग्रहण करने के नियम व धर्मरुचि का दृष्टान्त, आहार का उपभोग करने की निर्दोष विधि इत्यादि ।^१



सप्तम प्रकरण

ओघनिर्युक्ति-बृहद्भाष्य

मुनि श्री पुण्यविजयजी के पास ओघनिर्युक्ति-बृहद्भाष्य की एक हस्तलिखित प्रति है जिसमें २५१७ गाथाएँ हैं जिनमें निर्युक्ति-गाथाएँ भी सम्मिलित हैं। प्रारंभ में निर्युक्ति की निम्न गाथाएँ हैं :

अरिहते वंदित्ता चोद्दसपुव्वी तहेव दसपुव्वी ।

एक्कारसगसुत्तत्थधारए सव्वसाहू य ॥ १ ॥

ओहेप य निज्जुत्ति वोच्चं चरणकरणाणुओगातो ।

अप्पक्खरं महत्थं अणुग्गहत्थं सुविहियाणं ॥ २ ॥

इन गाथाओं में निर्युक्तिकार ने अरिहंत, चतुदशपूर्वी, दशपूर्वी तथा एकादशानसुत्रार्थवारक सर्व साधुओं को नमस्कार करके ओघनिर्युक्ति लिखने की प्रतिष्ठा की है। भाष्यकार ने इसी निर्युक्ति की गाथाओं के विवेचन के रूप में प्रस्तुत भाष्य का निर्माण किया है। ग्रंथ में भाष्यकार के नाम आदि के विषय में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। द्रोणाचार्य की वृत्ति लघुभाष्य पर है, बृहद्भाष्य पर नहीं।



अष्टम प्रकरण

पिण्डनियुक्ति-भाष्य

पिण्डनियुक्ति-भाष्य^१ में निम्न विषयो का संक्षिप्त व्याख्यान है : 'गौण' शब्द की व्युत्पत्ति, 'पिण्ड' का स्वरूप, लौकिक और सामयिक की तुलना, पिण्ड-स्थापना के दो भेद : सद्भावस्थापना और असद्भावस्थापना, पिण्डनिक्षेप और वातकाय, वाषाकर्म का स्वरूप, अघ.कर्मताहेतु, विभागीद्देशिक के भेद, मिथजात का स्वरूप, स्वस्थान के स्थानस्वस्थान, भाजनस्वस्थान आदि भेद, सूक्ष्म प्राभृति का अपसर्पण और उत्सर्पण रूप दो भेद, विशोषि और अविशोषि की कोटियाँ, चूर्ण का स्वरूप व तत्सम्बन्धी दो क्षुल्लको का दृष्टान्त ।^२



-
१. नियुक्ति-भाष्य-मलयगिरिविवृत्तियुक्त—प्रकाशक : देवचन्द्र लालाभाई जैन
। पुस्तकोद्धार, बम्बई, सन् १९१८.
 २. भाष्यभाषा १-४६.

नवम प्रकरण

पञ्चकल पमहाभाष्य

यह भाष्य^१ पञ्चकल्पनियुक्ति के विवेचन के रूप में है। इसमें कुल मिलाकर २६६५ गाथाएँ हैं जिनमें केवल भाष्य की २५७४ गाथाएँ हैं। प्रारम्भ में नियुक्ति-कारकृत निम्न गाथा है

वदामि भद्रबाहुं पाईण चरिमसगलसुयनार्णि ।
सुत्तस्स कारगमिसिं दसाण कप्पे य ववहारे ॥१॥

यह गाथा दशाश्रुतस्कन्ध की नियुक्ति तथा चूर्णि में भी प्रारम्भ में ही है। इस गाथा का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार ने 'भद्रबाहु' का अर्थ 'सुन्दर बाहुओं वाला' किया है। अन्य भद्रबाहुओं से प्रस्तुत भद्रबाहु का पृथक्करण करने के लिए 'प्राचीन' (गोत्र), 'चरमसकलश्रुतज्ञानी' और 'दशा-कल्प-व्यवहार सूत्रकार' विशेषण दिये गये हैं। एतद्विषयक गाथाएँ ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण होने के कारण यहाँ उद्धृत की जाती हैं :

भद्रदत्ति सुदर त्ति य तुल्लत्थो जत्थ सुदरा बाहू ।
सो होति भद्रबाहू गोण्ण जेण तु वालत्ते ॥७॥
पाएण लक्खजइ पेसलभावो तु बाहुजुयलस्स ।
उववण्णमतो णाम तस्सेय भद्रबाहु त्ति ॥८॥
अण्णे वि भद्रबाहू विसेसण गोत्तगहण पाईण ।
अण्णेसिं पविसिट्ठे विसेसण चरिमसगलसुत्तं ॥ ९ ॥
चरिमो अपच्छिमो खलु चोद्दसपुव्वा उ होति सगलसुत्त ।
सेसाण वुदासट्ठा सुत्तकरज्झयणमेयस्स ॥ १० ॥
कि तेण कय सुत्त ज भण्णति तस्स कारतो सो उ ।
भण्णति गणधारीहिं सव्वसुय चैव पुव्वकत्त ॥११॥
तत्तो च्चिय णिज्जूढ अणुग्गहट्ठाय सपयजतीण ।
सो सुत्तकारओ खलु स भवति दसकप्पववहारे ॥१२॥

कल्प (कप्प) का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि कल्प दो प्रकार का होता है : जिनकल्प और स्थविरकल्प । इन दोनों प्रकार के कल्पों का

१ इस भाष्य की हस्तलिखित प्रति मुनि श्री पुण्यविजयजी की कृपा से प्राप्त हुई है। यह प्रति मुनि श्री ने वि० स० १९८३ में लिखकर तैयार की है।

द्रव्य और भावपूर्वक विचार करना चाहिए ।^१ इसके बाद कल्प्य और अकल्प्य वस्तुओं का विचार किया गया है ।

कल्पियो अर्थात् साधुओं की ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यरूप त्रिविध सम्पदा का वर्णन करते हुए भाष्यकार ने पाँच प्रकार के चारित्र्य का स्वरूप बताया है : सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मराग—सूक्ष्मसपराय और यथाख्यात । इसी प्रकार चारित्र्य के क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक—इन तीन भेदों का भी वर्णन किया गया है । ज्ञान दो प्रकार का होता है . क्षायिक और क्षायोपशमिक । केवलज्ञान क्षायिक है और शेष ज्ञान क्षायोपशमिक है । दर्शन तीन प्रकार का है . क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक । चारित्र्य का पालन कौन करता है ? निर्ग्रन्थ और संयत । निर्ग्रन्थ और संयत के पाँच-पाँच भेद होते हैं :

कस्सेत चारित्त णियठ तह सजयाण ते कतिहा ।

पच णियठा पचेव सजया होतिमे कमसो ॥८३॥

पाँच प्रकार के निर्ग्रन्थ ये हैं . पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रन्थ और स्नातक । संयत के सामायिक आदि उपर्युक्त पाँच भेद हैं । इन दस प्रकार के ध्रमणों के प्रस्तुत भाष्य में और भी अनेक भेद-प्रभेद किये गए हैं ।

‘कल्प’ शब्द का प्रयोग किन-किन अर्थों में किया गया है. इसका विचार करते हुए कहा गया है कि ‘कल्प’ शब्द निम्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है : सामर्थ्य, वर्णना, काल, छेदन, करण, औपम्य और अधिवास :

सामत्थे वण्णणा काले छेयणे करणे तहा ।

ओवम्मे अधिवासे य कप्पसद्दो वियाहिओ ॥१५४॥

इन सब का भेदपुर सर विस्तृत विवेचन नवम पूर्व में किया गया है । प्रस्तुत भाष्य में केवल पञ्चकल्प—पाँच प्रकार के कल्प का संक्षिप्त वर्णन है । जैसा कि स्वयं भाष्यकार लिखते हैं :

सो पुण पचविकप्पो, कप्पो इह वण्णिओ समासेण ।

वित्थरतो पुव्वगतो, तस्स इमे होति भेदा तु ॥१७४॥

पाँच प्रकार के कल्प के क्रमशः छ, सात, दस, बीस और बयालीस भेद हैं छव्विह सत्तविहे य, दमविह वीसत्तिविहे य बायाले ।^२ छ प्रकार के कल्प का छ प्रकार से निक्षेप करना चाहिए । वह छः प्रकार का निक्षेप है : नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ।^३ द्रव्यकल्प तीन प्रकार का है . जीव, अजीव और मिश्र । जीवकल्प के पुनः तीन भेद हैं . द्विपद, चतुष्पद और अपद ।

१. गा० ५९.

२. गा० १७५

३. गा० १८०.

प्रस्तुत अधिकार द्विपद का है और उसमें भी मनुष्यद्विपद का । मनुष्यद्विपद में भी कर्मभूमिज का अधिकार अभीष्ट है ।^१ वह मनुजजीवकल्प छ प्रकार का है : प्रजाजन, मुडन, शिक्षण, उपस्थापन, भोग और सवसन :

पव्वावण मुंडावण सिक्खावणुवट्ठ भुज सवसणा ।

एसोत्थ (तु) जीवकप्पो, छब्भेदो होति णायव्वो ॥१८६॥

भाष्यकार ने इन पर पर्याप्त प्रकाश डाला है । प्रजाजन का विवेचन करते हुए जाति, कुल, रूप और विनयसम्पन्न व्यक्ति को ही प्रब्रज्या के योग्य माना है । बाल, वृद्ध, नपुंसक, जड, क्लीब, रोगी, स्तेन, राजापकारो, उन्मत्त, अदर्शी, दास, दुष्ट, मूढ, अज्ञानी, जुगित, भयभीत, पलायित, निष्कासित, गर्भिणी और बालवत्सा—इन बीस प्रकार के व्यक्तियों को प्रब्रज्या—दीक्षा देना अकल्प्य है .

बाले वुड्ढे नपु से य, जड्ढे कीवे य वाहिए ।

तेणे रायावगारी य उन्मत्ते य अदसणे ॥ २०० ॥

दासे दुट्ठे य मूढे य, अणत्ते जु गितेइ य ।

ओबद्धए य भयए, सेहणिप्फेडितेति य ॥ २०१ ॥

गुव्विणी बालवच्छा य, पव्वावेतु ण कप्पए ।

एसिं परूवणा दुविहा, उस्सगववायसजुत्ता ॥ २०२ ॥

इसी से मिलता-जुलता विधान निशीथभाष्य में भी है । एतद्विषयक अनेक गाथाएँ दोनों भाष्यों में समान हैं ।^२

अचित्त अर्थात् अजीव-द्रव्यकल्प का विवेचन करते हुए आचार्य ने निम्न-लिखित सोलह विषयों पर प्रकाश डाला है - १. आहार, २. उपधि, ३. उपाश्रय, ४. प्रस्रवण, ५. शय्या, ६. निषद्या, ७. स्थान, ८. दड, ९. चर्म, १०. चिलिमिली, ११. अवलेखनिका, १२. दत्तघावन, १३. कर्णशोधन, १४. पिप्पलक, १५. सूची, १६. नखछेदन ।^३

मिश्र द्रव्यकल्प का विवेचन करते हुए भाष्यकार ने बताया है कि जीव और अजीव के संयोग आदि से निष्पन्न कल्प मिश्रकल्प कहलाता है ।^४ इसके विविध भग होते हैं । यहाँ तक द्रव्यकल्प का व्याख्यान है ।

१ गा० १८२-४.

२ तुलना : निशीथ-भाष्य, गा० ३५०६-८.

३ आहारो उवहिम्मि य, उवस्सए तह य पस्सवणए य ।

सेज्ज णिसेज्ज ट्ठाणे, डडे चम्मे चिलिमिली य ॥ ७२३ ॥

अवलेहणिया दत्ताण, घोवणे कण्णसोहणे चेव ।

पिप्पलग सूति णक्खाण, छेदणे चेव सोलसमे ॥ ७२४ ॥

४. गा० ९०१.

क्षेत्रकल्प का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने अर्धषट्विंशति (अर्धषट्बीस) अर्थात् साठे पचीस देशों को आर्यक्षेत्र बताया है जिसमें साधुओं को विचरना चाहिए। इन देशों के माथ ही इनकी राजधानियों के नाम भी दिये हैं। यहाँ एतद्विषयक भाष्य की छ गायार्ण उद्धृत की जाती हैं जिनसे आर्यक्षेत्रीय देशों और उनको राजधानियों के नामों का ठीक-ठीक पता लग सकेगा

रायगिहृमगहृ चपा, अगा तह तामलित्ति वंगा य ।
 कचणपुर कर्लिगा, वाराणसि चैव काशी य ॥९६९॥
 साएय कोसला गयपुरं च कुरु सौरियं कुसट्ठा य ।
 कपिल्ल पचाला, अहिच्छत्ता जंगला चैव ॥९७०॥
 बारवती य सुरट्ठा, महिल विदेहा य वच्छ कोसवी ।
 णदिपुर सदिभा, भदिदलपुरमेव वलया य ॥९७१॥
 वयराडवच्छ वरणा, अच्छा तह मत्तियावति दसण्णा ।
 सोत्तियमती य चेती, वीतिभय सिंघु सोवीरा ॥९७२॥
 महुरा य सुरसेणा, पावा भगी य मासपुरिवट्ठा ।
 सावत्थी य कुणाला, कोडीवरिस च लाढा य ॥९७३॥
 सेयवियाडविय णमरी केततिअद्धं च आरियं भणितं ।
 जत्थुप्पत्ति जिणाण चक्कीण रामकिण्हाण ॥९७४॥

आर्य जनपद और उनकी मुख्य नगरियों के नाम ये हैं

| देश | राजधानी |
|--------------|-------------|
| १—मगध | राजगृह |
| २—अग | चम्पा |
| ३—वग | ताम्रलिप्ति |
| ४—कर्लिग | काचनपुर |
| ५—काशी | वाराणसी |
| ६—कोसल | साकेत |
| ७—कुरु | गजपुर |
| ८—कुशावतं | सौरिक |
| ९—पाचाल | काम्पिल्य |
| १०—जागल | अहिच्छत्रा |
| ११—सौराष्ट्र | द्वारवती |
| १२—विदेह | मिथिला |
| १३—वत्स | कोशाम्बी, |
| १४—शाडिल्य | नन्दिपुर |

| देश | | | | | राजधानी |
|----------------|------|------|-----|------|--------------|
| १५-मलय | ... | .. | .. | .. | भद्रिलपुर |
| १६-मत्स्य | | ... | ... | ... | वैराटपुर |
| १७-वरण | .. | .. | ... | . | अच्छापुत्री |
| १८-दशार्ण | ... | .. | . | .. | मृत्तिकावती |
| १९-वेदि | .. | | ... | | शौकिकावती |
| २०-सिंधु सौवीर | ... | . | .. | .. | वीतिभय |
| २१-शूरसेन | | . | ... | | मथुरा |
| २२-भगि | ... | . | . | . | पापा |
| २३-वट्ट | . | .. | ... | .. | मासपुरी |
| २४-कुणाल | .. | . | .. | . | श्रावस्ती |
| २५-लाट | .. | | . | | कोटिवर्ष |
| २५-ईकैकयार्ध | .. | | | | स्वेताम्बिका |

क्षेत्रकल्प के बाद कालकल्प का वर्णन करते हुए आचार्य ने निम्न विषयों का व्याख्यान किया है . मासकल्प, पर्युषणाकल्प, वृद्धवासकल्प, पर्यायकल्प, उत्सवर्ग, प्रतिक्रमण, कृतिकर्म, प्रतिलेखन, स्वाध्याय, ध्यान, भिक्षा, भक्त, विकार निष्क्रमण और प्रवेश ।^१

भावकल्प के वर्णन में दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तप, सयम, समिति, गुप्ति आदि का विवेचन किया गया है ।^२ यहाँ तक प्रथम कल्प के अन्तर्गत छ' प्रकार के कल्पों का अधिकार है । इसके बाद द्वितीय कल्प के सात भेदों का व्याख्यान प्रारम्भ होता है ।

सात प्रकार के कल्प में निम्न कल्पों का समावेश किया गया है स्थितकल्प, अस्थितकल्प, जिनकल्प, स्थविरकल्प, लिंगकल्प, उपधिकल्प और सभोगकल्प ।^३ भाष्यकार ने इनका विस्तार से वर्णन किया है ।

तृतीय कल्प के अन्तर्गत दस प्रकार के कल्पों का वर्णन किया गया है . कल्प, प्रकल्प, विकल्प, सकल्प उपकल्प, अनुकल्प, उत्कल्प अकल्प, दुष्कल्प और सुकल्प ।^४ पिण्डैषणा, भावना, भिक्षुप्रतिमा आदि यतिगुणों की वृद्धि करना कल्प है । उत्सारकल्प, लोकानुयोग, प्रथमानुयोग, सग्रहणी, सभोग, श्रुगनादित आदि प्रकल्प हैं ।^५ अतिरेक, परिकर्म, भडोत्पादना आदि विकल्प हैं . अतिरेक परिकम्मण

१ गा० १०२४-११३५ २ गा० ११३६-१२६७ ३. गा० १२६८-

४ गा० १५१४.

५ उत्सारकल्प लोगणुओग पठमाणुओग सग्रहणी ।

संभोग सिंगणाइय एवमादी पकण्णो उ ॥ १५३२ ॥

| देश | राजधानी |
|----------------|-------------|
| १५-मलय | भद्रिदलपुर |
| १६-मत्स्य | वैराटपुर |
| १७-वरण | अच्छापूरी |
| १८-दशार्ण | मृत्तिकावती |
| १९-वेदि | शौक्तिकावती |
| २०-सिंधु सीवीर | वीतिभय |
| २१-शूरसेन | मथुरा |
| २२-भगि | पापा |
| २३-वट्ट | मासपुरी |
| २४-कुणाल | श्रावस्ती |
| २५-लाट | कोटिवपं |
| २५-ईकैकयाधं | इचेताम्बिका |

क्षेत्रकल्प के बाद कालकल्प का वर्णन करते हुए आचार्य ने निम्न विषयों का व्याख्यान किया है : मासकल्प, पर्युपणाकल्प, वृद्धवासकल्प, पर्यायकल्प, उत्सवर्ग, प्रतिक्रमण, कृतिकर्म, प्रतिलेखन, स्वाव्याय, ध्यान, भिक्षा, भक्त, विकार निष्क्रमण और प्रवेश ।^१

भावकल्प के वर्णन में दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तप, सयम, समिति, गुण्डि आदि का विवेचन किया गया है ।^२ यहाँ तक प्रथम कल्प के अन्तर्गत छ प्रकार के कल्पों का अधिकार है । इसके बाद द्वितीय कल्प के सात भेदों का व्याख्यान प्रारम्भ होता है ।

सात प्रकार के कल्प में निम्न कल्पों का समावेश किया गया है स्थितकल्प, अस्थितकल्प, जिनकल्प, स्थविरकल्प, लिंगकल्प, उपधिकल्प और सभोगकल्प ।^३ भाष्यकार ने इनका विस्तार से वर्णन किया है ।

तृतीय कल्प के अन्तर्गत दस प्रकार के कल्पों का वर्णन किया गया है कल्प, प्रकल्प, विकल्प, सकल्प उपकल्प, अनुकल्प, उत्कल्प अकल्प, दुष्कल्प और सुकल्प ।^४ पिण्डैषणा, भावना, भिक्षुप्रतिमा आदि यतिगुणों की वृद्धि करना कल्प है । उत्सारकल्प, लोकानुयोग, प्रथमानुयोग, संग्रहणी, सभोग, श्रुतनादित आदि प्रकल्प हैं ।^५ अतिरेक, परिकर्म, भडोत्पादना आदि विकल्प हैं । अतिरेक परिक्रमण

१ गा० १०२४-११३५ २. गा० ११३६-१२६७ ३. गा० १२६८-

४ गा० १५१४.

५ उत्सारकल्प लोकाणुयोग पढमाणुयोग सगहणी ।

संभोग सिंगणाइय एवमादी पकप्पो उ ॥ १५३२ ॥

तह भडुपायणा ।^१ प्रकल्प सकारण होता है जबकि विकल्प निष्कारण होता है कारणे पकप्पो होती, विकप्पो णिककारणे मुण्येव्वो ।^२ सकल्प प्रशस्त और अप्रशस्त दो प्रकार का होता है । दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यविषयक संकल्प प्रशस्त है । इन्द्रिय-विषय-कषायविषयक सकल्प अप्रशस्त है ।^३ उपकल्प, क्रिया और उपनयन एकार्थक है । उवकप्पती करेति उवणेइ व होति एगट्ठा^४ । ज्ञान और चारित्र्य से समृद्ध पूर्वाचार्यों का अनुकरण करना अनुकल्प है ।^५ ऊर्ध्वकल्पी होना अथवा छिन्नकल्पी होना उत्कल्प कहलाता है ।^६ निष्कृप अर्थात् कृपाहीन तथा निरनुकम्प अर्थात् अनुकम्पाहीन होकर प्रवृत्ति करना अकल्प कहलाता है ।^७ नित्य निन्दित प्रवृत्ति करना दुष्कल्प है ।^८ नित्य प्रशसित प्रवृत्ति करना सुकल्प है ।^९

चतुर्थ कल्प के अन्तर्गत निम्नलिखित बीस कल्पों का समावेश किया गया है - १ नामकल्प, २ स्थापनाकल्प, ३ द्रव्यकल्प, ४ क्षेत्रकल्प, ५ कालकल्प, ६ दर्शनकल्प, ७ श्रुतकल्प, ८ अध्ययनकल्प, ९. चारित्र्यकल्प, १०. उपधिकल्प, ११ सभोगकल्प, १२ आलोचनाकल्प, १३ उपसम्पदाकल्प, १४ उद्देशकल्प, १५ अनुज्ञाकल्प, १६ अश्वकल्प, १७ अनुवासकल्प (स्थित और अस्थित), १८ जिनकल्प, १९ स्थविरकल्प और २० अनुपालनाकल्प । इसकी निम्नोक्त तीन द्वारगाथाएँ हैं :

कप्पेसु णामकप्पो, ठवणाकप्पो य दवियकप्पो य ।
खित्ते काले कप्पो, दसणकप्पो य सुयकप्पो ॥१६७०॥
अज्झायण चरित्तम्मि य, कप्पो उवही तहेव सभोगो ।
आलोयण उवसपद तहेव उद्देसणुण्णाए ॥१६७१॥
अद्धाणम्मि य कप्पो, अणुवासे तह य होइ ठित्तकप्पो ।
अट्ठित्तकप्पो य तहा, जिणथेरे अणुवालाणाकप्पो ॥१६७२॥

भाष्यकार ने इन बीस प्रकार के कल्पों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । पंचम कल्प के बयालीस भेद हैं : १ द्रव्य, २ भाव, ३ तदुभय, ३ करण, ५ विरमण, ६ सदाचार, ७ निर्वेश, ८ अन्तर, ९ नयातर, १० स्थित, ११. अस्थित, १२ स्थान, १३ जिन, १४ स्थविर, १५ पयुषण, १६. श्रुत, १७. चारित्र्य, १८ अध्ययन, १९ उद्देश, २० वाचना, २१. प्रत्येषणा, २२. परिवर्तना, २३. अनुप्रेक्षा, २४ यात, २५ अयात, २६. चीर्णं, २७ अचीर्णं, २८.

१ गा० १५९१, २ गा० १६०३ ३ गा० १६२९-१६३०.

४ गा० १६३५ ५ १६४२ ६ गा० १६४९ ७ गा० १६५९

८ गा० १६६५. ९ गा० १६६७.

संघान, २९ च्यवन, ३०. उपपात, ३१. निशीथ, ३२. व्यग्रहार, ३३ क्षेत्र, ३४. काल, ३५ उपधि, ३६ सभोग, ३७. लिंग, ३८. प्रतिमेवना, ३९ अनुवास, ४०. अनुपालना, ४१. अनुज्ञा, ४२. स्थापना । उसकी चार द्वारगाथाएँ हैं जिनका भाष्यकार ने विवेचन किया है :

दब्बे भावे तदुभय करणे वेरमणनेव साहारो ।
 निव्वेस अतर णयतरे य ठिय अट्ठिठए चैव ॥२१९२॥
 ठाण जिण थेर पज्जुमणमेव सुत्ते चरित्तमज्झयणे ।
 उद्देस वायण पडिच्छणा य परियट्ठणुप्पेहा ॥२१९३॥
 जायमजाए चिण्णमच्चिण्णे मंघाणमेव चयणे य ।
 उववाय णिसीहे या, ववहारे खेत्तकाले य ॥२१९४॥
 उवही सभोगे लिंगकप्प पडिसेवणा य अणुवासे ।
 अणुपालणा अणुण्णा, ठवणाकप्पे य वोधव्वे ॥२१९५॥

इस तरह पाँच प्रकार के कल्पों का विवेचन करने के बाद प्रस्तुत भाष्य जिसका कि नाम पचकल्पमहाभाष्य है और जिसमें पचकल्पलघुभाष्य का भी समावेश है, समाप्त होता है । प्रति के अन्त में भाष्य एवं भाष्यकार के नाम का इस प्रकार उल्लेख है : महत्पञ्चकल्पभाष्य सघदासक्षमाश्रमणविरचित्त समाप्तमिति । भाष्य का कलेवर-प्रमाण बताते हुए कहा गया है . गाह्मणेण पंचवीससयाइं चउहत्तराइ । सिलोयग्गाण एगतीससयादि पचत्तीसाणि । यह भाष्य २५७४ गाथाप्रमाण अथवा ३१३५ श्लोकप्रमाण है ।



दशम प्रकरण

वृहत्कल्प-वृहद्भाष्य

यह भाष्य जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बृहत्कल्प-लघुभाष्य से आकार में बड़ा है। दुर्भाग्य से यह अपूर्ण ही उपलब्ध है।^१ इसमें पीठिका और प्रारम्भ के दो उद्देश तो पूर्ण हैं किन्तु तृतीय उद्देश अपूर्ण है। अन्त के तीन उद्देश अनुपलब्ध हैं। भाष्य का यह अंग लिगा अवश्य गया है, जैसा कि आचार्य श्रीम-कोटि की टीका से स्पष्ट है।^२ प्रस्तुत भाष्य में लघुभाष्य समाविष्ट है।

लघुभाष्य की प्रथम गाथा है :

काऊण नमोक्कार, तित्ययराण तिलोगमहिंयाण ।

अप्पव्ववहाराणं, वक्खाणविहिं पक्खामि ॥ १ ॥

वृहद्भाष्य की भी प्रथम गाथा है .

काऊण नमोक्कार, तित्यकगण तिलोकमहिंताण ।

कप्पव्ववहाराण, वक्खाणविधिं पक्खामि ॥

इन दोनों गाथाओं में वही-वही अक्षरभेद अर्थात् अक्षर-परिवर्तन है। इसी प्रकार का परिवर्तन अन्य गाथाओं में भी दृष्टिगोचर होता है।

लघुभाष्य की दूसरी गाथा है

सक्कयपाययवणाण विभासा जत्थ जुज्जते ज तु ।

अज्जयणनिरुत्ताणि य, वक्खाणविही य अणुओगो ॥ २ ॥

यह गाथा वृहद्भाष्य में बहुत दूर है।^३ लगभग सौ गाथाओं के बाद यह गाथा दी गई है। बीच की ये सब गाथाएँ प्रथम गाथा के विवेचन के रूप में हैं। वृहद्भाष्य में उपयुक्त गाथा कुछ परिवर्तन के साथ इस प्रकार है .

सव्वभगपायतवयणाण विभासा जच्च जुज्जते जातु ।

अव्वयणनिरुत्ताणिय वत्तव्वाइं जहाकमसो ॥

१. यह भाष्य मुनि श्री पुण्यविजयजी की असीम कृपा से हस्तलिखितरूप में प्राप्त हुआ एतदर्थं मुनि श्री का अत्यन्त आभारी हूँ।

२ आह च बृहद्भाष्यकृत्—रतिं देवपरिवासे, लहुगा दोसा हवत णेग-विहा ।—वृहत्कल्पलघुभाष्य, गा० ५९८१ की व्याख्या (उद्देश ५,

पृ० १५८०) .

३ पृ० १४.

इस गाथा में कुछ अशुद्धियाँ हैं। इस प्रकार की अनेक अशुद्धियाँ प्रस्तुत प्रति में भरी पड़ी हैं। यह दोष प्रस्तुत प्रति का नहीं अपितु उस मूल प्रति का है जिसकी यह प्रतिलिपि है।

बृहद्भाष्य के प्रारंभ में ऐसी कुछ गाथाएँ हैं जो लघुभाष्य में बाद में आती हैं। उदाहरण के रूप में कुछ गाथाएँ यहाँ उद्धृत की जाती हैं :

कडकरण दव्वे सासण तु सच्चवेव दव्वतो आणा ।
 दव्वनिमित्त वुभयं दोण्ह वि भावे इम चेव ॥ ३६ ॥
 दव्ववती दव्वार्ति जातिं गहिताति मुचति ण ताव ।
 आराहणि दव्वस्स तु दोण्ह वि पडिपक्खे भाववई ॥ ३७ ॥
 दव्वाण दव्वभूतो दव्वट्ठाए व वेज्जमातीया ।
 अघ दव्वे उवदेसो पणवणा आगमो चेव ॥ ३८ ॥
 अणुयोगो (य णियोगो) भास विभासा य वत्तिय चेव ।
 एते अणुयोगस्स तु णामा एगट्ठया पच ॥ ४१ ॥

—बृहत्कल्प-बृहद्भाष्य, पृ० ५-६ (सशोधित)

कडकरण दव्वे सासण तु दव्वे व दव्वओ आणा ।
 दव्वनिमित्त वुभय, दुन्नि वि भावे इम चेव ॥ १८४ ॥
 दव्ववती दव्वाइ गहियाइ मुचइ न ताव ।
 आराहणि दव्वस्स वि, दोहि वि भाक्स्स पडिक्खो ॥ १८५ ॥
 दव्वाण दव्वभूओ, दव्वट्ठाए व विज्जमाईया ।
 अह दव्वे उवएसो, पन्नवणा आगमे चेव ॥ १८६ ॥
 अणुयोगो य नियोगो, भास विभासा य वत्तिय चेव ।
 एए अणुओगन्स उ, नामा एगट्ठया पच ॥ १८७ ॥

—बृहत्कल्प-लघुभाष्य, भा० १.

उपर्युक्त गाथाओं से यह स्पष्ट है कि दोनों भाष्यों की कुछ गाथाओं में कहीं-कहीं आगे-पीछे हेर-फेर भी हुआ है। बृहद्भाष्यकार ने लघुभाष्य की कुछ गाथाएँ बिना किसी व्याख्यान के वैसे की वैसे भी अपने भाष्य में उद्धृत की हैं। जिनका व्याख्यान करना उन्हें आवश्यक प्रतीत न हुआ उन गाथाओं के विषय में उन्होंने यही नीति अपनायी है। उदाहरण के तौर पर लघुभाष्य की नाम और स्थापना मगलविषयक छठी, सातवी और आठवी ये तीन गाथाएँ बृहद्भाष्य में क्रमशः एक साथ दे दी गई हैं।^१ इनका बृहद्भाष्यकार ने उन प्रसंग पर कोई अतिरिक्त विवेचन नहीं किया है। द्रव्यमगलविषयक नौवी गाथा

के विषय में यह बात नहीं है। इस गायत्री के व्याख्यान के रूप में बृहद्भाष्यकार ने चार नई गायत्रियों की रचना की है।^१ इस प्रकार बृहद्भाष्य में लघुभाष्य के विषयों का ही विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। ऐसी दशा में पूरा बृहद्भाष्य एक विशालकाय ग्रन्थ होना चाहिए जिसका कलेवर लगभग पंद्रह हजार गायत्रियों के बराबर हो। अपूर्ण उपलब्ध प्रति जिसका कलेवर पूरे ग्रन्थ का लगभग आधा है, अनुमानतः सात हजार गायत्रिप्रमाण है। ये गायत्रियाँ लघुभाष्य की गायत्रियों (तीन उद्देश) से करीब दुगुनी हैं। लगभग इतनी ही गायत्रियाँ अनुपलब्ध अक्षरों में भी होंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है।

बृहद्भाष्य की प्रति में जो अक्षरपरावर्तन दृष्टिगोचर होता है उसके कुछ रूप नीचे दिये जाते हैं :^२

| प्रचलित रूप | | | परिवर्तित रूप |
|-------------|---|---|-----------------|
| ण— | — | — | —म |
| ण् | — | — | —स्स |
| धि— | — | — | —वि |
| ऊ— | — | — | —ज |
| घा अथवा हा | — | — | —दा |
| व | — | — | —प |
| त | — | — | —न |
| द्व | — | — | —ध |
| त | — | — | —व ^३ |



१ पृ० १८-९.

२ मुनि श्री पुण्यविजयजी के अध्ययन के आधार पर।

३. निशीथभाष्य के परिचय के लिए आगे निशीथचूर्णिका का परिचय देखिये।

चूर्णियाँ

प्रथम प्रकरण

चूर्णियाँ और चूर्णिकार

आगमो की प्राचीनतम पद्यात्मक व्याख्याएँ नियुक्तियों और भाष्यो के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे सब प्राकृत में हैं। जैनाचार्य इन पद्यात्मक व्याख्याओं से ही सन्तुष्ट होने वाले न थे। उन्हें उसी स्तर की गद्यात्मक व्याख्याओं की भी आवश्यकता प्रतीत हुई। इस आवश्यकता की पूर्ति के रूप में जैन आगमो पर प्राकृत अथवा सस्कृतमिश्रित प्राकृत में जो व्याख्याएँ लिखी गई हैं, वे चूर्णियों के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगमेतर साहित्य पर भी कुछ चूर्णियाँ लिखी गईं, किन्तु वे आगमो की चूर्णियों की तुलना में बहुत कम हैं। उदाहरण के लिए कर्मप्रकृति, शतक आदि की चूर्णियाँ उपलब्ध हैं -

चूर्णियाँ :

निम्नांकित आगम-ग्रन्थों पर आचार्यों ने चूर्णियाँ लिखी हैं १ आचाराग, २ सूत्रकृताग, ३ व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती), ४ जीवाभिगम, ५ निशीथ, ६ महानिशीथ, ७ व्यवहार, ८ दशाश्रुतस्कन्ध, ९ बृहत्कल्प, १० पंचकल्प, ११ ओघनियुक्ति, १२ जीतकल्प, १३ उत्तराध्ययन, १४ आवश्यक, १५ दशवैकालिक, १६ नन्दी, १७ अनुयोगद्वार, १८ जंबूद्वीपप्रज्ञप्ति। निशीथ और जीतकल्प पर दो-दो चूर्णियाँ लिखी गईं, किन्तु वर्तमान में एक-एक ही उपलब्ध हैं। अनुयोगद्वार, बृहत्कल्प एवं दशवैकालिक पर भी दो-दो चूर्णियाँ हैं।

चूर्णियों की रचना का क्या क्रम है, इस विषय में निश्चितरूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। चूर्णियों में उल्लिखित एक-दूसरे के नाम के आधार पर क्रम-निर्धारण का प्रयत्न किया जा सकता है। श्री आनन्दसागर सूरि के मत से जिन-दासगणिकृत निम्नलिखित चूर्णियों का रचनाक्रम इस प्रकार है - नन्दीचूर्ण, अनुयोगद्वारचूर्ण, आवश्यकचूर्ण, दशवैकालिकचूर्ण, उत्तराध्ययनचूर्ण, आचारागचूर्ण, सूत्रकृतागचूर्ण और व्याख्याप्रज्ञप्तिचूर्ण।^१

१. आर्हत आगमोनी चूर्णो अने तेनु मुद्रण-सिद्धचक्र, भा ९, अ. ८.

आवश्यकचूर्ण मे ओघनियुक्तिचूर्ण का उल्लेख है।^१ इससे प्रतीत होता है कि ओघनियुक्तिचूर्ण आवश्यकचूर्ण से पूर्व लिखी गई है। दशवैकालिकचूर्ण मे आवश्यकचूर्ण का नामोल्लेख है^२ जिससे यह सिद्ध होता है कि आवश्यकचूर्ण दशवैकालिकचूर्ण से पूर्व की रचना है। उत्तराध्ययनचूर्ण मे दशवैकालिकचूर्ण का निर्देश है^३ जिससे प्रकट होता है कि दशवैकालिकचूर्ण उत्तराध्ययनचूर्ण के पहले लिखी गई है। अनुयोगद्वारचूर्ण मे नदीचूर्ण का उल्लेख किया गया है^४ जिससे सिद्ध होता है कि नदीचूर्ण की रचना अनुयोगद्वारचूर्ण के पूर्व हुई है। इन उल्लेखों को देखते हुए श्री आनन्दसागर सूरि के मत का समर्थन करना अनुचित नहीं है। हाँ, उपर्युक्त रचना-क्रम मे अनुयोगद्वारचूर्ण के बाद तथा आवश्यकचूर्ण के पहले ओघनियुक्तिचूर्ण का भी समावेश कर लेना चाहिए क्योंकि आवश्यकचूर्ण में ओघनियुक्तिचूर्ण का उल्लेख है जो आवश्यकचूर्ण के पूर्व की रचना है।

भाषा की दृष्टि से नन्दीचूर्ण मुख्यतया प्राकृत मे है। इसमे सस्कृत का बहुत कम प्रयोग किया गया है। अनुयोगद्वारचूर्ण भी मुख्यरूप से प्राकृत मे ही है, जिसमे यत्र-तत्र सस्कृत के श्लोक और गद्यांश उद्धृत किये गये हैं। जिनदासकृत दशवैकालिकचूर्ण की भाषा मुख्यतया प्राकृत है, जबकि अगस्त्य-सिंहकृत दशवैकालिकचूर्ण प्राकृत मे ही है। उत्तराध्ययनचूर्ण सस्कृतमिश्रित प्राकृत मे है। इसमे अनेक स्थानों पर सस्कृत के श्लोक उद्धृत किये गये हैं। आचारागचूर्ण प्राकृत-प्रधान है, जिसमें यत्र-तत्र सस्कृत के श्लोक भी उद्धृत किये गये हैं। सूत्रकृतागचूर्ण की भाषा एव शैली आचारागचूर्ण के ही समान है। इसमे सस्कृत का प्रयोग अन्य चूर्णियों की अपेक्षा अधिक मात्रा मे हुआ है। जीतकल्पचूर्ण मे प्रारम्भ से अन्त तक प्राकृत का ही प्रयोग है। इसमे जितने उद्धरण हैं वे भी प्राकृत-ग्रन्थों के ही हैं। इस दृष्टि से यह चूर्ण अन्य चूर्णियों से विलक्षण है। निशीथविशेषचूर्ण अल्प-सस्कृतमिश्रित प्राकृत में है। दशाश्रुतस्कन्धचूर्ण प्रधानतया प्राकृत मे है। बृहत्कल्पचूर्ण सस्कृतमिश्रित प्राकृत मे है।

चूर्णिकार :

चूर्णिकार के रूप मे मुख्यतया जिनदासगणि महत्तर का नाम प्रसिद्ध है। इन्होंने वस्तुतः कितनी चूर्णियाँ लिखी हैं, इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। परंपरा से निम्नांकित चूर्णियाँ जिनदासगणि महत्तर की कही जाती-

१. आवश्यकचूर्ण (पूर्वभाग), पृ० ३४१.
२. दशवैकालिकचूर्ण, पृ० ७१.-
३. उत्तराध्ययनचूर्ण, पृ० २७४.
४. अनुयोगद्वारचूर्ण, पृ० १

हैं : निशीथविशेषचूर्ण, नन्दीचूर्ण, अनुयोगद्वारचूर्ण, आवश्यकचूर्ण, दशवैकालिकचूर्ण, उत्तराध्ययनचूर्ण और सूत्रकृतागचूर्ण । उपलब्ध जीतकल्पचूर्ण सिद्धसेनसूरि की कृति है । बृहत्कल्पचूर्णकार का नाम प्रलम्बसूरि है ।^१ आचार्य जिनभद्र की कृतियों में एक चूर्ण का भी समावेश है । यह चूर्ण अनुयोगद्वार के अंगुल पद पर है जिसे जिनदास की अनुयोगद्वारचूर्ण में अक्षरशः उद्धृत किया गया है ।^२ इसी प्रकार दशवैकालिकसूत्र पर भी एक और चूर्ण है । इसके रचयिता अगस्त्यसिंह है । अन्य चूर्णकारों के नाम अज्ञात हैं ।

जिनदासगणि महत्तर के जीवन-चरित्र से सम्बन्धित विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं है । निशीथविशेषचूर्ण के अन्त में चूर्णकार का नाम जिनदास बताया गया है तथा प्रारंभ में उनके विद्यागुरु के रूप में प्रद्युम्न क्षमाश्रमण के नाम का उल्लेख किया गया है । उत्तराध्ययनचूर्ण के अन्त में चूर्णकार का परिचय दिया गया है किन्तु उनके नाम का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है । इसमें उनके गुरु का नाम वाणिज्यकुलीन, कोटिकगणीय, वज्रशाखीय गोपालगणि महत्तर बताया गया है । नन्दीचूर्ण के अन्त में चूर्णकार ने अपना जो परिचय दिया है वह अस्पष्ट रूप में उपलब्ध है । जिनदास के समय के विषय में इतना कहा जा सकता है कि ये भाष्यकार आचार्य जिनभद्र के बाद एवं टीकाकार आचार्य हरिभद्र के पूर्व हुए हैं क्योंकि आचार्य जिनभद्र के भाष्य की अनेक गायत्रियों का उपयोग इनकी चूर्णियों में हुआ है, जबकि आचार्य हरिभद्र ने अपनी टीकाओं में इनकी चूर्णियों का पूरा उपयोग किया है । आचार्य जिनभद्र का समय विक्रम-संवत् ६००-६६० के आसपास है^३ तथा आचार्य हरिभद्र का समय वि० स० ७५७-८२७ के बीच का है ।^४ ऐसी दशा में जिनदासगणि महत्तर का समय वि० स० ६५०-७५० के बीच में मानना चाहिए । नन्दीचूर्ण के अन्त में उसका रचना-काल शक संवत् ५९८ अर्थात् वि० स० ७३३ निर्दिष्ट है ।^५ इससे भी यही सिद्ध होता है ।

उपलब्ध जीतकल्पचूर्ण के कर्ता सिद्धसेनसूरि हैं । प्रस्तुत सिद्धसेन, सिद्धसेन-दिवाकर से भिन्न ही कोई आचार्य है । इसका कारण यह है कि सिद्धसेन दिवाकर जीतकल्पकार आचार्य जिनभद्र के पूर्ववर्ती हैं । प्रस्तुत चूर्ण की एक

१. जैन ग्रंथावली, पृ० १२, टि० ५ २ गणधरवाद, पृ० २११.

३. गणधरवाद प्रस्तावना, पृ० ३२-३

४. जैन आगम, पृ० २७

५. A History of the Canonical Literature of the Jinas, पृ० १९१, नन्दीसूत्र-चूर्ण (प्रा० टे० सो०), पृ० ८३.

व्याख्या (विपमपदव्याख्या) श्रीचन्द्रसूरि ने वि० स० १२२७ में पूर्ण की है अतः चूर्णिकार सिद्धसेन वि० स० १२२७ के पहले होने चाहिए । ये सिद्धसेन कौन हो सकते हैं, इसकी सभावना का विचार करते हुए प० दलसुख मालवणिया लिखते हैं कि आचार्य जिनभद्र के पश्चात्पूर्वी तत्त्वार्थभाष्य-व्याख्याकार सिद्धसेनगणि और उपमितिभवप्रपचकथा के लेखक सिद्धर्षि अथवा सिद्धव्याख्यानिक—ये दो प्रसिद्ध आचार्य तो प्रस्तुत चूर्ण के लेखक प्रतीत नहीं होते, क्योंकि यह चूर्ण भाषा का प्रश्न गौण रखते हुए देखा जाय तो भी कहना पड़ेगा कि बहुत सरल शैली में लिखी गई है, जबकि उपर्युक्त दोनों आचार्यों की शैली अति क्लिष्ट है । दूसरी बात यह है कि इन दोनों आचार्यों की कृतियों में इसकी गिनती भी नहीं की जाती । इससे प्रतीत होता है कि प्रस्तुत सिद्धसेन कोई अन्य ही होने चाहिए । ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य जिनभद्रकृत बृहत्क्षेत्रसमास की वृत्ति के रचयिता सिद्धसेनसूरि प्रस्तुत चूर्ण के भी कर्ता होने चाहिए क्योंकि इन्होंने उपर्युक्त वृत्ति वि० स० ११९२ में पूर्ण की थी । दूसरी बात यह है कि इन सिद्धसेन के अतिरिक्त अन्य किसी सिद्धसेन का इस समय के आसपास होना ज्ञात नहीं होता । ऐसी स्थिति में बृहत्क्षेत्रसमास की वृत्ति के कर्ता और प्रस्तुत चूर्ण के लेखक संभवतः एक ही सिद्धसेन हैं । यदि ऐसा ही है तो मानना पड़ेगा कि चूर्णिकार सिद्धसेन उपकेशगच्छ के थे तथा देवगुप्तसूरि के शिष्य एव यशोदेवसूरि के गुरुभाई थे । इन्हीं यशोदेवसूरि ने उन्हें शास्त्रार्थ सिखाया था ।^१

उपर्युक्त मान्यता पर अपना मत प्रकट करते हुए प० श्री सुखलालजी लिखते हैं कि जीतकल्प एक आगमिक ग्रंथ है । यह देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी चूर्ण के कर्ता कोई आगमिक होने चाहिए । इस प्रकार के एक आगमिक सिद्धसेन क्षमाश्रमण का निर्देश पञ्चकल्पचूर्ण तथा हारिभद्रोद्यवृत्ति में है । संभव है कि जीतकल्पचूर्ण के लेखक भी यही सिद्धसेन क्षमाश्रमण हो ।^२ जब तक एतद्विषयक निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं होते तब तक प्रस्तुत चूर्णिकार सिद्धसेन सूरि के विषय में निश्चित रूप से विशेष कुछ नहीं कहा जा सकता ।

प० दलसुख मालवणिया ने निशीथ-चूर्ण की प्रस्तावना में सभावना की है कि ये सिद्धसेन आचार्य जिनभद्र के साक्षात् शिष्य हो । ऐसा इसलिए संभव है कि जीतकल्पभाष्य-चूर्ण का मगल इस बात की पुष्टि करता है । साथ ही यह भी संभावना की है कि बृहत्कल्प, व्यवहार और निशीथ भाष्य के भी कर्ता ये हो ।^३

१. गणधरवाद : प्रस्तावना, पृ० ४४ २ वही : वृद्धिपत्र, पृ० २११.

३. निशीथसूत्र (सन्मति ज्ञानपीठ), भा० ४ : प्रस्तावना, पृ० ३८ से.

द्वितीय प्रकरण

नन्दीचूर्ण

यह चूर्ण^१ मूल सूत्रानुसारी है तथा मुख्यतया प्राकृत में लिखी गयी है। इसमें यत्र-तत्र संस्कृत का प्रयोग अवश्य है किन्तु वह नहीं के बराबर है। इसकी व्याख्यानशैली संक्षिप्त एवं सारग्राही है। इसमें सर्वप्रथम जिन और वीरस्तुति की व्याख्या की गई है, तदनन्तर सघस्तुति की। मूल गाथाओं का अनुसरण करते हुए आचार्य ने तीर्थंकरों, गणधरो और स्थविरो की नामावली भी दी है। इसके बाद तीन प्रकार की पर्पद् की ओर संकेत करते हुए ज्ञानचर्चा प्रारंभ की है। जैनागमों में प्रसिद्ध आभिनिबोधि (मति), श्रुत, अवधि, मन-पर्यय और केवल—इन पाँच प्रकार के ज्ञानों का स्वरूप-वर्णन करने के बाद आचार्य ने प्रत्यक्ष-परोक्ष की स्वरूप-चर्चा की है। केवलज्ञान की चर्चा करते हुए चूर्णकार ने पन्द्रह प्रकार के सिद्धों का भी वर्णन किया है - १. तीर्थसिद्ध, २. अतीर्थसिद्ध, ३. तीर्थंकरसिद्ध, ४. अतीर्थंकरसिद्ध, ५. स्वयंबुद्धसिद्ध, ६. प्रत्येकबुद्धसिद्ध, ७. बुद्धबोधितसिद्ध, ८. स्त्रीलिंगसिद्ध, ९. पुरुषलिंगसिद्ध, १०. नपुसर्कलिंगसिद्ध, ११. स्वलिंगसिद्ध, १२. अन्यालिंगसिद्ध, १३. गृहलिंगसिद्ध, १४. एकसिद्ध, १५. अनेकसिद्ध। ये अनन्तरसिद्धकेवलज्ञान के भेद हैं। इसी प्रकार केवलज्ञान के परम्परसिद्धकेवलज्ञान आदि अनेक भेदोपभेद हैं। इन सब का मूल सूत्रकार ने स्वयं ही निर्देश किया है।

केवलज्ञान और केवलदर्शन के सम्बन्ध की चर्चा करते हुए आचार्य ने तीन मत उद्धृत किये हैं - १. केवलज्ञान और केवलदर्शन का योगपद्य, २. केवलज्ञान और केवलदर्शन का क्रमिकत्व, ३. केवलज्ञान और केवलदर्शन का अभेद। एतद्विषयक गाथाएँ इस प्रकार हैं -

केई भणति जुगव जाणइ पासइ य केवली णियमा ।

अण्णे एगतारिय इच्छति सुतोवदेसेण ॥ १ ॥

अण्णे ण चैव वीसु दसणमिच्छति जिणवरिदस्स ।

ज चिय केवलाण त चिय से दसण वेति ॥ २ ॥

१ श्रीविशेषावश्यकसत्का अमुद्रितगाथा श्रीनन्दीसूत्रस्य चूर्ण हारिभद्रीया वृत्तिश्च—श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर सस्था, रतलाम, सन् १९२८. नदिसूत्रम् चूर्णसहितम्—प्राकृत टेक्स्ट सोसाइटी, वाराणसी, सन् १९६६.

तृतीय प्रकरण अनुयोगद्वारचूर्णि

यह चूर्णि^१ मूल सूत्र का अनुसरण करते हुए मुख्यतया प्राकृत में लिखी गई है। इसमें सस्कृत का बहुत कम प्रयोग हुआ है। प्रारम्भ में मंगल के प्रसंग से भावनदी का स्वरूप बताते हुए 'णाण षचविध पणत्त' इस प्रकार का सूत्र उद्धृत किया गया है और कहा गया है कि इस सूत्र का जिस प्रकार नदीचूर्णि में व्याख्यान किया गया है उसी प्रकार यहाँ भी व्याख्यान कर लेना चाहिए।^२ इस कथन से स्पष्ट है कि नन्दीचूर्णि अनुयोगद्वारचूर्णि से पहले लिखी गई है। प्रस्तुत चूर्णि में आवश्यक, तदुल्लेख्य आदि का भी निर्देश किया गया है।^३ अनुयोगविधि और अनुयोगार्थ का विचार करते हुए चूर्णिकार ने आवश्यक-धिकार पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है। आनुपूर्वी का विवेचन करते हुए कालानुपूर्वी के स्वरूप-वर्णन के प्रसंग से आचार्य ने पूर्वार्गो का परिचय दिया है। 'णामाणि जाणि' आदि की व्याख्या करते हुए नाम शब्द का कर्म आदि दृष्टियों से विचार किया गया है। सात नामों के रूप में सप्तस्वर का सगीतशास्त्र की दृष्टि से सूक्ष्म विवेचन किया गया है। नवविध नामका नौ प्रकार के काव्यरस के रूप में सोदाहरण वर्णन किया गया है: वीर, शृंगार, अद्भुत, रोद, श्रीडनक, वीभत्त, हास्य, करुण और प्रशान्त। इसी प्रकार प्रस्तुत चूर्णि में आत्मागुल, उत्सेधागुल, प्रमाणागुल, कालप्रमाण, औदारिकादि शरीर, मनुष्यादि प्राणियों का प्रमाण, गर्भजादि मनुष्यों की सत्या, ज्ञान और प्रमाण, सख्यात, असख्यात, अनन्त आदि विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है।



१ हरिभद्रकृत वृत्तिसहित—श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर सस्था, रत्नाम, सन् १९२८

२ इमस्स सुत्तस्स जहा नदिचूर्णीए वक्खाण तथा इहपि वक्खाण ददुठव्व-अणुयोगद्वारचूर्णि, पृ १-२. तुलना नन्दीचूर्णि, पृ. १० और आगे। ३ अनुयोगद्वारचूर्णि, पृ. ३.

चतुर्थ प्रकरण आवश्यकचूर्णि

यह चूर्णि^१ मुख्यरूप से नियुक्ति का अनुसरण करते हुए लिखी गई है। कही-कही पर भाष्य की गाथाओं का भी उपयोग किया गया है। इसकी भाषा प्राकृत है किन्तु यत्र-तत्र संस्कृत के श्लोक, गद्यांश एवं पक्तियाँ उद्धृत की गई हैं। भाषा में प्रवाह है। शैली भी ओजपूर्ण है। कथानको की तो इसमें भरमार है और इस दृष्टि से इसका ऐतिहासिक मूल्य भी अन्य चूर्णियों से अधिक है। विषय-विवेचन का जितना विस्तार इस चूर्णि में है उतना अन्य चूर्णियों में दुर्लभ है। जिस प्रकार विशेषावश्यकभाष्य में प्रत्येक विषय पर सुविस्तृत विवेचन उपलब्ध है उसी प्रकार इसमें भी प्रत्येक विषय का अति विस्तारपूर्वक व्याख्यान किया गया है। विशेषकर ऐतिहासिक आख्यानो के वर्णन में तो अन्त तक दृष्टि की विशालता एवं लेखनी की उदारता के दर्शन होते हैं। इसमें गोविन्दनियुक्ति, ओघनियुक्तिचूर्णि (एतत्तरे ओहनिज्जुत्तिचुत्ती भाणियव्या जाव सम्मता), वसुदेवहिण्डि आदि अनेक ग्रन्थों का निर्देश किया गया है।^२

उपोद्घातचूर्णि के प्रारम्भ में मंगलचर्चा की गई है और भावमंगल के रूप में ज्ञान का विस्तृत विवेचन किया गया है। श्रुतज्ञान के आविष्कार को दृष्टि में रखते हुए आवश्यक का निक्षेप-पद्धति से विचार किया गया है। द्रव्यावश्यक और भावावश्यक के विशेष विवेचन के लिए अनुयोगद्वारा सूत्र की ओर निर्देश कर दिया गया है।^३ श्रुतावतार की चर्चा करते हुए चूर्णिकार कहते हैं कि तीर्थंकर भगवान् के श्रुत का अवतार होता है। तीर्थंकर कौन होते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर चूर्णिकार ने निम्न शब्दों में दिया है जेहि एव दसणणाणा-दिसजुत्त तित्थ कय ते तित्थकरा भवति, अहवा तित्थ गणहरा त जेहि कय ते तित्थकरा, अहवा तित्थ चाउव्वन्नो सघो त जेहि कय ते तित्थकरा। भगवान् की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है : भगो जेसि अत्थि ते

१. श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर सस्था, रतलाम, पूर्वभाग, सन् १९२८, उत्तरभाग, सन् १९२९.

२. पूर्वभाग, पृ० ३१, २४१, उत्तरभाग, पृ० ३२४.

३. आवश्यकचूर्णि (पूर्वभाग), पृ० ७९

भगवतो । भग क्या है ? इसका उत्तर देते हुए चूर्णिकार ने निम्न श्लोक उद्धृत किया है ^१

माहात्म्यस्य समगस्य, रूपस्य यशस श्रियः ।

धर्मस्याथ प्रयत्नस्य, पण्णा भग इतीगना ॥ १ ॥

सामायिक नामक प्रथम आवश्यक का व्याख्यान करते हुए चूर्णिकार ने सामायिक का दो दृष्टियों से विवेचन किया है . द्रव्यपरम्परा से और भावपरम्परा से । द्रव्यपरम्परा की पुष्टि के लिए यासासासा ओर मृगावतो के आख्यानक दिये हैं ।^२ आचार्य और शिष्य के सम्बन्ध को चर्चा करते हुए निम्न श्लोक उद्धृत किया है .^३

आचार्यस्यैव तज्जाड्य, यच्छिष्यो नावबुध्यते ।

गावो गोपालकेनैव, अतीर्थेनावतारिता ॥ १ ॥

सामायिक का उद्देश, निर्देश, निर्गम आदि २६ द्वारों से विचार करना चाहिए,^४ इन ओर नकेत करने के बाद आचार्य ने निर्गमद्वार की चर्चा करते हुए भगवान् महानोर के (मिथ्यात्वादि से) निर्गम की ओर सकेत किया है तथा उनके भवों को चर्चा करते हुए भगवान् ऋषभदेव के घनसाथंवाह आदि भवों का विवरण दिया है । ऋषभदेव के जन्म, विवाह, अपत्य आदि का बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन करने के बाद तत्कालीन शिल्प, कर्म, लेख आदि पर भी समुचित प्रकाश डाला है । ऋषभदेव के पुत्र भरत की दिग्विजय का वर्णन करने में तो चूर्णिकार ने सचमुच कमाल कर दिया है । युद्धकला के चित्रण में आचार्य ने सामग्री एवं शैली दोनों दृष्टियों में सफलता प्राप्त की है । चूर्णिकार के इसी एक अंग से चूर्णिकार के प्रतिपादन—कौशल एवं साहित्यिक अभिरुचि का पता लग सकता है । सैनिक प्रयाण का एक दृश्य देखिए

असिखेवणिखरगचावणारायकणमकप्पणिसूललउडाभिडिमालधणुतोण-
सरपहरणेहि य कालणीलहरपीतसुविकलललअणेगच्चिधसयसण्णिविद्ध
अफफोडितसीहणायच्छेलितहयहेसितहत्थिगुलुगुलाइतअणेगरहसयसहस्सघण-
घणेतणिहम्ममाणसद्दसहितेण जमग समक भभाहोरभकिणितखरमुहिमुगद-
सखीयपरिलिवव्वयपीरव्वायणिवसवेणुवोणावियच्चिमहत्तिकच्छभिरिगिसिगि-
कलतालकसतालकर धाणुत्थिदेण मनिनादेण सकलमवि जीवलोगं
पूरयते ।^५

१ वही, पृ० ८५ २ वही, पृ० ८७-९१. ३. वही, पृ० १२१

४ देखिए—आवश्यकनियुक्ति, गा० १४०-१.

५ आवश्यकचूर्णि (पूर्वभाग), पृ० १८७

भरत का राज्याभिषेक, भरत और बाहुबलि का युद्ध, बाहुबलि को केवलज्ञान की प्राप्ति आदि घटनाओं का वर्णन भी आचार्य ने कुशलतापूर्वक किया है। इस प्रकार ऋषभदेवसम्बन्धी वर्णन समाप्त करते हुए चक्रवर्ती, वासुदेव आदि का भी थोड़ा-सा परिचय दिया है तथा अन्य तीर्थंकरों की जीवनी पर भी किञ्चित् प्रकाश डाला गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि भगवान् महावीर के पूर्वभव के जीव मरीचि ने किस प्रकार भगवान् ऋषभदेव से दीक्षा ग्रहण की और किस प्रकार परीषद्दो से भयभीत होकर स्वतन्त्र सम्प्रदाय की स्थापना की। इस वर्णन में मूल बातें वही हैं जो आवश्यकनियुक्ति में हैं।^१

निर्गमद्वार के प्रसंग से इतनी लम्बी चर्चा होने के बाद पुनः भगवान् महावीर का जीवन-चरित्र प्रारम्भ होता है। मरीचि का जीव किस प्रकार अनेक भवों में भ्रमण करता हुआ ब्राह्मणकुण्ड ग्राम में देवानन्दा ब्राह्मणी की कुक्षि में जाता है, किस प्रकार गर्भापहरण होता है, किस प्रकार राजा सिद्धार्थ के पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, किस प्रकार सिद्धार्थसुत वर्धमान का जन्माभिषेक किया जाता है आदि बातों का विस्तृत वर्णन करने के बाद आचार्य ने महावीर के कुटुम्ब का भी थोड़ा-सा परिचय दिया है। वह इस प्रकार है ^२

समणे भगव महावीरे कासवगोत्तेण, तस्स ण ततो णामधेज्जा एव-
माहिज्जति, तजहा-अम्मापिउसतिए वद्धमाणे सहसमुदिते समणे अयले
भयभेरवाण खता पडिमासतपारए अरतिरतिसहे दविए धितिविरिय
सपन्ने परीसहोवसग्गसहेत्ति देवेहि से कत णाम समणे भगव महावीरे।
भगवतो माया चेडगस्स भगिणी, भोयी चेडगस्स धुआ, णाता णाम जे
उसभसामिस्स सयाणिज्जगा ते प्पातवसा, पित्तिज्जए सुपासे, जेट्ठे भाता
णदिवद्धणे, भगिणी सुदसणा, भारिया जसोया कोडिन्नागोत्तेण, धूया कास-
वीगोत्तेण तीसे दो नामधेज्जा, त०-अणोज्जगित्ति वा पियदसणावित्ति वा,
णत्तुई कोसीगोत्तेण, तीसे दो नामधेज्जा (जसवतीति वा) सेसवतीति
वा, एव (य) नामाहिगारे दरिसित।

भगवान् महावीर के जीवन से सम्बन्धित निम्न घटनाओं का विस्तृत वर्णन चूर्णिकार ने किया है। धर्मपरीक्षा, विवाह, अपत्य, दान, सम्बोध, लोकान्तिका-
गमन, इन्द्रागमन, दीक्षामहोत्सव, उपसर्ग, इन्द्र-प्रार्थना, अभिग्रहपचक, अच्छदक-
वृत्त, चण्डकौशिकवृत्त, गोशालकवृत्त, सगमककृत उपसर्ग, देवीकृत उपसर्ग,
वैशाली आदि में विहार, चन्दनबालावृत्त, गोपकृत, शलाकोपसर्ग, केवलोत्पाद,
समवसरण, गणधरदीक्षा आदि। देवीकृत उपसर्ग का वर्णन करते समय आचार्य के

१. देखिए—आवश्यकनियुक्ति, गा० ३३५-४४०

२. आवश्यकचूर्णि (पूर्वभाग), पृ० २४५.

देवियों के रूप-लावण्य, स्वभाव-चापल्य, शृंगार-सौन्दर्य आदि का सरस एव सफल चित्रण किया है। इसी प्रकार भगवान् के देह-वर्णन में भी आचार्य ने अपना साहित्य-कौशल दिखाया है।

क्षेत्र, काल आदि शेष द्वारों का व्याख्यान करते हुए चूर्णिकार ने नयाचिकार के अन्तर्गत वज्रस्वामी का जीवन-वृत्त प्रस्तुत किया है और यह बताया है कि आर्य वज्र के बाद होने वाले आर्य रक्षित ने कालिक का अनुयोग पृथक् कर दिया। इस प्रसंग पर आर्य रक्षित का जीवन-चरित्र भी दे दिया गया है। आर्य रक्षित के मातुल गोष्ठामाहिल का वृत्त देते हुए यह बताया गया है कि वह भगवान् महावीर के शासन में सप्तम निह्व के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जमालि, तिष्यगुप्त, आषाढ, अश्वमित्र, गगसूरि और षड्लूक—ये छ निह्व गोष्ठामाहिल के पूर्व ही चुके थे। इन सातों निह्वों के वर्णन में चूर्णिकार ने नियुक्तिकार का अनुसरण किया है। साथ ही भाष्यकार का अनुसरण करते हुए चूर्णिकार ने अष्टम निह्व के रूप में बोटिक—दिगम्बर का वर्णन किया है और कथानक के रूप में भाष्य की गाथा उद्धृत की है।^१

इसके बाद आचार्य ने सामायिकसम्बन्धी अन्य आवश्यक बातों का विचार किया है, जैसे सामायिक के द्रव्य-पर्याय, नयदृष्टि से सामायिक, सामायिक के भेद, सामायिक का स्वामी, सामायिक-प्राप्ति का क्षेत्र, काल, दिशा आदि, सामायिक की प्राप्ति करने वाला, सामायिक की प्राप्ति के हेतु, एतद्विषयक आनन्द, कामदेव आदि के दृष्टान्त, अनुकम्पा आदि हेतु और मेठ, इन्द्रनाग, कृतपुण्य, पुण्यशाल, शिवराजर्षि, गगदत्त, दशार्णभद्र, इलापुत्र आदि के उदाहरण, सामायिक की स्थिति, सामायिकवालों की सख्या, सामायिक का अन्तर, सामायिक का आकर्षण, समभाव के लिए दमदन्त का दृष्टान्त, समता के लिए मेतार्य का उदाहरण, समास के लिए चिलातिपुत्र का दृष्टान्त, सक्षेप और अनवद्य के लिए तपस्वी और धर्मरुचि के उदाहरण, प्रत्याख्यान के लिए तेतलीपुत्र का दृष्टान्त। यहाँ तक उपोद्घातनिर्युक्ति की चूर्ण का अधिकार है।

सूत्रस्पशिकनिर्युक्ति की चूर्ण में निम्न विषयों का प्रतिपादन किया गया है : नमस्कार की उत्पत्ति, निक्षेपादि, राग के निक्षेप, स्नेहराग के लिए अरहन्नक का दृष्टान्त, द्वेष के निक्षेप और धर्मरुचि का दृष्टान्त, कषाय के निक्षेप और जमदग्न्यादि के उदाहरण, अहंनमस्कार का फल, सिद्धनमस्कार और कर्म सिद्धादि, औत्पत्तिकी, वैनयिकी, कर्मजा और पारिणामिकी बुद्धि, कर्मक्षय और समुद्घात,

१ वही, पृ० ४२७, (निह्ववाद के लिए देखिए—विशेषावश्यकभाष्य, गा० २३०६-२६०९)

अयोगिगुणस्थान और योगनिरोध, सिद्धो का सुज, अवगाह आदि, आचार्य-नमस्कार, उपाध्यायनमस्कार, सामुनमस्कार, नमस्कार का प्रयोजन आदि । यहाँ तक नमस्कारनियुक्ति की चूर्ण का अधिकार है ।

सामायिकनियुक्ति की चूर्ण में 'करेमि' इत्यादि पदों की पदच्छेदपूर्वक व्याख्या की गई है तथा छः प्रकार के करण का विस्तृत निरूपण किया गया है । यहाँ तक सामायिकचूर्ण का अधिकार है ।

सामायिक अध्ययन की चूर्ण समाप्त करने के बाद आचार्य ने द्वितीय अध्ययन चतुर्विंशतिस्तव पर प्रकाश डाला है । इसमें नियुक्ति का ही अनुसरण करते हुए स्तव, लोक, उद्योत, धर्म, तीर्थंकर आदि पदों का निक्षेप-पद्धति से व्याख्यान किया गया है । प्रथम तीर्थंकर ऋषभ का स्वरूप बताते हुए चूर्णिकार कहते हैं वृष उद्वहने, उद्वूढ तेन भगवता जगत्ससारभग तेन ऋषभ इति, सर्व एव भगवन्तो जगदुद्वहन्ति अतुल नाणदमणचरित वा, एते सामण्ण वा, विसेसो ऊरुपु दोसुवि भगवतो उसभा ओपरामुहा तेण निव्वत्त वारसाहस्स नाम कत्त उसभो त्ति ।^१ इसी प्रकार अन्य तीर्थंकरों का स्वरूप भी बताया गया है ।

तृतीय अध्ययन वन्दना का व्याख्यान करते हुए आचार्य ने अनेक दृष्टान्त दिये हैं । वन्दनकर्म के साथ-ही-साथ चितिकर्म, कृतिकर्म, पूजाकर्म और विनय-कर्म का भी सोदाहरण विवेचन किया है । वन्द्यावन्द्य का विचार करते हुए चूर्णिकार ने वन्द्य श्रमण का स्वरूप इस प्रकार बताया है श्रमु तपसि खेदे च, श्राम्यतीति श्रमण त वदेज्ज, केरिस ? 'मेधावि' मेरया धावतीति मेधावी, अहवा मेधावी—विज्ञानवान् त; पाठान्तरं वा समण वदेज्जु मेधावी । तेण मेधाविणा मेधावी वंदितव्वो, चउभगी, चउत्थे भगे कितिकमफल भवतीति, सेसएसु भयणा । तथा 'सजतं' सम पावोवरत, तथा 'सुसमाहित' सुदुद्धु समाहित सुसमाहित णाणदसणचरणेसु ममुज्जतमिति यावत्, को य सो एवभूत ? पचसमितो तिगुत्तो अट्ठहि पवयणमाताहि ठितो ।^२ मेधावी, सयत और सुसमाहित श्रमण की वन्दना करनी चाहिए । निम्नलिखित पाँच प्रकार के श्रमण अवन्द्य हैं - १ आजोवक, २ तापस, ३. परिप्राजक, ४ तच्चणिय, ५. बोटिक । इसी प्रकार पार्श्वस्थ आदि भी अवन्द्य हैं । चूर्णिकार स्वयं लिखते हैं किं च, इमेवि पच ण वदियव्वा समणसद्देवि सति, जहा आजोवगा तावसा परिव्वायगा तच्चणिया बोडिया समणा वा इम सासण पडिवन्ना, ण य ते अन्नतित्थे ण य सतित्थे जे वि सतित्थे-

न प्रतिज्ञामणुपालयन्ति ते वि पच पासत्थादी ण वदितव्वा ।^१ आगे आचार्य ने कुशीलससर्गत्याग, लिंग, ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यवाद, आलबनवाद, वद्यवदकसबध, वद्यावद्यकाल, वदनसख्या, वदनदोष, वदनफल आदि का दृष्टान्तपूर्वक विचार किया है ।

प्रतिक्रमण नामक चतुर्थ अध्ययन का विवेचन करते हुए चूर्णिकार कहते हैं कि प्रतिक्रमण का शब्दार्थ है प्रतिनिवृत्ति । प्रमाद के वश अपने स्थान (प्रतिज्ञा) से हट कर अन्यत्र जाने के बाद पुन अपने स्थान पर लौटने की जो क्रिया है वही प्रतिक्रमण है । इसी बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य ने दो श्लोक उद्धृत किये हैं .^२

स्वस्थानाद्यत्पर स्थान, प्रमादस्य वशाद् गत ।

तत्रैव क्रमण भूयः, प्रतिक्रमणमुच्यते ॥ १ ॥

क्षायोपशमिकाद्वापि, भावादौदयिक गतः ।

तत्रापि हि स एवार्थं, प्रतिकूलगमात् स्मृत ॥ २ ॥

इसी प्रकार चूर्णिकार ने प्रतिक्रमण का स्वरूप समझाते हुए एक प्राकृत गाथा भी उद्धृत की है जिसमें बताया गया है कि शुभ योग में पुन प्रवर्तन करना प्रतिक्रमण है । वह गाथा इस प्रकार है .^३

पति पति पवत्तण वा सुभेसु जोगेसु मोक्खफलदेसु ।

निस्सल्लस्स जतिस्सा ज तेण त पडिक्कमण ॥ १ ॥

चूर्णिकार ने नियुक्तिकार की ही भाँति प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण और प्रतिक्रातव्य—इन तीनों दृष्टियों से प्रतिक्रमण का व्याख्यान किया है । इसी प्रकार प्रतिचरणा, परिहरणा, वारणा, निवृत्ति, निंदा, गर्हा, शुद्धि और आलोचना का विवेचन करते हुए आचार्य ने तत्तद्विषयक कथानक भी दिये हैं । प्रतिक्रमण-सम्बन्धी सूत्र के पदों का अर्थ करते हुए कायिक, वाचिक और मानसिक अतिचार, ईर्यापथिकी विराधना, प्रकामशय्या, भिक्षाचर्या, स्वाध्याय आदि में लगने वाले दोषों का स्वरूप समझाया गया है । इसी प्रसंग पर चार प्रकार की विकथा, चार प्रकार का ध्यान, पाँच प्रकार की क्रिया, पाँच प्रकार के कामगुण, पाँच प्रकार के महान्नत, पाँच प्रकार की समिति, परिष्ठापना, प्रतिलेखना आदि का अनेक आख्यानों एवं उद्धरणों के साथ प्रतिपादन किया गया है । एकादश उपासकप्रतिमाओं का स्वरूप समझाते हुए चूर्णिकार ने 'एत्थ कहवि अण्णोवि पाढो दीसति'^४ इन शब्दों के साथ पाठांतर भी दिया है । इसी प्रकार द्वादश भिक्षु प्रतिमाओं का भी वर्णन किया गया है . तेरह क्रियास्थान, चौदह भूतग्राम

एव गुणस्थान, पद्म परमार्थिक, सोलह अध्ययन (सूत्रकृत के प्रथम श्रुतस्कन्ध के अध्ययन), सत्रह प्रकार का असयम, अठारह प्रकार का अन्रह्य, उत्क्षिप्तना आदि उन्नीस अध्ययन, बीस असमाधि-स्थान; इक्कीस शबल (अविशुद्ध चारित्र), बाईस परीषह, तेईस सूत्रकृत के अध्ययन (पुडरीक आदि), चौबीस देव, पचीस भावनाएँ, छब्बीस उद्देश (दशाश्रुतस्कन्ध के दस, कल्प—बृहत्कल्प के छः और व्यवहार के दस),^१ सत्ताईस अनगार-गुण, अट्ठाईस प्रकार का आचारकल्प, उनतीस पापश्रुत, तीस मोहनीय-स्थान, इकतीस सिद्धादिगुण, बत्तीस प्रकार का योगसंग्रह आदि विषयो का प्रतिपादन करने के बाद आचार्य ने ग्रहणशिक्षा और आसेवनशिक्षा—इन दो प्रकार की शिक्षाओं का उल्लेख किया है और बताया है कि आसेवनशिक्षा का वर्णन उसी प्रकार करना चाहिए जैसा कि ओषसामाचारी और पदविभागसामाचारी में किया गया है . आसेवणसिक्खा जथा ओह-सामायारीए पयविभाफसामाचारीए य वण्णित ।^२ शिक्षा का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए अभयकुमार का विस्तृत वृत्त भी दिया गया है । इसी प्रसंग पर चूर्णिकार ने श्रेणिक, चेल्लणा, सुलसा, कोणिक, चेटक, उदायी, महापद्यनद, शकटाल, वररुचि, स्थूलभद्र आदि से सबधित अनेक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक आख्यानो का संग्रह किया है । अज्ञातोपघानता, अलोभता, तितिक्षा, आर्जव, शुचि, सम्यग्दर्शनविशुद्धि, समाधान, आचारोपगत्व, विनयोपगत्व, घृतिमति, सवेग, प्रणिधि, सुविधि, सवर, आत्मदोषोपसहार, प्रत्याख्यान, व्युत्सर्ग, अप्रमाद, ध्यान, वेदना, सग, प्रायश्चित्त, आराधना, आशातना, अस्वाध्यायिक, प्रत्युपेक्षणा आदि प्रतिक्रमणसम्बन्धी अन्य आवश्यक विषयो का दृष्टान्तपूर्वक प्रतिपादन करते हुए प्रतिक्रमण नामक चतुर्थ अध्ययन का व्याख्यान समाप्त किया है । आत्म-दोषोपसहार का वर्णन करते हुए व्रत की महत्ता बताने के लिए आचार्य ने एक सुन्दर श्लोक उद्धृत किया है जिसे यहाँ देना अप्रासंगिक न होगा । वह श्लोक इस प्रकार है .^३

वर प्रविष्ट ज्वलित हुताशन, न चापि भग्न चिरसचित्त व्रतम् ।

वर हि मृत्युः परिशुद्धकर्मणो, न शीलवृत्तस्खलितस्य जीवितम् ॥ १ ॥

अर्थात् जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर लेना अच्छा है किन्तु चिरसचित्त व्रत को भग्न करना ठीक नहीं । विशुद्धकर्मशील होकर मर जाना अच्छा है किन्तु शील से खलित होकर जीना ठीक नहीं ।

१ दस उद्देशणकाला दसाण कप्पस्स होति छच्चेव ।

दस चैव य व्यवहारस्स होति सव्वेवि छब्बीस ॥—पृ० १४८

२ पृ० १५७-८

३ पृ० २०२

पचम अध्ययन कायोटमर्ग को व्याख्या के प्रारंभ में पञ्चविक्रमा (पञ्च-
तिगिच्छा) का प्रतिपादन किया गया है और कहा गया है कि षण्ण दो प्रकार का
होता है - इत्यमन और भावयम । इत्यमन की ओत्पादि से विक्रिया होती है ।
भावयम अतिशयत्प दे विषका विक्रिया पायचित्त में जाता है । यह पावचित्त
दस प्रकार का है - जालोत्पा, पतिक्रमण, अनुभय, शिवेक, अणुगमं, तप, उद,
मूल, जनवस्थान और पाराचिक । चूर्ण का मूल पाठ इन प्रकार है : सा य
वणो दुविधो—द्वये नावे य, द्वावणो जोगहारीहृ तिगिच्छिज्जति,
भाववणो नगमानिगारो नन्म पायचित्तनेण तिगिच्छणा, एतेणावमरेण
पायचित्तन परुविज्जति । पञ्चतिगिच्छा अणुगमो य, त पायचित्तं दमपिह

१) इन प्रकार के पायचित्तों का सिद्ध अर्थन सोपान्य मूल में शान्त
चाहिए । कायोत्तर्ग में शान और उन्नयन दो पर है । काय का निश्चय नाम
त्रादि चार प्रकार का है । उत्तर्ग का निश्चय नाम त्रादि ७ प्रकार का
है । कायोत्तर्ग के दो भेद हैं - चेष्टाकायात्तर्ग और अभिभयकायोत्तर्ग ।
अभिभयकायात्तर्ग शर कर अथवा दृग कर किया जाता है । चेष्टाकायोत्तर्ग चेष्टा
अर्थात् गमनादि प्रवृत्ति के कारण किया जाता है । तथापि ये पराजित होकर
कायोत्तर्ग करना अभिभयकायोत्तर्ग है । पराजितनादि के कारण जो
कायात्तर्ग किया जाता है यह चेष्टाकायात्तर्ग है जो पुण काउत्तर्गो दुविधो-
चेष्टाकाउत्तर्गा य अभिभयकाउत्तर्गो य, अभिभवो णाम अभिभूतो
वा परेण पर वा अभिभय कुणनि, परेणाभिभूतो, तथा त्णोददि अभिभूतो
सव्व मरीरादि वीणिगमिति काउत्तर्ग करेति, पर वा अभिभय काउत्तर्ग
करेति, तथा तित्थमगे देवमणयादिणा अणुलोमपिण्णोमकारिणो भयादी
पच अभिभय काउत्तर्ग कातु पतिज्ञा परेति, चेष्टाकाउत्तर्गो चेष्टातो
निष्फण्णो जथा गमणागमणादिमु काउत्तर्गो कौरति । कायात्तर्ग के
प्रशस्त और अप्रशस्त ये दो अर्थ उचित त्रादि नो भेद भी होते हैं । उन
भेदा का वर्णन करने के बाद श्रुत, मिद त्रादि की स्तुति का विवेचन किया गया
है तथा धामना की विधि पर प्रकाश डाला गया है । कायोत्तर्ग के दोष, फल
आदि का वर्णन करते हुए पचम अध्ययन का व्याख्यान समाप्त किया गया है ।

षष्ठ अध्ययन प्रत्याख्यान की चर्चा में प्रत्याख्यान के भेद, श्रावक के भेद,
सम्यक्त्व के अतिचार, स्थूलप्राणानिपातविरमण और उसके अतिचार, स्थूलमूपा-
वादविरमण और उसके अतिचार, स्थूलब्रह्मदानविरमण और उसके अतिचार,
स्वदारसतोप और परदारप्रत्याख्यान एवं तत्सम्बन्धी अतिचार, परिग्रहपरिमाण
एव तद्विषयक अतिचार, तीन गुणव्रत और उनके अतिचार, चार शिक्षाव्रत और

उनके अतिचार, दस प्रकार के प्रत्याख्यान, छ' प्रकार की विशुद्धि, प्रत्याख्यान के गुण और आगार आदि का विविध उदाहरणों के साथ व्याख्यान किया गया है। बीच-बीच में यत्र-तत्र अनेक गाथाएँ एवं श्लोक भी उद्धृत किये गये हैं। अन्त में प्रस्तुत संस्करण की प्रति के विषय में लिखा गया है कि स० १७७४ में पं० दीपविजयगणि ने प० न्यायसागरगणि को आवश्यकचूर्ण प्रदान की स० १७७४ वर्षे पं० दीपविजयगणिना आवश्यकचूर्णिः प० श्रीन्यायसागरगणिभ्यः प्रदत्ता ।^१

आवश्यकचूर्ण के इस परिचय से स्पष्ट है कि चूर्णिकार जिनदासगणि महत्तर ने अपनी प्रस्तुत कृति में आवश्यकनियुक्ति में निर्दिष्ट सभी विषयों का विस्तार-पूर्वक विवेचन किया है तथा विवेचन की सरलता, सरसता एवं स्पष्टता की दृष्टि से अनेक प्राचीन ऐतिहासिक एवं पौराणिक आख्यान उद्धृत किये हैं। इसी प्रकार विवेचन में यत्र-तत्र अनेक गाथाओं एवं श्लोकों का समावेश भी किया है। यह सामग्री भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।



पंचम प्रकरण

दशवैकालिकचूर्णि (जिनदासगणिकृत)

यह चूर्णि^१ भी नियुक्ति का अनुमरण करते हुए लिखी गई है तथा द्रुम-पुष्पिका आदि दस अव्ययन एव दो चूलिकाएँ—इस प्रकार बारह अव्ययनों में विभक्त है। इसकी भाषा मुख्यतया प्राकृत है। प्रथम अव्ययन में एकक, काल, द्रुम, घर्म आदि पदों का निक्षेप-पद्धति से विचार किया गया है तथा शय्यभववृत्त, दस प्रकार के श्रमणघर्म, अनुमान के विविध अवयव आदि का प्रतिपादन किया गया है। संक्षेप में प्रथम अव्ययन में घर्मों की प्रशंसा का वर्णन किया गया है। द्वितीय अव्ययन का मुख्य विषय घर्म में स्थित व्यक्ति को धृति कराना है। चूर्णिकार इस अव्ययन की व्याख्या के प्रारम्भ में ही कहते हैं कि 'अव्ययन' के चार अनुयोगद्वारों का व्याख्यान उसी प्रकार समझ लेना चाहिए जिस प्रकार आवश्यक-चूर्णि में किया गया है।^२ इसके बाद श्रमण के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए पूर्व, काम, पद, शीलागसहस्र आदि पदों का सोदाहरण विवेचन किया गया है। तृतीय अव्ययन में दृढधृतिक के आधार का प्रतिपादन किया गया है। इसके लिए महत्, क्षुल्लक, आचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्र्याचार, तपाचार, वीर्याचार, अर्थकथा, कामकथा, घर्मकथा, मिश्रकथा, अनाचोर्ण, सयतस्वरूप आदि का विचार किया गया है। चतुर्थ अव्ययन की चूर्णि में जीव, अजीव, चारित्र्य-घर्म, यतना, उपदेश, घर्मफल आदि के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। पंचम अव्ययन की चूर्णि में साधु के उत्तरगुणों का विचार किया गया है जिसमें पिण्डस्वरूप, भक्तपानैपणा गमनविधि, गोचरविधि, पानकविधि, परिष्ठापनविधि, भोजनविधि, आलोचनविधि आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। बीच-बीच में कहीं-कहीं पर मासाहार, मद्यपान आदि की चर्चा भी की गई है।^३ षष्ठ अव्ययन में घर्म, अर्थ, काम, व्रतपट्टक, कायपट्टक आदि का प्रतिपादन किया गया है। इस अव्ययन की चूर्णि में आचार्य ने अपने संस्कृत व्याकरण के पाण्डित्य का भी अच्छा परिचय दिया है। सप्तम अव्ययन की चूर्णि में भाषासम्बन्धी विवेचन है। इसमें भाषा की शुद्धि, अशुद्धि, सत्य, मृषा, सत्यमृषा-

१. श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेतावर सस्था, रतलाम, सन् १९३३.

२. दशवैकालिकचूर्णि, पृ. ७१. ३ वही, पृ. १८४, १८७, २०२, २०३.

असत्यमृषा आदि का विचार किया गया है। अष्टम अध्ययन की चूर्ण में इन्द्रियादि प्रणिधियो का विवेचन किया गया है। नवम अध्ययन की चूर्ण में लोकोपचारविनय, अर्थविनय, कामविनय, भयविनय, मोक्षविनय आदि की व्याख्या की गयी है। दशम अध्ययन में भिक्षुसम्बन्धी गुणो पर प्रकाश डाला गया है। चूर्णिकाओ की चूर्ण में रति, अरति, विहारविधि, गृहिवैयावृत्यनिषेध, अनिकेतवास आदि विषयो से सम्बन्धित विवेचन है। चूर्णिकार ने स्थान-स्थान पर अनेक ग्रन्थों के नामों का निर्देश भी किया है।^१



१. तरगवती—पृ. १०६, ओघनियुक्ति—पृ. १७५, पिण्डनियुक्ति—
पृ. १७८ आदि।

षष्ठ प्रकरण

उत्तराध्ययनचूर्णि

यह चूर्णि भी नियुक्त्यनुसारो है तथा संहृतनिश्चित प्राप्त मे लिगी गई है। इसमें नयोग, पुद्गलबन्ध, नस्वान, विनय, क्रोधधारण, अनुशासन, परोपह, धर्मविज्ञ, मरण, निर्गन्धपत्रक, नगसंस्कार, धानक्रियेकाल आदि विषया पर सोदाहरण प्रकाश डाला गया है। योगीपद का विवेचन करते हुए जानाये ने नारी-स्वभाव की रंगी भाषाचला की है और इन पत्रग पर निम्नलिखित दो श्लोक भी उद्धृत किये हैं

एता ह्यनि न ररति च अर्थितोविद्वानयति न पन् न च विद्वयति ।
तन्मान्दरेण कुलशौलसमन्वितेन, नायं. स्मशानमुमना इय वजनीया ॥ १ ॥
समुद्रवीचीचपस्वभावा, नध्याभ्ररेणोव मुहूर्तरागा ।
स्त्रिय. इनाथा पुरुष निरथं क, नीपीडितालवत (क) वत् त्यजति ॥ २ ॥

—उत्तराध्ययनचणि, पृ ६५.

हरिरेणोय अप्यया की चूर्णि मे जाचाय ने अत्राक्षण के लिए नियुक्त वाता की ओर निर्देश करते हुए शत्रु के लिए निम्न श्लोक उद्धृत किया है -

न शूद्राय वलि दयान्तोच्छिष्ट न हवि वृत्तम् ।
न चान्योपदिशेद् धर्मं, न चास्य धतमादिशेत् ॥

—यही, पृ. २०५

चूर्णिकार ने चर्णि के अन्त में अपना परिचय देते हुए स्वयं को वाणिज्य-कुलीन, कोटिकर्णोय, उच्चशास्त्री गोपालगणिमहत्तर का विषय बताया है। वे गाथाएँ इस प्रकार हैं

वाणिजकुलसभूओ कोटियगणिओ उ वयरसाहीतो ।
गोवालियमहत्तरओ, विवग्वाओ आसि लोगमि ॥ १ ॥
ससमयपरममयविऊ, ओयस्सी दित्तिम सुगभीरो ।
सीमगणसपरिवुजे, वक्खाणरतिप्पिओ आसी ॥ २ ॥
तेसि सासेण इम, उत्तरज्झयणाण चुण्णिखड तु ।
रइय अणुमगहत्थ, सीसाण मदवुट्टीण ॥ ३ ॥

१. श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी ध्वेताम्बर सस्या, रतलाम, सन् १९३३.

ज एत्थ उस्सुत्त, अयाणमाणेण विरतित होज्जा ।

त अणुओगधरा मे, अणचित्तेउ' समारेतु ॥ ४ ॥

—वही, पृ. २८३.

दशवैकालिकचूर्णि भी नि सन्देह उन्ही आचार्य की कृति है जिनकी उत्तरा-
-ध्ययनचूर्णि है इतना ही नहीं, दशवैकालिकचूर्णि उत्तराध्ययनचूर्णि से पहले लिखी
-गई है। इसका प्रमाण उत्तराध्ययनचूर्णि में मिलता है जो इस प्रकार है :
षष्ठोपि चित्तो नानाप्रकारो प्रकीर्णतपोभिधीयते, तदन्यत्राभिहित, शेषं
दशवैकालिकचूर्णी अभिहित ' १ यहाँ आचार्य ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि
प्रकीर्णतप के विषय में अन्यत्र कह दिया गया है और शेष दशवैकालिकचूर्णि में
कह दिया गया है। जिस स्वर में आचार्य ने यह लिखा है कि इसके विषय में
अन्यत्र कह दिया गया है उसी स्वर में उन्होंने यह भी लिखा है कि शेष दश-
वैकालिकचूर्णि में कह दिया गया है। इस स्वरसाम्य को देखते हुए यह कथन
अनुपयुक्त नहीं कि उत्तराध्ययन और दशवैकालिक की चूर्णियाँ एक ही आचार्य
की कृतियाँ हैं तथा दशवैकालिकचूर्णि की रचना उत्तराध्ययनचूर्णि से पूर्व की है।



सप्तम प्रकरण आचारांगचूर्णि

इस चूर्णि में प्रायः उन्ही विषयो का विवेचन है जो आचाराग-नियुक्ति में है। नियुक्ति की गायत्रो के आचार पर ही यह चूर्णि लिखी गई है अतः ऐसा होना स्वाभाविक है। इसमें वर्णित विषयो में से कुछ के नामों का निर्देश करना अप्रासंगिक न होगा। प्रथम श्रुतस्कन्ध की चूर्णि में मुख्यरूप से निम्न विषयो का व्याख्यान किया गया है अनुयोग, भग, जाचार, ब्रह्म, वर्ण, आचरण, शस्त्र, परिज्ञा, मज्ञा, दिक्, सम्पत्त्व, योनि, ऋमं, पृथ्वी आदि काय, लोक, विजय, गुणस्थान, परिताप, विहार, रति, अरति, लोभ, जुगुप्सा, मोघ, ज्ञाति, जातिमरण, एषणा, देशना, बन्ध-भोक्त, शीतोष्णादि परोपह, तत्त्वार्थश्रद्धा, जोवरक्षा, अचेलत्व, मरण, नलेयना, समनाजत्व, यामत्रय, त्रिवस्त्रता, वीरदोषा, देवद्वय, सवस्त्रता। चूर्णिकार ने भी निक्षेपपद्धति का ही आगर किया है।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध की व्याख्या करते हुए चूर्णिकार ने मुख्यरूप से निम्न विषयो का विवेचन किया है अत्र, प्राणमसक्त, पिण्डेषणा, शय्या, ईर्या, भाषा, वस्त्र, पात्र, अवग्रहमप्तक सप्तनप्तक, नात्रना, विमुक्ति। चूंकि आचारागसूत्र का मूल प्रयोजन श्रमणों के आचार-विचार की प्रतिष्ठा करना है अतः प्रत्येक विषय का प्रतिपादन इसी प्रयोजन की दृष्टि में रचित हुए किया गया है।

प्राकृतप्रधान प्रस्तुत चूर्णि में यत्र-तत्र सन्कृत के श्लोक भी उद्धृत किये गये हैं। इनके मूत्र स्थल की त्वाज न करते हुए उदाहरण के रूप में कुछ श्लोक यहाँ उद्धृत किये जाते हैं। आगम के प्रामाण्य की पुष्टि के लिए निम्न श्लोक उद्धृत किया गया है :

जिनेन्द्रवचन सूक्ष्महेतुभिर्यदि गृह्यते ।
आज्ञया तद्ग्रहीतव्य, नान्यथावादिनो जिना. ॥

—आचारागचूर्णि, पृ० २०.

स्वजन से भी धन अधिक प्यारा होता है, इसका समर्थन करते हुए कहा गया है

१. श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेतावर सस्था, रतलाम, सन् १९४१.

प्राणैः प्रियतरा. पुत्रा , पुत्रैः प्रियतर धनम् ।
स तस्य हरते प्राणान्, यो यस्य हरते धनम् ॥

—वही, पृ० ५५.

अपरिग्रह की प्रशंसा करते हुए कहा गया है :

तस्मै धर्मभूते देय, यस्य नास्ति परिग्रहः ।
परिग्रहे तु ये सक्ता, न ते तारयितु क्षमाः ॥

—वही, पृ० ५९

कामभोग से व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता, इस तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा गया है :

नाग्निस्तुष्यति काष्ठाना, नापगाना महोदधिः ।
नान्तकृत्सर्वभूताना, न पु सा वामलोचना ॥

—वही, पृ० ७५

साधु को किसी वस्तु की लाभ—प्राप्ति होने पर मद नहीं करना चाहिए तथा अलाभ—अप्राप्ति होने पर खेद नहीं करना चाहिए । जैसा कि कहा गया है -

लभ्यते लभ्यते साधु, साधु एव न लभ्यते ।
अलब्धे तपसो वृद्धिलब्धे देहस्य धारणा ॥

—पृ० ८१

इसी प्रकार स्थान-स्थान पर प्राकृत गाथाएँ भी उद्धृत की गई हैं । इन उद्धरणों से विषय विशेष-रूप से स्पष्ट होता है एव पाठक तथा श्रोता की रुचि में वृद्धि होती है ।



अष्टम प्रकरण

सूत्रकृतांगचूर्णि

इस चूर्णि^१ की शैली भी वही है जो आचारांगचूर्णि की है। इसमें निम्न विषयो पर प्रकाश डाला गया है : मंगलचर्चा, तीर्थसिद्धि, सघात, विस्रसाकरण, बन्धनादिपरिणाम, भेदादिपरिणाम, क्षेत्रादिकरण, आलोचना, परिग्रह, ममता, पचमहाभूतिक, एकात्मवाद, तज्जीवतच्छरीरवाद, अकारकात्मवाद, स्कन्धवाद, नियतिवाद, अज्ञानवाद, कर्तृवाद, त्रिराशिवाद, लोकविचार, प्रतिजुगुप्सा (गोमास, मद्य, लसुन, पलाङ्गु आदि के प्रति अर्हचि), वस्त्रादिप्रलोभन, शूरविचार, महावीर-गुण, महावीरगुणस्तुति, कुशीलता, सुशीलता, वीर्यनिरूपण, समाधि, दानविचार, समवसरणविचार, वैतयिकवाद, नास्तिकमतचर्चा, साख्यमतचर्चा, ईश्वरकर्तृत्वचर्चा, नियतिवादचर्चा, भिक्षुवर्णन, आहारचर्चा, वनस्पतिभेद, पृथ्वीकायादिभेद, स्याद्वाद, आजीविकमतनिरास, गोशालकमतनिरास, बौद्धमतनिरास, जातिवाद-निरास इत्यादि।

प्रस्तुत चूर्णि सस्कृतमिश्रित प्राकृत में लिखी गई है। इतना ही नहीं, चूर्णि को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें प्राकृत से भी सस्कृत का प्रयोग अधिक मात्रा में है। नीचे कुछ उद्धरण दिये जाते हैं जिन्हें देखने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें प्राकृत का कितना अंश है व सस्कृत का कितना ?

‘एतदि’ ति यदुक्तमुच्यते वा सार विद्धीति वाक्यशेषः, यत्किं ? उच्यते, जे ण हिंसति किंचण, किंचिदिति त्रस स्थावर वा, अहिंसा हि ज्ञानगतस्य फल, तथा चाह योऽधोत्य शास्त्रमखिल एव खु णाणिणो सार—।’

—सूत्रकृतांगचूर्णि, पृ० ६२.

विउट्ठतो णाम विच्युतो, यथा व्युत्थितोऽस्य विभवः, सपत् व्युत्थिताः, सयमप्रतिपन्न इत्यर्थः, पार्श्वस्थादीनामन्यतमेन वा क्वचिन्प्र-मादान्च कार्येण वा त्वरित गच्छन् जहा तुज्ज ण—?

—वही, पृ० २८८

लोगेवि भण्णइ—छिण्णसोता न दिति, सुट्ठु सजुत्ते सुसजुत्ते, सुट्ठु समिए सुसमिए, समभावः सामायिक सो भणई—सुट्ठु सामाइए सुसा-

१. श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर संस्था, रतलाम, सन् १९४१.

माइए, आतवापत्तेविऊत्ति अप्पणो वादो अत्तए वादो २ यथा—अस्त्यात्मा नित्यः अमूर्त्तः कर्त्ता भोक्ता उपयोगलक्षणो य एवमादि आसप्पवादो—।’

—वही, पृ० ३०७

अहावरे चउत्थे (सू० ५) णितिया जाव जहा जहा मे एस धम्मे सुअक्खाए, कयरे ते धम्मे ? णितियावादे, इह खलु दुवे पुरिसजाता एगे पुरिसे किरिया-मक्खति, किरिया कर्म परिस्पन्द इत्यर्थः, कस्यासौ किरिया ? पुरुषस्य, पुरुष एव गमनादिषु क्रियासु स्वतो अनुसन्धाय प्रवर्त्तते, एव भणित्तापि ते दोवि पुरिसा तुल्ला णियतिवसेण, तत्र नियतिवादी आत्मोय दर्शनं समर्थ-यन्निदमाह—यः खलु मन्यते ‘अहं करोमि’ इति असावपि नियत्या एव कार्यते अहं करोमीति—?

—वही, पृ० ३२२-३.



नवम प्रकरण

जीतकल्प-बृहच्चूर्णि

प्रस्तुत चूर्णि^१ सिद्धसेनसूरि की कृति है। इस चूर्णि के अतिरिक्त जीतकल्प सूत्र पर एक और चूर्णि लिखी गई है, ऐसा प्रस्तुत चूर्णि के अध्ययन से ज्ञात होता^२ है। यह चूर्णि अथ से इति तक प्राकृत में है। इसमें एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जिसमें संस्कृत शब्द का प्रयोग हुआ हो। प्रारंभ में आचार्य ने ग्यारह गाथाओं द्वारा भगवान् महावीर, एकादश गणधर, अन्य विशिष्ट ज्ञानी तथा सूत्रकार जिनभद्र क्षमाश्रमण—इन सबको नमस्कार किया है। ग्रंथ में यत्र-तत्र अनेक गाथाएँ उद्धृत की गई हैं। इन गाथाओं को उद्धृत करते समय आचार्य ने किसी ग्रंथ आदि का निर्देश न करके 'त जहा भणियं च', 'सो—इमो' इत्यादि वाक्यों का प्रयोग किया है।^३ इसी प्रकार अनेक गद्यांश भी उद्धृत किये गये हैं।

जीतकल्पचूर्णि में भी उन्ही विषयों का संक्षिप्त गद्यात्मक व्याख्यान है जिनका जीतकल्पभाष्य में विस्तार से विवेचन किया गया है। सर्वप्रथम आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा और जीतव्यवहार का स्वरूप समझाया गया है। जीत का अर्थ इस प्रकार किया गया है—जीयति वा करणिज्जंति वा आयरणिज्जति वा एयट्ठ। जीवेइ वा तिविहे वि काले तेण जीयं।^४ इसी प्रकार चूर्णिकार ने दस प्रकार के प्रायश्चित्त, नौ प्रकार के व्यवहार, मूलगुण, उत्तरगुण आदि का विवेचन किया है। अन्त में पुनः सूत्रकार जिनभद्र को नमस्कार करते हुए निम्न गाथाओं के साथ चूर्णि समाप्त की है :^५

इति जेण जीयदाण साहूणइयारपकपरिसुद्धिकर ।
गाहाहिं फुड रइय महुरपयत्थाहिं पावण परमहिय ॥
जिणभद्दखमासमण निच्छियसुत्तत्थदायगामलचरण ।
तमह वदे पयओ परम परमोवगारकारिणमहग्घ ॥



१. विषमपदव्याख्यानकृत सिद्धसेनगणिसन्दृब्ध बृहच्चूर्णिसमन्वित जीतकल्पसूत्र—
संपादक—मुनि जिनविजय, प्रकाशक—जेन साहित्य सशोधक समिति
अहमदाबाद, सन् १९२६

२. अहवा वितियचुन्निकाराभिपाएण चत्तारि—जीतकल्पचूर्णि, पृ० २३.

३. वही, पृ० ३, ४, २१ ४. वही, पृ० ४. ५. वही, पृ० ३०.

दशम प्रकरण

दशवैकालिकचूर्णि (अगस्त्यसिंहकृत)

यह चूर्णि^१ जिनदासगणि की कही जानेवाली दशवैकालिकचूर्णि से भिन्न है । इसके लेखक है वज्रस्वामी की शाखा—परपरा के एक स्थविर श्री अगस्त्य सिंह । यह प्राकृत में है । भाषा सरल एवं शैली सुगम है । इसकी व्याख्यानशैली के कुछ नमूने यहाँ प्रस्तुत करना अप्रासंगिक न होगा । आदि, मध्य और अन्त्य मगल की उपयोगिता बताते हुए चूर्णिकार कहते हैं :

आदिमगलेण आरम्भप्पभिति णिव्विसाया सत्थ पडिवज्जति, मज्झमगलेण अव्वासणेण पार गच्छति, अवसाणमगलेण सिस्स-पसिस्स-सताणे पडिवाएति । इम पुण सत्थ ससारविच्छेयकर ति सव्वमेव मगल तहावि विसेसो दरिसिज्जति—आदि मगलमिह ‘धम्मो मंगलमुक्कट्ठ’ (अध्य० १, गा० १) धारेति ससारे पडमाणमिति धम्मो, एत च परम समस्सासकारण ति मंगल । मज्झे धम्मत्थकामपढमसुत्त ‘णाणदसणस-पण्ण सज्जे य तवे रय’ (अध्य० ६, गा० १), एव सो चेव धम्मो विसेसिज्जति, यथा—‘सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः’ (तत्त्वा-अ० १-१) इति । अवसाणे आदिमज्झदिट्ठविसेसियस्स फल दरिसिज्जति ‘छिदित्तु जातोमरणस्स बध्ण उवेति भिक्खू अपुणागम गति’ (अध्य० १०, गा० २१), एव सफल सकल सत्थ ति ।—^२

दशकालिक, दशवैकालिक अथवा दशवैतालिक की व्युत्पत्ति बताते हुए कहा गया है -

‘दशक अज्जयणाण कालिय निरुत्तेण विहिणा ककारलोपे कृते दस-कालियं । अह्वा वेकालिय, मगलत्थ पुव्वण्हे सत्थारभो भवति, भग-वया पुण अज्जसेज्जवेण कहमवि अवरण्हकाले उवयोगो कतो, काला-

१. प्रस्तुत चूर्णि की हस्तलिखित प्रति मुनि श्री पुण्यविजयजी की कृपा से प्राप्त हुई अतः लेखक मुनि श्री का अत्यन्त आभारी है । यह प्रति जैसलमेरु ज्ञानभंडार से प्राप्त प्राचीन प्रति की प्रतिलिपि है ।

२. पृ० ३. . .

तवायविग्घपरिहारिणा य निज्जूढमेव, अतो विगते काले विकाले
इसकमज्जयणाण कतमिति दसवेकालिय । चउपोरिसितो सज्जायकाले
इम्मि विगते वि पढिज्जतीति विगयकालियं दसवेकालियं । दसम वा
वेतालियो पजाति वृत्तेहि णियमितमज्जयणमिति दसवेतालिय ।^१

पद्मजीवनिका नामक चतुर्थं अध्ययन के अर्थाधिकार का विचार करते हुए
चूर्णिकार कहते हैं :

जीवाजीवाहिगमो गाहा ।^२ पढमो जीवाहिगमो, अहिगमो—परि
णाण १ ततो अजीवाधिगमो २ चरित्तधम्मो ३ जयणा ४ उवएसो ५
धम्मफल । तस्स चत्तारि अणुओगद्दारा जहा आवस्सए । नामनिप्फणो
भण्णति—^३

दशवैकालिक के अत की दो चूलाओ—रतिवाक्यचूला और विविक्तचर्या-
चूला की रचना का प्रयोजन बताते हुए आचार्य कहते हैं :

धम्मे धित्तमतो खुड्ढियायारोवत्थित्तस्स विदित्तच्छक्कायवित्थरस्स
एसणीयादिधारितसरीरस्स समत्तायारावत्थित्तस्स वयणविभागकुसलस्स
सुप्पणिहितजोगजुत्तस्स विणीयस्स दसमज्जयणोपवण्णितगुणस्स समत्त-
सकलभिक्खुभावस्स विसेसेण थिरीकरणत्थ विवित्तचरियोवदेसत्थ च
उत्तरत तमुपदिट्ठ चूलितादुत रतिवक्क विवित्तचरिया चूलिता य । तत्थ
धम्मे थिरीकरणत्था रतिवक्कणामधेया पढमचूला भणित्ता । इदाणि विवित्त-
चरियोवदेसत्था वित्तिया चूला भाणितव्वा ।^४

अन्त में चूर्णिकार ने अपनी शाखा का नाम, अपने गुरु का नाम तथा
अपना खुद का नाम बताते हुए निम्न गाथाएँ लिखकर चूर्ण की पूर्णाहुति
की है :

वीरवरस्स भगवतो तित्थे कोडीगणे सुविपुलम्मि ।
गुणगणवइराभस्सा वेरसामिस्स साहाए ॥ १ ॥
महरिसिसरिससभावा भावाऽभावाण मुणितपरमत्था ।
रिसिगुत्तखमासमणो खमासमाण निधी आसि ॥ २ ॥

१ पृ० ७-८.

२ नियुक्तिगाथा—जीवाजीवाहिगमो चरित्तधम्मो तदेव जयणा य ।
उवएसो धम्मफल छज्जीवणियाइ अहिगारा ॥

३. पृ० १४६-७ ४ पृ० २९७

तेसिं सोसेण इमा कलसभवमइदणामधेज्जेण ।
 दसकालियस्स चुण्णी पयाणरयणातो उवण्णत्था ॥ ३ ॥
 रुयिरपदसधिणियता छड्ढियपुणरुत्तवित्थरपसगा ।
 वक्खाणमंतरेणावि सिस्समत्तिबोधणसमत्था ॥ ४ ॥
 ससमयपरसमयणयाण ज च ण समाधित पमादेण ।
 तं खमह पसाहेह य इय विण्णत्ती पवयणीण ॥ ५ ॥

चूर्णिकार का नाम कलशभवमृगेन्द्र अर्थात् अगस्त्यसिंह है। कलश का अर्थ है कुंभ, भव का अर्थ है उत्पन्न और मृगेन्द्र का अर्थ है सिंह। कलशभव का अर्थ हुआ कुभ से उत्पन्न होनेवाला अगस्त्य। अगस्त्य के साथ सिंह जोड़ देने से अगस्त्यसिंह बन जाता है। अगस्त्यसिंह के गुरु का नाम ऋषिगुप्त है। ये कोटिगणीय वज्रस्वामी की शाखा के हैं।

प्रस्तुत प्रति के अन्त में कुछ संस्कृत श्लोक हैं जिनमें मूल प्रति का लेखन कार्य सम्पन्न कराने वाले के रूप में शान्तिमति के नाम का उल्लेख है :

सम्यक् शान्तिमतिर्व्यलेखयदिद मोक्षाय सत्पुस्तकम् ।

प्रस्तुत चूर्ण के मूल सूत्रपाठ, जिनदासगणिकृत चूर्ण के मूल सूत्रपाठ तथा हरिभद्रकृत टीका के मूल सूत्रपाठ इन तीनों में कहीं-कहीं थोड़ा-सा अन्तर है। नीचे इनके कुछ नमूने दिये जाते हैं जिनसे यह अन्तर समझ में आ सकेगा। यही बात अन्य सूत्रों के व्याख्याग्रन्थों के विषय में भी कही जा सकती है। दशवैकालिक सूत्र की गाथाओं^१ के अन्तर के कुछ नमूने इस प्रकार हैं :

| अध्ययन गाथा | अगस्त्यसिंहकृत चूर्णि | जिनदासकृत चूर्णि | हरिभद्रकृत चूर्णि |
|-------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| १ | ३ मुक्का | मुक्ता | मुक्ता |
| १ | ३ साहबो | साहुणो | साहुणो |
| १ | ४ अहागडेहि पुप्फेहि | अहाकडेसु पुप्फेहि | अहागडेसु पुप्फेसु |
| २ | १ कह णु कुज्जा कतिह कुज्जा(पाठान्तर) | कतिहं कुज्जा कयाह कुज्जा (पाठा.) | कह णु कुज्जा कतिह कुज्जा (पा.) |
| | कयाह कुज्जा (,,) | कह णु कुज्जा (,,) | कयाह कुज्जा (,,) |
| | कहं सकुज्जा (,,) | | कथमह (कहह) |

१. गाथा-संख्या का आधार मुनि श्री पुण्यविजयजी द्वारा तैयार की गई दश-वैकालिक की हस्तलिखित प्रति है।

| | | | | |
|--------------|----|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| २ | ५ | छिदाहि राग | छिदाहि दोस | छिदाहि दोस |
| २ | ५ | विणए हि दोसं | विणएज्ज राग | विणएज्ज राग |
| ३ | ३ | सपुच्छण | सपुच्छणा | सपुच्छण |
| | | सपुच्छणो (पाठा) | | |
| ३ | १५ | खवेत्तु | खवेत्ता | खवेत्ता |
| ४ | ४ | चित्तमतमक्खा (पाठा) | चित्तमत्ता अक्खा (पाठा) | चित्तमतमक्खा (पाठा) |
| ४ | १० | इच्चेतेहि छहि जीवनिकायेहि | इच्चेतेहि छहि जीवनिकायेहि | इच्चेसि छण्ह जीवनिकायाण |
| ५ (प्र.उ) | ५ | पाण-भूते य | पाण-भूते य | पाणि-भूयाइ |
| ५ (,) | १३ | अणातिले | अणाउले | अणाउले |
| ५ (,,) | १३ | जहाभाग | जहाभाव | जहाभाग |
| ५ (,,) | १५ | पाणियकम्मत्त | दगभवणाणि य | दगभवणाणि य |
| ५ (,,) | २७ | इच्छेज्जा | इच्छेज्जा | गेण्हेज्जा |
| ५ (द्वि.उ) | २४ | घारए | घारए | घावए |
| ७ | १२ | आयारभावदोसेण | गाथा नही | आयारभावदोसन् |
| ७ | २२ | गाथा नही | गाथा है | गाथा नही |
| ७ | २३ | गाथा नही | गाथा है | गाथा नही |
| ८ | ३ | भवियव्व | होयव्वय | ? |
| ९ (प्र उ) | १ | चिट्ठे | चिट्ठे | सिक्खे चिट्ठे(पाठा.) |
| ९ (द्वि.उ) | १ | साला | साला | साहा |
| ९ (तृ उ) | १५ | घुणिय | घुणिय | विहुय |
| ९ (च उ) | ११ | आरहतिएहि | आरहतेहि | भारहतेहि |
| १० | ४ | दग | दग | तण |
| १० | १९ | विवज्जयित्ता | विर्गिच घोर । | विवज्जयित्ता |
| १ चूलिका | १४ | कुसील | सकुसील | कुसिला |
| १ ,, | १९ | ण प्पचलेंति | णो पयलेंति | न प्पचलेंति |
| २ ,, | ३ | निप्फेडो | निग्घाडो | उत्तारो |
| २ ,, | ४ | एव | एव | तम्हा |

नियुक्तगाथाओ की तो और भी विचित्र स्थिति है। नियुक्त की ऐसी अनेक गाथाएँ हैं जो हरिभद्र की टीका में तो हैं किन्तु चूर्णियों में नहीं मिलती। हा, इनमें कुछ गाथाएँ ऐसी अवश्य हैं जिनका चूर्णियों में अर्थ अथवा आशय दे दिया गया है किन्तु जिन्हें गाथाओ के रूप में उद्धृत नहीं किया गया है।

दूसरी बात यह है कि चूर्णियों में अधिकांश गाथाएँ पूरी की पूरी नहीं दी जाती हैं अपितु प्रारम्भ के कुछ शब्द उद्धृत कर केवल उनका निर्देश कर दिया जाता है। कुछ ही गाथाएँ ऐसी होती हैं जो पूरी उद्धृत की जाती हैं। हम यहाँ हरिभद्र की टीका में उपलब्ध कुछ नियुक्ति-गाथाएँ^१ उद्धृत कर यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि उनमें से कौनसी दोनो चूर्णियों में पूरी की पूरी हैं; कौन-सी अपूर्ण अर्थात् संक्षिप्तरूप में हैं, किनका अर्थ-रूप से निर्देश किया गया है और किनका बिलकुल उल्लेख नहीं है ?

सिद्धिगइमुवगयाण कम्मविसुद्धाण सव्वसिद्धाणं ।

नमिऊण दसकालियणिज्जुत्तिं कित्तइस्सामि ॥ १ ॥

यह गाथा न तो जिनदासगणि की चूर्णि में है, न अगस्त्यसिंहकृत चूर्णि में। इनमें इसका अर्थ अथवा संक्षिप्त उल्लेख भी नहीं है।

अपुहुत्तपुहुत्ताइ निदिदसिउं एत्थ होइ अहिगारो ।

चरणकरणाणुजोगेण तस्स दारा इमे होति ॥ ४ ॥

इस गाथा का अर्थ तो दोनो चूर्णियों में है किन्तु पूरी अथवा अपूर्ण गाथा एक में भी नहीं है।

गाम ठवणा दविए माउयपयसगहेक्कए चव ।

पज्जवभावे य तहा सत्तेए एक्कगा होति ॥ ८ ॥

यह गाथा दोनो चूर्णियों में पूरी की पूरी उद्धृत की गई है। यह इन चूर्णियों की प्रथम नियुक्ति-गाथा है जो हरिभद्रीय टीका की आठवीं नियुक्ति-गाथा है।

दव्वे अद्ध अहाउअ उवक्कमे देसकालकाले य ।

तह य पमाणे वण्णे भावे पगयं तु भावेणं ॥ ११ ॥

यह गाथा भी दोनो चूर्णियों में इसी प्रकार उपलब्ध है।

आयप्पवायपुव्वा निज्जूढा होइ धम्मपन्नत्ती ।

कम्मप्पवायपुव्वा पिंडस्स उ एसणा तिविहा ॥ १६ ॥

यह गाथा दोनो चूर्णियों में संक्षिप्तरूप से निर्दिष्ट है, पूर्णरूप में उद्धृत नहीं।

दुविहो लोगुत्तरिओ सुअधम्मो खलु चरित्तधम्मो अ ।

सुअधम्मो सज्जाओ चरित्तधम्मो समणधम्मो ॥ ४३ ॥

१. देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, ग्रंथांक ४७.

यह गाथा अयंरूप से तो दोनो ही चूर्णियो में है किन्तु गाथारूप से अधूरी या पूरी एक में भी नहीं है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनो चूर्णिकारो और टीकाकार हरिभद्र ने नियुक्ति-गाथाएँ समानरूप से उद्धृत नहीं की हैं । दोनो चूर्णिकारो में एतद्विषयक काफी समानता है, जबकि हरिभद्रसूरि इन दोनो से इस विषय में बहुत भिन्न हैं । इस विषय पर अधिक प्रकाश डालने के लिए विशेष अनुशीलन की आवश्यकता है ।



एकादश प्रकरण निशीथ-विशेषचूर्णि^१

जिनदासगणिकृत प्रस्तुत चूर्णि^१ मूल सूत्र, नियुक्ति एव भाष्यगाथाओं के विवेचन के रूप में है। इसकी भाषा अल्प सस्कृतमिश्रित प्राकृत है। प्रारभ में पीठिका है जिसमें निशीथ की भूमिका के रूप में तत्सम्बद्ध आवश्यक विषयों का व्याख्यान किया गया है। सर्वप्रथम चूर्णिकार ने अरिहतादि को नमस्कार किया है तथा निशीथचूला के व्याख्यान का सम्बन्ध बताया है :

नमिऊणऽरहताण, सिद्धाण य कम्मचक्कमुक्काण ।
 सयणसिनेहविमुक्काण, सव्वसाहूण भावेण ॥ १ ॥
 सविसेसायरजुत्त, काउ पणाम च अत्थदायिस्स ।
 पज्जुण्णखमासमणस्स, चरण-करणाणुपालस्स ॥ २ ॥
 एव कयप्पणामो, पकप्पणामस्स विवरणं वन्ने ।
 पुव्वायरियकय चिय, अह पि त चेव उ विसेसा ॥ ३ ॥
 भणिया विमुत्तिचूला, अहुणावसरो णिसीहचूलाए ।
 को सवधो तस्सा, भण्णइ इणमा णिसामेहि ॥ ४ ॥

इन गाथाओं में अरिहत, सिद्ध और साधुओं को सामान्य रूप से नमस्कार किया गया है तथा प्रद्युम्न क्षमाश्रमण को अर्थदाता के रूप में विशेष नमस्कार किया गया है। निशीथ का दूसरा नाम प्रकल्प भी बताया गया है।

पीठिका :

प्रारभ में चूलाओं का विवेचन करते हुए चूर्णिकार ने बताया है कि चूला छ. प्रकार की होती है। उसका वर्णन जिस प्रकार दशवैकालिक में किया गया है उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए ?^२ इससे सिद्ध होता है कि निशीथचूर्णि दशवैकालिकचूर्णि के बाद लिखी गई है। इसके बाद आचार का स्वरूप बताते

१ सम्पादक—उपाध्याय श्री अमरचन्द्रजी व मुनि श्री कन्हैयालालजी, प्रकाशक—सन्मति ज्ञानपीठ, लोहामंडी, आगरा, सन् १९५७-१९६०. निशीथ : एक अध्ययन—प० दलमुख मालवणिया, सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, सन् १९५९.

२ सा य छन्विहा—जहा दसवेयालिए भणिया तथा भाणियव्वा ।

हुए आचार्य ने आचारादि पांच वस्तुओं की ओर निर्देश किया है : आचार, अग्र, प्रकल्प, चूलिका और निशीथ ।^१ इन सब का निक्षेप-पद्धति से विचार करते हुए निशीथ का अर्थ इस प्रकार बताया है : निशीथ इति कोऽर्थ । निशीथ-सद्दपट्ठीकरणत्थ वा भण्णति—

ज होति अप्पगास त तु णिसीहति लोगससिद्ध ।
ज अप्पगासधम्म, अण्ण पि तय निसीध ति ॥

जमिति अणिदिट्ठ । होति भवति । अप्पगासमिति अधिकार । जका-रणिद्देसे तगारो होइ । सद्दस्स अवहारणत्थे तुगारो । अप्पगासवयणस्स णिण्णयत्थे णिसीहति । लोगे वि सिद्ध णिसीह अप्पगास । जहा कोइ पावा-सिओ पओसे आगओ, परेण बितिए दिणे पुच्छिओ 'कल्ले क वेलमागओ सि ? भण्णति 'णिसीहे त्ति रात्रावित्थर्थ' ।^२ निशीथ का अर्थ है अप्रकाश अर्थात् अधिकार । अप्रकाशित वचनों के निर्णय के लिए निशीथसूत्र है । लोक में भी निशीथ का प्रयोग रात्रि-अधिकार के लिए होता है इसी प्रकार निशीथ के कर्मपकनिपदन आदि अन्य अर्थ भी किये गये हैं । भावपक का निपदन तीन प्रकार का होता है - क्षय, उपशम और क्षयोपशम । जिसके द्वारा अष्टविध कर्मपक शान्त किया जाए वह निशीथ है ।^३

आचार का विशेष विवेचन करते हुए चूर्णिकार ने नियुक्ति-गाथा को भद्र-बाहुस्वामिकृत बताया है ।^४ इस गाथा में चार प्रकार के पुरुष-प्रतिसेवक बताये गये हैं जो उत्कृष्ट, मध्यम अथवा जघन्य कोटि के होते हैं । इन पुरुषों का विविध भगों के साथ विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । इसी प्रकार स्त्री और नपुंसक-प्रतिसेवकों का भी स्वरूप बताया गया है । यह सब निशीथ के व्याख्यान के बाद किये गये आचारविषयक प्रायश्चित्त के विवेचन के अन्तर्गत है । प्रति-सेवक का वर्णन समाप्त करने के बाद प्रतिसेवना और प्रतिसेवितव्य का स्वरूप समझाया गया है । प्रतिसेवना के स्वरूपवर्णन में अप्रमादप्रतिसेवना, सहसात्करण, प्रमादप्रतिसेवना, क्रोधादि कषाय, विराधनात्रिक, विकथा, इन्द्रिय, निद्रा आदि अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों का प्रतिपादन किया गया है । निद्रा-सेवन की मर्यादा की ओर निर्देश करते हुए चूर्णिकार ने एक श्लोक उद्धृत किया है जिसमें यह बताया गया है कि आलस्य, मैथुन, निद्रा, क्षुधा और आक्रोश—ये पाँचो सेवन करते रहने से बराबर बढ़ते जाते हैं ।^५

१. भाष्यगाथा ३ २. पृ. ३४. ३. पृ. ३४-५.

४. एसा भद्दबाहुसामिकता गाहा—पृ. ३८. ५. पृ. ५४

पञ्च वर्द्धन्ति कौन्तेय ! सेव्यमानानि नित्यशः ।
आलस्य मैथुन निद्रा, क्षुधाऽऽक्रोशश्च पञ्चमः ॥

स्त्यानार्द्धि निद्रा का स्वरूप बताते हुए चूर्णिकार कहते हैं कि जिसमें चित्त थोण अर्थात् स्त्यान हो जाए—कठिन हो जाए—जम जाए वह स्त्यानार्द्धि निद्रा है । इस निद्रा का कारण अत्यन्त दर्शनावरण कर्म का उदय है : इद्ध चित्तं तं थोण जस्स अञ्चतदरिसणावरणावरणकम्मोदया सो थोणद्धी भण्णति । तेण य थोणेण ण सो किञ्चि उवलभति ।^१ स्त्यानार्द्धि का स्वरूप विशेष स्पष्ट करने के लिए आचार्य ने चार प्रकार के उदाहरण दिये हैं : पुद्गल, मोदक, कुम्भकार और हस्तिदत्त । तेजस्काय आदि की व्याख्या करते हुए चूर्णिकार ने 'अस्य सिद्धसेनाचार्यो व्याख्या करोति, एतेषा सिद्धसेनाचार्यो व्याख्या करोति, इमा पुण सागणिय-णिविखतदारण दोण्ह वि भद्दवाहुसामिकता प्रायश्चित्तव्याख्यानगाथा, एयस्स इमा भद्दवाहुसामिकता वक्खाणगाहा' आदि शब्दों के साथ भद्रवाहु और सिद्धसेन के नामों का अनेक बार उल्लेख किया है । पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय-सम्बन्धी यतनाओ, दोषों, अपवादों और प्रायश्चित्तों का प्रस्तुत पीठिका में अति विस्तृत विवेचन किया गया है । खान, पान, वसति, वस्त्र, हलन, चलन, शयन, भ्रमण, भाषण, गमन, आगमन आदि सभी आवश्यक क्रियाओं के विषय में आचारशास्त्र की दृष्टि से सूक्ष्म विचार किया गया है ।

प्राणातिपात आदि का व्याख्यान करते हुए चूर्णिकार ने मृषावाद के लौकिक और लोकोत्तर—इन दो भेदों का वर्णन किया है तथा लौकिक मृषावाद के अन्तर्गत मायोपधि का स्वरूप बताते हुए चार धूर्तों की कथा दी है । इस धूर्ताख्यान के चार मुख्य पात्रों के नाम हैं शशक, एलाषाढ, मूलदेव और खडपाणा ।^३ इस आख्यान का सार भाष्यकार ने निम्नलिखित तीन गाथाओं में दिया है

सस-एलासाढ मूलदेव खडा य जुण्णउज्जाणे ।
सामत्थणे को भत्त, अक्खात जो ण सद्दहति ॥२९४॥
चोरभया गावीओ, पोट्टुए बधिऊण आणेमि ।
तिलअइरूढकुहाडे, वणगय मलणा य तेल्लोदा ॥२९५॥
वणगयपाटण कुडिय, छम्मासा हत्थिलगगणं पुच्छे ।
रायरयग मो वादे, जहिं पेच्छइ ते इमे वत्था ॥२९६॥

चूर्णिकार ने इन गाथाओ के आधार पर संक्षेप में घूर्तकथा देते हुए लिखा है कि शेष बातें धुत्तक्खाणग (घूर्तख्यान) के अनुसार समझ लेनी चाहिए : सेस धुत्तक्खाणगानुसारेण णेयमिति ।^१ यहाँ तक लौकिक मृषावाद का अधिकार है । इसके बाद लोकोत्तर मृषावाद का वर्णन है । इसी प्रकार अदत्ता-दान, मैथुन, परिग्रह, रात्रिभोजन आदि का वर्णन किया गया है । यह वर्णन मुख्यरूप से दो भागों में विभाजित है । इनमें से प्रथम भाग दर्पिकासम्बन्धी है, दूसरा भाग कल्पिकासम्बन्धी । दर्पिकासम्बन्धी भाग में तत्तद्विषयक दोषों का निरूपण करते हुए उनके सेवन का निषेध किया गया है जबकि कल्पिका-सम्बन्धी भाग में तत्तद्विषयक अपवादों का वर्णन करते हुए उनके सेवन का विधान किया गया है । ये सब मूलगुणप्रतिसेवना से सम्बद्ध हैं । इसी प्रकार आचार्य ने उत्तरगुणप्रतिसेवना का भी विस्तार से व्याख्यान किया है । उत्तरगुण पिण्डविशुद्धि आदि अनेक प्रकार के हैं । इनका भी दर्पिका और कल्पिका के भेद से विचार किया गया है । जैसाकि चूर्णिकार कहते हैं गता या मूलगुण-पडिसेवणा इति । इदाणि उत्तरगुणपडिसेवणा भण्णति । ते उत्तरगुणा पिण्डविसोहादओ अणेगविहा । तत्थ पिण्डे ताव दप्पिय कप्पियं च पडि-सेवणा भण्णति ।^२ इस प्रकार पीठिका के अन्त तक दर्पिका और कल्पिका का अधिकार चलता है ।

पीठिका की समाप्ति करते हुए इस बात का विचार किया गया है कि निशीथ-पीठिका का यह सूत्रार्थ किसे देना चाहिए और किसे नहीं ? अबहुश्रुत आदि निषिद्ध पुरुषों को ही देने से प्रवचन-घात होता है अतः बहुश्रुत आदि सुयोग्य पुरुषों को निशीथपीठिका का यह सूत्रार्थ देना चाहिए ।^३ यहाँतक पीठिका का अधिकार है । प्रथम उद्देश :

प्रथमउद्देश के प्रथम सूत्र 'जे भिक्खू हत्थकम्म करेइ, करेत्त वा साइ-ज्जइ' का शब्दार्थ भाष्यकार ने इस प्रकार किया है :

जे त्ति य खलु णिददेसे भिक्खू पुण भेदणे खुहस्स खलू ।

हत्थेण ज च करण, कीरति त हत्थकम्म ति ॥ ४९७ ॥

इस गाथा का चूर्णिकार ने पुनः इस प्रकार शब्दार्थ किया है . 'जे इति निददेसे, 'खलु' निसेसणे, किं विशिनष्टि ? भिक्षोर्नान्यस्य, 'भिदि' विदारणे, 'क्षुध' इति कर्मण आख्यान, ज्ञानावरणादिकर्म भिनत्तीति भिक्षुः, भावभिक्षोर्विशेषणे 'पुन' शब्दः, 'हत्थे' ति हन्यतेऽनेनेति हस्तः,-

१. पृ. १०५ आचार्य हरिभद्रकृत घूर्तख्यान का आधार यह प्राचीन कथा है ।

२. पृ. १५४. ३. पृ. १६५-१६६.

हसति वा मुखमावृत्येति हस्त, आदाननिक्षेपादिसमर्थो शरीरैकदेशो हस्तोऽतस्तेन यत् करण—व्यापारइत्यर्थः, स च व्यापार. क्रिया भवति, अतः सा हस्तक्रिया क्रियमाणा कर्मभवतीत्यर्थः । 'साइज्जति' साइज्जणा दुविहा कारावणे अणुमोदणे ।^१ जो क्षुध अर्थात् ज्ञानावरणादि कर्म का भेद अर्थात् विनाश करता है वह भिक्षु है । जिससे हनन किया जाता है अथवा जो मुख को ढक कर हसता है वह हस्त है । आदान-निक्षेप आदि में समर्थ हस्त की जो क्रिया अर्थात् व्यापार है वह हस्तक्रिया है । इस प्रकार की क्रियमाण हस्तक्रिया कर्मरूप होती है । साइज्जणा अर्थात् स्वादना दो प्रकार को है . कारण (निर्माण) अर्थात् दूसरो से करवाना और अनुमोदन अर्थात् दूसरे का समर्थन करना । इस प्रकार क्रिया के तीन रूप हुए स्वयं करना, दूसरो से करवाना और करते हुए का अनुमोदन करना । इस प्रकार प्रथम सूत्र का शब्दार्थ करने के बाद आचार्य ने भिक्षु, हस्त और कर्म का निक्षेप-पद्धति से विश्लेषण किया है । हस्त-कर्म दो प्रकार का है असक्लिष्ट और सक्लिष्ट । असक्लिष्ट हस्तकर्म आठ प्रकार का है . छेदन, भेदन, घर्षण, पेषण, अभिघात, स्नेह, काय और क्षार । सक्लिष्ट हस्तकर्म दो प्रकार का है : सनिमित्त और अनिमित्त । सनिमित्त हस्तकर्म तीन प्रकार के कारणों से होता है शब्द सुनकर, रूपादि देखकर और पूर्व अनुभूत विषय का स्मरण कर ।^२ पुरुष और स्त्री के इस प्रकार के हस्तकर्मों का विस्तारपूर्वक विवेचन करते हुए चूर्णिकार ने साधुओं और साध्वियों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रायश्चित्तों का विधान किया है ।

द्वितीय सूत्र 'जे भिक्खू अगादाण कट्ठेण वा कलिचेण वा अगुलियाए वा सलागाए वा सचालेइ सचालेत वा सातिज्जति' का व्याख्यान करते हुए आचार्य कहते हैं कि सिर आदि अग हैं, कान आदि उपाग हैं और नख आदि अगोपाग हैं । इस प्रकार शरीर के तीन भाग हैं : अग, उपाग और अगोपाग । अग आठ हैं - सिर, उर, उदर, पीठ, दो बाँह और दो ऊर । कान, नाक, आँखें जघाएँ, हाथ और पैर उपाग हैं । नख, बाल, श्मश्रु, अगुलियाँ, हस्ततल और हस्तोपतल अगोपाग हैं । हथेली के चारों ओर का उठा हुआ भाग हस्तोपतल कहलाता है । इन सबका संचालन भी सनिमित्त अथवा अनिमित्त होता है ।^३ प्रस्तुत सूत्र का विशेष व्याख्यान पूर्ववत् कर लेना चाहिए । इसी प्रकार आगे के सूत्रों का भी संक्षिप्त व्याख्यान किया गया है ।

चौदहवें सूत्र 'जो भिक्खू सोत्तिय वा रज्जुय वा चिलिमिलि वा अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा कारेत, कारेत वा सातिज्जति' का व्याख्यान

१. द्वितीय भाग, पृ० २.

२. पृ० ४-७.

३. पृ० २६-२७.

करते हुए चूर्णकार कहते हैं कि वस्त्र—कमलादि को तीव्रिक (सूत का बना हुआ) कहते हैं, जत्रिक रस्सी आदि को रज्जुक कहते हैं। भाष्यकार ने चिलिमिली (परदा) के पाँच प्रकार बताये हैं—सुत्तमयी, रज्जुमयी, वागमयी, दडमयी और कडमयी। इनका स्वरूप बताते हुए चूर्णकार कहते हैं—मुत्तेण कता सुत्तमयी, त वत्थं कवली वा। रज्जुणा कता रज्जुमयी, सो पुण दोरो। वागेषु कता वागमयी, वागमय वत्थ दोरो वा वक्कल वा वत्थादि। दडो वसाती। कडमती वसकडगादि। एसा पचविहा चित्तिमिणी गच्छत्स उवग्गहकारि-वया धेप्पति।^१ सूत्रनिमित्त चिलिमिली—परदा-यवनिका को सूत्रमती कहते हैं, जैसे वस्त्र, कमल आदि। रज्जु से बनी हुई को रज्जुमती कहते हैं, जैसे दोरिया आदि। इसी प्रकार वक्क अर्थात्, छाल, दड अर्थात् वाम आदि की लकड़ी और कड अर्थात् तृण आदि से चिलिमिलिका बनती है। गच्छ के उपकार के लिए इन पाँच प्रकार की चिलिमिलिकाओं का ग्रहण किया जाता है। आगे आचार्य ने चिलिमिली के प्रमाण, उपयोग आदि पर प्रकाश उला है तथा सशेष में आगे के सूत्रों का भी व्याख्यान किया है।

‘जे भिक्खू लाउय—पाद वा दारु—पाद वा मिट्ठिया पाद वा ...’ (सूत्र ३९) की व्याख्या करते हुए चूर्णकार ने लिखा है कि सूत्रार्थ का कथन हो चुका, अब नियुक्ति का विस्तार किया जाता है—भणियो सुत्तथो। इदाणि णिज्जुत्तिवित्थरा भण्णति।^२ यह लिखकर उन्होंने ‘लाउयदारुपाते, मिट्ठियपादे ...’ गाथा (भाष्य ६८५) दी है जो नियुक्ति गाथा है।

‘जे भिक्खू दडय वा लट्ठिय वा अवलेहणिय वा ...’ (सूत्र ४०) का व्याख्यान करते हुए आचार्य ने दड लाठी आदि का भेद बताया है। दड बाहुप्रमाण होता है—दडो बाहुप्पमाणो। लाठी आत्मप्रमाण अर्थात् स्वशरीर-प्रमाण होती है—अवलेहणिया वामामु कद्दमफेडिणी क्षुरिकावत्।^३ भाष्यकार ने दड आदि का नाम इस प्रकार बताया है—दड तीन हाथ का होता है, विदड दो हाथ का होता है, लाठी आत्मप्रमाण होती है, विलट्ठी चार अंगुली कम होती है। भाष्यगाथा इस प्रकार है—

तिण्णि उ हत्थे डडो, दोण्णि उ हत्थे विदडओ होत्ति।

लट्ठी आत्त-पमाणा, विलट्ठि चतुरगुलेणूणा ॥ ७०० ॥

आगे लाठी आदि की उपयोगिता का विचार किया गया है तथा उनके रखने की विधि, तत्सम्बन्धी दोष, गुरुमास प्रायश्चित्त आदि का वर्णन किया गया है।

वस्त्र फाड़ने, सीने आदि से सम्बन्धित नियमों का उल्लेख करते हुए प्रथम उद्देश समाप्त किया गया है। अतः मैं 'विसेस-णिशीहचुण्णिए पढमो उद्देशो सम्मत्तो'^१ लिखकर यह सूचित किया गया है कि प्रस्तुत चूर्ण विशेषनिशीयचूर्ण अथवा निशीयविशेषचूर्ण है।

द्वितीय उद्देश :

प्रथम उद्देश में गुरुमासो (उपवास) का कथन किया गया। अब दूसरे उद्देश में लघुमासो (एकाशन) का कथन किया जाता है। अथवा प्रथम उद्देश में परकरण का निवारण किया गया। अब द्वितीय उद्देश में स्वकरण का निवारण किया जाता है : पढमउद्देशेए गुरुमासा भणित्ता । अह इदार्णि बित्तिए लहु-मासा भण्णत्ति । अहवा—पढमुद्देशे परकरण णिवारिय, इह बित्तिए सयकरण निवारिज्जत्ति ।^२ यह कह कर आचार्य द्वितीय उद्देश का व्याख्यान प्रारम्भ करते हैं।

प्रथम सूत्र 'जे भिक्खू दारुदड्य पायपु छणय करेइ ' का व्याख्यान इस प्रकार किया गया है . जे त्ति णिद्देशे, भिक्खू पूर्वोक्त, दारुमओ दडओ जस्स त दारुदड्यं, पादे पुंछत्ति जेण तं पादपु छण—पट्टयदुनिसिज्ज-वज्जिय रओहरणमित्थर्थः : त जो करेत्ति, करेत वा सात्तिज्जत्ति तस्स मासलहुं पच्छत्त । एस सुत्तथो । एयं पुण सुत्ता अववात्तिय । इदार्णि णिज्जत्ति-वित्थरो ।^३ अर्थात् जो भिक्षु काष्ठदण्डयुक्त पादप्रोचन स्वयं करता है अथवा करनेवाले का अनुमोदन करता है उसके लिए मासलघु प्रायश्चित्त का नियम है। यह सूत्रार्थ है। इसके बाद पादप्रोचन के विविध प्रकारों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार काष्ठदण्डयुक्त पादप्रोचन के ग्रहण, वितरण, परिभोग आदि के दोषों और प्रायश्चित्तों का सूत्रानुसार विवेचन किया गया है।

नवम सूत्र 'जे भिक्खू अचित्तपडट्ठिय गध जिघत्ति जिघत्त वा सात्ति-ज्जत्ति' का व्याख्यान करते हुए चूर्णकार कहते हैं कि निर्जीव चन्दनादि काष्ठ की गन्ध सूँघने वाले के लिए मासलघु प्रायश्चित्त का विधान है . णिज्जीवे चदणादि कट्ठे गध जिघत्ति मासलहुं ।^४

'जे भिक्खू लहुसग फरस वयत्ति, वयत्त वा... ' (सूत्र १८) की चूर्ण इस प्रकार है . लहुस ईषदल्प स्तोकमिति यावत् फरस गेहवज्जिय अण्ण साहुं वदत्ति भाषते इत्यर्थः ।^५ जो साधु थोड़ा-सा भी कठोर—स्नेहरहित

होकर बोलता है उसके लिए मासलघु प्रायश्चित्त का विधान है। पुरुष—कठोर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव भेद से चार प्रकार का होता है। चूर्णिकार ने इन चारों प्रकारों का विस्तार से वर्णन किया है। भावपरुष क्रोधादिरूप है क्योंकि क्रोधादि के बिना पुरुष कैसे हो सकता है अर्थात् नहीं हो सकता। जैसा कि भाष्यकार कहते हैं -

भावे पुण क्रोधादी, कोहादि विणा तु कह भवे फरुस ।

उवयारो पुण कीरति, दव्वाति समुप्पति जेण ॥ ८६२ ॥

जो भिक्षु अल्प झूठ बोलता है उसके लिए भी मासलघु प्रायश्चित्त है। जैसा कि चूर्णिकार स्वयं कहते हैं - मुसं अलियं, लहुसं अल्प, त वदओ मासलहु ।^१ इसी प्रकार लघु अदत्तादान, लघु शीतोदकोपयोग आदि के लिए भी प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। स्नान के दोषों का वर्णन करते हुए कहा गया है : ण्हायतो छज्जीवणिकाए वहेति । ण्हाणे पडिबधो भवति—पुन पुन स्नायतोत्यर्थं । अस्नानसाधुशरीरेभ्यः निर्मलशरीरो अहमिति गारवं कुष्ठे स्नान एव विभूपा । अलकारेत्यर्थः अण्हाणपरीसहाओ वोहति त न जिनातोत्यर्थं । लोकस्याविश्रम्भणीयो भवति ।^२ अर्थात् स्नान करने से षट् जीवनिकाय की हिंसा होती है। एक बार स्नान करने से बार-बार स्नान करने की इच्छा होती है। स्नान न करने वाले साधु को स्नान करने वाला घृणा की दृष्टि से देखता है, अपने को उससे बड़ा समझता है तथा अस्नान-परीषह से डरता है। लोग भी ऐसे साधु का विश्वास नहीं करते। इन दोषों के साथ ही आचार्य ने अपवाद रूप से स्नान की अनुमति भी प्रदान की है।

कृत्स्न (अखण्ड) चर्म और कृत्स्न वस्त्र रखने का निषेध करते हुए स्वजनगवेषित, परजनगवेषित, वरजनगवेषित बलजनगवेषित आदि पदार्थों के ग्रहण का भी निषेध किया है। वर का अर्थ इस प्रकार है जो पुरिसो जत्य गामणगरादिसु अर्च्यते, अर्चितो वा गामणगरादि-कारणेषु पमाणीकतो, तेषु वा गामादिसु धणकुलादिणा पहाणो, एरिसे पुरिसे वरशब्दप्रयोगः। सो य इमो हवेज्ज गामिए त्ति गाममहत्तरः, रट्ठिए त्ति-राष्ट्रमहत्तरः ।^३ ग्राम नगरादि का प्रामाणिक, प्रधान अथवा पूज्य पुरुष 'वर' शब्द से सम्बोधित किया जाता है। इस प्रकार का ग्राम-पुरुष ग्राममहत्तर और राष्ट्र-पुरुष राष्ट्रमहत्तर कहलाता है। बल का अर्थ बताते हुए चूर्णिकार कहते हैं - य. पुरुषः यस्य पुरुषस्योपरि प्रभुत्व करोति सो बलव भण्णति ।

१ पृ० ७९

२ पृ० ८६.

३ पृ० १०१.

अहवा अप्रभु वि जो बलव सो वि बलव भण्णति । सो पुण गृहपतिः
गामसामिगो वा तेणगादि वा^१ । जो प्रभुत्व करता है वह बलवान् कहलाता
है । अथवा अप्रभु भी बलशाली होने पर बलवान् कहलाता है । गृहपति,
ग्रामस्वामी आदि प्रथम कोटि के पुरुष हैं । स्तेन अर्थात् चोर आदि द्वितीय
कोटि के हैं ।

नियत (निश्चित-ध्रुव-निरंतर) पिण्ड, वास आदि के दोषों का वर्णन करने
के बाद आचार्य 'जे भिक्खू पुरे सथवं पच्छा सथवं वा करेइ ' (मू ३८)
का व्याख्यान इस प्रकार करते हैं : सथवो थुतो, अदत्ते दाणे पुव्वसथवो,
दिण्णे पच्छासथवो । जो त करेति सातिज्जति वा तस्स मासलहुँ^२ ।
सस्तव का अर्थ है स्तुति । साधु दाता की दो प्रकार से स्तुति कर सकता है . एक
तो दान देने के पूर्व और दूसरी दान देने के पश्चात् । जो साधु इस प्रकार की
स्तुति करता है अथवा उसका अनुमोदन करता है उसे मासलघु प्रायश्चित्त करना
पडता है । सस्तव का विशेष विवेचन करते हुए चूर्णिकार ने 'अत्र नियुक्तिमाह'
ऐसा लिखकर निम्न नियुक्ति-गाथा उद्धृत की है .

दव्वे खेत्ते काले, भावम्मि य सथवो मुणेयव्वो ।

आत-पर-तद्दुभए वा, एक्केक्के सो पुणो दुविधो ॥ १०२५ ॥

द्रव्यसस्तव का विस्तार करते हुए आचार्य कहते हैं कि यह ६४ प्रकार का
है । इसके लिए धान्य, रत्न, स्थावर, द्विपद, चतुष्पद आदि के ६४ प्रकार गिनाये
गये हैं ।^३ वे ये हैं : २४ प्रकार का धान्य, २४ प्रकार के रत्न, ३ प्रकार के
स्थावर, २ प्रकार के द्विपद, १० प्रकार के चतुष्पद और ६४ वा कुप्य
(उपकरण) ।

धान्य—१. जव, २ गोधूम, ३. शालि, ४ व्रीहि, ५. षष्टिक, ६. कोद्रव,
७ अनया, ८. कंगू, ९. रालक, १०. तिल, ११. मुद्ग, १२ माष,
१३ अतसी, १४ हिरिमथा, १५ त्रिपुडा, १६ निष्पाव, १७. अलिसिदा,
१८ मासा, १९ इक्षु, २० मसूर, २१. तुवर, २२ कुलत्थ, २३ धानक,
२४ कला ।

भाष्य — धण्णाइ चउव्वीसं, जव-गोहुम-सालि-व्रीहि-साट्ठिया ।

कोद्दव-अणया-कंगू, रालग-तिल-मुग्ग-मासा य ॥ १०२९ ॥

चूर्णि — बृहच्छिरा कंगू, अल्पतरशिरा रालकः ।

भाष्य — अतसि हिरिमथ त्रिपुड, णिप्फाव अलिसिदरा य मासा य ।

इक्खू मसूर तुवरी, कुलत्थ तह धाणग-कला य ॥ १०३० ॥

चूर्णि :—‘अतसि’ मालवे प्रसिद्धा, ‘हिरिमंथा’ वट्टचणगा, ‘त्रिपुडा’ लगवलगा, ‘गिप्फाव’ चावल्ला, ‘अलिंसिदा’, चवलगारा य, ‘मासा’, पडरचवलगा, ‘घाणगा’ कुथुभरी, ‘कला’ वट्टचणगा ।

रत्न—१ सुवर्ण, २. तवु, ३ तव, ४ रजत, ५ लौह, ६ शीशक, ७. हिरण्य, ८. पाषाण, ९. वेर, १० मणि, ११. मीकितक, १२. प्रवाल, १३ शख, १४ तिनिस, १५. अगर, १६. चन्दन, १७ अमिलात वस्त्र, १८ काष्ठ, १९ दत, २०. चर्म, २१ बाल, २२ गघ, २३ द्रव्य, २४ औषध ।

भाष्य :—रयणाइ चतुर्वीस, सुव्वण्ण-त्तवु-तब-रयत-लोहाइ ।

सोसग-हिरण्ण-पासाण-वेर-मणि-मोत्तिय-पवाले ॥ १०३१ ॥

चूर्णि :—‘रयत’ रूपं, ‘हिरण्ण’ रूपका, ‘पापाण’ स्फटिकादय, ‘मणी’ सूरचन्द्रकान्तादयः ।

भाष्य .—सख-तिणिसागुलु चदणाइ वत्थामिलाइ कट्ठाइ ।

तह दत-चम्म-वाला, गधा दव्वोसहाई च ॥ १०३२ ॥

चूर्णि —‘तिणिस’ रुक्खकट्ठा, ‘अगलु’ अगर, यानि न म्हायन्ते शीघ्र तानि अम्लातानि वस्त्राणि, ‘कट्ठा’ शाकादिस्तभा, ‘दता’, हस्त्यादीना, ‘चम्मा’ वग्घादीण, ‘वाला’ चमरीण, गंधयुक्तकृता गधा, एकाग औषध द्रव्य, बहुद्रव्यसमुदाया-दौपधम् ।

स्थावर—१ भूमि, २ घर, ३ वर ।

द्विपद—१ चक्रारबद्ध—शकटादि और २ मनुष्य ।

चतुष्पद—१ गौ, २. उष्ट्री, ३ महिषी, ४ अज, ५. मेघ, ६ अश्व, ७.

अश्वतर, ८ घोटक, ९ गर्दभ, १० हस्ती ।

भाष्य —गावो उट्टी महिसी, अय एलग आस आसतरगा य ।

घोडग गद्दभ हत्थी, चतुष्पदा होति दसधातु ॥ १०३४ ॥

चूर्णि .—‘आसतरगा’ वेसरा ।

‘जे भिक्खू सागारिय पिंडं भुजति, भुजत वा सातिज्जति’, ‘जे भिक्खू सागारिय पिंड गिण्हइ ’ (सू० ४६-७) का व्याख्यान करते हुए चूर्णिकार कहते हैं कि सागारिक अर्थात् शय्यातर के पिण्ड का ग्रहण अथवा भोग नहीं करना चाहिए । जो वैसा करता है उसके लिए मासलघु प्रायश्चित्त है । इसका विवेचन करते हुए प्रस्तुत चूर्णि में निम्न बातों का दृष्टान्तपूर्वक विचार किया गया है । (१) सागारिक कौन होता है, (२) वह शय्यातर कब होता है, (३)

उसका पिण्ड कितनी तरह का होता है, (४) वह अग्न्यातर कब होता है, (५) वह सागारिक किस सयत द्वारा परिहृतंव्य है, (६) उस सागारिक-पिण्ड के ग्रहण में क्या दोष है, (७) किस अवस्था में उसका पिण्ड ग्रहण किया जा सकता है, (८) किस यतना से उसका ग्रहण करना चाहिए, (९) एक सागारिक से ही ग्रहण करना चाहिए अथवा अनेक सागारिकों से भी ग्रहण करना चाहिए। सागारिक के पाँच एकार्थक शब्द हैं - सागारिक, शय्यातर, दाता, घर और तर।^१ इन पाँचों की व्युत्पत्ति एवं सार्थकता पर अचछा प्रकाश डाला गया है। बृहत्कल्पभाष्य में भी इस विषय पर काफ़ी विवेचन उपलब्ध है।

‘जे भिक्खू उडुवद्धियं सेज्जा-संथारय ’ (सू० ५०) का विवेचन करते हुए आचार्य शय्या और सस्तारक का भेद बताते हैं। शय्या सर्वांगिका अर्थात् पूरे शरीर के बराबर होती है जबकि सस्तारक ढाई हस्तप्रमाण होता है सन्नगिया सेज्जा, अड्ढाड्यहत्थो सथारो।^२ सस्तारक दो प्रकार का होता है : परिशाटी और अपरिशाटी। इनके स्वरूप, भेद-प्रभेद, ग्रहण, दोष, प्रायश्चित्त आदि का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।

विप्रनष्ट अर्थात् विधिपूर्वक रक्षा करते हुए भी खो जानेवाले प्रातिहारिक, शय्यासस्तारक आदि को खोज करने की आवश्यकता, विधि आदि पर प्रकाश डालते हुए दूसरे उद्देश के अन्तिम सूत्र ‘जे भिक्खू इत्तरिय उवहिं ण पडि-लेहेति ’ (सू० ५९) का विश्लेषण करते हुए आचार्य कहते हैं कि जिनकल्पियों के लिए बारह प्रकार की, स्थविरकल्पियों के लिए चौदह प्रकार की और आर्याओं के लिए पचीस प्रकार की उपधि होती है।^३ जिनकल्पिक दो प्रकार के हैं - पाणिपात्रभोजी और प्रतिग्रहधारी। इन दोनों के पुनः दो-दो भेद हैं - सप्रावरण अर्थात् सवस्त्र और अप्रावरण अर्थात् निर्वस्त्र।^४ जिनकल्प में उपधि के आठ विभाग हैं : दो, तीन, चार, पाँच, नौ, दस, ग्यारह और बारह। निर्वस्त्र पाणिपात्र की जघन्य उपधि दो प्रकार की है : रजोहरण और मुखवस्त्रिका। वही पाणिपात्र यदि सवस्त्र है और एक कपडा ग्रहण करता है तो उसकी उपधि तीन प्रकार की हो जाती है। इसी प्रकार आगे की उपधियाँ भी समझ लेनी चाहिए। स्थविरकल्पियों एवं आर्याओं के लिए भी इसी प्रकार विभिन्न उपधियों का वर्णन किया गया है।^५ यहाँ तक विशेषनिशीथचूर्णि के द्वितीय उद्देश का अधिकार है।

तृतीय उद्देश :

इस उद्देश के प्रारंभ में भिक्षाग्रहण के कुछ दोषों एवं प्रायश्चित्तों पर प्रकाश

१. सागारिय सेज्जायर दाता य घरे तरे वा वि।—पृ० १३०, गा० ११४०.

२. पृ० १४९ ३. पृ० १८८. ४ वही ५. पृ० १८८-१९३.

डाला गया है। तदनन्तर पाद आदि के आमर्जन, प्रमार्जन, परिमर्दन, अभ्यग आदि से लगने वाले दोषो का उल्लेख करते हुए तद्विषयक प्रायश्चित्तो का निर्देश किया गया है। एक बार साफ करना आमर्जन है, बार-बार साफ करना प्रमार्जन है। अथवा हाथ में साफ करना आमर्जन है, रजोहरण से साफ करना प्रमार्जन है। आमर्जति एककसि, पमर्जति पुणो पुणो। अह्वा हृत्थेण आमर्जण, रयहरणेण पमर्जण।^१ गड, पिलक, अरतित, अशिका, भगदर आदि रोगो के छेदन, शोधन, लेपन आदि का निषेध करते हुए गड आदि का स्वरूप इस प्रकार बताया है : गच्छतीति गड, त च गडमाला, ज च अण्ण (पिलग) तु पादगत गड, अरतितो ज ण पच्चति, असी अरिसा ता य अहिह्वाणे णासाते व्रणेमु वा भवति, पिलिगा (पिलगा) सियलिया, भगदर अप्पणतो अधिट्ठाणे क्षत किमियजालसपण्ण भवति। बहुसत्थसभवे अण्णतरेण तिकख स (अ) हिणाधार जातमिति प्रकारप्रदर्शनार्थम्। एककसि ईपद् वा आच्छिदण, बहुवार सुट्ठु वा छिदण विच्छिदण।^२ इसी प्रकार नखाग्र को घिस कर तेज करना, उससे रोम आदि तोड़ना, उसे चिबुक, जघा, गुह्यभाग आदि में घुमाना इत्यादि बातों का निषेध किया गया है तथा अक्षिमल, कर्णमल, दन्तमल, नखमल आदि को खोद-खोद कर बाहर निकालने की मनाही की है। उच्चार-प्रस्रवण का घर में, गृहमुख पर, गृहद्वार पर, गृहप्रतिद्वार पर, गृहलुक (देहली) पर अथवा गृहागण में परित्याग करना भी इसी प्रकार निषिद्ध है। अन्य निषिद्ध स्थानों पर भी उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। परित्याग करने पर मासलघु प्रायश्चित्त करना पड़ता है। इसी प्रकार असमय पर उच्चार-प्रस्रवण का परित्याग करनेवाले के लिए भी यही प्रायश्चित्त है। रात्रि आदि के समय बाहर निकलने से लगने वाले अनेक दोषों का वर्णन चूर्णकार ने प्रस्तुत उद्देश के अन्त में किया है।

चतुर्थ उद्देश .

इस उद्देश में सूत्रों का सामान्य व्याख्यान करते हुए निम्नलिखित विषयो पर विशेष प्रकाश डाला गया है अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्ग, कायोत्सर्ग के विविध भग, आयत्रिल की परिसमाप्ति एव आहारग्रहण, स्थापनाकुल और उनके विविध प्रकार, स्थापनाकुलसम्बन्धी सामाचारी, निर्गन्धी की वसति और उसमें निर्गन्थ द्वारा प्रवेश, राजा, अमात्य, सेठ, पुरोहित, सार्थवाह, ग्राममहत्तर, राष्ट्रमहत्तर और गणधर के लक्षण, ग्लान साध्वी और उसकी सेवा, अधिकरण

और उसके भेद, संरंभ, समारंभ और आरंभ के भेद-प्रभेद, हास्य और उसकी उत्पत्ति के विविध कारण ।

पंचम उद्देश .

इस उद्देश के प्रारंभ में आचार्य भद्रबाहुस्वामिकृत एक नियुक्ति गाथा^१ दी गई है जिसमें चतुर्थ और पंचम उद्देश के सम्बन्ध का निर्देश है । चूर्णिकार ने ' उद्देशकेन सह सबध वक्तुकामो आचार्य. भद्रबाहुस्वामी नियु-क्तिगाथामाह'^२ ऐसा कह कर उनकी गाथा उद्धृत की है । इस उद्देश की चूर्णि में निम्न विषयो का विशेष विवेचन किया गया है प्राभृतिक शय्या और उसके छादन आदि भेद, सपरिकर्म शय्या और उसके चौदह भेद, सभोग का विविध दृष्टियों से वर्णन । सभोग का अर्थ इस प्रकार है 'स' एगीभावे 'भुज' पालनाभ्यवहारयोः, एकत्र भोजन सभोगः, अहवा सम भोगो सभोगो यथोक्तविधानेनेत्यर्थ । सभु जते वा सभोग, सभुज्जते वा, स्वस्थ वा भोग सभोग.^३ सभोग का मुख्य अर्थ है यथोक्त विधि से एकत्र आहारोपभोग । जिन साधुओं में परस्पर खान-पान आदि का व्यवहार होता है वे साभोगिक कहलाते हैं । साभोगिक साधुओं का स्वरूप समझाते हुए चूर्णिकार ने कुछ आख्यान दिये हैं । इनमें से एक आख्यान में निम्नलिखित ऐतिहासिक पुरुषों का उल्लेख किया गया है^४ वर्तमान-स्वामी के शिष्य सुधर्मा, सुधर्मा के शिष्य जबू, जबू के शिष्य प्रभव, प्रभव के शिष्य शय्यभव, शय्यभव के शिष्य यशोभद्र, यशोभद्र के शिष्य सभूत, सभूत के शिष्य स्थूलभद्र, स्थूलभद्र के दो युगप्रधानशिष्य—आर्य महागिरि और आर्य सुहस्ती, चन्द्रगुप्त का पुत्र विदुसार, विदुसार का पुत्र अशोक, अशोक का पुत्र कुणाल ।

षष्ठ उद्देश

आदि के पाँच उद्देशों में गुरु-लघुमास का वर्णन किया गया । प्रस्तुत उद्देश में चातुर्मासिक गुरु का वर्णन है । इसका एकमात्र विषय है मैथुनसम्बन्धी दोषो और प्रायश्चित्तो का वर्णन । 'जे भिक्खू माउग्गाम मेहुणपडियाए विण्णवेत्ति—' (सू० १) का व्याख्यान करते हुए चूर्णिकार लिखते हैं मातिसमाणो गामो मातुगामो, मरहट्टविसयभासाए वा इत्थी माउग्गामो भण्णति । मिहुणभावो मेहुण, मिथुनकर्म वा मेहुण-अन्नहामित्यर्थ । मिथुनभावप्रतिपत्तिः । अथवा पडिया मैथुनसेवनप्रतिज्ञेत्यर्थ । विज्ञापना प्रार्थना अथवा तद्भावसेवन विज्ञापना, इह तु प्रार्थना परिगृह्यते ।

१. पृ० ३०७ (गा० १८९५). २. वही. ३. पृ० ३४१.

४. पृ० ३६०-३६१.

सुत्तयो ।^१ मातृसमूह जर्वात् माताओं के गतान नारियों के बृद्ध को मातृग्राम-माउगाम कहते हैं । अथवा सामान्य स्त्री-वर्ग को माउगाम कहना चाहिए जैसा कि मराठी में स्त्री को माउगाम कहा जाता है । मिथुनभाव अथवा मिथुनरुत्न को भैपुन—मेहुण कहते हैं । पडिया—प्रतिभा का अर्थ है भैपुन-सेवन की प्रतिभा । विष्णव्या—विभापना का अर्थ है प्रार्थना । जो माधु भैपुन-सेवन की कामता से किसी स्त्री से प्रार्थना करता है उसके लिए चातुर्मानिक गुह प्रायश्चित्त का विधान है ।

मातृग्राम तीन प्रकार का है . दिग्ग, मानुष और निर्गह । इनमें से प्रत्येक के दो भेद हैं : देहगुप्त और प्रतिमागुप्त । देहगुप्त के पुन दो भेद हैं गजोव और निर्जोव । प्रतिमागुप्त भी दो प्रकार का है : नन्निहित और अनन्निहित । विज्ञापना दो प्रकार का होता है अनापगता—प्रायना और तद्नापसेवना—भैपुनासेवन ।^२ आचार्य ने इन भेद-प्रभेदों का विस्तृत विवेचन किया है ।

‘जे भिक्खू माउगामन्न मेहुणवडियाए लेह् निहित ’ (नू १३) को व्याख्या करते हुए चर्चिकार ने कामियों के प्रेम-वन्न वेगन का विशेषण किया है और बताया है कि ये दो प्रकार का होता है . छन्न जर्वात् अप्रकानित और प्रकट जर्वात् प्रकानित । छन्न छेत्त तीन प्रकार का है . लिपिछन्न, नापाछन्न और अथछन्न ।^३ आचार्य ने इनका स्वरूप बताया है ।

उद्देश के अन्त में यह बताया गया है कि जो बातें पुरुषों के लिए कही गई हैं उन्हें का स्त्रियों के लिए भी उपयोग कर लेना चाहिए । निम्न के स्त्रियों पर भिक्षुणी रख कर मातृग्राम की जगह पितृग्राम का प्रयोग कर लेना चाहिए । जैसा कि चूर्णकार कहते हैं . पुरिसाण जो गमो इत्थीवगो भाणतो जहा—‘भिसन् माउगाम मेहुणवडियाए । विष्णवेत्ति’ एस इत्थीण पुरिमवगो वत्तव्वो—‘जा भिक्खुणी वि पिउगामं मेहुणवडियाए विष्णवेइ ..।’^४

सप्तम उद्देश

पष्ठ उद्देश के अंतिम सूत्र में विरुद्ध आहार का निषेध किया गया है । यह निषेध आस्यतर आहार की दृष्टि से है । सप्तम उद्देश के प्रथम सूत्र में कामी भिक्षु के लिए इस बात का निषेध किया गया है कि पत्र-पुष्पादि की मालाएँ न तो स्वयं बनाएँ, न ओरो से बनवाएँ इत्यादि । यह निषेध काम के बाह्य आहार की दृष्टि से है । इसी प्रकार कुडल, मुवतावली, कनकावली आदि के बनाने, धारण करने आदि का भी आगे के सूत्रों में निषेध किया गया है । चूर्णकार ने कुडल आदि का स्वरूप इस प्रकार बताया है : कुडल कण्णाभरण,

गुणं कडीसुत्तय, मणी सूर्यमणीमादय, तुडियं बाहुरक्खिया, तिण्णि सरातो तिसरिय, वालभा मउडादिसु ओचूला, आगारीण वा गलोलइया, नाभिं जा गच्छइ सा पलबा, सा य उलंवा भण्णति । अट्टारसलयाओ हारो, णवसु अड्ढहारो, विचित्तोहि एगसरा एगावली, मुत्तएहि मुत्तावली, सुवण्णमणि-एहि कणगावली, रयणाहि रयणावली, उरगुलो सुवण्णओ पट्टो, त्रिकुटो मुकुटः ।^१ इसमें कु डल, गुण, मणि, तुडिय, तिसरिय, वालभा, पलबा, हार, अर्धहार, एकावली, मुत्तावली, कनकावली, रत्नावली, पट्ट और मुकुट—इन आभूषणों का स्वरूप-वर्णन है ।

‘जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवड्डियाए अण्णयरं पसु-जाय वा पक्खि-जाय वा. . आलिंगेज्ज . ’ (सू. ८४) का विवेचन करते हुए आचार्य ने पशु-पक्षी के आलिंजन आदि का निषेध किया है तथा आलिंजन, परिष्वजन, चुबन, छेदन और विच्छेदनरूप काम-व्रीडाओं का स्वरूप बताया है । वह इस प्रकार है : आलिंजन स्पृशन, उपगूहन परिष्वजन, मुखेन चुबन, दत्तादिभि सकृत् छेदन, अनेकशो विच्छेद, विविधप्रकारो वा च्छेद विच्छेद ।^२ सामान्य रीति से स्पर्श करना आलिंजन है । गाढ आलिंजन का नाम परिष्वजन अथवा उपगूहन है । चुम्बन मुख से किया जाता है । दत्त आदि से एक बार काटना छेदन तथा अनेक बार काटना अथवा अनेक प्रकार से काटना विच्छेदन है ।

अष्टम उद्देश

सप्तम उद्देश के अन्तिम सूत्र में स्त्री और पुरुष के आकारों के विषय में कुछ आवश्यक बातें कही गई हैं । अष्टम उद्देश के प्रारंभ के सूत्र में यह बताया गया है कि अकेला साधु अकेली स्त्री के साथ विहार, स्वाध्याय आदि न करे जिससे कामकथा आदि का अवसर प्राप्त न हो । कामकथा लौकिक और लोकोत्तर भेद से दो प्रकार की होती है । नरवाहनदत्तकथादि लौकिक कामकथाएं हैं । तरंगवती, मलयवती, मगधसेन आदि की कथाएं लोकोत्तर कामकथा के उदाहरण हैं ।^३

‘जे भिक्खू उज्जाणसि जा उज्जाण-गिहसि वा ’ (सू० २-९) आदि सूत्रों की व्याख्या में उद्यान, उद्यानगृह, उद्यानशाला, निर्याण, निर्याणगृह, निर्याणशाला, अट्ट, अट्टालक, चरिका, प्राकार, द्वार, गोपुर, दक, दकमार्ग, दकपथ, दकतीर, दकस्थान, शून्यगृह, शून्यशाला, भिन्नगृह, भिन्नशाला, कूटागार, कोष्ठागार, तृणगृह, तृणशाला, तुषगृह, तुषशाला, छुसगृह, छुसशाला, पर्याय-गृह, पर्यायशाला, कर्मान्तगृह, कर्मान्तशाला, महागृह, महाकुल, गोगृह और

गोगाला का अर्थ स्पष्ट किया गया है^१ और बताया गया है कि साधु इन स्थानों में अकेले स्त्रियों के साथ विहार आदि न करे।

रात्रि के समय स्वजन आदि के साथ रहने का प्रतिषेध करते हुए आचार्य कहते हैं कि जो साधु स्वजन, अस्वजन, ध्यानक, अश्रावक आदि के साथ अर्ध रात्रि अथवा चतुर्धा रात्रि अथवा पूर्ण रात्रि पर्यन्त रहता है अथवा रहने वाले का समयन करता है उनके लिए चतुर्गुण प्रायश्चित्त है।^२ इसी प्रकार रात्रि के समय नोजन के अन्वेषण, गहन आदि के लिए भी प्रायश्चित्त का विधान किया गया।

नवम उद्देश :

अष्टम उद्देश के अन्तिम सूत्र में भोजन अर्थात् पिण्ड का विचार किया गया है। नवम उद्देश के प्रारम्भ में भी इसी विषय पर बोलना प्रकाश डाला गया है। 'जे भिक्षू रायपिंड गेण्हइ' 'जे भिक्षू रायपिंड भुंजइ' (सू० १-२) का व्याख्यान करते हुए चूणिस्मर इन बात का विचार करते हैं कि साधु को किस प्रकार के राजा के यहाँ से पिण्ड ग्रहण नहीं करना चाहिए? जो भूषाभिपिण्ड है अर्थात् जिनका प्रानरूप से अभिषेक किया गया है तथा जो सेनापति, अमात्य, पुत्रोहित, श्रेष्ठ और मार्यवाह महित राज्य का भोग करता है उनका पिण्ड साधु के लिए वर्जित है। दोष राजाओं के विषय में निषेध का एतन्न नियम नहीं है अर्थात् जहाँ दोष प्रतीत हो वहाँ का पिण्ड वर्जित है, जहाँ दोष न हो वहाँ का ग्रहणीय है। राजपिण्ड आठ प्रकार का है जिसमें भोजन के सिवाय अन्य वस्तुओं का भी समावेश है। वे आठ प्रकार ये हैं चार प्रकार का आहार—अशन, पान, साय और स्वाद्य तथा उस्त्र, पात्र, कजल और पादप्रोक्षणक।^३

साधु को राजा के अन्त पुर में प्रवेश करने की मनाही करते हुए आचार्य ने तीन प्रकार के अन्त-पुरों का वर्णन किया है : जीर्णान्त पुर, नवान्त पुर और कन्यकान्त पुर। जिनका यौवन नष्ट हो जाता है तथा जो भोग के अयोग्य हो जाती हैं वे स्त्रियाँ जीर्णान्त पुर में रहती हैं। जिनमें यौवन विद्यमान है तथा जो भोग के काम में ली जाती हैं वे नवान्त पुर में वास करती हैं। राजकन्याएँ जब तक यौवन को प्राप्त नहीं होती हैं तब तक उनका सग्रह कन्यकान्त पुर में किया जाता है। इनमें से प्रत्येक के क्षेत्र की दृष्टि से दो भेद किये जाते हैं : स्वस्थानस्थ और परस्थानस्थ। स्वस्थानस्थ का अर्थ है राजगृह में ही रहनेवाली। पर-

स्थानस्थ का अर्थ है वसंतादि में उद्यान में रहने वाली । एतद्विषयक भाष्यगाथा एव चूर्णि इस प्रकार है •

भाष्य — अतेउर च तिविध, जुण्ण णव चेव कण्णगाण च ।

एक्केक्क पि य दुविध सट्ठाणे चेव परठाणे ॥२५१३॥

चूर्णि :—रण्णो अतेपुर तिविध—ण्हसियजोवणाओ अपरिभुज्जमाणीओ अच्छति, एय जुण्णतेपुरं । जोव्वणयुत्ता परिभुज्जमाणीओ नव-तेपुर । अप्पत्तजोव्वणाण रायदुहियाण सगहो कन्नतेपुर । तं पुण खेततो एक्केक्क दुविध—सट्ठाणे परट्ठाणे य । सट्ठा-णत्थ रायघरे चेव, परट्ठाणत्थ वसतादिमु उज्जाणियागय ।

'जे भिक्खू रण्णो खत्तियाण ' (सू० ७) का विवेचन करते हुए चूर्णिकार ने कोष्ठागार आदि का स्वरूप इस प्रकार बताया है जिसमें ७७ प्रकार का धान्य हो वह कोष्ठागार है । जिसमें १६ प्रकार के रत्न हो वह भाडा-गार है । जहाँ सुरा, मधु आदि पानक संग्रहीत हो वह पानागार है । जहाँ दूध, दही आदि हो वह क्षीरगृह है । जहाँ ७७ प्रकार का धान्य कूटा जाता हो अथवा जहाँ गज अर्थात् यव पडे हो वह गजशाला है । जहाँ अशन, पान आदि विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार होते हो वह महानसशाला है जत्थ सण-सत्तारसाणि धण्णाणि कोट्ठागारो । भडागारो जत्थ सोलसविहाई रयणाई । पाणागार जत्थ पाणियकम्म तो सुरा-मधु-सीधु-खडग-मच्छडिय-मुद्दिदयापभित्तीणि पाणगाणि । खीरघर जत्थ खीर-दधि-णवणीय-तक्का दीणि अच्छति । गजशाला व जत्थ सणसत्तारसाणि-धण्णाणि कोटिटज्जति, अहवा गजा जवा ते जत्थ अच्छति सा गजशाला । महाणसशाला जत्थ असणपाणखातिमादीणि णाणाविहभक्खे उववखडिज्जति ।^१ इसी प्रकार नट, नट्ट, जल्ल, मल्ल, कथक, प्लवक, लासक आदि का अर्थ बताया गया है ।^२

दशम उद्देश

इस उद्देश की चूर्णि बहुत विस्तृत है । बीच-बीच में दृष्टान्त के रूप में कथानक भी दिये गये हैं । इसमें मुख्यरूप से निम्न विषयों का विवेचन है • भाषा की अगाढता, परुषता आदि तथा तत्सम्बन्धी विविध प्रायश्चित्त, आधा-कमिक आहार के दोष एव प्रायश्चित्त, ग्लान की वैयावृत्य सम्बन्धी यतना, उपेक्षा एव प्रायश्चित्त, वर्षावास, पर्युषणा, परिवसना, पर्युषमना, प्रथम समवसरण, स्थापना और ज्येष्ठग्रह की एकार्थकता, सार्थकता, विधिवत्ता आदि ।

इसी में आर्य कालक की कथा भी दी गई है। विद्यावल आदि की सिद्धि का वर्णन करते हुए चूर्णिकार कहते हैं। जहाँ—कालगञ्ज्जेण गद्भिल्लो सासिओ ? को उ गद्भिल्लो ? को वा कालगञ्ज्जो ? कम्मि वा कज्जे सासितो ? भण्णति ।^१ यह कह कर उन्होंने सक्षेप में आर्य कालक, उनकी भगिनी रूपवती और उज्जयिनी के राजा गर्दभिल्ल का पूरा कथानक दिया है।

एकादश उद्देश :

दशम उद्देश के अंतिम सूत्र में वस्त्र-ग्रहण पर प्रकाश डाला गया है। एकादश उद्देश के प्रारंभ में पात्र-ग्रहण की चर्चा है। इस उद्देश का तृतीय एव षष्ठ सूत्र चूर्ण में नहीं है। इसी प्रकार अन्य उद्देशों में भी कुछ सूत्रों की न्यूनाधिकता है। 'जे भिवखू अप्पाण वीभावेति ...' 'जे भिवखू पर वीभावेति ...' (सू० ६४-५) की व्याख्या में चूर्णिकार ने भय के चार एव सात भेदों की चर्चा की है। भय के चार भेद ये हैं : १. पिशाचादि से उत्पन्न भय, २ मनुष्यादि से उत्पन्न भय, ३. वनस्पति आदि से उत्पन्न भय और ४ निर्हेतुक अर्थात् अकस्मात् उत्पन्न होनेवाला भय। भय के सात भेद इस प्रकार हैं . १ इहलोकभय, २ परलोकभय, ३. आदानभय, ४. आजोवनाभय, ५ अकस्माद्भय ६ मरणभय और ७ अश्लोकभय ।^२ इन भेदों का जैन साहित्य में नाचारणतया उल्लेख पाया जाता है। चूर्णिकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि इन सात भेदों का चार भेदों में कैसे समावेश हो सकता है ? जो साधु खुद को अथवा दूसरे को अथवा दोनों को डराता है उसके लिए भय का कारण विद्यमान होने की दशा में चतुर्लघु तथा अविद्यमान होने की अवस्था में चतुर्गुण प्रायश्चित्त का विधान है।

अयोग्य दीक्षा का निषेध करने वाले सूत्र 'जे भिवखू णायग वा... . अणल वा पव्वावेइ, पव्वावेत वा सातिज्जति' (सू ८४) का विवेचन करते हुए आचार्य ने अडतालीस प्रकार के व्यक्तियों को प्रव्रज्या के लिए अयोग्य माना है। इनमें अठारह प्रकार के पुरुष हैं, बीस प्रकार की स्त्रियाँ हैं और दस प्रकार के नपुंसक हैं। बालदीक्षा का निषेध करते हुए बाल के तीन भेद किये हैं उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य : सात-आठ वर्ष की आयु का बालक उत्कृष्ट बाल है। पाच-छ वर्ष की आयु का बालक मध्यम बाल है। चार वर्ष तक की आयु का बालक जघन्य बाल है।^३ इसी प्रकार वृद्ध, जड, रोगी, उन्मत्त, मूढ़ आदि अयोग्य पुरुषों का भी भेदोपभेदपूर्वक वर्णन किया गया है। पडक

आदि सोलह प्रकार के नपुंसको^१ का वर्णन भी आचार्य ने विस्तार से किया है। व्याधित पुरुष का स्वरूप बताते हुए सोलह प्रकार के रोग एव आठ प्रकार की व्याधि के नामों का उल्लेख किया है।^२ व्याधि का नाश शीघ्र हो सकता है जबकि रोग का नाश देर से होता है। आशुघातित्वाद् व्याधिः, चिरघातित्वाद् रोग।^३

बालमरण, पडितमरण आदि के विस्तृत विवेचन के साथ प्रस्तुत उद्देश को चूर्ण समाप्त होती है।

द्वादश उद्देश :

इस उद्देश की चूर्ण में चतुर्लघु प्रायश्चित्त के योग्य दोषों का वर्णन किया गया है। इन दोषों में मुख्यतः त्रस प्राणिविषयक बन्धन और मुक्ति, प्रत्याख्यान-भंग, सलोम चर्मोपयोग, तृणादिनिर्मित पीठक का अधिष्ठान, निर्ग्रन्थी के लिए निर्ग्रन्थ द्वारा सघाटी सिलाने की व्यवस्था, पुर कर्मकृत हस्त से आहारादि का ग्रहण, शीतोदकयुक्त हस्तादि से आहारादि का ग्रहण, चक्षुरिन्द्रिय की तुष्टि के लिए निज्ञार आदि का निरीक्षण, प्रथम प्रहर के समय आहारादि का ग्रहण, व्रण पर गोमय—गोबर का लेप आदि का समावेश है।

त्रयोदश उद्देश .

इस उद्देश में भी चतुर्लघु प्रायश्चित्त के योग्य दोषों का विचार किया गया है। स्निग्ध पृथ्वी, शिला आदि पर कायोत्सर्ग करना, गृहस्थ आदि को पश्य वचन सुनाना, उन्हें मत्र आदि बताना, लाभ की बात बता कर प्रसन्न करना, हानि की बात बताकर खिन्न करना, धातु आदि के स्थान बताना, वमन करना, विरेचन लेना, आरोग्य के लिए प्रतिकर्म करना, पार्श्वस्थ को वदन करना, पार्श्वस्थ की प्रसंसा करना, कुशील को वंदन करना, कुशील की प्रशंसा करना, घात्रीपिंड का भोग करना, दूतीपिंड का भोग करना, निमित्तिपिंड का भोग करना, चिकित्सापिंड का भोग करना, क्रोधादिपिंड का भोग करना आदि कार्य चतुर्लघु प्रायश्चित्त के योग्य हैं। प्रस्तुत उद्देश के अन्त में^४ निम्न गाथा में चूर्णिकार के पिता का नाम दिया हुआ है।

सकरजडमउडविभूसणस्स तण्णामसरिसणामस्स ।

तस्स सुतेणेस कत्ता, विसेसचुण्णी णिसीहस्स ॥

चतुर्दश उद्देश .

इस उद्देश में भी उपयुक्त प्रायश्चित्त के योग्य अन्य विषयों पर प्रकाश डाला गया है। पात्र खरीदना, अतिरिक्त पात्रों का संग्रह करना, पात्र ठोक तरह

से न रखना, वर्णयुक्त पात्र को विवर्ण बनाना, विवर्ण पात्र को वर्णयुक्त करना, पुराने पात्र से छुटकारा पाने की अनुचित कोशिश करना, सचित्त आदि भूमि पर पात्र रखना इत्यादि पात्रविषयक अनेक दोषों का दिग्दर्शन कराते हुए आचार्य ने एतत्सम्बन्धो आवश्यक यातनाभो का यत्र-तत्र उल्लेख किया है ।

पचदश उद्देश :

साधु को सचित्त आम आदि खाने की मनाही करते हुए आचार्य ने आम्र का नामादि निक्षेपो से व्याख्यान किया है । द्रव्याम्र चार प्रकार का है - उस्सेतिम, ससेतिम, उक्खड और पलिय । इन चारों प्रकार के आमों का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने पलिय आम के पुनः चार विभाग किये हैं इन्धनपलियाम, धूमपलियाम, गधपलियाम और वृक्षपलियाम । इनके स्वरूप पर भी प्रस्तुत उद्देश में प्रकाश डाला गया है ।^१ इसी प्रसंग पर तालप्रलम्ब आदि के ग्रहण की विधि का साधु और साध्वी दोनों की दृष्टि से विचार किया गया है । इसी प्रकार अन्य सूत्रों का भी यथाविधि व्याख्यान किया गया है । अन्त में^२ निम्नोक्त गायामें चूर्णिकार की माता का नाम दिया हुआ है

रतिकरमभिधाणञ्जखरसत्तमवग्गतअक्खरजुएण ।

णाम जस्सित्थीए, सुतेण तस्से कया चुण्णी ॥

षोडश उद्देश :

पन्द्रहवें उद्देश में देहविभूषाकरण और उज्ज्वलोपधिधारण का निषेध किया गया है जिससे कि ब्रह्मव्रत की विराधना न हो । सोलहवें उद्देश में भी अगुप्ति अथवा ब्रह्मविराधना न हो इसी दृष्टि से सागारिकवसति का निषेध किया गया है । इस उद्देश के प्रथम सूत्र 'जे भिक्खू सागरियसेज्ज अणुपविसइ ' का व्याख्यान करते हुए चूर्णिकार कहते हैं कि जो सागारिकवसति ग्रहण करता है उसे आज्ञाभंग आदि दोष लगते हैं और उसके लिए चतुर्लघु प्रायश्चित्त का विधान है : सह आगारीहि सागारिया, जो त गेण्हति वसहि तस्स आणादी दोसा, चउलहु च से पच्छित्त ।^३ 'सागारिक' शब्द का विशेष स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य कहते हैं कि जहाँ निवास करने से मैथुन का उद्भव होता है वह सागारिकवसति है । वहाँ के लिए चतुर्गुण प्रायश्चित्त है । अथवा जहाँ स्त्री-पुरुष रहते हैं वह सागारिकवसति है । वहाँ के लिए भी चतुर्गुण प्रायश्चित्त है : जत्थ वसहीये ठियाण मेहुणुब्भवी भवति सा सागारिका, तत्थ चउगुरुगा ।

१. पृ० ४८४-५.

२. पृ० ५९४.

३. चतुर्थ भाग, पृ० १

अथवा जत्थ इत्यिपुरिसा वसति सा सागारिका ।^१ पण्यशाला आदि में ठहरने का निषेध करते हुए चूर्णिकार ने निम्न स्थानों का वर्णन किया है :

१. पण्यशाला—जहाँ व्यापारी अथवा कुम्भकार वर्तन बेचता है ।
२. भडशाला—जहाँ वर्तनों का संग्रह रखा जाता है ।
३. कर्मशाला—जहाँ कुम्भकार वर्तन बनाता है ।
४. पचनशाला—जहाँ वर्तन पकाये जाते हैं ।
५. इधनशाला—जहाँ घासफूस एकत्र किया जाता है ।
६. व्यधारणशाला—जहाँ सारे गाँव के लिए दिन-रात अग्नि जलती रहती है ।

एतद्विषयक चूर्णपाठ इस प्रकार है . पणियशाला जत्थ भायणाणि विक्केति वाणियकुम्भकारो वा एसा पणियशाला । भडशाला जहिं भायणाणि संगोवियाणि अच्छति । कम्मशाला जत्थ कम्म करेति कुम्भकारो । पयणशाला जहिं पच्चति भायणाणि । इधनशाला जत्थ तण-करिसभारा अच्छति । वग्धारणशाला तोसलिविसए गाममज्जे साला कीरइ, तत्थ अगणिकु डं णिच्चमेव अच्छति सयंवरणिमित्त ॥^२

जुगुप्सित—घृणित कुलों से आहार आदि ग्रहण करने का निषेध करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि जुगुप्सित दो प्रकार के होते हैं . इत्वरिक और यावत्कथिक । इत्वरिक थोड़े समय के लिए होते हैं जबकि यावत्कथिक जीवनभर के लिए होते हैं । सूतक आदि वाले कुल इत्वरिक-जुगुप्सित कुल हैं । लोहकार, कलाल, चर्मकार आदि यावत्कथिक-जुगुप्सित कुल हैं ।^३ इन कुलों से साधु को आहार आदि नहीं लेना चाहिए ।

श्रमणों को आर्यदेश में ही विचरना चाहिए, अनार्यदेश में नहीं । प्रस्तुत चूर्ण में आर्यदेश की सीमा इस प्रकार बताई गई है : पुब्बेण मगहविसओ, दक्खिणंण कोसबी, अवरेण थूणाविसओ, उत्तरेण कुणालाविसओ । एतेसि मज्झ आरिय, परतो अणारिय ।^४ पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में स्थूणापर्यन्त और दक्षिण में कौशाबी से लेकर उत्तर में कुणालापर्यन्त आर्यदेश है । शेष अनार्यदेश है । यही मान्यता भाष्यकार आदि की भी है ।

सप्तदश उद्देश :

इस उद्देश के प्रारम्भ में कुत्तहल—कौतुक के कारण होनेवाली दोष-पूर्ण क्रियाओं का निषेध किया गया है । आगे दस प्रकार के स्थितकल्प और दो

१. चतुर्थ भाग, पृ० १. २. पृ० ६१ ३ पृ० १३२. ४. पृ० १२६.

प्रकार के स्थापनकल्प का स्वरूप बताया गया है। 'जे भिक्खू गाएज्ज' (सू १३४) का विवेचन करते हुए चूर्णिकार ने गीत, हसन, वाद्य, नृत्य, अभिनय आदि का स्वरूप बताया है तथा इनका आचरण करने वाले श्रमण के लिए चतुर्लघु प्रायश्चित्त का विधान किया है।^३ इसी प्रकार गख, श्रुंग, वेणु आदि के विषय में भी समझना चाहिए।^४

अष्टदश उद्देश :

इस उद्देश की चूर्णि में मुख्यरूप से नावविषयक दोषों का विवेचन किया गया है इन दोषों में नाव पर आरुढ होना, नाव खरीदना, नाव को स्थल से जल में और जल से स्थल पर पहुँचाना, भरी नाव का पानी खाली करना, खाली नाव में पानी भरना, नाव को खीचना, नाव को ढकेलना, नाव खेना, नाव को रस्सी आदि से बाँधना, नाव में बैठे हुए किसी से आहारादि लेना इत्यादि का समावेश किया गया है।

एकोनविंशतितम उद्देश :

प्रस्तुत उद्देश की व्याख्या में चूर्णिकार ने स्वाध्याय और अध्यापन सम्बन्धी नियमों पर विशेष प्रकाश डाला है स्वाध्याय का काल और अकाल, स्वाध्याय का विषय और अविषय, अस्वाध्यायिक का स्वाध्याय करने से लगने वाले दोष, अयोग्य व्यक्ति को पढाने से होनेवाली हानि, दो तुल्य व्यक्तियों में से एक को पढाने और दूसरे को नहीं पढाने से लगने वाला दोष और उसका प्रायश्चित्त, पाश्वर्य आदि कुतोर्यियों को पढाने से लगने वाले दोष, गृहस्थ आदि को पढाने से लगने वाले दोष—इन सब बातों का आचार्य ने विस्तार से विचार किया है।

विंशतितम उद्देश :

यह अन्तिम उद्देश है। इसकी चूर्णि में मासिकादि परिहारस्थान तथा उनके प्रतिसेवन, आलोचन, प्रायश्चित्त आदि का विवेचन किया गया है। साथ ही भिक्षु, मास, स्थान, प्रतिसेवना और आलोचना का निक्षेप-पद्धति से व्याख्यान किया गया है।^१ अन्त में^२ चूर्णिकार के परिचय के रूप में निम्न गाथाएँ हैं :

ति चउ पण अट्ठमवग्गे, ति पणग ति तिग अक्खरा व ते तेसि ।
पढमततिएहि तिदुसरज्जुएहि णाम कय जस्स ॥ २ ॥
गुरुदिण्ण च गणित्त, महत्तरत्त च तस्स तुट्ठेहि ।
तेण कएसा चुण्णो, विसेसनामा निसीहस्स ॥ ३ ॥

अ, क, च, ट, त, प, य और श—इन वर्गों के अक्षरों का प्रथम गाथा के निर्देशानुसार संयोग करने से 'जिणदास' शब्द बन जाता है। दूसरी गाथा में 'गणि' और 'महत्तर' शब्दों का निर्देश है। इस प्रकार इन तीनों शब्दों का क्रमशः संयोग करने पर 'जिणदासगणिमहत्तर' शब्द बन जाता है। प्रस्तुत चूर्ण जिणदासगणि महत्तर की कृति है। इसका नाम, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, निशीथ-विशेषचूर्ण अथवा, विशेष-निशीथचूर्ण है।



द्वादश प्रकरण

दशाश्रुतस्कन्धचूर्णि

यह चूर्णि^१ मुख्यतया प्राकृत में है। कहीं-कहीं संस्कृत शब्दों अथवा वाक्यों के प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। चूर्णि का आधार मूल सूत्र एव नियुक्ति है। प्रारम्भ में चूर्णिकार ने परम्परागत मगल की उपयोगिता का विचार किया है। तदनन्तर प्रथम नियुक्ति-गाथा का व्याख्यान किया है।

वदामि भद्वाहु, पाईण चरमसयलमुअनार्णि ।

सुत्तस्स कारगमिस्सि, दसासु कप्पे अ ववहारे ॥१॥

भद्वाहु नामेण, पाईणो गोत्तेण, चरिमो अपच्छिमो, सगला इचोद्-सपुव्वाइ । किं निमित्तं नमोक्कारो तस्स कज्जति ? उच्यते-जेण सुत्तास्स कारओ ण अत्थस्स, अत्थो तित्थगरातो पसूतो । जेण भण्णति-अत्थ भासति अरहा । इसके बाद श्रुत का वर्णन किया गया है। तदनन्तर दशाश्रुतस्कन्ध के दस अध्ययनों के अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए उनका क्रमशः व्याख्यान किया गया है। व्याख्यान-शैली सरल है। मूल सूत्रपाठ और चूर्णिसम्मत पाठ में कहीं-कहीं थोड़ा सा अन्तर दृष्टिगोचर होता है। उदाहरण के रूप में कुछ शब्द नीचे उद्धृत किये जाते हैं। ये शब्द आठवें अध्ययन कल्प के अन्तर्गत हैं ^२

१ इस चूर्णि की हस्तलिखित प्रति मुनि श्री पुण्यविजयजी की कृपा से प्राप्त हुई अतः उनका अति आभारी हूँ। इसका आठवाँ अध्ययन कल्पसूत्र के नाम से अलग प्रकाशित हुआ है जिसमें मूल सूत्रपाठ, नियुक्ति, चूर्णि और पृथ्वीचन्द्राचार्यविरचित टिप्पणक सम्मिलित हैं। संपादक—मुनि श्री पुण्यविजयजी, गुजराती भाषान्तर—प० वेचरदास जीवराज दोशी, चित्रविवरण—साराभाई मणिलाल नवाब, प्राप्तिस्थान—साराभाई मणिलाल नवाब, छीपा मावजीनी पोल, अहमदाबाद, सन् १९५२

२ मुनि श्री पुण्यविजय जी द्वारा स्वीकृत पाठ के आधार पर इन शब्दों का संग्रह किया गया है।

| सूत्रांक | सूत्रपाठ | चूर्णपाठ |
|----------|------------------------------|---------------------|
| ३ | पुन्वरत्तावरत्तकालसमयसि | पुन्वरत्तावरत्तसि |
| १४ | मुद्ग | सुरव |
| ६१ | पट्टेहि कुसलेहि मेहावीहि जिय | पट्टेहि णिउणेहि जिय |
| ६२ | उण्होदएहि य | — |
| १०७ | पित्तिज्जे | पेत्तेज्जए |
| १२२ | अतरावास | अतरवास |
| १२३ | अत्तगडे | — |
| २३२ | पज्जोसवियाण | पज्जोमविए |
| २८१ | अणट्ठावधिस्स | अट्ठावधिस्स |

इस प्रकार के पाठभेदों के अतिरिक्त सूत्र-विपर्यास भी देखने में आते हैं। उदाहरण के लिए इसी अध्ययन के सूत्र १२६ और १२७ चूर्ण में विपरीत रूप में मिलने हैं। इसी प्रकार आचार्य पृथ्वीचन्द्रविरचित कल्प-टिप्पणरू में भी अनेक जगह पाठभेद दिखाई देता है।



त्रयोदश प्रकरण

बृहत्कल्पचूर्णि

यह चूर्णि^१ मूल सूत्र एव लघु भाष्य पर है। इसकी भाषा सस्कृतमिश्रित प्राकृत है। प्रारम्भ में मंगल की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत चूर्णि का प्रारम्भ का यह अंश दशाश्रुतस्कन्धचूर्णि के प्रारम्भ के अंश से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। इन दोनों अंशों को यहाँ उद्धृत करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनमें कितना साम्य है।

मंगलादीणि सत्याणि मंगलमज्झाणि मंगलावसाणाणि । मंगलपरिग्ग-
हिया य सिस्सा सुत्तथाण अवग्गहेहापायधारणासमत्था भवति । तानि
चाऽऽदि-मध्याऽवसानमंगलात्मकानि सर्वाणि लोके विराजन्ति विस्तार च
गच्छन्ति । अनेन कारणेनादौ मंगल मध्ये मंगलमवसाने मंगलमिती । आदि
मंगलग्गहणेण तस्स स सत्थस्स अविग्घेण लहु पारं गच्छन्ति । मज्झमंगल-
गहणेण त सत्थ थिरपरिजियं भवइ । अवसाणमंगलग्गहणेण त सत्थ
सिस्स-पसिस्सेसु अब्बोच्छित्तिकर भवइ । तत्रादौ मंगल पापप्रतिषेधक-
त्वादिद सूत्रम् ।

—बृहत्कल्पचूर्णि, पृ० १.

मंगलादीणि सत्याणि मंगलमज्झाणि मंगलावसाणाणि मंगल-
परिग्गहिता य सिस्सा अवग्गहेहापायधारणासमत्था अविग्घेण सत्याण
पारगा भवति । ताणि य सत्याणि लोके वियरति वित्थार च गच्छति ।
तत्थादिमंगलेण निव्विग्घेण सिस्सा सत्थस्स पार गच्छन्ति । मज्झमंगलेण
सत्थ थिरपरिचिअ भवइ । अवसाणमंगलेण सत्थ सिस्स-पसिस्सेसु परिचय
गच्छति । तत्थादिमंगल ।

—दशाश्रुतस्कन्धचूर्णि, पृ० १.

इन दोनों पाठों में बहुत समानता है। ऐसा प्रतीत होता है कि दशाश्रुत-
स्कन्धचूर्णि के पाठ के आधार पर बृहत्कल्पचूर्णि का पाठ लिखा गया। दशाश्रुत-
स्कन्धचूर्णि का उपयुक्त पाठ संक्षिप्त एवं सकोचशील है, जबकि बृहत्कल्पचूर्णि का
पाठ विशेष स्पष्ट एवं विकसित प्रतीत होता है। भाषा की दृष्टि से भी दशाश्रुत
स्कन्धचूर्णि बृहत्कल्पचूर्णि से प्राचीन मालूम होती है। जितना बृहत्कल्पचूर्णि पर
संस्कृत का प्रभाव है उतना दशाश्रुतस्कन्धचूर्णि पर नहीं है। इन तथ्यों को देखते

१ इस चूर्णि की हस्तलिखित प्रति के लिए मुनि श्री पुण्यविजयजी का कृतज्ञ हूँ
जिन्होंने अपनी निजी सशोधित प्रति मुझे देने की कृपा की।

हुए ऐसा प्रतीत होता है कि दशाश्रुतस्कन्धचूर्णि बृहत्कल्पचूर्णि से पूर्व लिखी गई है और सम्भवतः दोनों एक ही आचार्य की कृतियाँ हैं।

प्रस्तुत चूर्णि में भी भाष्य के ही अनुसार पीठिका तथा छ. उद्देश है। पीठिका के प्रारम्भ में ज्ञान के स्वरूप की चर्चा करते हुए चूर्णिकार ने तत्त्वार्थाधिगम का एक सूत्र उद्धृत किया है। अधिज्ञान के जघन्य और उत्कृष्ट विषय की चर्चा करते हुए चूर्णिकार कहते हैं -

जावति ए नि जहण्णेण तिसमयाहारगसुहुमपणगजीवावगाहणामेत्ते उक्कोसेण सव्वबहुअगणिजीवपरिच्छित्ते पासइ दव्वादि आदिग्गहणेण वण्णादि तमिति खेत्त ण पेच्छति यस्मादुत्तम्—“रूपिष्ववधे ” (तत्त्वार्थ० १-२८) तच्चारूपि खेत्त अतो ण पेच्छति ।^१

अभिधान अर्थात् वचन और अभिधेय अर्थात् वस्तु इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध की चर्चा करते हुए चूर्णिकार ने भाष्याभिमत अथवा यो कहिये कि जैनाभिमत भेदाभेदभाव का प्रतिपादन किया है। अभिधान और अभिधेय को कथञ्चित् भिन्न और कथञ्चित् अभिन्न बताते हुए आचार्य ने 'वृक्ष' शब्द के छः भाषाओं में पर्याय दिये हैं। सक्कय जहा वृक्ष इत्यादि, पागत जहा रुक्खो इत्यादि। देशाभिधान च प्रतीत्य अनेकाभिधान भवति जधा ओदणो मागधाण कूरो लाडाण चोरो दमिलाण इडाकु अवाण ।^२ सस्कृत में जिसे वृक्ष कहते हैं वही प्राकृत में रुक्ख, मगध देश में ओदण, लाट में कूर, दमिल—तमिल में चोर और अघ—आन्ध्र में इडाकु कहा जाता है।

कर्म-बन्ध की चर्चा करते हुए एक जगह चूर्णिकार ने विशेषावश्यकभाष्य तथा कर्मप्रकृति का उल्लेख किया है - वित्थरेण जहा विसेसावस्सगभासे सामित्त चैव सव्वपगडीण को केवतिय वधइ खवेइ वा, कत्तिय को उ त्ति जहा कम्मपगडीये ।^३ इसी प्रकार प्रस्तुत चूर्णि में महाकल्प और गोविन्द नियुक्ति का भी उल्लेख है तत्थ नाणे महाकप्पसुयादीण अट्ठाए । दसणे गोविन्दनिज्जुत्तादीण ।^४

चूर्णि के प्रारम्भ की भाँति अन्त में भी चूर्णिकार के नाम का कोई उल्लेख अथवा निर्देश नहीं है। अन्त में केवल इतना ही उल्लेख है : कल्पचूर्णि समाप्ता । ग्रन्थाग्र ५३०० प्रत्यक्षरगणनयानिर्णीतम् ।^५ ऐसी दशा में किसी अन्य निश्चित प्रमाण के अभाव में चूर्णिकार के नाम का असद्विध निर्णय करना अशक्य प्रतीत होता है।



टी का ँ

प्रथम प्रकरण

टीकाँ और टीकाकार

टीकाओ से हमारा अभिप्राय सस्कृत टीकाओ से है। नियुक्तियों, भाष्यो और चूणियों की रचना के बाद जैन आचार्यों ने सस्कृत में भी अनेक टीकाँ लिखी। इन टीकाओ के कारण जैन साहित्य के क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ। प्रत्येक आगम-ग्रन्थ पर कम-से-कम एक टीका तो लिखी ही गई। टीकाकारो ने प्राचीन भाष्य आदि के विषयो का विस्तृत विवेचन किया तथा नये-नये हेतुओ द्वारा उन्हें पुष्ट किया। टीकाकारो में हरिभद्रसूरि, शीलाकसूरि, वादिवेताल शान्तिसूरि, अभयदेवसूरि, मलयगिरि, मलवारी हेमचन्द्र आदि प्रमुख हैं। इन आचार्यों के अतिरिक्त और भी ऐसे अनेक टीकाकारो के नाम मिलते हैं जिनमें से कुछ की टीकाँ उपलब्ध हैं और कुछ की अनुपलब्ध। कुछ ऐसी टीकाओं को प्रतियाँ अथवा उल्लेख भी मिलते हैं जिनके लेखको के नाम नहीं मिलते। जिनरत्नकोश आदि में निम्नलिखित ऐसे आचार्यों के नाम उल्लिखित हैं जिन्होंने आगम-साहित्य पर टीकाँ लिखी हैं —

जिनभद्रगणि, हरिभद्रसूरि, कोट्याचार्य, कोट्यायं (कोट्यायं), जिनभट, शीलाकसूरि, गघहस्ती, वादिवेताल शान्तिसूरि, अभयदेवसूरि, द्रोणसूरि, मलयगिरि, मलवारी हेमचन्द्र, देवेन्द्रगणि, नेमिचन्द्रसूरि, श्रीचन्द्रसूरि, श्रीतिलकसूरि, क्षेमकीर्ति, भुवनतुंगसूरि, गुणरत्न, विजयविमल, वानरर्षि, हीरविजयसूरि, शान्तिचन्द्रगणि, जिनहंस, हर्षकुल, लक्ष्मीकल्लोलगणि, दानगेखरसूरि, विनयहंस, नमिसाधु, ज्ञानसागर, सोममुन्दर, माणिक्यशेखर, शुभवर्धनगणि, धीरमुन्दर, कुलप्रभ, राजवल्लभ, हितरुचि, अजितदेवसूरि, साधुरग उपाध्याय, नर्गर्षगणि, सुमतिकल्लोल, हर्षनन्दन, मेघराज वाचक, भावसागर, पद्मसुन्दरगणि, कस्तूर-चन्द्र, हर्षवल्लभ उपाध्याय, विवेकहर्म उपाध्याय, ज्ञानविमलसूरि, रामचन्द्र, रत्न-प्रभसूरि, समरचन्द्रसूरि, पद्मसागर, जीवविजय, पुण्यसागर, विनयराजगणि, विजयसेनसूरि, हेमचन्द्रगणि, विशालमुन्दर, सौभाग्यसागर, कीर्तिवल्लभ, कमल-सयम उपाध्याय, तपोरत्न वाचक, गुणशेखर, लक्ष्मीवल्लभ, भावविजय, धर्म-मदिर उपाध्याय, उदयसागर, मुनिचन्द्रसूरि, ज्ञानशीलगणि, ब्रह्मर्षि, अजितचन्द्र-

सूरि, राजशील, उदयविजय, सुमनिसूरि, ममयसुन्दर, शान्तिदेवमूरि, नोमविमल-सूरि, क्षमारत्न, जयदयाल ।

इन आचार्यों में अनेक ऐसे हैं जिनके ठीक-ठीक व्यक्तित्व का निश्चय नहीं हो पाया है। संभवतः एक ही आचार्य के एक से अधिक नाम हो अथवा एक ही नाम के एक से अधिक आचार्य हों। इसके लिए विशेष शोध-खोज की आवश्यकता है। टीकाओं के लिए आचार्यों ने विभिन्न नामों का प्रयोग किया है। वे नाम हैं - टीका, वृत्ति, विवृति, विवरण, विवेचन, व्याख्या, वार्तिक, वीपिका, अवचूरि, अवचूर्णि, पजिता, टिप्पन, टिप्पनक, पर्याय, स्तवक, पीठिका, अक्षरार्थ इत्यादि ।

उपर्युक्त आचार्यों में से जिनके विषय में थोड़ी-बहुत प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध है उनका विशेष परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर कुछ प्रकाश डाला जायेगा। इन रचनाओं में प्रकाशित टीकाओं की ही मुख्यता होगी ।



द्वितीय प्रकरण

जिनभद्रकृत विशेषावश्यकभाष्य-स्वोपज्ञावृत्ति

विशेषावश्यकभाष्यकार आचार्य जिनभद्र द्वारा प्रारम्भ की गई प्राचीनतम प्रस्तुत टीका^१ कोटचार्य वादिगणि ने पूर्ण की है। आचार्य जिनभद्र ने अपने प्रियतम प्राकृत ग्रन्थ विशेषावश्यकभाष्य का स्वकृत सस्कृतरूप जीवित रखने तथा उसे पाठको के समक्ष गद्य में प्रस्तुत करने की पवित्र भावना से ही प्रस्तुत प्रयास प्रारम्भ किया था। दुर्भाग्य से वे अपनी यह इच्छा अपने जीवनकाल में पूर्ण न कर सके। परिणामतः वे षष्ठ गणधरवक्तव्य तक की टीका लिखकर ही दिवगत हो गये। टीका का अवशिष्ट भाग कोटचार्य ने पूर्ण किया।

जिनभद्र ने प्रस्तुत टीका के लिए अलग मगल-गाथा आदि न लिखते हुए सीधा भाष्य गाथा का व्याख्यान प्रारम्भ किया है। व्याख्या की शैली बहुत ही सरल, स्पष्ट एवं प्रसादगुणसम्पन्न है। विषय का विशेष विस्तार न करते हुए संक्षेप में ही विषयप्रतिपादन का सफल प्रयास किया है।

व्याख्यानशैली के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं जिनसे उपर्युक्त कथन की यथार्थता की पुष्टि हो सकेगी। भाष्य की प्रथम गाथा है

कथपवयणप्पणामो, वुच्छं चरणगुणसगह सयल ।
आवस्सयाणुओग, गुरुवएसणुसारेण ॥

इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य लिखते हैं :

‘प्रोच्यन्ते ह्यनेन जीवादयोऽस्मिन्निति वा प्रवचनम्, अथवा प्रगतं प्रधानं (प्र) शस्तमादौ वा वचनं द्वादशाङ्गम्, अथवा प्रवृत्तीति प्रवचनम्, तदुपयोगानन्यत्वाद्वा सङ्घं प्रवचनम्। प्रणमनं प्रणामः, पूजेत्यर्थः। कृतः प्रवचनप्रणामोऽनेन कृतप्रवचनप्रणामः। ‘वुच्छं’ वक्ष्ये। चर्यते तदिति चरण—चारित्र्य, गुणाः—मूलोत्तरगुणा चरणगुणा., अथवा चरण—चारित्र्य गुणग्रहणात् सम्यग्दर्शनज्ञाने, तेषां सग्रहणं सग्रहं। सह

१ इसकी हस्तलिखित प्रति मुनि श्री पुण्यविजयजी के प्रसाद से प्राप्त हुई है। इसका प्रथम भाग प० दलसुख मालवणिया द्वारा सम्पादित होकर लालुभाई दलपतभाई भारतीय सस्कृति विद्यामन्दिर, अहमदाबाद से सन् १९६६ में प्रकाशित हुआ है।

•

•

तानेव प्रणिपत्यात् परमविशिष्टविवरण क्रियते ।
 कोट्यार्यवादिगणिना मन्दधिया शक्तिमनपेक्ष्य ॥ १ ॥
 सघटनमात्रमेतत् स्थूलकमतिसूक्ष्मविवरणपटस्य ।
 शिवभक्त्युपहृतलुब्धकनेत्रवदिदमननुरूपमपि ॥ २ ॥
 सुमतिस्वमतिस्मरणादर्शपरानुवचनोपयोगवेलायाम् ।
 मद्वदुपयुज्यते चेत् गृह्णन्त्वलसास्ततोऽन्येऽपि ॥ ३ ॥

भगवान् महावीर के सातवें गणधर की वस्तु-यता के निरूपण का उद्घाटन करते हुए टोकाकार कोट्यार्यवादिगणि कहते हैं

अथ सप्तमस्य भगवतो गणधरस्य वक्तव्यतानिरूपणमम्बन्धनाय गाथाप्रपञ्चः ।^१

आचार्य कोट्यार्यवादिगणि की निरूपणशैली भी आचार्य जिनभद्र की शैली की तरह ही प्रसन्न एवं सुगोचर है । विषय-विस्तार कुछ अधिक है पर कहीं-कहीं । कोट्यार्यकृत विवरण के कुछ नमूने नीचे उद्धृत किये जाने हैं ।

‘ते पव्वङ्ग मांउ ’ इत्यादि मत्तम गणधरवादसम्बन्धी गाथाओं का व्याख्यान करते हुए आचार्य लिखते हैं •

‘हे मौर्यपुत्र । आयुष्मन् । काश्यप । त्व मन्यसे नारका सक्लिष्टाः • कर्मवशतया परतन्त्रत्वात् स्वयं च दुःखसतप्तत्वात्, इहागन्तुमशक्ता अस्माकमप्यनेन शरीरेण तत्र गन्तु कर्मवशनयैवाशक्तत्वात् प्रत्यक्षीकरणोपायासम्भवाद् आगमगम्या एव श्रुतिस्मृतिगन्धेषु श्रूयमाणा श्रद्धेया भवन्तु । ये पुनरमो देवान्ते स्वच्छन्दचारिण कामरूपा दिव्यप्रभावाश्च किमिति दर्शनविषय नोपयान्ति किमिह नागच्छन्तीत्यभिप्राय अवश्य न सन्ति येनास्मादृशाना प्रत्यक्षा न भवन्ति अतो न सन्ति देवा ; ^{१२}

‘तम्हा ज मुत्त सुह ’ की व्याख्या में आचार्य मोक्ष के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं :

‘मुक्तसुख तत्त्वं परमार्थं’, निष्प्रतीकारप्रसूतित्वात्, परित्यक्तसर्वं लोकयात्रावृत्तान्तनि सङ्गयति सुखवन्, उक्तं च—

निर्जितमदमदनाना वाक्कायमनोविकाररहितानाम् ।

विनिवृत्तापराशानामिहेव मोक्ष सुविहितानाम् ॥

अथवान्यथा परमार्थसुखस्वरूपत्वमात्मन आख्यायते ।^३

गुरु को सुखरूप मानते हुए आचार्य ‘सुयसस्त्यो ’ का व्याख्यान इस प्रकार करते हैं

‘सु प्रशसाया निपात , खानीन्द्रियाणि, शोभनानि खानि यस्य स सुख शुद्धेन्द्रिय इत्यर्थं । शुद्धानि प्रशस्तानि वश्यानीन्द्रियाणि यस्य एतद्विपरीत असुख अजितेन्द्रिय इत्यर्थं.’

प्रस्तुत विवरण की समाप्ति करते हुए वृत्तिकार कहते हैं .

‘ . चेति परमपूज्यजिनभद्रगणिकक्षमाश्रमणकृतविशेषावश्यकप्रथमाध्ययनसामायिकभाष्यस्य विवरणमिदं समाप्तम् ।’^२

इसके बाद प्रस्तुत प्रति के लेखक ने अपनी ओर से निम्न वाक्य जोड़ा है .

‘सूत्रकारपरमपूज्यश्रीजिनभद्रगणिकक्षमाश्रमणप्रारब्धा समर्थिता श्री-कोट्याचार्यवादिगणिमहत्तरेण श्रीविशेषावश्यकलघुवृत्तिः ।’

तदनन्तर लेखन के समय तथा स्थान का उल्लेख किया है :

‘संवत् १४९१ वर्षे द्वितीयज्येष्ठवदि ४ भूमे श्रीस्तम्भतीर्थे लिखितमस्ति ।’

उपर्युक्त प्रथम वाक्य से स्पष्ट है कि प्रति-लेखक ने वृत्तिकार जिनभद्र का नाम तो ज्यो का त्यो रखा किन्तु कोट्यार्य का नाम बदलकर कोट्याचार्य कर दिया । इतना ही नहीं, उनके नाम के साथ महत्तर की उपाधि और लगा दी । परिणामतः कोट्यार्यवादिगणि कोट्यार्यवादिगणिमहत्तर हो गये । इसी के साथ लेखक ने विशेषावश्यकभाष्यविवरण का नाम भी अपनी ओर से विशेषावश्यकलघु वृत्ति रख दिया है ।



१. पृ० ९४२ (हस्तलिखित).

२. पृ० ९८७ (हस्तलिखित).

तृतीय प्रकरण

हरिभद्रकृत वृत्तियाँ

हरिभद्रसूरि जैन आगमों के प्राचीन टीकाकार हैं। इन्होंने आवश्यक, दशवैकालिक, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, नन्दी, अनुयोगद्वार और पिण्डनियुक्ति पर टीकाएँ लिखी हैं। पिण्डनियुक्ति की अपूर्ण टीका वीराचार्य ने पूरी की है।

जैन परम्परा के अनुसार विक्रम संवत् ५८५ अथवा वीर संवत् १०५५ अथवा ई० स० ५२९ में हरिभद्रसूरि का देहावसान हो गया था। इस मान्यता को मिथ्या सिद्ध करते हुए हर्मन जेकोबी लिखते हैं कि ई० स० ६५० में होने वाले धर्मकीर्ति के तार्त्विक विचारों से हरिभद्र परिचित थे अतः यह संभव नहीं कि हरिभद्र ई० स० ५२९ के बाद न रहे हों। हरिभद्र के समय-निर्णय का एक प्रबल प्रमाण उद्योतन सूरि का कुवलयमाला नामक प्राकृत ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ शक संवत् ७०० की अन्तिम तिथि अर्थात् ई० स० ७७९ के मार्च की २१वीं तारीख को पूर्ण हुआ था। इस ग्रन्थ की प्रशस्ति में उद्योतन ने हरिभद्र का अपने दर्शन-शास्त्र के गुरु के रूप में उल्लेख किया है तथा उनका अनेक ग्रन्थों के रचयिता के रूप में वर्णन किया है।^१ इस प्रमाण के आधार पर मुनि श्री जिनविजयजी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि महान् तत्त्वज्ञ आचार्य हरिभद्र और 'कुवलयमाला' कथा के कर्ता उद्योतनसूरि अपरनाम दाक्षिण्यचिह्न दोनों (कुल समय तक तो अवश्य ही) समकालीन थे। इतनी विशाल ग्रन्थराशि लिखने वाले महापुरुष की आयु कम-से-कम ६०-७० वर्ष की तो अवश्य हुई होगी। अतः लगभग ईसा की आठवीं शताब्दी प्रथम दशक में हरिभद्र का जन्म और अष्टम दशक में मृत्यु मान ली जाए तो कोई असंगति प्रतीत नहीं होती। अतः हम ई० स० ७०० से ७७० अर्थात् वि० स० ७५७ से ८२७ तक हरिभद्रसूरि का सत्ता-समय-निश्चित करते हैं।^२

हरिभद्र का जन्म वीरभूमि मेवाड़ के चित्रकूट (चित्तौड़) नगर में हुआ था। आज से लगभग साठे बारह सौ वर्ष पूर्व इस नगर में जितारि नामक राजा-

१ जैन साहित्य सशोधक, ख० ३, अ० ३, पृ० २८३

२. वही, ख० १, अ० १, पृ० ५८ और आगे

राज्य करता था। हरिभद्र इमो राजा के राज-पुरोहित थे। पुरोहित पद पर प्रतिष्ठित होने तथा अनेक विद्याओ में पारगत होने के कारण इनका सर्वत्र समादर होता था। इस समादर तथा प्रतिष्ठा के कारण हरिभद्र को कुछ अभिमान हो गया था। वे समझने लगे कि इस समस्त भूखण्ड पर कोई ऐसा पंडित नहीं जो मेरी—अरे मेरी क्या, मेरे शिष्य की भी बराबरी कर सके। हरिभद्र अपने हाथ में जम्बू वृक्ष की एक शाखा रखते थे जिससे यह प्रकट हो सके कि समस्त जम्बूद्वीप में उनके जैसा कोई नहीं है। इतना ही नहीं, वे अपने पेट पर एक स्वर्णपट्ट भी बांधे रहते थे जिससे लोगों को यह मालूम हो जाता कि उनमें इतना ज्ञान भरा हुआ है कि पेट फटा जा रहा है। हरिभद्र ने एक प्रतिज्ञा भी कर रखी थी कि 'जिसके कथन का अर्थ मैं न समझ सकूँगा उसका शिष्य बन जाऊँगा।'

एक दिन पुरोहितप्रवर हरिभद्र भट्ट पालकी पर चढ़ कर बाजार में घूमने लगे। पालकी के आगे-पीछे 'सरस्वतीकण्ठाभरण', 'वैयाकरणप्रवण', 'न्यायविद्या-विचक्षण', 'वादिमतगजकेसरी', 'विप्रजननरकेसरो' इत्यादि विरुदावली गूँज रही थी। मार्ग में सर्वत्र शान्ति थी। अकस्मात् लोगों में भगदड़ चालू हो गई। चारों ओर से 'भागो, दौडो, पकडो' की आवाज आने लगी। हरिभद्र ने पालकी से मुँह निकाल कर देखा तो मालूम हुआ कि एक प्रचण्ड कृष्णकाय हाथी पागल हो गया है और लोगों को रौदता हुआ बढ़ता चला आ रहा है। यह देखकर पालकी उठाने वाले लोग भी भाग खड़े हुए। हरिभद्र और कोई उपाय न देखकर पालकी से निकलते ही पाम ही के एक जिनमन्दिर में घुस गये। इसी समय उन्हें 'हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेद् जैनमन्दिरम्' की निरर्थकता का अनुभव हुआ। मन्दिर में स्थित जिनप्रतिमा को देखकर उसका उपहास करते हुए कहने लगे—“वपुरेव तवाऽऽचष्टे स्पष्ट मिष्ठान्नभोजनम्।”

एक दिन भट्ट हरिभद्र राजमहल से अपने घर की ओर लौट रहे थे। मार्ग में एक जैन उपाश्रय था। उपाश्रय पर बैठ कर साव्वियाँ स्वाध्याय कर रही थी। संयोग से आज भट्टजी के कानों में एक गाथा—आर्यां को ध्वनि पहुँची।^१ उन्होंने उसका अर्थ समझने का बहुत प्रयत्न किया किन्तु सफलता न मिली। भट्टजी बोले—“माताजी! आपने तो इस गाथा में खूब चकचकाट किया।” साव्वी ने बड़ी नम्रता एवं कुशलता के साथ उत्तर दिया 'श्रीन्। नया-नया तो ऐसा ही लगता है। यह सुनकर भट्टजी का मिथ्या अभियान मिट गया। उन्हें अपनी

१ चक्कीदुग हरिपणग पणग चक्कीण केसवो चक्की।

केसव चक्की केसव दु चक्की केसव चक्की य ॥

प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया। वे कहने लगे—“माता जी! आप मुझे अपना शिष्य बनाइए और उस गाथा का अर्थ समझाने की कृपा कीजिए।” यह सुनकर जैन आर्या महत्तरा ने नम्रतापूर्वक कहा कि पुरुषो को शिष्य बनाना तथा अर्थ समझाना हमारा कार्य नहीं है। यदि तुम्हारी शिष्य बनने तथा गाथा का अर्थ समझने की इच्छा ही है तो सुनो। इसी नगर में हमारे धर्माचार्य जिनभट हैं। वे तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। हरिभद्र तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इसी आर्या के शिष्य बनना चाहते थे किन्तु महत्तरा के अत्यन्त आग्रह के कारण वे इस आज्ञा को गुरु की आज्ञा के समान ही समझकर उसी समय आचार्य जिनभट के पास पहुँचे। साथ में आर्या महत्तरा भी थी। मार्ग में वही जिनमदिर आया जिसने हरिभद्र को मृत्यु के मुख से बचाया था। इस समय हरिभद्र की मन स्थिति बदल चुकी थी। जिन प्रतिमा को देख कर वे कहने लगे—“वपुरेव तवाऽऽचष्टे भगवन्। वीतरागताम्।” पहले जहाँ ‘स्पष्ट मिष्टान्नभोजनम्’ याद आया था वहाँ अब ‘भगवन्। वीतरागताम्’ याद आ रहा था। आर्या महत्तरा और हरिभद्र आचार्य जिनभट के पास पहुँचे। आचार्य ने हरिभद्र को दीक्षित कर अपना शिष्य बना लिया। अब वे धर्मपुरोहित होकर स्थान-स्थान पर भ्रमण करते हुए जैनधर्म का प्रचार करने लगे।

प्रभावकचरित में वर्णित उपयुक्त उल्लेख के अनुसार हरिभद्र के दीक्षागुरु आचार्य जिनभट सिद्ध होते हैं किन्तु हरिभद्र के खुद के उल्लेखों से ऐसा फलित होता है कि जिनभट उनके गच्छपति गुरु थे, जिनदत्त दीक्षाकारी गुरु थे, याकिनी महत्तरा धर्मजननी अर्थात् धर्ममाता थी, उनका कुल विद्याघर एव सम्प्रदाय सिताम्बर-श्वेताम्बर था।^१

आचार्य हरिभद्रकृत ग्रथ-सूची में निम्न ग्रथ समाविष्ट हैं —

१ अनुयोगद्वारसूत्रवृत्ति, २ अनेकान्तजयपताका (स्वोपज्ञ टीका सहित), ३ अनेकान्तप्रघट्ट, ४ अनेकान्तवादप्रवेश, ५ अष्टक, ६ आवश्यकनियुक्ति लघुटीका, ७ आवश्यकनियुक्तिवृहटीका, ८ उपदेशपद, ९ कथाकोप, १० कर्मस्तववृत्ति, ११ कुलक, १२ क्षेत्रसमासवृत्ति, १३ चतुर्विंशतिस्तुतिसटीक, १४ चैत्यवदनभाष्य, १५ चैत्यवदनवृत्ति-ललितविस्तरा, १६ जीवाभिगम-

१ आवश्यक-नियुक्ति-टीका के अन्त में देखिए

‘समाप्ता चैव शिष्यहिता नाम आवश्यकटीका। कृति सिताम्बराचार्य-जिनभटनिगदानुसारिणो विद्याघरकुलतिलकाचार्यजिनदत्तशिष्यस्य धर्मतो याकिनीमहत्तरासूनो. अल्पमते आचार्यहरिभद्रस्य।’

लघुवृत्ति, १७ ज्ञानपञ्चकविवरण, १८. ज्ञानादित्यप्रकरण, १९ दशवैकालिक-
 अवचूरि, दशवैकालिकबृहद्वीका, २१ देवेन्द्रनरकेन्द्रप्रकरण, २२ द्विजवदन-
 चपेटा (वेदाकुश), २३. धर्मविन्दु, २४ वर्मलाभसिद्धि, २५ घसंसग्रहणी,
 २६ धर्मसारमूलटीका, २७ धूर्ताख्यान, २८ नदीवृत्ति, २९ न्यायप्रवेशसूत्र-
 वृत्ति, ३० न्यायविनिश्चय, ३१. न्यायमृततरंगिणी, ३२ न्यायावतारवृत्ति,
 ३३ पचनिर्ग्रन्थि, ३४. पचलिगी, ३५ पचवस्तु सटीक, ३६ पचसग्रह,
 ३७ पचसूत्रवृत्ति, ३८, पचस्थानक, ३९. पचाशक, ४० परलोकसिद्धि,
 ४१ पिण्डनियुक्तवृत्ति (अपूर्ण), ४२ प्रज्ञापनाप्रदेशव्याख्या, ४३. प्रतिष्ठा-
 कल्प, ४४. बृहन्मिथ्यात्वमथन, ४५ मुनिपतिचरित्र, ४६. यतिदिनकृत्य,
 ४७. यशोधरचरित्र, ४८ योगदृष्टिसमुच्चय, ४९ योगविन्दु, ५० योगशतक,
 ५१. लग्नशुद्धि (लग्नकुण्डलि), ५२. लोकतत्त्वनिर्णय, ५३ लोकविन्दु,
 ५४ विंशति (विंशतिविशिका), ५५ वीरस्तव, ५६ वीरागदकथा, ५७ वेद-
 ब्राह्मतानिराकरण, ५८ व्यवहारकल्प, ५९. शास्त्रवार्तासमुच्चय सटीक, ६०.
 श्रावकप्रज्ञप्तिवृत्ति, ६१ श्रावकधर्मतन्त्र, ६२. षड्दर्शनसमुच्चय, ६३ षोडशक,
 ६४ सक्तिपचासी, ६५ संग्रहणीवृत्ति, ६६ सपचासित्तरी, ६७ सबोधसित्तरी,
 ६८ सबोधप्रकरण, ६९ ससारदावास्तुति, ७० आत्मानुशासन, ७१ समराइच्च-
 कथा, ७२ सर्वज्ञसिद्धिप्रकरण सटीक, ७३ स्याद्वादकुचोद्यपरिहार ।^१

कहा जाता है कि आचार्य हरिभद्र ने १४४४ ग्रथों की रचना की थी। इसका कारण बताते हुए कहा गया है कि १४४४ बौद्धों का सहार करने के सकल्प के प्रायश्चित्त के रूप में उनके गुरु ने उन्हें १४४४ ग्रथ लिखने की आज्ञा दी थी।

समराइच्चकथा के अन्त में कहा गया है

एय जिणदत्तायरियस्स उ अवयवभूएण चरियमिण ।

ज विरइऊण पुत्त महाणुभावचरिय मए पत्त ।

तेण गुणाणुरावो होइ इहं सब्वलियस्स ॥

इस घटना का उल्लेख राजशेखरसूरि ने अपने चतुर्विंशतिप्रबन्ध और मुनि क्षमाकल्याण ने अपनी खरतरगच्छपट्टावली में भी किया है। इन ग्रथों में से कुछ [ग्रथ पचास श्लोकप्रमाण भी है। इस प्रकार के 'पचाशक' नाम के १९ ग्रथ आचार्य हरिभद्र ने लिखे हैं जो आज पचाशक नामक एक ही ग्रथ में समाविष्ट हैं। इसी प्रकार सोलह श्लोकों के षोडशक, बीस श्लोकों की विशिकाएँ भी हैं। इनकी एक स्तुति 'ससारदावा' तो केवल चार श्लोकप्रमाण ही है। इस प्रकार आचार्य हरिभद्र की ग्रथ-संख्या में और भी वृद्धि की जा सकती है।

१. जैनदर्शन (अनुवादक-पं० बेचरदास) : प्रस्तावना, पृ० ४५-५१.

आचार्य हरिभद्र ने अपने प्रत्येक ग्रथ के अन्त में प्रायः 'विरह' शब्द का प्रयोग किया है। प्रभावकचरित्र में इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है।

अतिशयहृदयाभिरामशिष्यद्वयविरहोर्मिभरेण तप्तदेह ।

निजकृतिमिह सव्यधात् समस्ता विरहपदेन युता मता स मुख्यः ॥

श्रीहरिभद्रप्रबन्ध, का० २०६.

अपने अति प्रिय दो शिष्यों के विरह से दुःखित हृदय होकर आचार्य ने अपने प्रत्येक ग्रथ को 'विरह' शब्द से अंकित किया है।

आचार्य हरिभद्रकृत प्रकाशित टीकाओं का परिचय आगे दिया जाता है।

नन्दीवृत्ति :

यह वृत्ति^१ नन्दीचूर्णि का ही रूपांतर है। इसमें प्रायः उन्ही विषयों का व्याख्यान किया गया है जो नन्दीचूर्णि में हैं। व्याख्यान-शैली भी वही है जो चूर्णिकार की है।^२ प्रारम्भ में मगलाचरण करने के बाद नन्दी के शब्दार्थ, निक्षेप आदि का विचार किया गया है। तदनन्तर जिन, वीर और सध की स्तुति की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है तथा तीर्थकरावलिका, गणधरावलिका और स्थविरावलिका का प्रतिपादन किया गया है। नन्दी-ज्ञान के अध्ययन की योग्यता-अयोग्यता का विचार करते हुए वृत्तिकार ने लिखा है कि अयोग्यदान से वस्तुतः अकल्याण ही होता है और निर्देश किया है कि इसकी विस्तृत व्याख्या में आवश्यकानुयोग में कहेगा। यहाँ स्थानपूर्ति के लिए भाष्य की गाथाओं से ही व्याख्यान किया जाता है अतोऽयोग्यदाने दातृकृतमेव वस्तुतस्तस्य तदकल्याणमिति, अल प्रसगेन, प्रकृत प्रस्तुम, तत्राधिकृतगाथा प्रपञ्चत आवश्यकानुयोगे व्याख्यास्याम., इह स्थानाशून्यार्थं भाष्यगाथाभिव्याख्यायत इति।^३ इसके बाद तीन प्रकार की पर्वद् का व्याख्यान किया गया है। तदनन्तर आचार्य ने ज्ञान के भेद-प्रभेद, स्वरूप, विषय आदि का विस्तृत विवेचन किया है। केवलज्ञान और केवलदर्शन के क्रमिकादि उपयोग का प्रतिपादन करते हुए योगपद्य के समर्थक सिद्धमेन आदि का, क्रमिकत्व के समर्थक जिनभद्रगणि आदि

१ ऋतुभदेवजी केशरीमलजी श्वेतावर सस्था, रतलाम, सन् १९२८; प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी, वाराणसी, सन् १९६६.

२ चूर्णि और वृत्ति के मूल सूत्र-पाठ में कही-कही थोड़ा-सा अन्तर है : पढमेत्थ इदभूती, बीए पुण होति अग्निभूतिति (चूर्णि), पढमेत्थ इदभूई बीओ पुण होइ अग्निभूइति (वृत्ति)। देखिए—क्रमशः पृ० ६ और १३

३ पृ० २१

का तथा अभेद के समर्थक वृद्धाचार्यों का उल्लेख किया है। वह इस प्रकार है :
 केचन सिद्धसेनाचार्यादय भणति, किं ? युगपद्—एकस्मिन्नेव काले
 जानाति पश्यति च, क ? केवली, न त्वन्य, नियमात्—नियमेन। अन्ये
 जिनभद्रगणिक्रमाश्रमणप्रभृतय एकान्तरित जानाति पश्यति चेत्येव-
 मिच्छन्ति, श्रुतोपदेशेन—यथाश्रुतागमानुसारेणेत्यर्थ, अन्ये तु वृद्धाचार्या-
 न—नैव विष्वक् पृथक् तद्दर्शनमिच्छन्ति जिनवरेन्द्रस्य-केवलिन इत्यर्थ,
 किं तर्हि ? यदेव केवलज्ञान तदेव 'से' तस्य केवलिनो दर्शनं ब्रुवते,
 क्षीणावरणस्य देशज्ञानाभाववत् केवलदर्शनाभावादिति भावना।^१ प्रस्तुत
 सिद्धसेन, सिद्धसेन दिवाकर से भिन्न है क्योंकि सिद्धसेन दिवाकर तृतीय
 मत—अभेदवाद के प्रवर्तक है। वृत्तिकार ने सभवत वृद्धाचार्य के रूप में इन्हीं
 का निर्देश किया है। द्वितीय मत—क्रमिकत्व के समर्थक जिनभद्र आदि को
 सिद्धान्तवादी^२ कहा गया है। श्रुत के श्रवण और व्याख्यान की विधि बताते हुए
 आचार्य ने नन्द्यध्ययन-विवरण समाप्त किया है। अन्त में लिखा है ^३

यदिहोत्सूत्रमज्ञानाद्, व्याख्यात तद् बहुश्रुतै ।

क्षन्तव्य कस्य सम्मोहश्छद्मस्थस्य न जायते ॥ १ ॥

नन्द्यध्ययनविवरण कृत्वा यदवाप्तमिह मया पुण्यम् ।

तेन खलु जीवलोको लभता जिनशासने नन्दीम् ॥ २ ॥

कृति सिताम्बराचार्यजिनभट्टपादसेवकस्याचार्यश्रोहरिभद्रस्येति ।
 नम श्रुतदेवनायै भगवत्यै । समाप्ता नन्दीटीका । ग्रन्थाग्र २३३६
 अनुयोगद्वारटीका ।

यह टीका^४ अनुयोगद्वारचूर्ण की शैली पर लिखी गयी है। प्रारम्भ में आचार्य
 ने महावीर को नमस्कार करके अनुयोगद्वार की विवृति लिखने की प्रतिज्ञा
 की है ।

प्रणिपत्य जिनवरेन्द्र त्रिदशेन्द्रनरेन्द्रपूजित वीरम् ।

अनुयोगद्वाराणा प्रकटार्था विवृतिमभिधास्ये ॥ १ ॥

टीकाकार ने यह बताया है कि नन्दी की व्याख्या के अनन्तर ही अनुयोगद्वार
 के व्याख्यान का अवकाश है नन्द्यध्ययनव्याख्यानसमनन्तरमेवानुयोग-
 द्वाराध्ययनावकाश ^५ मगल का प्रतिपादन करते हुए आचार्य ने
 लिखा है कि इसका विशेष विवेचन नन्दी की टीका में किया जा चुका है। अतः
 यहाँ इतना ही पर्याप्त है अस्य सूत्रस्य समुदायार्थोऽवयवार्थश्च नन्द्यध्ययन-

१ पृ० ५२.

२ पृ० ५५

३ पृ० ११८.

४. ऋषभदेवजी केशरीमलजो श्वेताम्बर सस्था, रतलाम, सन् १९२८.

५ पृ० १.

टीकाया प्रपञ्चत प्रतिपादित एवेति नेह प्रतिपाद्यत इति ।^१ इन वक्तव्यो से स्पष्ट है कि प्रस्तुत टीका नन्दीवृत्ति के बाद की कृति है। 'तम्हा आवस्सय' इत्यादि का विवेचन करते हुए आचार्य ने 'आवश्यक' शब्द का निपेक्ष-पद्धति से विचार किया है। नामादि आवश्यको का स्वरूप बताते हुए नाम, स्थापना और द्रव्य का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए तीन श्लोक उद्धृत किये हैं। वे इस प्रकार हैं ^२

नाम :

यद्वस्तुनोऽभिधान स्थितमन्यार्थे तदर्थनिरपेक्षम् ।
पर्यायानभिधेय च नाम यादृच्छिक च तथा ॥

स्थापना :

यत् तदर्थवियुक्त तदभिप्रायेण यच्च तत्करणि ।
लेप्यादिकर्म तत्स्थापनेति क्रियतेऽल्पकाल च ॥

द्रव्य :

भूतस्य भाविनो वा भावस्य हि कारण तु यल्लोके ।
तद्द्रव्य तत्त्वज्ञै सचेतनाचेतन कथितम् ॥

श्रुत का निक्षेप-पद्धति से व्याख्यान करते हुए टीकाकार कहते हैं कि चतुर्विध श्रुत का स्वरूप आवश्यकविवरण के अनुसार समझ लेना चाहिए।^३ इसी प्रकार आगे भी आवश्यकविवरण और नन्दीविशेषविवरण का उल्लेख किया गया है।^४ स्कन्ध, उपक्रम आदि का निक्षेप-पद्धति से विवेचन करने के बाद आचार्य ने आनुपूर्वी का बहुत विस्तार से प्रतिपादन किया है। आनुपूर्वी, अनुक्रम और अनुपरिपाटी पर्यायवाची हैं।^५ आनुपूर्वी की व्याख्या की ममाप्ति के अनन्तर द्विनाम, त्रिनाम, चतुर्नाम, पंचनाम, षट्नाम, सप्तनाम, अष्टनाम, नवनाम और दशनाम का व्याख्यान किया गया है। प्रमाण का व्याख्यान करते हुए आचार्य ने विविध अगुलो के स्वरूप का वर्णन किया है तथा समय का विवेचन करते हुए पत्योपम का विस्तारपूर्वक व्याख्यान किया है। इसी प्रकार शरीरपञ्चक का निरूपण करने के बाद भावप्रमाण के अन्तर्गत प्रत्यक्ष, अनुमान, औपम्य, आगम, दर्शन, चारित्र्य, नय और सख्या का व्याख्यान किया है। 'से कि त वत्तव्वया' इत्यादि का प्रतिपादन करते हुए वक्तव्यता की दृष्टि से पुन नय का विचार किया गया है। ज्ञाननय और क्रियानय का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने ज्ञान और क्रिया दोनों की सयुक्त उपयोगिता सिद्ध की है। ज्ञानपक्ष का समर्थन करते हुए वे कहते हैं।^६

१. पृ० २ २. पृ० ६, ७, ८ ३. पृ० २१. ४. पृ० २२

५. पृ० ३०-५९. ६. पृ० १२६.

विज्ञप्ति फलदा पुसा, न क्रिया फलदा मता ।
मिथ्याज्ञानात्प्रवृत्तस्य, फलासवाददर्शनात् ॥

इसी प्रकार क्रिया के समर्थन में उन्होंने लिखा है ^१

क्रियैव फलदा पुसा, न ज्ञान फलद मतम् ।
यतःस्त्रीभक्ष्यभोगज्ञो, न ज्ञानात्सुखितो भवेत् ॥

टीका के अन्त में कहा गया है समाप्त्यं शिष्यहितानामानुयोगद्वार-
टीका, कृति. सिताम्बराऽऽचार्यजिनभट्टपादसेवकस्याऽऽचार्यहरिभद्रस्य ।
कृत्वा विवरणमेतत्प्राप्त—।^२

दशवैकालिकवृत्ति :

इस वृत्ति^३ का नाम शिष्यबोधिनी वृत्ति है । इसे बृहद्वृत्ति भी कहते हैं ।
यह टीका शय्यम्भवसूरविहित दशवैकालिकसूत्र की भद्रबाहुविरचित नियुक्ति
पर है । प्रारंभ में आचार्य हरिभद्र ने वीर प्रभु को नमस्कार किया है :

जयति विजिनान्यतेजाः सुरासुराधीशसेवितः श्रीमान् ।
विमलस्त्रासविरहितस्त्रिलोकचिन्तामणिर्वीरः ॥ १ ॥

दशवैकालिक का दूसरा नाम दशकालिक भी है । 'दशकालिक' शब्द की
व्युत्पत्ति करते हुए वृत्तिकार कहते हैं 'कालेन निर्वृत्त कालिक, प्रमाणका-
लेनेति भावः, दशाध्ययनभेदात्मकत्वाद्दशप्रकारं कालिक प्रकारशब्द-
लोपाद्दशकालिक' ^४ अर्थात् जो काल से अर्थात् प्रमाणकाल से निर्वृत्त है
वह कालिक है । चूँकि इस सूत्र में दस अध्याय हैं इसलिए इसका नाम दश-
कालिक है ।

मगल की आवश्यकता बताते हुए आचार्य ने 'मगल' पद की व्युत्पत्ति इस
प्रकार की है 'मङ्गल्यते हितमनेनेति मङ्गल, मङ्गल्यतेऽधिगम्यते साध्यत
इति यावत् अथवा मङ्गल इति धर्माभिधान, 'ला आदाने' अस्य घातोर्मङ्गे
उपपदे "आतोऽनुपसर्गे क" (पा० ३-२-३) इति कप्रत्ययान्तस्यानुब-
न्धलोपे कृते "आता लोप इटि च" (पा० ६-४-६४) इत्यनेन सूत्रेणा-
कारलोपे च कृते प्रथमैकवचनान्तस्यैव मङ्गलमिति भवति, मङ्गलातीति
मङ्गलं धर्मोपादनहेतुरित्यर्थं, अथवा मा गालयति भवादिति मङ्गल, ससा-

१ पृ १२७ २ पृ १२८.

३. (अ) देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई, सन् १९१८.

(आ) समयसुन्दरकृत टीकासहित—भीमसी भाणेक, बम्बई, सन् १९००.

४ पृ. २ (अ)

रादपनयतीत्यर्थं ।^१ यह व्युत्पत्ति तीन प्रकार की है : (१) जिससे हित सिद्ध किया जाए, (२) जो वर्म लावे अथवा (३) जो भव से छुडावे वह भगल है। द्वितीय प्रकार की व्युत्पत्ति में पाणिनीय व्याकरण के सूत्रों का भी प्रयोग किया गया है ।

दशवैकालिक सूत्र की रचना कैसे हुई ? इस प्रश्न का समाधान करते हुए टीकाकार ने नियुक्ति को गाथा का अक्षरार्थ करते हुए भावार्थ स्पष्ट करने के लिए शय्यम्भवाचार्य का पूरा कथानक उद्धृत किया है ।^२ यह और इसी प्रकार के अन्य अनेक कथानक प्रस्तुत वृत्ति में उद्धृत किये गये हैं । ये सभी कथानक प्राकृत में हैं ।

तप का व्याख्यान करते हुए आम्यन्तर तप के अन्तर्गत चार प्रकार के ध्यान का स्वरूप बताते हुए आचार्य ने चार दलोको में ध्यान का पूरा चित्र उपस्थित कर दिया है :^३

आर्तध्यान . राज्घोपभोगशयनासनवाहनेषु,
 स्त्रीगन्धमाल्यमणिरत्नविभूषणेषु ।
 इच्छाभिलापमतिमात्रमुपैति मोहाद्,
 ध्यान तदार्त्तमिति तत्प्रवदन्ति तज्ज्ञा. ॥ १ ॥

रौद्रध्यान सछेदनेर्दहनभञ्जनमारणैश्च,
 बन्धप्रहारदमनैर्विनिकृन्तनैश्च ।
 यो याति रागमुपयाति च नानुकम्पा,
 ध्यान तु रौद्रमिति तत्प्रवदन्ति तज्ज्ञा ॥ २ ॥

धर्मध्यान सूत्रार्थसाधनमहाव्रतधारणेषु,
 बन्धप्रमोक्षगमनागमहेतुचिन्ता ।
 पञ्चेन्द्रियव्युपरमश्च दया च भूते,
 ध्यान तु धर्ममिति तत्प्रवदन्ति तज्ज्ञा. ॥ ३ ॥

शुक्लध्यान यस्येन्द्रियाणि विषयेषु पराङ्मुखानि,
 सङ्कल्पकल्पनविकल्पविकारदोषैः ।
 योगै सदा त्रिभिरहो निभृतान्तरात्मा,
 ध्यानोत्तम प्रवश्शुक्लमिद वदन्ति ॥ ४ ॥

१ पृ. २ (ब), ३ (अ). २. पृ. १०-११.

३ पृ ३१ (ब). विस्तार के लिए ध्यानशतक देखिए जिसका आचार्य हरिभद्र ने प्रस्तुत टीका में उल्लेख किया है—पृ ३१ (ब), ३२ (अ).

विविध प्रकार के श्रोताओं की दृष्टि से कथन के प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण आदि विभिन्न अवयवों की उपयोगिता का सोदाहरण विचार करते हुए आचार्य ने तद्विषयक दोषों की शुद्धि का भी प्रतिपादन किया है। नियुक्तिसम्मत विहगम के विविध निक्षेपों का विस्तृत व्याख्यान करते हुए द्रुमपुष्पिका नामक प्रथम अध्ययन का विवरण समाप्त किया है।

द्वितीय अध्ययन की वृत्ति में श्रमण, पूर्व, काम, पद आदि शब्दों का विवेचन करते हुए तीन प्रकार के योग, तीन प्रकार के करण, चार प्रकार की सज्ञा, पाँच प्रकार की इन्द्रिय, पाँच प्रकार के स्थावरकाय, दस प्रकार के श्रमणघर्म और अठारह शीलागसहस्र का प्रतिपादन किया गया है। भोगनिवृत्ति का स्वरूप समझाने के लिए रथनेमि और राजीमती का कथानक उद्धृत किया है।

तृतीय अध्ययन की वृत्ति में महत्, क्षुल्लक आदि पदों का व्याख्यान करते हुए दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार का सोदाहरण विवेचन किया गया है। इसी प्रकार अर्थादि चार प्रकार की कथाओं का उदाहरणपूर्वक स्वरूप समझाया गया है। श्रमणसम्बन्धी अनाचीर्ण का स्वरूप बताते हुए वृत्तिकार ने तृतीय अध्ययन को व्याख्या समाप्त की है।

चतुर्थ अध्ययन की व्याख्या में निम्न विषयों पर प्रकाश डाला गया है - जीव का स्वरूप व उसकी स्वतन्त्र सत्ता, चारित्र्यघर्म के पाँच महाव्रत और छठा रात्रिभोजनविरमण व्रत, श्रमणघर्म की दुर्लभता। जीव के स्वरूप का विचार करते समय वृत्तिकार ने अनेक भाष्यगाथाएँ उद्धृत की हैं और साथ ही साथ अपने दार्शनिक दृष्टिकोण का पूरा उपयोग किया है।

पंचम अध्ययन की वृत्ति में आहारविषयक मूल गाथाओं का व्याख्यान किया गया है। 'बहुअट्टियं पुग्गल' की व्याख्या इस प्रकार है - किञ्च 'बहुअट्टियं' इति सूत्रं बहुस्थि 'पुद्गल' मास 'अनिमिप' वा मत्स्य वा बहुकण्टकम्, अयं किल कालाद्यपेक्षया ग्रहणे प्रतिषेधः, अन्ये त्वभिदधति—वनस्पत्यधिकारात्ताथाविधफलाभिधाने एते इति, तथा चाह—'अत्थिक' अस्थिक-वृक्षफलम्, 'तेदुक' तेदुरुकोफलम्, 'विल्व' इक्षुखण्डमिति च प्रतीते, 'शात्मल्लि वा' वल्लादिफलं वा, वाशब्दस्य व्यवहितं सम्बन्ध इति सूत्रार्थः।

षष्ठ अध्ययन की वृत्ति में अष्टादश स्थानों का विवरण किया गया है जिनका सम्यक् ज्ञान होने पर ही साधु अपने आचार में निर्दोष एवं दृढ रह सकता है। ये अठारह स्थान व्रतपट्क, कायपट्क, अकल्प, गृहिभाजन, पर्यङ्क, निपद्या, स्नान और शोभावर्जनरूप हैं।

सप्तम अध्ययन की व्याख्या में भाषा की शुद्धि-अशुद्धि का विचार किया गया है एव ध्रमण के लिए उपयुक्त भाषा का विधान स्पष्ट किया गया है ।

अष्टम अध्ययन की व्याख्या में आचारप्रणिधि की प्रक्रिया एव फल का प्रतिपादन किया गया है ।

नवम अध्ययन की वृत्ति में विनय के विविध रूप, विनय का फल, आचार-समाधि आदि का स्वरूप बताया गया है ।

दशम अध्ययन की वृत्ति में सुभिक्षु के स्वरूप पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है ।

चूलिकाओं की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार ने धर्म के रतिजनक और अरतिजनक कारण, विविध चर्या आदि उन्हीं विषयों का साधारण स्पष्टीकरण किया है जिनका उल्लेख सूत्रकार और नियुक्तिकार ने किया है । वृत्ति के अन्त में निम्न श्लोक है ^१

महत्तराया याकिन्या धर्मपुत्रेण चिन्तिता ।
 आचार्यहरिभद्रेण टीकेय शिष्यबोधिनी ॥ १ ॥
 दशत्रैकालिके टीका विधाय यत्पुण्यमर्जित तेन ।
 मात्सर्यदु खविरहादगुणानुरागी भवतु लोक ॥ २ ॥

प्रज्ञापना-प्रदेशव्याख्या

इस टीका^२ के प्रारम्भ में जैन प्रवचन की महिमा बताते हुए कहा गया है :
 रागादिवध्यपटह सुरलोकसेतुरानन्दकु दुभिरसत्कृतिवचितानाम् ।
 संसारचारकपलायनफालघटा, जैनवचस्तदिह को न भजेत विद्वान् ॥ १ ॥

इसके बाद मंगल की महिमा बताई गई है और मंगल के विशेष विवेचन के लिए आवश्यक-टीका का नामोल्लेख किया गया है ।^३ इसी प्रसंग पर भव्य और अभव्य का विवेचन करते हुए आचार्य ने वादिमुख्यकृत अभव्यस्वभावसचक निम्न श्लोक उद्धृत किया है ^४

सद्धर्मवीजवपनानघकौशलस्य, यल्लोकवान्धव । तवापि खिलान्यभूवन् ।
 तन्नाद्भुत खगकुलेष्विह तामसेपु सूर्याशवो मधुकरीचरणवदाता ॥ १ ॥

१ पृ० २८६

२ पूर्वभाग—ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर सस्था, रतलाम, सन् १९४७

उत्तरभाग—जैन पुस्तक प्रचारक सस्था, सूर्यपुर, सन् १९४९.

३ पृ २ ४ पृ. ४

तदनन्तर प्रज्ञापना के विषय, कर्तृत्व आदि का वर्णन किया गया है। जीव-प्रज्ञापना और अजीवप्रज्ञापना का वर्णन करते हुए एकेन्द्रियादि जीवों का विस्तार-पूर्वक व्याख्यान किया गया है। यहाँ तक प्रथम पद की व्याख्या का अधिकार है।

द्वितीय पद की व्याख्या में पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय तथा द्वीन्द्रियादि के स्थानों का वर्णन किया गया है।

तृतीय पद की व्याख्या में कायाद्यल्पबहुत्व, वेद, लेख्या, इन्द्रिय आदि दृष्टियों से जीवविचार, लोकमम्बन्धी अल्प-बहुत्व, आयुर्वन्व का अल्पबहुत्व, पुद्गलाल्पबहुत्व, द्रव्याल्पबहुत्व, अवगाढाल्पबहुत्व आदि का विचार किया गया है।

चतुर्थ पद की व्याख्या में नारको की स्थिति का विवेचन है।

पंचम पद की व्याख्या में नारकपर्याय, अवगाह, पटस्थानक, कर्मस्थिति और जीवपर्याय का विश्लेषण किया गया है।

षष्ठ और सप्तम पद के व्याख्यान में आचार्य ने नारकसम्बन्धी विरहकाल का वर्णन किया है।

अष्टम पद की व्याख्या में आचार्य ने सज्ञा का स्वरूप बताया है। सज्ञा का अर्थ है अभोग अथवा मनोविज्ञान। सज्ञा के स्वरूप का विवेचन करते हुए आचार्य कहते हैं, 'तत्र सज्ञा आभोग इत्यर्थः, मनोविज्ञान इत्यन्ये, सज्ञायते वा अनयेति सज्ञा—वेदनीयमोहनीयोदयाश्रया ज्ञानदर्शनावरणक्षयोपशमाश्रया च विचित्रा आहारादिप्राप्तये क्रियेत्यर्थः, सा चोपाधिभेदाद् भिद्यमाना दश प्रकारा भवति, तद्यथा—आहारसज्ञेत्यादि'।^१ इसके बाद आहारादि दस प्रकार की सज्ञा का स्वरूप बताते हुए ग्रथकार कहते हैं : 'तत्र क्षुद्देदनीयोदयाद् कबलाद्याहारार्थं पुद्गलोपादानक्रियैव सज्ञायते अनयेत्याहारसज्ञा तथा भयवेदनीयोदयाद् भयोद्भ्रातस्य दृष्टिवदनविकार-रोमाचोद्भेदार्था विक्रियैव संज्ञायतेऽनयेति भयसज्ञा, तथा पु वेदोदयान्मैथुनाय स्व्यालोकनप्रसन्नवदनमनस्तम्भितोस्वेपयुप्रभृतिलक्षणा विक्रियैव संज्ञायते अनयेति (मैथुनसज्ञा, चारित्रमोहविशेषोदयात् धर्मोपकरणातिरिक्ततदतिरेकस्य वा आदित्साक्रियैव) परिग्रहसज्ञा, तथा क्रोधोदयात् तदाशयगर्भा पुरुषमुखनयनदतच्छदस्फुरणचेष्टैव सज्ञायतेऽनयेति क्रोधसज्ञा, तथा मनोदयादहकारात्मकोत्सेकादिपरिणतिरेव संज्ञायतेऽनयेति मानसज्ञा, तथा मायोदयेनाशुभसक्लेशादनृतभाषणादिक्रियैव सज्ञायतेऽनयेति मायासज्ञा, तथा लोभोदयाल्लालसान्वितासचित्तेतरद्रव्यप्रार्थनैव सज्ञायतेऽनयेति लोभसज्ञा, तथा लोभोदयोपशमा-

च्छब्दाद्यर्थगोचरा सामान्यावबोधक्रियैव सज्ञायते अनयेति ओघसज्ञा, तथा तद्विशेषावबोधक्रियैव सज्ञायते अनयेति लोकसज्ञा, ततश्चोघसज्ञा दर्शनोपयोग. लोकसज्ञातु ज्ञानोपयोग इति, व्यत्ययमन्ये, अन्ये पुनरित्थ-मभिदधते—सामान्यप्रवृत्तिरोघसज्ञा, लोकदृष्टिलोकसज्ञा ११

इन सज्ञाओं का मनोविज्ञान की दृष्टि से विशेष महत्त्व है। आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से सज्ञा का ज्ञान और सवेदन में और क्रिया का अभिव्यक्ति और प्रवृत्ति में समावेश कर सकते हैं। ज्ञान और दर्शन की दृष्टि से आचार्य ने ओघसज्ञा को दर्शनोपयोग और लोकसज्ञा को ज्ञानोपयोग कहा है तथा तद्विपरीत मत का भी उल्लेख किया है।

नवम पद की व्याख्या में विविध योनियों का विचार किया गया है।

दशम पद की व्याख्या में रत्नप्रभा आदि पृथ्वियों का चरम और अचरम की दृष्टि से विवेचन किया गया है। चरम का अर्थ है प्रान्तपर्यन्तवर्ती और अचरम का अर्थ है प्रातमध्यवर्ती। ये दोनों अर्थ आपेक्षिक हैं। प्रस्तुत विवेचन में आचार्य ने अनेक प्राकृत गद्यांश उद्धृत किये हैं।

ग्यारहवें पद की व्याख्या में भाषा के स्वरूप का विवेचन करते हुए आचार्य ने स्त्री, पुरुष और नपुंसक-लक्षणनिर्देशक कुछ श्लोक उद्धृत किये हैं :^२

स्त्रा— योनिर्मृदुत्वमस्थैर्यं, मुग्धता क्लीवता स्तनो।

पुस्कामितेति लिंगानि, सप्त स्त्रीत्वं प्रचक्षते ॥ १ ॥

पुरुष— मेहन खरता दाढ्यं, शौडीर्यं श्मश्रु तृप्तता।

स्त्रीकामितेति लिंगानि, सप्त पुस्त्वे प्रचक्षते ॥ २ ॥

नपुंसक—स्तनादिश्मश्रुकेशादिभावाभावसमन्वितम् ।

नपुंसक बुधा प्राहुर्मोहानलसुदीपितम् ॥ ३ ॥

स्त्री के सात लक्षण हैं। योनि, मृदुत्व, अस्थिरता, मुग्धता, दुर्बलता, स्तन और पुष्पेच्छा। पुरुष के भी सात लक्षण हैं : मेहन, कठोरता, दृढता, शूरता, मूर्छे, तृप्ति और स्त्रीकामिता। नपुंसक के लक्षण स्त्री और पुरुष के लक्षणों से मिले-जुले बीच के होते हैं जो न पूरी तरह स्त्री के अनुरूप होते हैं न पुरुष के। उसमें मोह की मात्रा अत्यधिक होती है।

बारहवें पद के व्याख्यान में आचार्य ने औदारिकादि शरीर के सामान्य स्वरूप का विवेचन किया है।

तेरहवें पद के व्याख्यान में जीव और अजीव के विविध परिणामों का प्रतिपादन किया गया है। जीवपरिणाम इस प्रकार होता है गति, इन्द्रिय, कषाय, लेश्या, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वेद। अजीवपरिणाम का

विवेचन करते हुए आचार्य ने बन्धनपरिणाम के निम्नांकित लक्षण का समर्थन किया है ।^१

समणिद्वयाए बंधो ण होति समलुक्खयाए वि ण हेति ।
बेमाइयणिद्वलुक्खत्तणेण बधो उ खधाण ॥

तथा च—

णिद्वस्स णिद्वेण दुयाहिण्ण लुक्खस्स लुक्खेण दुयाहिण्ण ।
णिद्वस्स लुक्खेण उवेति बधो जहण्णवज्जो विसमो समो वा ॥

आगे के पदों की व्याख्या में कषाय, इन्द्रिय, प्रयोग, लेश्या, कायस्थिति, अन्तक्रिया, अवगाहना—सस्थानादि, क्रिया (कायिकी, आधिकरणकी, प्राद्वेषिकी पारितापनिकी और प्राणातिपातिकी), कर्मप्रकृति, कर्मबन्ध, आहारपरिणाम, उपयोग, पश्यत्ता, सज्ञा, समय, अवधि, प्रवीचार, वेदना और समुद्घात का विशेष विवेचन किया गया है। तीसरे पद की व्याख्या में आचार्य ने उपयोग और पश्यत्ता की भेदरेखा खींचते हुए लिखा है कि पश्यत्ता में त्रैकालिक अवबोध होता है जबकि उपयोग में वर्तमान और त्रिकाल दोनों का अवबोध समाविष्ट है अतो यत्र त्रैकालिकोऽवबोधोऽस्ति तत्र पासणया भवति, यत्र पुनर्वर्तमानकालस्त्रैकालिकश्च बोध स उपयोग इत्यय विशेष ।^२ यही कारण है कि साकार उपयोग आठ प्रकार का है जबकि साकार पश्यत्ता छ प्रकार की है। साकार पश्यत्ता में साम्प्रतकालविषयक मतिज्ञान और मत्यज्ञानरूप साकार उपयोग के दो भेदों का समावेश नहीं किया जाता।

आवश्यकवृत्ति :

प्रस्तुत वृत्ति^३ आवश्यक नियुक्ति पर है। कहीं-कहीं भाष्य की गाथाओं का भी उपयोग किया गया है। वृत्तिकार आचार्य हरिभद्र ने इस वृत्ति में आवश्यक-चूर्ण का पदानुसरण न करते हुए स्वतंत्र रीति से नियुक्ति-गाथाओं का विवेचन किया है। प्रारम्भ में मंगल के रूप में श्लोक है :

प्रणिपत्य जिनवरेन्द्र, वीरश्रुतदेवता गुरुन् साधून् ।

आवश्यकस्य विवृति, गुरूपदेशादह वक्ष्ये ॥ १ ॥

इसके बाद प्रस्तुत वृत्ति का प्रयोजन दृष्टि में रखते हुए वृत्तिकार कहते हैं :

यद्यपि मया तथाऽन्यै, कृताऽस्य विवृतिस्तथापि सक्षेपात् ।

तद्दुचिसत्त्वानुग्रहहेतोः क्रियते प्रयासोऽयम् ॥ २ ॥

१ पृ० ९८

२. पृ० १४९

३ आगमोदय समिति, मेहसाना, सन् १९१६-७

अर्थात् यद्यपि मैंने तथा अन्य आचार्यों ने इस सूत्र का विवरण लिखा है तथापि सक्षेप में वैसी रुचि वाले लोगो के लिए पुनः प्रस्तुत प्रयास किया जा रहा है। इस कथन से आचार्य हरिभद्रकृत एक और टीका—वृहट्टीका का होना फलित होता है। यह टीका अभी तक अनुपलब्ध है।

इन दोनों श्लोकों का विवेचन करने के बाद नियुक्ति की प्रथम गायी 'आभिनिबोहियनाण' की व्याख्या करते हुए आचार्य ने पाँच प्रकार के ज्ञान का स्वरूप-प्रतिपादन किया है। आभिनिबोधिक आदि ज्ञानों की व्याख्या में वैविध्य का पूरा उपयोग किया है। यह व्याख्यानवैविध्य चूर्ण में दृष्टिगोचर नहीं होता। उदाहरण के लिए 'आभिनिबोधिक' शब्द के व्याख्यान में कितनी विविधता है, इसकी ओर जरा ध्यान दीजिए

'अर्थाभिमुखो नियतो बोध अभिनिबोध, अभिनिबोध एव आभिनिबोधिक, विनयादिपाठात् अभिनिबोधशब्दस्य "विनयादिभ्यष्ठक्" (पा० ५, ४, ३४) इत्यनेन स्वार्थ एव ठक् प्रत्ययो, यथा विनय एव वैनयिकमिति, अभिनिबोधे वा भव तेन वा निवृत्त तन्मय तत्प्रयोजन वा, अथवा अभिनिबुध्यते तद् इत्याभिनिबोधिक, अवग्रहादिरूप मतिज्ञानमेव तस्य स्वसंविदितरूपत्वात्, भेदोपचारादित्यर्थ, अभिनिबुध्यते वाऽनेनेत्याभिनिबोधिक, तदावरणकर्मक्षयोपशम इति भावार्थ, अभिनिबुध्यते अस्मादिति वा आभिनिबोधिक, तदावरणकर्मक्षयोपशम एव, अभिनिबुध्यतेऽस्मिन्निति वा क्षयोपशम इत्याभिनिबोधिक, आत्मैव वा अभिनिबोधोपयोगपरिणामानन्वत्वाद् अभिनिबुध्यत इत्याभिनिबोधिक, अभिनिबोधिकं च तज्ज्ञान चेति समास ।'^१

उपर्युक्त गद्यांश में वृत्तिकार ने छ दृष्टियों से आभिनिबोधिक ज्ञान का व्याख्यान किया है। (१) अर्थाभिमुख जो नियत बोध है, (२) जो अभिनिबुद्ध होता है, (३) जिसके द्वारा, अभिनिबुद्ध होना है, (४) जिससे अभिनिबुद्ध होता है, (५) जिसमें अभिनिबुद्ध होता है अथवा (६) जो अभिनिबोधोपयोग परिणाम से अभिन्नतया अभिनिबुद्ध होता है वह आभिनिबोधिक है। इसी प्रकार श्रुत, अन्वधि, मन पर्याय और केवल का भी भेद-प्रभेदपूर्वक व्याख्यान किया गया है।

सामायिक नियुक्ति का व्याख्यान करते हुए प्रवचन की उत्पत्ति के प्रसंग पर वृत्तिकार ने वादिमुखकृत दो श्लोक उद्धृत किये हैं जिनमें यह बताया गया है कि कुछ पुरुष स्वभाव से ही ऐसे होते हैं जिन्हें वीतराग की वाणी अरुचिकर लगती

है। इसमें वीतराग के प्रवचनों का कोई दोष नहीं है। दोष सुनने वाले उन पुरुष-उलूको का है जिनका स्वभाव ही वीतराग-प्रवचनरूपी प्रकाश में अन्ध हो जाना है। जैसाकि आचार्य कहते हैं^१ 'त्रैलोक्यगुरोधर्मदेशनक्रिया विभिन्नस्वभावेषु प्राणिषु तत्स्वाभाव्यात् विबोधाविबोधकारिणी पुरुषो-लूककमलकुमुदादिषु आदित्यप्रकाशनक्रियावत्, उक्त च वादिमुख्येन—

त्वद्वाक्यतोऽपि केषाञ्चिदबोध इति मेऽद्भुतम् ।

भानोर्भरीचयः कस्य, नाम नालोकहेतवः ॥ १ ॥

न चाद्भुतमुलूकस्य, प्रकृत्या क्लिष्टचेतसः ।

स्वच्छा अपि तमस्त्वेन, भासन्ते भास्वतः कराः ॥ २ ॥

सामायिक के उद्देश, निर्देश, निर्गम, क्षेत्र आदि २३ द्वारों का विवेचन करते हुए वृत्तिकार ने एक जगह (आवश्यक के) विशेषविवरण का उल्लेख किया है। निर्देश-द्वार के स्वरूप का संक्षिप्त वर्णन करने के बाद वे लिखते हैं : व्यासार्थस्तु विशेषविवरणादवगन्तव्य इति ।^२

सामायिक के निर्गम-द्वार के प्रसंग से कुलकरो की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए आचार्य ने सात कुलकरो की उत्पत्ति से सम्बन्धित एक प्राकृत कथानक दिया है और उनके पूर्वभवों के विषय में सूचित किया है कि एतद्विषयक वर्णन प्रथमानुयोग में देख लेना चाहिए। पूर्वभवाः खल्वमीपा प्रथमानुयोगतोऽवसेयाः ।^३ उनकी आयु आदि का वर्णन करते हुए वृत्तिकार ने 'अन्ये तु व्याक्षते'^४ ऐसा लिख कर तद्विषयक मतभेदों का भी उल्लेख किया है। आगे नाभि कुलकर के यहाँ भगवान् ऋषभदेव का जन्म हुआ, यह बताया गया है तथा उनके तीर्थकरनाम-गोत्रकर्म बँधने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए घन नामक सार्थवाह का आख्यान दिया गया है। यह आख्यान भी अन्य आख्यानों की भाँति प्राकृत में ही है। इस प्रसंग से सम्बन्धित गाथाओं में से एक गाथा वा अन्यकर्तृकी गाथा के रूप में उल्लेख किया गया है। 'उत्तरकुरु सोहम्मे महाविदेहे महव्वलो ' गाथा का व्याख्यान करते हुए वृत्तिकार कहते हैं : इयमन्यकर्तृकी गाथा सोपयोगा च ।^५ भगवान् ऋषभदेव के अभिषेक का वर्णन करते हुए आचार्य ने नियुक्ति के कुछ पाठान्तर भी दिये हैं : पाठान्तरं वा 'आभोएउ सक्को आगतु तस्स कासि ',^६ 'चउव्विह सगह कासी'^७ इत्यादि। प्रस्तुत वृत्ति में इस प्रकार के अनेक पाठान्तर दिये गये हैं। आदितीर्थकर

१ पृ० ६७ (२) २ पृ० १०७ (१) ३. पृ० ११० (२), १११ (१).
 ४ पृ० ११२ (१) ५ पृ० ११४ (२)
 ६. पृ० १२७ (२) ७ पृ० १२८ (१).

ऋषभ के पारणक के वर्णन के प्रसंग पर एक कथानक दिया गया है और विस्तृत वर्णन के लिए वसुदेवहिंडि^१ का नामोल्लेख किया गया है।

अहंत् प्रत्यक्षरूप से सामायिक के अर्थ का अनुभव करके ही सामायिक का कथन करते हैं जिसे सुनकर गणधर आदि श्रोताओं के हृदयगत अशेष सशय का निवारण हो जाता है और उन्हें अहंत् की सर्वज्ञता में पूर्ण विश्वास हो जाता है।^२

सामायिकार्थ का प्रतिपादन करनेवाले चरम तीर्थंकर भगवान् महावीर के शासन में उत्पन्न चार अनुयोगों का विभाजन करनेवाले आर्यरक्षित की प्रसूति से सम्बद्ध 'माया य रुद्सोमा' आदि गाथाओं का व्याख्यान करते हुए वृत्तिकार ने एतद्विषयक कथानक का बहुत विस्तार के साथ वर्णन किया है।^३ यह कथानक प्रस्तुत सस्करण के पचीस पृष्ठों में समाप्त हुआ है।

चतुर्विंशतिस्तव और वंदना नामक द्वितीय और तृतीय आवश्यक का नियुक्ति के अनुसार व्याख्यान करने के बाद प्रतिक्रमण नामक चतुर्थ आवश्यक की व्याख्या करते हुए आचार्य ने ध्यान पर विशेष प्रकाश डाला है। 'प्रतिक्रमामि चतुर्भिर्ध्याने करणभूतैरश्रद्धेयादिना प्रकारेण योर्ज्ञतिचारः कृत, तद्यथा— आर्तध्यानेन, तत्र ध्यातिर्ध्यानमिति भावसाधन' अयं ध्यानसमासार्थं। व्यासार्थस्तु ध्यानशतकादवसेय, तच्चेदम्—^४ ऐसा कह कर ध्यानशतक की समस्त गाथाओं का व्याख्यान किया है। इसी प्रकार परिस्थापना की विधि का वर्णन करते हुए पूरे परिस्थापनानियुक्ति उद्धृत कर दी है। सात प्रकार के भयस्थानसंबन्धी अतिचारों की आलोचना का व्याख्यान करते हुए सग्रहणिकारकृत एक गाथा उद्धृत की है।^५ आगे की वृत्ति में सग्रहणिकार की और भी अनेक गाथाएँ उद्धृत की गई हैं। इसी आवश्यक के अन्तर्गत अस्वाध्यायसम्बन्धी नियुक्ति की व्याख्या में सिद्धसेन क्षमाश्रमण की दो गाथाएँ उद्धृत की गई हैं।^६

पञ्चम आवश्यक कायोत्सर्ग के अंत में शिष्यहिताया कायोत्सर्गाध्ययन समाप्तम्।^७ ऐसा पाठ है। आगे भी ऐसा ही पाठ है। इससे यह ज्ञात होता है कि प्रस्तुत वृत्ति का नाम शिष्यहिता है। इस अध्ययन के त्रिवरण से प्राप्त पुण्य का फल क्या हो? इसका उल्लेख करते हुए वृत्तिकार कहते हैं

कायोत्सर्गविवरणं कृत्वा यदवाप्तमिह मया पुण्यम् ।
तेन खलु सर्वसत्त्वा पञ्चविध कायमुज्ज्वन्तु ॥१॥

- १ पृ० १४५ (२) २ पृ० २८० (२) ३ पृ० २९६ (१)-३०८ (१).
४. उत्तरार्ध (पूर्वभाग), पृ० ५८१. ५ पृ० ६१८ (१)-६४४ (१).-
६. पृ० ६४५ ७. पृ० ७४९ (२)-७५० (१)

कायोत्सर्गविवरण से प्राप्त पुण्य के फलस्वरूप सभी प्राणी पंचविध काय का उत्सर्ग करें। षष्ठ आवश्यक प्रत्याख्यान के विवरण में श्रावकधर्म का भी विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। प्रत्याख्यान की विधि, माहात्म्य आदि आवश्यक बातों की चर्चा करते हुए वृत्तिकार ने शिष्यहिता नामक आवश्यकटीका समाप्त की है समाप्ता चैर्यं शिष्यहितानामावश्यकटीका। अन्त मे वे लिखते हैं :
 कृतिः सिताम्बराचार्यजिनभटनिगदानुसारिणो विद्याधरकुलतिलकाचार्य-
 जिनदत्तशिष्यस्य धर्मतो जाइणीमहत्तरासूनोरल्पमतेराचार्यहरिभद्रस्य ।
 प्रस्तुत टीका श्वेताम्बराचार्य जिनभट के आज्ञाकारी विद्यार्थी विद्याधर कुल के तिलकभूत आचार्य जिनदत्त के शिष्य और याकिनी महत्तरा के धर्मपुत्र अल्पमति आचार्य हरिभद्र की कृति है। यह २२००० श्लोकप्रमाण है ।^१

द्वाविंशति सहस्राणि, प्रत्येकाक्षरणनया (सख्यया) ।

अनुष्टुप्छन्दसा मानमस्या उद्देशत कृतम् ॥१॥



१. उत्तरार्ध (उत्तरभाग), पृ० ८६५ (२).

चतुर्थ प्रकरण

कोट्याचार्यकृत विशेषावश्यकभाष्य-विवरण

कोट्याचार्य ने आचार्य जिनभद्रकृत विशेषावश्यकभाष्य पर टीका लिखी है। यह टीका स्वयं आचार्य जिनभद्र द्वारा प्रारम्भ की गई एवं आचार्य कोट्याचार्य द्वारा पूर्ण की गई विशेषावश्यकभाष्य की सर्वप्रथम टीका से भिन्न है। कोट्याचार्य ने अपनी टीका में आचार्य हरिभद्र का अथवा उनके किसी ग्रन्थ का कोई उल्लेख नहीं किया है। इस तथ्य की दृष्टि में रखते हुए कुछ विद्वान् यह अनुमान करते हैं कि कोट्याचार्य या तो हरिभद्र के पूर्ववर्ती हैं या समकालीन। कोट्याचार्य ने अपनी टीका में अनेक स्थानों पर आवश्यक की मूल टीका एवं विशेषावश्यकभाष्य की स्वोपज्ञटीका का उल्लेख किया है। मूल टीका जिनभद्र की है जिनके नाम का आचार्य ने उल्लेख भी किया है। कोट्याचार्य ने अपनी कृति में जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण का सम्मानपूर्ण शब्दों द्वारा स्मरण किया है। मलधारी हेमचन्द्रसूरि ने अपनी विशेषावश्यकभाष्य की टीका में आचार्य जिनभद्र के साथ कोट्याचार्य का भी प्राचीन शैलीकार के रूप में उल्लेख किया है। इन सब तथ्यों को देखते हुए यह कहना अनुचित न होगा कि कोट्याचार्य एक प्राचीन टीकाकार हैं और सम्भवतः वे आचार्य हरिभद्र से भी प्राचीन हों। ऐसी स्थिति में आचार्य शीलाक और कोट्याचार्य को एक ही व्यक्ति मानना युक्तिमग्न प्रतीत नहीं होता, जैसा कि प्रभावकचरित्रकार की मान्यता है।^१ आचार्य शीलाक का समय विक्रम की नवी-दसवीं शताब्दी है जबकि कोट्याचार्य का समय विक्रम की आठवीं शताब्दी ही सिद्ध होता है। दूसरी बात यह है कि शीलाकसूरि और कोट्याचार्य को एक ही व्यक्ति मानने के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है।

प्रस्तुत विवरण^२ में कोट्याचार्य ने विशेषावश्यक का व्याख्यान किया है जो न अति संक्षिप्त है और न अति विस्तृत। विवरण में जो कथानक उद्धृत किये गये हैं वे प्राकृत में हैं कहीं-कहीं पद्यात्मक कथानक भी हैं। विवरणकार ने आचार्य जिनभद्रकृत विशेषावश्यकभाष्य की स्वोपज्ञवृत्ति^३ और जिनभद्रकृत

१ प्रभावकचरित्र (भाषांतर) . प्रस्तावना, पृ० ८७ २ ऋषभदेवजी केशरी-

मलजी श्वेताम्बर सख्या, रतलाम, सन् १९३६-७. ३ पृ० २७५

४. पृ० २४५

आपक्षकविवृति (मूलटीका?)^१ का भी उल्लेख किया है। विवरण में कही-कही पाठान्तर दिये गये हैं।^२

प्रारम्भ में आचार्य ने चौर जिनेश्वर, श्रुतदेवता तथा जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण का सादर स्मरण किया है •

नतविदुषवधूना कन्दमाणिक्यभास-

श्ररणनखमयूखैरुल्लसद्भिः किरन् यः ।

अकृत कृतजगच्छ्रीर्देशना मानवेभ्यो,

जनयतु जिनवीर स्येयसी वः स लक्ष्मीम् ॥१॥

विकचकेतकपत्रसमप्रभा, मुनिपवाक्यमहोदधिपालिनी ।

प्रतिदिन भवताममराचिता, प्रविदधातु सुख श्रुतदेवता ॥२॥

यैर्भव्याम्बुरुहाणि ज्ञानकरैर्वोधितानि वः सन्तु ।

अज्ञानध्वान्तभिदे जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणपूज्यार्काः ॥३॥

अन्तमें विवरणकार ने विशेषावश्यकभाष्यकार—सामायिकभाष्यकार आचार्य जिनभद्र (पूज्य) का पुनः स्मरण किया है

भाष्यं सामायिकस्य स्फुटविकटपदार्थापगूढं यदेतत्,

श्रीमत्पूज्यैरकारि क्षतकलुषधिषा भूरिसंस्कारकारि ।

तस्य व्याख्यानमात्र किमपि विदधता यन्मया पुण्यमाप्तं,

प्रेत्याह द्राग्लभेय परमपरिमिता प्रीतिमत्रैव तेन ॥

प्रस्तुत विवरण का ग्रन्थमान १३७०० श्लोकप्रमाण है। ग्रन्थाग्रमस्या त्रयोदश सहस्राणि सप्तशताधिकानि।^३



१. पुनर्लभन्निदमेव मिथ्यात्व करिष्यति, तत्राप्यपूर्वमिवापूर्वमिति जिनभटाचार्यपादाः.

उत्तरभाग का उपक्रम, पृ० ४

२ पृ० ३३८. ३. पृ० ९८१.

पंचम प्रकरण

गन्धहस्तिकृत शस्त्रपरिज्ञा-विवरण

आचार्य गन्धहस्ती ने आचाराग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्यायन शस्त्रपरिज्ञा पर टीका लिखी थी जो इस समय अनुपलब्ध है। शीलाकाचार्य ने अपनी आचाराग-टीका के आरम्भ में इसका उल्लेख किया है। प्रस्तुत गन्धहस्ती और तत्त्वार्थभाष्य पर बृहद्वृत्ति लिखने वाले सिद्धसेन दोनों एक ही व्यक्ति हैं।^१ ये सिद्धसेन भास्वामी के शिष्य हैं। अभी तक इनकी उपयुक्त दो कृतियों के विषय में ही प्रमाण उपलब्ध हैं। सिद्धसेन का नाम गन्धहस्ती किसने व क्यों रखा ? इन्होंने स्वयं अपनी प्रशस्ति में गन्धहस्ती पद नहीं जोड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके शिष्य अथवा भक्त अनुगामियों ने इन्हें गन्धहस्ती के रूप में प्रसिद्ध किया है। ऐसा करने का कारण यह जान पड़ता है कि प्रस्तुत सिद्धसेन एक सैद्धान्तिक विद्वान् थे। उनका आगमो का ज्ञान अति समृद्ध था। वे आगम-विरुद्ध मान्यताओं का खण्डन करने में बहुत प्रसिद्ध थे। सिद्धान्तपक्ष का स्थापन करना उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी। उनकी अठारह हजार श्लोकप्रमाण तत्त्वार्थभाष्य की वृत्ति सम्भवतः उस समय तक लिखी गई तत्त्वार्थभाष्य की सभी व्याख्याओं में बड़ी रही होगी। इस बृहद्वृत्ति तथा उसमें किये गये आगमिक मान्यताओं के समर्थन को देखकर उनके शिष्यों अथवा भक्तों ने उनका नाम गन्धहस्ती रख दिया होगा। यह 'गन्धहस्ती' शब्द इतना अधिक महत्त्वपूर्ण है कि तीर्थंकरों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। 'शक्रस्तव' नाम से प्रसिद्ध 'नमोत्पुण' के प्राचीन स्तोत्र में पुरिसवरगन्धहस्त्योण' का प्रयोग कर तीर्थंकर को गन्धहस्ती विशेषण से विशिष्ट बताया गया है। सिद्धसेन अर्थात् गन्धहस्ती के समय के सम्बन्ध में निश्चिन्त रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना निश्चित है कि ये विक्रम की सातवीं और नवीं शताब्दी के बीच में कभी हुए हैं। इन्होंने अपनी तत्त्वार्थभाष्य-वृत्ति में वसुवन्धु, धर्मकीर्ति आदि बौद्ध विद्वानों का उल्लेख किया है^२ जिससे यह सिद्ध होता है कि ये सातवीं शताब्दी (विक्रम) के पहले तो नहीं हुए। दूसरी ओर नवीं शताब्दी में होने वाले आचार्य शीलाक ने इनका उल्लेख किया है जिससे यह सिद्ध होता है कि ये नवीं शताब्दी से पूर्व किसी समय हुए हैं।



१ इस मत की पुष्टि के लिए देखिये—तत्त्वार्थसूत्र परिचय, पृ० ३४-४२ (प० सुखलालजोषीकृत विवेचन) .

२ तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति पृ० ६८, ३९७

षष्ठ प्रकरण

शीलांककृत विवरण

आचार्य शीलाक शीलाचार्य एव तत्त्वादित्य के नाम से भी प्रसिद्ध हैं।^१ कहा जाता है कि इन्होंने प्रथम नी अगो पर टीकाएँ लिखी थी,^२ किन्तु वर्तमान में केवल आचाराग और सूत्रकृताग को टीकाएँ ही उपलब्ध हैं। आचाराग-टीका की विभिन्न प्रतियों में भिन्न-भिन्न समय का उल्लेख है। तो किसी में शक स० ७७२ का उल्लेख है तो किसी में शक स० ७८४ का, किसी में शक स० ७९८ का उल्लेख है तो किसी में गुप्त स० ७७२ का।^३ इससे यही सिद्ध होता है कि आचार्य शीलाक शक की आठवीं अर्थात् विक्रम की नवी-दसवीं शताब्दी में विद्यमान थे।
आचारागविवरण .

प्रस्तुत विवरण^४ मूल सूत्र एव नियुक्ति पर है। विवरणकार ने अपना विवरण शब्दार्थ तक ही सीमित नहीं रखा है अपितु प्रत्येक विषय का विस्तारपूर्वक विवेचन किया है। अपने वक्तव्य की पुष्टि के लिए बीच-बीच में अनेक प्राकृत एवं संस्कृत उद्धरण भी दिये हैं। भाषा, शैली, सामग्री आदि सभी दृष्टियों से विवरण को सुबोध बनाने का प्रयत्न किया है। विवरण प्रारम्भ करने के पूर्व आचार्य ने स्वयं इस बात की ओर संकेत किया है। प्रारम्भ में विवरणकार ने जिनतीर्थ की महिमा बताते हुए उसकी जय बोली है तथा गन्धहस्तिकृत शस्यपरि-ज्ञाविवरण को अति कठिन बताते हुए आचाराग पर सुबोध विवरण लिखने का संकल्प किया है।

१ निर्वृत्तिकुलीनश्रीशीलाचार्येण तत्त्वादित्यापरनाम्ना वाहरिसाधुसहायेन कृता टीका परिसमाप्तेति ।

—आचाराग-टीका, प्रथम श्रुतस्कन्ध वा अन्त

२ प्रभावकचरित्र श्रीअभयदेवसूरिप्रबन्ध, का १०४-५

३ A History of the canonical Literature of the Jainas,
पृ० १९७

४ (अ) जिनहस व पार्वचन्द्र की टीकाओ सहित—रायबहादुर घनपतिसिंह,
कलकत्ता, वि० स० १९३६

(आ) आगमोदय समिति, सूरत, वि० स० १९७२-३.

(इ) जैनानन्द पुस्तकालय, गोपीपुरा, सूरत, सन् १९३५

जयति समस्तवस्तुपर्यायविचारापास्ततीर्थिक,
 विहितैकैकतीर्थनयवादसमूहवशात्प्रतिष्ठितम् ।
 बहुविधिभगिनिद्धनिद्धान्तविध्नितमलमलीमस,
 तीर्थमनादिनिधनगतमनुपममादिनत जिनेश्वरः ॥ १ ॥

आचारशास्त्र सुविनिश्चित यथा,
 जगद् वीरो जगते हिताय यः ।
 तथैव किञ्चिद् गदतः स एव मे,
 पुनातु धीमान् विनयापिता गिरः ॥ २ ॥
 शस्त्रपरिज्ञाविवरणमतिघट्टगहन च गन्धहृत्कृतम् ।
 तस्मात् सुखबोधाय गृह्णाम्यहमञ्जना सारम् ॥ ३ ॥

आचार्यं सर्वप्रथमं सूत्रोक्ता पदच्छेद करने हैं । पदच्छेद के बाद 'साम्प्रत सूत्रपदार्थः' ऐसा कहते हुए पदों का स्पष्ट अर्थ करते हैं । तदनन्तर तद्विषयक विशेष शका-समाधान का बार ध्यान देते हैं । इन प्रसंग पर अपने वचनव्य को विशेष पुष्टि के लिए कही-कही उद्धरण भी प्रस्तुत करते हैं । 'सुय मे आउम ! तेण भगवया एवमस्त्राय—इहमेगेसि णो सण्णा भवति' (सू० १) का व्याख्यान करते हुए वृत्तिहार कहते हैं तच्चेद सूत्रम्—'सुय मे आउम ! तेण भगवया एवमस्त्राय—इहमेगेसि णो सण्णा भवति' अस्य सहितादि-क्रमेण व्याख्या—महितोच्चरितेव, पदच्छेदस्त्वयम्-श्रुत मया आयुष्मन् ! तेन भगवता एवमाख्यातम्—इह एकेपा नो सज्जा भवति । एक तिडन्तं शेषाणि सुवन्तानि, गतः सपदच्छेदः सूत्रानुगमः, साम्प्रत सूत्रपदार्थः समुन्नीयते—भगवान् सुधम्मस्वामी जम्भूनाम्न इदमाचष्टे यथा—'श्रुतम्' आकर्णितमवगतमवधारितमिति यावद्, अनेन स्वमनोपिकाव्युदासो 'मये' ति साक्षान्न पुनः पारम्पर्येण, 'आयुष्मन्निति' जात्यादिगुणसम्भवेऽपि दीर्घायुष्कत्वगुणोपादान दीर्घायुरविच्छेदेन शिष्योपदेशप्रदायको यथा स्यात् 'इहे' ति क्षेत्रे प्रवचने आचारे शस्त्रपरिज्ञाया वा आख्यात-मिति सम्बन्धो, यदि वा—'इहे' ति ससारे 'एकेपा' ज्ञानावरणीयावृत्ताना प्राणिना 'नो मज्जा भवति', सज्जान सज्जा स्मृतिरखबोध इत्यनर्थान्तर, सा नो जायते इत्यर्थः, उक्तः पदार्थः, पदविग्रहस्य तु सामासिकपदाभावाद-प्रकटनम् । इदानीं चालना—ननु चाकारादिकप्रतिषेधकलघुशब्दसम्भवे सति किमर्थं नोशब्देन प्रतिबोध इति ? अत्र प्रत्यवस्था—सत्यमेव, किन्तु प्रेक्षापूर्वकारितया नोशब्दोपादान, सा चैयम्—अन्येन प्रतिषेधेन सर्व-निषेधः स्याद्, यथा न घटाऽघट इति चोक्ते सर्वात्मना घटनिषेधः, स

च नेष्यते, यतः प्रज्ञापनाया दश सज्ञाः सर्वप्राणिनामभिहितास्तासा सर्वासा प्रतिषेधः. प्राप्नोतीति कृत्वा, ताश्चेमाः ' एवमिहापि न सर्वसज्ञानिषेधः', अपितु विशिष्टसंज्ञानिषेधो, ययाऽऽत्मादिपदार्थस्वरूप गत्यागत्यादिक ज्ञायते तस्या निषेध इति ।^१

इसी प्रकार नियुक्ति-गाथाओ की व्याख्या में भी प्रत्येक पद का अर्थ अच्छी तरह स्पष्ट किया गया है। प्रथम अध्ययन की व्याख्या के अन्त में विवरणकार ने पुनः इस बात का निर्देश किया है कि आचार्य गन्धहस्ती ने आचाराग के शस्त्र-परिज्ञा नामक प्रथम अध्ययन का विवरण लिखा है, जो अति कठिन है। मैं अब अवशिष्ट अध्ययनों का विवरण प्रारम्भ करता हूँ :^२

शस्त्रपरिज्ञाविवरणमतिगहनमितीव किल वृत पूज्यै ।

श्रीगन्धहस्तिमिश्रैर्विवृणोमि ततोऽहमवशिष्टम् ॥ २ ॥

षष्ठ अध्ययन की व्याख्या के बाद अष्टम अध्ययन की व्याख्या प्रारम्भ करते हुए आचार्य कहते हैं कि महापरिज्ञा नामक सप्तम अध्ययन का व्यवच्छेद हो जाने के कारण उमका अतिलघन करके अष्टम अध्ययन का विवेचन प्रारम्भ किया जाता है. अधुना सप्तमाध्ययनस्य महापरिज्ञाख्यस्यावसर, तच्च व्यवच्छिन्नमतिकृत्वाऽतिलघ्याष्टमस्य सम्बन्धो वाच्य ।^३ विमोक्ष नामक अष्टम अध्ययन के षष्ठ उद्देशक की वृत्ति में नागरिक-शास्त्रसम्मत ग्राम, नगर, खेट, कर्बट, मडम्ब, पत्तन, द्रोणमुख, आकर, आश्रम, सन्निवेश, नैगम और राजधानी का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है —^४

'ग्रसति बुद्ध्यादीन् गुणानिति गम्यो वाऽऽटादशाना करणामिति ग्राम ; नात्र करो विद्यत इति नकर, पाशुप्राकारबद्ध खेट, क्षुल्लकप्राकार-वेष्टित कर्बट, अर्द्धतृतीयगव्यूतान्तर्ग्रामरहित मडम्बं, पत्तन तु द्विधा—जलपत्तन स्थलपत्तन च, जलपत्तन यथा काननद्वीप., स्थलपत्तन यथा मथुरा, द्रोणमुख जलस्थलनिर्गमप्रवेश यथा भरुकच्छ तामलिप्ती वा, आकरो हिरण्याकरादि, आश्रम. तापसावसथोपलक्षित आश्रय. सन्निवेश यात्रासमागतजनावासो जनसमागमो वा, नैगम प्रभूततरवणिग्वर्गावास, राजधानी राजाधिष्ठान राज्ञ., पीठिकास्थानमित्यर्थ. ।'

जो बुद्धि आदि गुणों का नाश करता है अथवा अठारह प्रकार के करो का स्थान है वह ग्राम है। जहाँ पर किसी प्रकार का कर नहीं होता वह नकर

१ आगमोदय-सस्करण, पृ० ११.

२ पृ० ८१ (२)

३ पृ० २५९ (१)

४. पृ० २८४ (२)-२८५ (१).

(नगर) है। मिट्टी की चहारदीवारी से घिरा हुआ क्षेत्र खेत कहलाता है। छोटी चहारदीवारी से वेष्टित क्षेत्र कर्कट कहलाता है। जिसके आसपास ढाई कोस की दूरी तक अन्य ग्राम न हो वह मडम्ब कहलाता है। पत्तन दो प्रकार का है—जलपत्तन और स्थलपत्तन। काननद्वीप आदि जलपत्तन हैं। मयुरा आदि स्थलपत्तन है। जल और स्थल के आवागमन के केन्द्रों को द्रोणमुख (वदर) कहते हैं। भरुकच्छ, तामलिप्ति आदि इसी प्रकार के स्थान हैं। सुवर्ण आदि के कोप को आरुर कहते हैं। तपस्वियों का वास—स्थान आश्रम कहलाता है। यात्रियों के समुदाय अथवा सामान्य जनसमूह को सन्निवेश कहते हैं। व्यापारी वर्ग की वसति नेगम कहलाती है। राजा के मुख्य स्थान—गौठिका-स्थान को राजधानी कहते हैं।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध के व्याख्यान के प्रारम्भ में विवरणकार ने पुनः मध्य मंगल करने हुए तीन श्लोक लिखे हैं तथा चतुर्चूडात्मक द्वितीय श्रुतस्कन्ध की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा की है। इस श्रुतस्कन्ध का नाम अग्रश्रुतस्कन्ध क्यों रखा गया, इसका भी नियुक्ति को सहायता से विचार किया गया है। प्रथम और द्वितीय दोनों श्रुतस्कन्धों के विवरण के अन्त में समाप्तिसूचक श्लोक है। द्वितीय श्रुतस्कन्ध के अन्त में केवल एक श्लोक है जिसमें आचार्य ने आचाराग की टोका लिखने में प्राप्त स्वपुण्य को लोक की आचारशुद्धि के लिए प्रदान किया है २

आचारगौठिकाकरणे यदाप्त, पुण्य माया मोक्षगर्भकहेतुः ।
तेनापनोग्राशुभराशिमुच्चैराचारमार्गप्रवणोऽस्तु लोकः ॥

प्रथम श्रुतस्कन्ध के अन्त में चार श्लोक हैं जिनमें यह बताया गया है कि शोलाचार्य ने गुप्त मन्त्र ७७२ को भाद्रपद शुक्ला पचमी के दिन गभूता में प्रस्तुत टोका पूर्ण की। आचार्य ने टोका में रही ऋटियों का सशोचन कर लेने की भी नम्रगर्वाङ्क सूचना दी है और इस टोका की रचना से प्राप्त पुण्य से जगत् की मदाचार-वृद्धि की कामना की है ३

द्वामपत्यधिकेषु हि शतेषु सप्तसु गतेषु गुप्तानाम् ।
सवत्सरेषु मासि च भाद्रपदे शुक्लपञ्चम्याम् ॥ १ ॥
शोलाचार्येण कृता गम्भूताया स्थितेन टोकैषा ।
सम्यगुपयुज्य शोध्य मात्सर्यविनाकृतेरार्यः ॥ २ ॥
कृत्वाऽऽचारस्य मया टोका यत्किमपि सञ्चित पुण्यम् ।
तेनाप्नुयाज्जगदिद निर्वृतिमतुला सदाचारम् ॥ ३ ॥

वर्णः पदमथ वाक्य पद्यादि च यन्मया परित्यक्तम् ।

तच्छोधनीयमत्र च व्यामोहः कस्य नो भवति ॥ ४ ॥

इसी श्रुतस्कन्ध के अन्त में यह भी उल्लेख है कि आचार्य शीलाक निर्वृति कुल के थे, उनका दूसरा नाम तत्त्वादित्य था तथा उन्हें प्रस्तुत टीका बनाने में वाहरिसाधु ने सहायता दी थी : तदात्मकस्य ब्रह्मचर्याख्यश्रुतस्कन्धस्य निर्वृतिकुलीनश्रीशीलाचार्येण तत्त्वादित्यापरनाम्ना वाहरिसाधुसहायेन कृता टीका परिसमाप्तेति ।^१ पूरी टीका का ग्रंथमान १२००० श्लोक-प्रमाण है ।^२

सूत्रकृतागविवरण .

शीलाकाचार्यविहित प्रस्तुत विवरण^३ सूत्रकृताग मूल एव उसकी नियुक्ति पर है । प्रारम्भ में आचार्य ने जिनो को नमस्कार किया है एव प्रस्तुत विवरण लिखने की प्रतिज्ञा की है :

स्वपरसमयार्थसूचकमनन्तगमपर्ययार्थगुणकलितम् ।

सूत्रकृतमङ्गमतुल विवृणोमि जिनान्नमस्कृत्य ॥ १ ॥

व्याख्यातमङ्गमिह यद्यपि सूरिमुख्यैर्भवत्या

तथापि विवरीतुमह यतिष्ये ।

किं पक्षिराजगतमित्यवगम्य सम्यक्,

तेनैव वाञ्छति पथा शलभो न गन्तुम् ॥ २ ॥

ये मय्यवज्ञां व्यधुरिद्धबोधा,

जानन्ति ते किञ्चन तानपास्य ।

मत्तोऽपि यो मन्दमतिस्तथार्थी,

तस्योपकाराय ममैष यत्नः ॥ ३ ॥

आचार्य ने विवरण को सब दृष्टियों से सफल बनाने का प्रयत्न किया है और इसके लिए दार्शनिक दृष्टि से वस्तु का विवचन, प्राचीन प्राकृत एव संस्कृत

१. पृ. ३१६ (२). २. पृ. ४३२

३. (अ) आगमोदय समिति, मेहसाना, सन् १९१७

(आ) हर्षकुलकृत विवरणसहित—भीमसी माणिक, बम्बई, वि. स १९३६.

(इ) हिन्दी अर्थसहित (प्रथम श्रुतस्कन्ध)—महावीर जैन ज्ञानोदय सोसायटी, राजकोट, वि. स १९९३-५

(ई) साधुरंगरचितदीपिकासहित—गौडीपाश्चं जैन ग्रन्थमाला, बम्बई, सन् १९५० (प्रथम श्रुतस्कन्ध).

सप्तम प्रकरण

शान्तिसूरिकृत उत्तराध्ययनटीका

वादिवेताल शान्तिसूरि ने उत्तराध्ययन सूत्र पर टीका लिखी है। इनका जन्म राघनपुर के पास उण—उन्नतायु नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम धनदेव और माता का नाम धनश्री था। शान्तिसूरि का बाल्यावस्था का नाम भीम था। प्रभावक-चरित्र में इनका चरित्र-वर्णन इस प्रकार है ^१

उस समय पाटन में 'सपक विहार' नामक एक प्रसिद्ध जिनमंदिर था। उसी के पास थारापद गच्छ का उपाश्रय था। उस उपाश्रय में थारापद-गच्छीय विजयसिंहसूरि नामक आचार्य रहते थे। वे विचरते हुए उन्नायु पहुँचे और धनदेव को समझा-बुझा कर प्रतिभाशाली बालक भीम को दीक्षा दी। दीक्षा के बाद भीम का नाम शान्ति हो गया। कालक्रम से शान्ति आचार्यपद प्राप्त कर विजयसिंहसूरि के पट्टघर शिष्य शान्तिसूरि हुए।

पाटन के भीमराज की सभा में शान्तिसूरि 'कवीन्द्र' तथा 'वादिक्रवर्ती' के रूप में प्रसिद्ध थे। कवि धनपाल के प्रार्थना करने पर शान्तिसूरि ने मालव-प्रदेश में बिहार किया तथा भोजराज की सभा के ८४ वादियों को पराजित कर ८४ लाख रुपये प्राप्त किये। मालवे के एक लाख रुपये गुजरात के १५ हजार रुपये के बराबर होते थे। इस हिसाब से भोज ने १२ लाख ६० हजार गुजराती रुपये शान्तिसूरि को भेंट किये। इनमें से १२ लाख रुपये तो उन्होंने वही जैन मंदिर बनवाने में खर्च कर दिये। शेष ६० हजार रुपये थारादनगर में भिजवाये जो वही के आदिनाथ के मंदिर में रथ आदि बनवाने में खर्च किये गये।

अपनी सभा के पंडितों के लिए शान्तिसूरि वेताल के समान थे अतः राजा भोज ने उन्हें 'वादिवेताल' पद से विभूषित किया। धारानगरी में कुछ समय तक ठहर कर शान्तिसूरि ने महाकवि धनपाल की 'तिलकमजरी' का सशो-घन किया और बाद में धनपाल के साथ वे भी पाटन आये। उस समय वहाँ के सेठ जिनदेव के पुत्र पद्मदेव को साँप ने काट लिया था। उसे मृत समझ कर भूमि में गाड़ दिया गया था। शान्तिसूरि ने उसे निर्विष कर जीवन-प्रदान किया।

१ श्रीशान्तिसूरि-प्रबन्ध (मुनि कल्याणविजयजी का भाषांतर)।

शान्तिसूरि के वत्तोन शिष्य थे। वे उन सब को प्रमाणशास्त्र का अभ्यास कराते थे। उस समय नाडोल से जिहार कर आये हुए मुनिचन्द्रसूरि पाटन की चैत्यपरिपाटी यात्रा में धूमते हुए वहाँ पहुँचे और गटे-उठे ही पाठ सुनकर चले गये। इन प्रकार वे पन्द्रह दिन तक इसी प्रकार पाठ सुनते रहे। सोलहव दिन सब शिष्यों की परीक्षा के साथ उनकी भी परीक्षा ली गयी। मुनिचन्द्र का बुद्धि-चमत्कार देखकर शान्तिसूरि अति प्रसन्न हुए तथा उन्हें अपने पास रखकर प्रमाणशास्त्र का विशेष अभ्यास कराया।

शान्तिसूरि अपने अन्तिम दिना में गिरनार में रहे। वहाँ उन्होंने २५ दिन तक अनशन-सत्यास क्रिया जा वि० न० १०९६ के ज्येष्ठ शुक्ला ९ मंगलवार को पूर्ण हुआ और वे स्वर्गगामी हुए।

शान्तिसूरि के समय के विषय में इतना कहा जा जाता है कि पाटन में भीमदेव का शासन वि० न० १०७८ न ११२० तक था तथा शान्तिसूरि ने भीमदेव की सभा में 'कवीन्द्र' और 'वादिचक्रवर्ती' की पदधियाँ प्राप्त की थी। राजा भोज जिमका नभा में शान्तिसूरि ने ८८ वादियाँ को पराजित किया था, वि० स० १०६७ से ११११ तक शासक के रूप में विद्यमान था। कवि घनपाल ने वि० न० १०२९ में अपनी बहिन के लिए 'पाइयल्लञ्छोनाममाला' की रचना की थी। शान्तिसूरि और घनपाल लगभग समवयस्क थे। इन तीनों प्रमाणों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि शान्तिसूरि का ममथ विक्रम की ग्यारहवीं शती है।

शान्तिसूरि ने उत्तराध्ययन-टीका के अतिरिक्त घनपाल की 'तिलकमजरी' पर भी एक टिप्पण लिखा है जो पाटन के भण्डारों में आज भी विद्यमान है। जीवविचारप्रकरण और चैत्यवन्दन-महाभाष्य भी इन्हीं के माने जाते हैं।

वादिवेताल शान्तिसूरिकृत प्रस्तुत टीका का नाम शिष्यहितावृत्ति है। यह पाइअ-टीका के नाम से भी प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें प्राकृत कथानकों एवं उद्धरणों की बहुलता है। टीका भाषा, शैली, सामग्री आदि सभी दृष्टियों से सफल है। इसमें गूल सूत्र एवं नियुक्ति दोनों का व्याख्यान है। बीच में कहीं-कहीं भाष्यगाथाएँ भी उद्धृत की गई हैं अनेक स्थानों पर पाठान्तर भी दिये गये हैं। प्रारम्भ में निम्नलिखित मंगलश्लोक है

शिवदा सन्तु तीर्थेशा, विधनसघातघातिन ।

भवकूपोद्धृती येपा वाग् वरत्रायते नृणाम् ॥ १ ॥

समस्तवस्तुविस्तारे, व्यासर्पत्तैलवज्जले ।
 जीयात् श्रीशासन जैन, धीदीपोद्दीप्तिवर्द्धनम् ॥२॥
 यत्प्रभावादवाप्यन्ते, पदार्थाः कल्पनां विना ।
 सा देवी सविदे न. स्तादस्तकल्पलतोपमा ॥ ३ ॥
 व्याख्याकृतामखिलशास्त्रविशारदाना
 सूच्यग्रवेधकधिया शिवमस्तु तेषाम् ।
 यैरत्र गाढतरगूढविचित्रसूत्र-
 ग्रथिर्विभिद्य विहितोऽद्य ममापि गम्यः ॥ ४ ॥
 अध्ययनानामेषा यदपि कृताश्चूर्णिवृत्तियः कृतिभिः ।
 तदपि प्रवचनभक्तिस्त्वरयति मामत्र वृत्तिविधौ ॥ ५ ॥

मगलविषयक परम्परागत चर्चा करने के बाद आचार्य ने क्रमशः प्रत्येक अध्ययन और उसकी नियुक्ति का विवेचन किया है । प्रथम अध्ययन की व्याख्या में नय का स्वरूप बताते हुए महामति (सिद्धसेन) की निम्न गाथा उद्धृत की है .^१

तित्थयरवयणसगह्विसेसपत्थारमूलवागरणी ।
 दव्वट्टिओ वि पज्जवणओ य सेसा वियप्पा सिं ॥

अर्थात् तीर्थंकर के वचनों का विचार करने के लिए मूल दो नय हैं :
 द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक । शेष नय इन्हीं के विकल्प है ।

वस्तु की नामरूपता सिद्ध करते हुए आचार्य ने भर्तृहरि का एक श्लोक उद्धृत किया है ।^२ 'तथा च पूज्या', 'उक्त च पूज्य' आदि शब्दों के साथ विविध प्रसंगों पर विशेषावश्यकभाष्य की अनेक गाथाएँ उद्धृत की गई हैं ।^३ 'समरेसु अगारेसु . . .' (अ० १, सू० २६) की वृत्ति में 'तथा च चूर्णिकृति' ऐसा कहते हुए वृत्तिकार ने चूर्ण का एक वाक्य उद्धृत किया है ।^४ आगे 'नागार्जुनीयास्तु पठन्ति' ऐसा लिखते हुए नागार्जुनीय वाचनासम्मत गाथा भी उद्धृत की है ।^५ नय की संख्या का विशेष विवेचन करते हुए आचार्य ने बताया है कि पूर्वविदो ने सकलनयसंग्राही सात सौ नयों का विधान किया है । उस समय एतद्विषयक 'सप्तशतारनयचक्र' नामक अध्ययन भी विद्यमान था । तत्संग्राहो विव्यादि बारह प्रकार के नयों का नयचक्र (द्वादशारनयचक्र) में प्रतिपादन किया गया है जो आज भी विद्यमान है : तथाहि—पूर्वविद्भिः

१. प्रथम विभाग. पृ० २१ (१).

२. वही

३. पृ० २१ (२).

४. पृ० ५६ (२).

५. पृ० ६६ (१).

सकलनयसग्राहीणि सप्त नयशतानि विहिततानि, यत् प्रतिबद्ध सप्तशतारं नयचक्राध्ययनमाभीत्, तत्सग्राहिण पुनर्द्वादश विध्यादयो, यत्प्रतिपादक-मिदानोमपि नयचक्रमास्ते' १ ।

द्वितीय अध्ययन की व्याख्या में परोपहो के स्वरूप का विवेचन करते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि भगवान् नहा गौर ने इन परोपहा का उपदेश दिया है । इस प्रसंग पर ऋचादादिारिकन्वित इन्स्वरविशेष और अषोर्गेष प्रागम—इन दोनों का निराकरण किया गया है । इहादि के अभाव में प्रागमनिर्माण की कल्पना अचगठ है . देहादिविद्वहान् तथाविधप्रयत्नाभावेनाऽऽन्यानायोगात् ।^१ अचेलपरोपह को चर्चा करने हुए आचार्य कहते हैं कि चौर धमनाधना में एकान्तत्वं न जायक नहीं है । धम का सामासिक जायक-करण तो एवम है । अतः मध्याय चौर हो धर्मनाधना में जायक है । विन प्रकार धमविद्धि के लिए चौर धारण किया जाना है और उहा विना प्रादि न तोषण किया जाता है उसी प्रकार पात्र और चार भी परविद्धि के लिए हो है । ऐसा कि जायक निदसेन कहने है :^२

मोक्षाय धर्मनिद्धयर्थं, चौरं धार्यते यथा ।

चौरधारणार्थं च, भेदप्रहणमिष्यते ॥ १ ॥

तथेवोपग्रहार्थं, पात्र चौरमिष्यते ।

जिनैवप्रह माधारिष्यते न परिग्रह ॥ २ ॥

आगे द्वाी अध्ययन की वृत्ति में अदखल और वास्त्यायत का भी नामोल्लेख किया गया है ।^३

चतुरगोप नामक तृतीय अध्ययन की वृत्ति में आमश्यत्पूर्णि, वाचक (निदनेन) और गिरनमं का नामोल्लेख है ।^४ गिरनमं की 'जोगा पयडिपएम् ठित्तिअणुभाग ' गाथा की प्रथम पंक्ति भी उद्धृत की गयी है ।

चतुर्थ अध्ययन की व्याख्या में जोषकरण का स्वरूप बताते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि जोषभावकरण दो प्रकार का है श्रुतकरण और नोश्रुतकरण । श्रुतकरण पुन दो प्रकार का है वद्ध और अवद्ध । वद्ध के दो भेद हैं निशोय और अनिशोय । ये पुन लौकिक और लोकोत्तर भेद से दो प्रकार के हैं । निशोयादि मूत्र लोकोत्तर निशोयश्रुत के अन्तर्गत हैं जबकि वृहदारण्यकादि लौकिक निशोयश्रुत में समाविष्ट हैं । आचारादि लोकोत्तर अनिशोयश्रुत के

१ पृ० ६७ (२).

२ पृ० ८० (२)

३ पृ० ९५ (२)

४. पृ० १३१ (१) ५ पृ० १७२ (१), १८५ (२), १९० (१)

अन्तर्गत है जबकि पुराणादि का लौकिक अनिशीथश्रुत में समावेश है। इसी प्रकार अबद्ध श्रुत भी लौकिक और लोकोत्तर भेद से दो प्रकार का होता है।^१ आचार्य-परम्परा से चले आने वाले अनेक प्रकार के कथानक आदि अबद्ध श्रुत के अन्तर्गत हैं।

क्षुल्लकनिग्रन्थीय नामक छोटे अध्ययन की व्याख्या में निग्रन्थ के भेद-प्रभेदों की चर्चा करते हुए 'आह च भाष्यकृत्' ऐसा कहते हुए टीकाकार ने चौदह भाष्य-गाथाएँ उद्धृत की हैं^२ जो उत्तगध्ययनभाष्य की ही प्रतीत होती हैं।^३

आठवे अध्ययन—कापिलीयाध्ययन के विवेचन में ससार की अनित्यता का प्रतिपादन करते हुए 'तथा च हारिलवाचक' इन शब्दों के साथ हारिलवाचक का निम्न श्लोक उद्धृत किया गया है^३

चल राज्यैश्वर्यं धनकनकसार परिजनो,
नृपाद्वाल्लभ्य च चलममरसौख्य च विपुलम् ।
चल रूपाऽऽरोग्य चलमिह चर जीवितमिद,
जनो दृष्टो गो वै जनयति सुख सोऽपि हि चल ॥

नमिप्रव्रज्या नामक नववे अध्ययन के विवरण में 'यत आह आससेन' ऐसा निर्देश करते हुए अष्टमी और पूर्णिमा के दिन नियत रूप से पोषध का विधान करने वाली निम्नलिखित आससेनीय (अश्वसेनीय) कारिका उद्धृत की गई है -^४

सर्वेष्वपि तपोयोग , प्रशस्तः कालपर्वसु ।
अष्टम्या पचदश्या च, नियत पोषध वसेद् ॥

प्रवचनमात्राख्य चौबीसवें अध्ययन की वृत्ति के अन्त में गुप्ति का स्वरूप बताते हुए टीकाकार ने 'उक्त हि गन्धहस्तिना' ऐसा लिखते हुए आचार्य गन्धहस्ती का एक वाक्य उद्धृत किया है। वह इस प्रकार है सम्यगागमानु-सारेणारक्तद्विष्टपरिणतिसहचरिनमनोव्यापार. कायव्यापारो वाग्व्यापा-रञ्च निर्व्यापारता वा वाक्काययोगुप्तिरिति।^५

जीवाजीवविभक्ति नामक छत्तीसवें अध्ययन की व्याख्या में जिनेन्द्रबुद्धि का नामोल्लेख किया है एव धर्माधिमास्तिकाय के वर्णन के प्रसंग पर उनका एक वाक्य भी उद्धृत किया गया है।^६ स्त्रीशब्द का विवेचन करते हुए आगे टीकाकार ने

१ पृ० २०४ २ द्वितीय विभाग, पृ० २५७ ३. २८९ (१)
४ पृ० ३१५ (१). ५. तृतीय विभाग, पृ० ५१९. ६ पृ० ६७२ (२).

सौनिर्वाणमूत्र का उल्लेख दिया है तथा एतद्विषयक उसकी मान्यता उद्धृत की है ।

अन्त में टोकाकार ने अपना यथान्त परिचय इस प्रकार दिया है -

अस्मि विन्तारवानुष्ठी, गुग्गुलुगान्धमन्वित ।

आसेव्यो भव्यनापाना, श्रीकोटिकनण्डुम ॥१॥

तदुत्थवेन्नागायामभृदायनिगान्धिनो ।

विशाला पतिशामेध, श्रीचन्द्रगुग्गुलुगान्धनि ॥२॥

तस्याश्चोत्पद्यमानच्छनिचयमद्गतात्तत्तन्वियोत्थ,

श्रीधारापद्मच्छनिचयभ्रमदमदुर्गच्छिन्नतपानात् ।

श्रीशान्त्वान्नाचंनुष्ठी यदिदमुदगिरद्व्यान्मघ श्रीधपेय,

तद् भो भव्या । त्रिशपद्ममत्तमो नृक्षता लिङ्गना च ॥ ३ ॥



अष्टम प्रकरण

द्रोणसूरिकृत ओघनियुक्ति-वृत्ति

द्रोणसूरि ने ओघनियुक्ति पर टीका लिखी है। इसके अतिरिक्त इनकी कोई टीका नहीं है। इन्होंने अभयदेवसूरिकृत टीकाओं का सशोधन किया था। ये पाटनसध के प्रमुख पदाधिकारी थे एवं विक्रम की ग्यारहवीं-बारहवीं शती में विद्यमान थे।

प्रस्तुत वृत्ति^१ ओघनियुक्ति एवं इसके लघुभाष्य पर है। वृत्ति की भाषा सरल एवं शैली सुगम है। मूल पदों के शब्दार्थ के साथ ही साथ तद्-तद् विषय का भी शका-समाधान पूर्वक सक्षिप्त विवेचन किया गया है। कहीं-कहीं प्राकृत और संस्कृत उद्धरण भी दिये गये हैं। प्रारम्भ में आचार्य ने पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया है :

अर्हद्भ्यस्त्रिभुवनराजपूजितेभ्य ,
सिद्धेभ्य सितधनकर्मबन्धनेभ्यः ।
आचार्यश्रुतधरसर्वासयतेभ्य ,
सिद्धचर्थी सततमहं नमस्करोमि ॥

तदनन्तर प्रस्तुत नियुक्ति का सदर्थ बताते हुए वृत्तिकार ने लिखा है कि यह आवश्यकानुयोगसम्बन्धी व्याख्यान है। उसमें सामायिक नामक प्रथम अध्ययन का निरूपण चल रहा है। उसके चार अनुयोगद्वार हैं उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय। इनमें से अनुगम के दो भेद हैं - नियुक्त्यनुगम और सूत्रानुगम। नियुक्त्यनुगम तीन प्रकार का है निक्षेप, उपोद्घात और सूत्रस्पर्श। इनमें से उपोद्घात-नियुक्त्यनुगम के उद्देश, निर्देश आदि २६ भेद हैं। उनमें से काल के नाम, स्थापना, द्रव्य, अद्धा, यथायुष्क, उपक्रम, देश, काल, प्रमाण, वर्ण, भाव आदि भेद हैं। इनमें से उपक्रमकाल दो प्रकार का है - सामाचारी और यथायुष्क। सामाचारी-उपक्रमकाल तीन प्रकार का है ओघ, दशधा और पदविभाग। इनमें जो ओघसामाचारी है वही ओघनियुक्ति है। प्रस्तुत ग्रंथ में इसी का व्याख्यान है। द्रोणाचार्य ने अपनी टीका के प्रारम्भ में इस सदर्थ को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है .^१

'प्रकान्तोऽयमावश्यकानुयोग' तत्र च सामायिकाध्ययनमनुवर्तते, तस्य च चत्वार्यनुयोगद्वाराणि भवन्ति महापुरस्येव, तद्यथा-उपक्रम निक्षेपः अनुगम. नय इति, एतेषां चाध्ययनादौ उपन्यासे इत्य च क्रमोपन्यासे प्रयोजनमभिहितम् । तत्रोपक्रमनिक्षेपावुवती, अधुनाऽनुगमावसर, सच्च द्विधा-निर्युक्त्यनुगमः सूत्रानुगमश्च, तत्र निर्युक्त्यनुगमस्त्रेधा निक्षेपोपोद्घातसूत्रस्पर्शानिर्युक्त्यनुगमभेदात्, तत्र निक्षेपनिर्युक्त्यनुगमोऽनुगतो वक्ष्यमाणश्च, उपोद्घातनिर्युक्त्यनुगमस्त्वाभ्यां द्वाभ्यां द्वारगाथाभ्यामनुगन्तव्यः—'उद्देसे निद्देसे य'^३ इत्यादि । अस्य च द्वारगाथाद्वयस्य समुदायार्थोऽभिहितः, अधुनाऽवयवार्थोऽनुवर्तते, तत्रापि कालद्वारावयवार्थः, तत्प्रतिपादनार्थं चेद प्रतिद्वारगाथासूत्रमुपन्यस्तम्—'द्वे अद्द अदाज्य उवक्कम'^३ इत्यादि । अस्यापि समुदायार्थो व्याख्यातः साम्प्रतमवयवार्थः. तत्राप्युपक्रमकालाभिधानार्थमिदं गाथासूत्रमाह—'द्विविहोवक्कमकालो सामायारो अहाउय चैव । सामायारो तिविहा ओहे दसहा पयविभागे ॥१॥ तत्रोपक्रम इति क' शब्दार्थः ? उपक्रमणं उपक्रम, उपशब्दः सामीप्ये 'क्रमु पादविक्षेपे उपेति सामीप्येन क्रमण उपक्रम—दूरस्थस्य समीपापादनमित्यर्थः, तत्रोपक्रमो द्विधा-सामाचार्युपक्रमकालः यथायुष्कोपक्रमकालश्च, तत्र सामाचार्युपक्रमकालम्विविध ओघसामाचार्युपक्रमकाल दशधासामाचार्युपक्रमकाल पदविभागसामाचार्युक्रमकालश्च । तत्रोघसामाचारी—ओघनिर्युक्तिः। तत्रोघसामाचारी तावदभिधीयते. .. ।'

वृत्ति में अनेक स्थानो पर आचार्यं ने इदानीमेनामेव गाथा भाष्यकृद् व्याख्यानयति', 'इदानी भाष्यकारो गाथाद्वय व्याख्यानयन्नाह'^{१५} इदानी-मेतदेव भाष्यकारो गाथाद्वय व्याख्यानयन्नाह'^{१६} इत्यादि शब्दों के साथ भाष्य-गाथाओं का व्याख्यान किया है । प्रस्तुत संस्करण में भाष्य की गाथा-संख्या ३२२ है तथा निर्युक्ति की गाथा संख्या ८११ है । इस प्रकार निर्युक्ति और भाष्य दोनों को मिलाकर ११३३ गाथाएँ हैं ।



१. आवश्यकनिर्युक्ति, गा० १४०-१.

२. वही, गा० ६६१

३. पृ० २०५.

४. पृ० २०८

५. पृ० २१०

नवम प्रकरण

अभयदेवविहित वृत्तियां

विक्रम की बारहवी और तेरहवी शताब्दी के बीच के समय में निम्न—
लिखित सात टीकाकारों ने आगम-ग्रथों पर टीकाएँ लिखी हैं: १ द्रोणसूरि,
२. अभयदेवसूरि, ३ मलयगिरिसूरि, ४ मलघारी हेमचन्द्रसूरि, ५ नेमि
चन्द्रसूरि (देवेन्द्रगणि), ६ श्रीचन्द्रसूरि और ७. श्रीतिलकसूरि। इनमें से
अभयदेवसूरि ने निम्न आगम-ग्रथों पर टीकाएँ लिखी हैं : अग ३—११ और
औपपातिक। अग ३, ४ और ६ की टीकाएँ वि स ११२० में लिखी गईं।
पंचम अग की टीका वि स ११२८ में पूर्ण हुई। अन्य टीकाओं की रचना
का ठीक-ठीक समय अज्ञात है। उपर्युक्त टीकाओं के अतिरिक्त प्रज्ञापनातृतीय-
पदसग्रहणी, पंचाशकवृत्ति, जयतिहुणस्तोत्र, पचनिग्रन्थी और सप्ततिकाभाष्य भी
अभयदेव की ही कृतियां हैं।

प्रभावकचरित्र में अभयदेवसूरि का जीवन-चरित्र इस प्रकार अंकित किया
गया है

भोज के शासनकाल में धारा नगरी में एक धनाढ्य सेठ रहता था जिसका
नाम लक्ष्मीपति था। उसके पास रहने वाले मध्यप्रदेश के एक ब्राह्मण के श्रीघर
और श्रीपति नामक दो पुत्र थे। उन ब्राह्मण युवकों ने आचार्य वर्धमानसूरि से
दीक्षा अंगीकार की। आगे जाकर वे जिनेश्वर और बुद्धिसागर के नाम से
प्रसिद्ध हुए।

वर्धमानसूरि पहले-कूचंपुर (कूचेरा) के चैत्यवासी आचार्य थे और ८४
जिनमन्दिर उनके अधिकार में थे। बाद में उन्होंने चैत्यवास का त्याग कर
सुविहित मार्ग अंगीकार किया था। उस समय पाटन में चैत्यवासियों का
प्रभुत्व था और वह यहाँ तक कि उनकी सम्मति के बिना सुविहित साधु पाटन
में नहीं रह सकते थे। वर्धमानसूरि ने अपने विद्वान् शिष्य जिनेश्वरसूरि और
बुद्धिसागरसूरि को वहाँ भेज कर पाटन में सुविहित साधुओं का विहार एवं
निवास प्रारम्भ कराने का विचार किया। इस विचार से उन्होंने अपने दोनों
शिष्यों को पाटन की ओर विहार करने की आज्ञा दी। जिनेश्वर और बुद्धि-
सागर पाटन पहुँचे किन्तु वहाँ उन्हें ठहरने के लिए उपाश्रय नहीं मिला। अन्त
में वे वहाँ के पुरोहित सोमेश्वर के पास पहुँचे और उसे अपनी विद्वत्ता से

प्रभावित कर उसी के मकान में ठहर गए। जब यह बात चैत्यवासियों को मालूम हुई तो वे तुरन्त पुरोहित के पास पहुँचे और उसे उन्हें निकालने के लिए बाध्य किया। पुरोहित सोमेश्वर ने उनकी बात मानने से इनकार करते हुए कहा कि इसका निर्णय राजसभा ही कर सकती है। चैत्यवासी राजा से मिले और उसे वनराज के समय से पाटन में स्थापित चैत्यवासियों को सार्वभौम सत्ता का इतिहास बताया जिसे सुनकर दुर्लभराज को भी लाचार होना पड़ा। अन्त में उसने अपने व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग कर उन साधुओं को वहाँ रहने देने का आग्रह किया जिसे चैत्यवासियों ने स्वीकार किया।

इस घटना को देख कर पुरोहित सोमेश्वर ने राजा से प्रार्थना की कि सुविहित साधुओं के लिए एक स्वतन्त्र उपाश्रय का निर्माण कराया जाए। राजा ने इस कार्य का भार अपने गुरु शैवाचार्य ज्ञानदेव पर डाला। परिणाम-स्वरूप पाटन में उपाश्रय बना।

कुछ समय बाद जिनेश्वरसूरि ने घागनगरी की ओर विहार किया। धारानिवासी सेठ धनदेव के पुत्र अभयकुमार को दीक्षित कर अभयदेव के नाम से अपना शिष्य बनाया। योग्यता प्राप्त होने पर वर्धमानसूरि के आदेश से अभयदेव को आचार्य-पद प्रदान कर अभयदेवसूरि बना दिया गया।

वर्धमानसूरि का स्वर्गवास होने के बाद अभयदेवसूरि पत्यपद्र नगर में रहे। वहाँ उन्होंने स्थानाग आदि नव अंगों पर टीकाएँ लिखीं। टीकाएँ समाप्त कर अभयदेव धवलक—घोलका नगर में पहुँचे। वहाँ उन्हें रक्तविकार की बीमारी हो गई जो थोड़े समय बाद ठीक हो गई। प्रभावक-चरित्र में इसका श्रेय धरणेन्द्र को दिया गया है। अभयदेवसूरि गामन की प्रभावना करते हुए राजा कर्ण की राजधानी पाटन में योगनिरोध द्वारा वासना को परास्त कर स्वर्गवासी हुए।

प्रभावकचरित्रकार के मतानुसार ऐसा प्रतीत होता है कि अभयदेव ने पत्यपद्र नगर में जाने के बाद अग-साहित्य की टीकाएँ लिखी थीं। यह मान्यता स्वयं अभयदेव के उल्लेखों से खण्डित होती है। इन्होंने अनेक स्थानों पर इन टीकाओं की रचना पाटन में होने का उल्लेख किया है और लिखा है कि पाटन के सध-प्रमुख द्रोणाचार्य प्रभृति ने इनका आवश्यक सशोधन किया है।

प्रभावकचरित्र में अभयदेव के स्वर्गवास का समय नहीं दिया गया है। इसमें केवल इतना ही लिखा है कि 'वे पाटन में कर्णराज के राज्य में स्वर्गवासी हुए।' पट्टावलियों में अभयदेवसूरि का स्वर्गवास वि. स. ११३५ में तथा दूसरे मत के अनुसार वि. स. ११३९ में होने का उल्लेख है। उनमें पाटन के बजाय कपडवज ग्राम में स्वर्गवास होना बताया गया है।

स्थानागवृत्ति :

प्रस्तुत वृत्ति^१ स्थानाग के मूल सूत्रों पर है। यह वृत्ति शब्दार्थ तक ही सीमित नहीं है। इसमें सूत्रसम्बद्ध प्रत्येक विषय का आवश्यक विवेचन एवं विश्लेषण भी है। विश्लेषण में दार्शनिक दृष्टि की स्पष्ट झलक है। प्रारम्भ में आचार्य ने भगवान् महावीर को नमस्कार किया है तथा स्थानाग का विवेचन करने की प्रतिज्ञा की है।

श्रीवीर जिननाथ नत्वा स्थानाङ्गकतिपयपदानाम् ।
प्रायोऽन्यशास्त्रदृष्ट करोम्यह विवरण किञ्चित् ॥

मगल का आवश्यक विवेचन करने के बाद सूत्रस्पर्शिक विवरण प्रारम्भ किया है। 'एगो आया' (अ १ सू २) का व्याख्यान करते हुए वृत्तिकार ने अनेक दृष्टियों से आत्मा की एकता-अनेकता की सिद्धि की है। अपने वक्तव्य की पुष्टि के लिए जगह-जगह 'तथाहि', 'यदुक्तम्', 'तथा', 'उक्तञ्च', 'आह च', 'तदुक्तम्', 'यदाह' आदि शब्दों के साथ अनेक उद्धरण दिये हैं। आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व की सिद्धि करते हुए विशेषावश्यकभाष्य को एतद्विषयक अनेक गाथाएँ उद्धृत की हैं। आत्मा को अनुमानगम्य बताते हुए टीकाकार कहते हैं - तथाऽनुमानगम्योऽप्यात्मा तथाहि—विद्यमानकर्तृकमिदं शरीर भोग्यत्वाद्, ओदनादिवत्, व्योमकुसुम विपक्षः, स च कर्ता जीव इति, नन्वोदन-कर्तृवन्मूर्त्तं आत्मा सिद्धयतीति साध्यविरुद्धो हेतुरिति, नैवं, ससारिणो मूर्त्तत्वेनाप्यभ्युपगमाद्, आह च— अनुमान से भी आत्मा की सिद्धि होती है वह अनुमान इस प्रकार है इस शरीर का कोई कर्ता अवश्य होना चाहिए क्योंकि यह भोग्य है। जो भोग्य होता है उसका कोई कर्ता अवश्य होता है जैसे ओदन-भात का कर्ता रसोइया। जिसका कोई कर्ता नहीं होता वह भोग्य भी नहीं होना जैसे आकाश-कुसुम। इस शरीर का जो कर्ता है वही आत्मा है। यदि कोई यह कहे कि रसाइये की तरह आत्मा की भी मूर्त्तता सिद्ध होती है और ऐसी दशा में प्रस्तुत हेतु साध्यविरुद्ध हो जाता है तो ठीक नहीं क्योंकि ससारी आत्मा कथ-

१. (अ) आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९१८-२०.

(आ) रायबहादुर घनपतिसिंह, बनारस, सन् १८८०.

(इ) माणिकलाल चुनीलाल व कान्तिलाल चुनीलाल, अहमदाबाद, सन् १९३७ (द्वितीय संस्करण).

२. अहमदाबाद-संस्करण, पृ० १० (२).

चित् मूलं भी है। इन प्रकार की दार्शनिक चर्चा प्रस्तुत वृत्ति में अनेक स्थानों पर देखने को मिलती है। दार्शनिक दृष्टि के साथ ही माय वृत्तिकार ने निक्षेप-पद्धति का भी उपयोग किया है जिनमें नियुक्तियों और भाष्यों की शैली स्पष्ट-रूप से उल्लेखिता है।^१ वृत्ति में यत्र-तत्र कुछ मन्त्रिय कथानक भी है जो मुख्यतः दृष्टान्तों के रूप में हैं।^२

वृत्ति के अन्त में आचार्य ने अपना आनुप्रासिक परिचय देते हुए बताया है कि मैंने यह टीका यशोदेवगणि को गहायना में पूज की है।

'तत्तमाप्तो च समाप्त स्थानाङ्गविवरण, तथा च यदादावभिहित स्थानाङ्गस्य महानिधानस्यैवोन्मुद्रणभिवानुयोग प्रारभत इति तच्चन्द्र-कुलीनप्रवचनप्रणीताप्रनिब्रद्धविहारहारिचरितश्रीवर्धमानाभिधानमुनिपति-पादोपमेविन पमाणादिव्युत्पादनप्रवणप्रकरणप्रबन्धप्रणयिन प्रबुद्धप्रति-बन्धप्रववतृप्रवोणाप्रतिहृतपवचनार्थप्रधानवाकप्रमरस्य सुविहितमुनिजन-मुह्यस्य श्रीजनेश्वराचार्यस्य तदनुजन्म्य च व्याकरणादिशास्त्ररत्नं श्रीवृद्धिमागराचार्यस्य चरणरमलचररीककल्पेन श्रीमदभयदेवमूरिनाम्ना कया महावीरजिनराजसन्तानवर्तिना महाराजवशजन्मनेव संविग्नमुनि-वर्गश्रीमदजितर्मिहाचार्यान्तेत्रामियशोदेवगणिनामनेपनाधोरुत्तरसाधकस्येव विद्याक्रियाप्रधानस्य साहाय्येन समर्थितम्।'^३

प्रस्तुत कार्य-त्रयपक अनेक प्रकार की कठिनाइयों को दृष्टि में रगते हुए विवरणकार ने अति विनम्र श-श में अपनी दृष्टियाँ स्वीकार की हैं। साथ ही अपनी कृतियों को आशोपान्त पत्रकर आवश्यक सशोधन करने वाले श्रोणाचार्य का भी मादर नामोल्लेख किया है। टीका के रचना-काल का निर्देश करते हुए बताया है कि प्रस्तुत टीका विरुम मन् ११२० में लिगी गई।^४

सत्तमप्रदायहीनत्वात्, सदूहस्य वियोगतः।

सर्वस्वपरशाखाणामदृष्टेरस्मृतेश्च मे॥ १ ॥

वाचनानामनेकत्वात्, पुस्तकानामशुद्धितः।

सूत्राणामतिगाम्भीर्यान्मितभेदाच्च कुत्रचित् ॥ २ ॥

क्षूणानि सम्भवन्तीह, केवल सुविवेकिभिः।

सिद्धान्तानुगतो योऽर्थ सोऽस्माद् ग्राह्यो न चेतारः ॥ ३ ॥

१. पृ० १२, २३, ९६, ९७, २४२, २ पृ० २४२, २६२, २६६, ३८९.

२. पृ० ४९९ (२). ४. पृ० ४९९ (२)-५००.

शोध्य चैतज्जिने भक्तैर्ममिवद्भिर्दयापरैः ।
 ससारकारणाद् घोरादपसिद्धान्तदेशनात् ॥ ४ ॥
 कार्या न चाक्षमाऽस्मासु, यतोऽस्माभिरनाग्रहैः ।
 एतद् गमनिकामात्रमुपकारीति चर्चितम् ॥ ५ ॥
 तथा सम्भाव्य सिद्धान्ताद्, बोध्य मध्यस्थया धिया ।
 द्रोणाचार्यादिभिः प्राज्ञैरनेकैरादृत यतः ॥ ६ ॥
 जैनग्रन्थविशालदुर्गभवनादुच्चित्य गाढश्रमं,
 सद्ब्याख्यानफलान्यमूनि मयका स्थानाङ्गसद्भाजने ।
 सस्थाप्योपहितानि दुर्गतनरप्रायेण लब्धर्थिना,
 श्रीमत्सङ्घविभोरतः परमसावेव प्रमाण कृती ॥ ७ ॥
 श्रीविक्रमादित्यनरेन्द्रकालाच्छतेन विशत्यधिकेन युक्ते ।
 समासहस्रेऽतिगते विदूब्धा, स्थानागटीकाऽल्पधियोऽपि गम्या ॥ ८ ॥

टीका का ग्रन्थमान १४२५० श्लोक-प्रमाण है ^१

प्रत्यक्षर निरूप्यास्या, ग्रन्थमान विनिश्चितम् ।
 अनुष्टुभा सपादानि, सहस्राणि चतुर्दश ॥

समवायागवृत्ति

प्रस्तुत वृत्ति^२ चतुर्थ अग समवायाग के मूल सूत्रो पर है । यह न तो अति सक्षिप्त है और न अति विस्तृत । प्रारम्भ में आचार्य ने वर्धमान महावीर को नमस्कार किया है तथा विद्वज्जनो से प्रार्थना की है कि वे परम्परागत अर्थ के अभाव अथवा अज्ञान के कारण वृत्ति में सम्भावित विपरीत प्ररूपण को शोधने की कृपा करें :

श्रीवर्धमानमानम्य, समवायागवृत्तिका ।
 विधीयतेऽन्यशास्त्राणा, प्रायः समुपजीवनात् ॥ १ ॥

१ पृ० ५००

२ (अ) रायबहादुर धनपतिमिह, बनारस, सन् १८८०.

(आ) आगमोदय समिति, सूरत, सन् १९१९

(इ) मफनलाल क्षवेरचन्द्र, अहमदाबाद सन् १९३८

(ई) गुजराती अनुवादमहित—जैनधर्म प्रसारक समा, भावनगर, वि० स० १९९५.

दु सम्प्रदायादसदूहनाद्वा, भणिष्यते यद्वितथं मयेह ।

तद्विधनैर्मामनुकम्पयद्भिः, शोध्य मतार्थक्षतिरस्तु मेव ॥ २ ॥

समवायाग का अर्थ बताते हुए वृत्तिकार कहते हैं -^१

‘समिति—सम्यक्, अवेत्याधिक्येन, अयनमय.—परिच्छेदो जीवा-
जीवादिविविधपदार्थसार्थस्य यस्मिन्नसौ समवायः, समवयन्ति वा—
समवतरन्ति समिलन्ति नानाविधा आत्मादयो भावा अभिधेयतया
यस्मिन्नसौ समवाय इति । स च प्रवचनपुरुषस्याङ्गमिति समवायाङ्गम् ।’

‘समवाय’ में तीन पद हैं : ‘सम्’, ‘अव’ और ‘अय’ । ‘सम्’ का अर्थ है
सम्यक्, ‘अव’ का अर्थ है आधिक्य और ‘अय’ का अर्थ है परिच्छेद । जिसमें
जीवाजीवादि विविध पदार्थों का सविस्तर सम्यक् विवेचन है वह समवाय है ।
अथवा जिसमें आत्मादि नाना प्रकार के भावों का अभिधेयरूप से समवाय—
समवतार—समिलन है वह समवाय है । वह प्रवचनपुरुष का अग्ररूप होने से
समवायाग है ।

प्रथम सूत्र का व्याख्यान करते हुए टोकाकार ने एक जगह पाठान्तर भी
दिया है । ‘जबुद्देवे दीवे एग जोयणसयसहस्स आयामविकखभेण’ के स्थान
पर ‘जबुद्दीवे दीवे एग जोयणसयसहस्स चक्कवालविकखभेण’ ऐसा पाठ
भी मिलता है . नवर जबुद्दीवे’ इह सूत्रे ‘आयामविकखभेण’ति क्वचित्
पाठो दृश्यते । न्वचित्तु ‘चक्कवालविकखभेण’ति^२ । इन पाठों का अर्थ करते
हुए आचार्य कहते हैं : तत्र प्रथम- सम्भवति, अन्यत्रापि तथा श्रवणात्,
सुगमश्च, द्वितीयस्त्वेव व्याख्येय—चक्कवालविक्कम्भेन वृत्तव्यासेन ।^३
प्रथम पाठ सम्भव है क्योंकि यह अन्यत्र भी उपलब्ध है । अर्थ सुगम है । द्वितीय
पाठ का अर्थ है वृत्तव्यास ।

वृत्ति में अनेक स्थानों पर प्रज्ञापना सूत्र का उल्लेख है तथा एक जगह
गन्धहस्ती (भाष्य) का भी उल्लेख है . गन्धहस्त्यादिष्वपि तथैव दृश्यते,
प्रज्ञापनाया त्वेकत्रिंशदुक्तेति मतान्तरमिद ।^३ यह वृत्ति वि० सं० ११२० में
अणहिलपाटक (पाटन) में लिखी गई । इसका ग्रथमान ३५७५ श्लोकप्रमाण
है ।^४

शिष्येणाभयदेवाख्यसूरिणा विवृति कृता ।

श्रीमत समवायाख्यतुर्याङ्गस्य समासतः ॥ ७ ॥

१ अहमदावाद-संस्करण, पृ० १, २ पृ० ५ (२) ३ वही.

३. पृ. १३० (१) ४. पृ. १४८

एकादशसु शतेष्वथ विंशत्यधिकेषु विक्रमसमानाम् ।
अणहिलपाटकनगरे रचिता समवायटीकेयम् ॥ ८ ॥
प्रत्यक्षरं निरूप्यास्या ग्रन्थमान विनिश्चितम् ।
त्रीणि श्लोकसहस्राणि, पादन्यूना च षट्शती ॥ ९ ॥

व्याख्याप्रज्ञप्तिवृत्ति

प्रस्तुत वृत्ति^१ व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती) के मूल सूत्रो पर है । यह सक्षिप्त एव शब्दार्थप्रधान है । इसमें यत्र-तत्र अनेक उद्धरण अवश्य हैं जिनसे अर्थ समझने में विशेष सहायता मिलती है । उद्धरणों के अतिरिक्त आचार्य ने अनेक पाठान्तर और व्याख्याभेद भी दिये हैं जो विशेष महत्त्व के हैं । सर्वप्रथम आचार्य सामान्यरूप से जिन को नमस्कार करते हैं । तदनन्तर वर्धमान, सुधर्मा, अनुयोगवृद्धजन तथा सर्वज्ञप्रवचन को प्रणाम करते हैं । इसके बाद इसी सूत्र की प्राचीन टीका और चूर्णी तथा जीवाभिगमादि की वृत्तियों की सहायता से पंचम अग व्याख्याप्रज्ञप्ति का विवेचन करने का सकल्प करते हैं । एतदथगभित् श्लोक ये हैं -

सर्वज्ञमीश्वरमनन्तमसङ्गमग्र्य, सर्वीयमस्मरमनीशमनीहमिद्धम् ।
सिद्धं शिवं शिवकरं करणव्यपेत, श्रीमज्जिन जितरिपु प्रयत-प्रणौमि ॥१॥

नत्वा श्रीवर्धमानाय, श्रीमते च सुधर्मर्णे ।
सर्वानुयोगवृद्धेभ्यो, वाण्यै सर्वविदस्तथा ॥ २ ॥
एतद्वीका-चूर्णी-जीवाभिगमादिवृत्तिलेशाश्च ।
संयोज्य पञ्चमाङ्ग विवृणोमि विशेषतः किञ्चित् ॥ ३ ॥

व्याख्याप्रज्ञप्ति का शब्दार्थ बताते हुए वृत्तिकार कहते हैं -

‘अथ ‘विआहपन्नत्ति’ त्ति कः शब्दार्थः? उच्यते विविधा जीवा जीवादिप्रचुरतरपदार्थद्विषयाः आ—अभिविधिना कथञ्चिन्नखिलज्ञेयव्या-

१. (अ) पूजाभाई हीराचन्द, रायचन्द जिनागम सग्रह, अहमदाबाद
- (आ) रायबहादुर घनपतिसिंह, बनारस, सन् १८८२
- (इ) एम० आर० मेहता, बम्बई, वि० स० १९१४.
- (ई) आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९१८-२१.
- (उ) ऋषभदेवजी केशरीमलजी जैन स्वताम्बर सस्था, रतलाम, (प्रथम भाग—श० १-७) सन् १९३७, (द्वितीय भाग—श० ८-१४) १९४०.

प्या मर्यादया वा—परस्परासकीर्णलक्षणाभिधानरूपयाख्यानानि—भगवतो महाबोरन्थ गोतमादिविनेयान् प्रति प्रशिनतपदार्थप्रतिपादनानि व्याख्यास्ता. प्रज्ञाप्यन्ते—प्रहृष्यन्ते भगवता मुधर्मस्वामिना जम्बूनामानमभियस्याम्, अथवा त्रिविधतया विशेषेण वा आख्यायन्त इति व्याख्या—अभिलाप्यपदार्थवृत्तयस्ताः प्रज्ञाप्यन्ते यस्याम्, अथवा व्याख्यानाम्—अर्थप्रतिपादनाना प्रकृष्टा ज्ञपयो—ज्ञानानि यस्या मा व्याख्याप्रज्ञप्ति, अथवा . 1^१

इस प्रकार वृत्तिकार ने विविध दृष्टियों से व्याख्याप्रज्ञप्ति के दस अर्थ बताये हैं। आगे भी अनेक शब्दों के व्याख्यान में इन्हीं प्रकार का अर्थ-वैविध्य दृष्टिगोचर होता है^२ जो वृत्तिकार के व्याख्यान-कौशल का परिचायक है।

प्रथम सूत्र “णमो अरिहताण, णमो सिद्धाण, णमो आयरियाण, णमो उवज्जायाण, णमो सव्वसाहूण, का व्याख्यान करते हुए वृत्तिकार ने पंचम पद ‘णमो सव्वसाहूण’ के पाठान्तर के रूप में ‘नमो लोए सव्वसाहूण’ भी दिया है नमो लोए सव्वसाहूण’ ति व्वचित्पाठ^३। चतुर्थ सूत्र ‘तेण कालेण तेण समएण रायगिहे . .’ की व्याख्या में आचार्य ने बताया है कि ‘णमो अरिहताण .’ आदि प्रथम तीन सूत्रों का मूलटीकाकार—मूलवृत्तिकार ने व्याख्यान नहीं किया। उन्होंने इसका कोई विशेष कारण नहीं बताया है. अथ च प्राग् व्याख्यातो नमस्कारादिको ग्रन्थो वृत्तिकृता न व्याख्यात, कुतोऽपि काग्णादिति।^४ ये वृत्तिकार अथवा टीकाकार कौन हैं? मभवत् यह उल्लेख आचार्य शीलाक की टीका का है जो प्रथम ती अगो के टीकाकार माने जाने हैं किन्तु जिनको प्रथम दो अगो की टीकाएँ ही उपलब्ध हैं। आचार्य शीलाक के अतिरिक्त अन्य किसी ऐसे टीकाकार का उल्लेख नहीं मिलता जिसने अभयदेवसूरि के पूर्व व्याख्याप्रज्ञप्ति की टीका लिखी हो। चूर्णि का उल्लेख तो प्रसृत वृत्ति के प्रारंभ में ही अलग से किया गया है अतः यह टीका चूर्णिहृत् भी नहीं हो सकती। आगे की वृत्ति में भी अनेक बार मूलटीकाकार अथवा मूलवृत्तिकार का उल्लेख किया गया है

‘मूलटीकाकृता तु ‘उच्छूढसरीरसखित्तविउल्लेतयलेस’ त्ति कम्मधारय कृत्वा व्याख्यातमिति’^५ ‘एतच्च टीकाकारमतेन व्याख्यातम्,’^६

१ रतलाम-सस्करण, पृ० २-३

३. पृ० ६.

५ पृ० २०

२ पृ० ४, ५, ६, १२, १५, १८, १९, ६२.

४ पृ० १०

६ पृ० २९.

‘वृत्तिकृता तु द्वितीयोप्रश्नोत्तरविकल्प एवविधो दृष्टः,’^१ ‘वृद्धैस्तु इह सूत्रे कुतोऽपि वाचनाविशेषाद् यत्राशीतिस्तत्राप्यभङ्गकमिति व्याख्यातमिति,’^२ टीकाकारस्त्वेवमाह—किमवस्थित एव जीवा देशमपनीय यत्रोत्पत्तव्य तत्र देशत उत्पद्यते . एतच्च टीकाकारव्याख्यान वाचनान्तर-विषयमिति,^३ ‘टीकाकारव्याख्यानं त्विहभवायुयंदा प्रकरोति—वेदयते इत्यर्थः।^४ वृत्तिकार ने प्रस्तुत वृत्ति में सिद्धसेन दिवाकर और जिनभद्रगणिक्रमाश्रमण का भी उल्लेख किया है : तत्र च सिद्धसेनदिवाकरा मन्यते—केवलिनो युगपद् ज्ञान दर्शन च, अन्यथा तदावरणक्षयस्य निरर्थकता स्यात्, जिनभद्रगणिक्रमाश्रमणस्तु भिन्नसमये ज्ञानदर्शने, जीवस्वरूपत्वात् तथा तदावरणक्षयोपशमे समानेऽपि क्रमेणैव मतिश्रुतोपयोगौ न चैकत-रोपयोगे इतरक्षयोपशमाभावः . ।^५ चूर्णिकारसम्मत व्याख्या का भी वृत्तिकार ने कही-कही निर्देश किया है : ‘सद्वेण सव्व उववज्जइ’ सर्वेण तु सर्वं उत्पद्यते, पूर्णकारणसमवायाद् घटवदिति चूर्णिव्याख्या, टीकाकारस्त्वेवमाह ।^६

प्रत्येक शतक की वृत्ति के अन्त में टीकाकार ने वृत्ति-समाप्ति-सूचक एक-एक सुन्दर श्लोक दिया है। प्रारम्भ के चार शतको के श्लोक नीचे उद्धृत किये जाते हैं :

इति गुरुगमभङ्गैः सागरस्याहमस्य,

स्फुटमुपचितजाड्यं पञ्चमाङ्गस्य सद्यः ।

प्रथमशतपदार्थावर्त्तगर्तव्यतीतो,

विवरणवरपोतौ प्राप्य सद्द्विवराणाम् ॥

—प्रथम शतक का अन्त.

श्रीपञ्चमाङ्गे गुरुसूत्रपिण्डे, शत स्थितानेकशते द्वितीयम् ॥

अनैपुणेनापि मया व्यचारि, सूत्रप्रयोगज्ञवचोऽनुवृत्त्या ॥

—द्वितीय शतक का अन्त

श्री पञ्चमाङ्गस्य शत तृतीय, व्याख्यातमाश्रित्य पुराणवृत्तिम् ।

शक्तोऽपि गन्तु भजते हि यान, पान्थः सुखार्थं किमु यो न शक्त ॥

—तृतीय शतक का अन्त

१. पृ० ४०.

२. पृ० १३०.

३. पृ० १४७.

४. पृ० १७४.

५. पृ० १०५.

६. पृ० १४७.

स्वतः सुबोधेऽपि शते तुरीये, व्याख्या मया काचिदिय विदूब्धा ।
दुग्धे सदा स्वादुतमे स्वभावात्, क्षेपो न युक्तः किमु शर्करायाः ॥

—चतुर्थं शतक का अन्त.

वृत्ति के अन्त मे आचार्य ने अपनी गुरु-परम्परा बताते हुए अपना नामो-
ल्लेख किया है तथा बताया है कि अणहिलपाटक नगर मे वि० स० ११२८ मे
१८६१६ श्लोकप्रमाण प्रस्तुत वृत्ति समाप्त हुई :

एकस्तयोः सूरिवरो जिनेश्वरः, ख्यानस्तथाऽन्यो मुनि बुद्धिसागर ।
तयोर्विनेयेन विवृद्धिनाऽप्यल वृत्ति कृतैषाऽभयदेवसूरिणा ॥५॥

अष्टाविंशतियुक्ते वर्षसहस्रे शतेन चाभ्यधिके ।

अणहिलपाटकनगरे कृतेयमच्छुप्तधनिवसतौ ॥१५॥

अष्टादशसहस्राणि षट् शतान्यथ षोडश ।

इत्येव मानमेतस्या श्लोकमानेन निश्चितम् ॥१६॥

ज्ञाताधर्मकथाविवरण .

प्रस्तुत विवरण^१ सूत्रस्पर्शी है । इसमे शब्दार्थ की प्रधानता है । प्रारम्भ मे
विवरणकार ने महावीर को नमस्कार किया है तथा ज्ञाताधर्मकथाग का विवरण
प्रारम्भ करने का सकल्प किया है .

नत्वा श्रीमन्महावीर प्रायोऽन्यग्रथवीक्षितः ।

ज्ञाताधर्मकथाङ्गस्यानुयोगः कश्चिदुच्यते ॥१॥

प्रथम सूत्र के व्याख्यान में चम्पा नगरी का परम्परागत परिचय दिया
गया है । इसी प्रकार दूसरे सूत्र की व्याख्या मे पूर्णभद्र नामक चैत्य—व्यन्तरा-
यतन, तीसरे सूत्र की व्याख्या मे कोणिक नामक राजा—श्रेणिकराजपुत्र तथा
चतुर्थ सूत्र के विवरण में स्थविर सुधर्मा का परिचय है । पांचवे सूत्र के व्याख्यान
में ज्ञाताधर्मकथा के दो श्रुतस्कन्धो अर्थात् दो विभागो का परिचय देते हुए
बताया गया है कि प्रथम श्रुतस्कन्ध का नाम ज्ञात है जिसका अर्थ होता है
उदाहरण ज्ञातानि उदाहरणानि प्रथम श्रुतस्कन्ध ।^२ इसमे आचारादि
की शिक्षा देने के उद्देश्य से कथाओ के रूप मे विविध उदाहरण दिये गये हैं ।
द्वितीय श्रुतस्कन्ध का नाम धर्मकथा है । इसमे धर्मप्रधान कथाओ का समावेश
किया गया है : धर्मप्रधाना. कथा. धर्मकथा इति द्वितीयः ।^३ तदनन्तर प्रथम
श्रुतस्कन्धान्तर्गत निम्नलिखित १९ उदाहरणरूप कथाओ के अध्ययनो की

१. आगमोदय समिति, मेहसाना, सन् १९१९

२. पृ० १० (१). ३. वही.

अर्थसहित नामावली दी गई है : १. उत्क्षिप्त-मेघकुमार के जीव द्वारा हाथी के भव मे पाद का उत्क्षेप अर्थात् पैर ऊँचा उठाना, २. सघाटक—श्रेष्ठि और चौर का एक बन्धनबद्धत्व, ३. अण्डक—मयूराण्ड, ४. कूर्म—कच्छप, ५. शैलक—एक राजपि, ६. तुम्ब—अलाबु, ७. रोहिणी—एक श्रेष्ठिवधू, ८ मल्ली उन्नीसवी तीर्थंकरी, ९ माकन्दी नामक व्यापारी का पुत्र, १०. चन्द्रमा, ११. दावद्रव—समुद्रतट के वृक्ष विशेष, १२. उदक-नगरपरिखाजल, १३. मण्डूक-नन्द नामक मणिकार सेठ का जीव, १४. तैतलीपुत्र नामक अमात्य, १४. नन्दी फल—नन्दी नामक वृक्ष के फल, १६. अवरकका—भरतक्षेत्र के घातकी खण्ड की राजधानी, १७ आकीर्ण—जन्म से समुद्र में रहने वाले अश्व—समुद्री घोड़े, १८ ससुमा—एक श्रेष्ठिदुहिता, १९ पुण्डरीक—एक नगर। इसके बाद विवरण कार ने क्रमश प्रत्येक अध्ययन का व्याख्यान किया है। जिसमें मुख्यतया नये एव कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया गया है। आचार्य ने प्रत्येक अध्ययन को व्याख्या के अन्त में उससे फलित होने वाला विशेष अर्थ स्पष्ट किया है तथा उसकी पुष्टि के लिए तदर्थगर्भित गाथाएँ भी उद्धृत की हैं।

प्रथम अध्ययन के अभिधेय का सार बताते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि अविधिपूर्वक प्रवृत्ति करने वाले शिष्य को मार्ग पर लाने के लिए गुरु को उसे उपालभ देना चाहिए जैसा कि भगवान् महावीर ने मेघकुमार को दिया अविधि-प्रवृत्तस्य शिष्यस्य गुह्यणा मार्गे स्थापनाय उपालम्भो देयो यथा भगवता दत्तो मेघकुमारायेत्येवमर्थं प्रथममध्ययनमित्यभिप्राय ।^१ इसी वक्तव्य की पुष्टि के लिए 'इह गाथा' ऐसा कहते हुए आचार्य ने निम्न गाथा उद्धृत की है :^२

महुरेहिं निउणेहिं वयणेहिं चोययति आयरिया ।
 सीसे कर्हिचि खलिए जह मेहमुणिं महावीरो ॥१॥
 (मधुरैनिपुणैर्वचनै स्थापयन्ति आचार्याः ।
 शिष्य क्वचित् स्वल्पिते यथा मेघमुनिं महावीरः ॥ १ ॥)

द्वितीय अध्ययन के अन्त में आचार्य लिखते हैं कि बिना आहार के मोक्ष के साधनों में प्रवृत्त न होने के कारण शरीर को आहार देना चाहिए जैसा कि धन सार्थवाह ने विजय चौर को दिया। इसी अभिधेयार्थ की पुष्टि के लिए आचार्य ने 'पठ्यते च' ऐसा लिखते हुए निम्न गाथा उद्धृत की है ।^३

सिवसाहणेसु आहारविरहिओ ज न वट्टए देहो ।
 तम्हा धणो व्व विजय साहू त तेण पोसेज्जा ॥ १ ॥
 (शिवसाधनेपु आहारविरहितो यन्न प्रवर्त्तते देहः ।
 तस्मात् धन इव विजय साधुस्तत् तेन पोपयेत् ॥ १ ॥)

तृतीय अध्ययन का सार बताते हुए वृत्तिकार लिखते हैं कि बुद्धिमान् को जिनवरभाषित वचनो मे सदेह नही करना चाहिए क्योंकि इस प्रकार का सन्देह अनर्थ का कारण है । जो जिनवचनो मे हमेशा शक्ति रहता है उसे सागरदत्त की भांति निराश होना पडता है । जो नि शक्ति होकर जिनवचनानुकूल आचरण करता है उसे जिनदत्त की तरह मफरुना प्राप्त होती है । निम्न गाथाओ मे यही बताया गया है ^१

जिणवरभासियभावेसु भावसच्चेसु भावओ मइम ।
 नो कुज्जा सदेह सदेहोऽणत्थहेउत्ति ॥ १ ॥
 निस्मदेहत्त पुण गुणहेउ ज तओ तय कज्ज ।
 एत्थ दो सिट्ठिसुया अडयगाही उदाहरण ॥ २ ॥
 (जिणवरभाषितेषु भावेषु भावसत्येषु भावती मतिमान् ।
 न कुर्यात् सदेह मन्देहोऽनर्थहेतुरिति ॥ १ ॥
 निस्सन्देहत्वं पुनर्गुणहेतुर्यत्ततस्तत् कार्यं ।
 अत्र द्वौ श्रेष्ठिसुत्तौ अण्डकग्राहिणावुदाहरणम् ॥ २ ॥)

प्रथम श्रुतस्कन्ध के शेष अध्ययनो के विवरण के अन्त मे भी इसी प्रकार की अभिवेयार्थग्राही गाथाएँ हैं । इम श्रुतस्कन्ध मे धर्मार्थ का कथन साक्षात् कथाओ से न होकर उदाहरणो के माध्यम से है जबकि द्वितीय श्रुतस्कन्ध मे साक्षात् धर्म-कथाओ से ही धर्मार्थ का वर्णन किया गया है पूर्वत्राप्तोपालम्भादिभिर्ज्ञातैर्-धर्मार्थं उपनीयते, इह तु म एव साक्षात्कथाभिरभिधीयते ।^२ इसमे धर्म-कथाओ के दस वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में विविध अध्ययन है । विवरणकार ने 'सर्व सुगम' ओर 'शेष सूत्रसिद्धम्' ऐसा लिखते हुए इन अध्ययनो का व्याख्यान चार पक्तियो मे ही समाप्त कर दिया है । अन्त के श्लोको मे आचार्य अभयदेव ने अपने गुरु का नाम जिनेश्वर बताया है तथा प्रस्तुत विवरण के सशोधक के रूप मे निर्वृत्तरुक्मिलो न द्रोणाचार्य के नाम का उल्लेख किया है ।

विवरण का ग्रथमान ३८०० श्लोकप्रमाण है। ग्रथसमाप्ति की तिथि वि सं. ११२० की विजयदशमी है। लेखनसमाप्ति का स्थान अणहिलपाटक नगर है & अंतिम श्लोक ये हैं

नम श्रीवर्धमानाय, श्रीपाश्र्वप्रभवे नम ।
नम श्रोमत्तरस्वत्यै, सहायेभ्यो नमो नम. ॥ १ ॥

इह हि गमनिकार्थं यन्मया व्यूह्योक्त,
किमपि समयहीन तद्विशोध्यं सुधीभि ।
नहि भवति विधेया सर्वथाऽस्मिन्नुपेक्षा,
दयितजिनमताना तायिना चाङ्गिर्वर्गे ॥ २ ॥

परेषा दुर्लक्षा भवति हि विषक्षा स्फुटमिद,
विशेषाद् वृद्धानामतुलवचनज्ञानमहसाम् ।
निराम्नायाधीभि पुनरतितरा मादृशजनैस्तत,
शास्त्रार्थे मे वचनमनघ दुर्लभमिह ॥ ३ ॥

तत सिद्धान्ततत्त्वज्ञै, स्वयमूह्य प्रयत्नत ।
न पुनरस्मदाख्यात, एव ग्राह्यो नियोगत ॥ ४ ॥

तथापि माऽस्तु मे पाप, सङ्घमत्युपजोवनात् ।
वृद्धन्यायानुसारित्वाद्धितार्थं च प्रवृत्तित ॥ ५ ॥

तथाहि किमपि स्फुटीकृतमिह स्फुटेऽप्यर्थत,
सकष्टमतिदेशतो विविधवाचनातोऽपि यत् ।
समर्थपदसश्रयाद्विगुणपुस्तकेभ्योऽपि यत्,
परात्महितहेतवेऽनभिनिवेशिना चेतसा ॥ ६ ॥

यो जैनाभिमत प्रमाणमनघ व्युत्पादयामासिवान् ।
प्रस्थानैर्विविधैर्निरस्य निखिल वौद्धादिसम्बन्धि तत् ।
नानावृत्तिकथाकथापयमतिक्रान्त च चक्रे तपो,
नि.सम्बन्धविहारमप्रतिहत शास्त्रानुसारात्तथा ॥ ७ ॥

तस्याचार्यजिनेश्वरस्य मदवद्वादिप्रतिस्पर्द्धिन,
तद्वन्धोरपि बुद्धिसागर इति ख्यातस्य सुरेभुवि ।
छन्दोबन्धनिवद्धबन्धुरवच शब्दादिसल्लक्ष्मण,
श्रोसविग्नविहारिणः श्रुतनिधेश्चारित्रचूडामणेः ॥ ८ ॥

शिष्येणाभयदेवाख्यसूरिणा विवृतिः कृता ।
ज्ञाताधर्मकथाङ्गस्य, श्रुतभवत्या समासत. ॥ ९ ॥

निवृत्तककुलनभस्तलचन्द्रद्रोणाख्यसूरिमुख्येन ।
 पङ्क्तिगुणेन गुणवत्प्रियेण सशोधिता चैयम् ॥ १० ॥
 प्रत्यक्षर गणनया, ग्रन्थमान विनिश्चितम् ।
 अनुष्टभा सहस्राणि, त्रीण्येवाष्टशतानि च ॥ ११ ॥
 एकादशसु शतेष्वथ विशत्यधिकेषु विक्रमसमानाम् ।
 अणहिलपाटकनगरे विजयदशम्या च सिद्धेयम् ॥ १२ ॥

उपासकदशागवृत्ति

यह वृत्ति^१ सूत्रस्पर्शी है। इसमें सूत्रगत विशेष शब्दों के अर्थ आदि का स्पष्टीकरण किया गया है। ज्ञाताधर्मकथा की टीका की ही भाँति शब्दार्थ-प्रधान होने के कारण इसका विस्तार अधिक नहीं है। यह वृत्ति ज्ञाताधर्मकथा की वृत्ति के बाद लिखी गई है। प्रारम्भ में वर्धमान को नमस्कार किया गया है तथा उपासकदशाग की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा की गई है। इसके बाद टीकाकार ने सप्तम अंग 'उपासकदशा' का शब्दार्थ किया है। उपासक का अर्थ है श्रमणोपासक और दशा का अर्थ है दस। श्रमणोपासक-सम्बन्ध अनुष्ठान का प्रतिपादन करनेवाला दस अध्ययनरूप ग्रन्थ उपासकदशा है। इस ग्रन्थ का नाम बहुवचनान्त है। प्रस्तुत वृत्ति में भी आचार्य ने कही-कही व्याख्यान्तर का निर्देश किया है। अनेक जगह ज्ञाताधर्मकथा की व्याख्या से अर्थ समझ लेने के लिए कहा है। अन्त में वृत्तिकार कहते हैं कि सब मनुष्यों को प्रायः अपना वचन अभिमत होता है। जो खुद को भी अच्छी तरह पसंद नहीं आना वह दूसरों को कैसे पसंद आ सकता है? मैंने अपने चित्त के किमी उल्लास विशेष के कारण यहाँ कुछ कहा है। उसमें जो कुछ युक्तियुक्त हो उसे निर्मल बुद्धिवाले पुरुष प्रेमपूर्वक स्वीकार करें।

अन्तकृद्दशावृत्ति :

यह वृत्ति^२ भी सूत्रस्पर्शी एवं शब्दार्थप्रधान है। अव्याख्यात पदों के अर्थ के लिए वृत्तिकार ने ज्ञाताधर्मकथाविवरण का निर्देश किया है। 'अन्तकृद्दशा' का

- १ (अ) रायबहादुर धनपतिसिंह, कलकत्ता, सन् १८७६.
 (आ) आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९२०
 (इ) केवल गुजराती अनुवाद—प० भगवानदास हर्षचन्द्र, जैन सोसायटी,
 अहमदाबाद, वि० स० १९९२.
- २ (अ) रायबहादुर धनपतिसिंह, कलकत्ता, सन् १८७५
 (आ) आगमोदय समिति, सूरत, सन् १९२०
 (इ) गूर्जर ग्रन्थरत्न कार्यालय, गांधी रोड, अहमदाबाद, सन् १९३२.

शब्दार्थ बताते हुए वृत्तिकार कहते हैं : तत्रान्तो-भवान्तः कृतो-विहितो यैस्तेऽन्तकृतास्तद्वक्तव्यताप्रतिबद्धा दशाः—दशाध्ययनरूपा ग्रन्थपद्धतय इति अन्तकृद्दशा, इह चाष्टौ वर्गा भवन्ति । तत्र प्रथमे वर्गे दशाध्ययनानि । 'अन्त' का अर्थ है भवान्त और 'कृत' का अर्थ है विहित । जिन्होंने अपने भव का अन्त किया है वे अन्तकृत हैं । अन्तकृतसम्बन्धी ग्रन्थविशेष जिसकी पद्धति दशाध्ययनरूप—दस अध्ययनवाली है, अन्तकृद्दशा कहलाता है । यद्यपि अन्तकृद्दशा के प्रत्येक वर्ग में दस अध्ययन नहीं है तथापि कुछ वर्गों की दस अध्ययनवाली पद्धति के कारण इसका नाम अन्तकृद्दशा रखा गया है । वृत्ति के अन्त में आचार्य लिखते हैं . यदिह न व्याख्यात तज्ज्ञाताधर्मकथाविवरणाद-चसेयम्—जिसका यहाँ व्याख्यात न किया गया हो वह ज्ञाताधर्मकथा के विवरण से समझ लेना चाहिए । निम्नलिखित श्लोक के साथ वृत्ति पूर्ण होती है .

अनन्तरसपर्यये जिनवरोदिने शासने,
यकेह समयानुगा गमनिका किल प्रोच्यते ।
गमान्तरमुपैति सा तदपि सद्भिः रस्या कृता-
वरूढगमशोधन ननु विधीयता सर्वत ॥

अनुत्तरौपपातिकदशावृत्ति :

यह वृत्ति भी सूत्रस्पर्शिक एव शब्दार्थग्राही है । प्रारम्भ में वृत्तिकार ने 'अनुत्तरौपपातिकदशा' का अर्थ बताया है . तत्रानुत्तरेषु विमानविशेषेषूपपातो जन्म अनुत्तरौपपातः स विद्यते येषां तेऽनुत्तरौपपातिकास्तत्प्रतिपादिका दशा । दशाध्ययनप्रतिबद्धप्रथमवर्गयोगाद्दशा. ग्रन्थविशेषोऽनुत्तरौपपातिकदशास्तामा च सम्बन्धसूत्रम् । अनुत्तरविमान में उत्पन्न होनेवाले अनुत्तरौपपातिक कहे जाते हैं । जिस ग्रन्थ में अनुत्तरौपपातिको का वर्णन है उसका नाम भी अनुत्तरौपपातिक है । उसके प्रथम वर्ग में दस अध्ययन हैं अतः उसे अनुत्तरौपपातिकदशा कहते हैं । अन्त में वृत्तिकार ने लिखा है

शब्दा. केचन नार्थतोऽत्र विदिता केचित्तु पर्यायत,
सूत्रार्थानुगते समूह्य भणतो यज्जातमाग.पदम् ।
वृत्तावत्र तक्तु जिनेश्वरवचोभाषाविधौ कोविदै,
सशाध्य विहितादरैर्जिनमतोपेक्षा यतो न क्षमा ॥

- १ (अ) रायबहादुर धनपतिसिंह, कलकत्ता, सन् १८७५
- (आ) आगमोदय समिति, सूरत, सन् १९२०.
- (इ) गुर्जर ग्रन्थरत्न कार्यालय, अहमदाबाद, सन् १९३२

कुछ शब्दों का अर्थत और कुछ का पर्यायत ज्ञान न होने से वृत्ति में-
त्रुटियाँ रहना स्वाभाविक है। जिनवाणी में निष्णात आदरणीय विद्वज्जन उन
त्रुटियों का सशोधन कर लें क्योंकि जिनमत की उपेक्षा करना उचित नहीं।

प्रश्नव्याकरणवृत्ति :

अभयदेवसुरिकृत प्रस्तुत शब्दार्थप्रधान वृत्ति^१ का ग्रथमान ४६३० श्लोक-
प्रमाण है। इसे द्रोणाचार्य ने शुद्ध किया था। वृत्ति के प्रारंभ में व्याख्येय ग्रथ
की दुरुहता का निर्देश करते हुए आचार्य कहते हैं :

अज्ञा वय शास्त्रमिदं गभीरं प्रायोऽस्य कूटानि च पुस्तकानि ।
सूत्रं व्यवस्थाप्यमतो विमृश्य, व्याख्यानकल्पादित एव नैव ॥

प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम प्रश्नव्याकरण अथवा प्रश्नव्याकरणदशा है। प्रश्न-
व्याकरण का अर्थ बताते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि जिसमें प्रश्न अर्थात् अगु-
ष्ठादि प्रश्नविद्याओं का व्याकरण अर्थात् अभिधान किया गया है वह प्रश्न-
व्याकरण है। प्रश्नव्याकरणदशा का अर्थ यह है : जिसमें प्रश्न अर्थात् विद्या-
विशेषों का व्याकरण अर्थात् प्रतिपादन करने वाले दशा अर्थात् दस अध्ययन
हैं वह प्रश्नव्याकरणदशा है। यह व्युत्पत्त्यर्थ पहले था। इस समय तो इसमें
आस्रवपचक और सवरपचक का प्रतिपादन ही उपलब्ध है। प्रश्ना—अङ्गु-
ष्ठादिप्रश्नविधास्ता—व्याक्रियन्ते—अभिधीयन्तेऽस्मिन्निति प्रश्नव्याकरण,
क्वचित् 'प्रश्नव्याकरणदशा' इति दृश्यते, तत्र प्रश्नाना—विद्याविशेषाणा
यानि व्याकरणानि तेषां प्रतिपादनपरा दशा—दशाध्ययनप्रतिबद्धा-
ग्रन्थपद्धतय इति प्रश्नव्याकरणदशा। अयं व्युत्पत्त्यर्थोऽस्य पूर्वकालेऽभूत् ।
इदानीं त्वास्रवपञ्चकसवरपञ्चकव्याकृतिरेवोपलभ्यते ।^२ आगे आचार्य
ने बताया है कि महाज्ञानी पूर्वाचार्यों ने इस युग के पुरुषों के स्वभाव को दृष्टि
में रखते हुए ही उन विद्याओं के बदले पचास्रव और पचसवर का वर्णन किया
प्रतीत होता है। प्रश्नव्याकरण-सुखबोधिकावृत्तिकार ज्ञानविमलसूरि ने भी इसी
तथ्य का समर्थन किया है ।^३

१. (अ) रायबहादुर धनपतिसिंह, कलकत्ता, सन् १८७६.

(आ) आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९१९.

२ पृ. १.

३ देखिये—प्रश्नव्याकरण.

—सुखबोधिकावृत्ति, पृ. २ (२).

विपाकवृत्ति :

वृत्ति के^१ प्रारम्भ में आचार्य ने वर्धमान को नमस्कार किया है तथा विपाक सूत्र की वृत्ति लिखने की प्रतिज्ञा की है :

नत्वा श्रीवर्धमानाय वर्धमानश्रुताध्वने ।
विपाकश्रुतशास्त्रस्य वृत्तिकेयं विधास्यते ॥

तदनन्तर अपनी अन्य वृत्तियों की शैली का अनुसरण करते हुए 'विपाक-श्रुत' का शब्दार्थ बताया है : अथ 'विपाकश्रुतम्' इति क शब्दार्थः ? उच्यते—विपाक. पुण्यपापरूपकर्मफल तत्प्रतिपादनपर श्रुतमागमो विपाकश्रुतम् । इदं च द्वादशागस्य प्रवचनपुरुषस्यैकादशमगम् । विपाक का अर्थ है पुण्य-पापरूप कर्मफल । उसका प्रतिपादन करने वाला श्रुत अर्थात् आगम विपाकश्रुत कहलाता है । यह श्रुत द्वादशागरूप प्रवचनपुरुष का ग्यारहवा अंग है ।

प्रथम श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन के पंचम सूत्र 'से ण भते । पुरिसे पुव्वभवे के आसि तत्थ ण विजयवद्धमाणे खेडे एक्काई नाम रट्टकूडे होत्या ' की व्याख्या में वृत्तिकार ने रट्टकूड-रट्टउड-राष्ट्रकूट अर्थ इस प्रकार किया है . 'रट्टउडे' त्ति राष्ट्रकूटो मण्डलोपजीवी राजनियोगिक. ^{१२} इसी प्रकार आचार्य ने अन्य परिभाषिक पदों का भी संक्षिप्त एवं सतुलित अर्थ किया है । अन्त में अन्य वृत्तियों की भाँति इसमें भी वृत्तिकार ने विद्वानों से वृत्तिगत त्रुटियाँ शोधने की प्रार्थना की है ^३

इहानुयोगे यदयुक्तमुक्त तद् धीधना द्राक् परिशोधयन्तु ।
नोपेक्षण युक्तिमदत्र येन जिनागमे भक्तिपरायणानाम् ॥

-
- १ (अ) रायवहादुर धनपतिसिंह, कलकत्ता, सन् १८७६
(आ) आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९२०
(इ) मुक्तिकमल जैन मोहनलाला, बडौदा, सन् १९२० (प्रथम आवृत्ति),
वि स. १९९२ (द्वितीय आवृत्ति).
(ई) गुर्जर ग्रन्थरत्न कार्यालय, गाँधी रोड, अहमदाबाद, सन् १९३५ (मूल,
मूल का अग्रेजी अनुवाद, टिप्पण आदि सहित).
२. बडौदा-संस्करण (द्वितीय) पृ० १० (१).
३ पृ० ९९ (१).

औपपातिकवृत्ति :

यह वृत्ति^१ भी शब्दार्थ-प्रधान है। प्रारभ में वृत्तिकार ने वर्धमान को नमस्कार करते हुए औपपातिक शास्त्र की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा की है :

श्रीवर्धमानमानम्य, प्रायोऽन्यग्रथवीक्षिता ।
औपपातिकशास्त्रस्य, व्याख्या काचिद्विधीयते ॥

इसके बाद 'औपपातिक' का शब्दार्थ किया है . अथौपपातिकमिति क. शब्दार्थः ? उच्यते—उपपतनमुपपातो—देवनारकजन्म सिद्धिगमन च, अतस्तमविदृत्य कृतमध्ययनमौपपातिकम् । देवो और नारको के जन्म और सिद्धिगमन को उपपात कहने हैं । उपपातमन्त्रो वर्णन के कारण तत्सम्बद्ध ग्रन्थ का नाम औपपातिक है । यह ग्रन्थ किसका उपाग है इसका उत्तर देते हुए वृत्तिकार कहते हैं . इदं चोपाङ्गं वृत्तैः, आचारागस्य हि प्रथममध्ययनं शस्त्रपरिज्ञा, तस्याद्योद्देशके सूत्रमिदम् 'एवमेगोसि नो नायं भवइ—अत्थि वा मे आया उववाइए, नत्थि वा मे आया उववाइए, के वा अह आसी ? के वा इह (अह) च्चुए (इओ चुओ) पेच्चा इह भविस्सामि' इत्यादि, इह च सूत्रे यदौपपातिकत्वमात्मनो निर्दिष्टं तदिह प्रपचयत इत्यर्थतोऽङ्गम्य समोपभावेनेऽमुपागम् । यह ग्रन्थ आचाराग का उपाग है । आचाराग के प्रथम अध्ययन शास्त्रपरिज्ञा के आद्य उद्देशक के 'एवमेगोसि नो नायं भवइ—अत्थि वा मे आया उववाइए ' सूत्र में आत्मा का औपपातिकत्व निर्दिष्ट है उमका विशेष वर्णन करने के कारण औपपातिकसूत्र आचाराग का उपाग कहा जाता है ।

प्रथम सूत्र 'तेण कालेण ' का व्याख्यान करते हुए टीकाकार ने सूत्रो के अनेक पाठभेद होना स्वीकार किया है . इह च बहवो वाचनाभेदा दृश्यन्ते । आगे आचार्य ने सूत्रान्तर्गत नट, नर्तक, जल्ल, मल्ल, मौष्टिक, विडम्बक, कथक, प्लवक, लासक, आख्यायक, लख, मख, तूणइल्ल, तुम्बवीणिक, तालाचर, आराम, उद्यान, अवट, तडाग, दीधिक, वप्पिणि, अट्टालक, चरिक, द्वार, गोपुर, तोरण, परिण, इन्द्रकील, शिल्पी, शृगाटक, त्रिक, चतुष्क, चत्वर, पणित, आपण, चतुमुख, महापथ, पच, शिविका, स्यन्दमानिक, यान, युग्ग, याग, भाग, दाय, कन्द, स्कन्ध, त्वक्, शाला (शाखा), प्रवाल, विष्कम्भ, आयाम, उत्पेघ, अञ्जनक, हलघरकोसेज्ज, कज्जलागी, शृगभेद, रिठक, अशनक,

१. (अ) रायबहादुर धनपतिसिंह, कलकत्ता, सन् १८८०.

(आ) आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९१६.

सनबधन, मरकत, मसार, इहामृग, व्यालक, आजिनक, रूत, बूर, तूल, गण-
नायक, दडनायक, राजा, ईश्वर (युवराज), तलवर, माडविक, कौटुम्बिक,
मन्त्री, महामन्त्री, गणक, दौवारिक, अमात्य, चेट, पीठमदं, नागर, नैगम,
श्रेष्ठी, सेनापति, सार्थवाह, दूत, सधिपाल आदि अनेक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक,
सामाजिक, प्रशासनविषयक एव शास्त्रीय शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया है। यत्र-
तत्र पाठातरो एव मतान्तरो का भी निर्देश किया है। अन्त मे वृत्तिकार ने
अपने नाम के साथ ही साथ अपने कुल और गुरु का नाम दिया है तथा
बताया है कि प्रस्तुत वृत्ति का सशोधन द्रोणाचार्य ने अणहिलपाटक नगर
मे किया ^१

चन्द्रकुलविपुलभूतलयुगप्रवरवर्धमानकल्पतरोः ।
कुमुमोपमस्य सूरैः गुणसौरभभरितभवनस्य ॥ १ ॥
निस्सम्बन्धविहारस्य सर्वदा श्रीजिनेश्वराह्वस्य ।
शिष्येणाभयदेवाख्यसूरिण्य कृत वृत्तिः ॥ २ ॥
अणहिलपाटकनगरे श्रीमद्द्रोणाख्यसूरिमुख्येन ।
पण्डितगुणेन गुणवत्प्रियेण सशोधिता चयम् ॥ ३ ॥

वृत्ति का ग्रन्थमान ३१२५ श्लोक-प्रमाण है



दशम प्रकरण

मलयगिरिविहित वृत्तियों

आचार्य मलयगिरि की प्रसिद्धि टीकाकार के रूप में ही है, न कि ग्रन्थकार के रूप में। इन्होंने जैन आगम-ग्रन्थों पर अति महत्त्वपूर्ण टीकाएँ लिखी हैं। ये टीकाएँ विषय की विशदता, भाषा की प्रासादिकता, शैली की प्रौढता एवं निरूपण की स्पष्टता आदि सभी दृष्टियों से सुसफल हैं। मलयगिरिसूरि का स्वल्प परिचय इस प्रकार है :^१

आचार्य मलयगिरि ने अपने ग्रन्थों के अन्त की प्रशस्ति में 'यदवापि मलय-गिरिणा, सिद्धि तेनाश्नुता लोक' इस प्रकार सामान्य नामोल्लेख के अतिरिक्त अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। इसी प्रकार अन्य आचार्यों ने भी इनके विषय में प्रायः मौन ही धारण किया है। केवल पन्द्रहवीं शताब्दी के एक ग्रन्थकार जिनमण्डनगणि ने अपने कुमारपालप्रबन्ध में आचार्य हेमचन्द्र की विद्यासाधना के प्रसंग का वर्णन करते समय आचार्य मलयगिरि से सम्बन्धित कुछ बातों का उल्लेख किया है। वर्णन इस प्रकार है -

हेमचन्द्र ने गुरु की आज्ञा लेकर अन्य गच्छीय देवेन्द्रसूरि और मलयगिरि के साथ कलाओं में कुशलता प्राप्त करने के लिए गौडदेश की ओर विहार किया। मार्ग में खिल्लूर ग्राम में एक साधु बीमार था। उसकी तीनों ने अच्छी तरह सेवा की। वह साधु रैवतक तीर्थ (गिरनार) की यात्रा के लिए बहुत आतुर था। उसकी अन्तिम समय की इच्छा पूरी करने के लिए गाँव के लोगो को समझा-बुझाकर डोली का प्रबन्ध कर वे लोग सो गए। सबेरे उठकर क्या देखते हैं कि तीनों जने रैवतक में बैठे हुए हैं। इसी समय शासनदेवी ने आकर उन्हें कहा कि आप लोगो का इच्छित कार्य यही सम्पन्न हो जाएगा। अब आपको गौडदेश में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यह कह कर अनेक मन्त्र, औषधि आदि देकर देवी अपने स्थान पर चली गई।

एक समय गुरु ने उन्हें सिद्धचक्र मन्त्र दिया। तीनों ने अम्बिकादेवी की सहायता से भगवान् नेमिनाथ (रैवतकदेव) के सामने बैठकर सिद्धचक्र

१. इसका आधार मुनि श्री पुण्यविजयजी द्वारा सम्पादित पंचम तथा षष्ठ कर्मग्रन्थ (आत्मानन्द जैन ग्रन्थमाला, ८६) की प्रस्तावना है।

मन्त्र की आराधना की। मन्त्र के अधिष्ठाता विमलेश्वरदेव ने प्रसन्न होकर तीनों से कहा कि तुम लोग अपना इच्छित वरदान माँगो। उस समय हेमचन्द्र ने राजा को प्रतिबोध देने का, देवेन्द्रसूरि ने एक रात में कान्ती नगरी से सेरीसक ग्राम में मंदिर लाने का और मलयगिरिसूरि ने जैन सिद्धान्तों की वृत्तियाँ—टीकाएँ लिखने का वर माँगा। तीनों को अपनी-अपनी इच्छानुसार वर देकर देव अपने स्थान पर चला गया।

उपर्युक्त उल्लेख से यह फलित होना है कि (१) मलयगिरिसूरि आचार्य हेमचन्द्र के साथ विद्यासाधना के लिए गये थे, (२) उन्होंने जैन आगमग्रंथों की टीकाएँ लिखने का वरदान प्राप्त किया था और (३) वे 'सूरि' पद अर्थात् 'आचार्य' पद से विभूषित थे। मलयगिरि के लिए आचार्यपदसूचक एक और प्रमाण उपलब्ध है जो इससे भी अधिक प्रबल है। यह प्रमाण मलयगिरिविरचित शब्दानुशासन में है जो इस प्रकार है— एव कृत मङ्गल-रक्षाविधान. परिपूर्णमल्पग्रन्थ लघूनाय आचार्यो मलयगिरि. शब्दानुशासनमारभते। इसमें मलयगिरि ने अपने लिए स्पष्टरूप से आचार्यपद का प्रयोग किया है। इसी प्रकार आचार्य मलयगिरि और आचार्य हेमचन्द्र के सम्बन्ध पर प्रकाश डालने वाला एक प्रमाण मलयगिरि विरचित आवश्यकवृत्ति में है जिससे यह प्रकट होता है कि आचार्य मलयगिरि आचार्य हेमचन्द्र को अति सम्मानपूर्ण दृष्टि से देखते थे। आचार्य मलयगिरि लिखते हैं तथा चाहुःस्तुतिपु गुरव —

अन्योन्यपक्षप्रतिपक्षभावाद्, यथा परे मत्सरिण. प्रवादा ।
नयानशेषानविशेषमिच्छन्, न पक्षपाती समयस्तथा ते ॥

यह कारिका आचार्य हेमचन्द्रकृत अन्ययोगव्यवच्छेदार्थशिक्षा की है जिसे आचार्य मलयगिरि ने अपनी आवश्यकवृत्ति में उद्धृत किया है। उद्धृत करने के पूर्व आचार्य हेमचन्द्र के लिए 'गुरव' पद का प्रयोग किया है। इस अति सम्मानपूर्ण प्रयोग से यह स्पष्ट है कि आचार्य हेमचन्द्र के पाण्डित्य का प्रभाव मलयगिरिसूरि पर काफी गहरा था। इतना ही नहीं, आचार्य हेमचन्द्र मलयगिरिसूरि की अपेक्षा व्रतावस्था में भी बड़े ही थे, वय में चाहे बड़े न भी हो। अन्यथा आचार्य हेमचन्द्र के लिए 'गुरव' शब्द का प्रयोग करना मलयगिरिसूरि के लिए इतना सरल न होता। जैन आगमों पर टीकाएँ लिखने की आचार्य मलयगिरि की इच्छा तो उनकी उपलब्ध टीकाओं में प्रतिबिम्बित है ही।

मलयगिरि ने कितने ग्रंथ लिखे, इसका स्पष्ट उल्लेख तो कहीं उपलब्ध नहीं होता। उनके जितने ग्रंथ इस समय उपलब्ध हैं तथा जिन ग्रंथों के नामों का

उल्लेख तो उनकी कृतियों में है किन्तु ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं उन सब की सूची नीचे दी जाती है -

उपलब्ध ग्रन्थ

| नाम | श्लोकप्रमाण |
|------------------------------------|-------------|
| १ भगवतीसूत्र—द्वितीयशतकवृत्ति | ३७५० |
| २ राजप्रश्नीयोपागटीका | ३७०० |
| ३ जीवाभिगमोपागटीका | १६००० |
| ४ प्रज्ञापनोपागटीका | १६००० |
| ५ चन्द्रप्रज्ञप्त्युपागटीका | ९५०० |
| ६ सूर्यप्रज्ञप्त्युपागटीका | ९५०० |
| ७ नन्दीसूत्रटीका | ७७३२ |
| ८ व्यवहारसूत्रवृत्ति | ३४००० |
| ९ वृहत्कल्पपीठिकावृत्ति (अपूर्ण) | ४६०० |
| १० आवश्यकवृत्ति (अपूर्ण) | १८००० |
| ११ पिण्डनियुक्तिटीका | ६७०० |
| १२ ज्योतिष्करण्डकटीका | ५००० |
| १३. धर्मसग्रहणीवृत्ति | १०००० |
| १४ कर्मप्रकृतिवृत्ति | ८००० |
| १५ पचसग्रहवृत्ति | १८८५० |
| १६ पडशीतिवृत्ति | २००० |
| १७ सप्ततिकावृत्ति | ३७८० |
| १८ वृहत्सग्रहणीवृत्ति | ५००० |
| १९ वृहत्क्षेत्रसमासवृत्ति | ९५०० |
| २० मलयगिरिशब्दानुशासन | ५००० |

अनुपलब्ध ग्रन्थ

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| १ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिटीका | २ ओषनियुक्तिटीका |
| ३ विज्ञेपावश्यकटीका | ४ तत्त्वार्थीधिगमसूत्रटीका |
| ५ धर्मसारप्रकरण टीका | ६ देवेन्द्रनरकेन्द्र प्रकरण टीका |

उपर्युक्त ग्रंथों के नामों से स्पष्ट है कि आचार्य मलयगिरि एक बहुत बड़े टीकाकार हैं, न कि स्वतन्त्र ग्रन्थकार । इन्होंने इन टीकाओं में ही अपने पांडित्य का उपयोग किया है । यही कारण है कि इनकी टीकाओं की विद्वत्समाज में खूब प्रतिष्ठा है । ये अपनी टीकाओं में सर्वप्रथम मूल सूत्र, गाथा अथवा श्लोक के

शब्दार्थ की व्याख्या करते हैं और उस अर्थ का स्पष्ट निर्देश कर देते हैं। तदनन्तर विशेष स्पष्टीकरण अथवा विस्तृत विवेचन की आवश्यकता प्रतीत होने पर 'अय भावः, किमुक्त भवति, अयमाशयः, इदमत्र हृदयम्' इत्यादि पदों के साथ सम्पूर्ण अभीष्टार्थ स्पष्ट कर देते हैं। विषय से सम्बद्ध अन्य प्रासंगिक विषयों की चर्चा करना तथा तद्विषयक प्राचीन प्रमाणों का उल्लेख करना भी आचार्य मलयगिरि की एक बहुत बड़ी विशेषता है। आगे मलयगिरिकृत प्रकाशित टीकाओं का परिचय दिया जाता है।

नदीवृत्ति :

आचार्य मलयगिरिकृत प्रस्तुत वृत्ति^१ दार्शनिक वाद-विवाद से परिपूर्ण है। यही कारण है कि इसका विस्तार भी अधिक है। इसमें यत्र-तत्र उदाहरण के रूप में संस्कृत कथानक भी दिये गये हैं। प्राकृत एवं संस्कृत उद्धरणों का भी अभाव ही है। प्रारम्भ में आचार्य ने वर्धमान जिनेश्वर एवं जिन-प्रवचन का सादर स्मरण किया है :

जयति भुवनैकभानु. सर्वत्राविहृतकेवलालोक ।

नित्योदितः स्थिरस्तापवर्जितो वर्धमानजिनः ॥ १ ॥

जयति जगदेकमगलमपहतनिःशेषदुरितघनतिमिरम् ।

रविबिम्बमिव यथास्थितवस्तुविकाश जिनेशवच ॥ २ ॥

वृत्तिकार ने नन्दी का शब्दार्थ इस प्रकार बताया है अथ नन्दिरिति क शब्दार्थः ? उच्यते—'दुन्दु' समृद्धावित्यस्य 'धातोरुदितो नम्' इति नमि विहिते नन्दनं नन्दिः प्रमोदो हर्ष इत्यर्थः, नन्दिहेतुत्वात् ज्ञानपचकाभिधायकमध्ययनमपि नन्दिः, नन्दन्ति प्राणिनोऽनेनास्मिन् वेति वा नन्दि इदमेव प्रस्तुतमध्ययनम् । अपरे तु नन्दीति पठन्ति, ते च 'इक् कृष्यादिभ्यः' इति सूत्रादिकप्रत्ययं समानीय स्त्रोत्वेऽपि वर्त्तयन्ति ततश्च 'इतोऽकृत्यर्थात्' इति ङीप्रत्ययः ।^२ 'दुन्दु' धातु से 'समृद्धि' अर्थ में 'धातोरुदितो नम्' सूत्र से 'नम्' करने पर 'नन्दि' बनता है जिसका अर्थ है प्रमोद, हर्ष आदि। नन्दि-प्रमोद-हर्ष का कारण होने से ज्ञानपचक का कथन करनेवाला अध्ययन भी 'नन्दि' कहलाता है। अथवा जिसके द्वारा या जिसमें प्राणी प्रसन्न रहते हैं वह 'नन्दि' है। यही प्रस्तुत अध्ययन—ग्रथ है। कुछ लोग इसे 'नन्दी' कहते हैं।

१. (अ) रायबहादुर घनपनसिंह, बनारस, वि० सं० १९३३

(आ) आगमोदय समिति, ग्र० १६, बम्बई, सन् १९२४

२ आगमोदय-संस्करण, पृ० १.

उनके मतसे 'इक् कृष्यादिभ्य' सूत्र से 'इक्' प्रत्यय करके स्त्रीलिंग में 'इतोऽक्त्य-यत्' सूत्र से 'ओ' प्रत्यय करने पर 'नन्दो' बनता है।

'नन्दो' का निक्षेप-पद्धति से विवेचन करने के बाद टीकाकार ने 'जयश् जगज्जीवज्जीणी' ' इत्यादि स्तुतिपरक सूत्र-गाथाओं का सुचिह्नित आख्यान किया है। इसमें जीवमत्तासिद्धि, शाब्दप्रामाण्य, वचनापौरुषेयत्वसंज्ञन, वीतराग-स्वरूपविचार, सर्वज्ञनिधि, नैरात्म्यविराकरण, सतानधादगण्डन, वास्यभाग-भावखण्डन, जन्मविज्ञानसिद्धि, साध्यमुक्तिनिरास, धर्मभूमिभेदभेदसिद्धि आदि का समावेश किया है। वृत्ति का यह भाग शान्ति-वर्षाओं से परिपूर्ण होने के कारण बौद्धिक आह्लाद उत्पन्न करने वाला है। जागे तो वृत्ति में ज्ञान-पचकनिधि, मत्यादिकमस्थापना, प्रत्यक्ष-परोक्षस्वरूपविचार, मत्यादिस्वरूपनिश्चय अनंतरसिद्धिबेवल्, परम्परसिद्धिबेवल्, स्त्रीमुक्तिसिद्धि, युगपद्-उपयोगनिरास, ज्ञान-दर्शन-अभेदनिरास, सदृष्टान्तबुद्धिभेदनिरूपण, अगप्रविष्ट-अगवाह्य ध्यास्वरूप-प्ररूपण आदि नन्द्यर्था प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। अन्त में आचार्य ने पूणि कार को नमस्कार करते हुए टीकाकार हरिभद्र को भी सादर नमस्कार किया है तथा तथा वृत्ति से उपाहित पुण्य की लोककल्याण के लिए समर्पित करते हुए अहत् आदि का मंगल-स्मरण किया है ३

नन्द्यध्ययन पूर्वं प्रकाशित येन विपगभावार्थम् ।
 तस्मै श्रीचूर्णिकृते नमोऽस्तु विदुषे परोपकृते ॥ १ ॥
 मध्ये नमस्तभूपीठ, यशो यस्याभिवदते ।
 तस्मै श्रीहरिभद्राय, नमष्टीकाविधायिने ॥ २ ॥
 वृत्तिर्वा चूर्णिर्वा रम्याऽपि न मन्दमेधना योग्या ।
 अभवदिह तेन तेषामुपकृतये यत्न एव कृतः ॥ ३ ॥
 ब्रह्म्यमल्पशब्द नन्द्यध्ययन विवृण्वता कुशलम् ।
 यदवापि मलयगिरिणा सिद्धि तेनाश्नुता लोकः ॥ ४ ॥
 अहन्तो मङ्गल मे स्युः, सिद्धाश्च मम मङ्गलम् ।
 साधवो मंगलम् सम्यग्, जैनो धर्मश्च मंगलम् ॥ ५ ॥

प्रस्तुत वृत्ति का ग्रथमान ७७३२ श्लोकप्रमाण है।

प्रज्ञापनावृत्ति :

वृत्ति^१ के प्रारंभ में आचार्य ने मंगलसूचक चार श्लोक दिये हैं। प्रथम

१ पृ० २-४२। २. पृ० २५०.

३. (अ) रायबहादुर धनपतिसिंह, बनारस, सन् १८८४

(आ) आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९१८-९

श्लोक में महावीर की जय बोली गई है, द्वितीय में जिन-प्रवचन को नमस्कार किया गया है, तृतीय में गुरु को प्रणाम किया गया है, चतुर्थ में प्रज्ञापना सूत्र की टीका करने की प्रतिज्ञा की गई है

जयति नमदमरमुकुटप्रतिविम्बच्छदमविहितवद्गुरुप ।
 उद्धतुमिव समस्त विश्व भवपङ्क्तो वार ॥ १ ॥
 जिनवचनामृतजलाधि वन्दे यद्विन्दुमात्रमादाय ।
 अभवन्नून सत्त्वा जन्म-जरा-व्याधिपरिहीणा ॥ २ ॥
 प्रणमत गुरुपदपङ्कजमधरीकृतकामधेनुकल्पलतम् ।
 यदुपास्तिवशान्निरूपममश्नुवते ब्रह्म तनुभाज ॥ ३ ॥
 जडमतिरपि गुरुचरणोपास्ति समुद्भूतविपुलमतिविभव ।
 समयानुसारतोऽहं विदधे प्रज्ञापनाविवृतिम् ॥ ४ ॥

‘प्रज्ञापना’ का शब्दार्थ करते हुए वृत्तिकार कहते हैं प्रकपेण ज्ञाप्यन्ते अनयेति प्रज्ञापना अर्थात् जिसके द्वारा जीवाजीवादि पदाया का ज्ञान किया जाय वह प्रज्ञापना है। यह प्रज्ञापना सूत्र समवाय नामक चतुर्थ अंग का उपाग है क्योंकि यह समवायाग में निरूपित अर्थ का प्रतिपादन करता है। यदि कोई यह कहे कि समवायागनिरूपित अर्थ का इसमें प्रतिपादन करना निरर्थक है तो ठीक नहीं। इसमें समवायागप्रतिपादित अर्थ का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया गया है। इससे मद्मति शिष्य का विशेष उपकार होता है। अतः इसकी रचना साधक है। इसके बाद मगल की साधकता आदि पर प्रकाश डालते हुए आचार्य ने सूत्र के पदों का व्याख्यान किया है। व्याख्यान आवश्यकतानुसार कही संक्षिप्त है तो कही विस्तृत। अन्त में वृत्तिकार ने जिन-वचन को नमस्कार करते हुए अपने पूर्ववर्ती टीकाकार आचार्य हरिभद्र को यह कहते हुए नमस्कार किया है कि टीकाकार हरिभद्रसूरि की जय हो जिन्होंने प्रज्ञापना सूत्र के विषम पदों का व्याख्यान किया है और जिनके विवरण से मैं भी एक छोटा-सा टीकाकार बना हूँ। तदनन्तर प्रज्ञापनावृत्ति से प्राप्त पुण्य को जिनवाणी के सद्बोध के लिए प्रदान करते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि प्रज्ञापना-सूत्र की टीका लिखकर मलयगिरि ने जो निर्दोष पुण्योपाजन किया है उससे संसार के समस्त प्राणी जिनवचन का सद्बोध प्राप्त करें। प्रस्तुत वृत्ति का ग्रंथमान १६००० श्लोकप्रमाण है।

(इ) केवल गुजराती अनुवाद—अनु. प भगवानदास हर्षचन्द्र, जैन सोसा-
 यटी, अहमदाबाद, वि. स. १९१

सूर्यप्रज्ञप्तिविवरण :

विवरण^१ के प्रारम्भ में मंगल करते हुए आचार्य ने यह उल्लेख किया है कि भद्रवाहुसूरिकृत नियुक्ति का नाश हो जाने के कारण मैं केवल मूल सूत्र का ही व्याख्यान करूँगा। प्रारम्भ के पाँच श्लोक ये हैं

यथास्थित जगत्सर्वमीक्षते य प्रतिक्षणम् ।
 श्रीवीराय नमस्तस्यै भास्वने परमात्मने ॥ १ ॥
 श्रुतकेवलिन सर्वे विजयन्ता तमच्छिद ।
 येपा पुरो विभान्तिस्म खद्योता इव तीर्थिका ॥ २ ॥
 जयति जिनवचनमनुपममज्ञानतम समूहरविविम्बम् ।
 शिवसुखफलवल्पतरु प्रमाणनयभगगमवहुलम् ॥ ३ ॥
 सूर्यप्रज्ञप्तिमह गुरुपदेशानुसारत किञ्चित् ।
 विवृणोमि यथाशक्ति स्पष्ट स्वपरोपकाराय ॥ ४ ॥
 अस्या नियुक्तितरभूत् पूर्वं श्रीभद्रवाहुसूरिकृता ।
 कलिदोपात् साऽनेशद् व्याचक्षे केवल सूत्रम् ॥ ५ ॥

इसके बाद आचार्य ने प्रथम सूत्र का उत्थान करते हुए मूत्र स्पष्टिक व्याख्यान प्रारम्भ किया है। प्रथम सूत्र के व्याख्यान में मिथिला नगरी, मणि-भद्र चैत्य, जितशत्रु राजा, धारिणी देवी और महावीर जिन का साहित्यिक छटायुक्त वर्णन किया है। द्वितीय सूत्रकी व्याख्या में इन्द्रभूति गीतम का वर्णन है। तृतीय सूत्र की वृत्ति में सूर्यप्रज्ञप्ति के मूल विषय का बीस प्राभूतो मे विवेचन है। वे प्राभूत इस प्रकार हैं १. सूर्यमण्डलो की सख्या, २ सूर्य का तिर्यक् परिभ्रम, ३ सूर्य के प्रकाशक्षेत्र का परिमाण, ४. सूर्य का प्रकाशसंस्थान, ५ सूर्य का लेख्याप्रतिघात, ६ सूर्य की ओज सत्थिति, ७ सूर्यलेख्याससृष्ट पुद्गल, ८ सूर्योदयसत्थिति, ९ पौरुषीच्छायाप्रमाण, १० योगस्वरूप, ११. सवत्सरो की आदि, १२ सवत्सरभेद, १३. चन्द्रमा की वृद्ध्यपवृद्धि, १४ ज्योत्सनाप्रमाण, १५ चन्द्रादि का शीघ्रगतिविषयक निर्णय, १६ ज्योत्सना-लक्षण, १७ चन्द्रादि का च्यवन और उपपात, १८. चन्द्रादि का उच्चत्वमान, १९ सूर्यसख्या, २० चन्द्रादि का अनुभाव।^२ इनमें से पहले प्राभूत में आठ, दूसरे मे तीन और दसवें में बाईस उपप्राभूत—प्राभूतप्राभूत है।^३ आगे की वृत्ति में इन्ही सब प्राभूतो एव प्राभूतप्राभूतो का विशद वर्णन है।

१ आगमोदय समिति, मेहसाना, सन् १९१९

२. पृ० ६ ३. पृ० ७-८.

दसवें प्राभृत के ग्यारहवें प्राभृतप्राभृत के विवरण में आचार्य ने लोकश्री तथा उसकी टीका का उल्लेख करते हुए उनमें से उद्धरण दिये हैं : तथा चोक्त लोकश्रियाम्—‘पुणवसु रोहिणी चित्ता मह जेट्ठणुराह कत्तिय विसाहा । चदस्स उभयजोगी’ त्ति, अत्र ‘उभयजोगी’ त्ति व्याख्यानयता टीकाकृतोक्तम्—एतानि नक्षत्राणि ‘उभययोगीनि’ चन्द्रस्योत्तरेण दक्षिणेन च युज्यन्ते, कदाचिद् भेदमप्युपयान्तीति ।^१ पुनर्वसु, रोहिणी, चित्रा, मघा, ज्येष्ठा, अनुराधा, कृत्तिका और विशाखा—ये आठ नक्षत्र उभययोगी हैं अर्थात् चन्द्र की उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में योग प्राप्त करने वाले हैं तथा कभी-कभी भेद को भी प्राप्त होते हैं ।

द्वादश प्राभृत की वृत्ति में स्वकृत शब्दानुशासन का उल्लेख है : चादयो हि पदान्तराभिहितमेवार्थं स्पष्टयति न पुन स्वातन्त्र्येण कमप्यर्थमभिदधति इति, निर्णीतमेतन् स्वशब्दानुशासने ।^२ च आदि पद पदान्तर के इष्ट अर्थ को ही स्पष्ट करते हैं, स्वतन्त्ररूप से किसी अर्थ का प्रतिपादन नहीं करते ।

उन्नीसवें प्राभृत के विवरण में वृत्तिकार ने जीवाभिगमचूर्णिका का उल्लेख किया है तथा उसमें से अनेक उद्धरण दिये हैं । ‘तुटिक’ का शब्दार्थ करते हुए वृत्तिकार कहते हैं उक्त च जीवाभिगमचूर्णो—‘तुटिकमन्त पुरमिति’ ।^३ चन्द्रविमान से सम्बन्धित ‘द्वाषष्टि’ शब्द का स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य कहते हैं : एतच्च व्याख्यान जीवाभिगमचूर्ण्यादिदर्शनतः कृतम्, न पुन स्वमनीषिकया । तथा चास्या एव गाथाया व्याख्याने जीवाभिगमचूर्णिका—चन्द्रविमान द्वाषष्टिभागी क्रियते, ततः पञ्चदशभिर्भागो ह्यियते, तत्र चत्वारो भाषा द्वाषष्टिभागाना पञ्चदशभागो लभ्यन्ते, शेषौ द्वौ भागौ, एतावद् दिने दिने शुक्लपक्षस्य राहुणा मुच्यते, इत्यादि ।^४ इसी प्राभृत की व्याख्या में तत्त्वार्थटीकाकार हरिभद्रसूरि का भी उद्धरण उल्लेख है आह च तत्त्वार्थटीकाकारो हरिभद्रसूरिः—‘नात्यन्तशीताश्चन्द्रमसो नाप्यत्यन्तोष्णाः सूर्याः, किन्तु साधारणा द्वयोरपी’ ति।^५

अन्त के निम्न मंगल-श्लोको के साथ प्रस्तुत विवरण की परिसमाप्ति होती है :^६

१ पृ० १३७ (२)—१३८ (१)

३ पृ० २६६ (२)

५ पृ० २८० (२).

२ पृ० २३३ (१)

४ पृ २७८ (२)

६ पृ २९७

वन्दे यथास्थिताशेषपदार्थप्रतिभासकम् ।
 नित्योदित तमोऽस्पृश्य जैन सिद्धान्तभास्करम् ॥१॥
 विजयन्ता गुणगुरवो गुरवो जिनतीर्थभासनैकपराः ।
 यद्वचनगुणादहमपि जातो लेशेन पटुबुद्धिः ॥२॥
 सूर्यप्रज्ञप्तिमिमामतिगम्भीरा विवृण्वता कुशलम् ।
 यदवापि मलयगिरिणा साधुजनस्तेन भवतु कृती ॥३॥

ज्योतिष्करण्डकवृत्ति :

प्रस्तुत वृत्ति^१ ज्योतिष्करण्डक प्रकीर्णक पर है । प्रारम्भ मे वृत्तिकार आचार्य मलयगिरि ने वीरप्रभु को नमस्कार किया है तथा ज्योतिष्करण्डक का व्याख्यान करने की प्रतिज्ञा की है .

स्पष्ट चराचर विश्वं, जानीते य प्रतिक्षणम् ।
 तस्मै नमो जिनेशाय, श्रो वीराय हितैषिणे ॥१॥
 सम्यग्गुरुपदाम्भोजपयु^२पास्तिप्रसादतः ।
 ज्योतिष्करण्डक व्यक्त, विवृणोमि यथाऽऽगमम् ॥२॥

इसके बाद 'सुण ताव सूरपन्नत्तिवण्णण वित्थरेण ' (गा० १) की व्याख्या प्रारम्भ की है । यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि ज्योतिष्करण्डक की नवीन उपलब्ध प्राकृत वृत्ति^२ मे मलयगिरिकृत प्रस्तुत वृत्ति की प्रथम गाथा 'सुण ताव सुरपन्नत्ति .' के पहले छ गाथाएँ और मिली है जिनमे ज्योतिष्करण्डक सूत्र की रचना की भूमिका के रूप मे यह बताया गया है कि शिष्य गुरु के समक्ष संक्षेप में कालज्ञान सुनने की इच्छा प्रकट करता है और गुरु उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए ज्योतिष्करण्डक के रूप मे उसे कालज्ञान सुनाते हैं ; 'इच्छामि ताव सोतु कालण्णण समासेण', 'सुण ताव सूरपण्णत्ति .' इत्यादि । ये गाथाएँ महत्त्वपूर्ण होने से तथा अन्यत्र उपलब्ध न होने से यहा उद्धृत की जाती है .

कातूण णमोक्कार जिणवरवसभस्स वद्वमाणस्स ।
 जोतिसकरंडगमिण लीलावट्ठीव लोगस्स ॥१॥
 कालण्णणाभिगम सुणह समासेण पागडमहत्थ ।
 णक्खत्त-चद-सूरा जुगम्मि जोगं जघ उवेत्ति ॥२॥

१ ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर सस्था, रतलाम, सन् १९२८

२ यह वृत्ति मुनि श्री पुण्यविजयजी के पास प्रतिलिपि के रूप में विद्यमान है ।

कचि वायगवालम्भ सुतसागरपारग दढचरित्त ।
 अप्पस्सुतो सुविहिय वदिय सिरसा भणति सिस्सो ॥३॥
 सज्झायक्षाणजोगस्स धीर । जदि वो ण कोपि उवरोधो ।
 इच्छामि ताव सोतु कालण्णाण समासेण ॥४॥
 अह भणति एवभणितो उवमा-विण्णाण-णाणसपण्णो ।
 सो समणगधहत्थी पडिहत्थो अण्णवादीण ॥५॥
 दिवसिय-रातिय-पक्खिय-चाउम्मासियत ह य वासियाण च ।
 णिअय पडिक्कमणाण सज्झायस्सा वि य तदत्थे ॥६॥

आचार्य मलयगिरि ने यद्यपि ये गाथाएँ उद्धृत नहीं की किन्तु इनका भावार्थ अपनी टीका में अवश्य दिया। 'सुण ताव सूर' (गा० १) की व्याख्या में वे सर्वप्रथम इन्हीं गाथाओं का भावार्थ पूर्वाचार्योपदर्शित उपोद्घात के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे लिखते हैं. अयमत्र पूर्वाचार्योपदर्शित उपोद्घातः—कोऽपि शिष्योऽल्पश्रुत कचिदाचार्यं पूर्वगतसूत्रार्थधारक वालभ्य श्रुतसागरपारगत शिरसा प्रणम्य विज्ञपयति स्म, यथा—भगवन् ! इच्छामि युष्माक श्रुतनिधीनामन्ते यथाऽवस्थित कालविभागं ज्ञानुमिति । तत एवमुक्ते सति आचार्य आह—ऋणु वत्स ! तावदवहितो कथयामि ।^१ प्रस्तुत प्रकीर्णक सूर्यप्रज्ञप्ति के आधार पर लिखा गया है. सूर्य प्रज्ञप्तेरिद प्रकरणमुद्धृतम् ।^२ इस प्रकार प्रथम गाथा के भूमिकारूप व्याख्यान के अनन्तर आचार्य ने कालप्रमाण आदि विषयो से सम्बन्धित आगे की गाथाओं का विवेचन प्रारम्भ किया है।

कालविषयक सख्या का प्रतिपादन करते हुए आचार्य ने वालभी और माथुरी वाचनाओं का उल्लेख किया है और बताया है कि स्कन्दिलाचार्य के समय में एक बार दुर्भिक्ष पडने से साधुओं का पठन-पाठन बंद हो गया। दुर्भिक्ष का अन्त होने पर सुभिक्ष के समय एक वालभी में और एक मथुरा में इस प्रकार दो सध एकत्रित हुए। दोनों स्थानों पर सूत्रार्थ का संग्रह करने से परस्पर वाचनाभेद हो गया। ऐसा होना अस्वाभाविक भी नहीं है क्योंकि विस्मृत सूत्रार्थ का स्मरण कर-करके सघटन करने से वाचनाभेद हो ही जाता है। इस समय वर्तमान अनुयोगद्वारादिक माथुरी वाचनानुगत हैं जबकि ज्योतिष्करण्डक सूत्र का निर्माण करने वाले आचार्य वालभी हैं। अतः प्रस्तुत सूत्र का सख्या-स्थानप्रतिपादन वालभी वाचनानुगत होने के कारण अनुयोगद्वारप्रतिपादित सख्यास्थान से विसदृश है। वृत्तिकार के स्वयं के शब्दों में यह स्पष्टीकरण इस

प्रकार है : इह स्कन्दिलाचार्यप्रवृत्तौ दुष्प्रमानुभावतो दुर्भिक्षप्रवृत्त्या साधूनां पठनगुणनादिक सर्वमप्यनेशात्, ततो दुर्भिक्षातिक्रमे सुभिक्षप्रवृत्तौ द्वयो सङ्घमेलापकोऽभवत्, तद्यथा—एको वालभ्यामेको मथुराया, तत्र च सूत्रार्थसङ्घटनेन परस्पर वाचनाभेदो जात, विस्मृतयोर्हि सूत्रार्थयो स्मृत्वा स्मृत्वा सङ्घटने भवत्यवश्य वाचनाभेदो, न काचिदनुपपत्ति, तत्रानुयोगद्वारादिकमिदानी वर्तमान माथुरवाचनानुगत, ज्योतिष्क-रण्डकसूत्रकर्ता चाचार्यो वालभ्य, तत इद सख्यास्थानप्रतिपादन वालभ्यवाचनानुगतमिति नास्यानुयोगद्वारप्रतिपादितसख्यास्थानै सह विसदृशत्वमुपलभ्य विचिकित्सितव्यमिति ।^१

कालविभागविषयक व्याख्यान के अन्त मे वृत्तिकार ने इसी ज्योतिष्करण्डक के टीकाकार पादलिप्तसूरि का एक वाक्य उद्धृत किया है तथा चास्यैव ज्योतिष्करण्डकस्य टीकाकार. पादलिप्तसूरिराह—‘ए ए उ सुमसुसमादयो श्रद्धाविसेसा जुगाइणा सह पवत्तते, जुगतेण सह समप्पति’त्ति।^२ पादलिप्त-सूरि का यह वाक्य इस समय उपलब्ध ज्योतिष्करण्डक की प्राकृत टीका में नहीं मिलता । क्या ये दोनो टीकाएँ एक ही व्यक्ति को नहीं हैं ? क्या उपलब्ध प्राकृत टीका से भिन्न कोई अन्य टीका पादलिप्तसूरि ने लिखी है ? यदि ऐसा है तो उपलब्ध टीका किसकी वृत्ति है ? इस प्रसंग पर इस प्रकार के प्रश्न उठना स्वाभाविक है । आगे जाकर मलयगिरि ने ‘पचेव जोयणसया दसुत्तरा जत्थ मडला ’ (गा० २०५) की व्याख्या मे ज्योतिष्करण्डक की मूलटीका का एक वाक्य उद्धृत किया है . एवरूपा च क्षेत्रकाष्ठा मूलटीकायामपि भाविता, तथा च तद्ग्रन्थ—‘सूरस्स पचजोयणसया दसाहिया कट्ठा, सच्चेव अट्ठहि एगट्ठिभागोहि ऊणिया चदकट्ठा हवइ’ इति ।^३ ठीक इसी प्रकार का वाक्य उपलब्ध प्राकृत टीका में भी मिलता है । वह इस प्रकार है : सूरस्स पचजोयणसयाण दसाधिया कट्ठा सच्चेव अट्ठहि एगट्ठि भागेहि ऊणा चदकट्ठहवति ।^४ इससे यह फलित होता है कि उपलब्ध प्राकृत टीका आचार्य मलयगिरिनिर्दिष्ट ज्योतिष्करण्डक की मूलटीका है और पादलिप्तसूरि की टीका कोई दूसरी ही होनी चाहिए । किन्तु उपलब्ध टीका के अन्त में जो वाक्य मिलता है उससे यह फलित होता है कि यह टीका पादलिप्तसूरि की कृति है । वह वाक्य कुछ अशुद्धरूप में इस प्रकार है . पुव्वायरियकया य नीति समस-

१ पृ. ४१ २ पृ ५२.

३. पृ १२१ ४. प्राकृत वृत्ति, पृ ३५ (हस्तलिखित)

समएण पालित्तएण ईणमो रइयागाहाहिं परिवाडी^१ इस वाक्य से यह ध्वनि निकलती है कि यह टीका पादलिप्तसूरि ने लिखी है। यदि ऐसा है तो मलयगिरिद्वारा उद्धृत 'एए उ सुसमसुसमादयो अद्धाविसेसा' वाक्य इस टीका में क्यों नहीं मिलता? इस प्रश्न का एक ही उत्तर हो सकता है और वह यह कि यदि उपलब्ध टीका पादलिप्तसूरि की ही है तो यह तथा इस प्रकार के और भी कुछ वाक्य इस टीका से धीरे-धीरे लुप्त हो गये हैं।

प्रस्तुत वृत्ति का उपसंहार करते हुए वृत्तिकार मलयगिरि कहते हैं कि यह कालज्ञानसमास शिष्यो के विबोधनार्थं दिनकरप्रज्ञप्ति (सूर्यप्रज्ञप्ति) के आधार से पूर्वाचार्य ने तैयार किया है। परम्परा से सर्वविद्मूलक होने के कारण प्रस्तुत ग्रन्थ जिसका कि नाम ज्योतिष्करण्डक है विद्वानो के लिए अवश्य ही उपादेय है।^२ अन्त में निम्न श्लोक देते हुए टीका समाप्त करते हैं :

यद्गदितमल्पमतिना जिनवचनविरुद्धमत्र टीकायाम् ।
विद्वद्भिस्तत्त्वज्ञै प्रसादमाधाय तच्छोध्यम् ॥१॥
ज्योतिष्करण्डकमिदं गम्भीरार्थं विवृण्वता कुशलम् ।
यदवापि मलयगिरिणा सिद्धिं तेनाश्नुता लोक ॥२॥

अर्थात् प्रस्तुत टीका में मुझ अल्पबुद्धि द्वारा यदि कोई बात जिनवचन से विरुद्ध कही गई हो तो विद्वान् तत्त्वज्ञ कृपा कर उसे ठीक कर लें। इस गम्भीरार्थं ज्योतिष्करण्डक के विवरण से मलयगिरि को जो पुण्य प्राप्त हुआ है उससे लोक का कल्याण हो।

जीवाभिगमविवरण :

तृतीय उपाग जीवाभिगम की प्रस्तुत टीका^३ में आचार्य ने मूल सूत्र के प्रत्येक पद का व्याख्यान किया है। यत्र-तत्र अनेक प्राचीन ग्रन्थों के नाम तथा उद्धरण भी दिये हैं। इसी प्रकार कुछ ग्रन्थकारों के नाम का भी उल्लेख किया है। प्रारम्भ में निम्न मंगलश्लोक है -

प्रणमत पदनखतेज प्रतिहृत्तनि शेषनम्रजनतिमिरम् ।
वीर परतीर्थियशोद्धिरदघटाञ्चसकेसरिणम् ॥ १ ॥
प्रणिपत्य गुरुन् जीवाजीवाभिगमस्य विवृतिमहमनघाम् ।
विदधे गुरुपदेशात्प्रबोधमाधातुमल्पधियाम् ॥ २ ॥
मंगल का प्रयोजन आदि बताने के बाद सूत्रों की व्याख्या प्रारम्भ की है।

१ प्राकृतवृत्ति, पृ० ९३ (हस्तलिखित) २ वही पृ० २६६.

३ देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई, सन् १९१९.

'से किं त अजीवाभिगमे' (सू० ३-५) का व्याख्यान करते हुए तन्तु और पट के सम्बन्ध की चर्चा की है। इसी प्रसंग पर (मलयगिरिकृत) धर्म-संग्रहणि टीका का उल्लेख करते हुए आचार्य कहते हैं 'कृत प्रसंगेन, अन्यत्र धर्मसंग्रहणिटीकादावेतद्वादस्य चर्चितत्वात् ।' आगे (मलयगिरिकृत) प्रज्ञापनाटीका का भी उल्लेख है : अस्य व्याख्यान प्रज्ञापनाटीकातो वेदितव्य ।^१ तैसि ण भते । जीवाणा कति सरोरया ' (सू० १३) के विवेचन में (हरिभद्रकृत) प्रज्ञापनामूलटीका का उल्लेख किया है इहाणुत्व-वादरत्वे तेषामेवाहारयोग्याना स्कन्धाना प्रदेशस्तोकत्ववाहुत्यापेक्षया प्रज्ञापनामूलटीकाकारेणापि व्याख्याते इत्यस्माभिरपि तथैवाभिहिते ।^२ इसी सूत्र की व्याख्या में तत्त्वार्थमूलटीका का भी उल्लेख है ।^३ 'से किं त नेरइया ' (सूत्र ३२) का व्याख्यान करते हुए आचार्य ने संग्रहणिटीका का उल्लेख किया है 'प्रतिपृथिवि तूत्कपंत प्रमाण संग्रहणिटीकातो भावनीय, तत्र सविस्तरमुक्तत्वात् ।' 'से किं त यलयर ' (सू० ३६) की व्याख्या में माण्डलिक, महामाण्डलिक, ग्राम, निगम, रोट, कवंट, मडम्ब, पत्तन, द्रोणमुख, आकर, आश्रम, सवाध, राजधानी आदि विविध जन-वसतियों के स्वरूप का निर्देश किया गया है ।^४ 'से किं त मणुस्सा ' (सू० ४१) का विवेचन करते हुए आचार्य ने ज्ञानियों के विविध भेदों पर प्रकार डाला है और बताया है कि सिद्धप्राभृत आदि में अनेक प्रकार के ज्ञानियों का वर्णन है : सिद्धप्राभृतादी तथानेकशोऽभिधानात् ' ।^५ आगे विशेषणवती (जिनभद्रकृत) का भी उल्लेख है ।^६ इत्थिवेदस्स ण भते । कम्मस्स' (सू० ५१) की व्याख्या में (हरिभद्रकृत जीवाभिगम की) मूलटीका, पचसग्रह तथा कर्मप्रकृतिमग्रहणी का उल्लेख किया गया है ।^७ 'णपु सकस्स ण ' (सू० ५९) की व्याख्या में एक संग्रहणी-गाथा उद्धृत की गयी है ।^८ नरकावासो के विस्तार का वर्णन करते हुए टीकाकार ने क्षेत्रसमासटीका और जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिटीका का उल्लेख किया है परिक्षेपपरिमाणगणितभावना क्षेत्रसमासटीकातो जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिटीकातो वा वेदितव्या ।^९ रत्नप्रभापृथ्वी के नारको की वेदना का वर्णन करने के बाद उनकी वैक्रियशक्ति का वर्णन करते समय 'आह च कर्मप्रकृतिसंग्रहणिचूणि-कारोऽपि' यह कहते हुए आचार्य ने कर्मप्रकृतिसंग्रहणिचूणि के 'पुहुत्तशब्दो बहुत्तवाइ' अर्थात् 'पृथक्त्व शब्द बहुत्ववाची है' ये शब्द उद्धृत किये

१. पृ० ५ (२) २. पृ० ७ (२) ३. पृ० १९ (२) ४ पृ० १६ (१) .
 ५. पृ० ३३ (२) ६. पृ० ३९. ७ पृ० ४६ (२) . ८. पृ० ५० (१)
 ९ पृ० ६४ (१) १०. पृ० ७७ (२) - ७८ (१) ११. पृ० १०८ (१) .

हैं।^१ नारको की शीतोष्णवेदना का विवेचन करते हुए टीकाकार ने शरदादि ऋतुओ का स्वरूप बताया है। ऋतुएँ छ हैं : प्रावृत्, वर्षारत्र, शरत्, हेमन्त, वसन्त और ग्रीष्म। इस क्रम के समर्थन के लिए पादलिप्तसूरि की एक गाथा उद्धृत की गयी है -

पाउस वासारत्तो, सरओ हेमत वसंत गिम्हो य ।
एए खलु छप्पि रिऊ, जिणवरदिट्ठा मए सिट्ठा ॥

प्रथम शरत्कालसमय कार्तिकसमय है, इसका समर्थन करते हुए (जीवाभिगम के) मूलटीकाकार के 'प्रथमशरत् कार्तिकमास' ये शब्द उद्धृत किये हैं।^२ आगे वसुदेवचरित (वसुदेवहिण्डी) का भी उल्लेख है।^३ प्रस्तुत विवरण में जीवाभिगम की मूलटीका की ही भाँति उसकी चूर्णिका भी उल्लेख किया गया है एव उसके उद्धरण दिये गये हैं।^४ ज्योतिष्क देवों के विमानों का वर्णन करने वाले सूत्र (१२२) 'कहि ण भते । जोइसियाणा देवाण विमाणा पण्णत्ता' का व्याख्यान करते हुए टीकाकार ने एतद्विषयक विशेष चर्चा के लिए (मलयगिरिकृत) चन्द्रप्रज्ञप्तिटीका, सूर्यप्रज्ञप्तिटीका तथा सग्रहणिटीका के नाम सूचित किये हैं अत्राक्षेपपरिहारौ चन्द्रप्रज्ञप्तिटीकाया सूर्यप्रज्ञप्तिटीकाया सग्रहणिटीकाया चाभिहिताविति ततोऽवधार्यौ।^५ आगे देशीनाममाला का भी उल्लेख है।^६ एकादश अलकारों के वर्णन के लिए भरतविशाखिल का उल्लेख किया गया है जो व्यवच्छिन्न पूर्वों का एक अत्यन्त अल्प अक्ष है तानि च पूर्वाणि सम्प्रति व्यवच्छिन्नानि ततः पूर्वैभ्यो लेशतो विनिर्गतानि यानि भरतविशाखिलप्रभृतीनि तेभ्यो वेदितव्या।^७ 'विजयस्स ण दारस्स' (सू० १३१) का विवेचन करते हुए टीकाकार ने 'उक्त च जीवाभिगममूलटीकाया' ऐसा कह कर 'तैलसमुद्गकौ सुगन्धितैलाधारौ' ये शब्द जीवाभिगममूलटीका से उद्धृत किये हैं। आगे राजप्रश्नीयोपाग में वर्णित बत्तीस प्रकार की नाट्यविधि का सुन्दर शब्दावली में वर्णन किया है।^८ 'लवणे ण भते' (सू० १५५) की व्याख्या करते हुए आचार्य ने सूर्यप्रज्ञप्तिनियुक्ति की एक गाथा उद्धृत की है -^९

जोइसियविमाणाइ सब्वाइ हवति फलिहमइयाइ ।
दगफालियामया पुण लवणे जे जोइसविमाणा ॥

-
- १ पृ० ११९ (१) २. पृ० १२२ (१) ३ पृ० १३० (१)
४ पृ० १३६ (२), २०८ (२) ५ पृ० १७४ (१) ६. पृ० १८८ (१)
७ पृ० १९४ (१). ८ पृ० २४६ ९ पृ० ३०३ (२).

अर्थात् लवणसमुद्र को छोड़कर शेष द्वीप-समुद्र में जितने भी ज्योतिष्क-विमान हैं, सब सामान्य स्फटिक के हैं। लवणसमुद्र के ज्योतिष्क-विमान उदक-स्फाटन स्वभाव अर्थात् पानी को फाड़ देनेवाले स्फटिक के बने हुए हैं। 'समय-खेत्तं ण भते' (सन् १७७) की व्याख्या में पचवस्तुक^१ और हरिभद्र की तत्त्वार्यटीका^२ के उदाहरण दिये हैं। आगे तत्त्वार्यभाष्य^३, जिनभद्रगणिदामाश्रमण की स्वोपज्ञ भाष्यटीका (त्रिशेषावश्यकभाष्यटीका)^४ और पचसप्तहटीका^५ का उल्लेख करते हुए इनके भी उद्धरण दिये गये हैं। विवरण के अन्त में आचार्य मलयगिरि ने निम्न श्लोकों की रचना की है।^६

जयति परिस्फुटविमलज्ञानविभासितसमस्तवस्तुगण ।

प्रतिहतपरतीर्थमतः श्रीवीरजिनेश्वरो भगवान् ॥ १ ॥

सरस्वती तमोवृन्द, शरज्ज्योत्स्नेव निघ्नतो ।

नित्य वो मगलम् दिश्यान्मुनिभिः पर्युपासिता ॥ २ ॥

जीवाजीवाभिगम विवृण्वताऽवापि मलयगिरिणेह ।

कुशल तेन लभन्ता मुनय सिद्धान्तसद्वोधम् ॥ ३ ॥

व्यवहारविवरण :

प्रस्तुत विवरण^१ मूत्र मूत्र नियुक्ति एव भाष्य पर है। प्रारम्भ में प्रस्तावना-रूप पोठिका है जिसमें कल्प, व्यवहार, दोष, प्रायश्चित्त आदि पर प्रकाश डाला गया है। सर्वप्रथम विवरणकार आचार्य मलयगिरि भगवान् नेमिनाथ, अपने गुहवर एव व्यवहारचर्चिकार को नमस्कार करते हैं तथा व्यवहार सूत्र का विवरण लिखने को प्रतिज्ञा करते हैं।

प्रणमत नेमिजिनेश्वरमखिलप्रत्यूहृत्तिमिररविम्बम् ।

दर्शनपथमवतीर्णो, शशिवद् दृष्टे प्रसत्तिकरम् ॥ १ ॥

नत्वा गुस्पदरुमल, व्यवहारमह विचित्रनिपुणार्थम् ।

विवृणोमि यथाशक्ति, प्रबोधहेतोर्जडमतीनाम् ॥ २ ॥

विशमपदविवरणेन, व्यवहृतंब्यो व्यधायि साधूनाम् ।

येनाय व्यवहारः, श्रीचर्णिकृते नमस्तस्मै ॥ ३ ॥

भाष्ये क्व चेद विषमार्थगर्भं, क्व चाहमेपोऽल्पमतिप्रकर्षं ।

तथापि सम्यग्गुरुपर्युपास्तिप्रसादतो जातदृढप्रतिज्ञः ॥ ४ ॥

१ पृ० ३३८ (१) २. पृ० ३४० (२) ३ पृ० ३७९ (१).

४ पृ० ४०१ (२) ५ पृ० ४११ (२) ६ पृ० ४६६ (२)

७ सशोधरु—मुनि माणेरु; प्रकाशरु—केशवलाल प्रेमचन्द्र मोदी व त्रिक्रमलाल उगरचद, अहमदाबाद, वि० सं० १९८२-५.

कल्प (बृहत्कल्प) सूत्र और व्यवहार सूत्र का अन्तर स्पष्ट करते हुए प्रारम्भ में ही आचार्य कहते हैं कि कल्पाध्ययन में प्रायश्चित्त का कथन तो किया गया है किन्तु प्रायश्चित्तदान की विधि नहीं बताई गई है । व्यवहार में प्रायश्चित्तदान और आलोचनाविधि का अभिधान है । इस प्रकार के व्यवहाराध्ययन की यहाँ व्याख्या की जायेगी ... कल्पाध्ययने आभवत्प्रायश्चित्तमुक्त, व्यवहारे तु दानप्रायश्चित्तमामालोचनाविधिश्चाभिधास्यते । तदनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्यवहाराध्ययनस्य विवरण प्रस्तुयते ।^१

‘व्यवहार’ शब्द का विशेष विवेचन करने के लिए भाष्यकार-निर्दिष्ट व्यवहार, व्यवहारी और व्यवहर्तृ—इन तीनों के स्वरूप पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । व्यवहारो कर्तारूप है, व्यवहार करण रूप है और व्यवहृतव्य कार्यरूप है । करणरूप व्यवहार पाँच प्रकार का है : आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा और जीत ।^२ चूर्णिकार ने भी इस पाँच प्रकार के व्यवहार को करण कहा है • आह् चूर्णिकृत-पचविधो व्यवहारः करणमिति ।^३ सूत्र, अर्थ, जीत, कल्प, मार्ग, न्याय, इप्सितव्य, आचरित और व्यवहार एकार्थक है ।^४

व्यवहार का उपयोग गीतार्थ के लिए है, अगीतार्थ के लिए नहीं । जो स्वयं व्यवहार को जानता है अथवा समझाने से समझ जाता है वह गीतार्थ है । इसके विपरीत अगीतार्थ है । वह न तो स्वयं व्यवहार से परिचित होता है और न समझाने से ही समझता है । इस प्रकार के व्यक्ति के लिए व्यवहार का कोई उपयोग नहीं है ।^५

व्यवहारोक्त प्रायश्चित्तदान के लिए यह आवश्यक है कि प्रायश्चित्त देनेवाला और प्रायश्चित्त लेने वाला दोनों गीतार्थ हो । अगीतार्थ न तो प्रायश्चित्त देने का अधिकारी है और न लेने का । प्रायश्चित्त क्या है, इस प्रश्न को लेकर आचार्य ने प्रायश्चित्त का अर्थ बताते हुए उसके प्रतिसेवना, सयोजना, आरोपणा और परि-कुञ्चना—इन चार भेदों का सविस्तार व्याख्यान किया है ।^६ प्रतिसेवनारूप प्रायश्चित्त दस प्रकार का है • १ आलोचना, २ प्रतिक्रमण, ३ मिश्र, ४. विवेक, ५ व्युत्सर्ग, ६ तप, ७. छेद, ८ मूल, ९ अनवस्थित, १०. पाराचित ।^७

१ प्रथम विभाग, पृ० १

२ इनका विशेष वर्णन जीतकल्पभाष्य में देखिए ।

३ पृ० ३

४. पृ० ५ (भाष्य, गा० ७) .

५ पृ० १३ (भाष्य, गा० २७) - ६ पृ० १५.

७ पृ० १९.

प्रस्तुत पीठिका मे इन दस प्रकार के प्रायश्चित्तो का विशेष विवेचन किया गया है। यही विवेचन जोतकल्पभाष्य आदि ग्रथो मे भी उपलब्ध है। प्रायश्चित्त-दान की विधि के व्याख्यान के साथ पीठिका का विवरण समाप्त होता है। आगे की वृत्ति मे प्रथमादि उद्देशो का सूत्र, निर्युक्ति एव भाष्यस्पर्शा विवेचन है। प्रथम उद्देश के प्रथमसूत्रान्तर्गत 'पडिसेवित्ता' का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार ने बताया है कि प्रतिसेवना दो प्रकार की है मूल प्रतिसेवना और उत्तर प्रतिसेवना। मूल प्रतिसेवना पाँच प्रकार की है और उत्तर प्रतिसेवना दस प्रकार की है। इनमे से प्रत्येक के पुन दो भेद हैं दर्पिका और कल्पिका :—

मूलोत्तरपडिसेवा मूले पचविहे उत्तरे दसहा।

एक्केक्का वि य दुविहा दप्पे कप्पे य नायव्वा ॥भा० ३८॥

इस गाथा का व्याख्यान करते हुए वृत्तिकार लिखते हैं

'प्रतिसेवना नाम प्रतिसेवना सा च द्विधा मूलोत्तरत्ति, पदैकदेशे पदममुदायोपचारात् मूलगुणातिचारप्रतिसेवना, उत्तरगुणातिचारप्रतिसेवना च। तत्र मूले पचविहत्ति मूलगुणातिचारप्रतिसेवना पञ्चविधा पञ्चप्रकारा, मूलगुणातिचाराणा प्राणातिपातादीना पञ्चविधत्वाद्, उत्तरे त्ति उत्तरगुणातिचारप्रतिसेवना दशधा दसप्रकारा, उत्तरगुणाना दशविधतया तदतिचाराणामपि दशविधत्वात् ते च दशविधा उत्तरगुणा दशविधं प्रत्याख्यान तद्यथा—अनागतमतिक्रान्त कोटोसहित नियन्त्रित, साकार—मनाकार परिमाणकृतं निरवशेष साङ्केतिकमद्धाप्रत्याख्यान च। अथवा इमे दशविधा उत्तरगुणा। तद्यथा—पिण्डविशोधिरेक उत्तरगुण, पञ्चसमितयः पञ्च उत्तरगुणा, एव पट् तपोबाह्य षट्प्रभेद सप्तम उत्तरगुण, अभ्यन्तर षट्प्रभेदमष्टमः, भिक्षुप्रतिमा द्वादश नवम, अभिग्रहा द्रव्यक्षेत्रकालभावभेदभिन्ना दशम। एतेषु दशविधेषूत्तरगुणेषु याऽतिचारप्रतिसेवना सापि दशविधेति। एक्केक्का वि य दुविहा इत्यादि एकैका मूलगुणातिचारप्रतिसेवना उत्तरगुणातिचार प्रतिसेवना च प्रत्येक सप्तभेदा द्विविधा द्विप्रकारा ज्ञातव्या। तद्यथा—दप्पे कप्पे च दर्पिका कल्पिका चेत्यर्थः। तत्र या कारणमन्तरेण प्रतिसेवना क्रियते सा दर्पिका, या पुनः कारणे सा कल्पिका।'^१

प्रतिसेवना दो प्रकार की है मूलगुणातिचारप्रतिसेवना और उत्तरगुणातिचारप्रतिसेवना। मूलगुणातिचारप्रतिसेवना मूलगुणो के प्राणातिपातादि पाच प्रकार के अतिचारो के कारण पाँच प्रकार की है। उत्तरगुणातिचारप्रतिसेवना दस प्रकार की

१. द्वितीय विभाग, पृ० १३-४.

है क्योंकि उत्तरगुणों के दस भेद हैं अतः उनके अतिचारों के भी दस भेद हैं। दस प्रकार के प्रत्याख्यानरूप उत्तरगुण इस प्रकार हैं : अनागत, अतिक्रान्त, कोटी-सहित, नियत्रित, साकार, अनाकार, परिमाणकृत, निरवशेष, साकेतिक और अद्धा-प्रत्याख्यान। अथवा उत्तरगुणों के दस भेद ये हैं - पिण्डविशुद्धि, पाँच समितिया, बाह्यतप, आभ्यन्तरतप, भिक्षुप्रतिमा और अभिग्रह। मूलगुणातिचारप्रतिसेवना और उत्तरगुणातिचारप्रतिसेवना के इन भेदों में से प्रत्येक के पुन दो भेद हैं : दप्यं और कल्प्य। अकारण प्रतिसेवना दर्पिका है और सकारण प्रतिसेवना कल्पिका है। इसी प्रकार आचार्य ने आगे भी अनेक सूत्रसम्बद्ध विषयो का सुस-तुलित विवेचन किया है। अन्त में विवरणकार ने अपना नाम-निर्देश करते हुए लिखा है -

देशक इव निर्दिष्टा विषमस्थानेषु तत्त्वमार्गस्य ।
 विदुषामतिप्रशस्यो जयति श्रीचूर्णिकारोऽसौ ॥१॥
 विषमोऽपि व्यवहारो व्यधायि सुगमो गुरूपदेशेन ।
 यद्वापि तत्र पुण्य तेन जनः स्यात्सुगतिभागी ॥२॥
 दुर्बोधात्तपकष्टव्यपगमलब्धैकविमलकीर्तिभर- ।
 टीकामिमामकार्पीत् मलयगिरि पेशलवचोभि- ॥३॥
 व्यवहारस्य भगवतो यथास्थितार्थप्रदर्शनदक्षम् ।
 विवरणमिदं समाप्त श्रमणगणानाममृतभूतम् ॥४॥

विवरण का ग्रथमान ३४६२५ श्लोक-प्रमाण है। प्रस्तुत संस्करण में अनेक अशुद्धियाँ हैं जिनका सशोधन अत्यावश्यक है।

राजप्रश्नीयविवरण

द्वितीय उपाग राजप्रश्नीय के प्रस्तुत विवरण^१ के प्रारम्भ में विवरणकार आचार्य मलयगिरि ने वीर जिनेश्वर भगवान् महावीर को नमस्कार किया है तथा राजप्रश्नीय का विवरण लिखने की प्रतिज्ञा की है :

प्रणमत वीरजिनेश्वरचरणयुग परमशाटलच्छायम् ।
 अधरीकृतनतवासवमुकुटस्थितरत्नरुचिचक्रम् ॥१॥
 राजप्रश्नीयमह विवृणोमि यथाऽऽगम गुरुनियोगात् ।
 तत्र च शक्तिमशक्तिं गुरवो जानन्ति का चिन्ता ॥२॥

१ (अ) रायब्रह्मादुर घनपतसिंह, कलकत्ता, सन् १८८०.

(आ) आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९२५

(इ) सम्पादक—पं० बेचरदास जीवराज दोशी, प्रका०—गूर्जर ग्रन्थरत्न कार्यालय, अहमदाबाद, वि० सं० १९९४.

इसके बाद आचार्य ने इस उपाग का नाम 'राजप्रश्नीय क्यो' रखा गया, इस पर प्रकाश डाला है। वे लिखते हैं।

'अथ कस्माद् इदमुपाङ्गं राजप्रश्नीयाभिधानमिति ? उच्यते—इह प्रदेशिनामा राजा भगवतः केशिकुमारश्रमणस्य समीपे यान् जीवविषयान् प्रश्नानकार्षित् यानि च तस्मै केशिकुमारश्रमणो गणभृत् व्याकरणानि व्याकृतवान्, यच्च व्याकरणसम्यक्परिणतिभावतो बोधिमासाद्य मरणान्ते शुभानुशययोगतः प्रथमे सौधर्मनाम्नि नाकलोके विमानमाधिपत्येनाध्य-
तिष्ठत्, यथा च विमानाधिपत्यप्राप्त्यनन्तरं सम्यगवधिज्ञानाभोगतः श्रीमद्वर्धमानस्वामिनः भगवन्तमालोक्य भक्त्यतिशयपरीतचेताः सर्वस्व-
सामग्रीसमेत इहावतीर्थं भगवतः पुरतो द्वात्रिंशद्विधिनाट्यमनरीनृत्यत्, नर्तित्वा च यथाऽऽयुष्क दिवि सुखमनुभूय ततश्च्युत्वा यत्र समागत्य मुक्तिपदमवाप्स्यति, तदेतत्सर्वमस्मिन् उपाङ्गेऽभिधेयम्। परं सकलवक्त-
व्यतामूलम्—'राजप्रश्नीय' इति—राजप्रश्नेषु भव राजप्रश्नीयम्।'

प्रदेशी नामक राजा ने केशिकुमार नामक श्रमण से जीवविषयक अनेक प्रश्न पूछे। प्रदेशी का केशिकुमार के उत्तर से समाधान हुआ और वह अपने शुभ अव्यवसायो के कारण मरने के बाद सौधर्म नामक प्रथम देवलोक में विमानाधिपति के रूप में उत्पन्न हुआ। वहा से सम्यक् अवधिज्ञान से भगवान् वर्धमान को देखकर भक्ति के अतिशय के कारण सर्व सामग्री से सज्जित हो भगवान् के पास आया और वक्तोस प्रकार के नाटक खेले। अपने देवलोक के सुख को भोगकर वहा से च्युत होकर वह कहा जाएगा व किम प्रकार मुक्ति प्राप्त करेगा, आदि बातों का वर्णन प्रस्तुत उपाग में है। इस सारे वक्तव्य का तात्पर्य यह है कि यह ग्रन्थ राजा के प्रश्नों से सम्बन्धित है अतः इसका नाम 'राज-प्रश्नीय' है। प्रस्तुत वक्तव्य में आचार्य ने ग्रन्थ के शब्दार्थ के साथ ही साथ ग्रन्थ के विषय पर भी प्रकाश डाला है।

इसके बाद विवरणकार ने दूसरा प्रश्न किया है। यह किस अंग का उपाग है ? यह सूत्रकृताग का उपाग है। यह सूत्रकृताग का उपाग क्यो है, इस पर भी आचार्य ने हेतु पुरस्सर प्रकाश डाला है अथ कस्याङ्गस्य इदमुपाङ्गम् ? उच्यते-
सूत्रकृताङ्गस्य, कथं तदुपाङ्गतेति चेत्, उच्यते सूत्रकृते ह्यङ्गे ।'

प्रथम सूत्रान्तर्गत आमलकल्पा—आमलकल्पा नामक नगरी का वर्णन करते हुए आचार्य ने लिखा है कि वह नगरी इस समय (मलयगिरि के काल में) भी

विद्यमान है : तस्मिन् समये आमलकला नाम नगरी अभवत्, ननु इदानीमपि सा नगरी वर्तते ।^१ द्वितीय सूत्रान्तर्गत आम्रशालवन—अम्रशालवण नामक चैत्य का वर्णन करते हुए 'चैत्य' का अर्थ इस प्रकार किया है चित्ते.—लेप्यादिचयनस्य भावः कर्म वा चैत्यम्, तच्च इह सज्ञाशब्दत्वात् देवताप्रतिविम्बे प्रसिद्धम्, नतस्तदाश्रयभूत यद् देवताया गृह तदप्युपचारात् चैत्यम्, तच्चेह व्यन्तरायतन द्रष्टव्यं न तु भगवतामर्हतामायतनम् ।^२ 'चैत्य' शब्द देवता के प्रतिविम्ब के अर्थ में प्रसिद्ध है। उपचार से देवता के प्रतिविम्ब का आश्रयभूत देवगृह भी चैत्य कहलाता है। यहाँ पर चैत्य शब्द का ग्रहण व्यन्तरायतन के रूप में करना चाहिए, न कि अर्हदायतन के रूप में। तृतीय सूत्रान्तर्गत 'पहकर' शब्द का व्याख्यान करते हुए देशीनाममाला का एक उद्धरण दिया है पहकरा. सघाता.—'पहकर-ओरोह-सघाया इति देशीनाममालावचनात् ।^३ आचार्य हेमचन्द्रविरचित देशीनाममाला में उपर्युक्त उद्धरण उपलब्ध नहीं है। संभवत यह उद्धरण किसी अन्य प्राचीनतर देशीनाममाला का है। प्रस्तुत विवरण में आचार्य ने अनेक स्थानों पर जीवाभिगम-मूलटीका का उल्लेख किया है एवं उसके उद्धरण दिये हैं।^४ कही-कही सूत्रों के वाचनाभेद-पाठभेद का भी निर्देश किया है इह प्राक्तनो ग्रन्थ प्रायोऽपूर्वं भूयानपि च पुस्तकेषु वाचनाभेदस्ततो माऽभूत् शिष्याणा मम्मोह इति क्वापि सुगमोऽपि यथावस्थितवाचनाक्रमप्रदर्शनार्थं लिखितः^५, अत्र भूयान् वाचनाभेद^६, अत ऊर्ध्वं सूत्र सुगम केवल भूयान् विधिविषयों वाचनाभेद इति यथावस्थितवाचनाप्रदर्शनार्थं विधिमात्रमुपदर्शयते^७ इत्यादि। अन्त में टीकाकार ने प्रस्तुत विवरण से प्राप्त पुण्य से साधुजनो को कृतार्थ करते हुए ग्रन्थ समाप्त किया है :

राजप्रश्नीयमिद गम्भीरार्थं विवृण्वता कुशलम् ।

यदवापि मलयगिरिणा साधुजनस्तेन भवतु कृनी ।

विवरण का ग्रन्थमान ३७०० श्लोक-प्रमाण है

प्रत्यक्षरगणनातो ग्रन्थमान विनिश्चितम् ।

सप्तत्रिंशच्छतान्यत्र श्लोकाना सर्वसख्यया ॥

पिण्डनियुक्तिवृत्ति :

प्रस्तुत वृत्ति^८, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आचार्य भद्रबाहुकृत पिण्ड-

१. पृ० ३. २. पृ० ७ ३ पृ० १६. ४ पृ० १६८, १७६, १७७, १८०, १८९, १९५ ५ पृ० २३९. ६ पृ० २४१ ७ पृ० २५९.

८ देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई, सन् १९१८

नियुक्ति पर है। इसमें भाष्य की ४६ गाथाओं का भी समावेश है। इनके भाष्यगाथाएँ होने का निर्देश स्वयं वृत्तिकार ने किया है। प्रारम्भ में आचार्य ने वर्धमान जिनेश्वर का स्मरण करके अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है तथा पिण्डनियुक्ति की सक्षिप्त एव स्पष्ट व्याख्या लिखने की प्रतिज्ञा की है :

जयति जिनवर्धमान परहितनिरतो विधूतकर्म्मरजा ।
मुक्तिपथचरणपोपकनिरवद्याहारविधिदेशी ॥ १ ॥
नत्वा गुरुपदकमल गुरूपदेशेन पिण्डनियुक्तिम् ।
विवृणोमि समासेन स्पष्टं शिष्यावबोधाय ॥ २ ॥

पिण्डनियुक्ति किस सूत्र से सम्बद्ध है ? इस प्रश्न का उत्तर टीकाकार ने इस प्रकार दिया है इह दशाध्ययनपरिमाणश्चूलिकायुगलभूषितो दशवैकालिको नाम श्रुतस्कन्ध, तत्र च पचममध्ययन पिण्डैपणानामक, दशवैकालिकस्य च नियुक्तिश्चतुर्दशपूर्वविदा भद्रबाहुस्वामिना कृता, तत्र पिण्डैपणाभिधपचमाध्ययननियुक्तिरतिप्रभूतग्रन्थत्वात् पृथक् शास्त्रान्तरमिव व्यवस्थापिता, तस्याश्च पिण्डनियुक्तिरिति नाम कृत, पिण्डैपणानियुक्ति पिण्डनियुक्तिरिति मध्यमपदलोपिसमासाश्रयणाद् ।^१

दशवैकालिक सूत्र के पिण्डैपणा नामक पचम अध्ययन की (चतुर्दश-पूर्वविद् भद्रबाहुस्वामिकृत) नियुक्ति का नाम ही पिण्डनियुक्ति है। इसका परिमाण बृहद् होने के कारण इसे पृथक् ग्रन्थ के रूप में स्वीकृत किया गया। चूँकि यह नियुक्तिग्रन्थ दशवैकालिकनियुक्ति से प्रतिबद्ध है अतः इसके आदि में नमस्कार-मंगल भी नहीं किया गया।

प्रस्तुत वृत्ति में आचार्य मलयगिरि ने व्याख्यारूप अनेक कथानक दिये हैं जो संस्कृत में हैं। वृत्ति का ग्रन्थमान ६७०० श्लोक-प्रमाण है। वृत्ति समाप्त करते हुए आचार्य ने पिण्डनियुक्तिकार द्वादशागविद् भद्रबाहु एव पिण्डनियुक्ति-विपमपदवृत्तिकार (आचार्य हरिभद्र व वीरगणि) को नमस्कार किया है तथा लोककल्याण की भावना के साथ अरिहत, सिद्ध, साधु एव जिनोपदिष्ट धर्म का शरण ग्रहण किया है .^२

येनैषा पिण्डनियुक्तियुक्तिरम्या विनिर्मिता ।
द्वादशागविदे तस्मै, नमः श्रीभद्रबाहवे ॥ १ ॥
व्याख्याता यैरेषा विपमपदार्थाऽपि सुललितवचोभिः ।
अनुपकृतपरोपकृतो विवृत्तिकृतस्तान्नमस्कुर्वे ॥ २ ॥

इमा च पिंडनियुक्तिमतिगम्भीरा विवृण्वता कुशलम् ।
 यदवापि मलयगिरिणा सिद्धिं तेनाश्नुता लोकः ॥ ३ ॥
 अर्हन्तः शरणं सिद्धाः, शरणं मम साधवः ।
 शरणं जिननिर्दिष्टो, धर्मं शरणमुत्तमं ॥ ४ ॥

आवश्यकविवरण .

प्रस्तुत विवरण^१ आवश्यकनियुक्ति पर है। यह अपूर्ण ही प्राप्त है। प्रारम्भ में विवरणकार आचार्य मलयगिरि ने भगवान् पार्श्वनाथ, प्रभु महावीर तथा अपने गुरुदेव का स्मरण किया है और बताया है कि यद्यपि आवश्यकनियुक्ति पर अनेक विवरण ग्रन्थ विद्यमान हैं किन्तु उनके कठिन होने के कारण मन्द बुद्धि के लोगों के लिए पुनः उसका विवरण प्रारम्भ किया जाता है .

पान्तु व. पार्श्वनाथस्य पादपद्मनखाशवः ।
 अशेषविघ्नसघाततमोभेदैकहेतवः ॥ १ ॥
 जयति जगदेकदीपः प्रकटितनि शेषभावसद्भावः ।
 कुमत्पतगविनाशी श्रीवीरजिनेश्वरो भगवान् ॥ २ ॥
 नत्वा गुरूपदकमलं प्रभावतस्तस्य मन्दशक्तिरपि ।
 आवश्यकनियुक्तिं विवृणोमि यथाऽऽगमः स्पष्टम् ॥ ३ ॥
 यद्यपि च विवृतयोऽस्याः सन्ति विचित्रास्तथापि विषमास्ताः ।
 सम्प्रतिजनो हि जडधीभूयानिति विवृतिसरम्भः ॥ ४ ॥

इसके बाद मंगल का नामादि भेदपूर्वक विस्तृत व्याख्यान किया गया है एवं उसकी उपयोगिता पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इस प्रसंग पर तथा आगे भी यत्र-तत्र विशेषावश्यकभाष्य की गाथाएँ उद्धृत की गयी हैं। नियुक्ति की गाथाओं के पदों का अर्थ करते हुए तत्प्रतिपादित प्रत्येक विषय का आवश्यक प्रमाणों के साथ सरल भाषा एवं सुबोध शैली में विवेचन किया गया है। इस विवेचन की एक विशेषता यह है कि आचार्य ने विशेषावश्यकभाष्य की गाथाओं का स्वतन्त्र व्याख्यान न करते हुए भी उसका भावार्थ तो अपनी टीका में ही दिया है। विवरण में जितनी ही गाथाएँ हैं, प्रायः विवरण के वक्तव्य की पुष्टि के लिए हैं। विवरणकार ने भाष्य की गाथाओं के व्याख्या के रूप में अपने विवरण का विस्तार न करते हुए अपने विवरण के समर्थन के रूप में 'उक्तं च', 'तथा चाह भाष्यकृतं', 'एतदेव व्याख्यानं भाष्यकारोऽप्याह' इत्यादि शब्दों के साथ

१. आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९२८-१९३२; देवचन्द्र लालभाई जैन-पुस्तकोद्धार, सूरत, सन् १९३६.

भाष्यगाथाएँ उद्धृत की हैं। विवरण में विशेषावश्यकभाष्य की स्वोपज्ञ टीका का भी उल्लेख है^१। प्रज्ञाकरगुप्त,^२ (आवश्यक) चूर्णिकार,^३ (आवश्यक) मूलटीकाकार,^४ (आवश्यक) मूलभाष्यकार,^५ लघीयस्त्रयालकारकार अकलक,^६ न्यायावतारविवृतिकार^७ आदि का भी प्रस्तुत टीका में उल्लेख किया गया है। स्थान-स्थान पर सप्रसंग कथानक उद्धृत करना भी आचार्य नहीं भूले हैं। ये कथानक प्राकृत में हैं।^८ 'थूभ रयणविचित्त कुथु सुमिणम्मि तेण कुथुजिणो' की व्याख्या के बाद का वाक्य 'साम्प्रतमर.' अर्थात् 'अब अरनाथ के व्याख्यान का अधिकार है' के बाद का विवरण उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध विवरण चतुर्विंशतिस्तव नामक द्वितीय अभ्ययन तक ही है और वह भी अपूर्ण।

बृहद्कल्पपीठिकावृत्ति .

यह वृत्ति^९ भद्रबाहुस्वामिकृत बृहत्कल्पपीठिका नियुक्ति और सघदासगणिकृत भाष्य (लघुभाष्य) पर है। वृत्तिकार मलयगिरि पीठिका की भाष्यगाथा ६०६ पर्यन्त ही अपनी वृत्ति लिख सके। शेष पीठिका तथा आगे के मूल उद्देशो के भाष्य की वृत्ति आचार्य क्षेमकीर्ति ने पूरी की। इस तथ्य का प्रतिपादन स्वयं क्षेमकीर्ति ने अपनी वृत्ति प्रारम्भ करते समय किया है :^{१०}

श्रीमलयगिरिप्रभवो, या कर्त्तुमुपाक्रमन्त मतिमन्त ।

सा कल्पशास्त्रटीका, मयाऽनुसन्धीयतेऽल्पधिया ॥

प्रारम्भ में वृत्तिकार ने वीर जिनेश्वर को प्रणाम किया है तथा अपने गुप्तद कमलो का सादर स्मरण करते हुए कल्पाध्ययन की वृत्ति लिखने की प्रतिज्ञा की है। भाष्यकार और चूर्णिकार की कृतज्ञता स्वीकार करते हुए मगलाभिधान के व्याख्यान के साथ आगे की वृत्ति प्रारम्भ की है .

प्रकटीकृतनि श्रेयसपदहेतुस्थविरकल्पजिनकल्पम् ।

नम्राशेषनरामरकल्पितफलकल्पतरुकल्पम् ॥ १ ॥

नत्वा श्रीवीरजिन, गुरुपदक्रमलानि बोधविपुलानि ॥

कल्पाध्ययन विवृणोमि लेशतो गुरुनियोगेन ॥ २ ॥

भाष्य क्व चातिगम्भीरं, क्व चाह जडशेखर. ।

तदत्र जानते पूज्या, ये मामेव नियुञ्जते ॥ ३ ॥

अद्भुतगुणरत्ननिधौ, कल्पे साहायक महातेजा. ।

दीप इव तमसि कुरुते, जयति यतीश सः चूर्णिकृत् ॥ ४ ॥

१. पृ० ६६ २ पृ० २८ ३. पृ० ८३. ४ पृ० १२८.
५. पृ० २७१ ६ पृ० ३७७. ७. वही० ८. पृ० १०१, १३५, १५३,
२९४. ९. जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, सन् १९३३ १०. पृ० १७७

कल्प (वृहत्कल्प) सूत्र व व्यवहार सूत्र तथा उनको व्याख्याओं के रचयिताओं के विषय में अपना वक्तव्य उपस्थित करते हुए वृत्तिकार ने बताया है कि चतुर्दश पूर्वधर भगवान् भद्रबाहुस्वामो ने साधुओं के अनुग्रह के हेतु कल्पसूत्र और व्यवहार सूत्र की रचना की जिससे कि प्रायश्चित्त का व्यवच्छेद न हो । इन्होंने इन दोनों सूत्रों की सूत्रस्पर्शिक नियुक्ति भी बनाई । सनियुक्तिक सूत्रों को भी अल्पबुद्धिवाले प्राणियों के लिए कठिन अनुभव करते हुए भाष्यकार ने उन पर भाष्य लिखा । यह सूत्रस्पर्शिक नियुक्ति का अनुगमन करने वाला होने के कारण नियुक्ति और भाष्य एक ग्रन्थरूप हो गए : ततो 'मा भूत् प्रायश्चित्त-व्यवच्छेद' इति साधूनामनुग्रहाय चतुर्दशपूर्वधरेण भगवता भद्रबाहुस्वामिना कल्पसूत्र व्यवहारसूत्र चकारि, उभयोरपि च सूत्रस्पर्शिकनियुक्ति । इमे अपि च कल्प-व्यवहारसूत्रे सनियुक्तिके अल्पग्रन्थतयामहार्थत्वेन च दुःपमानुभावतो हीयमानमेधाऽऽयुरादिगुणानामिदानीन्तनजन्तूनामल्पशक्तितना दुर्ग्रहे दुःखधारे जाते, ततः सुखग्रहणधारणाय भाष्यकारो भाष्य कृतवान्, तत्र सूत्रस्पर्शिकनियुक्त्यनुगतमिति सूत्रस्पर्शिकनियुक्तिर्भाष्य चैको ग्रन्थो जातः ।^१

वृत्तिकार ने प्रस्तुत वृत्ति में प्राकृत गाथाओं के साथ-साथ प्राकृत कथानक भी उद्धृत किये हैं । 'यत एव स्वस्थानप्रायश्चित्त ततो विपर्यस्तग्रहणकरणे न विधेये'^२ एतत्पर्यन्त पीठिकावृत्ति आचार्य मलयगिरि की कृति है जिसका ग्रथमान ४६०० श्लोक-प्रमाण है ।



एकादश प्रकरण

मलधारी हेमचन्द्रकृत टीकाएँ

मलधारी हेमचन्द्रसूरि की परम्परा में होने वाले मलधारी राजशेखर ने अपनी प्राकृतद्वयाश्रय की वृत्ति की प्रशस्ति में लिखा है कि मलधारी हेमचन्द्र का गृहस्थाश्रम का नाम प्रद्युम्न था। वे राजमन्त्री थे और अपनी चार स्त्रियों को छोड़कर मलधारी अभयदेवसूरि के पास दीक्षित हुए थे।¹ इन दोनों आचार्यों के प्रभावशाली जीवन-चरित्र का वर्णन मलधारी हेमचन्द्र के ही शिष्य श्रीचन्द्रसूरि ने अपने मुनिसुव्रत-चरित की प्रशस्ति में किया है। वह अति रोचक एवं ऐतिहासिक तथ्यों से युक्त है। मलधारी हेमचन्द्र का परिचय देते हुए श्रीचन्द्रसूरि कहते हैं²

‘अपने तेजस्वी स्वभाव से उत्तम पुरुषों के हृदय को आनन्दित करने वाले कौस्तुभमणि के समान श्री हेमचन्द्रसूरि आचार्य अभयदेव के बाद हुए। वे अपने युग में प्रवचन में पारगामी और वचनशक्तिसम्पन्न थे। भगवती जैसा शास्त्र तो उन्हें अपने नाम की भाँति कण्ठस्थ था। उन्होंने मूलग्रन्थ, विशेषा-वश्यक, व्याकरण और प्रमाणशास्त्र आदि अन्य विषयों के अर्ध लक्ष (?) ग्रन्थ पढ़े थे। जो राजा तथा अमात्य आदि सब में जिनशासन की प्रभावना करने में परायण और परम काह्निक थे। मेघ के समान गम्भीर ध्वनि से जिस समय वे उपदेश देते उस समय जिनभवन के बाहर खड़े रहकर भी लोग उनके उपदेशरस का पान करते थे। व्याख्यानललितसम्पन्न होने के कारण उनके शास्त्रव्याख्यान को सुनकर जडबुद्धि वाले लोग भी सहज ही बोध प्राप्त कर लेते। सिद्धव्याख्यानिक (सिद्धार्थि) की उपमितिभवप्रपञ्चकथा वैराग्य उत्पन्न करने वाली होते हुए भी समझने में अत्यन्त कठिन थी इसलिए सभा में उसका व्याख्यान लम्बे समय से कोई नहीं करता था। जिस समय आचार्य हेमचन्द्र उसका व्याख्यान करते, उस समय लोगों को उसे सुनने में खूब आनन्द आता। श्रोताओं की बारम्बार की प्रार्थना के कारण उन्हें लगातार तीन वर्ष तक उस कथा का व्याख्यान करना पड़ा। इसके बाद उस कथा का प्रचार खूब बढ़ गया। आचार्य हेमचन्द्र ने निम्नलिखित ग्रन्थ बनाये . सर्वप्रथम उपदेशमाला मूल और भवभावना मूल की

१. जैन साहित्यनो सक्षिप्त इतिहास, पृ० २४५

२. मुनिसुव्रतचरित की प्रशस्ति, का० १३२-१८०

इसके बाद व्याख्याकार ने हारिभद्रीय आवश्यकवृत्ति के कुछ कठिन स्थलों का सरल शैली में व्याख्यान करते हुए अन्त में व्याख्यागत दोषों की सशुद्धि के लिए मुनिजनो से प्रार्थना की है :^१

इति गुहजनमूलादर्थजात स्वबुद्ध्या,
 यदवगतमिहात्मस्मृत्युपादानहेतो ।
 तदुपरचितमेतत् यत्र किञ्चित्सदोष,
 मयि कृतगुरुतोपैस्तत्र शोध्य मुनीन्द्रैः ॥१॥
 छद्मस्थस्य हि मोहः कस्य न भवतीह कर्मवगगस्य ।
 सदबुद्धिविरहिताना विशेषतो मद्धिधासुमताम् ॥२॥
 प्रस्तुत व्याख्या का ग्रन्थमान ४७०० श्लोकप्रमाण है ।

अनुयोगद्वारवृत्ति^२

यह वृत्ति^२ अनुयोगद्वार के सूत्रो का सरलार्थ प्रस्तुत करने के लिए बनाई गई है । प्रारम्भ में आचार्य ने वीर जिनेश्वर, गौतमादि सूरिवर्ग एव श्रुतदेवता को नमस्कार किया है ।

सम्यक् सुरेन्द्रकृतसस्तुतपादपद्ममुद्गामकामकरिराजकठोरसिंहम् ।
 सद्धम्मदेशकवर वरद नतोऽस्मि, वीर विशुद्धतरबोधनिधि सुधीरम् ॥१॥
 अनुयोगभृता पादान् वन्दे श्रीगौतमादिसूरीणाम् ।
 निष्कारणबन्धूना विशेषतो धम्मदातृणाम् ॥२॥
 यस्या प्रसादमतुल सप्राप्य भवन्ति भव्यजननिवहाः ।
 अनुयोगवेदिनस्ता प्रयत श्रुतदेवता वन्दे ॥३॥

प्रथम सूत्र 'नाण पंचविह' की व्याख्या प्रारम्भ करने के पूर्व वृत्तिकार कहते हैं कि यद्यपि प्राचीन आचार्यों ने चूर्णि और टीका (हारिभद्रीय) के द्वारा इस ग्रन्थ का व्याख्यान किया है किन्तु अल्प बुद्धि वाले शिष्यों के लिए उसे समझने में कठिनाई होने के कारण मैं मदमति पुन इसका व्याख्यान प्रारम्भ करता हूँ । स च यद्यपि चूर्णिटीकाद्वारेण वृद्धैरपि विहित तथापि तद्वच-सामन्तिगम्भीरत्वेन दुरधिगमत्वाद् मन्दमतिनाऽपि मयाऽसाधारण-

१ पृ० ११७.

२ (अ) रायबहादुर धनपतिसिंह, कलकत्ता, सन् १८८०
 (आ) देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई, सन् १९१५-६
 (इ) आगमोदय समिति, बम्बई, सन् १९१४
 (ई) केशरबाई ज्ञानमंदिर, पाटन, सन् १९३९

श्रुतभक्तिजनितौत्सुक्यभावतोऽविचारितस्वशक्तित्वादल्पधियामनुग्रहार्थं —
त्वाच्च कर्तुमारभ्यते ।

‘से किं त तिनामे’ (सू० १२३) की वृत्ति में रस का विवेचन करते हुए वृत्तिकार ने भिषक्शास्त्र के ‘श्लेष्माणमर्चिं पित्त तृप कुष्ठ विष ज्वरम् ’ आदि अनेक श्लोक उद्धृत किये हैं ।^१ इसी प्रकार सप्तस्वर की व्याख्या में^२ तथा अन्यत्र भी अनेक श्लोक उद्धृत किये गये हैं । इस वृत्ति के अन्त में भी वही प्रशस्ति है जो विशेषावश्यकभाष्य की वृत्ति के अन्त में है । इसमें वृत्ति-रचना का समय नहीं दिया गया है । इसका ग्रन्थमान ५९०० श्लोक प्रमाण है ।

विशेषावश्यकभाष्य-बृहद्वृत्ति :

प्रस्तुत वृत्ति^३ को शिष्यहितावृत्ति भी कहते हैं । यह मलधारी हेमचन्द्रमूरि की बृहत्तम कृति है । इसमें आचार्य ने विशेषावश्यकभाष्य में प्रतिपादित प्रत्येक विषय को अति सरल एवं सुबोध शैली में समझाया है । दार्शनिक चर्चा की प्रधानता होते हुए भी शैली में क्लिष्टता नहीं आने पाई है, यह इस टीका की एक बहुत बड़ी विशेषता है । शका-समाधान और प्रश्नोत्तर की पद्धति का प्राधान्य होने के कारण पाठक को अरुचि का सामना नहीं करना पड़ता । यत्र तत्र सस्कृत कथानको के उद्धरण से विषय-विवेचन और भी सरल हो गया है । इस टीका के कारण विशेषावश्यकभाष्य के पठन पाठन में अत्यधिक सरलता हो गयी है, इसमें कोई सदेह नहीं । इस टीका से भाष्यकार और टीकाकार दोनों के यश में असाधारण वृद्धि हुई है । टीका के प्रारम्भ में आचार्य ने वर्धमान जिनेश्वर, सुधर्मादिप्रमुख सूरिसध, स्वगुरु, जिनभद्र और श्रुतदेवता की सविनय वदना की है

श्रीसिद्धार्थनरेन्द्रविश्रुतकुलव्योमप्रवृत्तोदयः,

सद्बोधाशुनिरस्तदुस्तरमहामोहान्धकारस्थिति ।

दृप्ताशेषकुवादिकौशिककुलप्रीतिप्रणोदक्षमो,

जीयादस्खलितप्रतापतरणि श्रीवर्धमानो जिन ॥ १ ॥

येन क्रमेण कृपया श्रुतधर्म एष,

आनीय मादृशजनेऽपि हि संप्रणोत ।

१. पाठन-संस्करण, पृ० १००.

२ पृ० ११७-६

३. (अ) यशोविजय जैन ग्रन्थमाला, बनारस वीर स० २४२७-२४४१.

(आ) गुजराती भाषान्तर-चुनीलाल हुकमचन्द आगमोदय समिति,

बम्बई, सन् १९२४—७

श्रीमत्सुधर्मगणभृत्प्रमुख नतोऽस्मि,
 त सूरिसङ्घमनघ स्वगुरुश्च भक्त्या ॥ २ ॥
 आवश्यकप्रतिनिवद्धगभीरभाष्य-
 पीयूषजन्मजलधिगुणरत्नराशिः ।
 स्यात् क्षमाश्रमणतागुणत क्षिती य,
 सोऽय गणिर्विजयते जिनभद्रनामा ॥ ३ ॥
 यस्याः प्रमादपरिवर्धितशुद्धबोधा,
 पार व्रजन्ति सुधियः श्रुततोयराशे ।
 सानुग्रहा मयि समीहितसिद्धयेऽस्तु,
 सर्वज्ञशासनरता श्रुतदेवताऽसौ ॥ ४ ॥

विशेषावश्यकभाष्य क्या है एव उसकी प्रस्तुत वृत्ति की क्या आवश्यकता है, इसका समाधान करते हुए टीकाकार ने बताया है कि सामायिकादि पठव्ययनात्मक श्रुतस्कन्धरूप आवश्यक की अर्थत तोर्यं करो ने एव मूत्रत. गणधरो ने रचना की। इनकी गभीरार्थता एवं नित्योपयोगिता को ध्यान में रखते हुए चतुर्दश पूर्वधर श्रीमद् भद्रनाहुस्वामी ने इस सूत्र की व्याख्यानरूप नियुक्ति बनाई। इस नियुक्ति में भी सामायिकाध्ययन-नियुक्ति को विशेषत महत्त्वपूर्ण समझते हुए श्रीमद् जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणविरचित स्नापश वृत्ति तथा कोट्याचार्यविहित विवरण-ये दो टीकाएँ विद्यमान हैं किन्तु वे अति गंभीर वाक्यात्मक एव कुछ सक्षिप्त होने के कारण मदमति शिष्यों के लिए कठिन सिद्ध होती हैं। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए प्रस्तुत वृत्ति प्रारम्भ की जा रही है।^१

वृत्ति के अन्त में प्रशस्ति-सूचक ग्यारह श्लोक हैं जिनमें वृत्तिकार का नाम हेमचन्द्रसूरि एव उनके गुरु का नाम अभयदेवसूरि बताया गया है और कहा गया है कि राजा जयसिंह के राज्य में स० ११७५ की कार्तिक शुक्ला पचमी के दिन यह वृत्ति समाप्त हुई।^२

सोऽभयदेवसूरिरभवत् तेभ्य प्रसिद्धो भुवि ॥ ९ ॥
 तच्छिष्यलवप्रायैरगीतार्थैरपि शिष्टजनतुष्ट्यै ।
 श्रीहेमचन्द्रसूरिभिरियमनुरचिता प्रकृतवृत्तिः ॥ १० ॥
 शरदा च पचसप्तत्यधिकैकादशशतेष्वतीतेषु ।
 कार्तिकसितपञ्चम्या श्रीमज्जयसिंहनुपराज्ये ॥ ११ ॥

वृत्ति का ग्रथमान २८००० श्लोक प्रमाण है।



द्वादश प्रकरण

नेमिचन्द्रविहित उत्तराध्ययन-वृत्ति

नेमिचन्द्रसूरि का दूसरा नाम देवेन्द्रगणि है। प्रारम्भ मे ये देवेन्द्रगणि के नाम से ही प्रसिद्ध थे किन्तु बाद मे नेमिचन्द्रसूरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने वि० स० ११२९ मे उत्तराध्ययन पर सुखबोधा नामक एक टीका लिखी। इस टीका मे अनेक प्राकृत आख्यान उद्धृत किये गये हैं। इस दृष्टि से नेमिचन्द्रसूरि हरिभद्रसूरि और वादिवेताल शान्तिसूरि की शैली के अधिक निकट हैं, न कि शीलाकसूरि की जिन्होंने इस प्रकार के आख्यान संस्कृत मे प्रस्तुत किये हैं।

उत्तराध्ययन-सुखबोधा वृत्ति^१ शान्त्याचार्यविहित शिष्यहिता नामक बृहद्वृत्ति के आधार पर बनाई गयी है। उससे सरल एवं सुबोध होने के कारण इसका नाम सुखबोधा रखा गया है। प्रारम्भ मे वृत्तिकार ने तीर्थंकरो, सिद्धो, साधुओ एवं श्रुतदेवता को नमस्कार किया है तथा वृद्धकृत (शान्त्याचार्यकृत) बह्वर्थ एवं गम्भीर विवरण से समुद्धृत करके आत्मस्मृत्यर्थ तथा जडमति एवं सक्षेपरुचि वालो के हितार्थ बिना पाठान्तर और अर्थान्तर के उत्तराध्ययन की सुखबोधा-वृत्ति बनाने की प्रतिज्ञा की है।

प्रणम्य विघ्नसघातघातिनस्तोर्थनायकान् ।

सिद्धाश्च सर्वसाधूश्च, स्तुत्वा च श्रुतदेवताम् ॥ १ ॥

आत्मस्मृतये वक्ष्ये, जडमतिसक्षेपरुचिहितार्थं च ।

एकैकार्थनिबद्धा, वृत्ति सूत्रस्य सुखबोधाम् ॥ २ ॥

बह्वर्थ्याद् वृद्धकृताद्, गभीराद् विवरणात् समुद्धृत्य ।

अध्ययनानामुत्तरपूर्वाणामेकपाठगताम् ॥ ३ ॥

अर्थान्तराणि पाठान्तराणि सूत्रे च वृद्धटीकात् ।

बोद्धव्यानि यतोऽयं, प्रारम्भो गमनिकामात्रम् ॥ ४ ॥

वृत्ति के अन्त में प्रशस्ति है जिसमे वृत्तिकार नेमिचन्द्राचार्य के गच्छ, -गुरु, गुरुभ्राता, वृत्तिरचना के स्थान, समय आदि का उल्लेख है। इसी मे शान्त्याचार्य के गच्छ आदि का भी उल्लेख है जिनकी वृत्ति के आधार पर प्रस्तुत वृत्ति की रचना की गई है। नेमिचन्द्राचार्य बृहद्गच्छीय उद्योतनाचार्य के शिष्य उपाध्याय आम्रदेव के शिष्य है। इनके गुरुभ्राता का नाम मुनिचन्द्रसूरि है,

जिनकी प्रेरणा से प्रस्तुत वृत्ति बनी है। वृत्ति को रचना का स्थान अणहिलपाटक नगर (दोहडि सेठ का घर) है तथा समाप्ति का समय वि० स० ११२९ है :-

विश्रुतस्य महोपीठे, बृहद्गच्छस्य मण्डनम् ।
 श्रीमान् विहारुकप्रष्ठ. सूरिरुद्योतनाभिध. ॥ ९ ॥
 शिष्यस्तस्याऽऽम्रदेवोऽभूदुपाध्याय. सता मत ।
 यत्रैकान्तगुणापूर्णे, दोषैर्लेभे पद न तु ॥ १० ॥
 श्रोनेमिचन्द्रसूरिरुद्धृतवान् वृत्तिका तद्विनेय ।
 गुरुसोदर्यश्रीमन्मुनिचन्द्राचार्यवचनेन ॥ ११ ॥

अणहिलपाटकनगरे, दोहडिसच्छ्रेष्ठिसत्कवसतौ च ।
 सन्तिष्ठता कृतेय, नवकरहरवत्सरे चैव ॥ १३ ॥

वृत्ति का ग्रथमान १२००० श्लोक-प्रमाण है .

अनुष्टुभा सहस्राणि, गणितक्रिययाऽभवन् ॥
 द्वादश ग्रन्थमान तु, वृत्तेरस्या विनिश्चितम् ॥



त्रयोदश प्रकरण

श्रीचन्द्रसूरिविहित व्याख्याएँ

श्रीचन्द्रसूरि का दूसरा नाम पाश्वंदेवगणि है। ये शोलभद्रसूरि के शिष्य हैं। इन्होंने वि० सं० ११७४ में निशीथसूत्र की विशेषचूर्णि के बीसवें उद्देशक की व्याख्या की है। इसके अतिरिक्त निम्न ग्रथो पर भी इनकी टीकाएँ हैं श्रमणो-पासक-प्रतिक्रमण (आवश्यक), नन्दी (नन्दोदुर्गपदव्याख्या), जीतकल्प-वृहच्चूर्णि, निरयावलिकादि अन्तिम पाँच उपाग।

निशीथचूर्णि दुर्गपदव्याख्या

निशीथचूर्णि के बीसवें उद्देश पर श्रीचन्द्रसूरि ने दुर्गपदव्याख्या^१ नामक टीका लिखी है। चूर्णि के कठिन जशो को सरल एवं सुबोध बनाने के लिए ही प्रस्तुत व्याख्या लिखी गयी है। जैसा कि व्याख्याकार प्रारम्भ में ही लिखते हैं

विशोद्देशे श्रीनिशीथस्य चूर्णा,

दुर्गं वाक्यं यत् पदं वा समस्ति ।

स्वस्मृत्यर्थं तस्य वक्ष्ये सुबोधा,

व्याख्या काचित् सदगुरुभ्योऽवबुद्धाम् ॥ २ ॥

इस व्याख्या का अधिक अंश विविध प्रकार के मासो के भग, दिनों की गिनती आदि से सम्बन्धित होने के कारण नीरस है। चूर्णकार जिनदासगणि महत्तर के नाम से सम्बन्धित अन्तिम दो गाथाओं की व्याख्या करते हुए व्याख्याकार कहते हैं :

‘ वर्गा इह अ । क । च । ट । त । प । य । श । वर्गा इति वचनात् स्वरादयो हकारान्ता ग्राह्याः । तदिह प्रथमगाथया जिणदास इत्येव रूप नामाभिहित, द्वितीयगाथया तदेव विशेषयितुमाह—जिणदास महत्तर इति तेन रचिता चूर्णिरियम् ।’^२

अन्त में व्याख्याकार अपना परिचय देते हुए कहते हैं :

श्रीशालि(शील)भद्रसूरीणा, शिष्यैः श्रीचन्द्रसूरिभिः ।

विंशकोद्देशके व्याख्या, दृग्धा स्वपरहेतवे ॥ १ ॥

१. सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, सन् १९६० (निशीथसूत्र के चतुर्थ विभाग के अन्तर्गत, पृ० ४१३-४४३)

२. पृ० ४४३

अर्थात् श्री शालि (शील) भद्रसूरि के शिष्य श्रीचन्द्रसूरि ने अपने तथा दूसरो के लिए बीसवें उद्देश की यह व्याख्या बनाई ।

इसी प्रकार व्याख्या की समाप्ति का समय-निर्देश करते हुए आचार्य कहते हैं :

वेदाश्वरुद्रयुक्ते, विक्रमसवत्सरे तु मृगशीर्षे ।
माघसितद्वादश्या, समर्थितेय रवौ वारे ॥ २ ॥

निरयावलिकावृत्ति

यह वृत्ति^१ अन्तिम पांच उपागभूत निरयावलिका सूत्र पर है : निरया-वलिका, कल्पावतसिका, पुष्पिका, पुष्पचूला और वृष्णिदशा । इस वृत्ति के अतिरिक्त इस सूत्र की ओर कोई टीका नहीं है । वृत्ति सक्षिप्त एव शब्दाथप्रधान है । प्रारम्भ में आचार्य ने पार्श्वनाथ को प्रणाम किया है :

पार्श्वनाथ नमस्कृत्य प्रायोऽन्यग्रन्थवीक्षिता ।
निरयावलिश्रुतस्कन्धे व्याख्या काचित् प्रकाश्यते ॥

वृत्ति के अन्त में वृत्तिकार के नाम, गुण, वृत्तिलेखन के समय, स्थान आदि का कोई उल्लेख नहीं है । मुद्रित प्रति के अन्त में केवल 'इति श्रीचन्द्रसूरिविरचित निरयावलिकाश्रुतस्कन्धविवरण समाप्तमिति । श्रीरस्तु ।' इतना सा उल्लेख है ।^२ वृत्ति का ग्रथमान ६०० श्लोकप्रमाण है ।

जीतकल्पबृहच्चूर्णि-विषमपदव्याख्या :

यह व्याख्या^३ सिद्धसेनगणिकृत जीतकल्पबृहच्चूर्णि के विषमपदो के विवेचन के रूप में है । प्रारम्भ में व्याख्याकार श्रीचन्द्रसूरि ने भगवान् महावीर को नमस्कार करके स्व-परोपकार के निमित्त जीतकल्पबृहच्चूर्णि की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा की है ।

नत्वा श्रीमन्महावीर स्वपरोपकृतिहेतवे ।
जीतकल्पबृहच्चूर्णेव्याख्या काचित् प्रकाश्यते ॥

'सिद्धत्थ ' इत्यादि प्रारम्भ की एकादश चूर्णि-गाथाओ (मगल-गाथाओ) की व्याख्या करने के बाद आचार्य ने 'को विसोसो ''आदि पाठो

१ (अ) रायबहादुर घनपतिसिंह, बनारस, सन् १८८५

(आ) आगमोदय समिति, सूरत, सन् १९२२.

(इ) गूर्जर ग्रन्थरत्न कार्यालय, अहमदाबाद, सन् १९३४

२, अहमदाबाद-संस्करण, पृ० ३९.

३ जैन साहित्य सशोधक समिति, अहमदाबाद, सन् १९२६.

के कठिन पदों का व्याख्यान प्रारम्भ किया है। बीच-बीच में अपने वक्तव्य की पुष्टि के लिए प्राकृत गाथाएँ उद्धृत की हैं।^१

अन्त में व्याख्याकार ने अपना नामोल्लेख करते हुए बताया है कि प्रस्तुत व्याख्या सं० १२२७ में महावीर-जन्मकल्याण के दिन रविवार को पूर्ण हुई। इसका ग्रन्थमान ११२० श्लोक प्रमाण है :

जीतकल्पवृहच्चूर्णो व्याख्या शास्त्रानुसारतः ।

श्रीचन्द्रसूरिभिर्दृग्धा स्वपरोपकृतिहेतवे ॥१॥

मुनिनयनतरणि (१२२७) वर्षे श्रीवीरजिनस्य जन्मकल्याणे ।

प्रकृतग्रन्थकृतिरिय निष्पत्तिमवाप रविवारे ॥२॥

.

एकादशशतविंशत्यधिकश्लोकप्रमाणग्रन्थाग्रम् ।

ग्रन्थकृति प्रविवाच्या मुनिपुङ्गवसूरिभि ॥४॥

यदिहोत्सूत्र किञ्चिद् दृग्ध छद्मस्यबुद्धिभावनया ।

तन्मयि कृपानुरुलितैः शोध्य गीतार्थविद्वद्भिः ॥५॥



चतुर्दश प्रकरण

अन्य टीकाएँ

उपर्युक्त टीकाकार आचार्यों के अतिरिक्त और भी ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने आगमों के टीकानिर्माण में अपना योग दिया है। शिवप्रभसूरि के शिष्य श्रीकिलकसूरि ने आवश्यक सूत्र पर वि० सं० १२९६ में टीका लिखी है जिसका नाम लघुवृत्ति है। इसके अतिरिक्त जीतकल्प और दशवैकालिक पर भी इनकी टीकाएँ हैं। क्षेमकीर्ति ने मलयगिरिकृत बृहत्कल्प की अपूर्ण टीका पूरी की है। महेन्द्रसूरि (सं० १२९४) के शिष्य भुवनतुंगसूरि ने चतु शरण, आतुरप्रत्याख्यान और सस्तारक—इन प्रकीर्णों पर टीकाएँ लिखी हैं। इसी प्रकार गुणरत्न (सं० १४८४) ने भक्तपरिज्ञा, सस्तारक, चतु शरण, आतुरप्रत्याख्यान नामक प्रकीर्णों पर टीकाएँ लिखी हैं। विजयविमल (सं० १६३४) की तदुल्लेखारिक और गच्छाचार प्रकीर्णों पर टीकाएँ हैं। वानरर्षि ने गच्छाचार प्रकीर्णक पर वृत्ति लिखी है। हीरविजयसूरि ने सं० १६३९ में और शान्तिचन्द्रगणि ने सं० १६६० में जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति पर टीकाएँ लिखी हैं। शान्तिचन्द्रगणि की टीका का नाम प्रमेयरत्नमजूषा है। जिनहस ने सं० १५८२ में आचाराग पर वृत्ति (दीपिका) लिखी है। सं० १५८३ में हर्षकुल ने सूत्रकृतागदीपिका की रचना की। भगवती और उत्तराध्ययन पर भी इन्होंने टीकाएँ लिखी। लक्ष्मीकल्लोलगणि ने आचाराग (सं० १५९६) और ज्ञाताधर्मकथा पर, दानशेखर ने भगवती पर (व्याख्याप्रज्ञप्तिलघुवृत्ति), विनयहस ने उत्तराध्ययन और दशवैकालिक पर टीकाएँ लिखी हैं। इनके अतिरिक्त आवश्यकतादि पर अन्य आचार्यों की भी टीकाएँ हैं। आवश्यकपर जिनभट, नमिसाधु (सं० ११२२), ज्ञानसागर (सं० १४४०), माणिक्यशेखर, शुभवर्धनगणि (सं० १५४०), धीरसुन्दर (सं० १५००), श्रीचन्द्रसूरि (सं० १२२२), कुलप्रभ, राजवल्लभ, हितरुचि (सं० १६९७) आदि ने, आचाराग पर अजित-देवसूरि, पार्श्वचन्द्र (सं० १५७२), माणिक्यशेखर आदि ने, सूत्रकृताग पर साधुरग उपाध्याय (सं० १५९९), पार्श्वचन्द्र^१ आदि ने, स्थानाग पर नर्गर्षिगणि (सं० १६५७), पार्श्वचन्द्र, सुमतिकल्लोल और हर्षनन्दन (सं० १७०५) आदि ने, समवायाग पर मेघराज वाचक आदि ने, व्याख्याप्रज्ञप्ति—भगवती पर भावसागर, पद्मसुन्दरगणि आदि ने, ज्ञाताधर्मकथा पर कस्तूरचन्द्र (सं० १८९९)

१. पार्श्वचन्द्रकृत टीकाएँ गुजराती में हैं।

आदि ने, उपासकदशाग पर हर्षवल्लभ उपाध्याय (स० १६९३), विवेकहंस उपाध्याय आदि ने, प्रश्नव्याकरण पर ज्ञानविमलसूरि, पार्श्वचन्द्र, अजितदेवसूरि आदि ने, औपपातिक पर राजचन्द्र और पार्श्वचन्द्र ने, राजप्रश्नीय पर राजचन्द्र, रत्नप्रभसूरि, समरचन्द्रसूरि आदि ने, जीवाभिगम पर पद्मसागर (स० १७००) आदि ने, प्रज्ञापना पर जीवविजय (स० १७८४) आदि ने, जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति पर पुण्यसागर (स० १६४५) आदि ने, चतु शरण पर विनयराजगणि, पार्श्वचन्द्र विजयसेनसूरि आदि ने, आतुरप्रत्याख्यान पर हेमचन्द्रगणि आदि ने, सस्तारक पर समरचन्द्र (स० १६०३) आदि ने, तन्दुलवैचारिक पर पार्श्वचन्द्र आदि ने वृहत्कल्प पर सौभाग्यसागर आदि ने, उत्तराव्ययन पर कीर्तिवल्लभ (स० १५५२) कमलसयम उपाध्याय (स० १५५४), तपोरत्न वाचक (स० १५५०), गुण-शेखर, लक्ष्मीवल्लभ, भावविजय (स० १६८९), हर्षनन्दनगणि, घर्ममन्दिर उपाध्याय (स० १७५०), उदयसागर (स० १५४६), मुनिचन्द्रसूरि, ज्ञानशील गणि, अजितचन्द्रसूरि, राजशील, उदयविजय, मेघराज वाचक, नर्गषिगणि, अजितदेवसूरि, माणिक्यशेखर, ज्ञानसागर आदि ने, दशवैकालिक पर सुमतिसूरि, समयसुन्दर (स० १६८१), शान्तिदेवसूरि, सोमविमलसूरि, रामचन्द्र (स० १६६७), पार्श्वचन्द्र, मेरुसुन्दर, माणिक्यशेखर, ज्ञानसागर आदि ने, पिण्ड-नियुक्ति पर क्षमारत्न, माणिक्यशेखर आदि ने, नन्दी पर जयदयाल, पार्श्वचन्द्र आदि ने, ओघनियुक्ति पर ज्ञानसागर (स० १४३९) और माणिक्यशेखर ने तथा दशाश्रुतस्कन्ध पर ब्रह्ममुनि [ब्रह्मर्षि] आदि ने टीकाएँ लिखी हैं। इन टीकाओं के अतिरिक्त कुछ टीकाएँ अज्ञात आचार्यों द्वारा भी लिखी गई हैं।^१ कुछ आचार्यों के नाम, समय आदि के विषय में भी अभी तक पूर्ण निश्चय नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में किसी के नाम का एक से अधिक रूपों में प्रयोग हो जाना असंभव नहीं है। इसी प्रकार अनेक टीकाओं के विषय में भी पूरा निश्चय नहीं हो पाया है विशेषकर अनुपलब्ध टीकाओं की यथार्थ स्थिति के विषय में तो अनेक प्रकार की शकाएँ स्वाभाविक हैं। आगे कुछ प्रकाशित टीकाओं का परिचय दिया जाता है।

वृहत्कल्पवृत्ति :

आचार्य मलयगिरिकृत वृहत्कल्प की अपूर्ण वृत्ति को पूरी करने का श्रेय आचार्य क्षेमकीर्ति को है। पीठिका-भाष्य की ६०६ गाथाओं से आगे के सम्पूर्ण भाष्य (लघुभाष्य) की वृत्ति^२ इन्हीं आचार्य की कृति है। शैली आदि की दृष्टि

१ देखिए—जिनरत्नकोश : प्रथम भाग

२ जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, सन् १९३३—१९४२.

से यह वृत्ति मलयगिरिकृत टोका के ही समकक्ष है। प्रारम्भ में आचार्य ने सवज्ञ महावीर, कल्प (वृहत्कल्प) सूत्रकार भद्रबाहु, भाष्यकार सघदासगणि, चूर्णिकार मुनीन्द्र, वृत्तिकार मलयगिरि, शिवमार्गोपदेष्टा स्वगुरु तथा वरदा श्रुतदेवी को नमस्कार किया है एवं मलयगिरिप्रारब्ध कल्पशास्त्रटोका को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की है।^१ वृत्ति के अन्त में लम्बी प्रशस्ति है। इसके अनुसार आचार्य क्षेमकीर्ति के गुरु का नाम विजयचन्द्रसूरि था। विजयचन्द्रसूरि आचार्य जगच्चन्द्रसूरि के शिष्य थे। आचार्य क्षेमकीर्ति के दो गुरुभाई थे जिनका नाम वज्रसेन और पद्मचन्द्र था। प्रस्तुत वृत्ति की समाप्ति ज्येष्ठ शुक्ला दशमी वि० सं० १३३२ में हुई है। इस विशाल वृत्ति का ग्रन्थमान ४२६०० श्लोक-प्रमाण है।^२

ज्योत्स्नामञ्जुलया यया धवलित विश्वम्भरामण्डल,
या नि शेषविशेषविज्ञजनताचेतश्चमत्कारिणी ।
तस्या श्रीविजयेन्दुसूरिसुगुरोर्निष्कृत्रिमाया गुण—
श्रेणे स्याद् यदि वास्तवस्वतवकृतौ विज्ञ-स वाचापतिः ॥१५॥

तत्पाणिपङ्कजरज परिपूतशीर्षा,
शिष्यास्त्रयो दधति सम्प्रति गच्छभारम् ।
श्रीवज्रसेन इति सद्गुरुरादिमोऽत्र,
श्रीपद्मचन्द्रसुगुरुस्तु ततो द्वितीयः ॥१६॥

तार्तीयिकस्तेपा, विनेयपरमाणुरनणुशास्त्रेऽस्मिन् ।
श्रीक्षेमकीर्तिसूरिर्विनिर्ममे विवृत्तिमल्पमति ॥१७॥
श्रीविक्रमतः क्रामति, नयनाग्निगुणेन्दुपरिमिते (१३३२) वर्षे ।
ज्येष्ठश्वेतदशम्या, समर्थितेषा च हस्ताके ॥१८॥

आवश्यकनियुक्तिदीपिका .

माणिक्यशेखरसूरिकृत प्रस्तुत दीपिका^३ आवश्यकनियुक्ति का अर्थ समझने के लिय बहुत ही उपयुक्त टोका है। इसमें नियुक्ति-गाथाओं का अति सरल एवं संक्षिप्त शब्दार्थ तथा भावार्थ दिया गया है। कथानको का सार भी बहुत ही सक्षेप में समझा दिया गया है। प्रारम्भ में दीपिकाकार ने वीर जिनेश्वर और अपने गुरु भेरतु गसूरि को नमस्कार किया है एवं आवश्यकनियुक्ति की दीपिका लिखने का सकल्प किया है।

१. का० १—८

२. पृ० १७१२

३. विजयदानसूरीश्वर जैन ग्रन्थमाला, सूरत, सन् १९३९-१९४९.

नत्वा श्रीवीरजिन तदनु श्रीमेरुनु गनूग्गुरुन ।
कुर्वे श्रीजावश्यकनियुं वितेदीपिका मन्त्राम् ॥

यत्र दीपिका दुर्गपदार्थं तरु द्वौ नीमिन द्वे, इमे दीपिकाकार ने प्रारम्भ मे ही स्वीकार किया है श्रीजावश्यकन्युक्तिविषय. प्रायो दुर्गपदार्थं कथामात्र नियुं वित्युदाहृतं च लिख्यते ।^१ मगयाचरण के रूप में नदी मूष के प्रारम्भ की पचास गाथाएँ, जोकि दीपिकाकार के कथनानुसार देवद्विगति-प्रणीत है^२, उद्भूत करने के बाद 'आभिनिवाहियनाण ' इत्यादि गाथाओं का व्याख्यान प्रारम्भ किया है। दीपिका के अन्त की प्रशस्ति में उनाया गया है कि प्रस्तुत ग्रन्थकार माणिस्यदेवरमूरि अचलगच्छाय महेन्द्रप्रभूरि के सिष्य मेरुग-मूरि के सिष्य है। जावश्यकनियुं-दीपिका के अनिर्वचन निम्न टीकाएँ भी इन्हीं की कृतियाँ हैं। १ दशनेकालिकनियुं वित-दीपिका, २ पिण्डनियुं वित-दीपिका, ३ आपनियुं वित-दीपिका, ४ उत्तराध्ययन दीपिका, ५ आचार-दीपिका। प्रशस्ति इस प्रकार है^३

ते श्रीअञ्जलगच्छमण्डनमणिश्रीमन्महेन्द्रप्रभ-
श्रीसूरीश्वरपट्टपकजममुल्लामानन्दानन्दभानव ।
तार्कव्याकरणादिशास्त्रघटनाग्रह्यायमाणाश्चर,
श्रीपूज्यप्रभुमेरुदुर्गगुरवा ज्ञायामुगानन्ददाः ॥ १ ॥
तच्छिष्य एष तलु नूरिरशोकरत् श्री-
माणिस्यदेवर उति प्रथिनाभिधान ।
अत्रद्विचारचयचेतनचारुमेना,
मदीपिका मुविहितप्रतिना हिताय ॥ २ ॥
मुनिनिगमाध्यमाना तमोदरा दीपिका पिण्डनियुं वने ।
आपनियुं वितदीपिका दशनेकालिकस्याप्यून राध्ययनदीपिके ॥ ३ ॥
ज्ञानारदीपितानापतन्त्रविचारण नवान्य ।
एषानन्तया प्रथा जमा अरुना ममोदरा ॥ ४ ॥

माणिस्यदेवरमूरि मन्त्रा विषय की १२ वीं टीका में लिखता है। अचल-
गच्छाय म हेरुग-मूरि के सिष्य अशोकरमूरि ने वि० सं० १८८३ में एक टीका की

१ अथवा वि० सं० १
२ इति अत्रपद्ययन राध्यायनाया देवद्विगति-प्रणीतप्रारम्भ. अनिर्वचन. अचल-
गच्छाय म १—३१
३ अत्रदीपिका, ३० ४६

देहरि की प्रतिष्ठा करवाई थी : सवत् १४८३ वर्षे प्रथम वैशाख शुद्ध १३ गुरी श्रीअचलगच्छे श्रीमेस्तुंगसूरीणा पट्टोदरेण श्रीजयकीर्तिसूरीश्वर सुगुरूपदेशेन "श्रीजिराउला पार्वनाथस्य चैत्ये देहरि (३) कारापिता"।^१ प्रस्तुत दीपिका के प्रणेता माणिक्यशेखरसूरि भी अचलगच्छेय मेस्तुंगसूरि के ही शिष्य हैं। ऐसी स्थिति में यदि जयकीर्तिसूरि और माणिक्यशेखरसूरि गुरुभ्राता के रूप में माने जाए तो दीपिकाकार माणिक्यशेखरसूरि सहज ही विक्रम की १५ वीं शताब्दी के सिद्ध होते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रस्तुत ग्रन्थ की वि० स० १५५० के पूर्व लिखी गई कोई प्रति भी उपलब्ध नहीं है^२ जिसके आधार पर उन्हें अधिक प्राचीन सिद्ध किया जा सके।

आचारागदीपिका

शीलाकाचार्यकृत आचारागविवरण के आधार पर विरचित प्रस्तुत दीपिका^३ चद्रगच्छेय महेश्वरसूरि के शिष्य अजितदेवसूरि की कृति है। इसका रचनासमय वि० स० १६२९ के आसपास है।^४ टीका सरल, सक्षिप्त एवं सुबोध है। इसका उत्तरार्ध अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। प्रारम्भ में आचार्य ने वर्तमान जिनेश्वर का स्मरण किया है एवं आचाराग सूत्र की बृहद्वृत्ति (शीलाककृत) की दुर्बिगाहता बताते हुए अल्प बुद्धिवालों के लिए प्रस्तुत दीपिका लिखने का सकल्प किया है :

वद्धमानजिनो जीयाद्, भव्यानां वृद्धिदोऽनिशम् ।
बुद्धिवृद्धिकरोऽस्माक, भूयात् त्रैलोक्यपावनः ॥ १ ॥
श्रीआचाराङ्गसूत्रस्य, बृहद्वृत्तिः सविस्तरा ।
दुर्बिगाहाऽल्पबुद्धीना, क्रियते तेन दीपिका ॥ २ ॥

गच्छाचारवृत्ति :

यह वृत्ति^५ तपागच्छेय आनन्दविमलसूरि के शिष्य विजयविमलगणि की कृति है। इसका रचना काल वि० स० १६३४ एवं ग्रन्थमान २८५० श्लोकप्रमाण है। वृत्ति विस्तृत है एवं प्राकृत कथानको से युक्त है। वानरषिकृत गच्छाचारटीका का आधार यही वृत्ति है। प्रारम्भ में वृत्तिकार ने भगवान् महावीर तथा स्वगुरु की प्रणाम करके गच्छाचार-प्रकीर्णक की वृत्ति लिखने का सकल्प किया है। अन्त

१ वही, प्रस्तावना

२ वही

३. प्रथम श्रुतस्कन्ध—माणिविजयजीगणिवर ग्रथमाला, लीच, वि० स० २००५.

४. प्रस्तावना, पृ० ४

५. दयाविमलजी जैन ग्रथमाला, अहमदाबाद, १९२४

में बहुत लबी प्रशस्ति है जिसमें वृत्तिकार का गुरु-परम्परा आदि का उल्लेख है ।
वृत्तिकार ने अपने को आनन्दविमलसूरि का शिष्य बताया है -

शिष्यो भूरिगुणाना, युगोत्तमानन्दविमलसूरीगणाम् ।

निर्मितवान् वृत्तिमिमांमुपकारकृते विजयविमल ॥ ७४ ॥

वृत्ति का रचना-काल बताते हुए कहा गया है

तेषा श्रीसुगुरुणा, प्रसादमासाद्य सश्रुतानन्दः ।

वेदाग्निरसेन्दु (१६३४) मिते, विक्रमभूपालतो वर्षे ॥ ७३ ॥

वृत्ति का ग्रथमान निम्नोक्त है :

प्रत्यक्षर गणनया, वृत्तेर्मानि विनिश्चितम् ।

सहस्रा. पञ्च साद्वानि, शतान्यष्टावनुष्टुभाम् ॥ ७७ ॥

तदुलवैचारिकवृत्ति .

विजयविमलविहित तन्दुलवैचारिकवृत्ति^१ के आरम्भ में ऋषभ, महावीर, गौतम, सिद्धान्त और स्वगुरु को प्रणाम किया गया है

ऋषभ वृषसयुक्त, वीर वैरनिवारकम् ।

गौतम गुणसयुक्त, सिद्धान्त सिद्धिदायकम् ॥ १ ॥

प्रणम्य स्वगुरु भक्त्या, वक्ष्ये व्याख्या गुरोः शुभाम् ।

तदुलाख्यप्रकोर्णस्य, वैराग्यरसवारिधे. ॥ २ ॥

यह वृत्ति सक्षिप्त एव शब्दार्थप्रधान होने के कारण अवचूरि भी कही जाती है । इसमें कही-कही अन्य ग्रन्थों के उद्धरण भी दिये गये हैं । वृत्तिकार आनन्द-विमलसूरि के शिष्य हैं । गुणसौभाग्यगणि से प्राप्त तन्दुलवैचारिक के ज्ञान के आधार पर ही प्रस्तुत वृत्ति लिखी गयी है .^२

इति श्रीहीरविजयसूरिसेवितचरणेन्दीवरे श्रीविजयदानसूरीश्वरे विजयमाने वैराग्यशिरोमणीना श्रीआनन्दविमलसूरिस्वराणा शिष्याणु-शिष्येण विजयविमलाख्येन पण्डितश्रीगुणसौभाग्यगणिप्राप्ततदुलवैचारिक-ज्ञानाशेन श्रीतदुलवैचारिकस्येयमवचूरिः समर्थिता ।

गच्छाचारटीका :

इस टीका^३ के प्रणेता वानरपि तपागच्छीय आनन्दविमलसूरि के शिष्य हैं । टीका बहुत सक्षिप्त है । इसकी रचना का मुख्य आधार हर्षकुल से प्राप्त हुआ

१ चतुः शरण की अवचूरि (लेखक का नाम अज्ञात) सहित—देवचन्द्र लालाभाई जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई, सन् १९२२

२ पृ० ५६ । ३. आगमोदय समिति, मेहसाना, सन् १९२३.

गच्छाचार का ज्ञान है। प्रारम्भ में आचार्य ने तीर्थंकर पार्वनाथ को नमस्कार करके गच्छाचार की व्याख्या लिखने का सकल्प किया है

श्रीपार्श्वजिनमानम्य, तोर्थाधीश वरप्रदम् ।
गच्छाचारे गुरोर्ज्ञाता, वक्ष्ये व्याख्या यथाऽऽगमम् ॥

अन्त में टीकाकार ने अपना, अपने धर्मगुरु, विद्यागुरु आदि का नामोल्लेख इस प्रकार किया है ।^१

इति श्रीविजयदानमूर्तिविजयमानराज्ये श्रीआनन्दविमलसूरीश्वराणां शिष्याणुशिष्येण वानराख्येन पण्डितश्रीहर्षकुलावाप्तगच्छाचाररहस्येन गच्छाचारप्रकीर्णकटीकेय समर्थिता ।

उत्तराध्ययनव्याख्या •

प्रस्तुत व्याख्या^२ तपागच्छीय मुनिविमलसूरि के शिष्य भावविजयगणि ने वि० स० १६८९ में लिखी है। इसका ग्रथमान १६५५ श्लोकप्रमाण है। व्याख्या कथानको से भरपूर है। इन कथानको की विशेषता यह है कि ये अन्य टीकाओं के कथानको की भाँति गद्यात्मक न होकर पद्यनिबद्ध है। प्रारम्भ में व्याख्याकार ने पार्वनाथ, वर्धमान और वाग्वादिनी को प्रणाम किया है। उत्तराध्ययन सूत्र को सुगम व्याख्या लिखने का सकल्प करते हुए बताया है कि नियुक्त्यर्थं, पाठान्तर, अर्थान्तर आदि के लिये शान्तिसूरिविरचित वृत्ति देखना चाहिए। यद्यपि इस सूत्र की पूर्ववृत्ति अनेक वृत्तियाँ विद्यमान हैं फिर भी मैं पद्यनिबद्ध कथार्थ के रूप में यह प्रयास करता हूँ :

ओनमः सिद्धिसांभ्राज्यसौख्यसन्तानदायिने ।
त्रैलोक्यपूजिताय श्रीपार्श्वनाथाय तायिने ॥१॥
श्रीवर्द्धमानजिनराजमनन्तकीर्ति,
वाग्वादिनी च सुधियाँ जननी प्रणम्य ।
श्रीउत्तराध्ययनसज्ञकवाङ्मयस्य,
व्याख्या लिखामि सुगमा सकथा च काञ्चित् ॥२॥
नियुक्त्यर्थं पाठान्तराणि चार्थान्तराणि च प्रायः ।
श्री शान्तिसूरिविरचितवृत्तेर्ज्ञेयानि तत्त्वज्ञैः ॥३॥

१ पृ० ४२

२ (अ) जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, वि० स० १९७४.

(आ) विनयभक्ति सुन्दरचरण ग्रथमाला, बेणप, सन् १९४० (सप्तदश
अध्ययन)

पूर्वेविहिता यद्यपि, बह व्य सन्त्यस्य वृत्तयो रुचिराः ।

पद्यनिबद्धकथार्थं, तदपि क्रियते प्रयत्नोऽयम् ॥४॥

दशवैकालिकदोषिका :

प्रस्तुत दोषिका^१ खरतरगच्छीय सकलचन्द्रसूरि के शिष्य समयसुन्दरसूरि की शब्दार्थ-वृत्तिरूप कृति है। दोषिका की भाषा सरल एवं शैली सुबोध है। प्रारम्भ में दोषिकाकार ने स्तम्भनाघोश (पाद्वर्नाथ) को नमस्कार किया है तथा दशवैकालिक मूत्र का शब्दार्थ लिखने का सकल्प किया है

स्तम्भनाघोशमानम्य गणि. समयसुन्दर. ।

दशवैकालिके सूत्रे शब्दार्थं लिखति स्फुटम् ॥

दोषिका के अन्त में आचार्य ने हरिभद्रकृत टीका को विपम बताते हुए अपनी टीका को सुगम बताया है। यह टीका वि० स० १६९१ में स्तम्भतीर्थ (खभात) में पूर्ण हुई थी। इसका ग्रन्थमान ३४५० श्लोकप्रमाण है :

हरिभद्रकृता टीका वर्तते विपमा परम् ।

मया तु शोधबोधाय शिष्यार्थं सुगमा कृता ॥१॥

चन्द्रकुले श्रीखरतरगच्छे जिनचन्द्रसूरिनामानः ।

जाता युगप्रधानास्तच्छिष्यः सकलचन्द्रगणि. ॥२॥

तच्छिष्यसमयसुन्दरगणिना च स्तम्भतीर्थपुरे चक्रे ।

दशवैकालिकटीका शशिनिधिश्चुङ्गारमित वर्षे ॥३॥

शब्दार्थवृत्तिटोकाया श्लोकमानमिद स्मृतम् ।

सहस्रत्रयमग्रे च पुनः सार्धंचतु शतम् ॥७॥

प्रश्नव्याकरण-सुखबोधिकावृत्ति

प्रस्तुत वृत्ति^२ तपागच्छीय ज्ञानविमलसूरि की कृति है। यह विस्तार में अभयदेवसूरिकृत वृत्ति से बड़ी है। जिन पदों का व्याख्यान अभयदेवसूरि ने सरल समझ कर छोड़ दिया था उनका भी प्रस्तुत वृत्ति में व्याख्यान किया गया है। वृत्तिकार ने अपने मन्तव्य की पुष्टि के लिए यत्र-तत्र अनेक प्रकार के उद्धरण भी दिये हैं। मूल ग्रन्थ को हर प्रकार से सरल एवं सुबोध बनाने का प्रयत्न किया है। इस दृष्टि से प्रस्तुत वृत्ति को सुखबोधिका कहना उचित ही है। प्रारम्भ

१. (अ) भीमसा माणिक, बम्बई, सन् १९००

(आ) हीरालाल हसरज, जामनगर, सन् १९१५.

(इ) जिनयश सूरि ग्रन्थमाला, खभात, वि० स० १९७५.

२ मुक्तिविमल जैन ग्रन्थमाला, अहमदाबाद, वि० सं० १९९५

से वृत्तिकार ने परमेश्वर पार्श्व, प्रभु महावीर, जैन प्रवचन तथा ज्ञानदाता गुरु को सादर प्रणाम किया है। नवागवृत्तिकार अभयदेवसूरिविरचित प्रश्नव्याकरण वृत्ति की कृतज्ञता स्वीकार करते हुए मद मतिवालो के लिए इसी सूत्र का सुख-बोधक विवरण प्रस्तुत करने का सकल्प किया है :

रम्या नवाङ्गवृत्ती श्रीमदभयदेवसूरिणा रचिता ।
 ता सद्भिर्वाच्यमानाः, सुदृशां तत्त्व प्रबोधकरा ॥७॥
 सम्प्रति भानुद्युतय इवासतेऽनल्पञ्जल्पगम्भीरा ।
 परमवनिवेशमसगतपदार्थमाभाति दीपिकया ॥८॥
 मत्तो मन्दमतीना, स्वीयान्येषां परोपकाराय ।
 विवरणमेतत् सुगुम, शब्दार्थं भवतु भव्यानाम् ॥९॥

‘प्रश्नव्याकरण’ अथवा ‘प्रश्नव्याकरणदशा’ का शब्दार्थ बताते हुए आचार्य कहते हैं कि जिसमें प्रश्न अर्थात् अगुष्ठादिप्रश्नविद्या का व्याकरण अर्थात् कथन-वर्णन किया गया हो वह प्रश्नव्याकरण है। कहीं-कहीं इस सूत्र का नाम प्रश्न-व्याकरणदशा भी है। जिसमें इन विद्याओं का प्रतिपादन करने वाले दस अध्ययन हैं वह प्रश्नव्याकरणदशा है। इस प्रकार का ग्रंथ भूतकाल में था। इस समय इस ग्रंथ में आस्रव और सवर का ही वर्णन उपलब्ध है। पाँच अध्याय हिंसा, मृषा, स्तेय, अब्रह्म और परिग्रहसंबन्धी हैं और पाँच अध्याय अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहसम्बन्धी हैं। ऐसा क्यों ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि पूर्वाचार्यों ने यह समझ कर कि प्रश्नादिविद्याएँ पाँच प्रकार के आस्रव का त्याग कर पाँच प्रकार के सवरूप समय में स्थित महापुरुषों को ही प्राप्त हो सकती हैं, वर्तमान युग की दृष्टि से इसमें समय के स्वरूप का विशिष्ट प्रतिपादन किया .

अथ प्रश्नव्याकरणाख्य दशमाङ्ग व्याख्यायते । प्रश्ना :—अङ्गुष्ठादि प्रश्नविद्यास्ता व्याक्रियन्ते-अभिधीयन्ते अस्मिन्निति प्रश्नव्याकरण, कर्तर्य-नटि सिद्धम् । क्वचित् प्रश्नव्याकरणदशा इति नाम दृश्यते, तत्र प्रश्नाना-विद्याविशेषाणा यानि व्याकरणानि तेषा प्रतिपादनपरा दशाध्ययनप्रति-बद्धा ग्रन्थपद्धतय इति एतादृश अङ्ग पूर्वकालेऽभूत् । इदानी तु आश्रव-सवरपञ्चक व्याकृतिरेव लभ्यते । पूर्वाचार्यैरेदयुगीनपुरुषाणा तथाविधही-नहीनतरपाण्डित्यबलबुद्धिवीर्यपिक्षया पुष्टालम्बनमुद्दिश्य प्रश्नादिविद्या-स्थाने पञ्चाश्रवसंवरूप समुत्तारित, विशिष्टसयमवता क्षयोपशमवशात् प्रश्नादिविद्यासम्भवात् ।^१

अभयदेवसूरि ने भी इस प्रश्न का समाधान लगभग इसी प्रकार किया है ।^१

वृत्ति के अन्त में प्रशस्ति है जिसमें वृत्तिकार की गुरु-परम्परा की लंबी सूची है जो आनन्दविमलसूरि से प्रारम्भ होती है । प्रशस्ति में यह भी बताया गया है कि वृत्तिकार ज्ञानविमलसूरि का दूसरा नाम नयविमलगणि भी है । ये तपागच्छीय घोरविमलगणि के शिष्य हैं । वृत्ति-लेखन में कवि सुखसागर ने पूरी सहायता दी है तथा तरणपुर में ग्रन्थ की प्रथम प्रति इन्हीं ने लिखी है । वृत्ति का ग्रन्थमान ७५०० श्लोक प्रमाण है । यह वृत्ति वि० स० १७९३ के कुछ ही वर्ष पूर्व (संभवतः वि० स० १७७३ के आस पास)^२ लिखी गई है ।

उत्तराध्ययनदीपिका :

यह टीका^३ खरतरगच्छीय लक्ष्मीकीर्तिगणि के शिष्य लक्ष्मीवल्लभगणि की बनाई हुई है । टीका सरल एवं सुबोध है । इसमें उत्तराध्ययनसूत्र के प्रत्येक पद की शका-समाधनपूर्वक व्याख्या की गई है । प्रारम्भ में टीकाकार ने पंच परमेष्ठी का मगलाचरण के रूप में स्मरण किया है । तदनन्तर भगवान् महावीर एवं पार्श्वनाथ को भक्ति सहित वन्दन किया है । इसके बाद उन्होंने बताया है कि यद्यपि उत्तराध्ययनसूत्र की अनेक वृत्तियाँ—टीकाएँ विद्यमान हैं तथापि मैं मदाधिकारियों के हृदय-सदनो में बोध का प्रकाश करने वाली इस दीपिका की रचना करता हूँ । इसके बाद अपने नाम (लक्ष्मीवल्लभ) का उल्लेख करते हुए (लक्ष्म्युपपदस्तु वल्लभ) चौदह सौ वाचन गणघरों का स्मरण करके आचार्य ने सूत्र का व्याख्यान प्रारम्भ किया है । व्याख्यान को विशेष स्पष्ट करने के लिए प्रसंगवश कथानको का भी उपयोग किया है । इस प्रकार के कथानकों की संख्या काफी बड़ी है । सभी कथानक संस्कृत में हैं । इस टीका में उद्धरण नहीं के बराबर है ।

भगवती-विशेषपदव्याख्या :

दानशेखरसूरि द्वारा सकलित प्रस्तुत वृत्ति का नाम विशेषपदव्याख्या लघुवृत्ति अथवा विशेषवृत्ति है । इसमें वृत्तिकार ने प्राचीन भगवतीवृत्ति के आधार पर भगवतीसूत्र (व्याख्याप्रज्ञप्ति के कठिन पदों का व्याख्यान किया

१. देखिए—अभयदेवसूरिकृत प्रश्नव्याकरण-वृत्ति, पृ० १.

२. द्वितीय खण्ड की प्रस्तावना, पृ० ५

३. (अ) रायबहादुर घनपतिसिंह, कलकत्ता, वि० स० १९३६.

(आ) गुजराती अनुवादसहित—हीरालाल हसराम, जामनगर, सन् १९३४-८ (अपूर्ण).

है। व्याख्यान केवल शब्दार्थ तक ही सीमित नहीं है अपितु उसमें सम्बद्ध विषय का विस्तृत विवेचन भी है। वृत्ति के प्रारम्भ में आचार्य ने श्री वीर को नमस्कार किया है तथा भगवती के दुर्गमपदों की व्याख्या उद्धृत करने की इच्छा प्रकट की है ^१

श्रीवीरं नमस्यित्वा तत्त्वावगमाय सर्वसत्त्वानाम् ।
व्याख्या दुर्गमदानामुद्घ्रियते भगवती वृत्ते ॥१॥

अन्त मे निम्नलिखित श्लोक है :^२

भद्र भवतु सङ्घाय, श्रीमच्छ्रीजिनशासने ।
साक्षात् भगवतीव्याख्यादेवतासुप्रसादत ॥१॥
अज्ञेन मया गदित समयविरुद्ध यदङ्गटीकायाम् ।
सद्यः प्रसद्य शोध्य गुखद्गुरुधीधनैर्गुरुभिः ॥२॥

व्याख्याकार दानशेखरसूरि जिनमाणिक्यगणि के शिष्य अनन्तहसगणि के शिष्य है। प्रस्तुत व्याख्या तपागच्छनायक लक्ष्मीसागरसूरि के शिष्य सुमति-साधुसूरि के शिष्य हेमविमलसूरि के समय में सकलित की गई है। जैसा कि पचीसवें शतक के विवरण के अंत में एक उल्लेख है। इति श्रीतपागच्छनायक श्रीलक्ष्मीसागरसूरिशिष्यश्रीसुमतिसाधुसूरिशिष्यश्रीहेमविमलसूरिविजयराज्ये शतार्थश्रीजिनमाणिक्यगणि शिष्यश्रीअनन्तहसगणिशिष्यश्रीदान शेखर-गणिसमुद्धृतभगवतीलघुवृत्तौपञ्चविंशतितमशतकविवरणसम्पूर्णम् । कल्पसूत्र-कल्पप्रदीपिका :

दशाश्रुतस्कन्ध के अष्टम अध्यायन कल्पसूत्र की प्रस्तुत वृत्ति^३ विजयसेनसूरि के शिष्य सप्तविजयगणि ने वि० स० १६७४ में लिखी। उस समय विजयदेवसूरि का घर्मशासन प्रवर्तमान था। वि० स० १६८१ में कल्याणविजयसूरि के शिष्य धनविजयगणि ने इसका सशोधन किया। वृत्ति का ग्रथमान ३२५० श्लोकपरिमाण है। प्रशस्ति में ग्रन्थरचना के काल, ग्रथकार के नाम, संशोधन के नाम, सशोधक के काल, ग्रन्थमान आदि का उल्लेख इस प्रकार है :

वेदाद्विरसशीताशुमिताब्दे विक्रामर्कत ।
श्रीमद्विजयसेनाख्यसूरिपादाब्जसेविना ॥१॥

१. ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर सस्था, रतलाम सन् १९३५

२ पृ० २९८ (२)

३ मुक्तिविमल जैन ग्रथमाला, अहमदाबाद, सन् १९२५.

प्राज्ञ श्रीसङ्घविजयगणिना या विनिर्मिता ।
विवुधैर्वाच्यमानाऽस्तु सा श्रीकल्पप्रदीपिका ॥२॥

अमृतोपमानवचसा, शारदसम्पूर्णसोमसमयशसः ।
तस्य^१ प्रवरे राज्ये, वसुधाऽऽटरसेन्दुमित्तवर्षे ॥७॥
श्रीमत्कल्याणविजयवाचककोटीतटी किरीटानाम् ।
शिष्यैः श्रीधनविजयै वाचकचूडामणिमुख्यै ॥८॥
कल्पप्रदीपिकायाः प्रतिरेषा शोधिता ।
॥९॥

प्रत्यक्षरगणनया भवति कल्पप्रदीपिकाग्रन्थे ।
श्लोकानां द्वात्रिंशत् शतानि पञ्चाशदधिकानि ॥१०॥

कल्पसूत्र—सुबोधिका :

यह वृत्ति^२ रामविजय के शिष्य श्रीविजय के अनुरोध पर तपागन्धीय कीर्ति विजयगणि के शिष्य विनयविजय उपाध्याय ने वि० सं० १९१६ में लिखी है तथा भावविजय ने सशोधित की है । इसमें कही-कही किरणावली (धर्मसागर-गणिकृत टीका) एव दीपिका (जयविजयगणिकृत टीका) का खण्डन किया गया है । टीका सरल एव सुबोध है, जैसाकि नाम से ही स्पष्ट है । इसका प्रारम्भिक अंश इस प्रकार है .

प्रणम्य परमश्रेयस्कर श्रीजगदीश्वरम् ।
कल्पे सुखबोधिका कुर्वे, वृत्ति बालोपकारिणीम् ॥१॥
यद्यपि बहुव्यष्टीका. कल्पे सन्त्येव निपुणगणगम्याः ।
तदर्पि ममाय यत्नः फलेग्रहि. स्वल्पमतिबोधात् ॥२॥
यद्यपि भानुद्युतय सर्वेपा वस्तुबोधिका बहुव्यः ।
तदपि महोगृहगाना प्रदपिकैवोपकुस्ते द्राक् ॥३॥
नास्यामर्थविशेषो न युक्तयो नापि पद्यपाण्डित्यम् ।
केवलमर्थव्याख्या वितन्यते बालबोधाय ॥४॥
हास्यो न स्या सद्भिः कुर्वन्नेतामतीक्ष्णबुद्धिरपि ।
यदुपदिशन्ति त एव हि शुभे यथाशक्ति यतनोयम् ॥५॥

१ सूरिश्रीविजयदेवमुनिराज, सम्प्रति जयति—श्लोक ६

२ (अ) जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, वि० सं० ११७५

(आ) देवचन्द्र लालभाई जैनपुस्तकोद्धार, बम्बई, सन् १९११, १९२३.

(इ) प० हीरालाल हसराम, जामनगर, सन् १९३९.

प्रशस्ति के कुछ श्लोक ये हैं :

तस्य स्फुरदुरुकीर्त्तौर्वाचकवरकीर्त्ति विजयपूज्यस्य ।
 विनयविजयो विनेय सुबोधिका व्यरचयत् कल्पे ॥१२॥
 समशोधयस्तथैना पण्डितसर्विग्नसहृदयावतसा ।
 श्रीविमलहर्षवाचकवशे मुक्तामणिसमाना ॥१३॥
 धिषणानिर्जितधिषणाः सर्वत्र प्रसृतकीर्तिकर्पूरा ।
 श्रीभावविजयवाचककोटीरा शास्त्रवसुनिकपा ॥१४॥
 रसनिधिरसशशिवर्षे ज्येष्ठे मासे समुज्ज्वले पक्षे ।
 गुरुपुष्ये यत्नोऽथ सफलो जज्ञे द्वितीयायाम् ॥१५॥
 श्रीरामविजयपण्डितशिष्यश्रीविजयविबुधमुख्यानाम् ।
 अभ्यर्थनापि हेतुर्विज्ञेयोऽस्याः कृतौ विवृतेः ॥१६॥

टीका का ग्रथमान ५४०० श्लोकप्रमाण है ।^१

प्रत्यक्षर गणनया, ग्रन्थमान शताः स्मृताः ।

चतुष्पञ्चाशदेतस्या, वृत्तौ सूत्रसमन्वितम् ॥

कल्पसूत्र-कल्पलता :

प्रस्तुत व्याख्या^२ खरतरगच्छीय जिनेन्द्रसूरि के शिष्य सकलचन्द्रगणि के शिष्य समयसुन्दरगणि-विरचित है । इसका रचना-काल खरतरगच्छीय जिनराज-सूरि का शासन-समय है । इनकी मृत्यु वि. स १६९९ में हुई थी ।^३ अतः इस व्याख्या का रचना-काल वि स० १६९९ के आसपास है । इसका सशोधन हर्षनन्दन ने किया है । प्रारम्भ में व्याख्याकार ने पचपरमेष्ठी, दीक्षागुरु तथा ज्ञानगुरु को नमस्कार किया है और खरतरगच्छ की मान्यताओं को दृष्टि में रखते हुए कल्पसूत्र (पयुषणाकल्प) का व्याख्यान करने का सकल्प किया है । अन्त की प्रशस्ति में वृत्तिकार की गुरु-परम्परा की नामावली के साथ प्रस्तुत वृत्ति के संशोधक, वृत्ति प्रारम्भ एवं पूर्ण करने के स्थान, धर्म-शासक एवं धर्मयुवराज का नामोल्लेख किया गया है । वृत्ति का ग्रथमान ७७०० श्लोकप्रमाण है ।

कल्पसूत्र-कल्पकौमुदी :

यह वृत्ति^४ तपागच्छीय धर्मसागरगणि के प्रशिष्य एवं श्रुतसागरगणि के

१. जामनगर-संस्करण, पृ० १९५.

२. कालिकाचार्यकथासहित-जिनदत्तसूरि प्राचीनपुस्तकोद्धार, सूरत, सन् १९३९.

३. Introduction (H. D. Velankar), पृ० १०.

४ ऋषभदेवजी केशरीमलजी स्वैताम्बर सस्था, रतलाम, सन् १९३६.

शिष्य शान्तिसागरगणि ने वि. सं. १७०७ में लिखी है। इस शब्दार्थप्रधान वृत्ति का प्रथमान ३७०७ श्लोकप्रमाण है। प्रारम्भ में वृत्तिकार ने वर्धमान जिनेश्वर को नमस्कार किया है तथा सशिष्य एव मृदु रचितालो के लिए प्रस्तुत वृत्ति की रचना का सरूप किया है। अन्त में वृत्ति-रचना के समय, स्थान, वृत्तिप्रमाण आदि का निर्देश किया है :

श्रीमद्विक्रमराजान् मुनिगगनमुनान्दुभिः प्रमितवर्षे ।
विजयदविजयदशम्या श्रीपत्तनपत्तने विद्वेद्येयम् ॥ ५ ॥
श्लोकाना सङ्ख्यात सर्वाशिशिष्यैश्च सप्तमे ।
वृत्तावस्था जात प्रत्यक्षरगणनया श्रेयः ॥ ६ ॥

प्रशस्ति में तारागच्छ-प्रवतक जगन्चन्द्रमूरि^१ से लगा कर वृत्तिकार शान्ति-सागर तक की परम्परा के गुरु-शिष्यों की गणना की गई है।

कल्पसूत्र-टिप्पणक .

इस टिप्पणक के प्रणेता आचार्य पृथ्वीचन्द्र है। टिप्पणक के प्रारम्भ में निम्न श्लोक है :

प्रणम्य वीरमाहचर्यसेवधि विधिदर्शकम् ।
श्रीपर्युषणाकल्पस्य, व्याख्या काचिद् विधीयते ॥ १ ॥
पञ्चमाङ्गस्य सद्वृत्तेरस्य चोद्धृत्य चूर्णितः ।
किञ्चित् कस्मादपि स्थानात्, परिज्ञानार्थमात्मनः ॥ २ ॥

टिप्पणक के अन्त में आचार्य का परिचय इस प्रकार है :

चन्द्रकुलाम्बरशशिनश्चारित्रश्रीसहस्रपत्रस्य ।
श्रीशीलभद्रसूरेर्गुणरत्नमहोदधे शिष्यः ॥ १ ॥
अभवद् वादिमदहरपट्टकर्माभोजबोधनदिनेशः ।
श्रीधर्मधोषसूरिविधितशाकम्भरोनूपतिः ॥ २ ॥
चारित्र्याम्भोधिशशी त्रिवर्गपरिहारजनितबुधहर्ष ।
दर्शितविधिः शमनिधि सिद्धान्तमहोदधिप्रवरः ॥ ३ ॥
बभूव श्रीयशोभद्रसूरिस्तच्छिष्यशेखर ।
तत्पादपद्मधुपोऽभूच्छ्री देवसेनगणि ॥ ४ ॥

१. तपगणविधुः श्रीजगच्चन्द्रसूरि.—श्लो. १

२ मुनि श्री पुण्यविजयजो द्वारा सम्पादित कल्पसूत्र में मुद्रित . साराभाई मणि-लाल नवाब, अहमदाबाद, सन् १९५२.

टिप्पनक पर्युषणाकल्पस्थालिखदवेक्ष्य शास्त्राणि ।

तच्चरणकमलमधुप. श्रीपृथ्वीचन्द्रसूरिरिदम् ॥ ५ ॥

इह यद्यपि न स्वधिया विहितं किञ्चित् तथापि बुधवर्गं ।

सशोधयमधिकमून यद् भणित स्वपरबोधाय ॥ ६ ॥

पृथ्वीचन्द्रसूरि देवसेनगणि के शिष्य हैं । देवसेनगणि के गुरु का नाम यशो-भद्रसूरि है । यशोभद्रसूरि राजा शाकम्भरी को प्रतिबोध देनेवाले आचार्य धर्म-घोषसूरि के शिष्य हैं । धर्मघोषसूरि के शिष्य चन्द्रकुलावतस आचार्य शोलभद्रसूरि के नाम से प्रसिद्ध हैं ।

उपर्युक्त टीकाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित आगमिक वृत्तियाँ भी प्रका-शित हो चुकी हैं : आचाराग की जिनहस व पार्श्वचन्द्रकृत वृत्तियाँ,^१ सूत्रकृताग की हर्षकुलकृत दीपिका,^२ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति की शान्तिचन्द्रकृत टीका,^३ कल्पसूत्र की धर्मसागर, लक्ष्मीवल्लभ एव जिनभद्रकृत वृत्तियाँ,^४ बृहत्कल्प की अज्ञात वृत्ति,^५ उत्तराध्यायन की कमलसंयम व जयकीर्तिकृत टीकाएँ,^६ आवश्यक (प्रति-क्रमण) की नमिसाधुकृत वृत्ति ।^७

बीसवी शती में भी मुनि श्री घासीलालजी, श्रीमद् विजयराजेन्द्रसूरि आदि

१. रायबहादुर घनपतिसिंह, कलकत्ता, वि स १९३६
२. भीमसी माणेक, बम्बई, वि स १९३६
३. देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई, सन् १९२०
- ४ (अ) धर्मसागरकृत किरणावली—जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, वि स १९७८
- (आ) लक्ष्मीवल्लभकृत कल्पद्रुमकलिका—जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, वि स. १९७५; वेलजी शिवजी, माडवी, बम्बई, सन् १९१८
- (इ) जिनप्रभकृत सन्तहविषोपनि—हीरालाल हसराम, जामनगर, सन् १९१३
५. सम्यक् ज्ञान प्रचारक मंडल, जोधपुर.
- ६ (अ) कमलमयमकृत वृत्ति—यशाविजय जैन ग्रन्थमाला, भावनगर, सन् १९२७
- (आ) जयकीर्तिकृत गुजराता टीका—हीरालाल हसराम, जामनगर, सन् १९०९
७. विजयदानसूरीश्वर ग्रन्थमाला, सूरत, सन् १९३९.

जैन आचार्यों ने जागमिक टीकाएँ लिखी हैं। मुनि घामीलालकृत उपासकदशाग^१ आदि की टीकाएँ विरोयरूप से उल्लेखनीय हैं। ये टीकाएँ शब्दार्थ-प्रधान हैं। विजयराजेन्द्रस्रिकृत कलामूभाष्यप्रबोधिनी^२ कल्पसूत्र की एक स्पष्ट व्याख्या है।



१ सस्कृत-हिन्दी-गुजराती टीकामहित—श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सघ, कराची, सन् १९३६.

२ राजेन्द्र प्रवचन कार्यालय, खुडाला (फालना), सन् १९३३

पंचदश प्रकरण

लोकभाषाओं में विरचित व्याख्याएँ

आगामो की संस्कृत टीकाओं की बहुलता होते हुए भी बाद के आचार्यों ने जनहित की दृष्टि से यह आवश्यक समझा कि लोकभाषाओं में भी सरल एवं सुबोध आगमिक व्याख्याएँ लिखी जाएँ। इन व्याख्याओं का प्रयोजन किसी विषय की गहनता में न उतर कर साधारण पाठकों को केवल मूल सूत्रों के अर्थ का बोध कराना था। इसके लिए यह आवश्यक था कि इस प्रकार की व्याख्याएँ साहित्यिक भाषा अर्थात् संस्कृत में न लिखकर लोकभाषाओं में लिखी जाएँ। परिणामतः तत्कालीन अपभ्रंश अर्थात् प्राचीन गुजराती भाषा में बालावबोधों की रचना हुई। इस प्रकार की शब्दार्थात्मक टीकाओं से राजस्थानी और गुजराती आगमप्रेमियों को विशेष लाभ हुआ। ऐसे बालावबोधों की रचना करनेवालों में विक्रम की अठारहवीं शताब्दी में होनेवाले लोकागच्छोय (स्थानकवासी) टबाकार मुनि धर्मसिंह का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवतो), जीवाभिगम, प्रज्ञापना, चन्द्रप्रज्ञप्ति और सूर्यप्रज्ञप्ति को छोड़ स्थानकवासीसम्मत शेष २७ आगमों के टबे (बालावबोध) लिखे हैं।^१ कही-कही सूत्रों का प्राचीन टीकाओं के अभिप्रेत अर्थ को छोड़कर स्वसम्प्रदायसम्मत अर्थ किया है जो स्वाभाविक है। साधुरत्नसूरि के शिष्य पार्श्वचन्द्रगणि (वि. स. १५७२) रचित आचाराग, सूत्रकृताग आदि के बालावबोध भी उल्लेखनीय हैं। ये भी गुजराती में हैं।

टबाकार मुनि धर्मसिंह .

प्रसिद्ध टबाकर मुनि धर्मसिंह^२ काठियावाड़ स्थित जामनगर में रहनेवाले दशाश्रीमाली वैद्य जिनदास के पुत्र थे। धर्मसिंह का जन्म माता शिवा के गर्भ से हुआ था। जिस समय धर्मसिंह की आयु १५ वर्ष की थी उस समय वहाँ के लोकागच्छीय उपाश्रय में लोकागच्छाधिपति आचार्य रत्नसिंह के शिष्य देवजी मुनि का पदार्पण हुआ। उनके व्याख्यान सुनने वालों में धर्मसिंह भी था। इस पर उनके उपदेश का अच्छा प्रभाव पडा और उसे तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ।

१. ऐतिहासिक नोध (वा. मो शाह), पृ० १२३ (हिन्दी संस्करण)

२. ऐतिहासिक नोध के आधार पर, पृ० १०५-१२६.

कुछ समय तक तो उनके माता-पिता ने उसे दीक्षा अंगीकार करने की अनुमति न दी किन्तु अन्ततोगत्वा उन्हें अनुमति देनी ही पड़ी। इतना ही नहीं अपितु पुत्र के साथ पिता ने भी दीक्षा ग्रहण की। उनकी यह दीक्षा यतिवर्ग (शिथिलाचारी त्यागी) की दीक्षा थी, न कि मुनिवर्ग (शुद्ध आचार वाले साधु) की। यति धर्मसिंह को धीरे-धीरे शास्त्रों का अच्छा अभ्यास हो गया। उनके विषय में प्रसिद्ध है कि वे दोनों हाथों से ही नहीं, दोनों पैरों से भी लेखनी पकड़कर लिख सकते थे। ज्यों-ज्यों धर्मसिंह का शास्त्रज्ञान बढ़ता गया त्यों त्यों उन्हें प्रतीत होने लगा कि हमारा आचार शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। हमें यह वेप त्याग कर शुद्ध मुनिव्रत का पालन करना चाहिए। उन्होंने अपना यह विचार अपने गुरु शिवजी के सामने रखते हुए बड़ी नम्रता से कहा :—

“कृपालु गुरुदेव ! भगवान् महावीर ने भगवती सूत्र (व्याख्याप्रज्ञप्ति) के बीशवें शतक में स्पष्टरूप में फरमाया है कि २१००० वर्ष तक यह मुनिमार्ग चलता रहेगा। ऐसा होते हुए भी हम लोग पचम काल (वर्तमान काल) का वहाना कर मुनिमार्ग के अनुकूल आचार का पालन करने में शिथिलता का परिचय दे रहे हैं। यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। मनुष्यभव अमूल्य चिन्तामणि है। हमें कायरों का मार्ग छोड़कर सूरों का मार्ग ग्रहण करना चाहिए। आप जैसे समय और विद्वान् पुत्र भी यदि पामर प्राणियों की भाँति साहसहीन हो जाएँ तो अन्य लोगों का तो कहना ही क्या ? आप सर्व प्रकार के आलस्य का त्याग कर सिंह की भाँति अपने अतुल पराक्रम का परिचय दीजिए। आप स्वयं सच्चे मुनिमार्ग पर चलिए एव औरों को चलाइए। ऐसा करने से ही जिन-शास्त्र की शोभा एवं स्वात्मा का कल्याण है। सिंह कायर नहीं होता, सूर्य में अन्धकार नहीं रहता, दाता कृपण नहीं होता। जिस प्रकार अग्नि में कभी शीतलता नहीं होती उसी प्रकार ज्ञानी में कभी राग नहीं होता। आप मुनिमार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। मैं भी आपके पीछे पीछे उसी मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूँ। ससार को छोड़ने के बाद फिर मोह कैसा ?”

धर्मसिंह का यह कथन सुनकर शिवजी सोचने लगे कि धर्मसिंह का कहना अक्षरशः सत्य है किन्तु मैं वैसा आचरण करने में असमर्थ रहा हूँ। दूसरी ओर वैसा न करने पर ऐसा विद्वान् और विनयी शिष्य गच्छ छोड़कर चला जाएगा और इससे गच्छ की असह्य हानि होगी। इन दोनों दृष्टियों का सन्तुलन कर शिवजी कहने लगे कि मैं इस समय अपने पद का त्याग करने में असमर्थ हूँ। तुम वीर्य रखो और निरन्तर ज्ञानार्जन करते रहो। थोड़े समय बाद गच्छ की समुचित

व्यवस्था करके अपन दोनो सब उपाधि छोडकर पुनः नवसयम धारण करेंगे । इस समय जल्दी न करो ।

गुरु के ये वचन सुनकर धर्मसिंह विचार करने लगे कि यदि गुरुजी आदर्श संयम धारण करें तो ओर भी अच्छा, क्योंकि ये मेरे ज्ञानोपकारी हैं अत मुझे इन्हें साथ लेकर नवमार्ग ग्रहण करना चाहिए । ऐसा सोच कर धर्मसिंह ने धैर्य रखा । इसी बीच उन्हें विचार आया कि मुझे अपने अवकाश का उपयोग विशेष ज्ञानवृद्धि में करना चाहिए । मुख का उपदेश तो थोडे से मनुष्य ही सुन सकते हैं और वह भी एक ही जगह, किन्तु लिखा हुआ उपदेश सर्वत्र एव सर्वदा काम आ सकता है । यही सोचकर उन्होंने आगम ग्रथो पर टबा (टिप्पण) लिखने का काम शुरू किया । धर्मसिंह ने कुल २७ सूत्रो के गुजराती टवे लिखे । ये टवे इतने सरल एवं सुबोध हैं कि आज भी कई साधु इन्ही के आधार पर शास्त्रो का अभ्यास करते हैं । गुजरात और राजस्थान मे तो इनका उपयोग होता ही है, पंजाब के साधु भी इनका पूरा उपयोग करते हैं । ये अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं ।

दिन पर दिन बीतने लगे । धर्मसिंह को गुरु में शुद्ध चारित्र्य पालन के कोई लक्षण दृष्टिगोचर न हुए । धर्मसिंह का धैर्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था । उन्होंने गुरु से कहा कि इतने दिन तक धैर्य रखने के बाद भी यदि आप विशुद्ध चारित्र्यमार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं तो मुझे ही आज्ञा दीजिए मैं अकेला ही उस पथ का पथिक बनने के लिए तैयार हूँ । यह सुनकर गुरु ने गद्गद हृदय से शिष्य को आत्मकल्याण के मार्ग पर अग्रसर होने की अनुमति प्रदान करते हुए कहा कि हे धर्मप्रिय ! मैं तुम्हे आत्मकल्याण के लिए अन्त करण से आशीर्वाद देता हूँ । तुम जिस मार्ग पर चलने जा रहे हो वह बहुत ही कठिन एव कँटीला है । यदि तुम इस पथ पर सफलता पूर्वक बढ सकोगे तब तो ठीक अन्यथा तुम्हारे साथ मुझे भी अपयश का भागी बनना पडेगा । अत नया मार्ग ग्रहण करने के पूर्व मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ । आज रात को तुम अहमदाबाद के उत्तर की ओर उद्यान मे जो दरयाखान नामक यक्षायतन है उसमें रहो । प्रातःकाल मुझमे अन्तिम आज्ञा लेकर नया मार्ग ग्रहण करना ।

गुरु को वन्दन कर यति धर्मसिंह दरयाखान की ओर चले । शास्त्राज्ञा के अनुसार धर्मसिंह ने उस स्थान के रक्षक से वहाँ ठहरने की अनुमति माँगी । मुसलमान रक्षक ने उत्तर दिया : “यत्तिजी ! क्या आपको दरयाखान पीर की शक्ति का ज्ञान नहीं है ? क्या आपको मालूम नहीं कि हमारे चमत्कारी पीर के इस स्थान पर रात में कोई मनुष्य नहीं रह सकता ? इन्होंने सैकडो मनुष्यो को

पछाडकर परलोक में पहुँचा दिया है। यतिजी ! क्या आप भी उनको सगति करना चाहते हैं ?”

“भाई ! तुम्हारा कथन कदाचित् ठीक है। किन्तु मुझे तो मेरे गुरु की आज्ञा है, अतः यहाँ रहना ही पड़ेगा। तुमने मुझे आनेवाले सकट से सावधान किया इसके लिए धन्यवाद, किन्तु भय किसे कहते हैं इसे मैं जानता ही नहीं। ‘भय’ शब्द मेरे कोश में ही नहीं है।” धर्मसिंह ने प्रत्युत्तर दिया

“मरने दो इसे ! अपना आयु कम होने से ही यह ऐसा करता ही तो कौन जाने ?” एक अन्य मुसलमान ने उस मुसलमान के तान में सलाह दी। धर्मसिंह को वहाँ रहने की अनुमति मिल गई।

जैसे-जैसे सन्या व्यतीत होती गई वैसे-वैसे दरयाखान का स्थान निर्जन होना गया। अन्ततोगत्वा उस पूरे प्रदेश में अकेले धर्मसिंह ही रह गये। उन्होंने रजौहरण से भूमि स्वच्छ कर अपना आमत विछाया और स्वाध्याय में मग्न हुए। एक प्रहर रात्रि व्यतीत हुई होगी कि दरयाखान का यक्ष वहाँ आया। धर्मसिंह उस समय स्वाध्याय में लीन थे। उनके मुख से पूर्वअश्रुत शब्दोच्चारण सुनकर यक्ष को कुछ आश्चर्य हुआ। उसे वह पुरुष अन्य पुरुषों से कुछ विलक्षण प्रतीत हुआ। वह अपने क्रोधो स्वभाव को भूल कर भवितपूर्वक धर्मसिंह की सेवा में प्रवृत्त हो गया। इतना ही नहीं, उनके उपदेश से उसने उस समय से किसी भी मनुष्य को न सताने का सकल्प किया। यक्ष चला गया। धर्मसिंह अपने स्वाध्याय-ध्यान में सलग्न रहे। थोड़ी नींद लेने के बाद पुन उसी कार्य में प्रवृत्त हुए। धीरे-धीरे प्रभात हुआ।

आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त हो धर्मसिंह अपने गुरु के पास पहुँचे। वन्दना आदि करने के बाद सारी घटना गुरु को सुना दी। शिष्य के इस शौर्यपूर्ण आचरण से गुरु बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि धर्मसिंह बड़ा पराक्रमी और बुद्धिशाली हैं। यह अच्छी तरह समय का पालन कर सकेगा। इससे जैन शासन का उद्योत होगा। यह सोचकर उन्होंने धर्मसिंह को शुद्ध समय धारण कर विचरने की अनुमति प्रदान की। धर्मसिंह अपनी विचारधारा के अन्य यतियों को साथ में लेकर दरियापुर दरवाजे के बाहर ईशानकोण के उद्यान में पहुँचे तथा नवसयम ग्रहण किया। यह घटना वि० स० १६८५ की है।^१ धर्मसिंह का धर्मोपदेश प्रायः दरियापुर दरवाजे में ही हुआ करता था अतः उनका सम्प्रदाय भी ‘दरियापुरी सम्प्रदाय’ के रूप में ही प्रसिद्ध हुआ।

१. सवत सोल पचासिए, अमदावाद मञ्जार।

शिवजी गुरु को छोड़ के, धर्मसिंह हुआ गच्छत्रहार ॥—एक प्राचीन कविता,

मुनि धर्मसिंह गुजरात और काठियावाड में ही विचारा करते थे । गठिया से पीड़ित होने के कारण उनके लिए दूर-दूर का विहार अति कठिन था । ४३ वर्ष तक नई दीक्षा का पालन करने के बाद वि० स० १७२८ की आश्विन शुक्ला चतुर्थी के दिन उनका स्वर्गवास हुआ ।

मुनि धर्मसिंह ने २७ सूत्रों के टर्कों के अतिरिक्त निम्नलिखित गुजराती ग्रंथों की रचना की है १. समवायाग की हुंडी, २. भगवती का यंत्र, ३. प्रज्ञापना का यंत्र ४ स्थानाग का यंत्र, ५. जीवाभिगम का यंत्र, ६ जम्बू द्वीपप्रज्ञप्ति का यंत्र, ७. चन्द्रप्रज्ञप्ति का यंत्र, ८ सूर्यप्रज्ञप्ति का यंत्र, ९ राज-प्रस्नीय का यंत्र, १०. व्यवहार की हुंडी, ११ सूत्रसमाधि की हुंडी, ११ द्रौपदी की चर्चा,, १३. सामायिक की चर्चा, १४. साधु-सामाचारी, १५. चन्द्रप्रज्ञप्ति की टीप । इनके अतिरिक्त उनके लिखे हुए और भी कुछ ग्रन्थ हैं । अभी तक इन ग्रन्थों का प्रकाशन नहीं हो पाया है ।

हिन्दी टीकाएँ

हिन्दी टीकाओं में मुनि हस्तिमलकृत दशवैकालिक-सौभाग्यचन्द्रिका,^१ नन्दीसूत्र-भाषाटीका,^२ उपाध्याय आत्मारामकृत दशाश्रुतस्कन्ध-गणपतिगुण प्रकाशिका,^३ उत्तराध्ययन-आत्मज्ञानप्रकाशिका,^४ दशवैकालिक-आत्मज्ञान—प्रकाशिका,^५ उपाध्याय अमरमुनिकृत आवश्यक-विवेचन (क्षमण-सूत्र)^६ आदि विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं । इनके अतिरिक्त हिन्दी, गुजराती, अग्रेजी आदि भाषाओं में अनेक आगमों के अनुवाद एव सार भी प्रकाशित हुए हैं ।



-
- १ रायबहादुर मोतीलाल बालमुकुन्द मूथा, सतारा, सन् १९४०.
 २. रायबहादुर मोतीलाल बालमुकुन्द मूथा, सतारा, सन् १९४२.
 ३. जैन शास्त्रमाला कार्यालय, लाहौर, सन् १९३६.
 ४. जैन शास्त्रमाला कार्यालय, लाहौर, सन् १९३९-१९४२
 ५. (अ) ज्वालाप्रसाद माणकचन्द जीहरी, महेन्द्रगढ (पटियाला), वि० स० १९८९.
 - (आ) जैन शास्त्रमाला कार्यालय, लाहौर, सन् १९४६.
 ६. सन्मति ज्ञानपीठ, लोहामडी, आगरा, वि० स० २००७.

अनुक्रमणिका

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|-------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| | अ | अतनियसनी | २२१ |
| अकोट्ठक | ११९ | अतेपासो | ४१ |
| अंग ७, ९, १४, २७, ३२, ४०, ९८, | | अंघ | ३२४ |
| १९, १७३, २५९, ३०२ | | अणकार | १६९ |
| अंगप्रविष्ट | ६६, १३२, १३३, १८३, | अध | ३४, २४८ |
| | ३८९ | अव | १०९ |
| अगवाह्य | ६६, १३३, ३८९ | अवरोप | १०९ |
| अगार | १०४, १९३ | अवष्ट | ९, २०, १०२, २१८ |
| अगुल | ३२ | अवसालयण | ४०४ |
| अगुलपद | २८, ३५ | अविनादो | ३८५ |
| अंगुली | ३२ | अश | ७ |
| अगूढी | ७२ | अशिका | १७, ११४, १९८, २१९ |
| अगोपाग | ३२, ९८, ३०२ | अहपित | १३, ७३, १४४, १६६ |
| अचलगच्छ | ४९, ४२३ | अकर्मभूमिज | १०३ |
| अजनक | ३८३ | अकलक | ४६, ४०७ |
| अडक | २४९, ३७६ | अकल्प | २७, २६०, ३४० |
| अडा | २६ | अकल्पता | २१ |
| अंत-पुर | ३३, ५३, ३१३ | अकल्पस्थित | १९४, २२७ |
| अत | ७८ | अकल्प्य | २१ |
| अंतकृत | ३८० | अकाममरणीय | ६० |
| अतकृतद्दशा | ४० | अकारकात्मवाद | २८९ |
| अतकृद्दशावृत्ति | ४२, ३८० | अकृत्स्न | २२० |
| अतर | २७ | अक्रीटा | ११९ |
| अतरगृह | २२४ | अक्रियावादी | ९, ५२, १०९ |
| अंतरजिका | १७३, १७८ | अक्ष | १२८, १८७ |
| अतरद्वीपज | १०३ | अक्षर | ६६, १२९, १३२, १८३ |
| अतरापण | १७, २०८ | अक्षरार्थ | ३२४ |
| अतराय | १३९ | अक्षाटक | १८, १९९ |

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| अक्षीण | १३७ | अट्टालक | ३३, ५५, ३१२, ३८३ |
| अगम | ९० | अणहिलपाटक | ४२, ४७, ३७२, ३७५, ३७८, ४१६ |
| अगमिक | ६६ | अणुक | ८, ९४ |
| अगर | ८, ९४ | अणुधर्म | १८४ |
| अगर्हित | ७८ | अणुन्नत | ९४ |
| अगस्त्यसिंह | २८, २९, ३१, २६८, २७०, २९२, २९४ | अतर | ११२ |
| अगारधर्म | ४, १८४ | अतसी | ८, २४, ९४, २३९, ३०६ |
| अगारस्थित | २३० | अतिक्रम | - २३, २३५ |
| अगारी | २०८ | अतिचार | २३ |
| अग्नि | १८, १०४, १५९ | अतिपरिणामी | १९४ |
| अग्निभूति | १३, ७३, १४४, १५० | अतिशय | २४६ |
| अग्र | ९, १०८, २९९ | अदत्तादान | ३०१ |
| अग्रश्रुतस्कध | १०८ | अदर्शी | २७ |
| अचलभ्राता | १३, ७३, १४४, १६६ | अदुष्ट | २६ |
| अचेलक | २३१ | अद्धोरक | २२१ |
| अच्छदक | ३०, २७६ | अद्भुत | २७३ |
| अच्छापुत्री | २७, २६० | अधर्म | ९१ |
| अज | ८, ३०७ | अधिकरण | १०, २१, ६९, २१३, २२८ |
| अजातअसमाप्तकल्प | २५ | अधिकरणवेविध्य | ५२ |
| अजातसमाप्तकल्प | २५ | अधिवास | २५७ |
| अजाति | ११२ | अधिष्ठातृत्व | १३ |
| अजातिस्थान | ११२ | अध्ययन | ६, ९, ४२, ५७, ९६, १०९, १३७, २०८ |
| अजितचन्द्रसूरि | ३५, ३२५ | अध्ययनकल्प | २७ |
| अजितदेवसूरि | ३५, ४९, ३२५, ४२०, ४२१, ४२४ | अध्ययनषट्क | १३५ |
| अजितसिंहाचार्य | ४१ | अध्ययनपूरक | १९२ |
| अजीव | १५, १७८ | अध्यापक-परम्परा | ५७ |
| अज्ञानवाद | २८९ | अध्व | २०, २१६ |
| अज्ञानवादी | ९, १०१ | अध्वगमन | २१६ |
| अज्ञानी | २७ | अध्वतीत | १९२ |
| अट्ट | ३५, ५५, ३१२ | | |

अनुक्त मणिका

४४३

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| अध्वातोत्तरण | १९३ | अनुगम | १३, ६१, १३६ |
| अनगप्रविष्ट | १३३ | अनुज्ञापना | ८१ |
| अनंत | २७२ | अनुत्तरदेय | १७ |
| अनंतरसिद्धकेवल | ३८९ | अनुत्तारोपपातिक | ४०, ३८० |
| अनतहंसगणि | ५०, ४३० | अनुत्तारोपपातिकृदशावृत्ति | ४२, ३८० |
| अनक्षर | ६६, १२९ | अनुद्गत | १९२ |
| अनगार | ९२, ९५ | अनुद्घातिक | २१, २२५ |
| अनगार-भुश | २८० | अनुपरिपाटी | ३३७ |
| अनगारघम | ९४ | अनुप्रवाद | १७७ |
| अननुयोग | ६८ | अनुमत | १३, १५, ६९, १८० |
| अनभिप्रेत | ९७ | अनुमान | ८, १४, १४५ |
| अनया | ३०६ | अनुयान | १९, २०३ |
| अनवय | ७८ | अनुयोग | १३, १४, १७, २६, ६८, ७४, ११३, १३५, १४२, १७३, १९६, २५२, २७३, २७७ |
| अनवश्या | १७१ | | |
| अनप्रस्थाप्य | १७, २१, १९०, १९५, २२६, २४०, २५० | अनुयोगद्वार | ६, २८, ३५, ३६, ४७, ५७, ६१, २६६, २६७, २७३, ३३१, ४१० |
| अनघन | ३९, ९१ | | |
| अनाचार | २३, २३५ | अनुयोगद्वारवृत्ति | १२, २८, २९, ३३, १२३, २६६, २६७, २७३ |
| अनाजाति | ११२ | | |
| अनादिक | ६६ | अनुयोगद्वारटोका | ३६, ३३६ |
| अनादेश | ९७ | | |
| अनिद्य | ७८ | अनुयोगद्वारवृत्ति | १२, ४७, ४११, ४१२ |
| अनिमित्त | ३२ | | |
| अनियतवास | १८, १२७ | अनुयोगद्वारसूत्रवृत्ति | ३२३ |
| अनिवेदन | १९३ | | |
| अनिशीय | ३६२ | अनुयोगार्थ | १०२ |
| अनिश्रित | १३१ | अनुराधा | ३९२ |
| अनिसृष्ट | १९२ | अनेकातजयपताका | ३३३ |
| अनिह्वन | १९२ | अनेकातप्रघट्ट | ३३३ |
| अनुकपा | २५, २४४, २७७ | अनेकातवादप्रवेश | ३३३ |
| अनुकल्प | २७, २६० | अनेकात्मवाद | १४ |
| अनुक्रम | ३३७ | | |

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|
| अनेपणीय | २२६ | अप्रावरण | ३२ |
| अन्यतर | २३, १९४, २३६ | अप्रेक्षित | १९३ |
| अन्यधार्मिक | २१ | अफेनक | २२ |
| अन्यधार्मिकस्तैन्य | २२६ | अवद्ध | ७४ |
| अन्ययोगव्यवच्छेदद्वित्रिशिका | ३८६ | अवद्विक | १६, १७९ |
| अन्योन्यकारक | २१, २२६ | अन्नह्य | २८० |
| अन्वयिज्ञानसिद्धि | ३८९ | अभक्तार्थ | ८७ |
| अपत्य | ३०, ५३, ६९, ७२ | अभयकुमार | ३०, ४०, ५४ |
| अपमान | २५ | अभयदेव | ३६६ |
| अपराधक्षमणा | ८१ | अभयदेवसूरि | ३५, ४०, ५०, ३२५, ४०९ |
| अपराधपद | ९२ | अभव्य | १६३, ३४१ |
| अपरिग्रह | २८८ | अभिग्रह | २३, २६, ३०, ७२, ८७, २३५, २५१ |
| अपरिणत | १९३ | अभिघात | २२, ३२ |
| अपरिणामी | १९४ | अभिघान | ३२४ |
| अपरिशाटी | २२४ | अभिघेय | ३२४ |
| अपर्यवसित | ६६ | अभिनय | ३१९ |
| अपवाद | १७, १८, १९, २२, २०५ | अभिनिबोध | १२८ |
| अपसर्पण | २५५ | अभिनिवेश | १४, १५ |
| अपहरण | १९ | अभिन्न | १९८, २२१ |
| अपहृत | २२२ | अभिप्राय | ७६ |
| अपादान | १७२ | अभिप्रेत | ९७ |
| अपाय | १३० | अभिमारदारक | ९८ |
| अपाघाहारी | २६, २४९ | अभिलाप | ९७ |
| अपावृतदारोपाश्रय | २०८ | अभिवर्चितमास | १७ |
| अपूर्वज्ञानग्रहण | ६९ | अभिव्यक्ति | ३४३ |
| अपोह | ६६ | अभिपेक | ६९, ७२ |
| अपोहन | १३३ | अभिषेका | २१, २१० |
| अप् | ९ | अभेद | ३६ |
| अप्काय | १०४, ३०० | अभेदवाद | ३६ |
| अप्रमाद | ९९ | अभ्याहृत | १९२ |
| अप्राप्तकारिता | १३१ | | |
| अप्राप्यकारिता | १३ | | |

अनुक्रमणिका

४४५

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| बन्मुत्पान | २१, २२३ | अलम् | ९, १०९ |
| अभ्रावकाश | २१८ | अलावु | २२९ |
| अमरमुनि | ५१, ४४० | अलिसिवा | ३०६ |
| अमल रूप | १७५ | अलीक | २३० |
| अमाल्य | २४, ५४, २३८, २३९, ३०९, ३८४ | अलेप | १८ |
| अमिल | ८, ९४ | अनेपठुत | १९ |
| अमिलात वस्त्र | ३०७ | अल्पाहारी | २६, २४९ |
| अमूङ्दृष्टि | १९२ | अवद्य | ३० |
| अयागव | ९, १०२ | अवकाश | १८ |
| अयोध्या | ७, ७० | अवकिरण | ८४ |
| अरतित | ३०९ | अवगृहीत | १७ |
| अरनाथ | ४६, ४०७ | अवग्रह | २५, ६५, १०८ २१४, २२५, २४४ |
| अग्रहप्रक | २७७ | अवग्रह-पट्टक | २१, २२२ |
| अरात्रक | २१४ | अवग्रह-प्रतिमा | १०८ |
| अरिहत | ६९, ७६, ७९ | अवग्रहानतक | २१, २२१ |
| अर्चि | १०४ | अवचूरि | ३२६ |
| अर्ष ६, ८, ५६, १३८, १९२, ४०० | | अवचूर्णि | ३२६ |
| अर्षकया | ९३ | अवट | ३८३ |
| अर्षग्रहण | १८, १२७ | अवद्य | ७८ |
| अर्षछन्न | ३३ | अवधान | १८ |
| अथत्रात | २४१ | अवधि | १३, १९, ५२, ६५, १२८, १८८, २७५ |
| अथशास्त्र | ७, ५३, ७० | अवधिज्ञान | ६५, १२८, १३४ |
| अथविग्रह | १३० | अवधियुक्त | ३२ |
| अर्द्धशिरोरोग | ९८ | अवयव | ८, ९९, ३०४ |
| अधहार | ३३, ५५, ३१२ | अवरकका | ३७६ |
| अर्घाहारी | २६, २४९ | अवरुद्र | २२१ |
| अशिका | ३०९ | अवलेखनिका | ३०३ |
| अर्हत् | ८, ७६ | अवश्यकरणीय | १३५ |
| अर्हदायतन | ४०४ | अवसन्न | २३, २३७ |
| अहन्नक | १७, १९१ | अवसन्नाचार्यं | १९४ |
| अलकार | ७, ७० | | |

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|
| अवस्था | १९४ | अष्टापद | ७१ |
| अवस्थान | १९४ | असकिलष्ट | ३२ |
| अवस्थित | ६६ | असख्यात | २७३ |
| अवहेलना | २२२ | असञ्जी | ६६ |
| अवाङ्मुख | २२९ | असयम | १०४ |
| अवाङ्मुखखंडमल्लक | १९९ | असपात्तिम | २१० |
| अवाङ्मुखमल्लक | १८, १९९ | असप्राप्त | ८ |
| अवाचाल | २६ | असप्राप्तकाम | ८, ५३ |
| अवाय | ६५ | असस्कृत | ९९ |
| अविच्युति | ६५ | असकल | ९९ |
| अविनीत | २१ | असन्निहित | ३३ |
| अविरहकाल | ६९ | असमाधिस्थान | ११०, २८० |
| अविरहित | १३ | असहनशील | १९४ |
| अविशोधि | २६, २५५ | असहिष्णु | २२० |
| अव्यक्त | ७४ | असात | ११२ |
| अव्यक्तमत | १७६ | असिपत्र | १०९ |
| अव्यवहारी | २४३ | अस्थि | ३७ |
| अव्याबाध | ८१, १०२ | अस्थित | २७ |
| अशठ | १९२, १९४ | अस्थितकल्प | २७ |
| अशन | २२, ८६ | अहमदाबाद | ४३९ |
| अशनक | ३८३ | अहिसक | १६० |
| अशोक | ३१० | अहिंसा | ८, १४, ५२, ९१, ९९, १५९, २२१ |
| अश्रद्धान | १९३ | अहिच्छत्र | २७ |
| अश्व | ८, २०८ | अहिच्छत्रा | २५९ |
| अश्वतर | ८ | आ | |
| अश्वमित्र | १४, १५, ५४, ७४, १७७, २७७ | आँख | ३२ |
| अश्वसेन | ३६१ | आध्र | २६, ३२४ |
| अश्वसेनवाचक | ४० | आकर | १०, १७, ३८, ५४, १०१, ११४, १९८, ३५४ |
| अश्वसेनीय | ३६२ | आकर्ष | १३, १८३ |
| अष्टक | ३३३ | आकाश | १४, ६६, १५९ |
| अष्टागनिमित्त | ७, ६२ | | |

| | | | |
|------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|
| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
| अवस्था | १९४ | अष्टापद | ७१ |
| अवस्थान | १९४ | असविलष्ट | ३२ |
| अवस्थित | ६६ | अमंख्यात | २७३ |
| अवहेलना | २२२ | अमञ्जी | ६६ |
| अवाङ्मुख | २२९ | असयम | १०४ |
| अवाङ्मुखखड्मल्लक | १९९ | असपातिम | २१० |
| अवाङ्मुखमल्लक | १८, १९९ | असप्राप्त | ८ |
| अत्राचाल | २६ | असप्राप्तकाम | ८, ५३ |
| अवाय | ६५ | असंस्कृत | ९९ |
| अविच्युति | ६५ | असकल | ९९ |
| अविनीत | २१ | असन्निहित | ३३ |
| अविरहकाल | ६९ | असमाधिस्थान | ११०, २८० |
| अविरहित | १३ | असहनशील | १९४ |
| अविशोधि | २६, २५५ | असहिष्णु | २२० |
| अव्यक्त | ७४ | असात | ११२ |
| अव्यक्तमत | १७६ | असिपत्र | १०९ |
| अव्यवहारी | २४३ | अस्थि | ३७ |
| अव्याबाध | ८१, १०२ | अस्थित | २७ |
| अशठ | १९२, १९४ | अस्थितकल्प | २७ |
| अशान | २२, ८६ | अहमदावाद | ४३९ |
| अशानक | ३८३ | अहिंसक | १६० |
| अशोक | ३१० | अहिंसा | ८, १४, ५२, ९१, ९९, १५९, २२१ |
| अश्रद्धान | १९३ | अहिच्छत्र | २७ |
| अश्व | ८, २०८ | अहिच्छत्रा | २५९ |
| अश्वतर | ८ | आ | |
| अश्वमित्र | १४, १५, ५४, ७४, १७७, २७७ | आँख | ३२ |
| अश्वसेन | ३६१ | आघ्र | २६, ३२४ |
| अश्वसेनवाचक | ४० | आकर | १०, १७, ३८, ५४, १०१, ११४, १९८, ३५४ |
| अश्वसेनीय | ३६२ | आकर्ष | १३, १८३ |
| अष्टक | ३३३ | आकाश | १४, ६६, १५९ |
| अष्टागनिमित्त | ७, ६२ | | |

| | | | |
|------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|
| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
| अवस्था | १९४ | अष्टापद | ७१ |
| अवस्थान | १९४ | असक्लिष्ट | ३२ |
| अवस्थित | ६६ | असख्यात | २७३ |
| अवहेलना | २२२ | असञ्जी | ६६ |
| अवाङ्मुख | २२९ | असंयम | १०४ |
| अवाङ्मुखखंडमल्लक | १९९ | असपातिम | २१० |
| अवाङ्मुखमल्लक | १८, १९९ | असप्राप्त | ८ |
| अवाचाल | २६ | असप्राप्तकाम | ८, ५३ |
| अवाय | ६५ | असस्कृत | ९९ |
| अविच्युति | ६५ | असकल | ९९ |
| अविनीत | २१ | असन्निहित | ३३ |
| अविरहकाल | ६९ | असमाधिस्थान | ११०, २८० |
| अविरहित | १३ | असहनशील | १९४ |
| अविशोधि | २६, २५५ | असहिष्णु | २२० |
| अव्यक्त | ७४ | असात | ११२ |
| अव्यक्तमत | १७६ | असिपत्र | १०९ |
| अव्यवहारी | २४३ | अस्थि | ३७ |
| अव्याबाध | ८१, १०२ | अस्थित | २७ |
| अशठ | १९२, १९४ | अस्थितकल्प | २७ |
| अशन | २२, ८६ | अहमदाबाद | ४३९ |
| अशनक | ३८३ | अहिंसक | १६० |
| अशोक | ३१० | अहिंसा | ८, १४, ५२, ९१, ९९, १५९, २२१ |
| अश्रद्धान | १९३ | अहिच्छत्र | २७ |
| अश्व | ८, २०८ | अहिच्छत्रा | २५९ |
| अश्वतर | ८ | आ | |
| अश्वमित्र | १४, १५, ५४, ७४, १७७, २७७ | आँख | ३२ |
| अश्वसेन | ३६१ | आध्र | २६, ३२४ |
| अश्वसेनवाचक | ४० | आकर | १०, १७, ३८, ५४, १०१, ११४, १९८, ३५४ |
| अश्वसेनीय | ३६२ | आकर्ष | १३, १८३ |
| अष्टक | ३३३ | आकाश | १४, ६६, १५९ |
| अष्टागनिमित्त | ७, ६२ | | |

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|-------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|
| अवस्था | १९४ | अष्टापद | ७१ |
| अवस्थान | १९४ | असकिलषट | ३२ |
| अवस्थित | ६६ | असंख्यात | २७३ |
| अवहेलना | २२२ | असञ्जी | ६६ |
| अवाङ्मुख | २२९ | असयम | १०४ |
| अवाङ्मुखखड्गमल्लक | १९९ | असपातिम | २१० |
| अवाङ्मुखमल्लक | १८, १९९ | असप्राप्त | ८ |
| अवाचाल | २६ | असप्राप्तकाम | ८, ५३ |
| अवाय | ६५ | असस्कृत | ९९ |
| अविच्युति | ६५ | असकल | ९९ |
| अविनीत | २१ | असन्निहित | ३३ |
| अविरहकाल | ६९ | असमाधिस्थान | ११०, २८० |
| अविरहित | १३ | असहनशील | १९४ |
| अविशोधि | २६, २५५ | असहिष्णु | २२० |
| अव्यक्त | ७४ | असात | ११२ |
| अव्यक्तमत | १७६ | असिपत्र | १०९ |
| अव्यवहारी | २४३ | अस्थि | ३७ |
| अव्याबाध | ८१, १०२ | अस्थित | २७ |
| अशठ | १९२, १९४ | अस्थितकल्प | २७ |
| अशान | २२, ८६ | अहमदाबाद | ४३९ |
| अशानक | ३८३ | अहिंसक | १६० |
| अशोक | ३१० | अहिंसा | ८, १४, ५२, ९१, ९९, १५९, २२१ |
| अश्रद्धान | १९३ | अहिच्छत्र | २७ |
| अश्व | ८, २०८ | अहिच्छत्रा | २५९ |
| अश्वतर | ८ | | |
| अश्वमित्र | १४, १५, ५४, ७४, १७७, २७७ | आ | ३२ |
| अश्वसेन | ३६१ | आँख | ३२ |
| अश्वसेनवाचक | ४० | आघ्र | २६, ३२४ |
| अश्वसेनीय | ३६२ | आकर | १०, १७, ३८, ५४, १०१, ११४, १९८, ३५४ |
| अष्टक | ३३३ | आकर्ष | १३, १८३ |
| अष्टागनिमित्त | ७, ६२ | आकाश | १४, ६६, १५९ |

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|---|------------|---|---|
| भाकीर्ण | ९, ९७, ३७६ | आचारागचूर्णि | २८, ३१, २६६, २८७ |
| भाकुचनपट्ट | २२९ | आचारागटीका | ५९ |
| भाकुल | १३५ | आचारागदोषिका | ४९, ४२४ |
| भाक्रोश | २९९ | आचारागनियुक्ति | ६, ९, ५३, ५८, ६३, १०१ |
| भाज्ञेप | १६ | आचारागविवरण | ३८, ४९, ५४, ३५२ |
| भाख्यान | २९, ३०, ५४ | आचार्य | ६, ७, ८, ९, ११, १६, १७, २५, ३२, ३७, ४४, ४८, ६८, ७५, ७६, २१०, २१६, २२३, २४१, २४५, २४७, २७५ |
| भाख्यायक | ३८३ | आचार्यपदवी | ४० |
| भागतुक | २६ | आचार्यवश | ५७ |
| भागम ६, १०, १२, १६, २७, ३४, ४०, ४१, ५१, ५६, १३५, १४५ | १८७, २५० | आचाल | १०२ |
| भागम-ग्रन्थ | ६ | आचीर्ण | १०२ |
| भागमन | १९२, २१८ | आचेलयय | १९४ |
| भागम-व्यवहार | १८७ | आच्छेद्य | १९२ |
| भागमिक | ५, १० | आजाति | १०२ |
| भागमिक व्याख्या | ५१ | आजिनक | ३८४ |
| भागाल | १०२ | आजीवक | ३०, ५२, २७८ |
| भाचरित्त | ४०० | आजीवदोष | १९२ |
| भाचम्ल | १८, ८७ | आजीविकमतनिरास | २८९ |
| भाचार ९, १७, ३४, ५१, ५८, ९२, १०२, १०३, २९८ | | आज्ञा १६, १३५, १८७, २५०, ४०० | |
| भाचारकथा | ९० | आज्ञाव्यवहार | १९० |
| भाचारकल्प | २८० | आढक | ९८ |
| भाचार-दोषिका | ४९, ४२३ | आतक | १८, १९८ |
| भाचार-प्रकल्प | २५१ | आतोद्याग | ९, ९८ |
| भाचार-प्रणिधि | ३४१ | आत्मतत्त्व | १४ |
| भाचारविनय | १८८ | आत्मतर | २३, १९४, २३६ |
| भाचार-शास्त्र | ३४, ५१ | आत्म-प्रवाद | १७५ |
| भाचार-सपदा | १८८ | आत्म-सयोग | ९७ |
| भाचाराग ६, ९, २७, ३१, ३८, ५६, ५७, ६३, ६७, १०१, १०२, १०८, २६६, ३८३ | | आत्मा १३, १४४, १४७, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १७०, ३६८ | |

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|
| आत्मागुल | २७२ | आम्र | ३३, ३१७ |
| आत्मानुशासन | ३३४ | आम्रकुब्ज | २२९ |
| आत्माराम | ४४० | आम्रदेव | ४७, ४१५ |
| आत्मार्थकृत | १९ | आम्रशालवन | ४०४ |
| आत्मोपन्यास | ९१ | आय | १३७ |
| आदर्श | १०१ | आयविल | ३०९ |
| आदर्श-गृह | ७२ | आयाम | ३८३ |
| आदान | ८, ९४, १०९ | आयु | १३९ |
| आदाननिक्षेपणसमिति | १९१ | आयुषशाला | ७१ |
| आदित्यमास | १७ | आरभ | ३०९ |
| आदियात्रिक | १९, २१७ | आराधना | १३५ |
| आदेश | ९७, २४९ | आराम | ३८३ |
| आघाकर्म | २३, २६, १९२, २५५ | आरी | २१५ |
| आघाकर्मिक | १९, ३१४ | आरोग्य | ९९ |
| आनन्द | ३०, ५४, २७७ | आरोपणा | २३४, २३६ |
| आनन्दविमलसूरि | ४९, ४२४, ४२६, ४२९ | आर्तघ्यान | ३३९ |
| आनन्दसागर | २६६ | आर्द्र | ९, ९८, १०९ |
| आनुगामिक | ६६ | आर्य ५, १०, १४, २०, २७, ११४, | २१७ |
| आनुपूर्वी | २७३, ३३७ | | ३४ |
| आपण | २४९, ३८३ | आर्यकाल | ३४ |
| आपणगृह | १७, २०८ | आर्यकुल | २०, ५३, २१८ |
| आभरण | ३३, ५५ | आर्यकृष्ण | १७९ |
| आभिनिबोधिक | १३, ६५, १३०, २७१, ३४५ | आर्यक्षेत्र | २०, २७, ११४, २५९, |
| आभिनिबोधिक ज्ञान | १२८ | आर्यजाति | २०, ५३, २१८ |
| आभूषण | ३१२ | आर्यदेश | ३४, ५४, ३१८ |
| आम | ३३, ११३ | आर्यरक्षित | ५४, १७९ |
| आमर्जन | ३०९ | आर्यरक्षित-चरित्र | ७ |
| आमलकप्पा | ४०३ | आर्यव्रज | ५४ |
| आमोक्ष | १०१ | आर्या | ३२, ३०८ |
| आमोडक | ९८ | आर्यिका | २४२ |
| | | आलस्य | २९९ |

अनुक्रमणिका

४४९

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|-------------------------|--|-----------------------------|---|
| आलिंगन | ८, ३३ | आवश्यकवृत्ति-प्रदेशव्याख्या | ४६, ४११ |
| आलोक | ७९ | आवश्यकसूत्र | ७ |
| आलोचक | २३६ | आवश्यकानुयोग | १२७ |
| आलोचना | १७, २३, १९०, २३४, २३६, २५०, २७९, ४०० | आवेश | २४९ |
| आलोचनाई | २३६ | आशंका | ८, ९२ |
| आलोचनाविधि | ४०० | आशातना | १०, ११० |
| आवरण | ९९ | आश्रम | १०, १७, ३८, ११४, १९८, ३४५, ३९७ |
| आवरणक | ६, ११, २४, २८, ३६, ४८, ५६, ५७, ६४, ६५ ७०, ११७, १२६, १३५ २६६, २७२, २७४ | आश्रवास | १०१ |
| आवश्यकचूर्ण | २८, २९, ३७, ४०, ५२, ५३, २६६, २७०, २७४, ३६१ | आपाद | ७४, १७३, १७६, २७७ |
| आवश्यकचूर्णिकार | ४६ | आपादभूति | १५, ९०, ९१, १९३ |
| आवश्यक-टिप्पण | ४६, ४११ | आसन | २२९, २५२ |
| आवश्यक-टीका | ३६ | आससेनीय | ३६२ |
| आवश्यकनियुक्ति | ६, ७, ३७, ४५, ४८, ५१, ५३, ५४, ५८, ६०, ६३, ६४ | आसेवन | ८, १०२ |
| आवश्यकनियुक्ति-दीपिका | ७, ४८, ४२२ | आसेवन-शिक्षा | २८० |
| आवश्यकनियुक्तिवृहद्टीका | ३३३ | आस्थानिका | २४ |
| आवश्यकनियुक्ति-लघुटीका | ३३३ | आत्मवर्षचक | ३८१ |
| आवश्यक-मूलटीकाकार | ४६ | आहार | ७, ९, २०, २२, ३३, ३७, ५३, ६६, १०९, २२९, २४९, २५३, २५८ |
| आवश्यक-मूलभाष्यकार | ४६ | आहारकषारीर | १७ |
| आवश्यकविवरण | ३६, ४६, ४०६ | आहारधर्चा | २८९ |
| आवश्यकविवेचन | ५१ | आहृत | २१६ |
| आवश्यकवृत्ति | ३७, ४३, ४६, ३४४ ३८६, ३८७, ४१० | आहृतिका | २१९ |
| | | इ | |
| | | इंगितमरण | १०७ |
| | | इगिनीमरण | १७, १८९ |
| | | इद्रकील | ३८३ |
| | | इद्रनाग | २७७ |
| | | इद्रभूति | १३, ७३, १४४, ३९१ |
| | | इद्रागमन | ३० |
| | | इद्रिय | ६६, १५४ |

अनुक्रमणिका

४५१

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|--------------------|--|-------------------------|------------------------|
| उद्योगवृत्ति | ३३० | उपयोग | २१, ६६, १४८, १८४, |
| उद्योगनाचाराय | ४७, ४१५ | | ३४४ |
| उन्नताद् | ३९, ३५८ | उपनिधीत | १९, २०५ |
| उन्नायु | ३५८ | उपवास | ३०४ |
| उन्मत्त | २७, २४१ | उपनाम | ५२ |
| उन्माद | ८, १४, २०७ | उपनामभेदी | १४०, १४१ |
| उन्मिथ | १९३ | उपनाम | १८, ३०, ३०९ |
| उन्नोचन | ८४ | उपनामप्राप्त | २४१ |
| उपकरणा | १९, २६ | उपनामलोप | ७, ६२, |
| उपस्थ | २७, २६० | उपस्थ | २७ |
| उपवेशमाना | २९, २६९ | उपस्थापना | २५८ |
| उपक्रम | १३६ | उपस्थापना | २४४ |
| उपगृह | ३१३ | उपगत | ३२, ४०, ४५, ४८, ३०२ |
| उपगृहीत | ८, ९४ | उपगतात् | ७७ |
| उपगृहीत | ३३ | उपगताय | ८, १८, २४, ४७, ५१, |
| उपपद्य | ८४ | | ७५, ७७, २१०, २४१, २४५, |
| उपचार | २४५ | | २४७ |
| उपदेश | ६, ५६, १३५, २२७ | उपस्थापययत् | ५७ |
| उपदेशपद | ३३३ | उपस्थाय | १०, १८, १९, २०, २१, |
| उपदेशमाला | ४६, ४०९ | | २१८, २१९, २२८, २५८ |
| उपदेशमालावृत्ति | ४६, ४११ | उपस्थाय | १०, १११, ३७९ |
| उपदेशमात्राग्र | ४११ | उपस्थापना | ४० |
| उपधान | ९, १९२ | उपस्थायदनागवृत्ति | ४२, ३७९ |
| उपधानप्रतिमा | १११ | उपस्थायकप्रतिमा | १११, २७९ |
| उपधानश्रुत | १०३, १०७ | उपस्थाना | ७, ५३, ७० |
| उपधि | १०, १८, २०, २१, ३२, १९२, २१९, २२१, २२२, २५८, ३०८ | उपस्थान | ८, ५७, ६५, १२६, |
| उपधिकाल | २७ | उपस्थानर | २३, १९४, २३६ |
| उपनयन | ७, ७० | उपस्थानत प्रेमानन्द षाह | ११९ |
| उपवृंहण | १९२ | उप | ३२ |
| उपमितिभवप्रपञ्चकथा | २६९, ४०९ | उपध | ९, १०० |
| | | उपलावकी | १७८ |
| | | उपलक | १५ |

| | | | |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
| उलूकतीर | १७३ | एकस्थान | ८७ |
| उलूकी | १७८ | एकात्मवाद | १३, २८९ |
| उल्लुका | १७७ | एकावली | ३३, ५५, ३१२ |
| उल्लुकातीर | १७७ | एडक | ८ |
| उवक्खड | ३३ | एवभूत | १७३ |
| उवरि | १८७ | एलाषाढ | ३०० |
| उष्ट्र | ८ | एषणा | ८, ९३ |
| उष्ट्री | ३०७ | एषणासमिति | १९१ |
| उष्ण | ९, २५, १०६ | ऐ | |
| उस्सेति | ३३ | ऐतिहासिक | ८, ३०, ५४ |
| | ऊ | ऐतिहासिक चरित्र | ५४ |
| ऊरु | ३२ | ऐरावती | २२८ |
| | ऋ | ओ | |
| ऋजु | ९५ | ओष | ८, २६, २५२ |
| ऋजुवाल्का | ७३ | ओघनियुक्ति | ६, १०, २८, ३०, ४०, ६३, ११६, ११७, २६६ |
| ऋजुसूत्र | १७२ | ओघनियुक्तिचूणि | २९, २६७, २७४ |
| ऋण | ४१ | ओघनियुक्ति-टीका | ४३, ३८३ |
| ऋतु | २२, ३९८ | ओघनियुक्ति-दीपिका | ४९, ४२३ |
| ऋतुबद्ध | १९ | ओघनियुक्ति-बृहद्भाष्य | २६, २५४ |
| ऋतुमास | १७ | ओघनियुक्ति-भाष्य | २६ |
| ऋषभ | २७८ | ओघनियुक्ति-लघुभाष्य | २६, २५२ |
| ऋषभदेव | ७, ३०, ५३, ५४, ६९, १२३, २७५, ३४६ | ओघनियुक्ति-वृत्ति | ४०, ३६४ |
| ऋषभदेव-चरित्र | ७, ६९ | ओघसज्ञा | १३२ |
| ऋषभपुर | १७३, १७५ | ओदण | ३४, ३२४ |
| ऋषिगुप्त | २९, ३१, २७०, २९४ | ओसीर | ९८ |
| ऋषिभाषित | ६, १४, ५६, ५७, १७३ | औ | |
| | ए | औत्पत्तिकी | १३१, २७७ |
| एक | ८, ८९, ९३, ९८, ११० | औत्पातिकी | ७६ |
| एकक | ९, ९८ | औदारिक | २०, २१६ |
| एकपार्वशायी | २२९ | औद्देशिक | २६, १९२, १९४ |
| एकविहार-प्रतिभा | १११ | औपकक्षिकी | २२१ |

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|---------------|---------------------|----------------------------|--|
| औपघातिक | २६, २५२ | कम्प | २५६ |
| औपपातिक | ४०, ३८३ | कमलसंयम उपाध्याय | ३५, ३२५ |
| औपपातिकवृत्ति | ४३, ३८३ | करकड्डु | ८, ५४ |
| औपम्य | २५७ | करण | ८, २७, ७८, ९४, ९९, १७१, १८५, २५२, २५७ |
| औपशमिक | १९६ | करुणा | २७३ |
| और्णिक | २०, ५४, २१९ | कर्ण | ३६७ |
| औषध | १८, १९, २४९, ३०७ | कर्णराज | ४१, ३६७ |
| औषघाग | ९, ९८ | कर्णशोधन | २५८ |
| औषधि | १०५, २४९ | कर्ता | १७१ |
| औष्ट्रिक | २०, २१९ | कर्तृवाद | २८९ |
| | क | कर्बट | ३८, ११४, ३५४, ३९७, |
| कगु | ८, ९४, ३०६ | कर्बटक | १०, १७, ५४, २१६ |
| कचुक | २२१ | कर्म | ७, ९, १३, १४, १५, २०, ३०, ५३, ६९, ७३, १०५, १४४, १५०, १६२, १७२, १७८ |
| कटक | १०, २२, २३० | कर्मजा | ७६, २७७ |
| कड्डु | ९८ | कर्मप्रकृति | ३४, २६६, ३२४ |
| कद | ३८३ | कर्मप्रकृतिवृत्ति | ३८७ |
| कज्जलागी | ३८३ | कर्मप्रकृतिसंग्रहणी-चूर्णि | ४५, ३९७ |
| कति | १३ | कर्मप्रवाद | १७९ |
| कतिजन | १८ | कर्मबध | २१, ५१ |
| कतिविध | १३ | कर्मभूमिज | १०३ |
| कथक | ३१४, ३८३, ३८५ | कर्मवाद | १४, ५२, ५२ |
| कथनविधि | ८६ | कर्मवैविध्य | ५२ |
| कथम् | १३ | कर्मशाला | ३३, ३१८ |
| कथा | ८, ९३ | कर्मस्तववृत्ति | ३३३ |
| कथाकोश | ३३३ | कर्मस्थिति | १६, ५२ |
| कथानक | ९, १०, ३०, ३४, ३७ | कर्मन्तिगृह | ३३, ३१२ |
| कनक | १६८ | कर्मन्तिशाला | ३३, ३१२ |
| कनकपाषण | १६८ | कलशभवमृगेन्द्र | ३१, २९४ |
| कनकावली | ३३, ५५, ३१२ | कला | ३०६ |
| कन्यकान्त'पुर | ३३, ३१३ | | |
| कपडवज | ४१, ३६७ | | |
| कपिल | ९, २२, ७२, १००, २२६ | | |

| | | | |
|---|---------------|---|------------------------------|
| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
| कलाय | ९४ | कस्य | १३ |
| कलाल | ३३ | काचनपुर | २६, २५९ |
| कालिंग | २७, २५९ | काती | ३८६ |
| कालिद | २०, २१८ | कापिल्य | २७, २५९ |
| कालिकाल-सर्वज्ञ | ४३ | काकी | १७८ |
| कलेवर | ८४, १४७ | काठियावाड | ४३९ |
| कल्प १०, १६, १७, २७, ५७, ५९, ६०, ११३, १९४, २००, २३१, २४४, २५७, २६०, ३२१, ४०८ | | कान | ३२ |
| कल्पकरण | १९, २०२ | काननद्वीप | ३९, ३५४ |
| कल्प-टिप्पनक | ३२२ | कापोतिका | २१५ |
| कल्पघारी | १९ | काम ८, ५७, ९२, १००, २८३ | |
| कल्पना | १९० | काम-कथा | ९३, ३१२ |
| कल्पसूत्र | ५०, ३२१ | काम-क्रीडा | ३३, ५३, ३१२ |
| कल्पसूत्र-कल्पकौमुदी | ५१, ४३२ | कामगुण | २७९ |
| कल्पसूत्र-कल्पप्रदीपिका | ५०, ४३० | कामदेव | ३०, ५४, २७७ |
| कल्पसूत्र-कल्पलता | ५०, ४३२ | कामभोग | २८८ |
| कल्पसूत्र-टिप्पणक | ५१, ४३३ | कामविकार | २०७ |
| कल्पसूत्र-सुबोधिका | ५०, ४३१ | कामविज्ञान | ५३ |
| कल्पस्थित | १९४, २२८ | कामी | ३३, ५३ |
| कल्पस्थिति | १९४, २३१ | काय | २२, ३२, ६६, १३५, १४७, २८१ |
| कल्पिक | १९७ | कायक्लेश | ९१ |
| कल्पिका | ३०१, ४०१, ४०२ | कायगुप्ति | १९१ |
| कल्प्य | ४०२ | कायषट्क | ३६० |
| कल्याणविजयसूरि | ५०, ४३० | कायिकीभूमि | २१७ |
| कवि | ५० | कायोत्सर्ग ८, २६, ६५, १३६, २५२, २८१, ३०९ | |
| कवीद्र | ३९, ३५८ | कायोत्सर्ग-अकरण | १९३ |
| कषाय १३, १५, ६६, ९९, १४०, २७७ | | कायोत्सर्ग-भंग | १९३ |
| कषायदुष्ट | १९५ | कारण १२, १३, ७४, १७१, २१९ | |
| कस्तूरचन्द्र | ३५, ३२५, ४२० | कारणगृहीत | १९२ |
| | | कार्पाटिक | २०, २१६ |
| | | कार्पासा | २४९ |

अनुक्रमणिका

४५५

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| कार्मणशरीर | १५० | कुकुटीभट्टक | २४९ |
| कार्मिकी | १३१ | कुम्भुटी | २४९ |
| काल ८, १३, ६६, ७४, ८८, १०९ | १७१, १९२, २५७ | कुशीभट्ट | २४९ |
| कालक | ५, ३१५ | कुणाल | २६, २६०, ३१० |
| कालकल्प | २७ | कुणाला | ३४, ५४, ३१८ |
| कालगुरु | २३५ | कुम्भ | १३ |
| कालप्रमाण | २७३ | कुम्भिकापण | १७८, २२२ |
| काललघु | २३, २३५ | कुम्भदाला | १०४ |
| कालातिक्रान्त | २१, २२७ | कुम्भवावना | १९३ |
| कालातीत | १९२ | कुमार | २४, ५४, २३८ |
| कालातीतकरण | १९३ | कुमारपालप्रबन्ध | ३८५ |
| कालानुयोग | ८९ | कुम्भ | २७, २५९ |
| कालिक | ७४, २७७ | कुम्भल | २०, २७, ३३ |
| कालिकश्रुत | १४ | कुम्भक | ३३३ |
| कालिकाचार्य | ३०, ५४, ६० | कुम्भकर | ६९, ३४६ |
| कालिकी | १३२ | कुम्भल्य | ८, २४, ९४, २३९, ३०६ |
| काव्यरत्न | २७३ | कुम्भप्रभ | ३५, ३२५, ४२० |
| काशी | २७, २५९ | कुम्भमद | ७२ |
| काश्यपक | १८, १९९ | कुम्भिक | १०४ |
| काष्ठ | ८, ९४, १०४, ३०७ | कुम्भलयमाला | ३३१ |
| किं | ६९ | कुम्भलत्व | ९९ |
| किञ्चिदवमीदयं | २६, २४९ | कुम्भान्तं | २७, २५९ |
| किम् | १३ | कुम्भाल | २३, २३७, २३८, २५०, २५७ |
| क्रियञ्चिर | १३, १८ | कुम्भबल | २०८ |
| किरणावली | ५० | कुम्भुम | ९० |
| कीर्तिवल्लभ | ३५, ३२५, ४२१ | कुम्भ | ९० |
| कीर्तिविजयगणि | ५०, ४३१ | कुम्भण | १०५ |
| कुम्भग्राम | ७२, १०९ | कुम्भेरा | ३६६ |
| कुम्भल | ३३, ५५, ३१२ | कुम्भानगर | ३३, ३१२ |
| कुम्भकार | ३०० | कुम्भकट | ७, ७० |
| कुम्भुटी | २४९ | कुम्भ | ३४, २४६, ३२४ |

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|--------------------------|--|-----------------|----------------------|
| कूर्चपुर | ३६६ | कोट्यायंवादिगणि | ३५, ३३० |
| कूर्म | ३७६ | कोडालसगोत्र | ७२ |
| कृतकरण | २१५ | कोणिक | ३०, ५४, २८० |
| कृतपुण्य | २७७ | कोद्रव | ८, २४, ९४, २३९, ३०६ |
| कृतयोगी | २५, १९२ | कोल्लाकग्राम | ७ |
| कृति | ३९, ११५ | कोशक | २१५ |
| कृतिकर्म | ७९, १२३, २७८ | कोशल | २६, २७, २४८, २५९ |
| कृत्तिका | ३९२ | कोशलक | २४८ |
| कृत्स्न | २०, २२० | कोशिका | २२८ |
| केकयाधं | २७, २६० | कोष्ठागार | ३३, ५५, ३१२, ३१४ |
| केवल | ६५, १८८, २७१ | कौडिन्य | २४, १७७, १८०, २३९ |
| केवलज्ञान | १३, १५, १८, ३०, ३६, ५२, ६७, ७३, १२८, १३४, १८४, २७१ | कौकुचिक | २३१ |
| केवलज्ञानी | ६० | कौटुविक | ३८४ |
| केवलदर्शन | १६, ३६, ५२, १८४, २७१ | कौतुक | ७, ७० |
| केवली | १६ | कौरव | २१८ |
| केवलोत्पाद | ३० | कौशाबी | २७, ३४, ५४, २५९, ३१८ |
| केशिक्रुयार | ४०३ | क्रम | १६ |
| केषु | १३ | क्रमिकत्व | ३६ |
| कोट | २०६ | क्रिया | २७९, ३३७, ३४३ |
| कोटिकगणि | २८ | क्रियावादी | ९, ५२, १०८ |
| कोटिवर्ष | २७, २६० | क्रियास्थान | २७९ |
| कोट्टवीर | १८० | क्रीडा | ८, ९४, १९३ |
| कोट्टार्य | १२, ३५, १२२, ३२५, ३४९ | क्रीत | १९२ |
| कोट्याचार्य | ७, ३५, ३७, ४७, १२२, ३२५, ३३०, ३४९ | क्रोध | १४०, १९३ |
| कोट्याचार्यवादिगणिमहत्तर | ३३० | क्रोध-दोष | १९२ |
| कोट्यार्य | ३५, ३३५, ३२७, ३२८, ३३०, ३४९, ४१४ | क्रोध-निग्रह | २५२ |
| | | क्लीब | २१, २७, २२६ |
| | | क्लेश | २१३, २२८ |
| | | क्षणलव | ६९ |
| | | क्षणिकवाद | १५५ |
| | | क्षत | ९, १०२ |
| | | क्षत्रिय | ९, २०, १०२, १२८ |

अनुक्रमणिका

४५७

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|
| क्षपक | १९३ | ख | |
| क्षपकश्रेणी | १४०, १४१ | खड | ९९ |
| क्षपणा | १३७ | खडपाणा | ३०० |
| क्षपित | ११४, २१३ | खभात | ४९, ४२७ |
| क्षमाकल्याण | ३३४ | खड्गस्तभन | ८६ |
| क्षमारत्न | ३५, ३२६, ४२१ | खर | १०४ |
| क्षमाश्रमण | ११, १२, ११९, १२३ | खरतरगच्छ | ४९, ५०, ४२७, ४२९ |
| क्षमित | ११४ | खरतरगच्छपट्टावली | ३३४ |
| क्षात | ९२, ९५ | खरस्वर | १०९ |
| क्षामणा | २८१ | खसद्रुमशृगाल | २१८ |
| क्षामित | २१३ | खादिम | ८६ |
| क्षायिक | १९६ | खिसित | २३० |
| क्षायोपशमिक | १९६ | खिल्लूर | ३८५ |
| क्षार | २२, ३७ | खेट | ३८, ३५४, ३९७ |
| क्षिप्तचित्त | २२, २४, ५३, २३१, २४० | खेड | १०, १७, ५४, ११४, १९८ |
| क्षिप्र | १३१ | खेलापन | ७, ७० |
| क्षीरगृह | ५५, ३१४ | खोल | २१५ |
| क्षुषा | २९९ | ग | |
| क्षुल्लक | ८, १८, ९३, १९३, २१० | गग | १५, ५४, १७३, १७७ |
| क्षुल्लिका | १८, ९०, २१० | गगदत्त | ३०, ५४, २७७ |
| क्षुल्लिकाचार | ५८ | गंगमूरि | ७४, २७७ |
| क्षेत्र १३, २०, ६६, ६८, ७४, १७१ | | गगा | २२८ |
| क्षेत्रकल्प | २७, ५४ | गजशाला | ३३, ५५, ३१४ |
| क्षेत्रकाल | १३ | गड | ३०९ |
| क्षेत्रप्रत्युपेक्षक | १८ | गडि | ९७ |
| क्षेत्रसमासटीका | ४५, ३९७ | गघ | ७, ८, ७०, ९४, ३०७ |
| क्षेत्रसमासवृत्ति | ३३३ | गघपलिय | ३३ |
| क्षेत्रातिक्रान्त | २१, २२७ | गघर्व | ६२ |
| क्षेमकीर्ति | ३५, ४६, ४८, २६३, ३२५, ४०७, ४२०, ४२२ | गघहस्ती | ३५, ३८, ४०, ३१५, ३५१, ३५२, ३५४, ३६२, ३७१ |
| क्षोभ | ११२ | गघाग | ९, ९८ |
| | | गघिकाशाला | २४९ |

| शब्द | पृष्ठ |
|----------------------|--|
| गभूता | ३९, ३५५ |
| गच्छ | १८, १९, २२ |
| गच्छपति | ३६ |
| गच्छप्रतिबद्धयथालदिक | १९, २०५ |
| गच्छवासी | १९, २०० |
| गच्छशक्तिका | १९, २०२ |
| गच्छाचार | ४९ |
| गच्छाचारटीका | ४९, ४२४ |
| गच्छाचारवृत्ति | ४९, ४२४ |
| गज | ७२ |
| गजपुर | २७, २५९ |
| गण | २५, १३५, २४१ |
| गणक | ३८४ |
| गणघर | १३, १७, १८, १९, २०, ३०, ५७, ६७, ७३, १३८, २२०, २७०, ३०९ |
| गणघरवाद | ७, १३, ५२, १४३ |
| गणघरस्थापना | २५ |
| गणनायक | ३८४ |
| गणातरोपसपदा | २१, २२७ |
| गणावच्छेदक | २५, २४६ |
| गणावच्छेदिनी | २४५ |
| गणि | १११ |
| गणित | ७, ६९ |
| गणितशास्त्र | १२ |
| गणितानुयोग | १४, ८८, १७३, २५२ |
| गणिसपदा | १४ |
| गणिसपदा | ११०, १८८ |
| गणी | १० |
| गति | ६६ |
| गद्य | ९२ |
| गम | १३३ |

| शब्द | पृष्ठ |
|---------------|----------------------|
| गमन | १८, १९२, १९३ |
| गमनागमन | १८, २५३ |
| गमिक | ६६, १३२, १३३, १८३ |
| गदंभ | ८, ३०७ |
| गदंभिल्ल | ३४, ३१५ |
| गर्भ-परिवर्तन | ७२ |
| गर्भाधान | २१, ५३, २२२ |
| गर्भापहार | ७२ |
| गर्भिणी | २७ |
| गर्हा | १८५, २७९ |
| गलि | ९, ९९ |
| गवेपणा | १९, ६६ |
| गाथा | ७, ९, १०, २२, १०९ |
| गार्हिक | २०७ |
| गार्हपृष्ठ | १०७ |
| गिरनार | ३९, ३५९, ३८५ |
| गिरा | ९४ |
| गीत | १९३, ३१९ |
| गीतार्थ | २४, १९४, १९८, २३३ |
| गुजा | १०५ |
| गुच्छ | १०५ |
| गुजरात | ४३९ |
| गुजराती | ५१ |
| गुण | १५, ३३, ५५, १७८, ३१२ |
| गुणप्रत्यय | ६६, १३४ |
| गुणप्रात्ययिक | ६७ |
| गुणरत्न | ३५, ३२५, ४२० |
| गुणब्रत | ९४, २८१ |
| गुणशेखर | ३५, ३२५, ४२० |
| गुणसौभाग्यगणि | ४९, ४२५ |
| गुणस्थान | २८० |
| गुप्ति | ३०, १९१, २५३ |

अनुक्रमणिका

४५९

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
| गुर ३१, ३६, ३८, ६९, १४२, १९१ | | गाविद्यायक | ६१ |
| गुरु-परम्परा | ४२, ५७ | गाविद्यायार्थ | ६, ११६ |
| गुरुभाई | २९ | गोशालक | ३०, ५४, २२६ |
| गुरुभाना | ४७ | गोशाश्रमतनिराम | २८९ |
| गुरुमाम | ३०३ | गोशाला | ३३, ३६३ |
| गुल्बिहा | २१५ | गोष्ठ्यामाहित | १५, १६, ५४, १७२, |
| गुन्म | १०५ | | १७९, २४७, २७७ |
| गुहागिह | २०, २०६ | गो | ३०७ |
| गुहाय | ५ | गोहृदेन | ३८५ |
| गुह | ५५ | गोत्र | २५५ |
| गुहश्चिनमंदि | २०१ | गोत्रम | १४४ |
| गुरुवतिष्ठान्मन्त्रवाक्य | २१२ | गोत्रिका | २४२ |
| गुरुव्य | १९ | घम | ५, १२, ५८, ६८, ११३, |
| गुरुव्याघ्रम | ४६ | | १३५, १४१ |
| गुरुत्राज | २१५ | घमिभेः | १३९ |
| गुरुभिद्र | २१६ | घमिन | ९२ |
| गुरुभिद्रजन | ३४० | घरण | ९, १०९, १३३ |
| गेम | ९२ | घहणमिहा | २८० |
| गो | ८, ९४ | घहर्णयणा | १०३ |
| गोगूर | ३३, ५५, ३१२ | घाम | १०, १७, १८, १९, ३८, ५४, |
| गोच्छक | २२१, २२२ | | ११४, १९८, ३५४, ३९७ |
| गोत्र | १५, १३९ | घाममाह्वार | ३०५, ३०९ |
| गोत्रम | ८, २४, ९४, २३९, ३०६ | घामानुघाम | २० |
| गोष | ३०, ७३, ८० | घ्रीष्म | २१४ |
| गोपालगण | २८, ३१, ३६८ | ग्लान | १९, २५, २०४, २२७, २४४, |
| गोपालगणिमहत्तर | २८५ | | २५२, ३१४ |
| गोपुर | ३३, ३१२, ३८३ | ग्लानकल्प | १९३ |
| गोमाम | २८९ | | |
| गोवर्ग | २०६ | घ | |
| गोविद | २४७ | घटाशृगाल | १९७ |
| गोविदनिर्मुक्ति | ३, २९, ३४, २७४, | घटीमात्रक | २०९ |
| | ३२४ | घडा | २०९ |
| | | घन | १०५ |

| | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
| घर | ३०८ | चतुर्गुण | २३, २३५ |
| घर्षण | २२, ३२ | चतुर्दशपूर्वधर | १६, १७, ५८, १२९, |
| घात | ७, १३, ७० | | १९५ |
| घासीलालजी | ४३४ | चतुर्दशपूर्वविद् | ६० |
| घृतकुट | २३५ | चतुर्मुख | ३८३ |
| घोटक | ८, ३०७ | चतुर्विंशति | ७८ |
| घोष | १०, ७१, ११४, १९८ | चतुर्विंशतिप्रबन्ध | ३३४ |
| घ्राणेन्द्रिय | ६६ | चतुर्विंशतिस्तव | ८, ४६, ६५, ७८, |
| | च | | १३५, २७८ |
| चडकौशिक | ३०, २७६ | चतुर्विंशतिस्तु तिसटोक | ३३३ |
| चंदन | ८, ८६ ९४, | चतुर्भ्रंत | २३१ |
| चंदनवाला | ३०, ५४, २७६ | चतुष्क | ९, १७, ९८, २०८, ३८३ |
| चद्र | १२०, १६४ | चतुष्पद | ८, ९४, ३०७ |
| चंद्रकुल | ५१ | चत्वर | १७, २०८, ३८३ |
| चद्रगच्छ | ५० | चय | ८३ |
| चंद्रगुप्त | ३१० | चर | ९, १०६ |
| चद्रप्रज्ञप्ति | ५१ | चरक | ९२, ९५ |
| चंद्रप्रज्ञप्तिटीका | ४३, ४५, ३९८ | चरण | ९, १००, १०१, १०२, १०६, |
| चद्रप्रज्ञप्त्युपागटीका | ३८७ | | २५२ |
| चद्रमा | ३९१ | चरणकरणानुयोग | १४, ८९, १७३, |
| चद्रमास | १७ | | २५२ |
| चपा | २७, २५९ | चरम | ६६, ८७ |
| चक्रपुर | ७, ७० | चरिक् | ३८३ |
| चक्ररत्न | ७१ | चरिका | ३३, ३१२ |
| चक्रवर्ती | १७, ७१, २७६ | चरित्र | ५४ |
| चक्रारबद्ध | ३०७ | चर्म | ८, १०, ९४, २१५, २५९, |
| चक्रिका | २४९ | | ३०७ |
| चक्षुरिन्द्रिय | ६६ | चर्मकार | ३३, ३१८ |
| चक्षुर्लोल | २३१ | चर्मपचक | २२० |
| चणक | २४, २३९ | चर्या | १०६ |
| चतुरग | ५८ | चल | ६६ |
| चतुरगीय | ९८ | चलनिका | २२१ |

अनुक्रमणिका

४६१

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|--|----------------|------------------------------|-------------------------------|
| चवल | २३९ | चुणिण | ५ |
| चहारदीवारी | २०६ | चूडा | १०२ |
| चाडाल | ९, १०२ | चूर्ण | ९९, १९३, २५५ |
| चातुर्थिक | ९८ | चूर्णदोष | १९३ |
| चातुर्मास | २५ | चूर्णि | ५, २७, ३०, ३५, २६६ |
| चार | २१३ | चूर्णिकार | २८, २६६, २६७, ४०७ |
| चारित्र १३, २०, २३, ५१, ६७, ७४, १०६, १३८, १४०, १८१, १९२, २५७ | | चूला | ७, ७०, २०८ |
| चारित्रकल्प | २७ | चूलिका | ८, ९, ६३, ९०, ९५, १०८, २९९ |
| चारित्रधर्म | २४, ३४० | चेट | ३८४ |
| चारित्रलाभ | १३ | चेटक | ३०, ५४, २८० |
| चार्वक | १४ | चेतना | १५४ |
| चावल | २४ | चेदि | २७, २६० |
| चिंता | ८, ९४, २०७ | चेल्लणा | ३०, ५४, २८० |
| चिकित्सा ७, १९, २२, ५३, ७०, १०७ | | चेतन्य | १५३, १६७ |
| चिकित्सादोष | १९२ | चेत्य | ७३, २०३, २२२, ४०४ |
| चिंता | ७१ | चेत्यपूजा | ३०३ |
| चितिकर्म | ७९, २७८ | चेत्यवन्दन | २०७ |
| चित्त | १०, १११ | चेत्यवन्दनभाष्य | ३३३ |
| चित्तसमाविस्थान | १११ | चेत्यवन्दन-महाभाष्य | ३९, ३५९ |
| चित्तौड | ३६, ३३१ | चेत्यवन्दनवृत्ति—ललितविस्तरा | ३३३ |
| चित्रकर्म | २११ | चेत्यवन्दना | २१४ |
| चित्रकूट | ३३१ | चैत्र | ७२ |
| चित्रा | ३९२ | चोर | ३४, ३२४ |
| चिरकषाय | १९३ | चोलपट्ट | २२१ |
| चिलातिपुत्र | ३९, ५४, २७७ | चौण | ९२ |
| चिलिमिलिका | २०९, ३०३ | | |
| चिलिमिली | २५८, ३०३ | छ | |
| चीवर | ३६१ | छदशास्त्र | १२ |
| चुबन | ८, ३३, ९४, ३१२ | छ. | ९३ |
| | | छद्मस्थ | १९१ |
| | | छद्मस्थवीतराग | ९७ |
| | | छन्न | ३३ |

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|-----------------|--|
| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
| छर्दन | ८४ | जयतिहुयणस्तोत्र | ३६६ |
| छदित | १९३ | जयदयाल | ३५, ३२६, ४२१ |
| छिडिका | २१२ | जयविजयगणि | ५०, ४३१ |
| छुसगृह | ३३, ३१२ | जयसिंह | ४७, ४१४ |
| छुसशाला | ३३, ३१२ | जल | १८, ३९, १५२, १५९ |
| छेद | १७, १९३, १९४, २४६, २५०, ४०० | जलपत्तन | ३९ |
| छेदन | २२, ३२, ३३, २५७, ३१० | जलरुह | १०५ |
| छेदसूत्र | १४, १७३ | जलाशय | २१० |
| छेदसूत्रकार | ६, २६, ५९, ६० | जल्ल | ३१४, ३८३ |
| छेदोपस्थापन | १४१ | जव | ३०६ |
| छेदोपस्थापना | १३ | जागल | २५९ |
| छेदोपस्थापनीय | २५१ | जागिक | २०, ५४, २१९ |
| | ज | जातमसमाप्तकल्प | २५ |
| जगल | २७ | जातसमाप्तकल्प | २५ |
| जघा | ३२ | जाति | ८, ९, २०, २७, ५३, ५४ |
| जबू | ३१० | जातिवादनिरास | २८९ |
| जबूद्वीपप्रज्ञप्ति | २८, २६६ | जातिस्मरणज्ञान | ६९, ७२ |
| जबूद्वीपप्रज्ञप्तिटीका | ४३, ४५, ३८७, ३९७ | जामनगर | ४३६ |
| जगन्चन्द्रसूरि | ४२२, ४३४ | जिज्ञासु | ५ |
| जघन्य | ३२ | जिणदास | ३२० |
| जड | २७ | जिणदासगणिमहत्तर | ३२० |
| जनपद | २४, २७ | जितशत्रु | ३९१ |
| जन्म | ३०, ५३, ७०, ७२ | जितारि | ३६, ३३१ |
| जन्माभिषेक | ७३ | जिन | ७०, ७९, १३८ |
| जमदग्नि | २७७ | जिनकल्प | १९, २७, ५२, १८०, १९४, २००, २०६, २५६ |
| जमदग्निजटा | ९८ | जिनकल्पिक | १७, १८, ३२, ११४, १९९, २२१, २२२, २३५, ३०८ |
| जमालि | १४, १५, ५४, ७४, १७२, १७३, २७७ | जिनकल्पी | २४५, ३०८ |
| जयकीर्तिसूरि | ४२३ | जिनचैत्य | १८ |
| जयतिहुयणस्तोत्र | ४० | | |

अनुक्रमणिका

४६३

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|-----------------------|---|-----------------------------------|---|
| जिनचैत्यवन्दना | २०१ | जिनेश्वरसूरि | ४० |
| जिनदत्त | ३६, १२०, ३३३, ३४८ | जीत | १६, २५०, २९१, ४०० |
| जिनदास | १२, २८, ३०, ३१, १९१, ४३६ | जीतकल्प | १०, १६, २८, ४८, ११७, १२१, १२३, १८६, २६६, २६८ |
| जिनदासगणि | ७, ३४, २६६, २६७, ३२०, ४१७ | जीतकल्पचूर्णि | २८, २९, १२०, २६८, २६९, २९१ |
| जिनदासगणिमहत्तर | २८ | जीतकल्प-बृहच्चूर्णि | ३१, ४८, २९१ |
| जिनदेव | ३५७ | जीतकल्पबृहच्चूर्णि-विषमपदव्याख्या | ४८, ४१८ |
| जिनप्रभ | ११८ | जीतकल्पभाष्य | १०, १६, ५१, ११८, १२३, १८६, २५२, २९१ |
| जिनप्रवचन | १५, ६८ | जीतकल्पसूत्र | १६, २९, ३१ |
| जिनभट | ३५, ३६, ३२५, ३३३, ३४८, ३४९, ४२० | जीतयन्त्र | १९४ |
| जिनभद्र | ७, ११, १२, १४, १६, २८, ३५, ३७, ४०, ६५, ११८, १८६, २६८, २६९, २९१, ३२७, ३३०, ३३१, ३४९, ४१३ | जीतव्यवहार | १६, १८७, १९० |
| जिनभद्रगणि | ११, १२, ३१, ३५, ४७, १२४, ३२५, ३३५ | जीर्णान्ति-पुर | ३३, ३१३ |
| जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण | २८ | जीव | ८, १४, १५, ७३, ९३, १४५, १४७, १५१, १५४, १५५, १६२, १७८, ३४० |
| जिनमडनगणि | ३८५ | जीवन-चरित्र | ५४ |
| जिनमदिर | १८ | जीवनी | ३५ |
| जिनमत | ७४ | जीवप्रदेश | ७४ |
| जिनमाणिक्यगणि | ५०, ४३० | जीवप्रादेशिक | १५, १७५ |
| जिनरत्नकोश | ४२१ | जीवरक्षा | ९० |
| जिनराजसूरि | ४३२ | जीवरुत | १९३ |
| जिनविजयजी | १२१, ३३१ | जीवविचारप्रकरण | ३९, ३५९ |
| जिनहस | ३५, ३२५, ४२० | जीवविजय | ३५, ३२५, |
| जिनालय | ७२ | जीवसत्तासिद्धि | ३८९ |
| जिनेन्द्रबुद्धि | ४०, ३६२ | जीवसमास | ४१० |
| जिनेश्वर | ३६६, ३७७ | जीवसमास-विवरण | ४६, ४११ |
| | | जीवाभिगम | २७, ३६, ४२, ४५, ५१, २६७ |

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|----------------------|---|---------------------|------------------------------------|
| जीवाभिगमचूर्ण | ४५, ३९२ | ज्ञानपचक-विवरण | ३३४ |
| जीवाभिगमटीका | ४३ | ज्ञानपचकसिद्धि | ३८९ |
| जीवाभिगममूलटीका | ४४, ४५, ३९८, ४-४ | ज्ञानवाद | ५२ |
| जीवाभिगमलघुवृत्ति | ३३४ | ज्ञानविमलसूरि | ३५, ५०, ३२५, ३८१, ४२१, ४२७, |
| जीवाभिगमविवरण | ४५, ३९६ | | ४२९ |
| जीवाभिगमोपागटीका | ३८७ | ज्ञानशीलगणि | ३५, ३२५ |
| जुगित | २७ | ज्ञानसागर | ३५, ३२५, ४२०, ४२१ |
| जुगुप्सा | ९९ | ज्ञानाचार | २३ |
| जुगुप्सित | ३३, ३१८ | ज्ञानादित्यप्रकरण | ३३४ |
| जू भिकाग्राम | ७३ | ज्ञानादित्तिक | २५२ |
| जेकोत्री | ३३१ | ज्ञानाधिकार | ६५ |
| जैन | ५, ६, १०, १२, १७, २२, २७, ३४, ६१, ३४१ | ज्ञानावरण | १३९ |
| जैनन्याय | ५६ | ज्ञानोपयोग | ६९ |
| जैनसंघ | ४० | ज्येष्ठ | ३९, १९४ |
| जैनागम | १२ | ज्येष्ठग्रह | १०, १११, ३१४ |
| जैसलमेर | १२२, २९२ | ज्येष्ठा | १७५, ३९२ |
| ज्ञात | २१८, ३७५ | ज्योति | २१८ |
| ज्ञात-कीरव | २० | ज्योतिविद् | ६, ५८, ६०, ६२ |
| ज्ञातविधि | २४६ | ज्योतिष्क | १६४ |
| ज्ञाता | २५ | ज्योतिष्करंडक | ४४, ३९३, ३९४ |
| ज्ञानाधर्मकया | ४०, ४१, ४२ | ज्योतिष्करंडक-टीका | ४३, ३८७ |
| ज्ञानाधर्मकयाविवरण | ३७५ | ज्योतिष्करंडकवृत्ति | ४४, ३९३ |
| ज्ञातिक | २६ | ज्वर | २०७ |
| ज्ञान | २०, २३, ४९, ६५, ६६, ११३, १३८, १९२, २५७, २७३, ३३७, ३४३ | ज्वाला | १०४ |
| ज्ञानदर्शन-अभेदनिरास | ३८९ | | ट |
| ज्ञानदेव | ३६७ | टवाकार | ४३६ |
| ज्ञानपचक | ७, १७, ५०, १२८, १९६ | टिप्पण | ३९ |
| | | टिप्पन | ३२६ |
| | | टिप्पनक | ३०६ |
| | | टीका | ५, २९, ३४, ३९, ४३, ४६, ३२५, ३०६ |

अनुक्रमणिका

४६५

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|-----------------------------|--------------|--------------|--|
| टीकाकार | १०, ३४, ३२५ | तप | ८, १७, २६, २७, ६९, ९१, १९०, २३५, २५१, २५२, ४०० |
| | ड | | |
| डेपन | १९३ | तपस्वी | २४, ६९ |
| | त | तपागच्छ | ४९, ५०, ४२७ |
| ततुण | २०, २१८ | तपागच्छनायक | ४९ |
| तंत्र | ६८, १४१ | तपोगुरु | २२, २३५ |
| तदुलवैचारिक | २७३ | तपोदान | १९४ |
| तदुलवैचारिकवृत्ति | ४९, ४२५ | तपोरत्नवाचक | ३५, ३२५, ४२१ |
| तंब | ३०७ | तमालपत्र | ९८ |
| तच्चणिय | ३०, ५२, २७८ | तमिल | ३२४ |
| तज्जीवतच्छरीरवाद | २८९ | तर | ३०८ |
| तट | २३ | तरगवती | ३०, ३४, ३१२ |
| तडाग | ३८३ | तरु | ९०, ३०७ |
| तत्क्षणिक | ३०, ५२ | तर्क | ३४ |
| तत्परिभोग | १९३ | तर्णादि-बंधन | १९३ |
| तत्प्रतिषेध | ८, ९२ | तल | १९७ |
| तत्त्व | १४ | तलवर | ३८४ |
| तत्त्वादित्य | ३८, ३५२, ३५६ | तलिका | २१५ |
| तत्त्वार्थटीका | ४५ | तवु | ३०७ |
| तत्त्वार्थभाष्य | २८, ४५, ३३९ | ताडन | ७० |
| तत्त्वार्थभाष्य-बृहद्वृत्ति | ३८ | ताडना | ७ |
| तत्त्वार्थभाष्य-वृत्ति | ३५१ | ताडपत्र | २९ |
| तत्त्वार्थभाष्यव्याख्या | २९६ | तापस | ३०, ५२, ९२, ९५, २७८ |
| तत्त्वार्थमूलटीका | ४५ | तामलिप्ति | ३९, ३५५ |
| तत्त्वार्थसूत्र | २७० | ताम्र | ८, ९४ |
| तत्त्वार्थाधिगम | ३४ | ताम्रलिप्ति | २७, २५९ |
| तत्त्वार्थाधिगमसूत्रटीका | ३८७ | तायी | ९५ |
| तद्भय | २७, १९२ | तार्त्तीयिक | ९८ |
| तद्भावना | ८, ९४ | ताल | १०, १७, ११३, १९७, |
| तनु | ८३ | तालाचर | ३८३ |
| तपःकर्म | १०७ | तित्तिणिक | २३१ |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------|
| शब्द | | पृष्ठ | शब्द | | पृष्ठ |
| तितिक्षा | | ९९ | तूल | | ३८४ |
| तित्थ | | १३८ | तृण | | १०५ |
| तिनिश | ८, ९४, ३०७ | | तृणगृह | ३३, ५५, ३१२ | |
| तिमिर | | ९८ | तृणपचक | | १९३, २२० |
| तिरीटपट्टक | | २०, २१९ | तृणफलक | | १८ |
| तिर्यक् | | ३३ | तृणशाला | | ३३, ३१२ |
| तिर्यञ्च | | १०३ | तृषा | | ५ |
| तिर्यञ्च-प्रतिमा | | २११ | तेज | | १५२ |
| तिल | ८, २४, ९४, २३९, ३०६ | | तेजस् | | ९ |
| तिलकमजरी | | ३९, ३५८, ३५९ | तेजस्काय | | १०४, ३०० |
| तिष्यगुप्त | १४, १५, ५४, ७४, १७३, | | तेतलोपुत्र | २९, ५४, २७७, ३७६ | |
| | | १७५, २७७ | तेदुक | | १७४ |
| तिसरिय | | ३३, ५५, ३१२ | तेरण | | ३८३ |
| तेरार्थी | | ९२, ९५ | तेसलिपुत्राचार्य | | ५९ |
| तेर्ण | | ९२, ९५ | त्यजन | | ८४ |
| तेर्थ | | ५७, ६८, ७९, १४१ | त्याग | | ६९ |
| तेर्थंकर | ७, १७, १८, ३०, ५३, ५४, | | त्रपु | | ८, ९४ |
| | ५६, ६७, ६८, ६९, ७९, | | त्रस | | ९, १४८ |
| | १६५, १९९, २७१, २७४, | | त्रसकाय | | १०५, ३०० |
| | | २७८ | त्राता | | ९२ |
| तेर्थंकरनामकर्म | | १७२ | त्रिक | | ३८३ |
| तेर्थंकरनाम-गोत्रकर्म | | ३४६ | त्रिकृत्स्न | | २२२ |
| तेन्नमद | | ६६ | त्रिददी | | ७१ |
| तुव | | ३७६ | त्रिपुटक | | ८, ९४ |
| तुववीणिक | | ३८३ | त्रिपुडा | | ३०६ |
| तुटिक | | ३९२ | त्रिपृष्ठ | | ७१ |
| तुडिय | | ३३, ५५, ३१२ | त्रिराशि | | ७४ |
| तुवर | | ३०६ | त्रिराशिवाद | | २८९ |
| तुवरी | ८, २४, ९४, २३९ | | त्रिनिघ | | ७८ |
| तुपगृह | | ३३, ३१२ | त्रिशाला | | ७२ |
| तुपशाला | | ३३, ३१२ | त्रिस्थ | | १३८ |
| तृणहल्ल | | ३८३ | त्रैरागिक | | १५, १७८ |

अनुक्रमणिका

४६७

| | | | |
|--------------------|------------------|------------------------------|--|
| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
| त्रैवार्षिकस्थापना | २५ | दीपिका | ३०१, ४०१, ४०२ |
| अर्थ | १३८ | दम्पर्य | ४०२ |
| त्वक् | ३८३ | दर्शन | २०, २३, ६६, १०६, १९२, २५७ |
| थ | | दर्शनकल्प | २७ |
| थरादनगर | ३५८ | दर्शनशास्त्र | १२, ५१, ५२ |
| थारापद | ३५८ | दर्शनावरण | १३९ |
| थारापदगच्छ | ३९ | दर्शनेच्छा | २०७ |
| द | | दलमुख मालवणिया | ११९, १२१ २६९, ३२७ |
| दड | ३२, ५५, २५८, ३०३ | दश | ८, ८९, ११० |
| दडनायक | ३८४ | दशक | ८९ |
| दडनीति | २४, २३९ | दशकालिक | ९०, २९२, ३३८ |
| दडासन | २२९ | दशपुर | १७३ |
| दत | ८, ९४, ३०७ | दशपूर्वघर | ६० |
| दतघावन | २५८ | दशभाग | ९९ |
| दतनिपात | ८, ९४ | दशवैकालिक | ६, १०, २८, २९ ३६, ५६, ५७, ६० ११७, २६६, २९२ ३३१, |
| दक | ३३, ३१२ | दशवैकालिकअवचूरि | ३३४ |
| दकतीर | ३३, २१०, ३१२ | दशवैकालिक-आत्मज्ञानप्रकाशिका | ५१ |
| दकपथ | ३३, ३१२ | दशवैकालिकचूर्णि | २८, २९, २६६, २६७, २८३, २९२, २९९ |
| दकमार्ग | ३३, ३१२ | दशवैकालिकचूर्णिकार | २१ |
| दकस्थान | ३३, ३१२ | दशवैकालिकदीपिका | ४९, ४२७ |
| दक्षत्व | ९९ | दशवैकालिकदीपिकाकार | ५० |
| दक्षिण | ५४, ५८ | दशवैकालिकनियुक्ति | ६, ८, ३६, ५२, ५३, ५४ ५७, ६३, ८९ |
| दत्ति | ७, ७० | दशवैकालिकनियुक्ति-दीपिका | ४९ |
| दधि | २१८ | | |
| दमदत | २७७ | | |
| दमिल | ३४, ३२४ | | |
| दया | ९९ | | |
| दरयाखान | ४३८ | | |
| दरियापुर | ४३९ | | |
| दरियापुरी | ४३९ | | |
| दपं | १९०, १९३ | | |

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| दशवैकालिकबृहद्दीका | ३३४ | दिगंबर | १५, ३६, ५८, ६१, १७९, |
| दशवैकालिकभाष्य | १०, ११७ | | २७७ |
| दशवैकालिकवृत्ति | ३७, ५२, ३३८ | दिविजय-यात्रा | ३० |
| दशवैकालिक-सौभाग्यचंद्रिका | ५१ | दिनकरप्रज्ञप्ति | ३९६ |
| दशवैतालिक | २९२ | दिवसशयन | १९६ |
| दशा | २६, ८८ | दिवाकर | ११, ११९ |
| दशाणं | २७, २६० | दिव्य | ३३ |
| दशाणभद्र | २७७ | दिव्यध्वनि | ७३ |
| दशाश्रीमाली | ४३६ | दीक्षा | २५, ३०, ३३, ३९, ४०, २२२, |
| दशाश्रुतस्कंध | ६, ९, २७, ५६, ५७, ५८, ६०, ११०, २६६ | | २४७, २५८, ३१५ |
| दशाश्रुतस्कंध-गणपतिगुणप्रकाशिका | ५१ | दीक्षादाता | ३६ |
| दशाश्रुतस्कंधचूर्णि | २८, ३४, ३२१, ३२३ | दीप | १८, १६८ |
| दशाश्रुतस्कंधनियुक्ति | ६, ९, ५९, ६०, ११० | दीपक | २१८ |
| दांत | ९२, ९४ | दीपविजयगणि | २८२ |
| दाक्षिण्यचिह्न | ३३१ | दीपिका | ४८, ४९, ५०, ३२६, ४३१ |
| दाता | २५३, ३०८ | दीपिकाकार | ५० |
| दान | ३०, ७२ | दीप्तचित्त | २४, ५३, २६१, २४१ |
| दानशेखर | ४२० | दीर्घनि स्वास | २०७ |
| दानशेखरसूरि | ३५, ५०, ३२५, ४२९ | दीर्घाध्वकल्प | १९३ |
| दामन्नक | ८७ | दीर्घिक | ३८३ |
| दाय | ३८३ | दु ख | १७० |
| दायक | १९३ | दुग्ध | २१८ |
| दारुदण्डक | २२९ | दुष्पनीत | ९१ |
| दार्शनिक | ३६, ३९ | दुर्ग | १०, १९, २३१ |
| दावद्रव | ३७६ | दुर्निषण्ण | २१ |
| दास | २७ | दुर्बलिकापुष्पमित्र | १७९ |
| दाह | २०७ | दुर्लभराज | ३६७ |
| दिक् | ९, १०३ | दुर्वचन | २३० |
| | | दुर्विद्वत् | २१ |
| | | दुष्कल्प | २७, २६० |
| | | दुष्काल | १७, १९८ |
| | | दुष्ट | २७, २२६ |

अनुक्रमणिका

४६९

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|----------------------------|---------------------|----------------|--|
| दूत | ३८४ | दोषनिर्घातविनय | १८८ |
| दूतीदोष | १९२ | दोहडि | ४७, ४१६ |
| दुष्यपचक | १९३, २२० | दोवारिक | ३८४ |
| दृष्टात | ८, २४, ९२ | दोपिका | २४९ |
| दृष्टिवाद | १४, १७३ | द्रव्य | १५, २०, २७, ६६, ९२, ९५, १७८, ३०७, ३३७ |
| दृष्टिवादोपदेशिकी | १३२ | द्रव्यकल्प | २७ |
| दृष्टिसंपात | ८, ९४ | द्रव्यश्रुत | ६७ |
| देव | १३, १४, ७३, १६४ २८० | द्रव्यहिंसा | २१ |
| देवगुप्तसूरि | २९ २६९ | द्रव्यानुयोग | १४, ८९, १७३, २५२, |
| देवगृह | ४०४ | | ९८ |
| देवजी मुनि | ४३५ | द्राक्षा | ९८ |
| देवदारु | ९८ | द्रुम | ८, ९०, १०० |
| देवप्रतिमा | २११ | द्रोणमुख | १०, १७, ३८, ५४, ११४, १९८, ३५४, ३९१ |
| देवद्विगणि | ४२३ | द्रोणसूरि | ३५, ४०, ३२५, ३६४ |
| देवसेनगणि | ५१, ४३४ | द्रोणाचार्य | ४०, ४१, ४२, २५१ ३६७, ३६९, ३७७ |
| देवानदा | ७२, २७६ | | ३८१, ३८ |
| देवी | ३०, २७६ | द्वादशागविद् | ४१ |
| देवेंद्रगणि | ३५, ४७, ३२५, ४१५ | द्वादशारनयचक्र | ३६ |
| देवेंद्रनरकेंद्रप्रकरण | ३३४ | द्वार | १३, १६, १८, ३०, ३१२, ३८ |
| देवेंद्रनरकेंद्रप्रकरणटीका | | द्वारवती | ७, २७, ७०, २५ |
| देवेंद्रसूरि | ३८५ | द्वापष्टि | ३१ |
| देश | ६६, ९९, २५९ | द्वि | २४, २० |
| देशत.प शर्वस्थ | २३ | द्विक्रिया | १ |
| देशनी | ९४ | द्विजवदनचपेटा | ३ |
| देशविजय | ७१ | द्विपद | ८, ९४, ३ |
| देशविरति | १४०, १८२, १८४ | द्विविधद्रव्य | २ |
| देशांतर-गमन | १९८ | द्वेष | २ |
| देशावसन | २४ | द्वैक्रिय | १ |
| देशीनाममाला | ४५ | | |
| देशैकदेशविरति | १८४ | | |
| देह | १४, ८४, १४६, १४७ | | |
| देहावसान | ४६ | | |

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| द्वैक्रियवाद | १५ | धर्मपाठक | २३८ |
| द्वैराज्य | २१४ | धर्मबिन्दु | ३३४ |
| द्वयाश्रय | ४०९ | धर्ममन्दिर उपाध्याय | ३५, ३२५, ४२१ |
| | | धर्मरुचि | १७, ३०, ५४, १९१, |
| घ | | | |
| घन | २८७, ३९६ | | २७७ |
| घनगुप्त | १७७ | धर्मलाभसिद्धि | ३३४ |
| घनदेव | ४०, ३५८, ३६७ | धर्मवरचक्रवर्तित्व | ७३ |
| घनपाल | ३९, ३५८ | धर्मश्रुति | ९९ |
| घनविजयगणि | ५०, ४३० | धर्मसंग्रहणी | ३३४ |
| घनश्री | ३५८ | धर्मसंग्रहणी-टीका | ४५ |
| घनसार्थवाह | ३०, २७५ | धर्मसंग्रहणी-वृत्ति | ३८७ |
| घनिक | २४, २३८, २३९ | धर्मसभा | १९९ |
| घनुष | १०९ | धर्मसागरगणि | ५१, ४३१, ४३२ |
| घन्वन्तरी वैद्य | ८, ५४ | धर्मसारमूलटीका | ३३४ |
| घम्मतित्थयर | ७९ | धर्मसिंह | ५१, ४३६ |
| घम्मिल | ८७ | धर्मसेनगणि | १२३ |
| धर्म | ८, ५८, ६८, ७९, ९०, ९४, २७८ | धर्मोपदेशमाला | ४१० |
| धर्मकथा | ९३, २०७, ३७५ | धर्मित | २२२ |
| धर्मकथानुयोग | १४, ८९, १७३, २५२ | धवलक | ४०, ३६७ |
| धर्मकरक | २१५ | धात्रीदोष | १९२ |
| धर्मकीर्ति | ३८, ३३०, ३५१ | धानक | ३०६ |
| धर्मकुल | ३६ | धान्य | ८, ५४, ९४, २३९, ३०६ |
| धर्मगुरु | २८ | धान्यक | ८, ९४ |
| धर्मधोषसूरि | ४३४ | धान्यकर | ७० |
| धर्मचक्र | ७, ७० | धान्यपुर | ७ |
| धर्मजननी | ३६ | धान्यभंडार | ५५ |
| धर्मतीर्थ | ७९ | धारण | १३३ |
| धर्मतीर्थकर | ७९ | धारणा | १५, १६, ६५, १३०, १८७, १५०, ४०० |
| धर्मधर्मभेदाभेदसिद्धि | ३८९ | धारणाव्यवहार | १९० |
| धर्मध्यान | ३३९ | धारा | ४०, ३६६ |

अनुक्रमणिका

४७१

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|--------------------|--|-------------------|---|
| घारानगरी | ३५८, ३६७ | नदीपुर | २७, २५९ |
| घारिणी | ३९१ | नदीफल | ३७६ |
| घार्मिक | २२ | नदीभाजन | २१५ |
| घावन | १९३ | नदी-विशेषविवरण | ३६ |
| घोर | २५ | नदीवृत्ति | ३६, ४४, ५२, ३८८ |
| घोरविमलगणि | ५०, ४२९ | नदीसूत्रटीका | ३८७ |
| घोरसुन्दर | ३५, ३२५, ४२० | नदीसूत्र-भाषाटीका | ५१ |
| घुत्तकखाणग | ३०१ | नकर | ३८ |
| घूत | ९, १०७ | नकार | ११२ |
| घूर्ताख्यान | ३४, ३००, ३३४ | नकुली | १७८ |
| घूर्त्य | ११२ | नक्षत्रमास | १७ |
| घूम | १९३ | नख | ३२ |
| घूमपलिय | ३३ | नखछेदन | २५८ |
| घृति | ९० | नखनिपात | ८, ९४ |
| घृतिसहननोपेत | १९८ | नखहरणिका | २१५ |
| घोलका | ४०, ३६७ | नगर | ७, १०, १७, १८, १९, ३६, ३८, ५४, ११४, १९८, ३५४, |
| घ्यान | ८, १६, ८५, ९१ २७९, ३३९, ३४७ | नगविगणि | ३५, ३२५, ४२० ४२१ |
| घ्यानशतक | १२, १२३, ३४७ | नट | ३१४, ३८३ |
| घ्यापन | ७ | नट्ट | ३१४ |
| घ्यापना | ७० | नदी | २२, १९२, २०९ |
| घुव | १०३, १३१ १३५ | नपुसकवेद | २७, ३३, २११, ३१५, ३४३, |
| न | | नपुसकवेद | २२ |
| नदि | ३८८ | नमस्कार | ८, १३, १५, ४४, ४५ ५७, ७५, १८४, २७७ |
| नदि-टिप्पण | ४६, ४११ | नमस्कार-प्रकरण | ८ |
| नदिवर्धन | १९१ | नमस्कार-भाष्य | ३६ |
| नदी | २८, ३६, ४८, १२७, २१५, २६७, ३३१, ३८८ | नमि | ९, १०० |
| नदीचूर्णि | २८, २९, ३६, ५२, २६६, २६७ २६८, २७१ | नमिसाधु | ३५, २२५ |
| नदीटीका | ३६, ४३ | | |
| नदीदुर्गपदव्याख्या | | | |

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|----------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
| नय | १३, ६९, ७४, १३६, १३७, १७२, १८५ | नारी | २४२, २८५ |
| नयचक्र | ३६० | नालंदा | १०९ |
| नयन | १३० | नाव | १९२ |
| नयविमलगणि | ५०, ४२९ | नास्तिकमतचर्चा | २८९ |
| नयातर | २७ | निदा | १८५, २७९ |
| नरक | ७३ | नि शक्ति | १९२ |
| नरकवासी | १०८ | निकर | १३५ |
| नरवाहनदत्तकथा | ३१२ | निकाचना | २३६ |
| नर्तक | ३८३ | निकाय | ८, ९३, १३५ |
| नर्तकी | २२२ | निक्षिप्त | १९३ |
| नवनीत | २१८ | निक्षेप | १३, १६, २०, ५५, १३६ |
| नवरस | २९ | निक्षेप-पद्धति | ६, ८, ५६ |
| नवागवृत्तिकार | ५० | निक्षेप-पूर्वक | ८, ९ |
| नवागीवृत्तिकार | ४० | निगम | १०, १७, ५४, ११४, १९८, ३९७ |
| नवात पुर | ३३, ३१३ | निगमन | ८, ९२ |
| नाक | ३२ | निग्रह | १३५ |
| नाग | ६२ | निघट्टभाष्य | ५६ |
| नगदत्त | ८, ५४, ६२ | निज्जुत्ति | ५ |
| नागर | ३८४ | निज्जुत्तिअणुगम | ६१ |
| नागरिकशास्त्र | ५१, ५४ | नित्यानित्य | १४ |
| नागार्जुनीय | ३६० | निद्रा | ९९, ३०० |
| नागेन्द्र | १२० | निपुण | १२ |
| नाट्यविधि | ३९८ | निमित्तदोष | १९२ |
| नाडोल | ३५९ | नियतिक | २४, ५४, २३८, २३९ |
| नाभि | ६९ | नियतिवाद | २८८ |
| नाम | २०, ६६, ६९, १३९, ३३७ | नियोग | ६८, १४२ |
| नामकर्म | ६९ | निरति | ११२ |
| नामकल्प | २७ | निरयावलिका | ४८ |
| नामावली | ७ | निरयावलिकावृत्ति | ४८, ४१८ |
| नारक | १३, १४, १०३, १४४, १६५, १६६ | निरयावलिकासूत्र | ४८ |
| | | निराकार | १६ |

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|----------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
| नय | १३, ६९, ७४, १३६, १३७, १७२, १८५ | नारी | २४२, २८५ |
| नयचक्र | ३६० | नालदा | १०९ |
| नयन | १३० | नाव | १९२ |
| नयविमलगणि | ५०, ४२९ | नास्तिकमतचर्चा | २८९ |
| नयातर | २७ | निदा | १८५, २७९ |
| नरक | ७३ | नि शक्ति | १९२ |
| नरकवासी | १०८ | निकर | १३५ |
| नरवाहनदंतकथा | ३१२ | निकाचना | २३६ |
| नर्तक | ३८३ | निकाय | ८, ९३, १३५ |
| नर्तकी | २२२ | निक्षिप्त | १९३ |
| नवनीत | २१८ | निक्षेप | १३, १६, २०, ५५, १३६ |
| नवरस | २९ | निक्षेप-पद्धति | ६, ८, ५६ |
| नवागवृत्तिकार | ५० | निक्षेप-पूर्वक | ८, ९ |
| नवागोवृत्तिकार | ४० | निगम | १०, १७, ५४, ११४, १९८, ३९७ |
| नवात पुर | ३३, ३१३ | निगमन | ८, ९२ |
| नाक | ३२ | निग्रह | १३५ |
| नाग | ६२ | निघटुभाष्य | ५६ |
| नगदत्त | ८, ५४, ६२ | निज्जुत्ति | ५ |
| नागर | ३८४ | निज्जुत्तिअणुगम | ६१ |
| नागरिकशास्त्र | ५१, ५४ | नित्यानित्य | १४ |
| नागार्जुनीय | ३६० | निद्रा | ९९, ३०० |
| नागेन्द्र | १२० | निपुण | १२ |
| नाट्यविधि | ३९८ | निमित्तदोष | १९२ |
| नाडोल | ३५९ | नियतिक | २४, ५४, २३८, २३९ |
| नाभि | ६९ | नियतिवाद | २८८ |
| नाम | २०, ६६, ६९, १३९, ३३७ | नियोग | ६८, १४२ |
| नामकर्म | ६९ | निरति | ११२ |
| नामकल्प | २७ | निरयावलिका | ४८ |
| नामावली | ७ | निरयावलिकावृत्ति | ४८, ४१८ |
| नारक | १३, १४, १०३, १४४, १६५, १६६ | निरयावलिकासूत्र | ४८ |
| | | निराकार | १६ |

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|-----------------|---|------------------------------|--|
| निश्चत | १३, ५६, ११३, १८३ | निवृत्ति | १२०, २७९ |
| निश्चित | १३, ६९, १८३ | निवेश | १०, १७, ११४, १९८ |
| निर्गत | २३, २३५ | निशीथ | ९, १०, १६, २७, ३३, ४०, ४८, १००, १०८, ११७, २४५, २६६, २९८, २९९, ३६१ |
| निर्गम | १३, ६९, १४३ | निशीथनूर्णि | ४८, २६५, २९८ |
| निर्ग्रथ | १८, २०, ९२, ९५, १००, २५०, २५७ | निशीथनूर्णि-दुर्गापदव्याख्या | ४८ |
| निर्ग्रथी | १८, १९, २०, २०५, २२२, २२९ | निशीथचूला | २९८ |
| निर्जरा | १९ | निशीथनियुक्ति | ६, ६३, १०८, ११६ |
| निर्जीव | ३३ | निशीथभाष्य | ११, ६१, १०८, २६५ |
| निर्णय | ६ | निशीथविशेषचूर्णि | २८, ३१, ५३, ५४, ५५, २६८, २९८ |
| निर्देश | १३, ६८, १४३ | निश्चयवाद | १३१ |
| निर्याण | ३३, ३१२ | निश्चित | १३१ |
| निर्याणगृह | ३३, १५, ३१२ | निश्चेष्टा | २०७ |
| निर्याणशाला | ३३, ३१२ | निश्चा | २२२ |
| निर्युक्ति | ५, ६, ९, १६, २६, ३०, ५६, ६०, ६७, १३७, १३८ | निष्पण | ८४ |
| निर्युक्तिकार | ६, १४, ५६, ५९, ६० | निष्पद्या | २२९, २५८, ३४० |
| निर्युक्ति-गाथा | ७ | निषाद | ९, १०२ |
| निर्वचन | ३२ | निषेध | ६ |
| निर्वाचन | १८ | निष्क्राक्षित | १९२ |
| निर्वाण | १३, १४, ६७, १०२, १६८ | निष्कासित | २७ |
| निर्वाणसिद्धि | ७३ | निष्क्रमण | १९, २०२ |
| निर्वचिकित्सा | १९२ | निष्पत्ति | १८, १२७ |
| निर्विण्ण | ८४ | निष्पन्न | २० |
| निर्विगमान | १९४ | निष्पादक | २० |
| निर्विष्ट | १९४ | निष्पाव | ८, २४, ९४, २३९ |
| निर्वृत्ति | ३५६ | निह्व | १४, १५, ७४, ९९, १७३, २७७ |
| निवेश | २७ | निह्वमत् | ७ |
| निवृत्तिकुल | ११, ११९ | निह्वववाद | १३, १५, ५२, १७४ |

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|
| नीच | ७२ | पंचकल्प १०, २७, ११७, २५७, | |
| नीति | ७, ७०, ९९ | | २६६ |
| नीतिशास्त्र | २४, २३८ | पंचकल्पचूर्ण | २६९ |
| नोहारभूमि | २१७ | पंचकल्पनियुक्ति ६, २६, ५९, ११६ | |
| नृत्य | ३१९ | पंचकल्पमहाभाष्य ५, ११, १२, १६, | |
| नेपाल | ५८ | २६, ५२, ५३, ५४, ११८, | |
| नेमिचन्द्रसूरि ३५, ४७, ३२५, ४१५ | | १२३, १८६, २५६ | |
| नेमिचन्द्राचार्य | ४७ | पंचकल्पलघुभाष्य | २६२ |
| नेमिनाथ | ४५, ३८५ | पंचममस्कार | ७८ |
| नैगम ३८, १७२, ३५४, ३८४ | | पंचनिर्ग्रंथी | ४०, ३३४, ३३६ |
| नैमित्तिक | ७, ६२ | पंचमहाभूतिक | २८९ |
| नैयतिक | २३९ | पंचमहाव्रत | ७१ |
| नैरात्म्यनिराकरण | ३८९ | पंचलिंगी | ३३४ |
| नोअपराधपद | ९२ | पंचवस्तुक | ४५, १२४, ३९९ |
| नोजीव | १५, १७८ | पंचवस्तुसटीक | ३३४ |
| नोमातृकापद | ९२ | पंचव्रत | २३१ |
| नोभयतर | १९४ | पंचसग्रह | ४५, ३९७, ३४४ |
| नोश्रुतकरण | ३६१ | पंचसग्रह-टीका | ४५, ३९९ |
| नोस्थल | २२८ | पंचसग्रहवृत्ति | ३८७ |
| न्याय | १३५, ४०० | पंचसिद्धान्तिका | ७, ६२ |
| न्यायप्रवेशसूत्रवृत्ति | ३३४ | पंचसूत्रवृत्ति | ३३४ |
| न्यायविनिश्चय | ३३४ | पंचस्थानक | ४०, ३३४ |
| न्यायशास्त्र | ६ | पचाशक | ३३४ |
| न्यायसागरगणि | २८२ | पचाशकवृत्ति | ३६६ |
| न्यायमूलतरगिणी | ३३४ | पचेन्द्रियव्यपरोपण | १९३ |
| न्यायावतार-विवृत्तिकार | ४६, | पञ्जिका | ३२६ |
| न्यायावतारवृत्ति | ३३४ | पङ्क | २२, २२७ |
| | प | पङ्कित | १२, १३, २४, ३९ |
| | | पङ्कितमरण | ३१६ |
| पक | ११२ | पथ | २०, २१६ |
| पंच | ३८३ | पक्क | १९८ |
| पचक | ३० | पचनशाला | ३३, ३१८ |

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| पच्छिन्न | १६, १८७ | परलोकसिद्धि | ३३४ |
| पटल | ९९ | परिवर्तित | १९२ |
| पटलक | २२१ | परिकु चना | २३४ |
| पट्ट | ३३, ५५, २२१, ३१२ | परिक्षेप | २०६ |
| पट्टधर | ११ | परिखा | २०६ |
| पट्टावली | ४१ | परिग्रह | १५, ३०१ |
| पडालि | १८, १९९ | परिग्रह परिमाण | २८१ |
| पणित | ३८३ | परिघ | ३८३ |
| पण्यशाला | ३३, ३१८ | परिज्ञा | ९, १०३, १८४ |
| पत्तन | १०, १७, ३८, ५४, ११४, १९८, ३५४, ३९७ | परिणमन | १७ |
| पत्यपद्म | ३६७ | परिणामिकी | २७७ |
| पद | ८, १५, ७५, ९२, २८३ | परिणामी | १९४ |
| पदवी | २५, ३९ | परिभाषा | ४३ |
| पदार्थ | १६ | परिभोग | २० |
| पद्मखड | ७, ७० | परिमथ | २२, २३१ |
| पद्मचन्द्र | ४२२ | परिवसना | १०, १११, ३१४ |
| पद्मदेव | ३५८ | परिवासित | २३० |
| पद्मसागर | ३५, ३२५, ४२१ | परिव्राजक | ३०, ५२, ७१, ९२, ९५, २७९ |
| पद्मसुन्दरगणि | ३५, ३२५, ४२० | परिशादी | २२४ |
| पद्म | ९२ | परिशातना | ८४ |
| पनक | ११२ | परिष्ठापना | २१, २७९ |
| परम्परसिद्धकेवल | ३८९ | परिष्ठापनिकासमिति | १९१ |
| परतर | २३, १९४ | परिष्वजन | ३३, ३१२ |
| परतीर्थिकोपकरण | २१५ | परिस्थापना | ३४७ |
| परदा | २०९, ३०३ | परिहरणा | २७९ |
| परदारप्रत्याख्यान | २८१ | परिहार | २३४, २३६, २४० |
| परभव | ७३ | परिहारकल्प | २३० |
| परमाधामिक | १०९, २८० | परिहारतप | २१, २२८, २३७, २४५ |
| परमेष्ठी | ७६ | परिहारविशुद्धि | १३, १४०, २५१ |
| परलोक | १४, ७३, १४४, १६०, १६७ | परोक्षा | १८ |
| | | परोत्त | ६६ |

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| परीषद् | ९, ७२, ९७, १०६, १०७, | पाचाल | २७, २५९ |
| | २८० | पाक्षिकसूत्र | ५, ६१ |
| परुष | २३० | पाखण्डी | ९२ |
| परोक्ष | १०, १२८, १८८, २७० | पाटन | ३९, ४०, ४१, ४७, ३५८, |
| पर्यंक | ३४० | | ३६६ |
| पर्यय | १२८ | पाटलिखण्ड | ७, ७० |
| पर्ययन | १२८ | पाठ | ६८, १४१ |
| पर्यवखिल | ९९ | पाठभेद | ४३, ४५ |
| पर्यवन | १२८ | पाठान्तर | ३७, ४३ |
| पर्याप्तक | ६६ | पाणिपात्र | ३२ |
| पर्याय | १२८, ३२६ | पाणिपात्रभोजी | ३२ |
| पर्यायगृह | ३३, ३१२ | पात्र | १०८, ३६१ |
| पर्यायवाची | १० | पात्रकवच | २२१ |
| पर्यायशाला | ३३, ३१२ | पात्रकेसरिका | २२९ |
| पर्यालोचन | १३३ | पात्रप्रत्युपेक्षणिका | २२१ |
| पर्युपशमना | १०, १११, ३१४ | पात्रलेप | २५३ |
| पर्युषणा | १०, १११, १९४, ३१४ | पात्रस्थापन | २२१ |
| पर्युषणाकल्प | १११ | पादप | ९० |
| पर्व | ९९ | पादपोगमन | १७, १०७, १८९ |
| पर्वक | १०५ | पादप्रोक्षण | ३२८ |
| पर्वबीज | १०५ | पादलिप्त | १९३ |
| पर्षद | ८६, १९७, २७१ | पादलिप्तसूरि | ४४, ३९५, ३९८ |
| पर्षदा | १९७ | पादलिप्ताचार्य | ५९ |
| पलबा | ३३, ५५, ३१२ | पान | ८६ |
| पलाडु | २८९ | पानक | १८, २२९ |
| पलायित | २७ | पानागार | ३३, ५५, ३१४ |
| पल्लि | ३३ | पानासवरण | १९३ |
| पश्चिम | ५४ | पानी | ९८ |
| पश्यत्ता | ३४४ | पाप | १३, १४, ७३, ११२, १४४, |
| पहकर | ४०४ | | १६६ |
| पाइअ-टीका | ३९, ३५९ | पापश्रुत | २८० |
| पाइअलच्छीनाममाला | ३५९ | पापा | २७, ७३, २६० |

अनुक्रमणिका

४७७

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|---|------------------|-------------|---|
| प्रायच्छित्त | १६, १८७ | पिप्पली | ९८ |
| पारगत | ७ | पिलक | ३०९ |
| पाराचिक १७, २१, १९०, १९५, | २२६ | पिहित | १९३ |
| पाराचित | २४१, २५१ | पीठ | ३२ |
| पारिणामिकी | ७६, १३१ | पीठफलक | २२९ |
| पारिभाषिक | ५, १०, ४३, ५६ | पीठमर्द | ३८४ |
| पार्श्वचन्द्र | ४२० | पीठिका | १७, २२, ३१, ३४, ३२६ |
| पार्श्वचन्द्रगणि | ५१, ४३६ | पीठिकाभाष्य | ४६ |
| पार्श्वदेवगणि | ४१७ | पुज | १३५ |
| पार्श्वनाथ | ४२६ | पुडरीक | ९, १०९, ३७६ |
| पार्श्वस्थ | २३, ८०, २३७, २७८ | पुट | २१५ |
| पाशस्थ | २३, २३७ | पुटमेदन | १७, १९८ |
| पाषाण | ८, ९४, ३०७ | पुण्य | १३, १५, ७३, १४४, १६६ |
| पाखडी | ९५ | पुण्यविजय | ६०, १२३, २१३, २५४, २६३, २६५, २९२, २९४, ३२१, ३२३, ३८५, ३९३ |
| पिंड ८, १९, २०, २६, ९३, १०८, १३५, १९२, २१८, २५२, ५५ | | पुण्यशाला | २७७ |
| पिंडदारु | ९८ | पुण्यसागर | ३५, ३२५, ४२० |
| पिंडनियुक्ति ६, ११, १६, ३०, ३६, ४५, ५९, ६३, ११६, ११७, १८६, ३३१, ४०५ | | पुनर्वसु | ३९२ |
| पिंडनियुक्तिटीका | ४३, ३८७ | पुद्गल | ३०० |
| पिंडनियुक्ति दीपिका | ४२३ | पुर कर्म | १९, २०३ |
| पिंडनियुक्तिभाष्य ११, २६, ११८, २५२, २५५ | | पुरिमाद्ध | ८७ |
| पिंडनियुक्ति-विषमपदवृत्तिकार ४५ | | पुरुष | ९, १३, २१, ३३, ६९, ७४, १०९, १४६, १७१, २४७, ३१६, ३४३ |
| पिंडनियुक्ति-वृत्ति ४५, ३३४, ४०४ | | पुरुषजात | २५१ |
| पिंडविशुद्धि २३, १९३, २३५, २५२ | | पुरोहड | २१२ |
| पिंडैषणा | १०८, ४०५ | पुरोहित | ३०९ |
| पितृग्राम | ३११ | पुलाक | २५०, २५७ |
| पितृपक्ष | २४ | पुलाकभक्त | २३० |
| पिप्पलक | २१५, २५८ | पुष्य | ८, ९० |
| | | पुष्पभूति | ८, ५४ |

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|
| पुष्पमित्र | १४,५४,१७३ | प्रकार | ३३,३१३ |
| पुस्तक | ४१ | प्रकाश | १६९ |
| पुस्तकपत्रक | १९३,२२० | प्रकीर्णक | ४४,४९,९२ |
| पूजा | ९,१०० | प्रकृति | १३,१४६ |
| पूजाकर्म | ८०,२७८ | प्रच्छादना | २२० |
| पूज्यभक्तोपकरण | २१९ | प्रजा | २३८ |
| पूरक | ६,१० | प्रज्ञा | ६६ |
| पूर्णशिरोरोग | ९८ | प्रज्ञाकर गुप्त | ४६,४०७ |
| पूर्तिकर्म | १९२ | प्रज्ञापक | ९५ |
| पूर्व | ८,५४,२८३ | प्रज्ञापन | १३५ |
| पूर्वक | ९२ | प्रज्ञापना | ३६,५१,३३१,३७१ |
| पूर्वांग | २७३ | प्रज्ञापनाटीका | ४३,४५,३९७ |
| पृच्छन | ७ | प्रज्ञापनातृतीयपदसग्रहणी | ४०,३६६ |
| पृच्छना | ७० | प्रज्ञापनाप्रदेशव्याख्या | ३७,३३४,३४१ |
| पृथक्करण | १३ | प्रज्ञापना-मूलटीका | ४५,३९७ |
| पृथ्वी | ९,१०४,१५२,१६० | प्रज्ञापनावृत्ति | ४४,३८९ |
| पृथ्वीकाय | १०४,३०० | प्रज्ञापनासूत्र | ३७,३४ |
| पृथ्वीचन्द्र | ३२१,३२२,४=३ | प्रज्ञापनी | ९४ |
| पृथ्वीचन्द्रसूरि | ५१,४३४ | प्रज्ञापनोपाङ्गटीका | ३८७ |
| पृथ्वीराज जैन | १४४ | प्रणयन | ११४,२१३ |
| पेशी | २०८ | प्रणिघान | ९० |
| पेषण | २२,३२ | प्रणिधि | ८,९५ |
| पैर | ३२ | प्रणेत | ४९,५७ |
| पोट्टशाल | १७८ | प्रतिक्रतव्य | ८१ |
| पोत | ७,५३,६९ | प्रतिक्रमण | ८,१७,३०,६५,८१, १३५,१९१,१९४,२५१, |
| पोतक | २०,२१९ | | २७९,४०० |
| पोताकी | १७८ | प्रतिक्रमण-प्रकरण | ८ |
| पौरुष्य | ८७ | प्रतिक्रमितव्य | ८१ |
| पोलाषाढ | १७६ | प्रतिक्रामक | ८१ |
| प्रकट | ३३ | प्रतिग्रह | २२२ |
| प्रकरण | ५३ | प्रतिग्रहधारी | ३२ |
| प्रकल्प | १६,२७,२६०,२९८,२९९ | | |

अनुक्रमणिका

४७९

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| प्रतिचरणा | २७९ | प्रत्याख्यान | ८, ९, ६५, ७८, ८६, |
| प्रतिज्ञा | ८, ९२, ३११, ३४० | | १०९, १३६, १८४, १८५, २८१ |
| प्रतिपतित | १८२ | प्रत्याख्येय | ८६ |
| प्रतिपत्ता | १८२ | प्रत्युपेक्षण | २४ |
| प्रतिपन्न | १८२ | प्रथमसमवसरण | १११ |
| प्रतिपातोत्पाद | ६६ | प्रथमानुयोग | ३४६ |
| प्रतिपृच्छा | १३३ | प्रदेश | ३९, ९९ |
| प्रतिबद्ध | २११ | प्रदेशव्याख्या-टिप्पण | ४७, ४११ |
| प्रतिबद्धशय्या | २११ | प्रदेशी | ४०३ |
| प्रतिबोध | ५१, ९२ | प्रद्युम्न | ३२, ४६, २६८, २९८, ४०९ |
| प्रतिभा | १२ | प्रद्युम्न क्षमाश्रमण | २८ |
| प्रतिमा | १०, १८, २३, २६, १०७, १११, २३५ | प्रध्वसाभाव | १६४ |
| प्रतिमास्थित | २२९ | प्रभव | ३१० |
| प्रतिलेखना | १८, १९, १६, २०२, २५२, २७९ | प्रभावक-चरित्र | ४१, ३३३, ३३५, ३४९, ३५८, ३६६ |
| प्रतिलोम | ९१ | प्रभावना | १९२ |
| प्रतिश्रय | २१२ | प्रभास | १३, ७३, १४४, १६८ |
| प्रतिषेध | ८ | प्रसक्त | २२६ |
| प्रतिष्ठा | १९४ | प्रमाण | १९३, २७३ |
| प्रतिष्ठाकल्प | ३३४ | प्रमाणशस्त्र | ५२ |
| प्रतिसलीनप्रतिमा | १११ | प्रमाणागुल | २७२ |
| प्रतिसार्थ | २१५ | प्रमाणाहारी | २६, २४९ |
| प्रतिसेवक | २९९ | प्रमाद | ८, ९४, ९९, २२६ |
| प्रतिसेवना | २३, २३४, २९९, ४०० | प्रमार्जन | ३०९ |
| प्रतिसेवितव्य | २९९ | प्रमेयरत्नमजूषा | ४२० |
| प्रत्यक्ष | १०, १२८, १४५, १८७, २७१ | प्रयोगसपदा | १८८ |
| प्रत्यक्ष-परोक्ष-स्वरूपविचार | ३८९ | प्रयोजन | १५, १६ |
| प्रत्यय | १३, ६९, ७४, १७२ | प्ररूपणा | १६, ७५, १०२ |
| प्रत्याख्याता | ८६ | प्रलब | १०, ११३, १९७ |
| | | प्रलबसूरि | २८, २९, २६८, २७० |
| | | प्रलोक | ७९ |

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------|--|
| प्रवचन | ९, ६८, ६९, १००, १४१, १८७ | प्राकृत | ५, ७, ११, १२, २७, ३१, ३६, ३७, ३८, ३९, ४३, ५६ |
| प्रवचन-प्रभावना | ६९ | प्राघुणक | २२० |
| प्रवण | १२ | प्राघूर्णक | २०१ |
| प्रवर्तक | २४, ३६, ५७ | प्राचीन | ५९, ६० |
| प्रवर्तिनी | १८, २५, २१०, २४२, २४४ | प्राचीर | २०६ |
| प्रवाल | ८, ९४, ३०७, ३८३ | प्राणातिपात | २२, ३०० |
| प्रवृत्ति | ३४३ | प्राणी | ८, १४७ |
| प्रव्रजित | ९२, ९५ | प्राणु | ८४ |
| प्रव्रज्या | १८, २१, २७, ३३, १२७, २५८, ३१५ | प्रादुष्करण | १९२ |
| प्रव्राजन | २७, २५८ | प्राप्तकारिता | १३१ |
| प्रव्राजना | २२६ | प्राप्तावमौदर्य | २६, २४९ |
| प्रशस्त | ७८ | प्राप्ति | ६९ |
| प्रशस्ति | ४७ | प्राप्तिकाल | ६९ |
| प्रशस्य-भाष्यसस्यकाश्यपीकल्प | १२ | प्राभृत | ११४, २१३ |
| प्रशात | २७३ | प्राभृतिका | १८, १९, १९२, २५५ |
| प्रशासन | ४३ | प्रामृत्य | १९२ |
| प्रशिष्य | ५० | प्रायश्चित्त | १६, ९१, १८६, १८७, १९०, २३३, २५१, २८१, २९१, ४०० |
| प्रश्नव्याकरण | ४०, ४२, ३८१, ४२७ | प्रायश्चित्तदाता | १६, १८८, |
| प्रश्नव्याकरणदशा | ४२८ | प्रायश्चित्तदान | १६, १७, १८९, ४०० |
| प्रश्नव्याकरणवृत्ति | ४२, ५०, ३८१ | प्रावचन | १४१ |
| प्रश्नव्याकरण-सुखबोधिकावृत्ति | ५०, ४२७ | प्रावृद् | २१३ |
| प्रसव | ९० | प्रास्वस्थ | २३७ |
| प्रसिद्धि | १६ | प्रियंगु | ९८ |
| प्रस्तार | २२ | प्रियदर्शना | १७५ |
| प्रस्थापना | २२६ | प्रियमित्र | ७१ |
| प्रस्रवण | १८ | प्रेमपत्र | ३३ |
| प्रहरण | ९९ | प्रेमपत्र-लेखन | ५३, ३११ |
| प्रहेणक | ११४, २१३ | प्रोतन | ६९ |
| | | प्लवक | ३१४, ३८३ |

अनुक्रमणिका

४८१

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|-------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | फ | बाल्यकाल | ४० |
| फल | १६, ३६, ८६ | बाल्यावस्था | ३९ |
| फल्गुरक्षित | ५९ | बाहु | ३२ |
| फु फुक | २०८ | बाह्यसयोग | ९७ |
| फुल्ल | ९० | बिदुसार | ६७, ३१० |
| | ब | बिडाली | १७८ |
| बध | ७, १३, ७०, ७३, १४४, १६२ | बिल्वमूल | ९८ |
| बंघशतक | ४१० | बीज | १०३ |
| बकुश | २५०, २५७ | बीजरुह | १०५ |
| बल | ३०५ | बुद्ध | ९५ |
| बलदेव | १७, ७१ | बुद्धि | ७६, २७७ |
| बलभद्र | १७६ | बुद्धिसागर | ३६६ |
| बहिर्निवसनी | २२१ | बूर | ३८४ |
| बहिलक | २०, २१६ | बृहद्गीका | ३४५ |
| बहु | ९, १३१ | बृहत्कल्प | ६, ९, १०, १६, १७, २७, ५६, ५७, ११५, ११७, |
| बहुमान | १९२ | | २६६ |
| बहुरत | १५, ७४, १७४ | बृहत्कल्पचूर्णि | २८, ३४, २६८, ३२३ |
| बहुविध | १३१ | | |
| बहुश्रुत | १६, २५, ३६, ६९, १९७ | बृहत्कल्पचूर्णिकार | ११, २९, ४६, १२४ |
| बह्लागम | २५ | | |
| बादर | १०४ | बृहत्कल्पनियुक्ति | ६, १०, ११३ |
| बादरसपराय | ९७ | बृहत्कल्प-पीठिकानियुक्ति | ४६ |
| बाल | २७, ३२, ९४ | बृहत्कल्प-पीठिकाभाष्य | ४६ |
| बाल दीक्षा | १६, २५०, ३१५ | बृहत्कल्प-पीठिकावृत्ति | ४३, ४६, ३८७ |
| बालदीक्षित | १८ | बृहत्कल्प-बृहद्भाष्य | २२, ५२, २६३ |
| बालपंडित | १८४ | बृहत्कल्प-लघुभाष्य | ११, १२, १६, १७, २२, ५२, ११८, १२३, १८६, १९६, २५२, २६३ |
| बालभा | ५५ | | |
| बालभरण | ३१६ | | |
| बालवत्सा | २७ | | |
| बालावबोध | ५१, ४३६ | | |

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| वृहत्कल्प-लघुभाष्यकार | ४६ | भ | |
| वृहत्कल्प विशेषचूर्णिकार | ११ | भंग | २७ |
| वृहत्कल्पवृत्ति | ४८,४२१ | भगि | २६० |
| वृहत्क्षेत्रसमास | १२३,२६९ | भङ्गशाला | ३३,३१८ |
| वृहत्क्षेत्रसमासवृत्ति | ३८७ | भङ्गी | २०,२१६ |
| वृहत्सग्रहणी | १२३ | भक्ते | १८५ |
| वृहत्सग्रहणीवृत्ति | ३८७ | भक्त | २० |
| वृहद्दारण्यक | ४० | भक्तपरिज्ञा | १७,१८९ |
| वृहद्भाष्य | ११ | भक्तपान | २२ |
| वृहद्द्वृत्ति | ३७ | भक्तारुचि | २०७ |
| वृहन्मिथ्यात्वमथन | ३३४ | भगंदर | ३०९ |
| बोधि | ८४ | भगवती | २७,३८,४०,४१,५१ |
| बोटिक | १४,१५,३०,५२,१७९, २७७,२७८ | भगवती-विशेषपदव्याख्या | ५०,४२९ |
| बोधिका | २४९ | भगवतीवृत्ति | ५० |
| बौद्ध | १९,३८,३३४ | भगवतीसूत्र | ५० |
| बौद्ध उपासक | १९३ | भगवतीसूत्र-द्वितीयशतकवृत्ति | ३८७ |
| बौद्धमतनिरास | २८९ | भगवान् | २७४ |
| बौद्ध श्रावक | २०६ | भगिनी | ३४ |
| ब्रह्मचर्य | १०२ | भङ्गौच | १९,११९,२०६ |
| ब्रह्मचर्यगुप्ति | २५२ | भदत | ७८,१८५ |
| ब्रह्मद्वीपिक | ५९ | भद्लपुर | २७,२६० |
| ब्रह्मद्वैपिक | १९३ | भदक | ९७,२०४ |
| ब्रह्ममुनि | ४२१ | भद्रगुप्त | ५९ |
| ब्रह्मरक्षा | २२९ | भद्रनार | ९८ |
| ब्रह्मर्षि | ३५,३२५,४५३ | भद्रबाहू | ६,७,९,१०,१७,२६, ४६,५६,५७,५८,६१, ६२,११०,१९५,२५६, २९९ |
| ब्रह्मस्थल | ७,७० | भद्रबाहुसहिता | ७,६२ |
| ब्रह्मपाय | २२८ | भद्रबाहुसूरि | ४४,३९१ |
| ब्राह्मण | ९,१३,७२,९५,१०२ | भद्रबाहुस्वामी | ४०८,४१४ |
| ब्राह्मणकुडग्राम | ७२,२७६ | भय | २५,७८,३१५ |
| ब्रीडनक | २७३ | | |
| ब्रीहि | ८,२४ | | |

| | | | |
|---------------|---|------------------|---|
| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
| भयभीत | २७ | भाषा | १३, २०, २९, ६६, ६८, ८४, १०८, १३१, १४२, ३१४, ३४१ |
| भयोत्पादन | ७२ | भाषाछन्न | ३३ |
| भरत | ३०, ५४, ७१, २७५ | भाषासमिति | २१९ |
| भरतविशाखिल | ३९८ | भाष्य | ५, ६, १०, ३१, ३४, ३७, ६८, ११७ |
| भरुकच्छ | ३९, ३५५ | भाष्यकार | ११, १२, ११७, ११८ |
| भर्तृहरि | ४०, ३६० | भाष्यपीयूषपाथोषि | १२ |
| भव | १३, १४, ३०, ६६, ६९, १८३ | भाष्यसुधाम्भोषि | १२ |
| भवप्रत्यय | ६६, १३४ | भास | ५ |
| भवभावना | ४६, ४१० | भास्वामी | ३८, ३५१ |
| भवभावना-विवरण | ४६, ४११ | भिक्षा | १८, १९, २०२, २४६ |
| भवभावनासूत्र | ४११ | भिक्षाचर्या | १८ |
| भव्य | १६३, ३४१ | भिक्षाग्रहण | २५३ |
| भला | ८४ | भिक्षाटन | २५३ |
| भागिक | २०, २१९ | भिक्षादान | १९ |
| भाड | २४९ | भिक्षालाभ | ७, ५४, ७० |
| भाडागार | ३३, ५५, ३१४ | भिक्षाविशुद्धि | ९० |
| भाग | ३८३ | भिक्षु | ८, १८, २३, ९०, २१०, २३४, ३०१ |
| भारती | ९४ | भिक्षु-उपासक | १९३ |
| भारवह | २०, २१६ | भिक्षुणी | १८, २१० |
| भाव | २७, ६६ | भिक्षुप्रतिमा | १११, २७९ |
| भावना | २३, २६, १०८, २००, २३५, २३७, २५३, २८० | भिक्षुवर्णन | २८९ |
| भावविजय | ३५, ५०, ३२५, ४२१, ४३१ | भिज्जानिदानकरण | २३१ |
| भावविजयगणि | ४९, ४२६ | भित्ति | १८, १९९ |
| भावश्रुत | ६७ | भिन्न | १११, १९८, २२१ |
| भावसागर | ३५, ३२५, ४२० | भिन्नगृह | ३३, ५५, ३१२ |
| भावहिंसा | २१ | भिन्नशाला | ३३, ३१२ |
| भावार्थ | ४८ | भीम | ३९, ३५८ |
| भाषक | ६६ | भीमराज | ३५८ |

| शब्द | पृष्ठ |
|-----------------------------------|--------------|
| भुवनतुंगसूरि | ३२५, ४२० |
| भूगोल | ५४ |
| भूत १४, ७३, १४९, १५२, १५६, १६७ | |
| भूतगृह | १७८ |
| भूतग्राम | २७९ |
| भूतघर्म | १४ |
| भूतवाद | १४ |
| भूमि | ३०७ |
| भूमिका | ३२ |
| भेद | ८, ६९, ९९ |
| भेदन | २२, ३२ |
| भोग | २०, २७, २१८, |
| भोज | ३९, ३५९, ३६६ |
| भोजन | १९ |
| भोजराज | ३९, ३५८ |

म

| | |
|---|---------|
| मख | ३८३ |
| मगल ७, ७०, ७७, ८९, ९१, ११३, १२७, १९६, २७४, ३३८ | |
| मगल-गाथा | ३२ |
| मगलद्वार | १२७ |
| मगलवाद | १७, १९६ |
| मडलिका | १०५ |
| मडिक १३, १४, ७३, १४४, १६२ | |
| मडूक | ३७६ |
| मन्तव्य | १३ |
| मन्त्र | १९३ |
| मन्त्रदीप | १९३ |
| मन्त्रविद्या | ७, ६२ |
| मन्त्री | ३८४ |

| शब्द | पृष्ठ |
|---|---------|
| मन्दिर | ७, ७० |
| मगघ २७, ३४, ५४, २५९, ३१८, ३२४ | |
| मगघसेन | ३४, ३१२ |
| मघा | ३९२ |
| मडब १०, १७, ३८, ५४, ११४, १९८, ३५४, ३९७ | |
| मणि ८, ३३, ५५, ९४, ३०७, ३१२ | |
| मणिनाग | १७८ |
| मत्त | १५, ५२ |
| मतातर | ५२ |
| मति १३, १४, ५२, ६६, १२९, १३०, २७१ | |
| मतिज्ञान | १३, १२८ |
| मतिसपदा | १८८ |
| मत्स्य | २६० |
| मत्स्यादिक्रमस्थापना | ३८९ |
| मत्स्यादिस्वरूपनिश्चय | ३८९ |
| मथुरा २७, ३९, ११९, २६०, ३५५, ३९४ | |
| मद | १६७ |
| मदन | ९२ |
| मदशक्ति | १५२ |
| मद्य ९९, १५२, २८९ | |
| मद्यपान | ३०, २८३ |
| मद्याग ९, ९८, १६७ | |
| मध्यमा | ७३ |
| मन ६७, १३० | |
| मनक ९० | |
| मन-पर्यय १३, ५२, ६५, १८८, २७१ | |
| मन पर्ययज्ञान ६७, १२८, १३४ | |

अनुक्रमणिका

४८५

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|---------------------|---|----------------|--------------|
| मनुजजीवकल्प | २७ | मल्लिकावासित | ९८ |
| मनुष्य | ५३, १०३, २७३ | मल्ली | ३७६ |
| मनुष्यक्षेत्र | ६७ | मसार | ३८४ |
| मनुष्यजाति | १०२ | मसुरक | २४, २३९ |
| मनुष्यप्रतिमा | २११ | मसूर | ८, ९४ |
| मनुष्य-लोक | १६५ | महती | ९० |
| मनोगुप्ति | १९१ | महत् | ८, ९२ |
| मनोविज्ञान | ५१, ५३ | महत्तरक | २४, ५४, २३८ |
| मनोवैज्ञानिक | २४, ५३ | महत्तरा | ३३३ |
| ममता | ७, ६९ | महद्भाव | २४१ |
| मरकत | ३८४ | महन्मेढू | २२ |
| मरण | ८, ९४, १००, १०७, २०७ | महर्द्धिक | २०४, २२० |
| मरणविभक्ति | ६० | महसेन | ७३, ७४, १४४ |
| मराठी | ३३ | महाकल्प | ३४, ३२४ |
| मरालि | ९७ | महाकल्पश्रुत | १४, १७३ |
| मरिच | ९८ | महाकवि | ३९ |
| मरोचि | ७०, ७१, २७६ | महाकाल | १०९ |
| मरुडराज | १९३ | महाकुल | ३३, ३१२ |
| मरुदेवी | ६९ | महागिरि | ८, ५४, १७७ |
| मलघारी अभयदेवसूरि | ४६ | महागूह | ३३, ३१२ |
| मलघारी हेमचद्र | ७, ३५, ३७, ६५, १२२, १४३, १८२, ३२५, ३४९, ४०९ | महाघोष | १०९ |
| मलघारी हेमचद्रसूरि | ४७, ३४९ | महानदी | २२८ |
| मलय | २७, २६० | महानसशाला | ३३, ५५ |
| मलयगिरि | ७, ३५, ४३, ४५, ४६, ३२५, ३८५, ४२१, ४२२ | महानिशीथ | २७, ११९, २६६ |
| मलयगिरि शब्दानुशासन | ३८७ | महापद्मनद | ३०, ५४, २८० |
| मलयगिरि सूरि | ४३ | महापथ | ३८३ |
| मलयवती | ३४, ३१२ | महापरिज्ञा | ३८, १०३, ३५४ |
| मल्ल | ३१४, ३८३ | महापुर | ५७, ७० |
| | | महाभारत | १३३ |
| | | महाभिनिष्क्रमण | ७२ |
| | | महामत्री | ३८४ |
| | | महामति | ४०, ३६० |

| शब्द | पृष्ठ |
|---|-------------|
| महामाडलिक | ३९७ |
| महाराष्ट्र | २६, २४८ |
| महावीर ६, १३, १४, ३०, ५४, ५७, ६७, ६९, ७२, १२०, १४३, २७५, २७६, ३९१ | |
| महावीर चरित्र | ७ |
| महावीर-जन्मकल्याण | ४८ |
| महाव्रत | २७९, ३४० |
| महिला-स्वभाव | २२ |
| महिषी | ८, ३०७ |
| मही | २२८ |
| महीषह | ९० |
| महेन्द्रप्रभसूरि | ४९, ४२३ |
| महेन्द्रसूरि | ४२० |
| महेश्वरसूरि | ४९, ४२४ |
| महोत्सव | ३० |
| माउग्गाम | ३२, ३११ |
| माडलिक | ३९७ |
| मास | ३७ |
| मासाहार | ३०, २८३ |
| मागध | ९, १०२ |
| माघ | ४८ |
| माडबिक | ३८४ |
| माढर | २४, २३९ |
| माणिक्यशेखर ७, ३५, ३२५, ४२०, ४२१ | |
| माणिक्यशेखरसूरि | ४८, ४२२ |
| माणिभद्र | ३९१ |
| मातृकापद | ९२ |
| मातृग्राम | ३२, ३३, ३११ |
| मातृपक्ष | २४ |
| मात्रक | २२१ |

| शब्द | पृष्ठ |
|--|-----------|
| माथुरी | ३९४ |
| मान | १४०, १९३ |
| मानदड | ७, ५३, ६९ |
| मानदोष | १९३ |
| मानुष्य | ३३, ९९ |
| माया | १४०, १९३ |
| मायादोष | १९३ |
| मारणातिक | १७ |
| मार्ग ९, २०, ६८, १३५, २०१, २१६, ४०० | |
| मार्गणा | ६६ |
| मालव | ३९ |
| मालवप्रदेश | ३५८ |
| मालाहृत | १९२ |
| माल्य | ७, ७० |
| माष ८, २४, ९४, २३९, ३०६ | |
| मास २३, १९४, १९९, २३४ | |
| मासकल्प | १८, १९ |
| मासकल्पविहारी | १७ |
| मासगुरु | २३, २३५ |
| मासपुरी | २६० |
| मासा | ३०६ |
| माहिल | ७४ |
| माहेंद्रफल | ९८ |
| मित्र | २६ |
| मित्रवती | ८६ |
| मित्रश्री | १७५ |
| मिथिला ७, २७, ७०, १७३, २५९, ३९१ | |
| मिथ्या | ६६ |
| मिथ्यात्व | २३ |

अनुक्रमणिका

४८७

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------|
| मिथ्याश्रुत | १३३ | मूलभाष्यकार | ४०७ |
| मिश्र १७, १९०, १९२, २५०, ४०० | | मूलवृत्तिकार | ३७३ |
| मिश्रकथा | ९३ | मूलसूत्र | १०, १७ |
| मिश्रजात | २६, १९२ | मूलाचार | ६१ |
| मुजचिप्पक | २०, २१९ | मूलावश्यकटीका | १८२ |
| मुडन | २७, २५८ | मूलावश्यकविवरण | १४३ |
| मुकुट | ३३, ५५, ३१२ | मूषक | ९८ |
| मुकुंदातूर्यं | ९८ | मूषकी | १७८ |
| मुवत | ९२, ९५ | मृगपर्षद | २१५ |
| मुक्तावली | ३३, ५५, ३१२ | मृगशृंग | १०४ |
| मुक्ति | १६६, १७० | मृगावती | २३६, २७५ |
| मुखवस्त्रिका | ३२, १८०, २२१, ३०८ | मृगी | १७८ |
| मुद्ग | ८, २४, ९४, २३९, ३०६ | मृतक-पूजन | ७ |
| मुनि | ९२, ९४, १०६ | मृतपूजना | ७७ |
| मुनिचन्द्रसूरि | ३४, ४७, ३२५, ३५९, ४१५, ४२१ | मृत्तिकावती | २७, २६० |
| मुनिपतिचरित्र | ३३४ | मृत्यु | १०० |
| मुनिविमलसूरि | ४२६ | मृत्युप्राप्त | २२७ |
| मुर्मुर् | १०५ | मृदुवाक् | २२ |
| मूक | १२९ | मृषावाद | ३०० |
| मूका | ७१ | मैठ | २७७ |
| मूढ | २७ | मेघकुमार | ३७६ |
| मूत्र | २२ | मेघराजवाचक | ३५, ३२५, ४२० |
| मूर्च्छा | २०७ | मेतार्यं | १३, ३०, ५४, ७३, १४४, १६७, २७७ |
| मूल १७, १९०, १९४, २५१, ४०० | | मेघा | १४ |
| मूलकर्मदोष | १९३ | मेरुतु गसूरि | ४९, ४२२, ४२४ |
| मूलगुण | ३२, २३५, २९१ | मेरुसुंदर | ४२१ |
| मूलटीकाकार | ३७३, ४०७ | मेवाड | ३६, ३३२ |
| मूलदेव | ३०० | मेघ | ३०७ |
| मूलपाठ | ४४ | मैथुन | १०, २२, ३२, ५३, २२५, २९९, ३०१, ३११ |
| मूलबीज | १०५ | मैथुनप्रतिसेवना | २४६ |
| मूल भाष्य | ११७ | | |

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|--------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| मैथुनभाव | २२ | यवमध्यप्रतिमा | २६, २५० |
| मैथुनसेवन | २४३ | यशोदेवगणि | ४१, ३६९ |
| मोक | २३०, २४९ | यशोदेवसूरि | २९, २६९ |
| मोकप्रतिमा | २४९ | यशोधरचरित्र | ३३४ |
| मोक्ष ९, १३, ६७, ७३, १००, १४४, | १६२, १६६ | यशोभद्र | ३१० |
| मोतीचंद्र | १९६ | यशोभद्रसूरि | ५१, ४३४ |
| मोदक | ३०० | याकिनी महत्तरा | ३६, ३३३, ३४८ |
| मोरी | १७८ | याकिनी महत्तरासूनु | १२४ |
| मोह | १०, ११२ | याग | ३८३ |
| मोहनीय | १३९ | यात्रा | ८१ |
| मोहनीयस्थान | १११, २८० | यान | ९९, ३८३ |
| मोहित | २४१ | यापक | ९१ |
| मौक्तिक | ८, ९४, ३०७ | यापना | ८१ |
| मौखरिक | २३१ | यावज्जीव | १८५ |
| मौर्यपुत्र | १३, ७३, १४४, १६४ | यावज्जीवन | ७८ |
| मौष्टिक | ३८३ | यावत्कथिक | ३३ |
| भ्रक्षित | १९३ | यावदाधिकमिश्र | १९ |
| | य | यासासासा | २७५ |
| यक्षाविष्ट | २४१ | यास्क | ५६ |
| यज्ञ | ७, ५३, ७०, ७३ | युगपद् | १७, ३६ |
| यज्ञपाठ | ७३ | युगपद्-उपयोगनिरास | ३८९ |
| यज्ञवाटिका | ७३ | युगप्रधान | १२, १२१ |
| यतना | २०, २१ | युग्य | ३८३ |
| यति | ९५ | युद्ध | ७, ७० |
| यतिदिनकृत्य | ३३४ | युद्धकला | २७५ |
| यथास्थायत | १३, १४०, २५१ | युद्धाग | ९, ९८ |
| यथान्छद | २३, २३७ | युवराज | २४, ५४, २३८, ३८४ |
| यथालादिक | १९, २०५ | योग | ६६, ७८, ९४, १८५, १९३ |
| यमुना | २२८ | योगदृष्टिसमुच्चय | ३३४ |
| यव | ८, २४, ९४, २३९ | योगदोष | १९३ |
| यवनिका | ३०३ | योगद्वार | १२७ |
| | | योगविदु | ३३४ |

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|---|
| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
| योगशास्त्र | ५३ | राजगृह | ७, २७, ७०, १०९, १७५, १७८, २५९ |
| योगसंग्रह | २८० | राजचंद्र | ३५, ३२५, ४२० |
| योद्धा | २०७ | राजधानी | १०, १७, २४, २७, ३८, ५४, ११४, १९८, २६०, ३५४, ३९७ |
| योनि | २१, २४, २२२ | राजनीति | ५४ |
| योगपद्य | ३६ | राजन्य | २०, २१८ |
| यौवराज्य | २१४ | राजपिंड | १९४, २३१, ३१३ |
| | र | राजपुर | ७, ७० |
| रक्षित | १४, ५९, ७४, १७३, २७७ | राजपुरोहित | ३६ |
| रजत | ९२, ९४, ३०७ | राजप्रश्नीय | ४५, ४०३, |
| रजोहरण | २०, २३, ५४, १८०, २२१, २२२, ३०८ | राजप्रश्नीयटीका | ४३ |
| रज्जुक | ३०३ | राजप्रश्नीयविवरण | ४५, ४०२ |
| रट्ठउड्ड | ४३ | राजप्रश्नीयोपागटीका | ३८७ |
| रट्ठकूड | ४३ | राजमत्री | ४६ |
| रक्तविकार | ४० | राजमाष | ८, ९४ |
| रति | ८, ९५ | राजवल्लभ | ३५, ३२५, ४२० |
| रतिवाक्य | २९३ | राजशील | ३५, ३२६, ४२१ |
| रत्न | ८, ५५, ९४, ३०६ | राजशेखर | ४०९ |
| रत्नकवल | १७९ | राजशेखरसूरि | ३३४ |
| रत्नप्रभसूरि | ३५, ३२५, ४२१ | राजा | २४, ३६, ५४, २३१, २३८, ३०९, ३८४ |
| रत्नविजय | १४४ | राजापकारी | २७ |
| रत्नाधिक | २२३ | राजीमती | ३४० |
| रत्नावली | ३३, ५५, ३१२ | राज्यसंग्रह | ६९ |
| रथनेमि | ३४० | राज्याभिषेक | ३० |
| रथयात्रा | १९, २०३ | रात्रि | २१५ |
| रथवोरपुर | १७३, १७९ | रात्रिभक्त | २१५ |
| रथ्यामुख | १७, २०८ | रात्रि-भोजन | १८, २१, २२५, ३०१ |
| रविवार | ४८ | रात्रिभोजनविरति | २२९ |
| रसनेंद्रिय | ६६ | रात्रिभोजनविरमण | ३४० |
| रसपरित्याग | ९१ | रात्रिवस्त्रादिग्रहण | २१६ |
| राग | २१, २५, ५२, २७७ | | |

| | | | |
|-----------------|---|----------------------|-----------------------|
| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
| वज्र्यं | ११२ | वाग्योग | ९४ |
| वर्ण | ९, १०२ | वाचक | ११, ११९, १२३, ३६१ |
| वर्णना | २५७ | वाचना | १९, २१, ४१, २२७, २४८ |
| वर्णभेद | २२ | वाचनाचार्य | ११, ११९ |
| वर्गान्तर | ९, ७८, १०२ | वाचनाभेद | ४३, ४५ |
| वर्तमान | २३, २३५ | वाचनासंपदा | १८८ |
| वर्धमान | ७, ७०, २७६, ३१० | वाणिज्यकुल | २८ |
| वर्धमानसूरि | ४०, ३६६ | वातिक | २१, २२७ |
| वर्ध् | २१५ | वात्सल्य | १९२ |
| वर्ष | ५३ | वात्स्यायन | ४०, ३६१ |
| वर्षा | २१४ | वादिचक्रवर्ती | ३९, ३५८ |
| वर्षाऋतु | १९, २५, २१३ | वादिमुख्य | ३७, ३४५ |
| वर्षावास | १०, १११, २१३, २२३, २४४, ३१४ | वादिवेताल | ३९, ३५८ |
| वलभी | १८, ११८, १९९, ३९४ | वादिवेताल शान्तिसूरि | ३५, ४७, ३२५ |
| वलय | १०५ | वादी | ११, ११९ |
| वल्क | १२९ | वाद्य | ३१९ |
| वल्लि | १०५ | वानरखि | ३५, ४९, ३२५, ४२०, ४२५ |
| वसति | १८, २४६ | वायु | ९, १४, १५२, १५८, १५९ |
| वसु | १७५ | वायुकाय | १०५, ३०० |
| वसुदेव | १९१ | वायुभूति | १३, ७३, १४४, १५२ |
| वसुदेवचरित | ४५, ३९८ | वारणा | २७९ |
| वसुदेवर्हिडि | १२, २९, ४५, १२३, २७५ | वाराणसी | २७, २५९ |
| वसुदेवर्हिडिकार | १२ | वातिक | ६८, १४२, ३२६ |
| वसुदेवर्हिडी | ३४७, ३९८ | वाल | ८, ३०७ |
| वसुवधु | ३८, ३५१ | वालंभा | ३३, ३१२ |
| वस्तु | १६ | वालक | ९८ |
| वस्त्र | ७, ८, २१, ३२, ५४, ७०, ९४, १०८, १८०, २१४, २२० | वालभी | ३९४ |
| वस्त्रविभाजन | २२३ | वालुक | १०९ |
| वाक् | ९४ | वासना | ६५ |
| वाक्य | ८, ९४ | वासवदत्ता | ९८ |
| | | वासी | ८६ |
| | | वासुदेव | १७, ७१, २७६ |

अनुक्रमणिका

४९३

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| वास्यवासकभावखंडन | ३८९ | विज्ञापना | ३११ |
| वाहरिगणि | ३९, ३५७ | विपटी | ९० |
| वाहरिसाधु | ३९, ३५३ | विडवक | ३८३ |
| विध्य | १७९ | विदह | ३२, ५५, ३०३ |
| विशति | ३३४ | विदक | २०, २१८ |
| विशिका | ३३४ | विदेश | ९, २७, ७१, १०२, २५९ |
| विकट | २१८ | विद्या | १९३ |
| विकथा | ९३, ९९, २४६, २७९ | विद्यागुरु | २८, ३२ |
| विकल्प | २७, २६० | विद्यादोष | १९३ |
| विकाल | २०, २१५ | विद्याघर | १२०, १६५, ३४८ |
| विकृतिप्रतिबद्ध | २१ | विद्याघरगच्छ | २६, ३३३ |
| विक्रम | ३७, ४०, ४९ | विद्याभ्यास | ४० |
| विकलवता | ८, ९४ | विद्वान् | ९५ |
| विक्षेपणविनय | १८८ | विधान | १७ |
| विचरण | २५२ | विधि | ९, १७, १८, १०० |
| विचारभूमि | १९७, २१७ | विघ्नन | ९, १०७ |
| विच्छेदन | ३३, ३१२ | विनय | ८, ५७, ६९, ९०, ९१, ९५, |
| विच्युत | १९३ | | ९७, १९१, ३४१ |
| विजय | ९, १०५ | विनयकर्म | ७९, २७८ |
| विजयचन्द्रसूरि | ४८, ४२२ | विनयप्रतिपत्ति | १८८ |
| विजयदेवसूरि | ४३४ | विनयविजयोपाध्याय | ५० |
| विजयपुर | ७, ७० | विनयश्रुत | ९७ |
| विजयरार्जेन्द्रसूरि | ४३४ | विनयसमाधि | ५७ |
| विजयविमल | ३५, ३२५, ४२० | विनयहस | ३५, ३२५, ४२० |
| विजयविमलगणि | ४९, ४२५ | विनाशित | ११४, २१३ |
| विजयसिंह | ४१० | विनीत | ९७ |
| विजयसिंहसूरि | ३९, ३५८ | विपक्ष | ८, ९२ |
| विजयसेनसूरि | ३५, ५०, ३२५, ४२१, | विपाक | ४० |
| | ४३० | विपाकवृत्ति | ४३ |
| विजयादशमी | ४२ | विपाकश्रुत | ३८२ |
| विज्ञान | १४, १४९, १५५ | विबुधचन्द्र | ४१० |
| विज्ञानसतति | १५५ | विभग | ६६ |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| शब्द | पृष्ठ |
| विभक्ति | ८, ९, ९२, १०९ |
| विभाषा | ५८, ६९, १४२ |
| विभूषणा | ७, ६९ |
| विमर्श | ६६ |
| विमलसूरि | ४९ |
| विमान | १६५ |
| विमलेश्वरदेव | ३८६ |
| विमुक्ति | ५८, १०९ |
| विमोक्ष | ९, १०३, १०७ |
| विरत | ९२, ९५ |
| विरताविरति | १८४ |
| विरमण | २७ |
| विरह | ३३५ |
| विरहकाल | ६९ |
| विराधना | २३ |
| विरुद्धराज्य | २१४ |
| विलट्टी | ३२, ५९, ३०३ |
| विवरण | ३८, ४२, ४५, ३२६ |
| विवरणसूत्र | ४५ |
| विवाद | १५ |
| विवाह | ७, ३०, ५३, ७०, ७२ |
| विविक्तचर्या | ९०, २९३ |
| विविध | १८५ |
| विवृति | ३२६ |
| विवेक १७, ८४, १९०, १९१, २५१, | ४०० |
| विवेकप्रतिमा | १११ |
| विवेकहम उपाध्याय | ३५, ३२५, ४२० |
| विवेचन | ३२६ |
| विगाखा | ३९२ |
| विशालमुन्दर | ३५, ३२५ |
| विशुद्धि | १३५, २८२ |

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| शब्द | पृष्ठ |
| विशेष | १६, १७८ |
| विशेषणवती | ४५, १२३, १२४, ३९८ |
| विशेषनिशीथचूणि | ३४ |
| विशेषविवरण | ३४६ |
| विशेषावश्यकटीका | ४३, ३८७ |
| विशेषावश्यकभाष्य ७, १०, १२, ३४, | ३५, ४०, ४५, ४६, ५२, ५३, |
| | ६५, ११७, ११८, १२२, १२६, |
| | २५३, २७२, ३२४, ४०६, |
| | ४१० |
| विशेषावश्यकभाष्यकार | ११, १२ |
| विशेषावश्यकभाष्य-बृहद्बृत्ति | ३७, ४६ |
| | ४११, ४१३ |
| विशेषावश्यकभाष्यविवरण | ३७, ३३०, |
| | ३४९ |
| विशेषावश्यकभाष्य-स्वोपज्ञवृत्ति | ३५, |
| | ३८, ४५, ३२७ |
| विशेषावश्यकभाष्य-स्वोपज्ञवृत्तिकार | ४६, |
| विशेषावश्यककलधुवृत्ति | ३३० |
| विशोधि | २५५ |
| विश्रामस्थान | १८ |
| विष | ६२, १०४ |
| विषमपदव्याख्या | २९ |
| विषय | १२, ९९ |
| विषयदुष्ट | १९५ |
| विष्कभ | ३८३ |
| विष्वग्भवन | २२७ |
| विसर्जन | २१ |
| विस्मृत | १९३ |
| विहगम | ८, ९१ |

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|-------------------|---|-------------------|------------------------------|
| विहार | १८, २०, २५, १२७, १९२, २०१, २३८, २३९, २४३, २४४ | वेगवदना | १९३ |
| विहारभूमि | २१७ | वेताल | ३९ |
| वीतभय | २७ | वेद | ६६ |
| वीतरागस्वरूपविचार | ३८९ | वेदक | १९६ |
| वीतिभय | २६० | वेदना | १८ |
| वीर | २७३ | वेदनीय | १३९ |
| वीरगणि | ४५ | वेदवाह्यतानिराकरण | ३३४ |
| वीरपुर | ७, ७० | वेदानुयायी | १३ |
| वीरप्रभु | ७१ | वेर | ३०७ |
| वीरभूमि | ३६ | वैकक्षिकी | २२१ |
| वीरशुनिका | २०१ | वैतरणी | १०९ |
| वीरस्तव | ३३४ | वैदिक | ५६ |
| वीरागदकथा | ३३४ | वैदेह | २०, २१८ |
| वीराचार्य | ३६, ३३१ | वैद्य | १७, १९, २४, १९८, २०४, २३८ |
| वीरासन | २२९ | वैद्यकशास्त्र | २४ |
| वीर्य | ९९ | वैद्यपुत्र | २१८ |
| वृक्ष | ३४, ९०, १०५, २१८, ३२४ | वैनयिक | ९, १०९ |
| वृक्षपलिय | ३३ | वैनयिकवाद | २८९ |
| वृक्षादिप्रलोकन | २१५ | वैनयिकी | ७६, १३१, २७७ |
| वृक्षायुर्वेद | १६१ | वैयावृत्य | २६, ६९, ७३, २३६, २५२ |
| वृत्त | ३० | वैयावृत्यकार | १९ |
| वृत्तान्त | ३४ | वैर | ११२ |
| वृत्ति | ३२६ | वैराज्य | २१४ |
| वृत्तिसक्षेप | ९१ | वैराटपुर | २७, २६० |
| वृद्ध | २७ | वैशाख | ७४ |
| वृद्धाचार्य | ३६, ३३६ | वैशाली | ३०, २७६ |
| वृद्धि | ६५, ७२ | वैशेषिक | १५ |
| वृश्चिकी | १७८ | वैश्य | ९, १०२ |
| वृषभ | ७२, २११ | वैहानस | १०७ |
| वृषभपर्षदा | २१५ | व्यजन | १९२ |

| | | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
| व्यंजनाक्षर | १३२ | व्याख्यानविधि | ६८ |
| व्यजनावग्रह | १३० | व्याख्यान-शैली | ६ |
| व्यतरायतन | ४०४ | व्याख्याप्रज्ञप्ति | २७, ३८, ४०, ४१, ५०, २६६ |
| व्यसक | ९१ | व्याख्याप्रज्ञप्ति-चूर्णि | २७, २८९ |
| व्यक्त | १३, ७३, १४४, १५६ | व्याख्याप्रज्ञप्ति-द्वितीयशतकवृत्ति | ४३ |
| व्यतिक्रम | २३, २३५ | व्याख्याप्रज्ञप्तिवृत्ति | ३८, ४१, ३७२ |
| व्यधारणशाला | ३३, ३१८ | व्याघात | २२, २३१ |
| व्यवशमन | २१, २१३ | व्याघ्री | १७८ |
| व्यवशमित | ११४, २१३ | व्याधि | ३३, ३१६ |
| व्यवशमितोदीरण | २३० | व्यालक | ३८४ |
| व्यवसाय | ९९ | व्युत्सर्ग | १७, ९१, १९०, १९२, २५१, ४०० |
| व्यवहर्तव्य | २३, २३३, ४०० | व्युत्सर्जन | ८४, १८५ |
| व्यवहार | ६, ७, १०, १६, ४७, २३, २६, २७, ५६, ५७, ५९, ६०, ६९, ११३, ११५, ११७, २३३, २५०, २६६, २९१, ४००, ४०८ | व्युद्ग्राहित | २१ |
| व्यवहारकल्प | ३३४ | व्रजिका | २२५ |
| व्यवहारचूर्णिकार | ४५ | व्रण | २८१ |
| व्यवहारनियुक्ति | १०, ११५ | व्रत | २६, १९४, २३१, २५२, १८१ |
| व्यवहारभाष्य | ११, १६, २३, ५३, ५४, ५५, ११८, १२४, १८६, २३३, २५२ | व्रतषट्क | ३४० |
| व्यवहारवाद | १३१ | व्रती | ९५ |
| व्यवहारविवरण | ४५, ३९९ | व्रतीहि | ९४, २३९, ३०६ |
| व्यवहारवृत्ति | ४३ | श | |
| व्यवहारसूत्र | ९ | शकर | १७, १९८ |
| व्यवहारसूत्रवृत्ति | ३८७ | शकित | १९३ |
| व्यवहारी | २३, २३३, २४३, ४०० | शख | ८, ९४, ३०७ |
| व्याख्या | ९, १०, ४२, ५०, ३२६ | शकटाल | ३०, ५४, २८० |
| व्याख्याग्रथ | ५, ३४ | शकराजा | २५१ |
| व्याख्यान-यद्धति | ६, ५६ | शकुन | १८, २०१ |
| | | शठ | १९२, १९४ |
| | | शतक | २६६, ४१० |
| | | शतक-विवरण | ४६ |

अनुक्रमणिका

४९७

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
| शतपुष्पा | ९८ | शात्याचार्य | ४१५ |
| शती | ४९, ५१ | शाकभरी | ५१, ४३४ |
| शबर-निवसनक | ९८ | शाखा | २९, ३१, ९९, ३८३ |
| शबल | १०, १०९, ११०, २८० | शातना | ८४ |
| शब्द | ५, ८, ४३, ६६, १७२ | शाब्दप्रामाण्य | ३८९ |
| शब्दशास्त्र | १२ | शाल | ७३ |
| शब्दानुशासन | ४४, ३८६, ३९२ | शाला | ५५, २१२, ३८३ |
| शब्दार्थ | ४३ | शालि | ८, २४ ९४, २३९, ३०६ |
| शयन | २६, २४८ | शाल्मलीपुष्प | ९८ |
| शय्यभव | ९०, २८३, ३१०, ३३९ | शासन | १३५ |
| शय्या | ३२, १०७, १०८, २२४, २५८ | शास्त्र | १२, ६८, १४१ |
| शय्यातर | २६, १९४, २१०, २४९, ३०७ | शास्त्रवार्तासमुच्चय सटीक | ३३४ |
| शय्या-सस्तारक | २१, २२४ | शिक्षण | २७, २५८ |
| शरीर | ७३, ८४, ९३, १३१, १४४, १५२, २७३ | शिक्षा | १८, २८० |
| शरीरसपदा | १८८ | शिक्षापद | १२७ |
| शरीराग | ९, ९८ | शिक्षात्रत | ९४, २८१ |
| शलाकोपसर्ग | ३० | शिविका | ३८३ |
| शल्य | ११२ | शिल्प | ७, २०, ३०, ५३, ६९ |
| शशक | ३०० | शिल्पी | ३८३ |
| शस्त्र | ८, ९, ९३, १०३ | शिव | ७८ |
| शस्त्रपरिज्ञा | ३८, १०२ | शिवप्रभसूरि | ४२० |
| शस्त्रपरिज्ञाविवरण | ३८, ३५१, ३५२ | शिवभूति | १४, १५, ५४, १७९ |
| शाडिल्य | २७, २५९ | शिवभूतिबोटिक | १४, १७३ |
| शाति | ७८, ३५८ | शिवराजर्षि | ३१, ५४, २७७ |
| शातिचन्द्रगणि | ३५, ३२५, ४२०, | शिवशर्म | ३६१ |
| शातिदेवसूरि | ३५, ३२६, ४२१ | शिवशर्मन् | ४० |
| शातिमति | २९४ | शिवा | ४३६ |
| शातिसागर | ४३३ | शिष्य | ११, १३, २९, ३०, ४०, ६८, १४२, १९१, २७५ |
| शातिसागरगणि | ५१, ४३३ | शिष्यहिता | ३७, ३४७ |
| शातिसूरि | ३९, ३५८ | शिष्यहितावृत्ति | ३९, ४७, ४१३ |
| | | शिष्यानुशिष्य | ४९ |

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|-------------------|----------------------------------|------------------------|---|
| शीत | ९, २५, १०६ | शृगभेद | ३८३ |
| शीतोदकत्रिकटकुम्भ | २१८ | शृगाटक | १७, २०८, ३८३ |
| शीनोष्णोय | १०५ | शृगार | २७३ |
| शीतोष्ण्य | १०२ | शिक्षकभूमि | २५१ |
| शीलभद्रसूरि | ४१७, ४३३ | शैलक | ३७६ |
| शीलव्रत | ६९ | शैलो | २९ |
| शालाक | ३८, ४२, ५२, ५९, ३४९, ३५२, ३७३ | शैलेशी | १६, १८४ |
| शीलाकसूरि | ३५, २२४, ३२५, | शैलेशी-अवस्था | ५२ |
| शीलाकाचार्य | ३७, ४९, ५४, ३५१ | शोभावर्जन | ३४० |
| शीलागसहस्र | २८३ | शौडिकशाला | २४९ |
| शीलाचार्य | ३९, ३५०, ३५५ | शौकितकावती | २७, २६० |
| शीलादित्य | १२१ | श्मश्रु | ३२ |
| शीलभद्र | ४८ | श्याम | १०९ |
| शीलभद्रसूरि | ५१ | श्यामक | ७३ |
| शीशक | ३०७ | श्रद्धा | ८, ७४, ९३, ९९ |
| शीशमहल | ७२ | श्रमण | ८, १२, १७, १८, ३४, ६७, ८०, ९२, ९३, २१० |
| शुब | १२९ | श्रमणघर्म | २६, ७२, २५२ |
| शुक्र-पुद्गल | २१, २२२ | श्रमणो | १८, १९, २२०, २२२ |
| शुक्लध्यान | १८४, ३३९ | श्रमणोपासक-प्रतिक्रमण | ४८ |
| शुक्ला | ४८ | श्रवण | १३३ |
| शुद्ध | १०५ | श्रामण्य | ९२ |
| शुद्धि | ८, ९४, २७९ | श्रावक | १९, १११, २८१ |
| शुभवर्धनगणि | ३५, ३२५, ४२० | श्रावकत्व | १४० |
| शुभ | ७८ | श्रावकघर्म | ३४८ |
| शुश्रूषा | १३३ | श्रावकघर्मतंत्र | ३३४ |
| शूद्र | ९, १०२ | श्रावकप्रज्ञप्तिवृत्ति | ३३४ |
| शून्यगृह | ३३, ५५, ३१२ | श्रावकभिक्षु | २४७ |
| शून्यग्राम | २१५ | श्रावस्ती | ७, २७, ७०, १७३, १७४, २६० |
| शून्यवाद | १३, १४, १४४, १५६ | श्रीगुप्त | १७८ |
| शून्यशाला | ३३, ३१२ | श्रीचन्द्र | ४१० |
| शूरसेन | २६० | | |

अनुक्रमणिका

४९९

| | |
|----------------|--|
| शब्द | पृष्ठ |
| श्रीचन्द्रसूरि | २९, ३५, ४६, ४८, २६९ ३२५, ४०९, ४१७, ४२० |
| श्रीतिलकसूरि | ३५, ३२५. ४२० |
| श्रीधर | ३३६ |
| श्रीपति | ३६६ |
| श्रीविजय | ४३१ |
| श्रुत | ९, १३, १६, १८, ५६, ५७ ६५, ६७, ६८, ७४, ९७, १०० १०९, १२८, १२९, १३३, १८०, १८३, १८७, १९२, २७१, ४०० |
| श्रुतकरण | २६१ |
| श्रुतकल्प | २७ |
| श्रुतकेवली | ५९, ६०, १९८ |
| श्रुतज्ञान | ५७, ६६, ८९, १२८, १३२, १९६ |
| श्रुतदेवी | ४२२ |
| श्रुतधर्म | १४१ |
| श्रुतनिघर्ष | २५ |
| श्रुतभक्ति | ६९ |
| श्रुतविनय | १८८ |
| श्रुतव्यवहार | १९० |
| श्रुतसम्पदा | १८८ |
| श्रुतसागरगणि | ५१, ४३२ |
| श्रुतस्कन्ध | ३८, ५४, ९६ |
| श्रुताभिधान | ९० |
| श्रुतावतार | २७४ |
| श्रुति | १२, ५२ |
| श्रेणिक | ३०, ५४, २८० |
| श्रेय पुर | ७ |
| श्रेष्ठिभार्या | ८६ |
| श्रेष्ठी | ३८४ |

| | |
|-----------------|-------------|
| शब्द | पृष्ठ |
| श्रोत्रेन्द्रिय | ६४ |
| श्लक्ष्ण | १०४ |
| श्लोक | ३१, ३७ |
| श्वेतविका | १७३, १७६ |
| श्वेताम्बर | ५८, ६१, ३३३ |
| श्वेताम्बिका | २७, २६० |
| षडशीतिवृत्ति | ३८७ |

ष

| | |
|-----------------|------------------------------|
| षड्लोक | १४, १५, ७४, १७३, १७८, २७७ |
| षड्दर्शनसमुच्चय | ३३४ |
| षड्पदार्थ | १५ |
| षष्टिक | ८, ९४, ३०६ |
| षोडश | ९, १०९ |
| षडशक | ३३४ |

स

| | |
|-------------|------------|
| सकरक्षत्रिय | ९, १०२ |
| संकरत्राहण | ९ |
| सकरवैश्य | ९, १०२ |
| संकरशूद्र | ९, १०२ |
| सकल्प | २७, २६० |
| सकितपचासी | ३३४ |
| सक्रम | २२८ |
| सकिलष्ट | ३२ |
| सकिलष्टकर्म | १९३ |
| सक्षिप्त | १० |
| सक्षेप | १८४, २५३ |
| सखडि | २१७ |
| सख्या | ७, ६९ |
| सख्यात | २७३ |
| सग | ८, ९४, १२२ |

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| सगमक | ३०, २७६ | सपुटकमल्लक | १८, १९९ |
| संगीतशास्त्र | २७३ | सपुटखडमल्लक | १९९ |
| सग्रह | १७२ | संप्रतिराज | ११४, २१८ |
| सग्रहणिकार | ३४७ | सप्रदान | १७१ |
| सग्रहणिकीका | ३९७, ३९८ | सप्रदाय | ३६ |
| संग्रहणी | ५ | सप्राप्त | ८ |
| सग्रहणीवृत्ति | ३३४ | सप्राप्तकाम | ८, ५३ |
| संग्रहपरिज्ञासम्पदा | १८८ | सवन्ध | १३, ६९ |
| सग्रामनीति | २४ | सम्बन्धन | ९७ |
| सघ | १४, २५, १३८ | सवाघ | १०, १७, ११४, १९८, |
| सघदास | ४६ | | ३७९ |
| सघदासगणि | ११, १३, ११८, १२३, | सबोध | ३०, ७२ |
| | १९६, ४२२ | सबोधप्रकरण | ३३४ |
| सघर्ष | १९३ | सबोधसित्तरी | ३३४ |
| सघविजयगणि | ५०, ४३० | सभाषण | ८, ९४ |
| सघाटक | ३७६ | सम्भूत | ३१० |
| सघाटी | २२१ | सभोग | २४५, ३०९ |
| सघात | ८४, १३५ | सभोगकल्प | २७ |
| सघातपरार्थत्व | १३ | सभोगिक | २४५ |
| सज्ञा | ९, ६६, १०३, १३२, ३४२ | संमूच्छंनज | १०५ |
| सज्ञाक्षर | १३२ | सयत | ६६, ९२, ९५, २५७ |
| सज्ञाप्य | २२७ | सयतप्रात | २१६ |
| सज्ञी | ६६, १३२, १८३ | सयतभद्र | २१६ |
| सतानवादखडन | ३८९ | सयम | ८, ९, २६, ९१, ९९, |
| सतार | १९२ | | २५२ |
| सथारा | ३९ | सयोग | ९, ९७ |
| सधिपाल | ३८४ | सयोजना | १९३, २३४ |
| सनिघ्नान | १७२ | सरक्षणता | १८ |
| सर्पचासित्तरी | ३३४ | सरभ | ३०९ |
| सपकविहार | ३५८ | सलीनता | ९१ |
| सपदा | १०, १११ | सलोक | ७९ |
| सपातिम | २१० | सवत्सर | ३९१ |

अनुक्रमणिका

५०१

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| सवरपचक | ३८१ | सजीव | ३३ |
| सवर्त | २२५ | सण | २४, २३९ |
| सवसन | २७, २५८ | सत्त्व | १४७ |
| सवृत्तासवृत | १८४ | सदाधार | २७ |
| सवेगभावना | ६९ | सदृष्टान्तबुद्धिभेदनिरूपण | ३८९ |
| सवेदन | ३४७ | सनवधन | ३८४ |
| सशय | १३०, १३१, १४५ | सनिमित्त | ३२ |
| सशोधन | ३९, ४१, ५० | सन्निवेश | ३८, ३५४ |
| ससक्त | २३, २३७ | सन्निहित | ३३ |
| ससक्तनियुक्ति | ६, ११६ | सन्मितिकं | ३६ |
| ससारदावा | ३३४ | सपर्यवसित | ६६, १३२, १८३ |
| ससारदावास्तुति | ३३४ | सपिन्नक | ९८ |
| ससारी | १४८ | सप्ततिकाभाष्य | ४०, ३६६ |
| संसुमा | ३७६ | सप्ततिकावृत्ति | ३८७ |
| ससेतिम | ३३ | सप्तनिह्यव | ७, ५४ |
| सस्कृत | ५, १२, २७, ३१, ३४, ३७, ४०, ४४, ९९ | सप्तशतारनयचक्र | ४०, ३६० |
| सम्कृति | १७, ५४, १९६ | सप्त-सप्तिका | १०८ |
| सस्तव | ३०६ | सप्तस्वर | २९, २७३ |
| सस्तवदोष | १९३ | सप्रायश्चित्त | २४१ |
| सस्तारक | २४, ३२, २२१, २२४, ३०८ | सप्रावरण | ३२ |
| सस्थान | ६६, ९७ | सभा | ३९ |
| सस्थापना | १८ | सभ्यता | ५४ |
| सस्थित | १९४ | समकालीन | ३७ |
| सस्मरण | ८, ९४ | समता | ७८ |
| सहनन | १८ | समभिरूढ | १७२ |
| सहृत | १९३ | समयसुन्दर | ३५, ३२६, ४२१ |
| सकलचद्रगणि | ४३२ | समयसुन्दरगणि | ५०, ४३२ |
| सकलचद्रमूरि | ४९, ४२७ | समयसुन्दरसूरि | ४९, ४२७ |
| सकार | ८, ९५ | समरचद्र | ४२१ |
| सचेलक | २३१ | समरचद्रसूरि | ३५, २२५, ४२० |
| | | समराइच्चकहा | ३३४ |
| | | समवतार | १३, १४, ६९, ७४, १७३ |

| | | | |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------------|
| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
| समवसरण | १०, १७, ३०, ७३, १९९, २२३, २७६, ३१४ | सम्यग्दर्शन | १०६ |
| समवाय | ७, १५, ७०, १५८, ३७१, ३९० | सम्यग्वाद | १८४ |
| समवायाग | ४०, ४१, ३७० | सरयू | २२८ |
| समवायागवृत्ति | ४१, ३७० | सरम्बती | ९४ |
| समाजशास्त्र | ५१, ५३ | सर्पदश | ९८ |
| समाधि | ९, ६९, १०९, १११ | सर्प | १७८ |
| समाधिप्रतिमा | १११ | सर्व | ७८, १८५ |
| समारभ | ३१० | सर्वज्ञसिद्धि | ३८९ |
| समास | १८४, २५२ | सर्वज्ञसिद्धिप्रकरण-सटीक | ३३४ |
| समितसूरि | ५९ | सर्वत-पार्वस्थ | २३ |
| समिति | २०, २६, १११, २३५, २५२, २७९ | सर्वविरति | १८२, १८४ |
| समुक्छेद | १५, ७४, १७६ | सर्वावसन्न | २४ |
| समुच्छ्रय | ८४ | सलोम | २० |
| समुदायार्थद्वार | १३४ | सवस्त्र | ३२ |
| समुद्धात | १६, ५२, ७६, १३१, १८४, २७७ | सहनशील | १९४ |
| समूह | १३५ | सहोदर | ६ |
| सम्भूच्छेनज | १०३ | साख्य | १३, १४६ |
| सम्यक् | ६६, १३२, १८३ | साख्यमतचर्या | २८९ |
| सम्यक्चारित्र | १०६ | साख्यमुक्तिनिरास | ३८९ |
| सम्यक्त्तप | १०६ | सातर | १३ |
| सम्यक्त्व | ९, ६६, ७४, १०३, १०६, १३३, १३९, १८१, १८२, १९६, २८१ | साँप | २४५ |
| सम्यक्त्वप्राप्ति | १३ | साभोगिक | ३१० |
| सम्यक्श्रुत | १३३ | सास्कृतिक | २२, ३४, ४३ |
| सम्यगनुष्ठान | १३३ | साकार | १६ |
| सम्यग्ज्ञान | १०६ | साकेत | ७, २७, ७०, २५९ |
| | | सागारिक | २०, २६, २१०, २४९, ३०७, = १७ |
| | | सागारिकनिश्चा | २२० |
| | | सागारिकोपाश्रय | २२१ |
| | | सादिक | ६६, १३२, १८३ |
| | | साधमिक | २३९ |
| | | साधमिकस्तैन्य | २२६ |

अनुक्रमणिका

५०३

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|---|--------------|---|---------------|
| साधर्मिकावग्रह | २२५ | सावद्यस्वप्न | १९२ |
| साधारण | १०५ | सास्वादन | १९६ |
| साधिकरण | २४१ | साहित्य | ५, १०, २२, ३४ |
| सानु ८, १०, १७, २२, २४, ५३, ७५ ७७, ८५, २४७, २८८ | | सिन्धु | २७ |
| साधुरग उपाध्याय ३५, २३४, ४२० | | सिन्धुसौवीर | २६० |
| साधुरत्नसूरि | ४३६ | सिंह | ७२ |
| साध्वी १७, १९, २५, ३२, २०६, २४५, २४७ | | सिंहकेसर | १९३ |
| सानक | २०, २१९ | सिंहगिरि | ५९ |
| साम | ९, १०० | सिंहत्रिकघातक | २१५ |
| सामग्री-वैविध्य | ५१ | सिंहपर्वदा | २१५ |
| सामपुरिवट्ट | २७ | सिंही | १७८ |
| सामर्थ्य | २५७ | मिताम्बर | ३३३ |
| सामाचारी १८, १९, २००, २०२ | | सिद्ध ८, १६, ६९, ७५, ७६, १४८, १८४, २७१, २७८ | |
| सामाचारीस्थिति | १२७ | सिद्धचक्र | ३८५ |
| सामाजिक | २२, ३४ | सिद्धनमस्कार | १६, ५२, ५३ |
| सामान्य | १६, १७८ | सिद्धप्राभृत | ४५, ३९७ |
| सामायिक ७, १२, १३, १४, १५, ३०, ५१, ६५, ६७, ७४, ७८, ११७, १२६, १३६, १३८, १४०, १८०, १८४, १८५, २७७ | | सिद्धर्षि | २६९, ४०९ |
| सामायिकचारित्र | ६७, ७५ | सिद्धन्याख्यानिक | २६९, ४०९ |
| सामायिकनिर्गम | ५३ | सिद्धसेन २८, ३६, २६९, ३००, ३३५, ३४७, ३५१, ३६०, ३६१ | |
| सामायिकसूत्र | १६ | सिद्धसेनगणि १२०, २६९, ४१८ | |
| सामुच्छेदिक | १६ | सिद्धसेनदिवाकर २९, ३६, २६८, ३३६ | |
| सार | ९ | सिद्धसेनसूरि २९, ३१, ४८, २६९, २९१ | |
| साराभाई मणिलाल नवाब | ३२१ | सिद्धान्त | ५, १२, १३५ |
| सार्थ | २०, २१६, २२५ | सिद्धातवादी | ३५ |
| सार्थवाह २०, ५३, १९६, ३०९, ३८४ | | सिद्धार्थ | २७६ |
| सार्थन्यवस्थापक | २०, ५३, २१७ | सिद्धार्थपुर | ७, ७० |
| सावद्य | १८५ | सिर | ३२ |
| | | सिलिंग | ८, ९४ |

| | |
|-------------------|------------------------------|
| शब्द | पृष्ठ |
| सीमा | ५४ |
| सीसक | ८, ९४ |
| सुठी | ९८ |
| सुकल्प | २७ |
| सुख | १७० |
| सुखलालजी | २६९ |
| सुखसागर | ५०, ४२९ |
| सुत्ताणुगम | ६१ |
| सुदर्शना | १७५ |
| सुधर्मा | १३, १४, ७२, १४४, १६०, ३१० |
| सुबोध-विवरण | ३८ |
| सुबोध | ४७ |
| सुभद्रा | ८६, २३६ |
| सुभिक्षु | ३४१ |
| सुमतिकल्लोल | ३५, ३२५ |
| सुमतिसाधुसूरि | ५०, ४३० |
| सुमतिसूरि | ३५, ३२५ |
| सुमन | ९० |
| सूरसेन | २७ |
| सुराविकटकुभ | २१८ |
| सुराष्ट्र | २७ |
| सुरेन्द्रदत्त | ८, ५४ |
| सुलसा | ३०, ५४, २८० |
| सुवर्ण | ८, ९४, ३०७ |
| सुहृस्ती | ३१० |
| सूक्ष्म | ५६, ९०, १०४ |
| सूक्ष्मप्राभृतिका | २६ |
| सूक्ष्मसपराय | १३, ९७, १४०, २५१ |
| सूची | २१५, २५८ |
| सूत | ९, १०२ |
| सूतक | ३४ |

| | |
|--|----------|
| शब्द | पृष्ठ |
| सूत्र ९, १३, ६८, १०८, १३५, १३८, २१७, ४०० | |
| सूत्रकृत | २५१ |
| सूत्रकृताग ६, ९, २७, ३१, ३९, ५६, ५७, २६६, ४०३ | |
| सूत्रकृतागचूणि २७, २८, ३१, २६६, २८९ | |
| सूत्रकृतागनियुक्ति ९, ५२, ५८, १०९ | |
| सूत्रकृतागविवरण ३८, ३९, ३५६ | |
| सूर्य | १६४, ३९१ |
| सूर्यप्रज्ञप्ति ६, १४, ५१, ५६, ५७, ६२, १७३, ३९१, ३९४, ३९६ | |
| सूर्यप्रज्ञप्तिटीका ४३, ४४, ३९८ | |
| सूर्यप्रज्ञप्ति नियुक्ति ४५, ३९८ | |
| सूर्यप्रज्ञप्तिविवरण ३९१ | |
| सूर्यप्रज्ञप्त्युपागटीका ३८७ | |
| सेटिका १९३ | |
| सेठ ४०, ४७, ३०९ | |
| सेना २२५ | |
| सेनापति ३८४ | |
| सेरीसक ३८६ | |
| सेवा २३, २६, २३६, २५०, २५१ | |
| सोदास ८६ | |
| सोपारक १२० | |
| सोमनस ७, ७० | |
| सोमविमलसूरि ३५, ३२२, ४२१ | |
| सोमसुदर ३५, ३२५ | |
| सोमिलार्थ ७३ | |
| सोमेश्वर ३६७ | |
| सौत्रिक ३०३ | |
| सौत्रिका २४९ | |
| सौघर्म ४०३ | |

अनुक्रमणिका

५०५

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| सौभाग्यसागर | ३५, ३२५, ४२१ | स्थविरकल्पिक | १७, १८, १९, ३२, ११४, २०१, २११, २२२, २३५, |
| सौराष्ट्र | २५९ | | २५१ |
| सौरिक | २७, २५९ | स्थविरकल्पी | ३०८ |
| सौवीर | २७ | स्थविरभूमि | २५१ |
| सौवीरिणी | १९, २०२ | स्थविरा | २१० |
| स्कंदकाचार्यं | ११४, २१८ | स्थान | १०, २३, २७, २३४, २५८ |
| स्कध | ९, ५६, १०९, १३५, ३८३ | स्थानकवासी | ५१, ४३६ |
| स्कधकरणी | २२२ | स्थानाग | ४०, ४१ |
| स्कधबीज | १०५ | स्थानागवृत्ति | ४१, ३६८ |
| स्कंधवाद | २८९ | स्थानायत | २२९ |
| स्तभतीर्थं | ४२, ४२७ | स्थापक | ९१ |
| स्तभनाधीश | ४२७ | स्थापना | १०, २०, ६६, १११, १९२, १९४, ३१४, ३३७ |
| स्तवक | ३२६ | स्थापनाकल्प | २७, ३१९ |
| स्तव | २७८ | स्थापनाकुल | १९, १९३, २०२, २५२ |
| स्तुति | ३०६ | | ३०९ |
| स्तूप | ७, ७०, ७२, ११८ | स्थावर | ८, ९४, १४८, ३०७ |
| स्तेन | २७ | स्थित | २७ |
| स्तेनपल्ली | २१५ | स्थितकल्प | २७, ३१८ |
| स्त्यानद्धिप्रमत्त | १९५ | स्थिति | १३, ६९, १३९, १९४ |
| स्त्री | २०, ३३, २४२, ३१५, ३४३ | स्थिरीकरण | ९०, १९२ |
| स्त्री-निर्वाणसूत्र | ४०, ३६३ | स्थूणा | ३४, ५४, ३१८ |
| स्त्रीमुक्तिसिद्धि | ३८९ | स्थूलअदत्तादानविरमण | २८१ |
| स्थडिल | १८ | स्थूलप्राणातिपातविरमण | २८१ |
| स्थडिलभूमि | १८, १९७ | स्थूलभद्र | ८, ३०, ५४, २८०, ३१० |
| स्थपिति | १९४ | स्थूलमृपावादविरमण | २८१ |
| स्थल | ३९, २२८ | स्नातक | २५०, २५७ |
| स्थलपतन | ३९ | स्नान | ३०५ |
| स्थविर | १८, २४, ६९, २१०, २५१, २७१ | स्नेह | २२, ३२ |
| स्थविरकल्प | १९, २७, ५२, १२७, १९४, २०६ | स्पर्शन | १३, ६९, १८३ |

अनुक्रमणिका

५०७

| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| हार | ३३, ५५, ३१२ | हीलित | २३० |
| हारित | २०, २१८ | हूण | २८१ |
| हारिभद्रोयवृत्ति | २६९ | हृत | २१६ |
| हारिभद्रोयावश्यकवृत्ति-टिप्पणक | ४११ | हृताहृत | २१६ |
| हारिल वाचक | ४०, ३६२ | हेदुठा | १८७ |
| हास्य | २७३, ३१० | हेतु | ८, १३, ३४, ९१, ९२ |
| हिसक | १६०, २२१ | हेतुवादोपदेशिकी | १३२ |
| हिंसा | १४, २१, ५२, ९१, १६०, २२१ | हेमत | २१४ |
| हित | ७८ | हेमकुमार | २२६ |
| हितवृत्ति | ३५, ३२४, ४२० | हेमचद्र | ४३, ४६, ३८५, ३८६ |
| हिरण्य | ८, ९४, ३०७ | हेमचद्रगणि | ३५, ३२५, ४२१ |
| हिरिमथा | ३०५ | हेमचंद्रसूरि | ४०९ |
| हीन | १९४ | हेमविमलसूरि | ५०, ४३० |
| हीनभाव | २४१ | ह्री | ९९ |
| हीरविजयसूरि | ३३, ३२३, ४२० | ह्रीवेर | ९८ |



सहायक ग्रन्थों की सूची

- ऐतिहासिक नोध—वाढीलाल मो० शाह—हिन्दी संस्करण.
कर्मग्रंथ (पचम तथा षष्ठ)—आत्मानंद जैन ग्रन्थमाला, भावनगर,
सन् १९४०.
- गणधरवाद—दलसुख मालवणिया—गुजरात विद्यासभा, अहमदावाद,
सन् १९५२.
- जिनरत्नकोश—हरि दामोदर वेलणकर—भाण्डारकर प्राच्यविद्यासंशोधन
मंदिर, पूना, सन् १९४४
- जैन आगम—दलसुख मालवणिया—जैन सस्कृति सशोधन मण्डल, बनारस,
सन् १९४७.
- जैन गुर्जर कविओ—जैन श्वेताम्बर कॉन्फरेन्स, बम्बई, सन् १९३१.
- जैन ग्रन्थावली—जैन श्वेताम्बर कॉन्फरेन्स, बम्बई, वि० स० १९६५
- जैन दर्शन—अनु० प० वेचरदास, प्रका० मनसुखलाल रवजीभाई मेहता,
राजकोट, वि० स० १९८०.
- जैनसत्यप्रकाश—अहमदावाद
- जैन साहित्यनो सक्षिप्त इतिहास—मोहनलाल दलीचद देसाई—जैन
श्वेताम्बर कॉन्फरेन्स, बम्बई, सन् १९३३.
- जैन साहित्य सशोधक—अहमदावाद.
- तत्त्वार्थसूत्र—उमास्वाति—भारत जैन महामण्डल, वर्धा, सन् १९५२.
- प्रभावकचरित—प्रभाचन्द्र—सिधी जैन ग्रन्थमाला, कलकत्ता, सन् १९४०
- प्रशस्तिसग्रह—अमृतलाल शाह—श्री शातिनाथजी ज्ञानभंडार, अहमदावाद,
वि० स० १९९३
- प्राकृत और उसका साहित्य—मोहनलाल मेहता—बिहार राष्ट्रभाषा
परिषद्, पटना, सन् १९६६
- ब्रह्मविन्दु उपनिषद्—निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, सन् १९३२.
- महावीर जैन विद्यालय रजत महोत्सव ग्रन्थ—बम्बई, सन् १९४०.
- मुनि श्री हजारीमल स्मृति-ग्रन्थ—व्यावर, सन् १९६५
- मुनिसुव्रतचरित—श्रीचन्द्रसूरि
- विविधतीर्थकल्प—जिनप्रभसूरि—सिधी जैन ग्रन्थमाला, कलकत्ता,
सन् १९३४.

विशेषणवती—जिनभद्र.

श्रमण भगवान् महावीर, भाग-३—स० मुनि रत्नप्रभवजय, अनु० प्रो०
धीरुभाई पी० ठाकुर, प्रका० जैनग्रन्थ प्रकाशक
सभा, पाजरापोल, अहमदाबाद, सन् १९५०.

सार्थवाह—मोतीचन्द्र—बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, सन् १९५३.

हिस्ट्री ऑफ दी केनोनिकल लिटरेचर ऑफ दी जैन्स—हीरालाल
रसिकदास कापडिया—सूरत, सन् १९४१



